बारहवें वित्त आयोग

की रिपोर्ट

(2005-10)

सत्यमेव जयते

नवम्बर, 2004

बारहवें वित्त आयोग

की रिपोर्ट

(2005-10)

सत्यमेव जयते

नवम्बर, 2004

विषय सूची

1.	भूमिका	1-4
2.	मुद्दे और दृष्टिकोण	5-16
3.	केन्द्र और राज्य वित्तों में प्रवृत्तियां	17-33
4.	लोक वित्त की पुनर्संरचना	34-60
5.	केन्द्रीय वित्तः राजस्व एवं व्यय का मूल्यांकन	61-68
6.	राज्य वित्तः राजस्व एवं व्यय का मूल्यांकन	69-78
7.	संघ कर राजस्व में साझेदारी	79-87
8.	स्थानीय निकाय	88-103
9.	आपदा राहत	104-109
10.	राज्यों को सहायता अनुदान	110-128
11.	राजकोषीय सुधार सुविधा	129-137
12.	राज्यों की ऋण-स्थितिः राहत और सुधारात्मक उपाय	138-155
13.	पेट्रोलियम अर्जित लाभ का बँटवारा	156-161
14.	संस्थागत परिवर्तन एवं सुधार	162-165
15.	अंतिम अवलोकन	166-167
16.	सिफारिशों का सार	168-173
	अनुबंध	175
	परिशिष्ट	357

अनुबंध

1.1	भारत का राजपत्रः असाधारण, अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर, 2002-बारहवें वित्त आयोग का गठन	177-178
1.2	भारत का राजपत्रः असाधारण, अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2003-श्री जी.सी. श्रीवास्तव की वित्त आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति	179
1.3	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई, 2004-डा. शंकर आचार्य की आयोग के सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्ति	180
1.4	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई, 2004-आयोग की और रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाना	181
1.5	भारत का राजपत्रः असाधारण, अधिसूचना दिनांक 31 अक्तूबर, 2003, पेट्रोलियम लाभ संबंधी अतिरिक्त विचारार्थ विषय जोड़ना	182
1.6	स्वीकृत पद	183
1.7	कार्यकर्ताओं की सूची	184-185
1.8	भारत के वित्त आयोग के स्वर्ण जंयती सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची	186
1.9	प्रक्रिया नियम	187-188
1.10	अर्थशास्त्रियों और आर्थिक प्रशासकों के साथ बैठकों में भाग लेने वालों की सूची	189
1.11	बारहवें वित्त आयोग की सरकारी सूचना	190-191
1.12	सरकारी सूचना का जवाब देने वाले व्यक्ति	192-193
1.13	सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सम्बोधित डा.सी. रंगाराजन, अध्यक्ष का पत्र दिनांक 10/15 जनवरी, 2003	194
1.14	सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित डा.जी.सी. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव का पत्र दिनांक 3 फरवरी, 2003	195-196
1.15	केन्द्र सरकार के सभी केन्द्रीय मंत्रियों को सम्बोधित डा. सी. रंगाराजन, अध्यक्ष, वित्त आयोग का पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2003	197
1.16	केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों के सचिवों को सम्बोधित डा. जी.सी. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव का पत्र दिनांक 3 फरवरी, 2003	198
1.17	केन्द्र सरकार के विभाग/मंत्रालय जिन्होंने विचारार्थ विषयों पर अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किए हैं।	199
1.18	राज्यों के दौरों के दौरान आयोग के साथ की गई बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति	200-235
1.19	राज्यों के दौरों का विवरण	236
1.20	राज्यों के महालेखाकारों के साथ बैठकें।	237-238
1.21	बारहवें वित्त आयोग के समक्ष मुद्दों के संबंध में दिनांक 29-30 सितम्बर, 2003 को सम्राट होटल, नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी।	239
1.22	29-30 दिसम्बर, 2003 को कांफ्रेस हाल, आईआईपीए, नई दिल्ली में नगरपालिका वित्त संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी।	240
1.23	23 जनवरी, 2004, को एनआईआरडी, हैदराबाद में पंचायती राज संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी	241
1.24	किए गए अध्ययनों की सूची	242-243

1.25	विदेश दौरों (कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया) का विवरण	244
1.26	20 अक्टूबर, 2003 को वाशिंगटन डी.सी में राजकोषीय संघ, अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों और निष्कर्षों से संबंधित विश्व बैंक की कार्यशाला का कार्यक्रम	245
1.27	2 जुलाई, 2004 को आईआईसी, नई दिल्ली में भारत के शहरी केन्द्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा मल-व्ययण, गंदे जल का उपचार और जल निकासी से संबंधित कार्यशालाएं	246
1.28	केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के साथ बैठकें	247
1.29	अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची	248
1.30	21 अक्तूबर, 2004 को तन्जानिया के संयुक्त वित्त आयोग के शिष्ट मण्डल के साथ बैठक	249
1.31	आयोग की बैठकें	250
1.32	भारत का राजपत्र; असाधारण, अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2003-वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियमावली, 1951 का संशोधन	251
2.1	केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को केन्द्र से अन्तरणः 1979-80 से 2001-02	252
2.2	सम्मिलित राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र और राज्यों का सापेक्ष हिस्साः 1979-80 से 2001-02	253
2.3	सम्मिलित राजस्व व्यय में केन्द्र और राज्यों का सापेक्ष हिस्साः 1979-80 से 2001-02	254
2.4	कुल व्यय में केन्द्र और राज्यों का सापेक्ष हिस्साः1979-80 से 2001-02	255
4.1	केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्मिलित लेखाः स.घ.उ. के सापेक्षतया चुनिंदा परिवर्तनीय कारक	256
5.1	ऋण राहत शामिल करने से पूर्व 2004-05 से 2009-10 तक केन्द्रीय सरकार की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन	257
5.2	ऋण राहत शामिल करने के बाद 2004-05 से 2009-10 तक केन्द्रीय सरकार की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन	258
6.1	2005-10 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुमान	259
6.2	कर-राजस्व की निर्देशित उछाल और वृद्धि दरें 2005-10	260
6.3	खाद्य-सब्सिडी हेतु व्यय का प्रावधान	261
6.4	सामान्य शिक्षा के लिए व्यय का प्रावधान (एमएच 2002)	262
6.5	चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु व्यय का प्रावधान (मु.शी. 2210 एवं 2211)	263
6.6	वृहत् और मध्यम सिंचाई के लिए अनुरक्षण व्यय का प्रावधान (मु.शी. 2701)	264
6.7	लघु सिंचाई के लिए अनुरक्षण व्यय का प्रावधान (मु.शी. 2702)	265
6.8	सड़कों और पुलों के लिए अनुरक्षण व्यय का प्रावधान (मु.शी. 3504)	266
6.9	इमारतों के लिए अनुरक्षण व्यय का प्रावधान (मु.शी. 2059 एवं 2216)	267
6.10	सेवा-वार सम्मिश्र वृद्धि दरों के संदर्भ के राज्यों का वितरण	268
6.11	पूर्ण हुई प्लान स्कीमों की वचनबद्धता देयताओं के लिए प्रावधान	269
6.12	राज्यों की मूल्यांकित स्व-राजस्व प्राप्तियां और आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	270-283
7.1	संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	284
7.2	विभाज्य करों में अनुशंसित हिस्साः पहले से ग्यारहवां वित्त आयोग	285

7.3	राज्यों को केन्द्रीय करों का कर-अन्तरण-1979-80 से 2001-02	286
7.4	क्रमिक वित्त आयोगों के जरिए कर सुपुर्दगी के लिए मापदण्ड	287-288
7.5	बारहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापनों में राज्यों द्वारा सुझाए गए मापदण्ड	289-290
7.6	राज्यों की जनसंख्या	291
7.7	प्रतिव्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद (तुलनीय)	292
7.8	राज्यों के क्षेत्र	293
7.9	कर राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात औसत 1999-2000 से 2001-2002	294
7.10	राजकोषीय आत्मनिर्भरता का सूचकांक	295
8.1	संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज	296
8.2	स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धी प्रोफार्मा	297
8.3	एस.एफ.सी. सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों का अंतरण करने के लिए प्रोफार्मा	298
8.4	एस.एफ.सी. का गठन करने से पहले स्थानीय निकायों को संसाधन अंतरण सम्बन्धी प्रोफार्मा	299
8.5	पीआरआई/यूएलबी और उस पर व्यय के लिए स्थानांतरित कार्यों/सेवाओं के सम्बन्ध में प्रोफार्मा	300
8.6	राजस्व/पूंजी और स्थानीय निकायों के व्यय और संसाधनों के लिए प्रोफार्मा	301
8.7	विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों की संख्या	302-304
8.8	पंचायती राज्य संस्थाओं (सभी स्तरों पर) के राज्यवार राजस्व और व्यय	305-313
8.9	शहरी स्थानीय निकायों (सभी स्तरों पर) के राज्यवार राजस्व और व्यय	314-322
8.10	एस.एफ.सी. का गठन और रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर की गई कार्रवाई	323-324
8.11	राज्यवार जनसंख्या तथा क्षेत्रफलः 2001	325
8.12	राज्यों के तुलनीय जीएसडीपी और प्रक्षेपित जनसंख्या	326
8.13	पंचायती राज संस्थाओं (सभी स्तरों) के राज्यवार स्व-राजस्व	327
8.14	शहरी स्थानीय निकायों (सभी स्तरों पर) के राज्यवार स्व-राजस्व	328
8.15	अभावग्रस्त परिवारों का वितरण-2001 (ग्रामीण)	329
8.16	अभावग्रस्त परिवारों का वितरण-2001 (शहरी)	330
8.17	पंचायतीराज संस्थाओं के आवंटनों में राज्यों का संचित भाग	331
8.18	शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटन में राज्यों का संचित भाग	332
9.1	वर्ष 2005-10 के दौरान आपदा राहत कोष	333
9.2	वर्ष 2005-10 के दौरान आपदा राहत कोष (केन्द्र का हिस्सा)	334
9.3	वर्ष 2005-10 के दौरान आपदा राहत कोष (राज्य का हिस्सा)	335
10.1	शिक्षा (मुख्य शीर्ष-2202) और स्वास्थ्य (मु. शीर्ष 2210-2211) के लिए सहायता अनुदानों के जारी करने के लिए शर्तें।	336
10.2	शिक्षा (मुख्य शीर्ष 2202) संबंधी गैर-योजना राजस्व व्यय के लिए प्रक्षेपण	337
10.3	स्वास्थ्य क्षेत्र (मुख्य शीर्ष 2210 और 2211) गैर-योजना राजस्व व्यय के लिए प्रक्षेपण	338

10.4	सड़कों और पुलों के रखरखाव (मुख्य शीर्ष 3054-उपशीर्ष 03 और 04) के लिए अनुदान सहायता और भवनों के रखरखाव (मुख्य शीर्ष 2059-लघु शीर्ष 053, ये सभी विभिन्न शीर्षों के तहत) के लिए शर्तें	339
10.5	सड़कों और पुलों (मुख्य शीर्ष 3054) के लिए गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रक्षेपण	340-341
10.6	भवनों (मुख्य शीर्ष 2059 और 2216) के लिए गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रक्षेपण	342-343
11.1	अनुवीक्षणीय सूचकांकों (राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+), कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतानुसार) की स्थिति और प्रोत्साहन निधि से कुल निर्गम	344-345
11.2	राज्यों के लिए प्रोत्साहन निधि से निर्गम	346
12.1	31.3.2004 के अनुसार राज्य सरकार के ऋण का संचयन	347
12.2	31.3.2005 के अनुसार राज्य सरकार के ऋण का संचयन	348
12.3	राज्यों को केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की दरें	349
12.4	जीएसडीपी के एक प्रतिशतांक के अनुसार राज्यों के बकाया ऋण	350
12.5	कुल राजस्व प्राप्तियों (निवल लॉटरी सहित) के प्रतिशतांक के अनुसार ब्याज भुगतान	351
12.6	31.3.2004 तक स्वीकृत केन्द्रीय ऋणों का बकाया और 2005-06 से 2009-10 के दौरान (समेकन और पुनःनिर्धारण करने से पूर्व) पुनर्भुगतान प्रोफाईल	352
12.7	31.3.2004 से पहले और 31.3.05 को बकाया संविदा किया गया केन्द्रीय ऋणों का समेकन कर देने के पश्चात राज्यवार ऋण सहायता	353
12.8	राजकोषीय निष्पादन के संबंध में ऋण सहायता आधारित प्रोत्साहन की गणना	354
12.9	31.3.04 से पहले और 31.3.05 को बकाया संविदा किए गए केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत तक कम करके समेकन और पुनर्निधारण के पश्चात ब्याज भुगतानों के संबंध में संचयी राहत	355

परिशिष्ट

4.1	राजकोषीय घाटा और ऋणः राज्य स्तरीय वहनीयता शर्तें	359-362
4.2	रोजगार और वेतनों में प्रवृत्तियांः एक अंतर्राज्यीय परिदृश्य	363-366

अध्याय 1

भूमिका

बारहवें वित्त आयोग का गठन

1.1 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। प्रथम ऐसे आयोग का गठन 19 नवम्बर, 1951 को किया गया था। वर्तमान वित्त आयोग के पूर्ववर्ती ग्यारह वित्त आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से हमारे देश में राजकोषीय विकेन्द्रण को एक निश्चयात्मक आकार दिया है। वर्तमान वित्त आयोग, जो बारहवाँ है, का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. रंगाराजन की अध्यक्षता में पहली नवम्बर, 2002 को किया गया था। राष्ट्रपति ने दो पूर्णकालिक सदस्यों नामतः भारत सरकार के मंत्रिमंडल के भूतपूर्व सचिव श्री टी.आर. प्रसाद, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त),तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के प्रो. डी. के. श्रीवास्तव तथा एक अंशकालिक सदस्य नामतः योजना आयोग के सदस्य श्री सोमपाल को भी नियुक्त किया। डॉ. जी.सी. श्रीवास्तव, भा.प्र.सेवा को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, पहली जुलाई, 2003 से उन्हें चौथे सदस्य के रिक्त स्थान पर सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। श्री सोमपाल द्वारा आयोग से त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप, डॉ. शंकर.एन. आचार्य को पहली जुलाई, 2004 से अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। संगत अधिसूचनाएं अनुबंध 1.1, 1.2 तथा 1.3 पर हैं।

1.2 एक अप्रैल 2005 से आरम्भ पांच वर्षों की अवधि को शामिल करते हुए आयोग को अपनी रिपोर्ट मूलतः 31 जुलाई 2004 तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तदनंतर, संसदीय चुनाव समय से पूर्व होने से सामान्य गतिविधियों में व्यवधान आने के कारण राष्ट्रपति ने पहली जुलाई 2004 के अपने आदेश के माध्यम से आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2004 तक बढ़ा दिया किन्तु रिपोर्ट को 30 नवम्बर 2004 तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था (अधिसूचना अनुबंध 1.4 पर)।

विचारार्थ विषय

1.3 राष्ट्रपति ने पहली नवम्बर, 2002 की अधिसूचना (अनुबंध 1.1) के तहत आयोग को निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दियाः-

"4. यह आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में अनुशंसाएं करेगाः-

(i) करों की उन निवल प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण जिन्हें संविधान के भाग-XII के अध्याय-1 के अनुसार उनके बीच बांटा जाना है अथवा बांटा जा सकता है और ऐसी प्राप्तियों के अपने हिस्से का राज्यों के बीच आबंटन;

(ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्त और उन राज्यों को दी जाने वाली राशि जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत, उस अनुच्छेद के खण्ड(1) के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर, अन्य प्रयोजनों के लिए अपने राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में मदद की आवश्यकता है;

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय।

5. आयोग केन्द्र तथा राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की पुनरीक्षा करेगा तथा ऐसी योजना का सुझाव देगा जिसके द्वारा सरकारें सामूहिक तथा पृथक रूप से बजटीय संतुलन बहाल करते हुए बृहद् - आर्थिक स्थायित्व हासिल करके तथा साम्यापूर्ण अभिवृद्धि के साथ ऋण को घटाकर लोक वित्त की पुनर्संरचना कर सकती हैं।

6. अपनी अनुशंसाएं करने में आयोग अन्य विचारणाओं के साथ साथ निम्न को ध्यान में रखेगाः-

(i) 2003-04 के अंत तक प्राप्त होने वाले संभावित कर-भिन्न राजस्वों तथा कराधान के स्तरों के आधार पर पहली अप्रैल 2005 को आरम्भ पांच वर्षों के लिए केन्द्र सरकार के संसाधन;

(ii) केन्द्र सरकार के संसाधनों पर विशेष रूप से नागरिक प्रशासन, रक्षा, आंतरिक एंव सीमावर्ती सुरक्षा, ऋण शोधन संबंधी व्यय तथा अन्य वचनबद्ध व्यय एवं देयताओं के कारण उत्पन्न मांगें;

(iii) 2003-04 के अन्त तक प्राप्त होने वाले संभावित कर-भिन्न राजस्वों तथा कराधार के स्तरों के आधार पर पहली अप्रैल 2005 को आरम्भ पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन;

(iv) न केवल सभी राज्य तथा केन्द्र के राजस्व खाते की प्राप्तियों तथा व्यय को संतुलित करने का उद्देश्य बल्कि साथ ही पूंजी निवेश हेतु अधिशेष सृजित करने तथा राजकोषीय घाटा कम करने का उद्देश्य;

(v) लक्ष्य, यदि कोई हो, की तुलना में केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयास तथा यथा मामला कर-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के लिए संभाव्यता;

(vi) 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण की जाने वाली प्लान योजनाओं पर अनुरक्षण से जुड़ा वेतन-भिन्न व्यय तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा रख-रखाव के वेतन-भिन्न संघटक पर व्यय तथा मानदंड जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के अनुरक्षण हेतु विशिष्ट धनराशियों की अनुशंसा की गई है तथा ऐसे व्यय का अनुवीक्षण करने का तरीका;

(vii) प्रयोक्ता प्रभारों का समायोजन तथा निजीकरण अथवा विनिवेश के माध्यम से प्राथमिकता-भिन्न उद्यमों को छोड़ने सहित विभिन्न साधनों के जरिए राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

7. विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें करने में आयोग ऐसे सभी मामलों में, जहां करों तथा शुल्कों एवं सहायतानुदान के न्यागमन के निर्धारण हेतु जनसंख्या एक घटक है, 1971 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या आंकड़ों को आधार मानेगा।

8. आयोग ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई राजकोषीय सुधार सुविधा की समीक्षा करेगा तथा इसके उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु उपाय सुझाएगा।

9. आयोग 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार राज्यों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन करने के पश्चात वृह्द-आर्थिक स्थायित्व एवं ऋण निर्वहनीयता के समनुरुप यथावश्यक समझे जाने वाले सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा। सिफारिश किए गए ऐसे उपाय मानव विकास एवं निवेश माहौल के क्षेत्रों में राज्यों के निष्पादन को महत्व देंगे।

10. आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा तथा उनपर समुचित सिफारिशें करेगा।

11. आयोग अपने निष्कर्षो के आधार निर्दिष्ट करेगा तथा प्राप्तियों एवं व्यय के राज्यवार अनुमान उपलब्ध कराएगा।

1.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग को दिनांक 31 अक्तूबर, 2003 की परवर्ती अधिसूचना (अनुबंध 1.5 के तहत) के माध्यम से निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करने के लिए कहा गया:-

(i) क्या केन्द्र को संविदात्मक उपबंधों से प्रत्युत्पन्न पेट्रोलियम के लाभ की कर-भिन्न आय को उन राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए जहां से खनिज तेलों का उत्पादन होता है; तथा

(ii) यदि हां, तो किस सीमा तक।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं

1.5 आयोग के प्रशासन की स्थापना की प्रक्रिया 30.06.2002 को आर्थिक कार्य विभाग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में डा. वी.के. अग्निहोत्री की नियुक्ति के साथ आरम्भ हुई। समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करने में पर्याप्त समय लगा। स्वीकृत पदों तथा कार्यकर्त्ताओं की सूचियां अनुबंध 1.6 तथा 1.7 पर हैं। जवाहर व्यापार भवन में उपयोग हेतु कार्यालय आवास तैयार करने में भी काफी समय लगा।

भारत के वित्त आयोगों की स्वर्ण जयन्ती

1.6 बारहवें वित्त आयोग का गठन इस संस्था के सृजन के पचास वर्षों की सम्पूर्ति के समकालिक था। देश में राजकोषीय विकेन्द्रण प्रणाली के स्थायित्व तथा उपयोगिता को सुनिश्चित करने में पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा किए गए प्रयासों का सिंहावलोकन करने के उद्देश्य से एक स्वर्णिम जयन्ती समारोह का आयोजन किया गया। इसका उदघाटन 9 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न को विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा की गई थी। समारोह में योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री के.सी. पंत भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यों के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सचिव तथा अन्य अधिकारी एवं सुविख्यात अर्थशास्त्री भी उपस्थित थे।

1.7. उद्घाटन समारोह के पश्चात राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तथा डा. सी. रंगाराजन द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सरकारी वेबसाईट www.fincomindia.nic.in को आरम्भ किया गया। यह वेबसाईट अंतः क्रियात्मक, गतिशील, प्रयोक्ता अनुकूल तथा संघीय वित्त से जुड़े डाटा के अर्थ में भरपूर है। जनता से आन लाईन सुझाव प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। चुनिंदा कार्यकर्त्ताओं के लिए इंट्रानेट युक्त एक कार्यतः सचिवालय (FincomNet) का सृजन किया गया है तथा वर्तमान एवं भावी वित्त आयोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका अनुरक्षण किया गया है। वेबसाईट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी सहायता से अनुरक्षित एवं आंतरिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

1.8. इस अवसर पर, "राजकोषीय विकेन्द्रीकरण के पचास वर्षः भारत के वित्त आयोग" शीर्षक से एक संस्मारक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका विमोचन अध्यक्ष द्वारा किया गया। संस्मारक पुस्तक सभी ग्यारह वित्त आयोगों के संबंध में संघटन, विचारार्थ विषयों, दृष्टिकोण, सिफारिशों तथा की गई रिपोर्टो से संबंधित उद्धरणों का एक उपयोगी सार संग्रह है। अन्यथा बिखरी सामग्री का एक ही पुस्तक में संकलन एक प्रामाणिक दस्तावेज का कार्य करता है जो इसका व्यापक लेखा उपलब्ध कराता है कि राजकोषीय विकेन्द्रीकरण से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर किस प्रकार कार्रवाई की गई।

1.9. विगत आयोगों के अनुभव से सीख लेने के उद्देश्य से 10 अप्रैल, 2003 को एक विचारावेश सत्र आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्ष एवं विगत वित्त आयोगों के सदस्यों को केन्द्र से राज्यों को संसाधन अंतरणों की जटिलताओं से जुड़े अपने अनुभव तथा अवबोधन बांटने के लिए आंमत्रित किया गया (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.8 पर)।

प्रमुख गतिविधियां

1.10. पर्याप्त सुसज्जित आवास के अभाव तथा उपयुक्त कार्मिकों की कमी के बावजूद आयोग ने औपचारिक रूप से इसके गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा कार्यभार ग्रहण के तत्काल पश्चात अपना कार्य आरम्भ कर दिया। आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक 16 जनवरी 2003 को आयोजित की गई जिसमें आयोग ने प्रक्रियाविधि के नियमों को अनुमोदित किया (प्रति अनुबंध 1.9 पर)।

1.11. परामर्श की प्रक्रिया 18.02.2003 को नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों एवं आर्थिक प्रशासकों की एक बैठक से आरम्भ हुई। चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता में इसी प्रकार की बैठकें क्रमशः 10 मार्च 2003, 17 अप्रैल 2003 तथा 8 मई 2003 को आयोजित की गईं। (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.10 पर)।

1.12. जनता से सामान्यतः प्राप्त सुझावों से लाभ उठाने के लिए आयोग ने इसके विचारार्थ विषयों से जुड़े मुद्दों पर आम जनता, संस्थाओं तथा संगठनों से विचार आमंत्रित करते हुए एक प्रैस नोट (अनुबंध 1.11) जारी किया। जनता ने प्रैस नोट का सामान्यतः उत्तर दिया। प्रत्यर्थियों की सूची अनुबंध 1.12 पर है।

1.13. आयोग के विचारार्थ विषयों पर राज्यों से विचार/सुझाव प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तथा अग्रगण्य अर्थशास्त्रियों को पत्र लिखे। सदस्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को विचारार्थ विषयों पर तथा उनसे संबंधित किसी मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ पत्र लिखे (जारी किए गए प्रत्येक पत्र की प्रति अनुबंध 1.13 तथा 1.14 पर है)। आयोग को सभी राज्यों से ज्ञापन तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

1.14. विचारार्थ विषयों पर केन्द्रीय मंत्रियों के विचारों से अवगत होने के दृष्टिगत अध्यक्ष ने मंत्रिमंडलीय मंत्रियों के विचार/सुझाव मांगे। सदस्य सचिव ने केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के सचिवों को भी आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपने अवलोकन अग्रेषित करने के लिए लिखा (प्रत्येक पत्र की एक प्रति अनुबंध 1.15 तथा 1.16 पर है)। आयोग को केन्द्रीय सरकार के अनेक विभागों/मंत्रालयों से विचार/सुझाव प्राप्त हुए (सूची अनुबंध 1.17 पर है)।

1.15. केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय निकाय के वित्त साधनों से जुड़ी विस्तृत सूचना, डाटा एवं अन्य निविष्टियां अनुसूचियों एवं वितरणों के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से एकत्र की गई। इस प्रयोजन के लिए, 57 प्रोफार्मा अभिकल्पित किए गए तथा 75 विषयों का चयन किया गया। सूचना का सहज प्रवाह सुकर बनाने के लिए एक समर्पित अधिकारी की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना प्रत्येक राज्य द्वारा की गई। इस प्रकार आयोग अपार सूचना का संग्रहण करने में समर्थ हुआ जिससे वह प्रत्येक राज्य के लिए एक ठोस आंकड़ाधार सृजित करने में सक्षम हुआ। भविष्य में वित्त आयोगों को सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समस्त सूचना को कार्यतः सचिवालय में भंडारित किया गया है।

1.16 राज्यों की वित्तीय अपेक्षाओं से जुड़े उनके अवबोधनों को मापने तथा उनके राजकोषीय निष्पादन के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने तथा साथ ही उप-राष्ट्रीय सरकारों की सामाजिक-आर्थिक एवं अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने 25 जुलाई, 2003 से शुरू करके राज्यों के दौरे किए। फरवरी से मई 2004 के दौरान राष्ट्र में चुनाव (लोक सभा तथा कुछ राज्य विधायिकाएं) के कारण 2004 के आरम्भ मे राज्य दौरों की अनुसूची में व्यवधान आया। ये दौरे 31 मई 2004 को पुनः आरम्भ किए गए तथा जुलाई, 2004 के महीने में पूर्ण किए गए (सहभागियों की सूची तथा राज्य दौरों का यात्राक्रम अनुबंध 1.18 तथा 1.19 पर है)। आयोग का राज्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा बैठकों के परिणाम स्वरूप विचारों का लाभप्रद विनिमय हुआ। स्थानीय दौरों, जो समग्र राज्य दौरों का एक भाग थे,से ग्रामीण और शहरी निकायों की अत्यावश्यक जरुरतों की गहनता एवं गम्भीरता को देखने एवं उनका आकलन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दौरों के दौरान आयोग ने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं तथा व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अंतःक्रिया भी की।

1.17 आयोग के राज्य दौरों से पूर्व राज्यों के महालेखाकारों के साथ बैठकें की गईं। इन बैठकों (सूची अनुबंध 1.20 पर) ने संबंधित राज्यों के संबंध में जटिल मुद्दों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। विचारविमर्श मुख्यतः राजस्व एवं व्यय, स्थानीय, सरकारों के स्तर पर ऊर्ध्वस्थ एवं समस्तरीय असंतुलनों से जुड़े मुद्दों, संसाधन संग्रहण हेतु किए गए उपायों तथा राजकोषीय अनुशासन सन्निविष्ट करने हेतु आरम्भ किए गए सुधारों पर केन्द्रित थे।

1.18 सुविख्यात अर्थशास्त्रियों तथा प्रशासकों से एक सुव्यवस्थित तरीके से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से 29-30 सितम्बर, 2003 को "बारहवें वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे" संबंधी एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए कहा। संगोष्ठी में (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.21 पर), अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जो भारत में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण में प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित हैं। कुछ दस्तावेज बाद में आर्थिक एवं राजनैतिक साप्ताहिक (खंड 39, सं. 26, जून 26 - जुलाई 2, 2004 पृष्ठ 2707-2794) मे प्रकाशित हुए। तदनंतर, इन सभी दस्तावेजों को, इन पर विशेषज्ञों की टिप्पणियों सहित एक संकलन "राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की गतिकियांः बारहवें वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां" शीर्षक वाली पुस्तक में प्रकाशित किया गया।

1.19 शहरी म्युनिसीपल निकाय राज्य स्तर पर अभिशासन संरचना का एक अंखड भाग हैं। स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका दक्ष कार्यकरण महत्वपूर्ण है तथा उसकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। म्युनिसीपैलिटियों की

उभरती हुई आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) ने आयोग के कहने पर 29-30 दिसम्बर, 2003 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.22 पर)। संगोष्ठी के तकनीकी सत्रों में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण में बारहवें वित्त आयोग की भूमिका पर विशिष्ट प्रकाश डाला गया तथा म्युनिसीपल वित्त साधनों से संबंधित समकालिक मुद्दों को प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी में प्रस्तुत कागजातों को आईआईपीए द्वारा "भारत में म्युनिसीपल वित्त साधन : बारहवें वित्त आयोग की भूमिका" नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया ।

1.20 आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद (एनआईआरडी) द्वारा 23 जनवरी, 2004 को पंचायती राज वित्त साधन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करवाने के लिए भी पहल की (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.23 पर)। विचार विमर्शों में ग्रामीण स्थायी निकायों के वित्त साधनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया तथा निकायों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यवहार्य दृष्टिकोणों की रूपरेखा बताई गई। संगोष्ठी की कार्यवाही को एन आई आर डी द्वारा प्रकाशित किया गया।

1.21 अर्थशास्त्रियों, अकादमीविदों तथा प्रशासकों के अंतर्ज्ञान एवं अनुसंधान निष्कर्षों से लाभ उठाने के मद्देनजर आयोग ने आयोग के विचारार्थ विषयों से जुड़े विविध मुद्दों पर 26 अध्ययन सौंपे। इनमें शामिल कुछ मुद्दे हैं - ऋण निर्वहनीयता/ऋण राहत, व्यय प्रबंधन, राज्य बिजली बोर्डों की वाणिज्यिक जीवक्षमता, मूल्य वर्धित कर के राजस्व निहितार्थ, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कर प्रयास तथा सिंचाई क्षेत्र की वित्तीय प्रास्थिति (आरम्भ किए गए अध्ययनों की पूर्ण सूची अनुबंध 1.24 पर है)।

1.22 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से लाभ उठाने के लिए आयोग ने संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया (यात्रावृतांत अनुबंध 1.25 पर) का दौरा किया, राष्ट्रीय तथा चुनिंदा उप-राष्ट्रीय सरकारों के साथ किए गए विचारविमर्श में अनेक मुद्दे शामिल थे यथा अंतः सरकारी अंतरणों के लिए मानदंड, समकरण के सिद्धांत का क्रियान्वयन, कनाडा में बिक्री कर प्रणाली, आस्ट्रेलिया में माल तथा सेवा कर एवं केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के करार को क्रियान्वित करने के लिए आस्ट्रेलिया सुधार कार्यक्रम। अपने दौरे के दौरान, आयोग ने वाशिंगटन मे आयोजित कार्यशाला में विभिन्न देशों से विशेषज्ञों के साथ अंत क्रिया की (कार्यशाला का कार्यक्रम अनुबंध 1.26 पर है)।

1.23 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल इंटरप्राईज (प्रा)लि. द्वारा 2 जुलाई, 2004 को आयोग के तत्वावधान में भारत में शहरी केन्द्रों में मल-व्यवस्था, अपशिष्ट जल उपचार एवं जलनिकासी की लागत तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं में विचारावेश सत्र तथा भारत में अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहलों की निर्वहनीयता एवं जीवक्षमता, छोटे समुदायों में अपकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार एवं समुदाय अपशिष्ट पृथक्कीकरण एवं खाद निर्माण संबंधी दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण शामिल था। (सहभागियों की सूची अनुबंध 1.27 पर है)।

1.24 केन्द्रीय मंत्रालयों की आवश्यकताओं का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोग ने योजना आयोग तथा वित्त (आर्थिक कार्य, व्यय एवं राजस्व विभाग), रेलवे, रक्षा (रक्षा एवं रक्षा उत्पादन व आपूर्ति विभाग), गृह (गृह एवं सीमा प्रबंधन विभाग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), विद्युत, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, खान, ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन (शहरी विकास विभाग), रसायन एवं उर्वरक (उर्वरक विभाग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग), जनजातीय मामले, मानव संसाधन विकास (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) कानून एवं न्याय (न्याय विभाग), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) तथा कृषि (कृषि एवं सहकारिता विभाग) मंत्रालयों के साथ बैठकें आयोजित की। बैठकों की एक पूर्ण सूची अनुबंध 1.28 पर है।

1.25 विभिन्न जीवन क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न अवसरों पर आयोग के कार्यालय के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सदस्य-सचिव से बैठकों की तथा विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे से विचारविनिमय किया। अध्यक्ष से बैठक करने वाले इन विशिष्ट व्यक्तियों की सूची अनुबंध 1.29 पर है।

1.26 श्री विलियम शेलुकिडो, अध्यक्ष की अध्यक्षता में तंजानियन संयुक्त वित्त आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के साथ बैठक की तथा भारतीय अनुभव से सीख लेने के उद्देश्य से उनके साथ विचारविमर्श किया। (प्रतिनिधि मंडल का संघटन अनुबंध 1.30 पर)।

1.27 आयोग ने 56 औपचारिक बैठकें कीं जिनमें विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श किया गया। ब्यौरे अनुबंध 1.31 पर हैं। आयोग के सुझाव पर, आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों को योजना आयोग के सदस्यों के समस्तर पर लाने के लिए वित्त आयोग (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1951 में संशोधन किए गए। संगत अधिसूचना अनुबंध 1.32 पर है।

आभार

1.28 हम आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए अध्यवसाय के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं जिसके बिना हमारे लिए इस रिपोर्ट को तैयार करना संभव नहीं होता। हम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र विशेषतया श्री राजीव प्रकाश सक्सेना, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को हमारे प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण में हमारी सहायता करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हम भारत सरकार मुद्रणालय के निदेशक तथा सरकारी मुद्रणालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी अल्प समय में यह रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद करते हैं।

अध्याय 2

मुद्दे और दृष्टिकोण

2.1 संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के कर्त्तव्यों का वर्णन है, जिसका संकेन्द्रण अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केन्द्रीय करों की साझेदारी और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत यथा उपबंधित राज्यों के लिए अनुदानों के निर्धारण से संबंधित है। आयोग का दृष्टिकोण सांविधानिक उपबंधों के अधिदेश और आयोग का गठन करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में सन्निहित विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित है। वित्त आयोगों के आवधिक अनुक्रम में बारहवां होने के कारण, हमें इन विषयों पर और इससे संबंधित मुद्दों पर पूर्ववर्ती आयोगों के विचारों का लाभ भी प्राप्त है। [1] आयोग ने विचारार्थ विषयों पर संघ और राज्य सरकारों के उनके स्मरण पत्रों में यथा सन्निहित मतों पर विधिवत् विचार किया है। हमने उन क्षेत्रों, जहां समाभिरूपता है और उन क्षेत्रों, जहां विचारों में भिन्नता है, को ध्यान में ले लिया है।

2.2 आयोग ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लाते हुए प्रचलित राजकोषीय और वृहद आर्थिक स्थिति, विशेषतया वृद्धि के संवेग को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। वर्ष 2002-2003 में केन्द्र का राजस्व घाटा स.घ.उ. का 4.4 प्रतिशत था जो वर्ष 1990-91 में 3.3 प्रतिशत के अपने स्तर की तुलना में 1.1 प्रतिशत बिन्दु अधिक था। राज्यों के मामले में, वर्ष 2002-2003 में राजस्व घाटा स.घ.उ. का 2.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 1990-91 में 0.9 प्रतिशत के अपने स्तर से करीब 1.4 प्रतिशत बिन्दु अधिक था। इस अवधि के दौरान, जहां केन्द्र का राजकोषीय घाटा उपान्तिक रूप से कम हुआ, राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ गया।

राजकोषीय अंतरणों की रूपरेखा

2.3 आयोग का प्रयास अंतरणों की एक ऐसी योजना अनुशंसित करना रहा है, जो इक्विटी और दक्षता दोनों के उद्देश्यों को पूरा कर सके और ऐसे राजकोषीय अंतरणों में परिणामित हो, जो पुर्वानुमेय और स्थिर हैं। कर हस्तांतरण और अनुदानों के रूप में इन अंतरणों का तात्पर्य ऊर्ध्वस्थ और समस्तरीय दोनों असंतुलनों को सही करना है। ऊर्ध्वस्थ असंतुलनों को सही करना केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को किए गए कुल अंतरणों से संबंधित है, जबकि समस्तरीय असंतुलन में सुधार राज्य सरकारों के बीच अंतरणों के आबंटन से जुड़ा हुआ है। ऊर्ध्वस्थ असंतुलन उत्पन्न होते हैं, चूंकि केन्द्र सरकार को अधिक संसाधन दिए गए हैं और राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। समस्तरीय असंतुलन की जड़ें राज्यों की परिवर्ती क्षमताओं और आवश्यकताओं और उसके साथ ही सेवाएं प्रदान करने की लागतों में अंतर में निहित हैं। भारत में, न केवल राज्यों की संख्या अधिक बड़ी है, वे विभिन्न पहलुओं जैसे क्षेत्र, जनसंख्या का आकार, आय, कर आधार और खनिज एवं वन संसाधन, में भिन्नता रखते हैं। संसाधन अंतर उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि राज्यों के पास अपर्याप्त क्षमताएं हैं और इसलिए भी क्योंकि तुलनात्मक अर्थों में राजस्व प्रयास अपर्याप्त हैं। जहां समस्तरीय असंतुलन में सुधार के लिए पूर्वोक्त ध्यान देना चाहिए, उत्तरोक्त ऐसे सुधार के लिए अर्हक नहीं है।

2.4 सम्बद्ध साहित्य में, और साथ ही कई संघीय देशों की पद्धतियों में भी, "समकरण" की धारणा को राजकोषीय अंतरणों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धान्त माना जाता है क्योंकि ये संसाधन उपयोग में इक्विटी और साथ ही कुशलता का भी संवर्धन करते हैं। समकरण अंतरण का लक्ष्य प्रत्येक राज्य के नागरिकों को सेवाओं का एक तुलनात्मक स्तर उपलब्ध कराना है बशर्ते कि उनका राजस्व प्रयास भी तुलनीय हो। दूसरे शब्दों में, समकरण अंतरण राजकोषीय क्षमता में कमी को निष्प्रभावी करते, हैं, किन्तु राजस्व प्रयास में नहीं। ऐसे दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतरणों का निर्धारण, पारम्परिक रूझानों पर आधारित राजस्वों और व्ययों के अनुमानों से उत्पन्न अंतरालों को मात्र पूरा करने के बजाय मानदण्डात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। जैसाकि कुछ पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा भी नोट किया गया है, "अंतराल - पूर्ति" दृष्टिकोण के साथ प्रतिकूल प्रोत्साहन जुड़े होते हैं, जहां अपेक्षाकृत बड़े अंतरण का मामला केवल मात्र विगत में अपेक्षाकृत बड़े अंतराल पर निर्भर होगा, बिना इस बात को ध्यान में रखे कि क्या उपलब्ध राजस्व क्षमता का पर्याप्त दोहन किया गया था अथवा क्या व्यय में अनावश्यक वृद्धि हुई थी। मानकीय दृष्टिकोण ऐसे प्रतिकूल प्रोत्साहनों को कुशलतापूर्वक निष्प्रभावी कर सकता है क्योंकि राज्यों का मूल्यांकन उस राजस्व के अर्थ में होता है, जो उनसे अपनी संबंधित क्षमता पर उगाहना अपेक्षित है। इसी प्रकार, व्ययों का मूल्यांकन सेवा के एक औसत अथवा न्यूनतम स्वीकार्य स्तर के समनुरूप आवश्यकताओं और संगत लागत मानकों के आधार पर किया जाता है और व्यय के पूर्व इतिहास से प्रभावित नहीं होता।

2.5 संघीय राजकोषीय अंतरणों के दो प्रचलित समुदाय, अर्थात् कनाडा और आस्ट्रेलिया भी समकरण सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं, यद्यपि इनको परिभाषित करने का तरीका और इन्हें लागू करने के तरीके दोनों मामलों में कुछ अलग हैं।(2) कनाडा में, समकरण का उद्देश्य स्वयं संविधान में ही प्रतिष्ठापित किया गया है। आयोग को इन देशों का दौरा करना और उनकी प्रणालियों का विस्तार में अध्ययन करने का अवसर मिला। आस्ट्रेलिया में, समकरण सिद्धान्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "राज्यों को निधियन प्राप्त होना चाहिए .... ऐसे कि यदि प्रत्येक अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व जुटाने का समान प्रयास करे और कुशलता के समान स्तर पर प्रचालन करे, तो प्रत्येक के पास समान मानदंड पर सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता होगी"। यह उल्लेखनीय है कि केवल क्षमता का ही समकरण हो सकता है और अनिवार्यतः वास्तविक स्तर अथवा सेवा के मानदंड का नहीं जो विभिन्न शीर्षों के बीच प्राथमिकताओं और आबंटनों पर निर्भर होगा, जो कि राज्यों का विशेषाधिकार रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार यह सिद्धान्त प्रयुक्त किया गया है,

विशेषतया कुशलता के संदर्भ में, उसमें लागत अक्षमताओं को ध्यान में रखने के लिए व्ययों का ब्यौरेवार मूल्यांकन अंतर्ग्रस्त है। कनाडा में, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है, समकरण भुगतानों का आशय "यह सुनिश्चित करने से है कि प्रांतीय सरकारों के पास कराधान के संगततापूर्ण तुलनीय स्तर पर सेवाओं का संगत रूप से तुलनीय स्तर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त राजस्व हो।" कनाडा में, समकरण भुगतानों के निर्धारण में प्रांतीय बजटों के व्यय पक्ष का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। तथापि, ये अंतरण समान रूप से आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा अंतरणों द्वारा अनुपूरित हैं, जहां व्यय आवश्यकताएं, साामान्यतः प्रति व्यक्ति आधार पर ली जाती हैं। बड़ी लागत अक्षमताओं वाले उत्तरी प्रदेशों का उपचार पृथक रूप से प्रादेशिक फार्मूला वित्तपोषण के तहत किया जाता है। अपने दृष्टिकोण को और आगे रूपरेखा देते हुए हम उर्ध्वस्थ एवं समस्तरीय अंतरण आयामों के विभिन्न पहलुओं पर पृथक रूप से चर्चा करेंगे।

ऊर्ध्वस्थ आयाम

2.6 ऊर्ध्वस्थ आयाम का तात्पर्य केन्द्र सरकार से राज्यों को कुल अंतरणों से है। भारत में, कई तरीकों तथा मार्गों के माध्यम से केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को संसाधन अंतरित किए जाते हैं। इनमें से, सांविधिक अंतरणों में, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय कर राजस्वों और अनुदानों की साझेदारी शामिल है। इन्हें योजना आयोग से अनुदानों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से विवेकाधीन अनुदानों द्वारा अनुपूरित किया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत किए गए अंतरण कुल अंतरणों का 65 प्रतिशत बैठते हैं (अनुबंध 2.1 देखें)। अंतरणों के माध्यमों की अधिकता को देखते हुए, यह आवश्यक है कि वित्त आयोग, अपनी अनुशंसाएं करते समय अंतरणों के समस्त परिमाण को भी ध्यान में रखे। ग्याहरवें वित्त आयोग (ईएफसी) ने केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों में से 37.5 प्रतिशत का समग्र भाग राज्यों को अंतरणों के रूप में देने की अनुशंसा की थी। इस मामले पर और विचार करते हुए, हमने ऊर्ध्वस्थ अंतरणों में दीर्घकालिक रूझानों और हाल के वर्षों में उनके प्रतिरूपों, दोनों को ध्यान में रखा है।

2.7 केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, सभी माध्यमों से, राज्यों को हुए राजकोषीय अंतरण, छठे वित्त आयोग के दौरान 31.4 प्रतिशत के औसत से बढ़कर सातवें वित्त आयोग के लिए 38.1 हो गए। जैसाकि अनुबंध 2.1 में दर्शाया गया है, ये दसवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 35.8 प्रतिशत पर नीचे आने से पहले, नौवें वित्त आयोग द्वारा शामिल अवधि के लिए और बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गए थे। ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान यह अनुपात बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गया। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय अंतरण गिरावट दर्शाते हैं, जो आठवें आयोग द्वारा शामिल अवधि के दौरान लगभग 5 प्रतिशत के स्तर से गिर कर नौवें और दसवें वित्त आयोगों की संदर्भित अवधियों में क्रमशः 4.9 और 4.1 प्रतिशत हो गए थे। यह गिरावट मुख्यतः सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष केन्द्र के सकल कर राजस्वों के अनुपात में गिरावट के कारण थी, जो 1987-88 में 10.6 के शीर्ष स्तर से गिर कर नब्बे के दशक के अंत तक 9 प्रतिशत से भी कम हो गया। ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि के प्रथम दो वर्षों में, राज्यों को किए गए अंतरण सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से ऊपर रहे हैं।

2.8 ऊर्ध्वस्थ असंतुलन पर विचारों के निरूपण का हमारा दृष्टिकोण केन्द्र तथा राज्यों को अंतरणों के पश्चात् प्रोद्भूत हुए राजस्वों को देखना है। सारणी 2.1 में अंतरणों से पहले और बाद में, राज्यों और केन्द्र की संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा दिया गया है। उसमें अंतर सरकारी प्रवाहों के निवलीकरण के पश्चात् केन्द्र और राज्यों के संयुक्त राजस्व व्यय में राज्यों का हिस्सा भी दिया गया है। यह दर्शाता है कि अंतरणों से पूर्व और उसके पश्चात् राजस्व संसाधनों तक पहुंच के अर्थ में केन्द्र और राज्यों की स्थिति प्रतिवर्तित हो जाती हैं। वास्तव में, अंतरणों के पश्चात्, राज्यों को केन्द्र और राज्यों की संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में से, 62-64 प्रतिशत के बीच का हिस्सा मिलता है और यह हिस्सा स्थिर रहा है। अनुबंध 2.2 सातवें वित्त आयोग के समय से वर्ष-वार स्थिति को दर्शाता है। संयुक्त राजस्व व्ययों में राज्यों का हिस्सा भी 56 से 58 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा है। अनुबंध 2.3 और 2.4 में क्रमशः संयुक्त राजस्व और कुल व्ययों में, केन्द्र और राज्यों के सापेक्ष हिस्सों से संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं।

सारणी 2.1

संयुक्त राजस्व प्राप्तियों और व्ययों में राज्यों का हिस्सा

औसत*	अंतरणों से पूर्व और बाद में राजस्व प्राप्तियां		राजस्व व्यय**
	पूर्व	पश्चात्	
VII वित्त आयोग	35.3	61.4	58.0
VIII वित्त आयोग	34.6	62.0	55.7
IX वित्त आयोग	37.5	64.7	56.9
X वित्त आयोग	38.6	63.0	56.8
2000-01	38.6	63.9	56.0
2001-02	39.3	63.9	58.0
XI वित्त आयोग (औसत 2 वर्ष)	39.0	63.9	57.1

स्रोत (मूल आंकड़े) भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी

* अनुशंसा अवधि के अन्तर्गत वर्षों के लिए औसत

** अंतर-सरकारी अंतरणों का निवल

2.9 हमारे विचार में, संगत व्यय आवश्यकताओं के लेखाकरण के पश्चात् केन्द्रीय राजस्वों की उपलब्धता पर विचार करते हुए ही अंतरणों के समस्त आकार का निर्धारण अपेक्षित है। यह एक तरीके से अंतर सरकारी अंतरणों के संदर्भ में निधियों के आपूर्ति पक्ष का द्योतक है। निधियों के लिए मांग दो विचारणाओं से उत्पन्न होती हैः- राज्य सरकारों के समस्त उत्तरदायित्वों का अपेक्षाकृत अधिक समनुदेशन और औसत से कम राजकोषीय क्षमताओं वाले राज्यों द्वारा सेवाओं की न्यूनतम व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। अन्तरणीय निधियों की आपूर्ति केन्द्र सरकार की कर को बढ़ाने अथवा बुद्धिमतापूर्वक ऋण लेने अथवा व्ययों को नियंत्रित करने के सामर्थ्य से प्रभावित होती है। निम्न राजकोषीय क्षमता राज्यों के सेवा व्यवस्थाओं के औसत स्तर से पिछड़ जाने के कारण अंतरणों की मांग बढ़ रही है। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में भी सेवाओं का औसत स्तर वांछनीय मानकों के स्तर से कम है। हमारी मुख्य चिन्ता इन विचारणाओं का इस प्रकार से समाधान करना है जो अंतरण के सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तों के समनुरुप हों। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि राज्यों को केवल वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर ही अंतरण प्राप्त न हों, बल्कि अन्य मार्गों से भी प्राप्त हों, जिनमें आयोजना अनुदानों के साथ-साथ अन्य अनुदान भी शामिल हैं। आयोजना-भिन्न व्ययों के लिए योजना आकार के निहितार्थों पर इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई है। अन्य विवेकाधीन अनुदानों को केवल अप्रत्याशित घटनाओं के संबंध में ही संगत समझा जाएगा चूंकि वित्त आयोग की अनुशंसाएं पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाती हैं। तथापि, इन अन्य अनुदानों को विस्तृत अथवा नियमित अंतरणों का स्वरूप ग्रहण नहीं करना चाहिए। करों तथा अनुदानों की साझेदारी के संबंध में अपनी अनुशंसाएं करते समय हमने विभिन्न मार्गों से अंतरणों पर एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को मान्य किया है।

समस्तरीय आयाम

2.10 अंतरणों का समस्तरीय पहलू राज्यों के बीच उनके पारस्परिक वितरण से संबंधित है। यदि, प्रति व्यक्ति अर्थ में, सभी राज्य राजकोषीय क्षमताओं और लागत स्थितियों में समान होते, तो समकरण मानदंड को समान प्रति व्यक्ति अंतरणों से पूरा किया जाएगा। प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमताओं और सेवाएं प्रदान करने के विभेदीय लागतों में अंतर एक समान प्रति व्यक्ति अंतरण मानक से विपथनों का औचित्य सिद्ध करते हैं। लागत अशक्तताएं उन कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो मुख्यतः राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे जनसंख्या की तुलना में बड़े क्षेत्र, पहाड़ी भूभाग, अत्यधिक वर्षा और सूखा प्रवणता।

2.11 इन विचारणाओं को अंतरणों की एक उपयुक्त योजना में संयोजित करने में, वैचारिक मुद्दे और व्यवहारिक समस्याएं दोनो हैं। अंतरण के दो प्रमुख साधन हैंः कर राजस्व साझेदारी और अनुदान। अनुदान बिना शर्त के और सामान्य प्रयोजनार्थ अथवा सशर्त और प्रयोजन विशिष्ट हो सकते हैं। कर राजस्वों की साझेदारी के मामले में, दो प्रमुख विचारणाएं हैं (क) उपयुक्त आबंटन मानदंड और उनसे संबंधित संकेतकों का चयन करना (ख) उनके सापेक्ष महत्व का निर्धारण करना। इस प्रक्रिया में मुख्य निर्धारक राज्यों की राजस्व उगाहने की सापेक्ष क्षमता है। राजस्व क्षमता अक्सर, जैसे कुछ पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा किया गया है, उपादान लागत पर स.रा.घ.उ. द्वारा मापी जाती है। यद्यपि यह माना गया है कि स.रा.घ.उ. आय या राजकोषीय क्षमता का एक सही सह-संबंधी नहीं है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने हमें वर्तमान मूल्यों पर उपादान लागत पर स.रा.घ.उ. के तुलनीय अनुमान उपलब्ध कराए हैं। समय-समय पर यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या बाजार मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आय अथवा राजस्व क्षमता के लिए उपादान लागत पर स.रा.घ.उ. से बेहतर परोक्षी के रूप में कार्य करते हैं। हमारे मत में यह सही है। इसके अतिरिक्त, स.रा.घ.उ. घरेलू उत्पाद का संकेतक है न कि आय अथवा उपभोग का। राजकोषीय क्षमता के एक अधिक उपयुक्त वृहत संकेतक को विकसित करने के दृष्टिगत, हमने सीएसओ से भी विचार-विमर्श किया। तथापि, एक वास्तविक विकल्प सहज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, हमने सीएसओ द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए स.रा.घ.उ. के तुलनीय अनुमानों का प्रयोग जारी रखने का निर्णय लिया है।

2.12 राजकोषीय अंतरणों के दो प्रमुख तरीके अर्थात्, कर हस्तांतरण और अनुदानों के कुछ विशिष्ट सुभिन्न लक्षण हैं। कर हस्तान्तरण में एक अंतर्निर्मित लचीलापन है जो केन्द्रीय करों के अधिक उत्प्लावक होने पर स्वतः ही बढ़ जाता है। इसके विपरीत, इसमें एक जोखिम है, यदि उत्प्लावकता आशाओं से कम हो। अनुदान आश्वासित हैं क्योंकि ये सांकेतिक अर्थ में निर्धारित किए जाते हैं। राज्यों अथवा क्षेत्रकों की ओर अनुदानों को लक्षित करना भी अधिक आसान है। हस्तान्तरण के संबंध में लक्ष्यीकरण विस्तृत और अप्रत्यक्ष है और प्रयुक्त किए गए मानदंड द्वारा सीमित है। फिर भी, सभी राज्यों ने हस्तान्तरण के लिए वरीयता व्यक्त की है क्योंकि परिभाषा के अनुसार यह बिना शर्त है और राज्यों को अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। अंतरणों की वर्तमान योजना में, कर हस्तान्तरण ऊर्ध्वस्थ और समस्तरीय असंतुलनों को सुधारने की दोहरी भूमिका अदा करता है। सहायता अनुदान मुख्यतः समकरण की मात्रा प्राप्त करने की ओर लक्षित होते हैं। यही कारण है कि कई बेहतर राज्यों, जिनका मूल्यांकन राजस्व अधिशेष के अंतर्गत किया गया है, को अनुच्छेद 275 के अनुदान नहीं मिलते। यह प्रश्न भी रहा है कि क्या ऐसे अनुदानों को सशर्त अनुदानों के रूप में दिया जा सकता है, यद्यपि ये अनुदान सामान्यतः शर्त रहित रहे हैं। हम मानते हैं कि राज्य-विशिष्ट और प्रयोजन-विशिष्ट लक्ष्यीकरण के लिए अनुदान अधिक प्रभावी अंतरण साधन है। इस प्रकार, वित्त आयोग के पास उपलब्ध अंतरण साधनों में कर राजस्व साझेदारी, मूल्यांकित अंतराल अनुदान और अनुदान जिन्हें विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया जा सकता है यथा स्थानीय निकायों के लिए आशयित अथवा सेवाओं को कतिपय न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए आशयित, को शामिल किया जाना चाहिए।

2.13 शर्त-रहित अंतरणों के दो सापेक्ष महत्व अर्थात् कर राजस्व साझेदारी और मूल्यांकित अंतर-अनुदान ऊर्ध्वस्थ असंतुलन के विस्तार और प्रवृत्त समस्तरीय असंतुलन पर निर्भर करते हैं। प्रवृत्त समस्तरीय असंतुलन राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं के असंतुलन में परिवर्तनों से जुड़ा है। यदि बड़े समस्तरीय असंतुलन अस्तित्व में हैं, तो कर राजस्व साझेदारी द्वारा निवारित समस्तरीय कार्य भी संगत हो जाता है।

2.14 प्रवृत्त समस्तरीय असंतुलन का कुछ अनुमान राज्यों के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की तुलना करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ 1999-2000 से 2001-02 की अवधि के दौरान तुलनात्मक स.रा.घ.उ. की तीन वर्षीय औसत की तुलना यह संकेत देती है कि दस राज्य ऐसे हैं जिनका औसत स.रा.घ.उ. अखिल राज्य औसत स.रा.घ.उ. से कम है। ये राज्य हैं अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इनमें से अरूणाचल प्रदेश और मेघालय औसत के करीब हैं। बचे हुए आठ राज्य ऐसे हैं जहां स.रा.घ.उ. महत्वपूर्ण रूप से औसत से कम है, जिससे सेवाओं के स्तर को औसत तक उठाने के दृष्टिगत, समकरण अंतरणों की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के द्विभाजन के परिणामस्वरूप नवीन सृजित राज्य इस समूह का भाग हैं। यह जांच करने के विचार से कि क्या अंतराल में वृद्धि हुई है, हमने 1993-94 से 1995-96 और 1999-2000 से 2001-02 का औसत लेकर प्रति व्यक्ति औसत स.रा.घ.उ. में वृद्धि की तुलना की है। यह उल्लेखनीय है कि तुलनीय स.रा.घ.उ. आंकड़े केवल वर्तमान मूल्यों पर ही सीएसओ द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। समग्र-राज्य औसत पर विचार करते हुए, इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. में लगभग 75 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, आय मापक्रम के निम्नतर सिरे पर राज्यों नामतः बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए स.रा.घ.उ. वृद्धि इस औसत से कम थी। बढ़ते हुए अंतराल का एक संकेतक प्रति व्यक्ति आयों में अंतर के गुणांक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके आकलन में, यह आवश्यक है कि गोवा को अलग रखा जाए, जिसकी प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप से बढ़ी है, पर वह एक बाहरी छलावा है। 1993-94 की 2001-02 से तुलना करने से, परिवर्ती गुणांक में लगभग 2.5 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है।

2.15. हमारे दृष्टिकोण में, कर हस्तान्तरणों का प्रयोग अंतरणों के दोनों पक्षों - ऊर्ध्वस्थ और समस्तरीय के लिए किया गया है, जैसाकि पूर्ववर्ती आयोगों ने किया था। यह उल्लेखनीय है कि वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित किए गए कुल अंतरणों में अनुदानों का हिस्सा आयोग की अनुशंसा अवधि की तुलना में औसतन 15 प्रतिशत से कम रहा है। औसत लेना संगत है क्योंकि हाल के वित्त आयोगों के मामले में, अनुशंसा अवधि के प्रारंभिक वर्षों में अनुदान बाद के वर्षों से अपेक्षाकृत अधिक रहे हैं। वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कुल अंतरणों में अनुदानों का हिस्सा, सातवें से दसवें के बीच क्रमशः 8.1, 11.1, 13.8 और 10.3 प्रतिशत रहा है। इस संदर्भ में, समकरण अंतरणों की अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए, हम कुल अंतरणों में अनुदानों के हिस्से को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

केन्द्रीय करों की साझेदारी

2.16. अनुच्छेद 270 के अंतर्गत, आयोग से केन्द्रीय करों के साझेदारी पूल में राज्यों के समग्र और व्यष्टि हिस्सों का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। आयोग के समक्ष मुख्य विचारणाएं इन से संबंधित है- (क) राज्यों के समग्र भाग का निर्धारण करना, (ख) मानदंड विनिर्दिष्ट करना, जिसका प्रयोग व्यष्टि राज्यों के हिस्सों का निर्धारण करने के लिए किया जा सके, और (ग) विभिन्न आबंटन मानदंड से जुड़े महत्व का निर्धारण करना। साझेदारी पूल में राज्यों के समग्र हिस्से पर विचार करते हुए, हमने जांच की कि कैसे केन्द्रीय करों की साझेदारी पूल के कार्यक्षेत्र और संगठन में पूर्व में परिवर्तन हुआ है और कैसे कुछ वर्तमान और प्रस्तावित आशोधनों के प्रकाश में इसमें और परिवर्तन हो सकते हैं, विशेष रूप से सेवाओं के कराधान से जुड़े पूल में।

2.17. 80वें संविधान संशोधन से पहले, राज्यों के साथ दो मुख्य केन्द्रीय करों की साझेदारी थी, अर्थात निगमित कर को छोड़कर आयकर और संघ उत्पाद शुल्क। आय कर की साझेदारी अनिवार्य थी क्योंकि, अनुच्छेद 270 के अंतर्गत, इसे राज्यों के साथ बांटा जाना था, जबकि संघ उत्पाद शुल्कों की साझेदारी विवेकाधीन थी, क्योंकि उसकी साझेदारी इस वाक्यांश के अधीन थी "संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाए" और साझेदारी की जा सकती थी यदि संसद कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करे। राज्यों के साथ दो कर किराया व्यवस्थाएं भी की गई थी, जहां संघ सरकार राज्यों की ओर से कर जमा करती थी और फिर आगमों को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सिद्धान्तों और हिस्सों के आधार पर राज्यों के बीच बांट देती थी। ये वस्त्र, तंबाकू और चीनी पर बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रेलवे यात्री किराए पर कर के एवज में अनुदान थे।

2.18. संविधान के 80वें संशोधन के पश्चात, सभी केन्द्रीय करों को एक साझेदारी पूल में लाया गया और प्रत्येक केन्द्रीय कर से राज्यों को एक हिस्सा समनुदेशित करना अनिवार्य हो गया। संशोधित अनुच्छेद 270 ने अनुच्छेद 268 और 269 और उद्दिष्ट उपकरों और अनुच्छेद 271 के अंतर्गत अधिभारों को छोड़कर सभी केन्द्रीय करों में साझेदारी की व्यवस्था की। केवल "निवल आगमों" की साझेदारी की जानी है और इस प्रकार निवल आगमों को प्राप्त करने के लिए संग्रहण लागत को घटाना होगा जैसाकि अनुच्छेद 279 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। आगमों का वितरण उन राज्यों के बीच होगा जहां "उस वर्ष" में केन्द्रीय कर उदग्रहणीय हैं। अनुच्छेद 269 में भी संशोधन किया गया है और इसमें केवल केन्द्रीय बिक्री कर और प्रेषण कर शामिल हैं, जिनका उद्ग्रहण नहीं किया जाता। हाल ही में, संविधान में संशोधन हुआ है और सेवाओं को संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत जोड़ा गया है। सेवाओं का कराधान अनुच्छेद 268 क (3) की सीमा के अंतर्गत लाया गया है।

2.19. सेवाओं के कराधान का ऊर्ध्वस्थ अंतरणों के आकार पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें कर राजस्वों (4) को अतिरिक्त उत्प्लावकता प्रदान करने का सामर्थ्य है। संविधान में 88वें संशोधन से, अनुच्छेद 268 क में यह उपबंधित है कि, "सेवाओं के कर का भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहण किया जाएगा और ऐसे कर भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाएंगे..."इसमें आगे यह भी विनिर्दिष्ट है कि संग्रहण और विनियोग के सिद्धान्त संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब तक, केन्द्रीय सरकार तीन सूचियों में से किसी एक में भी विनिर्दिष्ट न किए गए विषयों से संबंधित अपनी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर का उद्ग्रहण कर रही है जिसका एक उदाहरण सेवाएं हैं। इस राजस्व

की साझेदारी वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गयी है, जैसा अन्य केन्द्रीय करों के लिए प्रयोज्य है।

तथापि, सेवाओं के कराधान से प्राप्त राजस्व, जिनपर अनुच्छेद 270 के बजाय अनुच्छेद 268 क के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा कर लगाया जाता है, को वित्त आयोग की सीमा से बाहर रखा जाएगा।

2.20. 80वें संशोधन में, साझेदारी के लिए सभी केन्द्रीय करों के एक पूल का निर्माण करने का उद्देश्य था ताकि एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सके और दोनों पक्ष केन्द्रीय कर राजस्वों की समग्र उत्प्लावकता में साझेदारी कर सकें। सेवा करों के वित्त आयोग की अनुशंसाओं की परिधि से बाहर हो जाने से, केन्द्रीय करों के एक समग्र साझेदारी पूल की धारणा प्रतिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतीत होती है। जहां निकट भविष्य में, सेवा करों के अत्यधिक उत्प्लावक हो जाने की संभावना है, ये संविधान के अंतर्गत राज्यों के साथ साझेदारी के अधीन नहीं होंगे, जबकि अन्य सांविधिक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, जिनमें साझेदारी के साथ-साथ समनुदेशन शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि अब तक अनुच्छेद 268 और 269 के अंतर्गत मदें वे विषय थे जो सामान्यतः सीमित राजस्व महत्वपूर्णता वाले अंतर्राज्यीय स्वरूप के थे। ये पूर्ण रूप से राज्यों को समनुदेशित की गई। इस संदर्भ में, इस पर बल देने की आवश्यकता है कि सेवा कर आय के विनियोग के संबंध में संसद द्वारा पारित किया गया कानून यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के माध्यम से राज्यों को प्रोद्भूत राजस्व, उनको प्रोद्भूत होने वाले ऐसे हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, यदि संपूर्ण कर प्राप्तियां साझेदारी पूल का हिस्सा होतीं।

2.21. अंतरणों का एक आयाम उनकी पूर्वानुमेयता से संबंधित है। वित्त आयोग केन्द्रीय करों में केवल राज्यों के हिस्से के बारे में अपनी अनुशंसाएं देता है। इसका आशय है कि वास्तविक राशियां केवल तभी ज्ञात होती हैं जब संबंधित वर्षों में केन्द्रीय कर वास्तव में वसूले जाते हैं। वित्त आयोग साझेदारी वाले केन्द्रीय करों में किसी राज्य को अपने हिस्से के रूप में मिलने वाली संभावित राशियों का आकलन उपलब्ध कराता है। इसे तब ध्यान में लिया जाता है जब सुनिश्चित राशियों में अनुदानों का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पूर्वानुमेयता अंतरणों की सशक्त योजना का एक महत्वपूर्ण गुण है। चूंकि केन्द्रीय करों के हिस्सों के अर्थ में करों का हस्तान्तरण अनुशंसित है, और सुनिश्चित राशियां इन अनुमानों से कम हो सकती हैं, समय-समय पर एक सुझाव दिया गया है और आयोग के समक्ष प्रस्तुत कई राज्यों के ज्ञापन में शामिल किया गया है, कि कर हस्तान्तरण के अन्तर्गत एक न्यूनतम प्रत्याभूत राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 270 के उपबंधों के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों के लिए केवल एक हिस्से का ही निर्धारण किया गया है। यह केन्द्रीय कर उत्प्लावकताओं की स्वतः साझेदारी की व्यवस्था करता है। तथापि, राज्यों की यह एक वास्तविक समस्या है यदि केन्द्रीय करों में वृद्धि आशाओं से कम है। इसके लिए यह ध्यान में रखकर कि राजस्व के ऐसे अनुमान, अनुदानों के निर्धारण में काम आते हैं, केन्द्रीय राजस्व के अनुमानन में विशेष सावधानी की आवश्यकता है।

2.22. कर हस्तान्तरण के अंतर्गत अंतरणों के लिए विभिन्न मानदंडों का निर्णय करने में, हमारा दृष्टिकोण विचारणाओं के तीन सैटों अर्थात् आवश्यकताओं, लागत अक्षमताओं और राजकोषीय क्षमताओं को ध्यान में रखने का रहा है। आवश्यकताओं का संदर्भ व्ययों से है जिन्हें उपगत किया जाना आवश्यक है किन्तु राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण नहीं किए जा सके। व्यय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी गुणत्ता मदों पर विशेष महत्व की मदों के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है। लागत अक्षमताओं का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिनमें सेवाओं के समान स्तर को क्षमता के एक औसत स्तर पर प्रदान करने के लिए औसत प्रति व्यक्ति लागत से उच्चतर लागत लगती है। इस मामले में, बहिर्जात कारण जो संबंधित राज्यों के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा, पहाड़ी भू-भाग तथा कम सघन जनसंख्या वाले बड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कुछ लागत अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं जब राज्य का आकार बहुत छोटा हो और संगत प्रशासनिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए कुछ न्यूनतम व्यय करना आवश्यक हो। एक मानकीय दृष्टिकोण में, राजकोषीय क्षमता अस्पष्ट है क्योंकि आवश्यकताओं का मूल्यांकन केवल औसत राजस्व प्रयास को लेकर ही किया जाता है। तथापि, औसत निष्पादन को बढ़ाने के लिए कर प्रयास अथवा अन्य राजकोषीय निष्पादन उपायों से संबंधित कुछ सुस्पष्ट प्रोत्साहनों को महत्वपूर्ण माना गया है। इन विचारणाओं को पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा प्रयुक्त किए गए आवंटन मानदंड में भी सम्मिलित किया गया था। इस मानदंड को अपनाते समय, महत्व की योजना के आशोधन की आवश्यकता है। ये महत्व अंतरण के दो तरीकों नामतः कर हस्तान्तरण और अनुदानों के सापेक्ष महत्व से भी प्रभावित होते हैं।

2.23. केन्द्रीय करों के मानदंड-आधारित वितरण में, अधिक अभिनव वित्त आयोगों ने दूरस्थ कारक को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व देते हुए, पुनर्वितरण के समस्तरीय कार्य को पर्याप्त महत्ता दी है, जो तीन उच्चतम प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. के औसत के रूप में लिए गए उच्चतम प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. से किसी राज्य के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. के अंतर को प्रतिबिंबित करता है। इस कारक से जुड़ा महत्व कर साझेदारी के अंतर्गत अंतरणों के राजकोषीय क्षमता समकरण घटक को प्रतिबिंबित करता है। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों ने हमें अभ्यावेदन दिया है कि समग्र आबंटन में उनके हिस्से में सतत् गिरावट आई है। हमने इस चिंता पर ध्यान दिया है। विशेषतया, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों का हिस्सा या तो दूरस्थ कारक के महत्व के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने के कारण अथवा प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. अर्थात राजकोषीय क्षमताओं के बीच असमानताएं बढ़ने का कारण कम हो सकता है। पिछले चार आयोगों द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान, हम पाते हैं कि यह द्वितीयक कारक है, जो इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चूंकि अधिक अमीर राज्यों के लिए भी कुछ ऊर्ध्वस्थ अंतराल है, उनके कर हिस्सों में लगातार गिरावट वांछनीय प्रतीत नही होती। कुछ हद तक, इसका निवारण राज्यों के समग्र हिस्से को बढ़ाकर किया जा सकता है। तथापि, ऐसा करने की स्पष्ट सीमाएं हैं। वैकल्पिक रूप से, विभिन्न मानदंडों के बीच महत्वों को पुनर्संरेखित किया जा सकता है। ऐसा किए जाने की सीमा तक,

निम्न राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों का हिस्सा कम हो जाएगा। अतः इसे अनुदानों की समकरण मात्रा को बढ़ाकर संतुलित किए जाने की आवश्यकता होगी। हमारा दृष्टिकोण इस मार्ग का बड़ी सीमा तक अनुसरण करता है। केन्द्रीय करों की उत्प्लावकता में सुधार के साथ, यह समस्या आसान हो जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदायित्वों के प्रति संसाधनों का संतुलन अब गुणात्मक रूप से अलग है जब सभी स्तरों पर सरकारें विशाल और बढ़ते हुए राजस्व घाटो का पोषण कर रही हैं बजाए तब के जब केन्द्र और कुछ अपेक्षाकृत समूह राज्यों के पास अधिशेष था। एक ऐसा समय था जब कुछ राज्यों के पास एक पूर्व-हस्तान्तरण अधिशेष भी था। क्रमिक वित्त आयोगों के साथ यह कार्य प्रगामी रूप से अधिक कठिन हो गया है। इस संदर्भ में राजकोषीय कुशलता मानदंड पर बल देने की आवश्यकता है।

अनुदान निर्धारण के प्रति दृष्टिकोण

2.24. अनुदानों के संबंध में, वित्त आयोग को अनुच्छेद 280(3)(ख) और 275 द्वारा संयुक्त रूप से दो कर्त्तव्य सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 280(3)(ख) आयोग से ऐसे सहायता अनुदान को शासित करने वाले "सिद्धान्तों" के लिए अनुशंसाएं देने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 275(1) के अनुसरण में, "सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों" के रूप में मूल्यांकित राज्यों को अदा किए जाने के लिए विशिष्ट धनराशियों की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकार जहां अनुच्छेद 270 में प्रतिशत हिस्से की बात कही गई है, अनुच्छेद 275 में विशिष्ट "धनराशियों" का उल्लेख है तथा यह कहा गया है कि ये अनुदान उन राज्यों को दिए जाने चाहिएं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है।

2.25. आवश्यकता का अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि व्यय की तुलना में राजस्व में किसी भी कमी को अनुदानों में एक सदृश्य वृद्धि से पूरा किया जा सकता है। इसका परिणाम केवल संसाधनों के "साझे पूल" में राज्य के हिस्से को बढ़ाने की आशा में राज्यों की कर दरों को कम करना होगा। अतः आवश्यकता का मूल्यांकन राजस्व प्रयास और सेवा व्यवस्था के वांछनीय स्तरों, दोनों पर प्रयोज्य मानकों के संबंध में होना चाहिए। इस सदर्भ में, शामिल की जाने वाली सेवाएं उन सेवाओं तक सीमित होनी चाहिए, जिनकी व्याख्या सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में की जा सकती है जैसे सामान्य प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था एवं गुणात्मक वस्तुएं जैसे राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्था की गई शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्था की गई कई निजी वस्तुएं इस सन्दर्भ में विचार योग्य नहीं हैं। व्यय आवश्यकताओं पर विचार करते समय किसी राज्य की उन विशिष्ट परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है जिसका परिणाम प्रति व्यक्ति उच्चतर लागत हो सकती है। इससे हमारे समक्ष मूल्यांकन के उपयुक्त सिद्धान्तों का मुद्दा प्रस्तुत होता है।

मूल्यांकन के सिद्धान्त

2.26 आयोग द्वारा 2005-06 से 2009-10 की पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय करों और अनुदानों की साझेदारी से संबंधित अनुशंसाएं की जानी अपेक्षित हैं। बदले में इसके लिए संसाधनों और केन्द्र तथा प्रत्येक व्यष्टि राज्य के लिए आवश्यकताओं का अनुमानन जरूरी है। चूंकि कई राजकोषीय परिवर्ती स.घ.उ. अथवा स.रा.घ.उ. में अभिवृद्धि से सबंधित हैं, इन परिवर्तियो के साथ-साथ ब्याज दर जैसे अन्य परिवर्तियों के अनुमान आवश्यक हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐसा पुर्वानुमान तंत्र भारत में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरणों के लिए बिल्कुल अद्वितीय है। इसका अनिवार्यतः अर्थ यह है कि जैसे-जैसे हम पूर्वानुमान अवधि के बाद के वर्षों के अधिक नजदीक आते हैं आधार आंकड़े प्रगामी रूप से अधिक अद्यतन हो जाते हैं। कभी-कभी, संवेदी घटनाएं जैसे वेतन आयोग का निर्णय अथवा मंदी का आरंभ उन पुर्वानुमानों को गंभीर रूप से अव्यवस्थित कर देता है, जिनपर वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं देता है। अन्य संघों में, सूचना अंतराल की समस्या का सामना करने के लिए वैकल्पिक तंत्रों का विकास किया गया है। उदाहरणार्थ, कनाडा में, किसी एक वर्ष के लिए अंतरण "चार" वर्षों के लिए "खुले" रहते हैं और जैसे ही नए आंकड़े आते हैं पहले से ही निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर पात्रता का पुनः आकलन किया जाता है। आस्ट्रेलिया में "पुनरीक्षा" का पांच वर्षीय चक्र है जिसके द्वारा राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग "सापेक्षताओं" के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली तैयार करता है, परन्तु परिकलन वार्षिक आधार पर, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ो का प्रयोग करके किया जाता है, जिन्हें "अद्यतन" कहा जाता है।

2.27. पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा विकसित कार्यप्रणाली में, केन्द्रीय वित्त साधनों का मूल्यांकन, निधियों की उपलब्धता और उन निधियों पर दावे की व्यवस्था करने वाले राज्य वित्त साधनों का मूल्यांकन निर्दिष्ट करता है। विचारार्थ विषयो के पैरा 6(i) और (ii) में क्रमशः केन्द्र सरकार के संसाधन और उन संसाधनों पर मांगों का उल्लेख है। केन्द्र सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन "वर्ष 2003-04 के अंत तक प्राप्य कराधान और कर-भिन्न राजस्वों के संभावित स्तरों" के आधार पर किया जाना है। अतः 2003-04 के कर और कर-भिन्न राजस्व 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए संसाधनों के मूल्यांकन में आधार का कार्य कर सकते हैं। पैरा 6(ii) में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय संसाधनों पर मांगों का उल्लेख है। नागरिक प्रशासन, रक्षा, आंतरिक एवं सीमावर्ती सुरक्षा, ऋण शोधन तथा अन्य वचनबद्ध व्ययों और देयताओं का विशेष उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय संसाधनों और सादृश आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में हमने केन्द्र के ज्ञापन और पुर्वानुमानों को ध्यान में रखा है।

2.28 राज्यों के मामले में एक सादृश उप-खंड अर्थात विचारार्थ विषयों के पैरा 6 (iii) में यह व्यवस्था है कि 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए संसाधनों का मूल्यांकन 2003-2004 के अंत में प्राप्य कराधान और कर-भिन्न राजस्व के संभावित स्तरों के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। यह केन्द्र के सादृश विचार सम्मित है और मुद्दों के इसी तरह के सैट को उत्पन्न करते हैं। राज्यों की आवश्यकताओं के संबंध में अनुसरण के वेतन-भिन्न संघटक और पूंजी आस्तियों के रख-रखाव व आयोजना-स्कीमों पर पारिश्रमिक-भिन्न संबंधी अनुरक्षण व्यय को छोड़कर विचारार्थ विषयों में किन्हीं विशिष्ट आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। खंड 6 (iv) में न केवल सभी राज्यों और केन्द्र के राजस्व लेखे में प्राप्तियों व व्यय को संतुलित करने के उद्देश्य वरन् पूंजी निवेश के लिए अधिशेष सृजित करने और राजकोषीय घाटे को भी कम करने के संबंध में अधिक सामान्य विचारणा को विर्निदिष्ट किया गया है।

2.29 यद्यपि विचारार्थ विषयों में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्यों की आवश्यकताएं, अप्रत्यक्ष तरीके को छोड़कर, मूल्यांकित की जानी चाहिएं, हमारा दृष्टिकोण यह है कि पर्याप्त विस्तृत मूल्यांकन किया जाए और इसे व्यापकता के उसी दरजे तक रखा जाएगा जो पिछले आयोगों ने रखी थी। मूल्यांकनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में मानकीय आधार के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है जिसमें राजस्व व व्यय शीर्ष दोनों शामिल हैं। इन मूल्यांकनों का समग्र पुनर्सरचना योजना के साथ भी संबंध है। पुनर्सरंचना योजना में समंजनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कतिपय निर्देशात्मक प्रयत्नों को रुपरेखित किया गया है। इन मूल्यांकनों में आवश्यक रूप से अतिरिक्त उप-खंडों को ध्यान में रखा गया है जिनमें केंद्र व राज्य सरकारों के लिए क्रमशः कर-स.घ.उ. और कर-स.रा.घ.उ. अनुपात सुधारने के लिए "लक्ष्यों" और "संभाव्यता" के प्रति केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधार प्रयासों के संदर्भ हैं। आयोग से ""लोक वित्तों की पुनर्सरंचना"" के लिए एक योजना सुझाने के लिए कहने वाले पैरा में स.घ.उ. अथवा अलग-अलग राज्यों के स.रा.घ.उ. के संबंध में विचारित 2003-04 में प्राप्त स्तरों से आगे कर और कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने के विभिन्न उपाय भी किए जाने अपेक्षित होंगे ।

2.30 कभी-कभी कर हस्तांतरण और अनुदानों दोनो को हिसाब में लेते हुए कुल अंतरणों के निर्धारण में मूल्यांकन कवायदों की भूमिका के संबंध में मुद्दा उठाया जाता है। यह मुद्दा अंतरण की योजना में कर हस्तांतरण और अनुदानों के समुचित महत्वों के निर्धारण से जुड़ा है। यदि कर विभाजन के सापेक्ष महत्व को ज्यादा न्यून रखा जाता है तो मूल्यांकित घाटे में अनेक राज्य आ जाएंगे और अनुदानों के हकदार हो जाएंगे। कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जो पूर्व-हस्तांतरण अधिशेष में आएंगे और इसलिए कर हस्तांतरण की तुलनात्मक रूप से कम राशियों में ही हिस्सा पा सकेंगे। कर हस्तांतरण यह सुनिश्चित करने के लिए अंशांकित किया जाना चाहिए कि कम से कम न्यूनतम उर्ध्वस्थ अंतरणों की आवश्यकता पूरी की जा सके। पूर्व में वित्त आयोगों ने एक ऐसी योजना तैयार की है जहां आधे से अधिक राज्य सामान्यतया मूल्यांकित राजस्व घाटों में आ जाते हैं। उनकी क्रमिक निर्णय अवधियों के पहले साल में हकदारियों पर विचार करते हुए दसवें वित्त आयोग के मामले में 25 राज्यों में से 16 राज्य मूल्यांकित घाटे में आए हैं और ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में 15 राज्य मूल्यांकित घाटे में आए हैं। सामान्य श्रेणी के सभी दस राज्य मूल्यांकित घाटे में थे। यह विचारणा भी थी कि कर हस्तांतरण का हिस्सा लगभग अधोगामी रूप से अलचीला है। वस्तुतः सभी राज्यों ने हिस्से में उर्ध्वगामी संशोधन की मांग की है और आयोग को भेजा गया केंद्र सरकार का नवीनतम ज्ञापन भी प्रभावी रूप से उस विचार को पृष्ठांकित करता है।

2.31 वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का स्वरूप अधिकांशतः सामान्य और बिना शर्त वाला होता है। परन्तु चुनिंदा सेवाओं के मामले में जहां सेवा के न्यूनतम मानकों को वांछनीय माना जा सकता है, वहां सशर्त अनुदानों पर विचार करना संभव है। सशर्त अनुदानों के लिए संगत प्रयोजनों और संबद्ध शर्तों को भी एक प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र के साथ विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। प्रथम वित्त आयोग ने अनुदानों के निर्धारण के "सिद्धान्तों" पर विस्तार से विचार किया था और यह राय व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 280 (3) (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा बिना शर्त वाले और विशिष्ट प्रयोजन, दोनों प्रकार के अनुदानों पर विचार किया जा सकता है और विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अवलोकन किया था (उनकी रिपोर्ट का पृष्ठ 91) : ""हम मानते हैं कि इस समस्या को इकाइयों के बीच संसाधनों का साम्यापूर्ण आंवटन सुनिश्चित करने के वृहद् परिदृश्य के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः हमारा विचार है कि अनुच्छेद 275 अथवा अनुच्छेद 280 (3) (ख) का कार्यक्षेत्र केवल उन सहायता - अनुदानों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए जो पूर्णतया बिना शर्त वाले हैं; व्यापक परन्तु सुपरिभाषित प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को युक्तिसंगत रूप से उनके कार्यक्षेत्रांतर्गत माना जा सकता है"" । द्वितीय आयोग ने अवलोकन किया था कि सहायता-अनुदान सामान्य और बिना शर्त वाले अनुदानों के रूप में दी गई सहायता का अवशिष्ट रूप होना चाहिए। तथापि, उसने यह सहमति भी दी थी कि व्यापक प्रयोजनों के अनुदान दिए जा सकते हैं और इनके बारे में राज्यों का यह दायित्व होना चाहिए कि वे पूरी राशि निर्दिष्ट व्यापक प्रयोजनों के लाभार्थ खर्च करें। अधिकतर उत्तरवर्ती आयोग सामान्यतया प्रथम आयोग द्वारा सूचीबद्ध सिद्धान्तों से सहमत थे परन्तु उन्होंने कुल मिलाकर द्वितीय आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया का अनुकरण किया है। हमारे विचार में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दो क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा और परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य के संबंध में जो राज्य प्रतिव्यक्ति व्यय के अर्थ में औसत से नीचे हैं उन्हें औसत के और निकट लाया जाना चाहिए। तथापि, इन क्षेत्रों में भी हमने अंतर पाटने वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। यह मूल्यांकित अंतर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न अंतर को ही शामिल करता है। यह उस अंतर को हिसाब में नहीं लेता जो कर प्रयास में कमी के कारण अथवा किसी राज्य द्वारा संबंधित क्षेत्रक को संसाधन आवंटन में औसत से कम वरीयता देने के कारण हो सकते हैं। सुस्पष्ट कार्य-प्रणाली अध्याय 6 और 10 में दी गई है।

आयोजना सहायता के साथ अंतरापृष्ठ

2.32 राज्यों को आयोजना सहायता अनुदानों व ऋणों के रूप में दी जाती है। राज्यों के लिए अनुदान-ऋण अनुपात सामान्यत 30:70 होता है जबकि विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होता है। सामान्य केंद्रीय सहायता में 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है। राज्यों की योजनाओं पर व्यय की पूर्ति राज्यों के बजटों से चालू राजस्व अधिशेष, केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों व ऋणों के रूप में आयोजना सहायता, बाजार और लघु बचतों पर आधारित स्रोतों सहित अन्य स्रोतों से उधारों द्वारा की जाती है। अधिकतर राज्यों के लिए चालू राजस्व अधिशेष प्रगामी रूप से गिरा है और नकारात्मक हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, आयोजना का वित्त पोषण केंद्र से प्राप्त आयोजना अनुदानों के अल्प योगदान के अतिरिक्त पूर्णतया उधारों पर निर्भर करता है। एक वृह्द् आयोजना का अर्थ प्रभावी रूप से अधिक उधार लेना भी है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक राज्य का आयोजना आकार ऋण के वहनीय स्तर के साथ जुड़ा हो।

2.33 इस प्रकिया में तीन कड़ियां हैं जो वित्त आयोग को सौंपे गए कार्यों को प्रभावित करती हैं। प्रथम, योजना बनाने की प्रक्रिया के भाग के रूप में ज्यों ही उधार संचित होते हैं, ब्याज भुगतान देनदारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का हिस्सा हैं।

2.34 दूसरे, आयोजना प्रक्रिया से पदों अथवा आस्तियों का सृजन होता है। एक बार योजना के पूरा होने पर इन पदों को बजट के आयोजना-भिन्न पक्ष में ले जाया जाना आशयित है। पूर्ववर्ती योजनाओं में सृजित आस्तियों के लिए अनुरक्षण व्यय की आवश्यकता भी पड़ती है। ये दोनों वचनबद्ध देनदारियों के रूप में आयोजना-भिन्न व्यय को बढ़ाते हैं। आयोजना और आयोजना-भिन्न व्ययों के बीच अंतर प्रगामी रूप से अस्पष्ट हो गया है क्योंकि राज्य प्रायः पुरानी योजना स्कीमों को नई योजना के भाग के रूप में जारी रखते हैं ताकि योजना का आकार अपेक्षाकृत बड़ा दिखाया जा सके। जैसा कि पूर्ववर्ती आयोगों, खासकर दसवें व ग्यारहवें आयोगों ने, उल्लेख किया है, व्ययों के आयोजना, आयोजना-भिन्न द्विभाजन के परिणामस्वरूप अनेक अक्षमताएं हुई हैं। यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि नई आस्तियों के सृजन की वचनबद्धता शुरू करते रहने की बजाय पहले से सृजित आस्तियों का अनुरक्षण हो और वे सेवाएं प्रदान करें जिनकी मूलरूप में परिकल्पना की गई थी। आयोजना पदों के आयोजना-भिन्न पक्ष की और निरन्तर अंतरण के परिणाम-स्वरूप अनेक क्षेत्रकों में फालतू कर्मचारी हो गए हैं जिनके वेतन का भुगतान किया जाना आवश्यक है। आयोजना-भिन्न पक्ष वाले फालतू स्टाफ को सामान्यतया नई आयोजना स्कीमों में समाहित नहीं किया जाता है । किसी अपेक्षाकृत बड़े आयोजना आकार को अधिक विकासोन्मुखी मानना और अनुरक्षण की अनदेखी करना वांछनीय नहीं है और यह अधिकतम विकास की मृग तृष्णा ही दिखाता है।

2.35 आयोजना व्यय और अंतरणों की समग्र स्कीम के बीच अंतरापृष्ठ का तीसरा पहलू इससे भी महत्वपूर्ण है। परिभाषा द्वारा आयोजना व्यय "वृद्धिकारी विकास व्यय" है। यह संभावना है कि आयोजना हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राज्यों की आय और सेवाएं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं, के बीच असमानताएं घट जाएंगी। यदि ये बढ़नी जारी रही तो समस्तरीय विचारणाएं वित्त आयोग अंतरणों को अधिक प्रगामी होने के लिए विवश करेंगी। इस परिप्रेक्ष्य में आयोजना अनुदान, विदेशी सहायता और अन्य विवेकाधीन अनुदानों को शामिल करने वाले प्रति व्यक्ति वित्त-आयोग और वित्त आयोग-भिन्न अंतरणों के अंतर-राज्य बंटवारे की पद्धति की तुलना करना लाभदायक है। वर्ष 2001-02 के लिए प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी की प्रति व्यक्ति एफसी अंतरणों के साथ तुलना करने पर एक सुदृढ़ नकारात्मक संबंध देखा गया है। गोवा को छोड़कर, सामान्य श्रेणी के राज्यों के सह संबंध का गुणांक (-) 0.87 है। इस समूह के राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति एफसी भिन्न अंतरणों के मामले में प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी के साथ सह संबंध सकारात्मक (0.16) बनता है। यह उनके वितरण में प्रगतिशीलता की कमी दर्शाता है। एफ.सी. भिन्न अंतरण इससे भी ज्यादा प्रतिगामी हो जाते हैं जब अप्रत्यक्ष अंतरणों को हिसाब में लिया जाता है यथा अधिकांशतः अपेक्षाकृत समूह राज्यों (5) से भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में एफ.सी. और एफ.सी.-भिन्न, दोनों प्रकार के अंतरणों के लिए सह-संबंध सकारात्मक हैं।

लोक वित्तों की पुनर्सरचना करना

2.36 ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) की तरह इस आयोग से भी कहा गया है कि संघ और राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की समीक्षा करे और बजटीय संतुलन की बहाली और वृहद् आर्थिक स्थायित्व के अनुरक्षण के दृष्टिगत लोक वित्तों की पुनर्सरनचना हेतु कोई योजना सुझाए। विचारार्थ विषयों के पैरा 5 में संघ और राज्य सरकारों के वित्त साधनों की स्थिति की "समीक्षा" करने और लोक वित्तों की "पुनर्सरंचना" के लिए "योजना" हेतु कहा गया है । ईएफसी के विचारार्थ विषयों की तुलना में ऋण कटौती व साम्यापूर्ण अभिवृद्धि का संदर्भ नवीन है और राज्यों के बीच बढ़ती विषमता तथा अवहनीय ऋणों के संचय की चिंता पर जोर डालते हैं। विचारार्थ विषय में कतिपय अन्य कारकों का भी उल्लेख है जिसपर पैरा 5 के साथ विचार किया जाना चाहिए। पैरा 6 (iv) में "न केवल सभी राज्यों और केन्द्र के राजस्व खाते में प्राप्तियों और व्यय के संतुलन के बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेषों के सृजन और राजकोषीय घाटा कम करने के उद्देश्य की बात कही गई हैं। पैरा 9 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों के ऋण के बारे में वृहद् आर्थिक स्थायित्व और ऋण वहनीयता के सुसंगत सुधारात्मक उपाय सुझाए जाएं। स्पष्ट रूप से किसी पुनर्सरंचना योजना का लक्ष्य राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को वृह्द आर्थिक स्थायित्व के सुसंगत स्तरों पर लाना होगा। खंड 6 (iv) में पूंजी निवेश व राजकोषीय घाटे के संदर्भ में यह भी समाविष्ट है कि समूची सरकार के राजस्व व पूंजी तथा व्यय के वित्त पोषण, पर एकीकृत ढ़ांचे के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

2.37 केंद्र और राज्यों के संयुक्त खातों पर विचार करते हुए लोक वित्तों की पुनर्सरंचना हेतु आवश्यकता समझने में हमने पांच मुख्य राजकोषीय प्रवृत्तियां देखी हैं जो गंभीर चिंता का विषय हैं। ये हैं : कर-स.घ.उ. अनुपात में गिरावट, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगियों के विशाल पूर्व क्रयाधिकार दावे, स.घ.उ. अनुपात की तुलना में उच्च राजस्व घाटा और स.घ.उ. की तुलना में पूंजी व्यय के गिरते स्तर। 1987-88 से 2001-02 की 15 वर्ष की अवधि को लेते हुए तथा दोनों तरफ अर्थात 1987-90 और 1999-2002 के लिए तीन वर्ष की औसतों की तुलना में हमने नोट किया है कि

(i) कर-स.घ.उ. अनुपात स.घ.उ. की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत के स्तर से 1.6 प्रतिशतांक गिरकर स.घ.उ. के 14.4 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुंच गया है।

(ii) इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगियां लगभग 13 प्रतिशत बिंदु बढ़कर संयुक्त राजस्व प्राप्तियों के 34 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुंच गई हैं।

(iii) स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 3.5 प्रतिशत बिंदु बढ़कर स.घ.उ. के 6.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।

(iv) राजकोषीय घाटा, जो कि अस्सी के दशक के अंत के वर्षों में स.घ.उ. के 8.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहले ही पहुंच गया था, 0.7 प्रतिशतांक बढ़ गया। 2002-03 में, संयुक्त राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 10 प्रतिशत से अधिक था।

(v) इस अवधि के दौरान स.घ.उ. की तुलना में पूंजी व्यय 2.8 प्रतिशतांक तक गिर कर स.घ.उ. के 3.3 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुंच गया।

2.38 केंद्र, राज्यों और उनके संयुक्त खातों के राजस्व खाता शेष में ह्रास सातवें दशक के अंत में शुरू हो गया था। 1950-51 से, दो वर्षों को छोड़कर, सभी वर्षों में अधिशेष दर्ज करने के पश्चात् 1979-80 में केंद्र के वित्त राजस्व घाटे में आ गए। केंद्र और राज्यों का संयुक्त खाता 1982-83 में और सभी राज्यों का 1986-87 में राजस्व घाटे में चला गया। जैसा कि दसवें वित्त आयोग ने नोट किया था लगभग सभी राज्य राजस्व खाता शेष में तीन-चरणों के ह्रास से गुजरे थे। 1986-87 तक पहले चरण में आयोजना-भिन्न राजस्व खाता अतिशेष आयोजना घाटे की तुलना में अधिक था और उस सीमा तक इसने समग्र राजस्व शेष उपार्जित किया। 1986-87 से 1991-92 के दौरान आयोजना राजस्व घाटे की मात्रा तीव्रता से बढ़ी और यह आयोजना-भिन्न अधिशेष से अधिक हो गई। तब से, आयोजना राजस्व खाता और आयोजना-भिन्न राजस्व खाता दोनों घाटे में रहे हैं और यह घाटा सामान्यतया मात्रा में बढ़ ही रहा है। केवल कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों ने आयोजना राजस्व खाते में अतिशेष दर्शाएं हैं। तथापि, यह अनन्य रूप से आयोजना सहायता के लिए विशेष वितरण के कारण था जहां नब्बे प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उनके खाते में जमा हुई।

2.39 वर्ष 1988-89, जो नवें वित्त आयोग का आधार वर्ष है, में केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 2.9 प्रतिशत था। दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों के लिए तदनुरूप आधार वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त राजस्व घाटे क्रमशः 1994-95 में स.घ.उ. का 3.6 प्रतिशत और 1999-2000 में 6.3 प्रतिशत था। 2002-03 में संयुक्त राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 6.7 प्रतिशत था। इस चौतरफा राजकोषीय ह्रास के लिए दिए गए मुख्य कारणों में समान्यतया पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप वेतनों और पेंशनों का संशोधन, केंद्रीय प्रत्यक्ष करों की उत्प्लावकता में क्षरण और नब्बे के दशक के अंत में उच्च नामिनल ब्याज दरें शामिल हैं। अतंरणों को सरकार के एक पक्ष के लिए राजस्व घाटे को घटाने के लिए इसे दूसरे के लिए बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं लिया जा सकता। केंद्र और राज्यों दोनों के राजस्व शेष की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है।

राजकोषीय घाटों की निर्वहनीयता

2.40 वस्तुतः यदि केंद्र सरकार सीमाओं के बगैर उधार ले सकती है तो यह सीमाओं के बगैर संसाधन अंतरित भी कर सकती है। दूसरी तरफ, यदि राज्य सरकार सीमाओं के बगैर उधार लेती हैं तो वे अल्प अंतरण कर सकती हैं। तथापि, राजकोषीय घाटे की निर्वहनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता उधार अर्थात राजकोषीय घाटे की सीमा निर्धारित करती है जो उन्हें इकट्ठे के साथ-साथ अलग भी मानते हुए सरकार के दोनों पक्षों द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से लिया जा सकता है। राजकोषीय घाटों के निर्वहनीय स्तर तीन प्रमुख प्राचलों के संदर्भ में निकाले जा सकते हैं: अभिवृद्धि दर, स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात और ब्याज दर। ऋण-स.घ.उ. अनुपात का विद्यमान स्तर भी निर्वहनीयता के परिप्रेक्ष्य में बिलकुल वस्तुपरक है । अभिवृद्धि और ब्याज दरों के संबंध में राजकोषीय घाटे के विवेकाधीन स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं परन्तु अभिवृद्धि राजकोषीय घाटे व ब्याज दर पर निर्भर होगी। यह अंतर निर्भरता अधिकांशतः इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि राजकोषीय घाटे अर्थ व्यवस्था की निवेश दरों और बचत को प्रभावित करते हैं जो बदले में अभिवृद्धि व ब्याज दरों को प्रभावित करती है।

2.41 राजकोषीय निर्वहनीयता के लिए यह अपेक्षित है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि को वृद्धित ऋण शोधन क्षमता में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाए। यह तर्क दिया जा चुका है कि इस कोण से आस्तियों के सृजन के लिए उधार न्यायोचित है। इस तथ्य के अतिरिक्त वर्तमान में उधार का 70 प्रतिशत से थोड़ा न्यून कम से कम भौतिक प्रकार की पूंजी आस्तियों पर खर्च नहीं किया जा रहा चाहे वहां पूंजी व्यय है, आस्तियों पर आय नगण्य है। बढ़ती हुई ब्याज देनदारियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए बेहतर अभिवृद्धि के माध्यम से अधिक अप्रत्यक्ष आय भी नहीं हो रही है। वास्तव में, राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर बढ़ते हुए ऋण-स.घ.उ. अनुपात के साथ मिलकर ब्याज अदायगी और पेंशनों से निवल सरकार की सकल मांग में गिरावट की ओर प्रवृत्त हुए हैं। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे सरकार के खर्च के समतुल्य हैं जिसके कारण यदि निजी बचत दर में तदनुरूपी वृद्धि न हो तो समग्र बचत दर में गिरावट होती है। नब्बे के दशक के मध्य में घरेलू बचत दर के स्तरों की तुलना में, जो नब्बे के दशक के मध्य में लगभग 25 प्रतिशत की श्रेणी में थी, हाल के वर्षों में दर में स्पष्ट गिरावट हुई थी जहां यह स.घ.उ. के 22 प्रतिशत के आसपास रही है।

2.42 विवेकाधीन राजकोषीय प्रबंधन हेतु स.घ.उ. की तुलना में ऋण और राजकोषीय घाटे के सही आकार का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। दसवीं योजना में योजना अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे का औसत आकार स.घ.उ. का 6.8 प्रतिशत परिकल्पित है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने स.घ.उ. के 6.5 प्रतिशत के राजस्व घाटे को 2004-05 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले वांछित लक्ष्य के रूप में सुझाया है। ग्यारहवें वित्त आयोग के वृहद् आर्थिक पूर्वानुमानों में 7 से 7.5 प्रतिशत के बीच की वास्तविक अभिवृद्धि के साथ 13 प्रतिशत की नामिनल स.घ.उ. अभिवृद्धि दर और नामिनल अर्थों में ब्याज की प्रभावी दर केन्द्र के लिए 9.8 प्रतिशत और राज्यों के लिए 11 प्रतिशत शामिल हैं। उस अवधि से जब ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार की थी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नामिनल ब्याज दरों में गिरावट से संबंधित है। केन्द्र सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफ.आर.बी.एम.ए.) के अंतर्गत नियमों में 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य विनिर्दिष्ट किया है जिसे 2008-09 तक प्राप्त किया जाना है।

राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के लिए एक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि एक समेकित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य दर्शाया जा सके। इस मुद्दे पर हमने अगले अध्याय में चर्चा की है।

2.43 ग्यारहवें वित्त आयोग ने स.घ.उ. की तुलना में ऋण का स्तर घटाने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त ऋण-स.घ.उ. अनुपात 10 प्रतिशत अंक नीचे लाया जाना था ताकि यह 2004-05 में 55 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच जाए। यह लक्ष्य प्राप्त करने में हम काफी पीछे रह गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2002-03 के अंत में संयुक्त ऋण -स.घ.उ. अनुपात 75.7 प्रतिशत था जबकि केन्द्र का ऋण-स.घ.उ. अनुपात 63.1 प्रतिशत और राज्यों का स.घ.उ. 27.8 प्रतिशत था। इन अनुमानों में विदेशी ऋण को पारम्परिक विनिमय दरों पर लिया गया है। जैसा कि अध्याय 4 में चर्चा की गई है, यदि विदेशी ऋण का मूल्यांकन चालू ब्याज दरों पर किया जाए तो 2002-03 के ऋण-स.घ.उ. अनुपात में लगभग 5.6 प्रतिशत के उर्ध्वगामी समंजन की आवश्यकता पड़ेगी। स.घ.उ. की तुलना में ऋण के स्तर में तीव्र वृद्धि प्राथमिक घाटों में वृद्धि के साथ-साथ इस तथ्य के परिणामस्वरूप हुई है कि 2000-2003 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान अभिवृद्धि दर ब्याज दर की तुलना में कम रही। हम महसूस करते हैं कि स.घ.उ. की तुलना में प्राथमिक घाटे के स्तर में कमी ऋण-स.घ.उ. अनुपात की अभिवृद्धि को नियंत्रण में लाने का मार्ग उपलब्ध कराएगी। इसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पड़ेगी।

प्रोत्साहनः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

2.44 राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार और पुनर्संरचना योजना का अंगीकरण सुकर बनाया जा सकता है और कुछ हद तक इसी में प्रोत्साहन व पुरस्कार रखे जा सकते हैं जिनकी व्यवस्था अन्तरणों की स्कीम के अंतर्गत की जा सकती है। हमने अंतरणों की संकल्पना में विभिन्न तत्वों द्वारा प्रोत्साहन व पुरस्कार तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। पुरस्कार की परिभाषा इस मायने में पीछे देखना है कि यह पिछले कार्यनिष्पादन के लाभ से जुड़ा है। यह उस सीमा तक वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करता है कि यह प्रत्याशा होती है कि पुरस्कार तंत्र भविष्य में जारी रहेगा। इसके विपरीत, प्रोत्साहन इस मायने में आगे देखना है कि लाभ भावी कार्यनिष्पादन से जुड़ा है। हम मानते हैं कि वितरण सूत्र में आगे देखने वाले संकेतकों में अनेक अंतर्निहित समस्याएं हैं। हमारी योजना में कर प्रयास और राजकोषीय दक्षता के संकेतकों के माध्यम से पुरस्कार तंत्र जारी रहेगा और सुदृढ़ होगा। आगे देखने वाली योजना के लिए दो प्रस्ताव हैं जिन्हें विचारार्थ विषयों के परिप्रेक्ष्य में दिया जा सकता है। ये मध्यावधि सुधार सुविधा और ऋण राहत से जुड़े हैं। इनपर बाद के अध्यायों में चर्चा की गयी है।

राजकोषीय समेकन और संस्थागत सुधार

2.45 राजकोषीय समेकन में हाल का अनुभव (6) यह सुझाता है कि संस्थागत सुधार, सुपरिभाषित नियम और पारदर्शिता राजकोषीय सुधारों को सुकर बनाते हैं। संस्थागत सुधारों का लक्ष्य राजकोषीय समेकन प्राप्त करना और उसका अनुरक्षण होना चाहिए जबकि स्वचालित स्थिरकों के साथ-साथ विवेकाधीन कार्य के माध्यम से व्यवसाय चक्रों से जूझने का काफी क्षेत्र छोड़ा जा सकता है। ऐसे सुधारों के तीन मुख्य तत्व औपचारिक घाटे व ऋण नियमों, व्यय नियमों के विनिर्देशन और राजकोषीय पारदर्शिता से संबंधित हैं। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के रूप में स.घ.उ. का 3 प्रतिशत और वांछित ऋण-स.घ.उ. अनुपात के रूप में 60 प्रतिशत का मास्ट्रीच्ट संधि का नियम विख्यात है। यूनाइटेड किंगडम में केवल पूंजी व्यय के वित्तपोषण हेतु उधार की सीमा निर्धारण के "सुनहरी नियम" का 1997 से वहनीय निवेश नियम के रूप में अनुसरण किया जा रहा है। यूएसए, फिनलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे अन्य देशों में व्यय सीमाओं के समर्थन हेतु प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का प्रयोग किया गया है। न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और युनाइटेड किंगडम जैसे देशों में राजकोषीय पारदर्शिता पर बल दिया गया है। सरकार के ढाँचों और कार्यों के बारे में राजकोषीय पारदर्शिता आम जनता के लिए खुले होने के रूप से अतंर्निहित है। पारदर्शिता में यह अपेक्षित है कि कोई नीतिगत परिवर्तन संगतता और उद्देश्यों के स्पष्ट विवरण के साथ शामिल किए जाएं। राजकोषीय समेकन की रणनीतियां दीर्घावधिक संकेन्द्रण और अभिवृद्धि संवर्धन की आवश्यकता की अपेक्षा करती हैं। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार की एफआरबी एमए के अधिनियमन की पहल स्वागत योग्य कदम है। कुछ राज्य सरकारें भी राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान लाई हैं। हमारे विचार में दूसरे राज्य भी इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे।

ऋण राहत के मुद्दे

2.46 कई राज्य सरकारों ने ऋण राहत के लिए कहा है। कुछ पूर्ववर्ती आयोगों, विशेषकर दसवें और ग्यारहवे आयोग ने अवलोकन किया है कि क्रामिक आयोगों द्वारा ऋण राहत के बारे में सिफारिशों ने ऐसे उपायों के बारे में आशंकाओं का सृजन किया है जिसमें अंतर्निष्ठ प्रतिकूल प्रोत्साहन है। ऋण राहत प्रायः विगत के राजकोषीय अनुशासन की कमी की हामीदारी लेते हैं। यह अनुचित हो सकता है और महत्वपूर्ण रूप से विपरीत संकेत दे सकता है यदि ऐसे राज्य के लिए राहत का लाभ सबसे अधिक हो जो पूर्व में सबसे अधिक अपव्ययी था। राजकोषीय संघवाद से संबंधित साहित्य में उदार बजट दबाव के हानिकर प्रभावों पर काफी ध्यान दिया गया है जो उस संबद्ध सहजता का उल्लेख करता है जिससे राज्य उधार ले सकते हैं। इसमें ब्याज अदायगियों के मूल्यांकन के निहितार्थ भी है। यदि किसी ब्याज अदायगी देनदारी की राशि को अंतरणों के निर्धारण के लिए वैध दावे के रूप में माना जा सकता है, तो चालू व्यय के सभी मानकीय मूल्यांकन बेकार हो जाएंगे। एक राज्य को जो सब करने की आवश्यकता होगी वह चालू अवधि में अधिक उधार लेना और भविष्य के लिए अधिक दावों का सृजन करना है। यह महत्वपूर्ण है कि ब्याज अदायगियों का नियामक रूप से मूल्याकंन किया जाए और एक कठोर बजट नियंत्रण लागू किया जाए। इन तर्कों के संदर्भ में हमने ऋण राहत के मुद्दे पर विचार किया हो।

2.47 ऋण राहत के प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि नामिनल ब्याज दरें गिरी हैं। यह विश्वास करने के आधार भी हैं कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को दिए अपने उधारों पर जो मार्जिन प्रभारित किए हों; वे पूर्व में अनुचित रूप से अधिक हों। यह स्पष्ट है कि किसी भी ऋण राहत को राजस्व व राजकोषीय घाटों के

लिए लक्ष्यों सहित राजकोषीय समंजन के वांछित मार्ग से जोड़ना होगा। योजना आयोग को भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पड़ेगी कि राज्य की आयोजना का आकार ऋण के निर्वहनीय स्तर के अनुरूप हो क्योंकि राज्यों की योजनाएं एक अथवा दूसरे रूप में लगभग पूर्णतया उधारों से वित्त पोषित हैं।

विकेन्द्रीकरण और स्थानीय निकायों को अंतरण

2.48 अभिशासन में विकेंद्रीकरण को दक्षता बढ़ाने वाला माना गया है क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधियों को संबद्ध स्थानीय वस्तुओं के प्रावधान के वित्तपोषण के लिए प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और इच्छा को बेहतर समझने वाला माना गया है बशर्ते कि उन्हें समुचित साधन उपलब्ध कराए गए हों। क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित संविधान के 73 वें व 74 वें संशोधनों ने देश में स्थानीय स्वशासन शुरू करने के लिए प्रभावी आधार की व्यवस्था की है। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिए गए कर्त्तव्यों में स्थानीय चुनावों का आवधिक आयोजन, सक्षमकारी विधान लाना, राजस्व के स्रोतों सहित राज्यों को अंतरित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट करना और अपेक्षित अंतरालों पर राज्यों के वित्त आयोगों का गठन करना शामिल है।

2.49 इस आयोग के पास विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को ध्यान पूर्वक सुनने का मौका था। यहां उभरी तस्वीर दो संविधान संशोधनों में की गई संकल्पना से काफी छोटी थी। राज्यों ने अपेक्षित नियमितता से वित्त आयोगों के गठन में पर्याप्त तत्परता नहीं दिखाई है। कई उदाहरणों में, अनुशंसाए प्राप्त होने के पश्चात निर्णयों को लंबित रखा गया है। पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित और अलग से रखे अनुदानों को भी राज्य की समेकित निधि में प्राप्त होने के बाद भी कतिपय मामलों में स्थानीय निकायों को आगे नहीं दिया गया।

2.50 हमारा दृष्टिकोण स्थानीय निकायों के प्रभावी स्थानीय स्व-शासन की कुंजी होने के कारण राजकोषीय प्रभाव-क्षेत्र के उन्नयन के मूल विचार को सुदृढ़ करना है। स्थानीय वस्तुओं का प्रावधान यह अपेक्षा करता है कि स्थानीय सेवा और संभाव्य लाभार्थी द्वारा इसके वित्तपोषण के उत्तरदायित्व के बीच संपर्क का महत्व समझा जाना चाहिए। चूंकि स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की सीमित बाह्यताएं होती हैं, बाह्य स्रोतों द्वारा इनके वित्तपोषण में विपरीत प्रोत्साहनों की बड़ी समस्याएं होती हैं जो उपर्युक्त से अंतरणों पर निर्भरता बढ़ा सकती हैं। यह विचार तभी सफल हो सकता है यदि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को समुचित साधन उपलब्ध कराए जाएं। विभिन्न अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि स्थानीय निकाय राजस्व जुटाने के बारे में उत्सुक नहीं रहे हैं। स्थानीय निकायों को विस्तारित समकरण के सिद्धांत का अर्थ है कि जबकि राज्य स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर राजकोषीय क्षमता की कमी पूरी की जा सकती है, राजस्व प्रयास की कमी पूरी नहीं की जानी चाहिए।

सारांश और दीर्घावधिक परिदृश्य

2.51 भारत में राजकोषीय अंतरण की पद्धति ने पचास वर्ष से अधिक का समय पार कर लिया है। वित्त आयोग और योजना आयोग के अतिरिक्त अंतर-राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी अन्य संस्थाओं ने केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों हेतु ढांचे की व्यवस्था में भूमिका अदा की है। दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः संघीय संबंधों और विशेषतः अंतरणों की प्रणाली में स्थायित्व पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। राजकोषीय क्षमताओं और सेवाओं के स्तरों में बढ़ती हुई असमानता ने इस स्थायित्व को बिगाड़ दिया है क्योंकि बढ़ती हुई असमानता को वृहद और अधिक प्रगामी अंतरणों की आवश्यकता होती है। बेहतर समानता प्राप्त करने का कार्य सिर्फ वित्त आयोग के अंतरणों पर निर्भर नहीं होता है। योजना आयोग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अंतरणों की पूरक भूमिका निभाने की आवश्यक्ता है जो इन असमानताओं को घटाने में सहायक होगी। राज्यों को अभिवृद्धि बढाने वाली और अंतर-राज्य क्षेत्रीय असमानताएं घटाने पर लक्षित नीतियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी है। यदि अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य असंगतियां कम हो जाती हैं तो संघीय राजकोषीय पद्धति स्थिर हो जाएगी। इन असमानताओं को घटाने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है जो इस पद्धति को अधिक स्थिर भी बनाएगा।

2.52 हमारे दृष्टिकोण की कुछ मूलभूत विशेषताएं और हमारे द्वारा विचारित अंतरणों की स्कीम में परिणामी आशोधनों का सारांश निम्नानुसार हैः-

(i) हमारी अंतरणों की स्कीम में स.घ.उ. की तुलना में अंतरणों की प्रमात्रा में गिरावट ठीक करने के लिए अधिक अंतरण और अधिक समस्तर के असंतुलन ठीक करते हुए न्यूनतम उर्ध्वस्थ अंतरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इस कारण हमने सुझाव दिया है कि समग्र अंतरणों हेतु निर्देशात्मक तलचिन्हन बढ़ाकर केन्द्र सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत किया जाए।

(ii) कर हस्तांतरण और अनुदान युक्त अंतरणों संबंधी हमारा दृष्टिकोण नियामक दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित समकरण मानदंड द्वारा मार्गदर्शित है। कर हस्तांतरण के मामले में न्यायोचित उर्ध्वस्थ अंतरण सुनिश्चित करने का अतिरिक्त कार्य है।

(iii) राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं में बढ़ता हुआ असंतुलन समकरण के समस्तर कार्य को बढ़ाता है जिसे राजकोषीय अंतरणों द्वारा निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजकोषीय क्षमता में कमी के निदान के साथ- साथ राजस्व प्रयास में कमी को प्रभावशाली रूप से हतोत्साहित किया जाए।

(iv) कर हस्तांतरण में मार्ग दर्शाने वाली तीन मुख्य विचारणाएं ये हैंः आवश्यकताएं, लागत अक्षमताएं और राजकोषीय कुशलता।

(v) शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सेवाओं का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के दृष्टिगत हम नियामक दृष्टिकोण के आधार पर लिए गए सशर्त अनुदानों को प्रासंगिक मानते हैं। इसी तरह की विचारणा अनुरक्षण व्यय पर भी लागू होती है।

(vi) केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए राजकोषीय समेकन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिसे राजकोषीय ढांचे द्वारा सुकर बनाया जा सकता है जिसका घाटे और ऋण के लिए नियम व बेहतर राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपबंधों सहित संस्थागत आधार हो।

(vii) जबकि राज्यों के लिए एक कठोर बजट नियंत्रण वांछनीय है किसी विचारणीय ऋण राहत को राजकोषीय समेकन के संबंध में अनुवीक्षणीय उपलब्धियों से जोड़ा जाना आवश्यक है।

❏❏

अंत टिप्पणियां

(1) आयोग ने भारत में राजकोषीय संघवाद के 50 वर्ष मनाने के अवसर पर एक संस्मारक पुस्तक में पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के विचारार्थ विषयों और "मुद्दों और दृष्टिकोणों" संबंधी उनके अवलोकनों की सारगर्भित पुस्तक प्रकाशित की है।

(2) कनाडा और आस्ट्रेलिया में अंतरण पद्धतियों की समीक्षा और भारतीय प्रणाली के साथ संगत तुलना सी रंगराजन और डी.के. श्रीवास्तव की "कनाडा में राजकोषीय अंतरणः तुलना और पाठों का चित्रांकन", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 39, संख्या 19, मई 2004 और "आस्ट्रेलिया में राजकोषीय अंतरणः समीक्षा और भारत के लिए प्रांसगिकता, खंड-39, संख्या 33, अगस्त, 2004 में की गई है।

(3) यह संवैधानिक संशोधन अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

(4) एफआरबीएमए लक्ष्यों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल की हाल में पूरी हुई रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि उनके सुधार दृश्यलेख में 2005-06 से 2009-10 की अवधि में सेवा कर में 5 से अधिक की उत्प्लावकता हो सकती है।

(5) भारत में राज्यों के राजकोषीय सुधारों संबंधी हाल में प्रकाशित विश्व बैंक रिपोर्ट (मैकमिलन, 2004) में राज्यों से अप्रत्यक्ष अंतरणों और अंतरणों की समग्र प्रगतिशीलता के लिए उनके निहितार्थो पर परिचर्चा की व्यवस्था की गई है।

(6) विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, आईएमएफ, 2001 में राजकोषीय समेकन में कुछ हाल के अनुभवों की समीक्षा अंतर्विष्ट है।

अध्याय 3

केंद्र और राज्यों की वित्त प्रवृत्तियां

3.1 इस अध्याय में हमने केंद्रीय और राज्य वित्तों की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से नब्बे के दशक के आरम्भ में शुरु किए गए आर्थिक सुधारों की अवधि की प्रवृत्तियों पर गौर किया है। राजकोषीय सुधार, जो कि आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है, उनमें इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में काफी अधिक परिवर्तन करने आवश्यक हो गए थे। नब्बे के दशक में भी ऐसे अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव किए गए जिनका केंद्रीय और राज्य के वित्तों पर प्रभाव पड़ा है। पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करना था। राज्य भी एक-एक करके, अपने कर्मचारियों के लिए तुलनीय वेतनमानों को लागू करने पर सहमत हो गए, चाहे वे किसी दबाव में आकर ही सहमत हुए हों। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में जब तक कि मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में गिरावट आनी शुरु नहीं हुई थी, कुछ एक सांकेतिक ब्याज दरें अधिकतम स्तर पर बनी हुई थीं। नए दशक के प्रथम कुछ वर्षों में जैसा कि पिछले अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अर्थव्यवस्था अत्यधिक मंदी के दौर से गुजरी, जिसमें हाल के वर्षों में कुछ सांकेतिक और वास्तविक वृद्धि दरें निम्नतम स्तर पर रहीं, साथ ही वर्ष 2002-03 में भयंकर सूखे की स्थिति भी बनी रही थी। वर्ष 2000 में कर सुधारों को सरल और सुसाध्य बनाने तथा कर-भागीदारिता व्यवस्थाओं के आधार को व्यापक बनाने, सीमित अपवादों के साथ सभी केंद्रीय करों की भागीदारिता के लिए व्यवस्था करने, केवल आय कर और संघ उत्पाद शुल्कों की भागीदारिता की पूर्ववर्ती व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से संविधान में किए गए अस्सीवें संशोधन के साथ ही राजकोषीय अन्तरणों की प्रणाली में भी चरणबद्ध परिवर्तन किए गए थे।

3.2 तर्क के तौर पर वर्ष 1997-98 से 2002-03 के छः वर्षों के दौरान सरकार के वित्त पर कमजोर कर देने वाला प्रभाव पड़ा था। प्रथम तीन वर्षों ने वित्त व्यवस्था को दबाव में डाल दिया था क्योंकि वेतन में संशोधन करने पड़े थे और ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर विद्यमान थीं, और अगले तीन वर्षों में निम्नस्तरीय विकास और भयंकर सूखे के कारण ऐसा हुआ था। ऊर्ध्वस्थ और अनुप्रस्थ असंतुलनों पर अपने विचारों को तय करने की पृष्ठभूमि तैयार कराने और राजकोषीय अन्तरणों की समग्र स्कीम की दृष्टि से हमने (क) केन्द्रीय वित्तों, (ख) सकल राज्य वित्तों और (ग) तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग राज्यों के वित्तों में प्रमुख प्रवृत्तियों की जांच की है।

केंद्रीय वित्तों की प्रवृत्तियां

3.3 केंद्रीय वित्तों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए हमने राजस्व प्राप्तियों के, विशेष रूप से कर राजस्वों, सकल और व्यापक श्रेणियों में व्यय और ऋण के रूप में निर्देशकों पर ध्यान केंद्रित किया है। तथापि, हमने सर्वप्रथम राजकोषीय असंतुलनों के पार्श्वचित्र की जांच की है क्योंकि यह विभिन्न राजस्वों और व्ययों के निष्पादन के निवल निष्कर्ष के दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करता है।

केंद्रः राजकोषीय असंतुलन की रूपरेखा

3.4 हम राजकोषीय असंतुलन के तीन संकेतकों को देखते हैंः राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा उस सीमा को निर्दिष्ट करता है जिस सीमा तक वर्तमान प्राप्तियां उन राजस्व व्ययों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती जिसके लिए परिसम्पत्ति निर्माण की बजाय वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह उस सरकारी उपभोग व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जिसका वित्तपोषण पूंजी प्राप्तियों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। गैर-ऋणकारी पूंजी प्राप्तियों के एक लघु भाग के अतिरिक्त इन पूंजी प्राप्तियों में वे निवल उधार शामिल होते हैं जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटा उस राजकोषीय घाटे के तुल्य होता है जो उधार ली गई निधियों के निवल अन्तःप्रवाह में से ब्याज अदायगियों को घटाने के बाद आई राशि को व्यक्त करता है और यह अन्तरण भुगतानों के रूप में बाह्य प्रवाहों का प्रतिनिधित्व करता है। प्राथमिक घाटों को जब तक ब्याज दर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं किया जाएगा, वे ऋण के रूप में बढ़ते ही जाएंगे। एक सम्बद्ध उपाय, यथा, राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को निर्दिष्ट करता है जिस सीमा तक उधारों का उपयोग वर्तमान खर्चों के लिए किया जाता है।

3.5 सारणी 3.1 में वर्ष 1990-91 से अब तक के केंद्रीय वित्तों के संबंध में राजकोषीय असंतुलनों के विभिन्न निर्देशकों की रूपरेखा दी गयी है। वर्ष 1990-1991 से राजकोषीय घाटे की तुलना में 1999-2000 से पूर्व के आंकड़ों के लिए एक समायोजन किया जाना अपेक्षित होगा क्योंकि लघु बचतों के कारण राज्यों को दिए जाने वाले ऋण राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लोक लेखा के माध्यम से जारी नहीं किए गए थे और वे केंद्र के राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा बन गए थे। जैसाकि सारणी 3.1 में दिया गया है, इस समायोजन के पश्चात केंद्र का राजकोषीय घाटा पहले तो वर्ष 1990-91 में 6.6 प्रतिशत के स्तर से गिरकर वर्ष 1996-97 में 4.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था, उसके बाद यह 1997-98 से बढना आरम्भ हुआ और 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था। उसके पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतः केंद्र के राजकोषीय घाटे में गिरावट आई। इसी प्रकार का पार्श्वचित्र राजस्व घाटे के मामले में भी पाया गया जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत से गिरकर 1996-97 में 2.4 प्रतिशत तक आने के बाद तेजी से बढ़कर 2001-02 में 4.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था। वर्ष 2002-03 में प्राथमिक घाटे में कमी आने के कारण राजकोषीय घाटे में कुछ सुधार आया और यह सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर बना रहा, यद्यपि राजस्व घाटा वर्ष 2001-02 के लगभग उसी स्तर पर बना रहा। वर्ष 2003-04

सारणी 3.1
केन्द्र : राजकोषीय असंतुलनों की रूपरेखा

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व का अनुपात (प्रतिशत)
1990-91	6.61	3.26	2.83	49.36
1991-92	4.72	2.49	0.65	52.72
1992-93	5.33	2.76	0.72	51.73
1993-94	6.43	3.81	2.15	59.21
1994-95	4.74	3.06	0.39	64.60
1995-96	4.23	2.50	0.02	59.16
1996-97	4.11	2.38	-0.24	58.01
1997-98	4.81	3.05	0.50	63.45
1998-99	5.14	3.85	0.67	74.78
1999-00	5.41	3.49	0.75	64.55
2000-01	5.69	4.08	0.93	71.74
2001-02	6.18	4.39	1.47	71.06
2002-03	5.87	4.37	1.10	74.36
2003-04 स.अ.	4.77	3.60	0.27	75.59

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज और भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी, 2002-03।
वर्ष 2003-04 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में लघु बचतों के मुकाबले राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं किया गया है।
प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला गया है।

(सं.अ.) में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत रह जाने के कारण स्थिति में सुधार दिखायी दिया था।

3.6 दीर्घकाल तक विकृति राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में पायी गयी जो उस सीमा को निर्दिष्ट करते हुए कि जिस सीमा तक उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग वर्तमान व्ययों के लिए किया गया हो, राजकोषीय घाटे की कोटि को प्रकट करते हैं। वर्ष 1990-91 में यह अनुपात लगभग 50 प्रतिशत था। यह धीरे-धीरे बढ़ते हुए 1998-99 में 75 प्रतिशत पर आ गया। उसके पश्चात कुछ सुधार आया लेकिन 2003-04 में यह अनुपात बढ़कर पुनः 75.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था जो सूचित करता है कि उधार ली गयी राशि का तीन-चौथाई हिस्सा कुछ वर्षों में विद्यमान उपभोग के लिए प्रयोग में लाया गया था।

3.7 एनएसएसएफ की लोक लेखा देयताओं सहित केंद्र की बकाया देयताएं जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 55.3 प्रतिशत से गिरने के पश्चात वर्ष 1998-99 में 51.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गयीं थीं, 2002-03 में बढ़कर 63.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गईं। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देयताओं में मामूली गिरावट आई और 2003-04 में 62.6 प्रतिशत पर आ गईं थी, उनके पुनः बढ़कर 2004-05 के अन्त तक सकल घरेलू उत्पाद के 63.96 प्रतिशत पर आने की संभावना है। तथापि, राजकोषीय घाटे के और अधिक अनुरुप ऋण में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एनएसएसएफ के माध्यम से राज्यों को दिए गए उधारों के लिए समायोजन करने के बाद केंद्र के उस ऋण पर विचार करना लाभप्रद होगा जिसके बदले में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के रूप में केंद्रीय सरकार के पास समान परिसम्पत्तियां हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो केंद्र का ऋण जो 1998-99 में 51.2 प्रतिशत था, वर्ष 2002-03 में बढ़कर 57.2 प्रतिशत दिखाया जाएगा जो 6 प्रतिशतांक बिंदुओं की वृद्धि प्रकट करेगा। उसके बाद, अनुमान है कि यह वर्ष 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 53 प्रतिशत रह जाएगा जब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें एक बार ब्याज दर से अधिक हो जाएंगी और केंद्र भी एनएसएसएफ और अन्यों को अपनी कुछ देनदारियों को चुकाने में समर्थ हो पाएगा जो कि उसने ऋण चुकाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों से उधार लिए थे। यह ध्यान दिया जाए कि ऋण के इन अनुमानों में वे विदेशी ऋण शामिल हैं जिनका मूल्यांकन पारंपरिक विनिमय दरों पर लगाया गया है। जब विदेशी ऋण का मूल्यांकन प्रचलित विनिमय दरों पर किया गया हो उसमें समायोजन की आवश्यकता पर चर्चा अध्याय IV में की गयी है।

केंद्र का सकल कर-राजस्व

3.8 आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्यों में से एक राजकोषीय समेकन के साथ प्रत्यक्ष करों, व्यक्तिगत और निगम आय करों, दोनों

को ही युक्तियुक्त बनाया गया था। दर श्रेणियों की संख्या के साथ-साथ सीमांतिक आय कर दरों को भी पर्याप्त रूप से कम किया गया था। मुख्य केंद्रीय वस्तुगत करों, अर्थात संघ उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों में भी परिवर्तन किए गए थे। सीमा शुल्कों के मामले में, शीर्ष दरों के साथ-साथ सम्पूर्ण दर-श्रेणियों की टैरिफ दरों में भारी कटौतियां की गयी थी। सुधारों की प्रक्रिया में कर की श्रेणियों तथा छूट के क्षेत्रों में भी कटौतियां की गयी। संघ उत्पाद शुल्कों के मामले में मूल्य वर्धित कराधान का सिद्धान्त अपनाया गया था जो पहले तो संशोधित वैट (मोडवैट) के रूप में और बाद में केंद्रीय वैट (सेनवैट) के रूप में था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर इन सुधारों का प्रभाव आधारिक दृष्टि से विपरीत रहा। एक ओर जहां प्रत्यक्ष करों ने निम्नस्तरीय दरों के साथ बढ़ते हुए कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को दर्शाया, वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों के लिए यह अनुपात घटता हुआ दिखायी दिया। अप्रत्यक्ष करों का केंद्र के कुल कर राजस्वों में बहुत बड़ा भाग होता है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में गिरावट प्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं हो सकती। इसके परिणामस्वरुप, समग्र केंद्रीय कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट आई। रेखा चित्र 3.1 वर्ष 1970-71 से लेकर अब तक के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में केन्द्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्वों में परिवर्तन के उस पैटर्न को प्रकट करता है जो विगत में इन दो प्रकार के करों द्वारा अदा की गई विपरीत भूमिका को प्रकट करने की दृष्टि से बनाया गया है। सुधारों से पूर्व न केवल अप्रत्यक्ष करों ने अधिक योगदान दिया था बल्कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इनमें क्रमिक वृद्धि भी हुई थी जबकि प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 प्रतिशत पर स्थिर बने रहे। नब्बे के दशक के बाद सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अप्रत्यक्ष करों में गिरावट शुरु हो गयी लेकिन उनके समग्र योगदान के रूप में ये अभी भी केंद्र के प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक हैं।

3.9 सारणी 3.2 में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया चार प्रमुख केंद्रीय करों यथा, निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क और संघीय उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्वों को दर्शाया गया है। केंद्रीय करों से सकल प्राप्तियों पर विचार करते हुए केंद्र का कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 1990-91 में 10.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2002-03 में 8.8 प्रतिशत रह गया था। इस गिरावट में प्रमुख योगदान करने वाला सीमा शुल्क था जो सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया 1990-91 में 3.6 प्रतिशत से कम होकर 2002-03 में आधा अर्थात 1.8 प्रतिशत रह गया था। जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, इसका कारण डब्ल्यूटीओ की वचनबद्धताओं की लहर में आयात शुल्क दरों में चरणबद्ध कटौतियां किया जाना और सार्वभौमिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी होना था। अधिक गंभीर बात सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सीमा शुल्क के संग्रहों के अनुपात में इसी अवधि के दौरान 1 प्रतिशतांक बिंदु की गिरावट आना था जो सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत से गिरकर 3.3 प्रतिशत पर आ गया था। प्रत्यक्ष कर राजस्व जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत के स्तर पर थे, वे बढ़कर 2002-03 में 3.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गए लेकिन सीमा तथा उत्पाद शुल्कों से राजस्व में हुई हानियों की पूर्णतया भरपाई नहीं हो पायी जिसके परिणामस्वरुप कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कम बना रहा।

3.10 सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में संघ उत्पाद शुल्कों से राजस्व में गिरावट के अन्य कारणों के साथ-साथ प्रमुख कारण कराधार में प्रतिपूरक वृद्धि के बगैर औसत कर दरों में कटौती किया जाना था। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के साथ कराधार में सेवाओं को पूर्णतया समाविष्ट किए बगैर सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घरेलू अप्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि किया जाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। सेवा क्षेत्र, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में पचास प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा होता है, वह 1994 से ही कराधान के अधीन रहा है और सेवा कर का दायरा भी बढ़ता जा रहा है लेकिन सेवा कर से होने वाला संग्रह सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से नीचे के स्तरों पर ही बना हुआ है।

चित्र 3.1

केन्द्र के कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपातः
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर तक (1970-71 से 2002-03 तक)

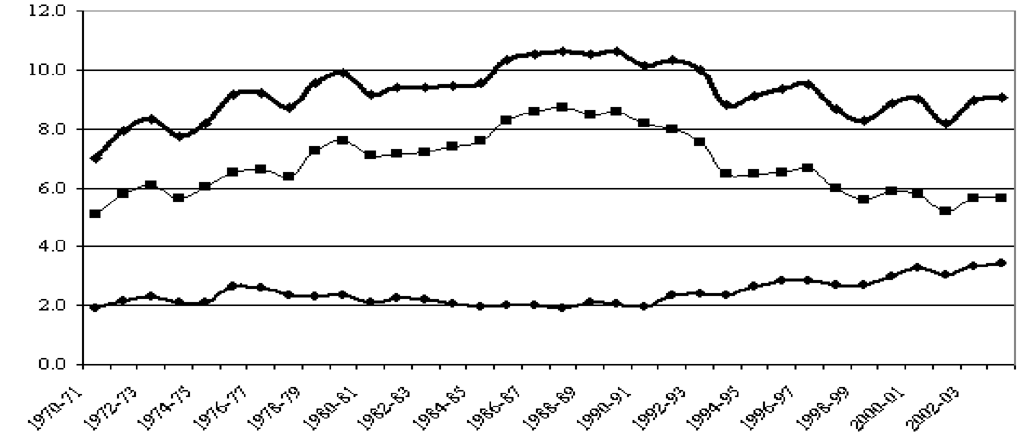

3.11 केन्द्र के सकल कर राजस्वों का संघटन बुनियादी तौर पर निगम कर और आय कर के पक्ष में परिवर्तित हो गया है, जैसा कि सारणी 3.2 में निर्दिष्ट है। निगम कर का हिस्सा वर्ष 1990-91 में केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 सं.अ. में 24.7 प्रतिशत हो गया है, जो 15.4 प्रतिशतांक बिंदुओं की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, आय कर में 6.5 प्रतिशतांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है जो 2003-04 सं.अ. में केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 15.8 प्रतिशत हिस्सा थी। इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्कों और संघ उत्पाद शुल्कों में क्रमशः 16.5 प्रतिशतांक और 6.4 प्रतिशतांक बिंदुओं की गिरावट आयी। यह लगभग इस रूप में समान रहा कि सीमा-शुल्कों में हुई अत्यधिक हानियों को निगम कर में वृद्धि द्वारा पूरा कर लिया गया और संघ उत्पाद शुल्कों की हानियों की भरपाई आय कर से प्राप्त राजस्वों में हुई तदनुरुप वृद्धि से कर ली गई।

सारणी 3.2

केंद्र के प्रमुख कर : 1990-91 से आगे का कर निष्पादन

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	संघ उत्पाद शुल्क	कुल केंद्रीय कर राजस्व (सकल)
1990-91	0.94	0.95	3.63	4.31	10.12
1991-92	1.20	1.03	3.41	4.30	10.31
1992-93	1.19	1.06	3.18	4.12	9.97
1993-94	1.17	1.06	2.58	3.69	8.82
1994-95	1.36	1.19	2.65	3.69	9.11
1995-96	1.39	1.31	3.01	3.38	9.36
1996-97	1.36	1.33	3.13	3.29	9.41
1997-98	1.31	1.12	2.64	3.15	9.14
1998-99	1.41	1.16	2.34	3.06	8.26
1999-00	1.58	1.32	2.50	3.20	8.87
2000-01	1.71	1.52	2.28	3.28	9.03
2001-02	1.60	1.40	1.76	3.18	8.20
2002-03	1.87	1.49	1.82	3.33	8.76
2003-04आर	2.27	1.45	1.78	3.33	9.20
वर्ष	**केंद्र के सकल कर राजस्वों के प्रतिशत के रूप में**				
1990-91	9.27	9.34	35.85	42.58	
1991-92	11.66	9.99	33.04	41.73	
1992-93	11.92	10.58	31.86	41.31	
1993-94	13.28	12.04	29.30	41.85	
1994-95	14.98	13.03	29.02	40.46	
1995-96	14.82	14.02	32.15	36.13	
1996-97	14.42	14.16	33.28	34.95	
1997-98	14.38	12.28	28.87	34.45	
1998-99	17.06	14.08	28.28	37.03	
1999-00	17.87	14.94	28.19	36.04	
2000-01	18.93	16.84	25.21	36.33	
2001-02	19.57	17.11	21.53	38.79	
2002-03	21.35	17.04	20.74	38.06	
2003-04आर	24.71	15.80	19.36	36.24	

स्रोत (मूल आंकड़े): केंद्रीय बजट दस्तावेज और भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी

केंद्र : कर-भिन्न राजस्व

3.12 केंद्र के कर-भिन्न राजस्व, जिसमें मुख्यतः ब्याज प्राप्तियां, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों से प्राप्त लाभांश और आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां शामिल होती हैं, 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 2.98 के स्तर पर आ गए थे लेकिन इन्होंने 1999-2000 के पश्चात कोई महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित नहीं की। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर-भिन्न प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव आता रहा जो 1999-00 में 2.75 प्रतिशत से 2001-02 में 2.97 प्रतिशत के बीच रहीं, उसके बाद मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों में गिरावट आने के कारण जो ऋण-विनिमय स्कीम और ब्याज दर के क्षेत्र को उदार बनाने के फलस्वरुप हुई अवरोह्ात्मक प्रवृत्ति महसूस की गई।

केंद्र : व्ययों में प्रवृत्तियां

3.13 केंद्र सरकार का कुल व्यय जिसमें राजस्व और पूंजी व्यय शामिल होता है, नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में कुछ गिरावट दर्ज करने के पश्चात 1997-98 में बढ़ना आरम्भ हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में यह 1990-91 में 18.5 प्रतिशत से 1996-97 में 14.7 प्रतिशत पर रह गया था उसके पश्चात बढ़कर 2002-03 में 16.8 प्रतिशत पर पहुंच गया था। विगत में व्यय की गुणवत्ता में भी विकृति की स्थिति पायी गयी थी क्योंकि पूंजी व्यय का हिस्सा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 3.0 प्रतिशत रह गया था। 2003-04 के लिए संशोधित अनुमानों में कुल व्यय के सकल घरेलू उत्पाद के 17.1 प्रतिशत तक और पूंजी व्यय के 4.02 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा थी। यदि ऋण-विनिमय प्राप्तियों से एनएसएसएफ को केंद्र से ऋणों का पूर्वभुगतान निकाल दिया जाए तो कुल व्यय 15.4 प्रतिशत और पूंजी व्यय 2.3 प्रतिशत ही रहेगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 1990-91 में 12.9 प्रतिशत से कम होकर 1996-97 में 11.6 प्रतिशत रह गया था और उसके बाद बढ़कर 2002-03 में 13.8 प्रतिशत हो गया।

3.14 ब्याज अदायगियां, सब्सिडियां, पेंशन और रक्षा राजस्व व्यय कुल राजस्व व्यय का 60 से 65 प्रतिशत के बीच बैठता है। ब्याज अदायगियां राजस्व व्यय का एकमात्र सबसे प्रमुख संघटक हैं जिसका हिस्सा राजस्व व्यय का लगभग 35 प्रतिशत बैठता है। केंद्र की राजस्व प्राप्तियों के समानुपातिक 2002-03 में ये केंद्र की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51 प्रतिशत हिस्सा बैठती थीं। उसके पश्चात यह अनुपात 2004-05 ब.अ. में कम होकर लगभग 45 प्रतिशत रह गया था। विगत वर्षों में निम्नस्तरीय सांकेतिक ब्याज दरों के कारण बाजार उधारों की औसत लागत में वर्ष 2000-01 के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी थी। केंद्र के कुल ब्याज भार पर इसका प्रभाव बकाया ऋण के बढ़ने के कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ है। तथापि, 2003-04 में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में ऋण चुकाए जाने की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा पुनःअदायगियों पर आधारित पूर्व भुगतानों के परिणामस्वरुप गिरावट दिखायी दी।

3.15 सारणी 3.3 में केंद्र के कुछ अन्य प्रमुख व्ययों के ब्यौरे भी दिए गए हैं। वर्ष 1990-93 की तीन वर्ष की अवधि के औसत और 2000-03 की अवधि के औसत की तुलना पर विचार करने पर सारणी 3.3 से पता चलता है कि ब्याज अदायगियों में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.6 प्रतिशतांक बिन्दुओं की वृद्धि हुई है और पेंशन में लगभग 0.2 प्रतिशतांक बिदुओं की। दूसरी ओर, पूंजी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशतांक बिंदुओं से भी कम गिरा है। यद्यपि, सब्सिडियों में गिरावट दिखायी दी है, फिर भी इनमें और कटौतियां किए जाने की आवश्यकता है। सारणी 3.4 में केंद्र की समाप्त की गयी सब्सिडियों के और ब्यौरे दिए गए हैं।

3.16 केंद्र द्वारा मुहैया करायी गई मुख्य सब्सिडियां खाद्य और उर्वरक सब्सिडियां हैं। अभी हाल ही में, अपनी आयोजना के एक भाग के रूप में केंद्रीय सरकार प्रशासित मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने पर भी सहमत हुई है और केरोसीन तथा रसोई गैस पर भी सब्सिडी को चरण बद्ध प्रक्रिया में समाप्त करने से पूर्व एक सीमित अवधि के लिए सब्सिडी बनाए रखी है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि इन सब्सिडियों में से अधिकांश का लक्ष्य सही नहीं था और अकार्यकुशलता को बढ़ा रही थी। हाल के वर्षों में, जैसा कि सारणी 3.4 में दिखाया गया है, खाद्य सब्सिडियों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 1996-97 में केंद्र की राजस्व प्राप्तियों के 4.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गयी थीं। अन्य कारकों के साथ-साथ खाद्य सब्सिडियों की मात्रा खाद्यान्नों की वसूली और उनकी ढुलाई लागतों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गम मूल्यों के बीच अन्तर पर निर्भर करती है। जबकि अधिप्राप्ति मूल्यों में किसानों को होने वाली आय पर सब्सिडी शामिल होती है तो ढुलाई लागतें पिछले स्टाकों के स्तर के साथ-साथ प्रचालनात्मक अकार्यकुशलताओं तथा उससे होने वाली बर्बादियों के स्तर पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों की ढुलाई लागतों में वर्ष 1997-98 से भारी मात्रा में वृद्धि हुई है जो आंशिक तौर पर उच्च ब्याज लागतों के कारण और काफी हद तक भारतीय खाद्य निगम के कार्य प्रचालनों में ऊंचे वेतनों तथा मजदूरियों के कारण हुई। खाद्य सब्सिडियां भी भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति स्थलों पर निर्भर करते हुए राज्यों को संसाधनों के अन्तरण का एक अप्रत्यक्ष साधन बन गई है। स्पष्ट रूप से इस प्रणाली के माध्यम से सरकार एक ही साधन से अनेक लक्ष्यों को साधने का प्रयास कर रही है अन्य सब्सिडी सुधारों के साथ दो परिवर्तन भी सहायक होंगे। पहला, केंद्र सरकार को किसानों की आय से संबंधित सहायता के लिए अलग से एक साधन विकसित करना चाहिए और केवल गेहूं तथा चावल के उत्पादकों पर प्रथम दृष्टया इसे केंद्रित न करते हुए फसलों की कवरेज के अनुसार इस सब्सिडी के आधार को व्यापक बनाना चाहिए। दूसरा, अधिप्राप्ति की नीतियों को और अधिक विकेंद्रित करना चाहिए जिसमें अधिप्राप्ति के एक भाग का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे प्रचालन तथा संचालन लागतों को कम करने में सहायता मिलेगी और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष अन्तरणों का संवितरण भी अधिक समान रूप से हो सकेगा।

सारणी 3.3
केंद्रीय सरकार के व्ययों में प्रवृत्तियां

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	पेंशन	सब्सिडियां	पूंजी व्यय	कुल व्यय
1990-91	12.93	3.78	0.38	2.14	5.59	18.52
1991-92	12.60	4.07	0.37	1.88	4.46	17.06
1992-93	13.76	4.61	0.45	1.78	4.44	18.20
1993-94	12.59	4.28	0.39	1.35	3.92	16.51
1994-95	12.06	4.35	0.36	1.17	3.81	15.87
1995-96	11.77	4.21	0.36	1.07	3.23	15.01
1996-97	11.62	4.35	0.37	1.13	3.08	14.69
1997-98	11.84	4.31	0.45	1.22	3.40	15.24
1998-99	12.43	4.47	0.58	1.36	3.61	16.04
1999-00	12.86	4.66	0.74	1.26	2.53	15.39
2000-01	13.30	4.75	0.69	1.28	2.29	15.58
2001-02	13.21	4.71	0.63	1.37	2.67	15.88
2002-03	13.75	4.77	0.59	1.76	3.02	16.77
2003-04 (सं.अ.)	13.09	4.49	0.55	1.61	4.02	17.11
औसत (1990-93) (क)	**13.09**	**4.15**	**0.40**	**1.93**	**4.83**	**17.92**
औसत (2000-03) (ख)	**13.42**	**4.74**	**0.64**	**1.47**	**2.66**	**16.08**
ख-क	**0.32**	**0.59**	**0.24**	**-0.46**	**-2.17**	**-1.85**

स्रोत (मूल आंकड़े): केंद्रीय बजट दस्तावेज

3.17 केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में उर्वरकों पर सब्सिडियों में कमी आई है लेकिन इनमें और अधिक कमी करना बेहतर होगा। विगत वर्षों में उर्वरक सब्सिडियों में कुछ सुधार हुए हैं। उर्वरकों पर सब्सिडियों में वृद्धि किसानों द्वारा उर्वरकों की खरीद के लिए प्रशासित मूल्यों के कारण और स्वदेशी यूरिया उर्वरकों के मामले में धारित मूल्य स्कीम के कारण हुई जिसने निवल मूल्य पर गारन्टीशुदा प्रतिलाभ की घोषणा की थी। सब्सिडियों की मात्रा उपभोक्ता मूल्य तथा धारिता मूल्य के बीच अन्तर और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। आयातित यूरिया उर्वरकों तथा किसानों को रियायतों सहित विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री के लिए भी सब्सिडियां उपलब्ध हैं। उर्वरक सब्सिडियां निविष्टि आधारित होती हैं और सब्सिडी के लाभ उन किसानों को और अधिक मिलते हैं जो उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और जिनके पास जल सहित उत्पादन के अन्य पूरक कारकों के लिए अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार, सब्सिडी के परिमाणों को नियंत्रित तथा लक्षित करना कठिन है। दूसरे, इनका जहां तक घरेलू उत्पादन से संबंध है, यह उत्पाद की अकार्य-कुशलताओं में भी सहायक होते हैं। एक ऐसे वैकल्पिक साधन को विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है जिससे सब्सिडी की मात्रा कम बनी रहे और इसके लाभों का लक्ष्य बेहतर बना रहे। जहां तक संभव हो सके वर्तमान प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है।

सारणी 3.4
केंद्र की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी प्रत्यक्ष सब्सिडियां

(प्रतिशत)

वर्ष	खाद्य	उर्वरक	अन्य	जोड़
1990-91	4.45	7.98	9.67	22.11
1991-92	4.32	7.85	6.39	18.56
1992-93	3.78	7.82	3.01	14.60
1993-94	7.31	6.02	1.99	15.31
1994-95	5.58	6.32	1.08	12.98
1995-96	4.88	6.12	0.50	11.50
1996-97	4.80	6.00	1.47	12.27
1997-98	5.90	7.41	0.54	13.85
1998-99	6.09	7.76	1.94	15.78
1999-00	5.20	7.30	1.00	13.49
2000-01	6.26	7.16	0.51	13.93
2001-02	8.69	6.26	0.55	15.50
2002-03	10.43	4.75	3.59	18.78
2003-04(सं.अ.)	9.58	4.48	2.93	17.00

स्रोत (मूल आंकड़े) केंद्र के बजट दस्तावेज

केंद्र : कुछ नए उपक्रम

3.18 केंद्र सरकार द्वारा हाल के वर्षों में किए गए अन्य उपक्रमों में तीन उपक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ये उपक्रम नब्बे के दशक के अन्त में महसूस की गई राजकोषीय विकृति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला, केंद्रीय सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएमए) अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार से अपेक्षा की गयी है कि वह राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए ताकि राजस्व घाटे को 2007-08 तक समाप्त किया जा सके और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में राजस्व अधिशेष का निर्माण हो सके। इसके लिए निर्धारित तारीख को वित्त अधिनियम, 2004 के माध्यम से संशोधित करके 31 मार्च, 2009 किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 तक राजकोषीय घाटे को कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना जरुरी है। एफआरबीएमए के अधिनियमन में एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की गयी है तथा सरकार को विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियां अपनाने पर बाध्य किया गया है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम और नियमों में विभिन्न राजकोषीय पैरामीटरों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कोई ढील न दी जाए। यह राज्यों के लिए भी एक उदाहरण होगा। दूसरे, केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए एक नयी पेंशन स्कीम को लागू करके पेंशन सुधारों का प्रयास किया है। हालांकि यह स्कीम आरम्भ में हो सकता है पेंशन के व्यय को बढ़ाए क्योंकि केंद्र सरकार को पेंशन कोष में अंशदान करना पड़ेगा, लेकिन अन्त में यह स्कीम लाभदायक सिद्ध होगी। तीसरे, केंद्र सरकार ने एक ऋण समापन स्कीम तैयार की है जिससे राज्य सरकारों के साथ-साथ कुछ सीमा तक केंद्रीय सरकार भी लाभान्वित होगी। राज्य सरकारें अपने उच्च लागत वाले ऋणों को कम लागत वाले बाजार उधारों के माध्यम से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने में समर्थ हुई हैं। इन अतिरिक्त वसूलियों से केंद्र सरकार अन्यों के साथ-साथ एनएसएसएफ को भी अपने कुछ उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने में सक्षम रही है।

3.19. केन्द्र के वित्त-साधनों में चल रही प्रवृत्तियों की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

1. केन्द्र का राजकोषीय घाटा नब्बे के दशक के मध्य में कुछ गिरने के बाद, वर्ष 2001-02 में 6.2 प्रतिशत था जो वर्ष 1990-91 के इसके स्तर से मामूली सा कम था। 2003-04 के संशोधित अनुमान और 2004-05 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजकोषीय घाटे में गिरावट देखी गई है।

2. सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व घाटे में भी इसी प्रकार का समय-चित्र दिखाई देता है। 4.4 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, यह 2004-05 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा। राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 2003-04 के सं.अ. तक जब यह 75.6 प्रतिशत हो गया क्रमिक रूप से कम हो रहा था।

3. हालांकि केन्द्र का सकल कर राजस्व 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.3 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2001-02 में 8.2 प्रतिशत हो गया, जो 2.1 प्रतिशतांक की गिरावट का द्योतक है, फिर भी अब इसमें सुधार शुरू हो गया है।

4. केन्द्रीय कर-राजस्व के संघटन का झुकाव क्रमिक रूप से निगम कर और आय-कर की ओर होता जा रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अभी भी कर-राजस्व का अकेला सबसे बड़ा स्रोत है जो केन्द्र के सकल कर-राजस्व के लगभग 36 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है।

5. व्यय पक्ष की ओर, समीक्षाधीन अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ब्याज-अदायगियों और पेंशनों में वृद्धि हुई और समायोजन का बोझ मुख्यतया पूंजीगत व्यय पर पड़ा जिसमें वर्ष 1990-93 के औसत स्तर की तुलना में वर्ष 2000-03 के दौरान लगभग 2.2 प्रतिशतांक की गिरावट हुई।

केन्द्रीय सरकार ने एफआरबीएमए को अधिनियमित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह जरूरी है कि अधिनियम और नियमों से संबंधित राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को संशोधित न किया जाए और केन्द्र राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करे।

राज्य के समग्र वित्त साधनों में प्रवृत्तियां

3.20 राज्य के वित्त साधनों में वर्ष 1986-87 तक उनके समग्र लेखों में कभी-कभार ही मामूली राजस्व घाटे दिखाई दे जाते थे। 1987-88 से समग्र स्तर पर राज्य के वित्त-साधन हमेशा ही राजस्व घाटा उठाते रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इस घाटे की मात्रा अब कई वर्षों से बढ़ती भी रही है जब एक के बाद दूसरा राज्य चाहे वह समृद्ध हो या निर्धन, छोटा या बड़ा, विशेष श्रेणी या सामान्य श्रेणी का राज्य हो, अधिकाधिक राजस्व घाटे के गर्त में फिसलते रहे। विशेष श्रेणी के केवल कुछ राज्यों ने राजस्व लेखे पर अधिशेष दिखाया, लेकिन ऐसा योजनागत सहायता के संघटन के परिणामस्वरूप हुआ जो नब्बे प्रतिशत अनुदानों के रूप में थी और जिसने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की। हालांकि यह सहायता पूंजीगत व्यय के प्रयोजनार्थ थी और किसी प्रकार की राजकोषीय स्थिति को इंगित नहीं करती थी।

3.21 जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 1997-98 से 2002-03 तक के छह वर्ष राज्य के वित्त साधनों के इतिहास में सबसे खराब रहे हैं। इस अवधि के पूर्वार्ध में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-बिल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई जब, जैसाकि इस रिपोर्ट में अन्यत्र भी बताया गया है, तीन वर्ष की अवधि में प्रति कर्मचारी औसत वेतन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यह वह समय भी था जब सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में केन्द्रीय अन्तरणों में गिरावट हुई और राज्य अधिकाधिक कर छूट देने की स्पर्धा में लगे थे जिससे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उनके अपने कर-राजस्व का स्तर कम हो रहा था।

3.22 अपने व्यय को कम करने में अक्षम होने पर एक ऐसे समय में, जब सांकेतिक ब्याज दरें चरम सीमा पर थीं, राज्य अपने राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधारों पर अधिकाधिक निर्भर होने लगे। जब राज्यों के वित्त-साधन अनेकानेक दबावों में पिस रहे थे, तब अर्थव्यवस्था, जैसाकि पूर्ववर्ती अध्याय में कहा गया है, में मन्दी आ गई जिससे नए दशक के पहले तीन वर्षों में कुछ सबसे कम वास्तविक और सांकेतिक वृद्धि दरें देखी गई। छह वर्ष की छोटी सी अवधि में महसूस किए गए इन परिवर्तनों का प्रभाव तत्काल और कमजोर करने वाला था। राज्यों के राजकोषीय इतिहास के किसी

भी छह-वर्षीय खण्ड में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 10 प्रतिशतांक से अधिक की वृद्धि नहीं हुई जैसीकि इस अवधि में हुई जब सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बकाया ऋण का अनुपात 1996-97 के 21 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 31 प्रतिशत हो गया। नीचे हमने 1993-03 की अवधि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, राज्यों में समग्र और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य के वित्त साधनों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है।

सभी राज्यः राजकोषीय असन्तुलन की रूपरेखा

3.23 हम राजकोषीय असन्तुलन के तीन संकेतकों को देखते हैं: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। सारणी 3.5 दर्शाती है कि राज्यों को एक-साथ लेने पर, 2000-03 और 1993-96 की औसतों की तुलना करने पर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 1.9 प्रतिशतांक अधिक था और राजकोषीय घाटा 1.5 प्रतिशतांक अधिक था। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्राथमिक घाटा 1999-00 में चरम स्तर तक जा पहुंचा लेकिन अब इसमें गिरावट देखी गई है। वस्तुतः 1999-00 में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.64 और 2.82 प्रतिशत की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। जैसाकि पहले कहा गया है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति बकाया ऋण 1996-97 के 21 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 31 प्रतिशत हो गया। 1990-93 की औसत की तुलना 2000-03 की औसत से करने पर यह वृद्धि 9.4 प्रतिशतांक दिखाई देती है।

सारणी 3.5

राज्य के समग्र वित्त-साधनः वैकल्पिक घाटा संकेतक

(स.घ.उ. का प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	ऋण/स.घ.उ.
1993-94	0.45	2.35	0.52	19.05	21.79
1994-95	0.69	2.72	0.79	25.55	21.40
1995-96	0.73	2.59	0.76	28.06	21.00
1996-97	1.31	2.77	0.90	47.37	21.00
1997-98	1.23	2.94	0.93	42.01	21.73
1998-99	2.61	4.31	2.24	60.48	23.02
1999-00	2.82	4.64	2.34	60.87	25.20
2000-01	2.61	4.16	1.69	62.60	27.42
2001-02	2.68	4.09	1.41	65.49	29.37
2002-03	2.29	3.94	1.14	58.09	31.15
औसत					
1993-96[क]	0.62	2.55	0.69	24.22	21.79
2000-03[ख]	2.53	4.07	1.41	62.06	31.15
[ख]-[क]	1.90	1.51	0.72	37.84	9.36

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.24. सभी राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रति उनके अपने कर-राजस्व का अनुपात 5.3 प्रतिशत से गिरकर 1998-99 में 4.9 प्रतिशत हो गया और यह 1999-00 में 5.1 प्रतिशत के स्तर पर था। 2000-01 में इसमें पर्याप्त सुधार हुआ क्योंकि अधिकतर राज्यों ने बिक्री कर में न्यूनतम नियत दरों को कार्यान्वित करने और विभिन्न छूटों को कम करने तथा उनका यौक्तिकीकरण करने पर सहमति जताई। 2002-03 में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने कर-राजस्व बेहतर होकर 5.5 प्रतिशत हो गए। 2000-03 की औसत की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर 0.17 प्रतिशतांक का सुधार दिखाई देता है। अपने कर-भिन्न राजस्व के मामले में, अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत से गिरकर 2001-02 में 1.2 प्रतिशत हो गए। 2000-03 की औसत की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर, राज्यों के अपने कर-भिन्न राजस्वों में 0.3 प्रतिशतांक की गिरावट दिखाई देती है।

3.25. समीक्षाधीन अवधि में, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वित्त आयोग के अन्तरण 1998-99 और 1999-2000 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत के स्तर पर निम्नतम थे। वित्त आयोग के अन्तरणों से इतर अन्तरणों के मामले में, यह गिरावट कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। 1993-94 में, वित्त आयोग के अन्तरणों से इतर अन्तरण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा थे। ये 1998-99 से बाद की अवधि में गिरकर 1.3 प्रतिशत से कम हो गए। 2000-03 की औसत की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर, केन्द्र से वित्त आयोग और वित्त आयोग से इतर अन्तरणों में लगभग

0.44 प्रतिशतांक की गिरावट दिखाई देती है। इन राजस्व प्रवाहों को समग्र रूप में लेने पर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां 1998-99 में 9.8 प्रतिशत के स्तर पर निम्नतम थीं। 1993-96 और 2000-03 की दोनों अवधियों की औसत की तुलना करने पर राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशतांक से कुछ कम की गिरावट दिखाई देती है।

सारणी 3.6
राज्यों के समग्र वित्त-साधनः मुख्य राजकोषीय संकेतक

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	अपने कर-राजस्व	अपने कर-भिन्न राजस्व	वित्त आयोग के अन्तरण	वित्त आयोग से इतर अन्तरण प्राप्तियां	कुल राजस्व
1993-94	5.30	1.59	3.05	2.02	11.96
1994-95	5.31	1.55	2.86	1.55	11.27
1995-96	5.20	1.51	2.90	1.30	10.91
1996-97	5.01	1.47	2.94	1.29	10.71
1997-98	5.14	1.43	2.90	1.33	10.80
1998-99	4.93	1.26	2.44	1.17	9.81
1999-00	5.09	1.38	2.50	1.29	10.26
2000-01	5.46	1.37	3.02	1.20	11.04
2001-02	5.32	1.19	2.84	1.28	10.63
2002-03	5.52	1.23	2.80	1.22	10.77
औसत					
1993-96[क]	5.27	1.55	2.94	1.62	11.38
2000-03[ख]	5.44	1.26	2.88	1.23	10.81
[ख]-[क]	0.17	-0.29	-0.05	-0.39	-0.57

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्य वित्त लेखा-विवरण

राज्य के समग्र वित्त-साधनः व्यय की प्रवृत्तियां

3.26 सारणी 3.6 में सभी राज्यों के राजस्व व्ययों की मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं जिनमें ब्याज अदायगियों और पेंशनों के साथ-साथ आयोजना एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्ययों के समग्र जोड़ पर ध्यान दिया गया है। राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों के विपरीत, व्यय की लगभग सभी श्रेणियों में समीक्षाधीन अवधि में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देती है। ये वृद्धियां विशेष रूप से ब्याज अदायगियों और पेंशनों के मामले में अधिक स्पष्ट हैं। जहां तक ब्याज अदायगियों का संबंध है, ये 1993-94 के लगभग 1.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 2.8 प्रतिशत हो गई जो 10 वर्ष की अवधि में 1 प्रतिशतांक की वृद्धि दर्शाता है। पेंशनों के मामले में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में पेंशनें 0.6 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करती थीं। ये बढ़कर 2002-03 में 1.24 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। व्यय के ये दोनों शीर्ष अन्तरण अदायगियों से द्योतक हैं। इस रूप में ये वृद्धि होने पर, अपेक्षित समायोजनों के कारण योजनागत राजस्व व्यय में गिरावट हुई जो 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत के स्तर पर थी। 2002-03 तक यह गिरकर 1.8 प्रतिशत के स्तर तक आ गई थी।

3.27. ब्याज अदायगियों और पेंशनों के कारण ही कुल राजस्व व्यय 1993-94 के 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 13 प्रतिशत हो गया। 1993-96 और 2000-03 की अवधि की औसत की तुलना करने पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशतांक की वृद्धि दिखाई देती है। समग्र तौर पर, सभी राज्यों का कुल राजस्व व्यय 1995-96 में सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत के स्तर पर अपने निम्नतम स्तर पर था। इसके बाद, यह निरन्तर बढ़ता हुआ 2000-01 में 13.7 प्रतिशत के स्तर तक जा पहुंचा, जिसके बाद यह कम होकर 2002-03 में 13.1 प्रतिशत हो गया। 1998-2001 के दौरान हुई वृद्धि, वेतनों और पेंशनों में बड़ी वृद्धियों जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करने के परिणामस्वरूप हुई, के कारण हुई थी। समग्र राजस्व व्यय की परिधि के भीतर, योजना-भिन्न घटक 1995-96 के 9.6 प्रतिशत से निरन्तर बढ़ता हुआ 2000-01 में 11.7 प्रतिशत हो गया, जिसके बाद यह कम होना शुरू हो गया है।

सारणी 3.7
राज्यों के समग्र वित्त-साधनः व्यय संकेतक

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	ब्याज अदायगियां	पेंशन	आयोजनागत राजस्व व्यय	आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
1993-94	12.41	1.82	0.61	2.22	10.19
1994-95	11.96	1.92	0.63	2.06	9.91
1995-96	11.63	1.83	0.66	2.01	9.63
1996-97	12.02	1.87	0.72	2.10	9.93
1997-98	12.03	2.01	0.77	1.93	10.10
1998-99	12.41	2.07	0.93	1.99	10.43
1999-00	13.08	2.30	1.16	1.87	11.21
2000-01	13.65	2.48	1.24	1.91	11.74
2001-02	13.31	2.68	1.26	1.85	11.46
2002-03	13.06	2.80	1.24	1.81	11.24
औसत					
1993-96[क]	12.00	1.86	0.63	2.09	9.91
2000-03[ख]	13.34	2.65	1.25	1.86	11.48
[ख]-[क]	1.34	0.79	0.62	-0.24	1.57

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.28. जिन कारकों ने राज्य के वित्त-साधनों को कमजोर करने में भूमिका निभाई है, उनमें आर्थिक राज सहायता (सब्सिडी) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक राज सहायता का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष आर्थिक राज-सहायता तब उपजती हैं जब सेवाओं को ऐसी कीमतों पर मुहैया कराया जाता है जो लागत को वसूल नहीं करतीं। निम्न प्रयोक्ता प्रभार सामान्य सी बात रहे हैं। विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र को दी जा रही बजटीय सहायता राज्यों में, जहां इस प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष आर्थिक राजसहायता का प्रावधान बजटों में किया जाता है, यह धन के निर्गम का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन, अनेक राज्य आर्थिक राज-सहायता प्रदान नहीं करते, भले ही बिजली बोर्ड घाटा उठा रहे हों। दसवीं योजना दस्तावेज के अनुसार राज्य सरकारों से विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सहायता के, 2003-04 में वाणिज्यिक हानियों के 32.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इन घाटों को कम करने के लक्ष्यों से विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधार राज्य के वित्त साधनों को सुधारने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होंगे।

3.29. 2000-03 की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर राज्य के समग्र वित्त साधनों से संबंधित मुख्य प्रवृत्तियों को निम्नानुसार सारबद्ध किया जा सकता हैः

1. राज्यों का राजस्व घाटा 1993-96 के सकल घरेलू उत्पाद के 0.62 प्रतिशत से बढ़कर 2000-03 में 2.53 प्रतिशत हो गया जो 1.9 प्रतिशतांक की वृद्धि का द्योतक है।
2. राज्यों का राजकोषीय घाटा 1993-96 के दौरान 2.55 प्रतिशत से बढ़कर औसतन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत हो गया जो लगभग 1.5 प्रतिशतांक की वृद्धि का द्योतक है।
3. 1996-97 से 2002-03 तक की अवधि में राज्यों के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में स.घ.उ. के 10 प्रतिशतांक की जबर्दस्त वृद्धि हुई, जो 1996-97 के सकल घरेलू उत्पाद के 21 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 31.2 प्रतिशत हो गया।
4. राज्यों के अपने कर राजस्व 1993-96 के दौरान औसतन स.घ.उ. के 5.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2000-03 के दौरान 5.5 प्रतिशत हो गए। लेकिन इसी अवधि में अपने कर-भिन्न राजस्व में तथा स.घ.उ. की तुलना में केन्द्रीय अन्तरण में भी गिरावट हुई। अन्तरणों में हुई यह गिरावट मुख्यतया वित्त आयोग से इतर अन्तरणों के कारण हुई थी।
5. व्यय पक्ष में ब्याज अदायगियों और पेंशनों में वृद्धि हुई। ब्याज अदायगियों के मामले में, यह वृद्धि 0.79 प्रतिशतांक थी जो 1993-96 के 1.86 से बढ़कर 2000-03 के दौरान 2.65 हो गई। वस्तुतः यदि केवल अंतिम वर्ष 1993-94 और 2002-03 की तुलना की जाए तो यह वृद्धि स्पष्टतया स.घ.उ. का एक प्रतिशतांक है। समीक्षाधीन दोनों अवधियों की तुलना करने पर पेंशनों में 0.62 प्रतिशतांक की वृद्धि दिखाई देती है।

राज्य के वित्त साधनः एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

3.30 इस खण्ड में हम अलग-अलग राज्यों के सापेक्ष कार्य निष्पादन को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। इस प्रयोजन के लिए हमने निम्नलिखित परिवर्तनीय कारकों पर ध्यान केन्द्रित किया हैः अपने कर-राजस्व, राजस्व और पूंजी व्यय, ब्याज-अदायगियां और पेंशनें, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे और बकाया देयताएं। 1993-96 और 2000-03 को दो तीन-वर्षीय अवधियों की औसतों की तुलनाएं की गई हैं। सभी परिवर्तनीय कारकों को राज्यों के संबंधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लिया गया है। ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (एससीएस) को छोड़कर अन्य राज्यों को सामान्य श्रेणी के राज्य (जीसीएस) कहा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को संपूर्ण अवधि में तुलना के प्रयोजन से अविभाजित राज्यों के रूप में ही माना गया है।

राज्यकोषीय असन्तुलन की रूपरेखाः अन्तर्राज्यीय तुलना

3.31 जैसाकि पहले कहा जा चुका है, राज्यों का समग्र राजस्व लेखा 1987-88 में घाटे में चला गया। नब्बे के दशक के दौरान, कुछ राज्य अभी भी राजस्व अधिशेष की स्थिति में थे। सामान्य श्रेणी के राज्यों में, आंध्र प्रदेश 1994-95 में राजस्व घाटे की स्थिति में चला गया, गुजरात और हरियाणा 1995-96 में और गोआ भी जो आय के पैमाने पर शीर्ष पर था, 1997-98 में राजस्व घाटे की स्थिति में चला गया। जैसाकि सारणी 3.8 में दिखाया गया है, 1993-96 के दौरान औसतन सर्वाधिक राजस्व घाटा उड़ीसा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत के स्तर पर था जिसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान था। इन राज्यों के घाटों में निरन्तर वृद्धि होती रही। 2000-03 की अवधि में, सामान्य श्रेणी का कोई राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति में नहीं था। उनके राजस्व घाटों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक थी और उनकी सापेक्ष स्थिति भी बदल गई थी। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिकतम राजस्व घाटा 5.5 प्रतिशत के स्तर पर पश्चिम बंगाल का था जिसके बाद पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान की स्थान था। विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम अधिशेष की स्थिति में बने रहे। 1993-96 की औसत से 2000-03 की औसत की तुलना करने पर सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में हुई गिरावट सामान्य श्रेणी के राज्यों के "सभी राज्य" के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.33 प्रतिशतांक थी।

3.32 1993-94 और 2000-03 की अवधियों की औसत के बीच का अन्तर दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के प्रति राजस्व घाटे में सर्वाधिक गिरावट पश्चिम बंगाल में हुई जिसके बाद उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब का स्थान था। इस प्रकार राजस्व घाटा पंजाब जैसे उच्च आय वाले राज्यों, पश्चिम बंगाल जैसे मध्य आय वाले राज्यों और उड़ीसा जैसे निम्न आय वाले राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक हो गया। वस्तुतः इस अवधि में जिन राज्यों ने कोई स्पष्ट गिरावट नहीं दिखाई वे थे बिहार जहां राजस्व घाटे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के केवल 0.04 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई और हरियाणा जहां 0.56 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई।

3.33 सारणी 3.8 में दिखाया गया है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों में राजकोषीय घाटा 1993-96 के दौरान उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पष्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मामले में अधिकतम था। 2000-03 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा सर्वाधिक राजकोषीय घाटे वाला राज्य बन गया था जिसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का स्थान था। इन दोनों अवधियों में औसत गिरावट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुई जिसके बाद गुजरात और उड़ीसा का स्थान है।

ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातः राज्यों की तुलनात्मक स्थिति

3.34 जैसाकि सारणी 3.9 में दिखाया गया है, सभी राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में, बकाया देयताओं में लगभग 12 प्रतिशतांक तक की वृद्धि हो गई जब 1993-96 की 24.86 प्रतिशत की औसत से बढ़कर यह 2000-03 में 36.7 प्रतिशत की औसत पर आ गई। सामान्य श्रेणी के राज्यों में 2000-03 के दौरान उड़ीसा का 63.7 प्रतिशत के स्तर पर अधिकतम ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात था, जिसके बाद 47 प्रतिशत पर उत्तर प्रदेश, 46.7 प्रतिशत पर पंजाब, 44.9 प्रतिशत पर राजस्थान और 42.7 प्रतिशत पर पश्चिम बंगाल का स्थान था। समीक्षाधीन अवधि में अधिकतम गिरावट 27.5 प्रतिशतांक पर उड़ीसा की थी जिसके बाद 19.5 प्रतिशतांक पर पश्चिम बंगाल, 16.9 प्रतिशतांक पर गुजरात और 16.6 प्रतिशतांक पर राजस्थान का स्थान था।

सारणी 3.8

राज्यों का तुलनात्मक कार्य-निष्पादनः राजस्व और राजकोषीय घाटे

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	राजस्व लेखा [घाटा (-)]			राजकोषीय लेखा [घाटा (-)]		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
अरुणाचल प्रदेश	24.28	1.76	-22.51	1.48	-12.70	-14.18
असम	-0.01	-1.90	-1.88	-2.38	-3.73	-1.34
हिमाचल प्रदेश	-1.56	-7.28	-5.72	-6.70	-11.41	-4.71
जम्मू और कश्मीर	4.56	-1.82	-6.38	-3.85	-8.28	-4.44
मणिपुर	6.07	-2.46	-8.53	-3.02	-6.06	-3.04
मेघालय	3.32	0.84	-2.48	-3.20	-5.28	-2.08
मिज़ोरम	7.53	-9.07	-16.60	-5.82	-17.79	-11.96
नागालैण्ड	-0.19	-2.12	-1.93	-5.26	-7.97	-2.71

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	राजस्व लेखा [घाटा (-)]			राजकोषीय लेखा [घाटा (-)]		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
सिक्किम	8.10	11.30	3.20	-8.26	-3.42	4.84
त्रिपुरा	2.57	-0.61	-3.18	-4.04	-7.20	-3.15
जोड़ : विशेष श्रेणी के राज्य	**1.96**	**-2.53**	**-4.49**	**-3.64**	**-7.04**	**-3.40**
आंध्र प्रदेश	-0.51	-2.03	-1.51	-3.16	-4.57	-1.41
बिहार	-1.83	-1.87	-0.04	-2.85	-4.52	-1.67
गोआ	1.44	-2.44	-3.89	-2.30	-4.68	-2.38
गुजरात	0.10	-4.66	-4.75	-1.82	-5.74	-3.93
हरियाणा	-0.75	-1.32	-0.56	-2.50	-3.69	-1.19
कर्नाटक	-0.07	-2.21	-2.15	-2.71	-4.37	-1.65
केरल	-1.18	-4.17	-2.99	-3.32	-5.13	-1.81
मध्य प्रदेश	-0.61	-2.05	-1.44	-2.16	-3.94	-1.78
महाराष्ट्र	-0.09	-3.09	-3.00	-2.16	-4.12	-1.96
उड़ीसा	-2.00	-4.91	-2.91	-4.63	-7.84	-3.21
पंजाब	-1.88	-4.53	-2.66	-4.37	-6.14	-1.77
राजस्थान	-1.09	-3.87	-2.78	-4.51	-6.05	-1.54
तमिलनाडु	-0.71	-2.50	-1.78	-1.99	-3.75	-1.77
उत्तर प्रदेश	-1.77	-2.98	-1.21	-4.04	-5.07	-1.03
पश्चिम बंगाल	-1.53	-5.47	-3.95	-3.18	-7.31	-4.13
जोड़ : सामान्य श्रेणी के राज्य	**-0.86**	**-3.19**	**-2.33**	**-2.93**	**-4.97**	**-2.04**
सभी राज्य	**-0.72**	**-3.15**	**-2.43**	**-2.96**	**-5.08**	**-2.12**

स्रोत (मूल आंकड़े) : राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.35 विशेष श्रेणी के राज्यों का 1993-96 के दौरान उच्च ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात था जिसमें जम्मू और कश्मीर का अनुपात 58 प्रतिशत के स्तर पर अधिकतम था जिसके बाद 53.7 प्रतिशत के स्तर पर सिक्किम का स्थान था। 1990 के दशक के अंतिम चरण में इन अनुपातों में तेजी से वृद्धि भी हुई। 2000-03 के दौरान मिजोरम का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 85 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक था और इसके बाद 63.2 प्रतिशत के साथ सिक्किम, 61.8 प्रतिशत के साथ हिमाचल प्रदेश तथा 56 प्रतिशत के साथ जम्मू और कश्मीर तथा 54.8 प्रतिशत के साथ अरुणाचल प्रदेश का स्थान था। समीक्षाधीन अवधि की औसतों को तुलना करें तो सर्वाधिक गिरावट मिजोरम के मामले में आई जो उसके जीएसडीपी का 32.3 प्रतिशतांक थी और इसके पश्चात अपने जीएसडीपी के सापेक्ष में 19.8 प्रतिशतांक के साथ हिमाचल प्रदेश तथा 18.3 प्रतिशतांक के साथ अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा।

सारणी 3.9
जीएसडीपी के सापेक्ष में बकाया ऋणः राज्यवार स्थिति

(प्रतिशत)

राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**कालम[ख-क]**
अरुणाचल प्रदेश	36.48	54.82	18.34
असम	31.40	34.75	3.35
हिमाचल प्रदेश	41.95	61.79	19.84
जम्मू और कश्मीर	58.01	55.99	-2.02
मणिपुर	38.16	47.88	9.72
मेघालय	24.12	38.68	14.56
मिज़ोरम	53.05	85.29	32.25
नागालैण्ड	42.71	49.91	7.20
सिक्किम	53.65	63.24	9.59
त्रिपुरा	38.77	38.11	-0.67
जोड़ : विशेष श्रेणी के राज्य	**39.68**	**47.17**	**7.48**
आंध्र प्रदेश	21.86	29.93	8.07
बिहार	36.80	44.35	7.55
गोआ	41.64	33.54	-8.10
गुजरात	21.07	37.92	16.85
हरियाणा	19.85	28.02	8.17
कर्नाटक	19.62	27.27	7.65
केरल	27.27	37.58	10.32
मध्य प्रदेश	19.95	30.42	10.47
महाराष्ट्र	15.63	27.11	11.48
उड़ीसा	36.21	63.68	27.47
पंजाब	34.55	46.66	12.10
राजस्थान	28.28	44.88	16.60
तमिलनाडु	18.87	26.16	7.29
उत्तर प्रदेश	33.94	46.94	13.00
पश्चिम बंगाल	23.26	42.73	19.47
जोड़ : सामान्य श्रेणी के राज्य	**24.12**	**36.06**	**11.94**
सभी राज्य	**24.86**	**36.65**	**11.79**

स्रोत (मूल आंकड़े) : राज्य वित्त लेखा-विवरण

राज्यों का तुलनात्मक निष्पादनःराज्यों के अपने कर राजस्व

3.36 राज्यों की हताशा भरी वित्तीय स्थिति में एक मात्र सकारात्मक विशेषता राज्यों द्वारा अपने कर संबंधी प्रयासों का निष्पादन है। सारणी 3.10 दर्शाती है कि 1993-96 तथा 2000-03 की दो अवधियों के औसतों को देखते हुए विशेष श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी वाले राज्यों तथा केवल कुछ को छोड़कर सभी अलग-अलग राज्यों के कर-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। समीक्षाधीन अवधि-औसतों के दौरान सभी राज्यों के जीएसडीपी के सापेक्ष में सभी राज्यों में उनके अपने अपने समूह जीएसडीपी की तुलना में कुल 0.67 प्रतिशतांक की वृद्धि, विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 0.66 प्रतिशतांक तथा सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 0.69 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। अलग-अलग राज्यों के संदर्भ में जहां उनके 2000-03 के औसतों के संबंध में उनके कर जीडीपी अनुपात में गिरावट आई, केवल गोआ, कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल ही अपवाद है जिनमें पहले तीन राज्यों में स्थिति उच्च से कम-उच्च स्तर पर आई वहीं पश्चिम बंगाल में 1993-96 की अवधि में भी निम्न कर - जीएसडीपी अनुपात रहा। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अंतर्गत केवल मणिपुर ने कर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्शाई है।

सारणी 3.10

राज्यों के अपने कर राजस्व (ओटीआर):
राज्यों का तुलनात्मक निष्पादन

	औसत ओटीआर/जीएसडीपी (%)			आधिक्य
राज्य	1993-96 [क]	2000-03 [ख]	[ख-क]	1993-03
अरुणाचल प्रदेश	0.55	1.47	0.91	2.543
असम	3.69	4.58	0.90	1.326
हिमाचल प्रदेश	4.87	5.08	0.21	1.043
जम्मू और कश्मीर	3.11	4.51	1.40	1.443
मणिपुर	1.44	1.21	-0.23	0.842
मेघालय	3.02	3.26	0.23	1.089
मिज़ोरम	0.59	0.97	0.38	1.608
नागालैण्ड	1.18	1.19	0.01	0.980
सिक्किम	3.44	4.58	1.15	1.303
त्रिपुरा	1.95	2.19	0.24	1.105
जोड़ : विशेष श्रेणी राज्य	**3.30**	**3.96**	**0.66**	**1.226**
आंध्र प्रदेश	5.90	7.30	1.40	1.271
बिहार	3.71	4.46	0.75	1.290
गोआ	7.91	6.46	-1.45	0.806
गुजरात	7.51	7.71	0.20	1.010
हरियाणा	7.22	8.30	1.09	1.205
कर्नाटक	8.53	8.33	-0.19	0.969
केरल	8.45	8.11	-0.34	0.946
मध्य प्रदेश	4.91	6.45	1.53	1.452
महाराष्ट्र	6.64	7.76	1.12	1.221
उड़ीसा	3.93	5.81	1.87	1.639
पंजाब	6.88	7.13	0.25	1.061
राजस्थान	5.50	6.48	0.98	1.231
तमिलनाडु	8.40	9.00	0.60	1.110
उत्तर प्रदेश	4.76	5.88	1.12	1.318
पश्चिम बंगाल	5.46	4.26	-1.20	0.690
जोड़ : सामान्य श्रेणी राज्य	**6.26**	**6.95**	**0.69**	**1.143**
सभी राज्य	**6.12**	**6.79**	**0.67**	**1.141**

स्रोत (मूल आंकड़े) : राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.37 वर्ष 2000-03 के दौरान, कर जीएसडीपी के अनुपात के संदर्भ में तमिलनाडु का अनुपात सर्वाधिक रहा जो जीएसडीपी के 9 प्रतिशत के स्तर पर था। इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के राज्यों में पश्चिम बंगाल का कर जीएसडीपी अनुपात 4.26 प्रतिशत के रूप में निम्नतम स्तर पर था। असम के साथ-साथ, सामान्य श्रेणी के राज्यों से संबंधित कर जीएसडीपी अनुपात को चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। राज्यों को प्रति व्यक्ति तुलनीय जीएसडीपी के (1999-2002 का औसत) आरोही क्रम में दर्शाया गया है। लघुगणकीय प्रवृत्ति रेखा को भी दर्शाया गया है। यह प्रतिमान सकारात्मक संबंध को दर्शाता है और यदि उच्चतर आय के मामले में पंजाब और गोआ, मध्य क्रम में पश्चिम बंगाल तथा प्रति व्यक्ति निम्न कर जीएसडीपी के संदर्भ में असम और बिहार के अपवाद को छोड़ दें तो यह प्रतिमान और भी बेहतर हो सकता था। कर जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में इन राज्यों ने अपने पड़ोसी राज्यों द्वारा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी स्तर के संबंध में स्थापित स्तर से कम निष्पादन दर्शाया है।

3.38 सारणी 3.10 के अंतर्गत, राज्यों के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संदर्भ में उनके अपने कर-राजस्वों के आधिक्य को दर्शाया गया है जो प्रति व्यक्ति तुलनात्मक जीएसडीपी में एक प्रतिशत के परिवर्तन के बाद उनके अपने राजस्वों में वृद्धि की मात्रा को इंगित करता है जिसके लिए प्रति व्यक्ति तुलनीय जीएसडीपी को कर आधार का वृहद् संकेतक माना गया है। कर आधिक्य का यह अनुमान 1993-2003 की अवधि के लिए है। यदि निम्न कर-डीएसडीपी अनुपात वाले राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होती है तो धीरे-धीरे उनके कर-जीएसडीपी अनुपात में भी सुधार होगा। यदि कर में वृद्धि 1 से कम है, तो कर-जीएसडीपी अनुपात धीरे-धीरे कम हो जाएगा। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के स्तरों हेतु समायोजन किया जाए तो यह वांछनीय होगा कि चार्ट के नीचे वाले हिस्से में दिए गए राज्य उच्च कर आधिक्य दर्शाएं। इस संदर्भ में, निम्न श्रेणी से लेकर मध्य श्रेणियों वाले राज्य, केवल पश्चिम बंगाल के अपवाद को छोड़कर, एक बेहतर तस्वीर दर्शाते हैं।

चित्र 3.2

जीएसडीपी (2000-03) के सापेक्ष में राज्यों के अपने कर-राजस्व

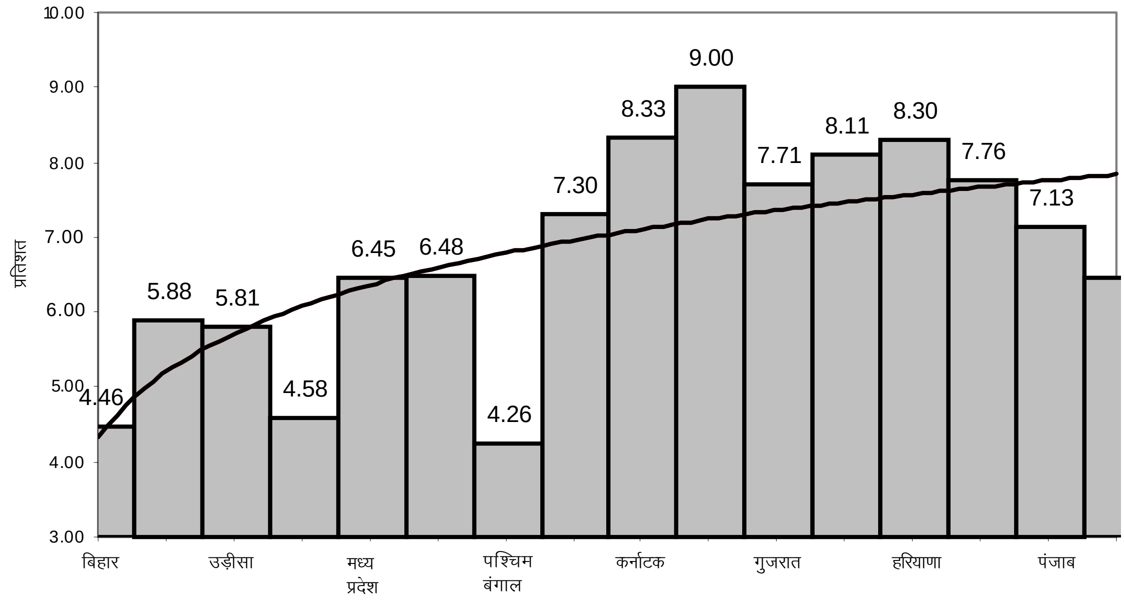

राज्य (प्रति व्यक्ति जीएसडीपी-औसत - 1999-2002 के आरोही क्रम में)

राज्यों का तुलनात्मक निष्पादनः व्यय

3.39 जीएसडीपी स्तरों की तुलना में राजस्व व्यय के संदर्भ में 1993-96 तथा 2000-03 की दो अवधियों के औसत की तुलना करें तो सारणी 3.11 सामान्य वृद्धि की प्रवृति दर्शाती है। तथापि, पूंजीगत व्यय का समनुरूप अनुपात विपरीत दिशा में परिवर्तन दर्शाता है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों (एससीएस) के लिए दो अवधि वाले औसतों के बीच 1.4 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई है। सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में जीएसडीपी की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि गुजरात (5.9 प्रतिशत) तथा उड़ीसा (5.7 प्रतिशत) के संबंध में हुई है। सबसे कम वृद्धि गोआ (0.1 प्रतिशत) तथा हरियाणा (0.4 प्रतिशत) राज्यों में हुई है। जीएसडीपी की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण उक्त अवधि के दौरान वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ बढ़ता हुआ ऋण-शोधन भार भी है।

सारणी 3.11

राज्यः व्यय में तुलनात्मक प्रवृत्तियां

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	राजस्व व्यय			पूंजी व्यय		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
आंध्र प्रदेश	13.47	15.56	2.08	3.87	2.93	-0.94
बिहार	16.50	18.11	1.60	1.04	2.67	1.63
गोआ	17.11	17.25	0.13	3.86	2.33	-1.54
गुजरात	12.52	18.37	5.85	2.37	2.43	0.06
हरियाणा	13.06	13.45	0.39	2.33	2.52	0.18
कर्नाटक	13.96	15.33	1.36	3.08	2.44	-0.64
केरल	14.93	16.11	1.18	2.23	1.07	-1.16
मध्य प्रदेश	13.29	16.74	3.45	1.90	2.37	0.47
महाराष्ट्र	10.68	14.10	3.42	2.56	1.47	-1.09
उड़ीसा	16.49	22.22	5.74	2.83	3.23	0.40

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	राजस्व व्यय			पूंजी व्यय		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
पंजाब	12.75	15.33	2.59	2.65	2.11	-0.54
राजस्थान	15.43	18.06	2.63	3.89	2.30	-1.59
तमिलनाडु	13.95	15.60	1.66	1.85	1.51	-0.34
उत्तर प्रदेश	14.28	16.78	2.50	2.63	2.23	-0.40
पश्चिम बंगाल	11.80	15.02	3.23	1.78	1.94	0.16
सामान्य श्रेणी	**13.33**	**16.05**	**2.72**	**2.51**	**2.12**	**-0.38**
विशेष श्रेणी	**26.27**	**27.66**	**1.40**	**5.71**	**4.69**	**-1.03**
सभी राज्य	**13.94**	**16.67**	**2.72**	**2.66**	**2.26**	**-0.40**

स्रोतः राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.40 जीएसडीपी की तुलना में राजस्व व्यय के स्तरों को देखें तो 2000-03 के औसत दर्शाते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य समूह का अनुपात सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के अनुपात से 10 प्रतिशतांक अधिक है। इस समूह में, उड़ीसा का अनुपात अपवादिक रूप से 22.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है। निचले स्तर पर हरियाणा का अनुपात 13.5 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र का अनुपात 14.1 प्रतिशत है और केवल यही दो राज्य ऐसे हैं जिनका अनुपात 15 प्रतिशत से कम है।

3.41 आशा के अनुरूप, राजस्व व्यय में वृद्धि होने से पूंजी व्यय में गिरावट आई जिसमें विशेष श्रेणी के राज्यों ने जीएसडीपी अनुपात की तुलना में वर्ष 1993-96 और 2000-03 के बीच समूह प्रति समूह तुलना करने पर पूंजी व्यय में भारी मात्रा में कटौती प्रदर्शित की। जीसी एस वर्ग में वर्ष 2000-03 में उड़ीसा का पूंजी व्यय 3.2 प्रतिशत के स्तर पर उच्चतम स्तर पर और केरल का 1.1 प्रतिशत के स्तर पर निम्नतम था।

3.42 सारणी 3.12 में दो अन्य प्रमुख अनुपातों यथा कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों तथा जीएसडीपी के सामेक्ष पेंशन व्ययों के लिए आलोच्य अवधि के दौरान दो अवधियों के औसत की तुलनाएं दिखायी गई हैं। ऋण-भिन्न संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में अनेक राज्यों को वर्ष 1997-2000 के दौरान बढ़े हुए संशोधित वेतनमानों और पेंशनों के वित्तपोषण के लिए और अधिक मात्रा में उधारों पर निर्भर रहना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप टीआरआर (कुल राजस्व प्राप्तियों) अनुपात की तुलना में ब्याज अदायगियों के कारण इन राज्यों का ऋणशोधन भार अवहनीय स्तर तक बढ़ गया। विशेष श्रेणी वाले राज्य समूह के अंतर्गत, वर्ष 2000-03 के दौरान हिमाचल प्रदेश का आईपी-टीआरआर अनुपात 28.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर रहा। इस राज्य ने वर्ष 1993-96 की अवधि के दौरान इस अनुपात के अंतर्गत 12.9 प्रतिशतांक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। ऋणशोधन भार में वृद्धि के कारण विशेष श्रेणी वाले राज्यों की तुलना सामान्य में समाप्त श्रेणी वाले राज्य अधिक प्रभावित हुए हैं। वर्ष 1993-96 की अवधि की तुलना में 2000-03 के दौरान 24.00 प्रतिशतांक के साथ पश्चिम बंगाल ने आईपी-टीआरआर अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-03 के दौरान इसका 44.3 प्रतिशत आईपी-टीआरआर अनुपात सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इसके पश्चात् 38.5 प्रतिशत अनुपात के साथ पंजाब का स्थान है। नब्बे के दशक के दौरान इस राज्य के अनुपात का उच्च स्तर पर बने रहना इस तथ्य से प्रतिबिम्बित होता है कि 1993-96 के दौरान इसका आईपी-टीआरआर अनुपात 32.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। इन दो अवधियों के दौरान उड़ीसा तथा राजस्थान ने भी अपने आईपी-टीआरआर अनुपातों में क्रमशः 13.5 तथा 13.2 प्रतिशतांक की बड़ी वृद्धि दर्शाई है। 2000-03 के दौरान, कर्नाटक, अविभाजित मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु ने आईपी-टीआरआर के लगभग 18 प्रतिशत वाले कम स्तरों का प्रदर्शन किया है।

सारणी 3.12
राज्य व्यय प्रवृत्तियां : तुलनात्मक रुपरेखा

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	ब्याज अदायगी/टीआरआर			पेंशन व्यय/जीएसडीपी		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
आंध्र प्रदेश	14.07	22.37	8.30	1.01	1.49	0.48
बिहार	21.78	24.92	3.14	1.01	2.82	1.82
गोआ	14.21	19.50	5.29	0.55	1.28	0.74

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	ब्याज अदायगी/टीआरआर			पेंशन व्यय/जीएसडीपी		
राज्य	1993-96[क]	2000-03[ख]	[ख-क]	1993-96[ग]	2000-03[घ]	[घ-क]
गुजरात	15.18	24.59	9.41	0.60	1.25	0.65
हरियाणा	15.26	23.35	8.09	0.54	1.10	0.56
कर्नाटक	12.08	18.07	6.00	0.92	1.42	0.50
केरल	17.61	27.34	9.73	1.72	2.57	0.85
मध्य प्रदेश	13.34	18.36	5.02	0.67	1.17	0.50
महाराष्ट्र	11.93	20.75	8.82	0.36	0.88	0.52
उड़ीसा	22.39	35.85	13.46	0.68	2.21	1.53
पंजाब	32.13	38.51	6.38	0.64	1.62	0.98
राजस्थान	17.38	30.57	13.19	0.73	1.91	1.18
तमिलनाडु	11.98	18.61	6.63	0.93	2.11	1.19
उत्तर प्रदेश	22.30	28.27	5.97	0.54	1.21	0.67
पश्चिम बंगाल	20.34	44.33	23.98	0.61	1.44	0.83
सामान्य श्रेणी	**16.70**	**25.40**	**8.70**	**0.72**	**1.51**	**0.80**
विशेष श्रेणी	**13.41**	**16.98**	**3.57**	**1.11**	**2.39**	**1.28**
सभी राज्य	**16.37**	**24.57**	**8.20**	**0.73**	**1.56**	**0.83**

स्रोतः राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.43 वेतनमानों में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, पेंशन संबंधी देयताओं में अभूतपूर्व वृद्धि, जिसे सारणी 3.12 में दर्शाया गया है, से पता चलता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2000-03 के दौरान देयताएं सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 1993-96 की अवधि के समनुरूप औसत से 1.28 प्रतिशत अधिक थी तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में ये देयताएं 0.8 प्रतिशत अधिक थीं। 2000-03 के दौरान, सभी राज्यों में जीएसडीपी के सापेक्ष में पेंशन व्यय 1 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक के विभिन्न स्तर पर रहा। सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में जीएसडीपी की तुलना में पेंशन के अनुपात में प्रतिशतांक वृद्धि की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि अविभाजित बिहार (1.82), उड़ीसा (1.53) राजस्थान (1.18) तथा तमिलनाडु (1.19) में हुई।

3.44 संक्षेप में, वेतन और पेंशन संशोधनों तथा अन्य वृहत आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव का सामना किए जाने वाली अवधि के दौरान राज्यों के तुलनात्मक निष्पादन का मूल्यांकन करने के संदर्भ में 1993-96 और 2000-03 की अवधियों के औसतों की तुलना करने पर कुछ प्रमुख विशेषताएं जिन पर प्रकाश डाला जा सकता है, निम्नलिखित हैः

1. जीएसडीपी अनुपात की तुलना में राजस्व घाटे में सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में तथा उसके पश्चात उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब में दिखाई दी। बिहार ने न्यूनतम गिरावट दर्शाई। राजकोषीय घाटे के मामले में भी, सर्वाधिक गिरावट पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के मामले में हुई। राज्यों की सूची यह दर्शाती है कि इस गिरावट के लिए केवल जीएसडीपी का स्तर ही जिम्मेदार नहीं था बल्कि राजकोषीय प्रबंधन के अन्य पक्ष भी महत्वपूर्ण थे।

2. 2000-03 के दौरान, सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में, उड़ीसा का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 63.7 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक था और इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश (47 प्रतिशत), पंजाब (46.7 प्रतिशत), राजस्थान (44.9 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (42.7 प्रतिशत) का स्थान था।

3. 2000-03 के दौरान, सर्वाधिक कर-जीएसडीपी अनुपात तमिलनाडु का था जो कि जीएसडीपी का 9 प्रतिशत था तथा न्यूनतम अनुपात पश्चिम बंगाल का था जो जीएसडीपी का 4.26 प्रतिशत था। हालांकि, जीएसडीपी का स्तर कर-जीएसडीपी अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है लेकिन यदि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को निर्धारक तत्व माना जाए तो उच्च आय वर्ग में गोआ तथा पंजाब, मध्य आय श्रेणी में पश्चिम बंगाल तथा निम्न आय श्रेणी में असम और बिहार उम्मीद से निम्नतर निष्पादन प्रदर्शित करते हैं।

4. जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व व्यय के संदर्भ में दो अवधियों के औसत की तुलना करने पर सर्वाधिक वृद्धि गुजरात और उड़ीसा के मामले में तथा न्यूनतम वृद्धि गोआ और हरियाणा के मामले में हुई।

5. पेंशन व्यय के संदर्भ में दो अवधि औसतों की तुलना करने पर जीएसडीपी के सापेक्ष में सर्वाधिक वृद्धि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के मामले में हुई है।

निष्पादन के विभिन्न संकेतकों जिन्होंने गिरावट दर्शाई है, में कई उच्च तथा मध्य आय वर्ग वाले राज्यों की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि जहां बेहतर राजकोषीय स्थिति के लिए मजबूत संसाधनों के आधार महत्वपूर्ण हैं, वहीं राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां:

3.45 हमने देखा है कि वर्ष 1997-98 से 2002-03 तक की अवधि के दौरान वेतनों और पेंशनों में एक समय की वृद्धि और ब्याज दरों एवं वृद्धि दरों को प्रभावित करने वाले बृहत्-आर्थिक कारकों के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ही के वित्त-साधनों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। एक दृष्टि से राज्यों के वित्त को बड़े पैमाने पर झटके लगे क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी हैं जिसके कारण उन्हें केंन्द्रीय सरकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरों सहित उच्च ब्याज दरों को वहन करना पड़ा और केन्द्र के कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में आई गिरावट के प्रभाव को भी उन्हें सहना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप अन्तरणों के स्तर में भी अत्यधिक गिरावट आयी। वास्तव में 2000-03 के दौरान प्रत्याशित वृद्धि की अपेक्षा कम वृद्धि होने के कारण ग्याहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम तीन वर्षों में पूर्वानुमानित कर अन्तरणों की अपेक्षा कम अन्तरण हुए।

3.46 इस तथ्य पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि सरकारी वित्तों और वृहत आर्थिक कार्य निष्पादन को एकल रूप में नहीं बल्कि परस्पर आश्रित तथा सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक प्रकार से, बड़े पैमाने पर राजस्व घाटों का वित्त पोषण किए जाने से केन्द्र और राज्यों ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में सकल सरकारी बचतों की गिरावट में योगदान दिया है हालांकि जिसकी आंशिक प्रतिपूर्ति सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घरेलू बचतों में वृद्धि के कारण हुई जिससे गिरती हुई विकास की दरों, घटते हुए अन्तरणों, बढ़ते हुए ऋणों, बढ़ती हुई ब्याज अदायगियों और बढ़ते हुए राजस्व घाटे के कुचक्र को प्रतिसंतुलित करने में सही दिशा मिली है। हमने बृहत् आर्थिक स्थिरता और सरकारी वित्तों की पुनर्संरचना की आवश्यकता के संदर्भ में इन विषयों का आगामी अध्याय में परीक्षण किया है।

अध्याय 4

लोक वित्त की पुनर्संरचना

4.1 इस आयोग को, विचारार्थ विषय (टीआरओ) के खंड 5 के अंतर्गत यह कहा गया कि वह "संघ तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और एक ऐसी योजना का सुझाव दे जिसके द्वारा सरकार बजटीय संतुलन की पुनर्स्थापना करने, वृहद तौर पर आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने और साम्यिक विकास सहित ऋण में कमी लाने के लिए लोक वित्त की पुनर्संरचना के संबंध में सामूहिक तथा विविध प्रकार से प्रयास कर सके।" इसी प्रकार के विचारार्थ विषय को पहली बार ग्यारहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत किया गया था और जिसमें बजटीय संतुलन तथा वृहद् आर्थिक स्थायित्व के संबंध में उल्लेख किया गया था। पुनर्संरचना से संबंधित योजना की आवश्यकता अब ऋण में कमी लाने तथा साम्यिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी है।

4.2 टीओआर के कुछ अन्य भागों का पुनर्संरचना संबंधी योजना पर प्रभाव पड़ेगा। पैरा 6(iv) में उल्लेख है "..... उद्देश्य न केवल सभी राज्यों तथा केन्द्र के राजस्व लेखे से संबंधित प्राप्तियों तथा व्यय को संतुलित करना है, बल्कि पूंजी निवेश तथा राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए अधिशेषों का सृजन करना भी है।" पैरा 6(v) में केन्द्र के लिए कर-स.घ.उ. अनुपात तथा राज्यों के लिए कर-जीएसडीपी अनुपात जुटाने की आवश्यकता पर जोर है। ऋण में कमी लाने के परिप्रेक्ष्य में, पैरा 9 में व्यवस्था है कि राज्यों के ऋण के संबंध में ऐसे सुधारात्मक उपाय सुझाए जांए जो वृहद् आर्थिक स्थायित्व तथा ऋण की निरन्तरता के अनुरूप हों। हमने लोक वित्त की पुनर्संरचना हेतु एक समेकित ढांचे का विकास किया है जो इन परस्पर संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

4.3 बजटीय असंतुलन के मुद्दे का उल्लेख करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) के ध्यान में आया है कि राजस्व घाटा केन्द्रीय और राज्य बजटों में "अनिष्टकर रूप से जुड़" गया है और एक ऐसे लोक वित्त की पुनर्संरचना की जरुरत है जो "ऋण और घाटे के स्व-बेमियादी उच्चक्र" से दूर हो। ईएफसी, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय समायोजन कार्यक्रम को तैयार करने में प्रयासरत रहा जिसका अभिप्राय राज्यों के राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा केन्द्र के राजस्व घाटे को वर्ष 2004-05 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत तक नीचे लाना था। समग्र राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का 6.5 प्रतिशत निर्धारित था जिसमें केन्द्र का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत तथा राज्यों का 2.5 प्रतिशत था। जीडीपी अनुपात से संबद्ध सम्मलित ऋण को 55 प्रतिशत तक घटाना था। केन्द्र के लिए राजस्व प्राप्तियों से संबद्ध ब्याज भुगतान का अनुपात पांच वर्षों के भीतर 48 प्रतिशत तक नीचे लाने का लक्ष्य था और दीर्घावधि में इसे 35 प्रतिशत तक घटाना था। इस संबंध में राज्यों के लिए लक्ष्य 18 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

4.4 इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक राजकोषीय समायोजन के लिए सम्मलित कर-जीडीपी अनुपात 17.7 प्रतिशत तक जुटाना अपेक्षित था और जिसमें केन्द्र का कर-जीडीपी अनुपात 10.3 प्रतिशत था। पुनर्संरचना हेतु ईएफसी की योजना में जीडीपी अनुपात से सम्बद्ध कुल राजस्व प्राप्तियां 20 प्रतिशत के आस-पास रहीं। सम्मिलित राजस्व व्यय के सन्दर्भ में, व्यय के सम्बन्ध में जीडीपी में 23.7 प्रतिशत अंक की कमी का अनुमान था जिसमें तद्नुरूपी पूंजी व्यय में वृद्धि सीमान्त रूप से अधिक महत्व की थी। स्पष्ट तौर पर, सरकारों के दोनों स्तरों पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त चूक हुई है। यद्यपि वर्ष 2004-05 के लेखा आंकड़े बाद में ही उपलब्ध होंगे, लेकिन 2002-03 के आंकड़ों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों का सम्मिलित राजस्व घाटा लगभग 6.7 प्रतिशत था और ऋण-जीडीपी अनुपात जीडीपी (1) का लगभग 76 प्रतिशत था। जहां एक और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ हद तक मिली असफलता राजस्व प्रयास में कमी तथा व्यय नियंत्रण में बरती शिथिलता के कारण मिली, वहीं ईएफसी की आलोच्य अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक विकास में भी मंदी देखी गयी। वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान चार वर्षों में चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के सम्बन्ध में विकास दर नाममात्र 7.9, 9.7, 8.2 तथा 12.3 प्रतिशत थी। ईएफसी ने 13 प्रतिशत की नाममात्र विकास दर की प्रवृत्ति दर्शाई। यदि केन्द्र का राजकोषीय घाटा अन्तिम तौर पर समाप्त हो जाता है जैसाकि वर्ष 2004-05 के बजट में यह जीडीपी का 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, तो यह आंशिक रूप में ईएफसी में निर्धारित लक्ष्यों से अपेक्षाकृत कम हो जाएगा।

4.5 संस्थानिक वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं जो राजकोषीय सुधारों में सहायक हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003 में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा प्रबन्ध अधिनियम (एफआरबीएमए) अधिनियमित किया है जिसमें इसके नियमों के तहत राजस्व घाटे को वर्ष 2007-08 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक लाना प्रस्तावित है। जुलाई 2004 के बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि लक्षित वर्ष 2008-09 तक शिफ्ट कर दिया जाए। कर्नाटक, केरल, तमिलानाडु, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किया गया है। कईं राज्यों ने ईएफसी की सिफारिशों के आधार पर सृजित मध्यावधि राजकोषीय सुधार सुविधा के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट मॉनीटरिंग योग्य लक्ष्यों सहित मध्यावधि सुधार कार्यक्रम तैयार किए हैं। हम इन परिवर्तनों को सम्भावित रूप से अपेक्षाकृत प्रभावी तथा पारदर्शी राजकोषीय प्रबन्ध में सहायक के बतौर ध्यान में रखते हैं।

4.6 पुनर्संरचित लोक वित्त का उद्देश्य वृहद् आर्थिक स्थायित्व तथा राजस्व लेखा शेष प्राप्त करना है जिस हेतु एक व्यापक

विश्लेषणात्मक ढांचे की आवश्यकता है। सरकार के व्यय के आकार तथा संरचना का विकास, मुद्रास्फीति, ब्याज दर तथा बाह्य लेखे पर पड़ने वाले प्रभाव को एक ढांचे के अन्तर्गत विचार करना होगा और जिसमें संगत पारस्परिक सम्बन्धों तथा फीडबैंक को ध्यान में रखा जाता है। अन्य बातों के अलावा, लोक वित्त की संरचना व्यय के आकार तथा संरचना से सम्बद्ध है। जीडीपी के अनुपात के रूप में सरकार का व्यय अन्य कई देशों की अपेक्षा कम है। सर्वोच्च प्राप्य विकास दरों की प्राप्ति को सुविधाजनक करने की दृष्टि से, सरकारी व्यय के सही आकार तथा सही संरचना को प्राप्त करने और गरीबी घटाने तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रावधान सहित सरकार के सामाजिक दायित्वों को पूरा करना लोक वित्त की पुनर्संरचना हेतु किसी योजना के अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। इसके लिए समग्र राजकोषीय असंतुलन को घटाते हुए विकास को तीव्र करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक आधार-भूत संरचना में सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विचार

4.7 अपने ज्ञापनों में तथा आयोग के साथ विचार-विमर्श में अधिकांश राज्य सरकारों ने लोक वित्त की पुनर्संरचना की आवश्यकता को स्वीकार किया। कुछ राज्यों ने सुझाव दिया कि पुनर्संरचना की प्रगति की मॉनिटरिंग किसी स्वतंत्र एजेंसी से करायी जाए न कि केन्द्र सरकार से। राज्यों द्वारा कई विशिष्ट सुझाव दिए गए। कुछ सामान्य व्यक्त सुझावों को नीचे दिया जा रहा है:

(i) आयोजना सहायता के संबंध में राज्यों ने सुझाव दिया कि सामान्य संवर्गों वाले राज्यों के मामले में, अनुदान-ऋण अनुपात को मौजूदा 30:70 से 50:50 करके संशोधित किया जाए। कुछ सुझावों में,70:30 का अनुपात भी सुझाया गया। विशेष संवर्ग राज्यों के मामले में, कुछ मामलों में मौजूदा अनुपात संघटक को 90:10 अनुपात के बजाय 100 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

(ii) राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा ऋण प्रदान करने में, अस्थाई ब्याज दर का उपयोग किया जाए तथा राज्यों की बाजार में अपेक्षाकृत अधिक पहुँच की अनुमति प्रदान की जाए।

(iii) सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को निधियों सहित अन्तरित किया जाए।

(iv) आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय के बीच के अन्तर को समाप्त किया जाए क्योंकि यह अन्तर वित्तीय संसाधनों के असंतुलित प्राथमिकता क्रम की दिशा में जाता है और जिससे अनुरक्षण व्यय की आवश्यकता की उपेक्षा होती है।

(v) राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा में, मूल्यांकित अन्तर अनुदानों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

(vi) राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों की पुनर्संरचना की आवश्यकता है।

(vii) ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में संविधानिक संशोधनों के फलस्वरूप, उनके द्वारा संसाधनों की अधिक मांग की जाती रही है, और राज्य तीव्र वित्तीय दबाव से ग्रस्त हैं। किसी भी पुनर्संरचना में सरकार को इन सभी त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(viii) कर सुपुर्दगी की समीक्षा में राज्यों के सम्बन्ध में सेवाओं की सुपुर्दगी को भी शामिल किया जाना चाहिए।

4.8 केन्द्र सरकार ने अपने ज्ञापन में, एफआरबीएमए के परिप्रेक्ष्य में नियुक्त कार्यदल की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसका केन्द्रीय वित्त की पुनर्संरचना से सम्बन्ध मुद्दों पर प्रभाव पड़ता है। इस कार्यदल ने समायोजन उपाय की सिफारिश की है जो राजस्व अर्जन सहित प्रारम्भिक राजकोषीय समेकन पर जोर देती है तथा जीडीपी के सापेक्ष में पूंजी व्यय बढ़ाती है। इसी प्रकार के विचार राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में भी व्यक्त किए गए हैं जिसे एफआरबीएमए के तहत अपेक्षित वर्ष 2004-05 के साथ प्रकाशित किया गया था। लोक वित्त की पुनर्संरचना के सम्बन्ध में, कार्यक्रम तैयार करते समय हमने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा है।

विकास तथा वृहद् आर्थिक स्थायित्व

4.9 वृहद् आर्थिक स्थायित्व अर्थव्यवस्था की सक्षमता का उल्लेख करता है जो पूर्ण रोजगार के अनुरूप उत्पादन के स्तरों पर नजदीक से निगाह रखता है, साथ ही स्वीकार्य सीमाओं के अन्तर्गत मुद्रास्फीति भी नियंत्रित की जाती है। व्यवहार में, संरचनात्मक कठिनाइयां हो सकती हैं जो अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक आधार पर पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे रखती हैं। इसलिए, स्थिरीकरण से सम्बन्ध मुद्दों को "सम्भाव्य" विकास अथवा उत्पादन के स्तरों की प्रवृत्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सम्भाव्य उत्पादन के मापन में यह अपेक्षा होती है कि चक्रीय विविधताओं को दूर किया जाए ताकि उत्पादन के स्तर की पहचान इसके दीर्घकालिक उपाय के साथ की जाए। मंदी की अवधि में, वास्तविक उत्पादन सम्भाव्य उत्पादन के स्तर से नीचे गिर सकता है। विस्तार की अवधि में, मुद्रास्फीति अपने दीर्घकालीन स्तरों से आगे बढ़ सकती है। दोनो ही विचलनों से स्थायित्व को खतरा पैदा होता है। स्थिरीकरण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख बनाए रखना है जो इसके दीर्घकालिक विकास मार्ग के निकट हो, साथ ही स्वीकार्य सीमाओं के अन्तर्गत मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित किया जा सके।

4.10 ठोस स्थिति में, अर्थव्यवस्था की अपने दीर्घकालीन उपाय की ओर लौटने की निर्मित सक्षमता होगी। राजकोषीय नीति के परिप्रेक्ष्य में, यह सक्षमता स्वचालित स्थिरीकारियों द्वारा मुहैया करायी जाती है। स्वचालित स्थिरीकारियों का अस्तित्व तभी है जब लोक वित्त संरचना इस प्रकार की हो कि करों की प्रभावनीयता सामान्य उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप हुए व्यय की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा हो। इस प्रकार, किसी

मुद्रास्फीतिकारी स्थिति में व्यय से कर अपेक्षाकृत अधिक आहरित होंगे और जो वर्धित सरकारी व्ययों की तुलना में होंगे और कुल व्ययों में निवल संकुचन होगा तथा जिससे चक्रीय शिथिलता आएगी। मंदी की स्थिति में, सरकारी व्यय आहरित कराधान की अपेक्षा व्यय के सम्बन्ध में अधिक योगदान प्रदान करते हैं जिससे मंदी का प्रभाव कम होता है। यदि स्वतः प्रतिक्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं, विवेकाधीन राजकोषीय हस्तक्षेपों की आवश्यकता स्थिरीकरण हेतु होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (2) ने अपनी करेंसी तथा वित्तपोषण सम्बन्धी वर्ष 2001-02 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि संयुक्त सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियों की मूल्य सापेक्षता 1.07 है जबकि सम्मिलित ब्याज-भिन्न व्यय 1.06 है। चूंकि इन दोनों के संदर्भ में अन्तर कम है इसलिए भारत में स्वतः स्थिरीकरण कमजोर है। इसलिए प्रभावी विवेकाधीन कार्रवाई स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है।

4.11 स्थिरीकरण के साथ विकास के मुद्दे पर विचार करने के लिए, इस बात की जांच करना आवश्यक है कि (क) क्या सम्भाव्य उत्पादन अपने विकास उपाय के साथ पूर्ण रोजगार स्तरों से बराबर नीचे बना रहेगा, और (ख) क्या किसी आलोच्य वर्ष में वास्तविक उत्पादन सम्भाव्य उत्पादन के विकास उपाय से अधिक अथवा नीचे है। दोनो ही मामलों में, लोकवित्त की संरचना तथा राजकोषीय नीति के प्रवाधान की अपनी भूमिका है। जब दीर्घकालिक विकास उपाय पूर्ण रोजगार स्तरों से नीचे हो, तो यह वांछनीय है कि लोक वित्त इस प्रकार निर्माण किया जाए कि वह आपूर्ति सम्बन्धी बाधाओं जैसे संरचनात्मक अवरोधों को दूर करे तथा सम्भाव्य उत्पादन को पूर्ण रोजगार स्तरों के निकट लाए। इस सन्दर्भ में, सरकारी व्यय की संरचना विशेषकर पूंजी व्यय का भाग और इसका आवंटन महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे मुद्दे के सम्बन्ध में, स्थायित्व प्राप्त करने हेतु, सम्भाव्य उत्पाद की अपने विकास उपाय सहित चक्रीय गतिशीलता के परिप्रेक्ष्य में सकल सरकारी मांग प्रबन्धन प्रांसगिक हो जाता है।

4.12 सरकारी व्ययों के वित्तपोषण की विधि भी स्थिरीकरण तथा विकास को प्रभावित करती है। सरकार को उधारों अर्थात राजकोषीय घाटे का आश्रय उस सीमा तक लेना पड़ता है जहां तक उसका व्यय राजस्व तथा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों द्वारा कवर नही होता है। घरेलु बाजार उधार पर अत्यधिक निर्भरता ब्याज दर को बढ़ा सकती है जबकि केन्द्रीय बैंक से उधार पर अत्यधिक निर्भरता मुद्रास्फीति की दर को अनुचित तरीके से बढ़ा सकती है। कतिपय परिस्थितियों के अधीन विदेशी उधारों का उपयोग विनिमय दर पर दबाव डाल सकता है। राजकोषीय घाटे को भी दो संघटकों को ध्यान में रखते हुए देखने की जरूरत हैः संरचनात्मक अथवा दीर्घकालिक संघटक तथा चक्रीय संघटक जो दीर्घकालिक औसत से विचलन प्रदर्शित करता है। चक्रीय अथवा राजकोषीय घाटे के अस्थाई संघटक का उपयोग उत्पादन की विकास प्रवृत्ति में होने वाली घट-बढ़ को स्थिर करने के लिए किया जा सकता है। भारत में राजकोषीय घाटा मुख्यतः संरचनात्मक स्वरूप का है और चक्रीय संघटक महत्ता की दृष्टि से अल्प है।

4.13 हमारी राजकोषीय सुधार नीति विकास पर केन्द्रित है। विकास, अन्य कारकों के साथ-सात निवेश की दर पर निर्भर करता है जो क्रमशः बचत दर पर निर्भर है। बचत दर अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व घाटे पर निर्भर करती है जो सरकार के निवल निर्वचन के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, घरेलु क्षेत्र की बचत दर, निजी कारपोरेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र सहित कुल बचत दर जब तक कि सरकार का योगदान नकारात्मक रूप से अर्थात् निजी क्षेत्र की बचतों का आहरण उपयोग व्यय के लिए किया जाता है, सम्भाव्य रूप से प्राप्य की अपेक्षा कम होती है। हम दीर्घकालिक विकास प्रोफाइल और साथ ही बचत निवेश दरों के नीचे होने की समीक्षा करते हैं जो नम्बे के दशक के अनुभवों पर केन्द्रित है ताकि इन अनुभवों से विकास पर सरकार के निर्बचतों के घातक प्रभावों को रेखांकित किया जा सके।

4.14 चार्ट 4.1 विकास दरों को प्रदर्शित करती है जो वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 1950-51 से 2002-03 की अवधि तक उपादान लागत पर जीडीपी की वास्तविक वार्षिक विकास सहित उत्पादन की प्रवृत्ति स्तरों से व्युत्पन्न है। यह विश्लेषण उपादान लागत पर जीडीपी के सन्दर्भ में है ताकि

चार्ट-4.1

वास्तविक विकास दर तथा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी प्रवृत्ति

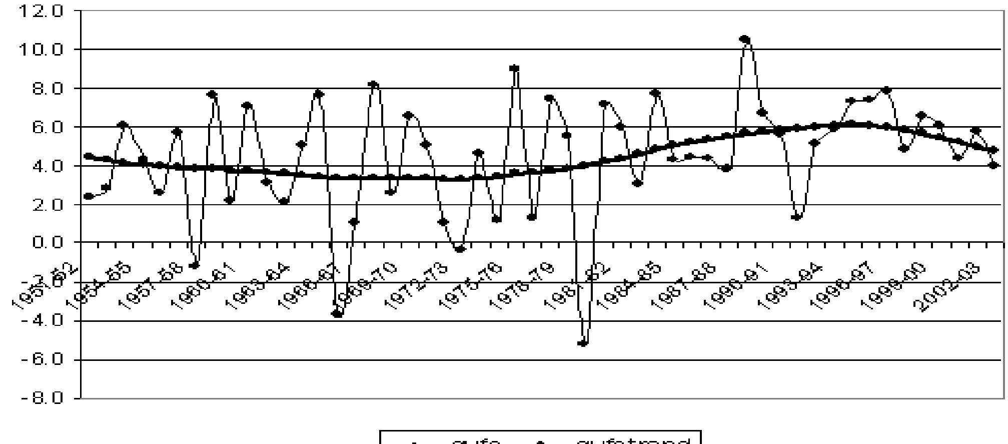

उत्पादन में विकास के सम्बन्ध में निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। सब्सिडियों को घटाकर अप्रत्यक्ष कर वे राजकोषीय उपाय हैं जो जीडीपी को बाजार मूल्यों पर जीडीपी के उपादान लागत के रूप में लेते हैं। विकास प्रवृत्ति का अनुमान सांख्यिकीय फिल्टर (4) का उपयोग करके लगाया गया है। चार्ट 4.1 यह प्रदर्शित करता है कि दीर्घकालिक चक्रीय उपाय उत्पादन के पश्चात किए जाते हैं जहां सत्तर के दशक के प्रारम्भ में विकास प्रवृत्ति 4.5 प्रतिशत से कुछ गिरकर 3.3 प्रतिशत हो गयी थी जिसके बाद यह विकास प्रवृत्ति बढ़कर नब्बे के दशक के मध्य में 6 प्रतिशत के स्तरों से ऊपर हो गयी थी। तब से यह विकास प्रवृत्ति दर में 5 प्रतिशत से नीचे की गिरावट को व्यक्त करता है जो वर्तमान में हमारे लिए चिन्ता का मुख्य कारण है।

4.15 यह भी ध्यान में रखने की बात है कि विकास दर प्रवृत्ति से काफी मात्रा में आया अन्तर नब्बे के दशक के अन्त में देखा गया। वास्तविक तथा मुद्रास्फीति दरों की प्रवृत्ति का तद्नरूपी विश्लेषण यह संकेत देता है कि वर्ष 1999-00 से 2002-03 के दौरान मुद्रास्फीति दर की प्रवृत्ति सीमान्त रूप से 5 प्रतिशत नीचे आयी है। यद्यपि वास्तविक मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत के नीचे के स्तर पर बनी रही। ये स्पष्टतः मंदी के संकेत है जो वर्ष 2002-03 तक निरन्तर बनी रही। सारणी 4.1 वास्तविक, प्रवृति तथा वर्ष 1990-91 से 2002-03 तक विकास तथा मुद्रा स्फीति के अवशिष्ट संघटकों को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2003-04 में कृषि में ठोस सुधार तथा वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में उद्योग में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान समग्र विकास दर क्रमशः 8 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत आंकी गयी। अनवरत आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश दर को नब्बे के दशक के मध्य में प्राप्त स्तरों के बराबर या उससे अधिक के स्तरों में बढ़ाना होगा। बचत दर को भी तद्नरूप बढ़ाना होगा।

4.16 सारणी 4.2 घरेलू, निजी कारपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर को प्रदर्शित करती है। सारणी 4.3 निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में सकल घरेलू निवेश की दर उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्ष 1998-99 में यह नकारात्मक हो गयी और नकारात्मक बचतों की मात्रा वर्ष 2001-02 तक बढ़ती रही। इसके अन्तर्गत, प्रशासनिक तथा विभागीय उद्यमों सहित सरकार की निर्बचत वर्ष 1996-97 में जीडीपी के 1.7 प्रतिशत से तेजी से गिरकर वर्ष 2001-02 में 6.2 प्रतिशत हो गईं। कुल बचत दर वर्ष 1995-96 में 25.2 प्रतिशत के शीर्ष पर थीं, वर्ष 1988-99 में ये हाल के वर्षों में 21.5 प्रतिशत के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। इसी के अनुरूप, निवेश दर वर्ष 1995-96 में शीर्ष पर थी और वर्ष 1998-99 में हाल के वर्षों में 22.6 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर रही। नब्बे के दशक के मध्य में तीन वर्ष 7 प्लस विकास के लिए आवश्यक बचत के प्रकार तथा निवेश दरों के कुछ प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1994-95 से 1996-97 के तीन वर्षों में औसत निवेश दर लगभग 26 प्रतिशत तथा घरेलू

सारणी 4.1

विकास तथा मुद्रा स्फीति दरः प्रवृत्तियां तथा वास्तविक आंकड़े

(प्रतिशत)

वर्ष	उत्पादन में वास्तविक विकास*	उत्पादन में विकास प्रवृत्तियां	विकास प्रवृत्ति से विचलन	वास्तविक मुद्रा स्फीति दर**	मुद्रा स्फीति दर प्रवृत्ति	मुद्रा स्फीति दर प्रवृत्ति से विचलन
1990-91	5.57	5.83	-0.26	10.50	9.65	0.85
1991-92	1.30	5.90	-4.60	13.81	9.46	4.35
1992-93	5.12	5.98	-0.86	8.72	9.15	-0.43
1993-94	5.90	6.06	-0.16	9.59	8.75	0.84
1994-95	7.25	6.10	1.15	9.43	8.27	1.16
1995-96	7.34	6.08	1.26	9.03	7.75	1.28
1996-97	7.84	6.00	1.84	7.44	7.21	0.23
1997-98	4.79	5.85	-1.06	6.67	6.68	0.01
1998-99	6.51	5.66	0.85	7.94	6.17	1.77
1999-00	6.06	5.45	0.61	3.94	5.70	-1.76
2000-01	4.37	5.21	-0.84	3.49	5.30	-1.81
2001-02	5.78	4.98	0.80	3.88	4.98	-1.10
2002-03	3.98	4.74	-0.76	3.46	4.72	-1.26

स्रोतः (आधारभूत आंकड़े):राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

* **उत्पादन उपादान लागत पर जीडीपी को दर्शाता है।**

** **मुद्रास्फीति उपदान लागत पर जीडीपी के अंतर्निहित कीमत अस्फीतिकारक को प्रदर्शित करता है।**

$ प्रवृति की परिगणना वर्ष 1950-51 से 2002-03 के आंकड़ों को कवर करते हुए हैड्रिक-प्रेस्कॉट फिल्टर का उपयोग करते हुए की गयी है।

बचत दर-लगभग 24.7 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान औसतन निवेश दर 23.6 प्रतिशत तथा औसत दर 23.8 प्रतिशत थी। नब्बे के दशक में सार्वजनिक निवेश में निरन्तर गिरावट देखी गयी। सार्वजनिक क्षेत्र में सकल घरेलु पूंजी निर्माण दर वर्ष 1985-1990 के दौरान जीडीपी के 10.1 प्रतिशत के औसत से गिरकर वर्ष 2002-03 में 5.7 प्रतिशत हो गयी। चूंकि निजी निवेश में नब्बे के दशक के मध्य तक वृद्धि हुई थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में

सारणी 4.2

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू कीमतों पर सकल घरेलु बचत

(प्रतिशत)

वर्ष	घरेलू	निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	निजी क्षेत्र (2+3)	सार्वजनिक क्षेत्र	जोड़ (4+5)
1	2	3	4	5	6
औसत (1985-86 से1989-90)	16.03	1.96	17.99	2.39	20.38
1990-91	19.33	2.67	22.00	1.10	23.10
1991-92	16.96	3.11	20.07	1.97	22.04
1992-93	17.51	2.67	20.18	1.59	21.77
1993-94	18.42	3.48	21.90	0.63	22.53
1994-95	19.68	3.48	23.16	1.66	24.82
1995-96	18.19	4.93	23.12	2.03	25.15
1996-97	17.05	4.47	21.52	1.67	23.19
1997-98	17.63	4.17	21.80	1.33	23.13
1998-99	18.77	3.74	22.51	-0.99	21.52
1999-00	20.88	4.35	25.23	-1.04	24.19
2000-01	21.93	4.12	26.05	-2.31	23.74
2001-02	22.74	3.46	26.20	-2.75	23.45
2002-03	22.65	3.41	26.06	-1.85	24.21

स्रोत (आधारभूत आंकड़े): राष्ट्रीय आय लेखे, सीएसओ

सारणी 4.3

जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार चालू बाजार कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण

(प्रतिशत)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी कॉरपोरेट	घरेलू	निजी क्षेत्र (3+4)	जोड़ (2+5)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
औसत (1985-86 से 1989-90)	10.11	4.33	8.83	13.16	23.27	-0.56	22.71
1990-91	9.34	4.13	10.60	14.73	24.07	2.23	26.30
1991-92	8.82	5.66	7.45	13.11	21.93	0.62	22.55
1992-93	8.55	6.46	8.78	15.24	23.79	-0.17	23.62
1993-94	8.24	5.61	7.40	13.01	21.25	1.84	23.09
1994-95	8.71	6.91	7.76	14.67	23.38	2.62	26.00
1995-96	7.66	9.58	9.29	18.87	26.53	0.37	26.90
1996-97	7.03	8.05	6.69	14.74	21.77	2.71	24.48
1997-98	6.61	7.97	7.99	15.96	22.57	2.02	24.59
1998-99	6.58	6.39	8.41	14.80	21.38	1.20	22.58
1999-00	6.94	6.46	10.26	16.72	23.66	1.67	25.33
2000-01	6.29	5.06	11.27	16.33	22.62	1.73	24.35
2001-02	5.83	4.88	11.60	16.48	22.31	0.83	23.14
2002-03	5.68	4.80	12.34	17.14	22.82	0.45	23.27

स्रोतः (आधारभूत आंकड़े): राष्ट्रीय आय लेखा, सीएसओ

गिरावट देखी गयी। तथापि, वर्ष 1995-96 के बाद निजी कारपोरेट क्षेत्र में निवेश भी गिर गया।

4.17 चार मुख्य बातें हैं जिन्हें नब्बे के दशक के मध्य के विकास-बचत निवेश-प्रोफाइल की नए दशक के पहले तीन वर्षों से तुलना करते हुए रेखांकित किया गया है।

i. नब्बे के दशक के मध्य में, उपादान लागत पर जीडीपी की औसत वृद्धि 7.5 प्रतिशत वार्षिक थी जो वर्ष 2000-03 के दौरान 4.7 प्रतिशत के औसत तक गिर गयी;

ii. सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर इस अवधि के दौरान 1.8 प्रतिशत के औसत स्तर से नीचे गिरकर जीडीपी का -2.3 हो गयी जो 4.1 प्रतिशत अंक के बराबर है;

iii) सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 1.9 प्रतिशत अंक तक गिर कर जीडीपी के 7.8 प्रतिशत के औसत स्तर से समग्र निवेश दर 2.2 प्रतिशत अंक तक गिरकर 25.8 प्रतिशत से 23.6 प्रतिशत हो गयी। कारपोरेट निवेश वर्ष 1995-96 में जीडीपी के 9.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2002-03 में 4.8 प्रतिशत हो गया;

iv) दो अवधियों के मध्य सकल घरेलू बचत की तुलना में सकल घरेलू निवेश की अधिकता चालू लेखा घाटे में निर्भरता की सीमा प्रदर्शित करती है जो 1.4 प्रतिशत अंक से गिरकर 0.2 प्रतिशत अंक हो गयी।

4.18 विकास दर को 7 प्रतिशत तक बढ़ाने और उसे अनवरत बनाए रखने हेतु 28 प्रतिशत की कुल निवेश दर की अपेक्षा इस अनुमान के साथ है कि वर्धित पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) 4 है। दसवीं योजना ने अपेक्षाकृत निम्न आईसीओआर का अनुमान लगाकर 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने हेतु 28.4 प्रतिशत की औसत निवेश दर की परिकल्पना की है। कुल निवेश के ऐसे स्तरों की आवश्यकता जीडीपी से सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजी निवेश के स्तरों को बढ़ाने के लिए होगी। हमारे द्वारा सुझायी गई पुनर्सरचित योजना जिसका ब्यौरा बाद में इस अध्याय में दिया गया है, जीडीपी से सम्बन्धित सरकारी निवेश तथा बचत में स्पष्ट बढ़ोतरी को दर्शाती है।

साम्यिक विकास के मुद्दे

4.19. साम्यिक विकास के मुद्दे पर विचार करते समय, हम इसके प्रकटीकरणों की तीन बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। कई स्तरों पर अन्तर-राज्य विषमताएं और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी विकास राजकोषीय क्षमता में विषमताएं प्रदर्शित करती है। प्रति व्यक्ति सरकारी व्ययों विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में व्याप्त विषमताएं यह प्रदर्शित करती हैं कि कितनी मात्रा में निम्न राजकोषीय क्षमताएं सेवाओं के प्रावधान में सरकारों के राजकोषीय हस्तक्षेप में मदभेदों के रूप में परिणत होती हैं। मानव विकास सूचकांक में अन्तर राज्य पैटर्न की जांच करके हम कुछ संगत परिणामों में व्याप्त विषमताओं पर नजर डालते हैं और जो अन्य कारकों सहित राजकोषीय हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकता है।

4.20. सारणी 4.4 वर्ष 1993-94 की कीमतों पर जीएसडीपी की विकास दरों की प्रवृत्ति दिखाती है। सामान्यतः अपेक्षाकृत उच्च आय वाले राज्य उच्च दरों के रूप में सामने आए हैं। अस्सी तथा नब्बे के दशकों में औसत विकास दरों के मध्य कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पंजाब तथा हरियाणा के मामले में, विकास घटा है यद्यपि पंजाब के सम्बन्ध में वर्ष 1999-00 से 2001-02 की तुलना में औसत पर विचार करते हुए सर्वोच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दर्ज किया गया। सर्वाधिक गरीब राज्य जहां विकास दर अस्सी

सारणी 4.4

स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर प्रवृत्ति (1993-94) राज्य श्रृंखलाएं#

	1980-81 से 1989-90	1990-91 से 2001-02		1980-81 से 1989-90	1990-91 से 2001-02
आंध्र प्रदेश	5.35	5.60	मध्य प्रदेश*	4.02	4.81
अरूणाचल प्रदेश	8.14	4.68	महाराष्ट्र	5.64	6.27
असम	3.50	2.53	मणिपुर	5.12	5.35
बिहार*	4.60	3.79	मेघालय	4.94	5.81
गोवा	4.79	8.40	उड़ीसा	5.01	4.21
गुजरात	5.05	7.20	पंजाब	5.44	4.66
हरियाणा	6.21	4.72	राजस्थान	6.01	5.85
हिमाचल प्रदेश	4.70	6.09	तमिलनाडु	5.18	6.26
जम्मू और कश्मीर**	2.80	4.89	त्रिपुरा	5.29	8.94
कर्नाटक	5.36	7.17	उत्तर प्रदेश*	4.80	3.84
केरल	3.16	5.51	पश्चिम बंगाल	4.70	6.93

स्रोतः (आधारभूत आंकड़े) : सीएसओ

*** इन राज्यों का विभाजन वर्ष 2000 में हुआ था। आंकड़े सामूहिक राज्यों से संबद्ध हैं।**

**** वर्ष 2000-01 तक।**

 # राज्य की जीडीपी श्रृंखलाओं से संबंधित हैं।

के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में गिरी है, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान हैं।

4.21. सारणी 4.5 वर्ष 1993-94 से 2001-02 की तुलना में तुलनीय प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में व्याप्त विषमता के सरसरी तौर पर संकेतकों को प्रदर्शित करती है। न्यूनतम जीएसडीपी प्रति व्यक्ति अनुपात (बिहार के संबंध में) और अधिकतम जीएसडीपी प्रति व्यक्ति अनुपात (जो गोवा को छोड़कर, विभिन्न वर्षों में या तो महाराष्ट्र अथवा पंजाब से सम्बद्ध है) वर्ष 1993-94 में 30.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1995-96 में 26.1 हो गया, उसके बाद अनुपात में वर्ष 1998-99 तक सुधार आया। यह पुनः गिरकर वर्ष 2001-02 में 26.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। गुणांक परिवर्तन के भारित में भी वर्ष 1995-96 के बाद कुछ कमी हुई है और यह वर्ष 1999-2000 के बाद पुनः बढ़ा है। गिनी गुणांक जो सारणी 4.5 में दिया गया है, आय असमानता को यह मानकर प्रदर्शित करता है कि किसी राज्य के भीतर रहने वाले सभी लोग सम्बद्ध राज्य की औसत आय पर स्थित हैं। इसलिए यह अन्तर राजकीय असमानता को प्रदर्शित करता है न कि राज्य के भीतर की असमानता को (5)। गिनी गुणांक वर्ष 1996-97 को छोड़कर वर्ष 1999-00 तक आय असमानता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। उसके बाद इसमें गिरावट देखी गयी। तथापि, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि गिनी गुणांक का मूल्य 0.1917 और 0.2173 के बीच रहता है।

सारणी 4.5

प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में विषमता

	न्यूनतम अनुपात से अधिकतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी* (प्रतिशत)	अन्तर गुणांक	गिनी गुणांक #
	भारित**		
1993-94	30.527	34.549	0.19170
1994-95	29.697	35.031	0.19262
1995-96	26.107	37.892	0.20719
1996-97	27.586	36.781	0.20708
1997-98	28.282	35.933	0.20853
1998-99	30.018	35.898	0.21062
1999-00	28.899	37.417	0.21732
2000-01	28.233	37.638	0.21034
2001-02	26.534	37.877	0.21016

स्रोतः आधारभूत आंकड़े : सीएसओ

* गोवा को छोड़कर

** जनसंख्या द्वारा भारित

14 राज्यों से सम्बद्ध अर्थात् असम तथा सामान्य श्रेणी के राज्य गोवा को छोड़करः गिनी गुणांक की गणना राज्य जीएसडीपी श्रृंखलाओं के सन्दर्भ में वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर की जाती है। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए विभाजित राज्यों को एक साथ मिला दिया गया है ताकि तुलनीयता को बनाए रखा जा सके।

सारणी 4.6

सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से सम्बद्ध प्रति व्यक्ति व्यय

(रुपए)

राज्य	1998-99 से 2000-01			1998-99 से 2000-01		
	सा.	सामा.	आ.	शि.	स्वा.	ज.पू. तथा स्व.
बिहार	189.1	474.0	204.9	311.1	50.9	19.1
उड़ीसा	224.2	931.2	406.5	463.1	94.7	56.2
उत्तर प्रदेश	267.5	555.8	324.9	340.4	63.4	20.0
असम	334.4	929.9	369.3	615.2	92.2	59.2
मध्य प्रदेश	235.6	781.3	469.0	344.5	86.2	63.4
राजस्थान	265.4	1020.7	405.0	545.3	128.3	111.5
पश्चिम बंगाल	262.4	958.2	392.6	512.3	136.8	42.5
आन्ध्र प्रदेश	255.8	1004.1	634.3	411.7	118.2	57.7
केरल	318.2	1254.8	716.5	713.3	172.3	52.3
कर्नाटक	279.2	1083.9	755.8	558.3	135.7	60.3
तमिलनाडु	336.4	1240.9	685.3	651.5	154.4	38.3
गुजरात	274.6	1331.3	1285.7	664.4	154.3	39.0
हरियाणा	320.9	1145.4	902.4	587.6	122.1	102.1
महाराष्ट्र	624.4	1276.1	647.7	730.9	131.7	79.7
पंजाब	533.6	1220.5	733.9	716.3	221.1	55.0
अंतर गुणांक	36.88	25.24	45.95	26.30	34.93	45.11
न्यूनतम/अधिकतम	0.30	0.36	0.16	0.43	0.23	0.17
न्यूनतम/औसत	0.60	0.47	0.34	0.57	0.41	0.34

स्रोतः राज्य वित्त लेखे

मूल भावः सा.- ब्याज भुगतान तथा पेंशन को छोड़कर सामान्य सेवाएं

सामा.: सामाजिक सेवाएं आ.: आर्थिक सेवाएं शि.: शिक्षा स्वा.: स्वास्थ्य ज.पू. तथा स्व.: जलापूर्ति तथा स्वच्छता

एचटीएचः स्वास्थ्य, डब्लूएसएसः जलापूर्ति तथा स्वच्छता राज्यों को प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के क्रम में व्यवस्थित किया गया है; बिहार, उ.प्र. तथा मध्य प्रदेश को अविभाजित राज्यों के रूप में लिया गया है।

4.22. विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सरकारी व्ययों का अन्तर-राज्य पैटर्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के सम्बन्ध में मौजूदा विषमताओं को प्रदर्शित करता है। सारणी 4.6 वर्ष 1998-99 से 2000-01 की अवधि में सामान्यबद्ध सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति औसत राज्य सरकार के व्ययों को प्रदर्शित करता है। सामान्य सेवाओं में ब्याज भुगतान, पेंशन और लाटरियों को शामिल नहीं किया गया है। यहां गोवा को छोड़कर बड़े राज्यों को लेकिन असम को शामिल करते हुए सामान्य श्रेणी के राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले राज्यों के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र के व्ययों के अन्तर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति और स्वच्छता पर किए जाने वाले प्रति व्यक्ति व्ययों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। राज्यों को प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सामान्य पैटर्न यह है कि निम्न प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्यों का निम्न प्रति व्यक्ति व्यय भी है। तथापि, कई अपवाद हैं। न्यूनतम से अधिकतम व्यय का अनुपात और न्यूनतम से औसत व्यय यह दर्शाते हैं कि सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में, न्यूनतम व्यय अधिकतम व्यय का केवल 30 प्रतिशत है जिसमें गोवा को शामिल नहीं किया है और यह औसत व्यय का 60 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं के मामले में, न्यूनतम प्रति व्यक्ति व्यय अधिकतम का 36 प्रतिशत तथा औसत का 47 प्रतिशत है। आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित तद्नुरूप सम्बन्ध 16 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत है। शिक्षा के मामले में, न्यूनतम से औसत अनुपात 57 प्रतिशत है। तद्नुरूप आंकड़े स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति और स्वच्छता के सम्बन्ध में 41 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत हैं। ये आंकड़े आयोजना-भिन्न तथा आयोजना राजस्व व्यय दोनों को कवर करते हैं।

4.23. योजना आयोग मानव विकास (एचडीआई) के राज्यवार सूचकांक के अनुमान तैयार करता है। यह वर्ष 1981 तथा 1991 के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली स्थित यूएनडीपी कार्यालय ने आयोग के लाभार्थ वर्ष 2001 के मानव विकास सूचकांक (6) तैयार किए हैं। इन अनुमानों के अनुसार, बिहार रैंक में सबसे नीचे है उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। जैसा कि आशा थी, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तथा एचडीआई के बीच स्पष्ट सकारात्मक सम्बन्ध है। इसके साथ ही, ऐसे राज्यों का जिन्हें स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर प्रति व्यक्ति बजटीय व्यय के सम्बन्ध में अधिक आवंटन प्रदान किया गया है, रैंक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के रैंकिंग में उनकी सापेक्ष स्थिति की अपेक्षा ऊंचा है। ऐसा ही विशेष श्रेणी वाले राज्यों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। आधारभूत सूचकांक की सापेक्ष रैंकिंग के आधार पर (7), राज्यों को भी पांच श्रेणियों में समूहीकृत किया गया है जिसे सारणी 4.7 में दिखाया गया है। जहां एचडीआई सामाजिक सेवाओं तक पहुंच प्रदर्शित करता है, आधारभूत सूचकांक भौतिक आधारभूत ढांचे तक पहुंच को दर्शाता है। इसके साथ ही, ये विषमताओं के दो विभिन्न आयामों को भी शामिल करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जहां विशेष श्रेणी वाले राज्य एचडीआई के सन्दर्भ में बेहतर स्थिति में हैं, आधारभूत ढांचे के सम्बन्ध में पहुंच की उनकी स्थिति एक मुख्य बाधा है। बिहार तथा राजस्थान जैसे निम्न आय वाले राज्यों के सम्बन्ध में, एचडीआई तथा आधारभूत ढांचा सूचकांक दोनों ही बाधा को प्रदर्शित करते हैं।

सारणी 4.7

चुनिंदा संकेतकों के अनुसार समूहीकृत राज्य

मानव विकास सूचकांक	आधारभूत सूचकांक
उच्च	**उच्च**
गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम	गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब
उच्च मध्यम	**उच्च मध्यम**
गुजरात, मणिपुर, नागालैंड पंजाब, सिक्किम तमिलनाडु	गुजरात, हरियाणा केरल, तमिलनाडु
मध्य	**मध्य**
आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उतरांचल	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
निम्न मध्यम	**निम्न मध्यम**
असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान	हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उ.प्र., उतरांचल, पश्चिम बंगाल
निम्न	**निम्न**
बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड, असम, छत्तीसगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, राजस्थान

स्रोतः एचडीआई से सम्बन्धित यूएनडीपी तथा आधारभूत ढांचा सूचकांक सम्बन्धी आईडीएफसी

4.24 आय स्तरों तथा इसका विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें राज्यों के अपने स्तर से किए गए प्रयास तथा नीतियां, निजी पूंजी, घरेलू तथा विदेशी पूंजी का अन्तर-राज्य वितरण, केन्द्रीय निवेश तथा चालू व्ययों के लाभ का अन्तर-राज्य पैटर्न शामिल है। कुछ मामलों में, बढ़ता उदारीकरण तथा बाजारोन्मुख प्रवृत्ति की वजह से आंशिक रूप से नीति अनुकूल तथा ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता के कारण अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों की ओर निधियों सापेक्ष प्रवाह बढ़ने की सम्भावना है। काफी अपेक्षित सुधार आयोजना निधियों के वितरण तथा आंवटन से आने चाहिए। हमारी ओर से, अन्तरणों की स्कीम में सुपुर्दगी फार्मूले के उपयुक्त मानदंड को तैयार करने के अलावा, हमने अनुदानों की सिफारिश भी की है जो शिक्षा तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्ययों के सरकारी सिद्धान्तों के अनुप्रयोग पर कुछ सीमा तक आधारित हैं। ये लाभ मुख्यतः उन राज्यों को मिलेंगे जिनका एचडीआई में सापेक्षतया निम्न रैंक हैं।

सम्मिलित सरकारी वित्तों की प्रवृत्तियां

(क) राजकोषीय असंतुलन

4.25 हमने वर्ष 1987-88 से 2001-02 की 15-वर्षीय समयावधि की सम्मिलित सरकारी वित्तों की मुख्य प्रवृत्तियों की जांच की है। अस्सी के दशक के अन्त में इस आलोच्य अवधि में कर-जीडीपी अनुपात के शीर्ष स्तरों में तथा साथ ही राजकोषीय घाटे के विगत के शीर्ष स्तरों में हुए परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। राजकोषीय अंसतुलन में जिसे राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे द्वारा दिखाया गया है और जो अस्सी के दशक के अन्त में उच्च स्तरों पर था, नब्बे के दशक के मध्य में सुधार दिखायी दिया है लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखी गयी। जैसाकि अनुबंध 4.1 तथा चार्ट 4.2 में दिखाया गया है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व तथा राजकोषीय घाटा उसके अस्सी के दशक के अन्त में मौजूद स्तरों की अपेक्षा वर्ष 1999-2002 में औसत तौर पर अधिक था। राजस्व घाटा निरन्तर सर्वाधिक गिरावट को प्रदर्शित करता है जो वर्ष 1987-1990 में जीडीपी के 3 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1999-2002 में दोगुने से अधिक 6.7 प्रतिशत हो गया। यह वर्ष 1995-96 में 3.2 प्रतिशत तक गिर गया उसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई।

4.26 राजकोषीय घाटे के मामले में, 0.7 प्रतिशत अंक की गिरावट हुई है। अस्सी के दशक के अन्त में, राजकोषीय घाटे का औसत स्तर जीडीपी का 8.8 प्रतिशत था जो वर्ष 1999-2002 में बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। तथापि, नब्बे के दशक के मध्य में सुधार दिखाई दिया। वर्ष 1996-97 में राजकोषीय धाटा जीडीपी के 6.3 प्रतिशत तक गिर गया। प्राथमिक घाटा अस्सी के दशक के अन्त में जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के औसत पर था। यह वर्ष 1996-97 में 1.1 प्रतिशत तक गिर गया जिसके बाद इसमें गिरावट देखी गयी लेकिन वर्ष 1987-1990 की तुलना में यह 1999-2002 म्में औसत तौर पर कम था। इस प्रकार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा वर्ष 1987-1990 के औसत स्तर की तुलना में 1.2 प्रतिशत अंक नीचे था। राजकोषीय घाटे से सम्बद्ध राजस्व का अनुपात सरकारी उधारों के अनुपात को रेखांकित करते हुए जो परिसम्पत्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है और जो भविष्य में उधार सेवा के रूप में लाभ प्रदान कर सकता है, राजकोषीय घाटे की "गुणवत्ता" को इंगित करता है। यह अनुपात अस्सी के दशक के अन्त में लगभग 34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2002 के दौरान औसतन 68 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह सरकार के वित्तों के परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य कमी है जो यह संकेत करती है कि उधार का उत्तरोत्तर भाग उपभोग पर व्यय किया जा रहा है। नब्बे के दशक के मध्य के बाद राजकोषीय गिरावट के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतन तथा पेंशन में संशोधन, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करों के उछाल में गिरावट, नब्बे के दशक के अन्त में उच्च नामिनल ब्याज दरें, जो बाद के वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से संयोजित हुईं, जिम्मेदार हैं। तथापि, नब्बे के दशक के अन्त में नामिकल ब्याज दरों में आयी गिरावट का व्यय पर कुछ लाभप्रद प्रभाव दिखाई दिया।

(ख) सम्मिलित राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां

4.27 सारणी 4.8 सभी अन्तः सरकारी प्रवाहों को घटाने के पश्चात् केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित राजस्व और व्यय के कुछ मुख्य शीर्षों में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल कर का अनुपात अस्सी के दशक के अन्त में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 16 प्रतिशत के स्तर से गिर कर लगभग 14.4 प्रतिशत हो गया अर्थात् इसमें 1.6 प्रतिशत अंक की गिरावट हुई। कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में भी इसी क्रम से गिरावट हुई जो यह दर्शाती है कि

चार्ट 4.2

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा

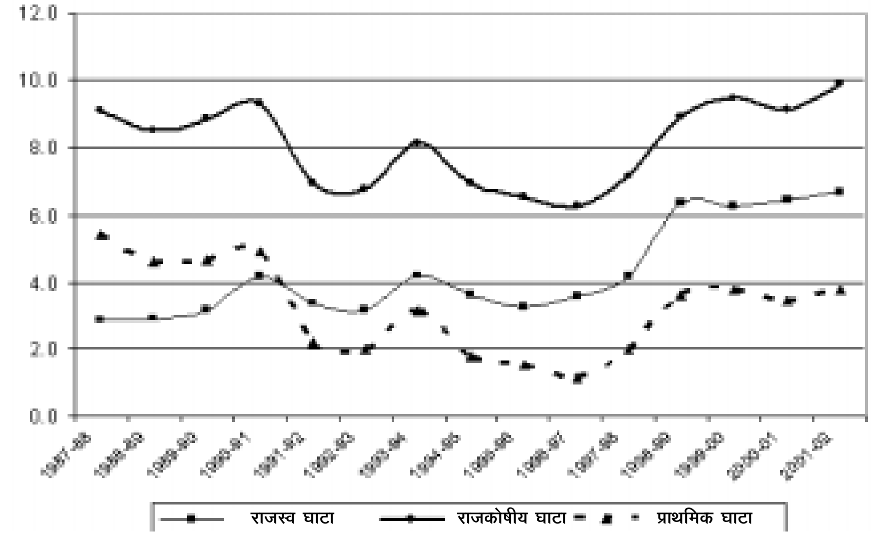

सारणी 4.8

केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित वित्तों में संरचनात्मक परिवर्तन

(बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति प्रतिशत)

	कर राजस्व	ब्याज भुगतान	पूंजी व्यय	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान (प्रतिशत)
औसत (1987-88 से 1989-90 तक)[I]	16.0	3.9	6.1	18.7	21.7	21.0
औसत (1999-00 से 2001-02 तक)[II]	14.4	5.8	3.3	17.1	23.6	34.0
(II-I)	**-1.6**	**1.9**	**-2.8**	**-1.6**	**1.8**	**13.0**

स्रोत (आधारभूत आंकड़े) : भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी

सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कर-भिन्न राजस्व के अंशदान में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ। राजस्व व्यय के मामले में, औसत राजस्व व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 21.7 प्रतिशत से बढ़ कर 23.6 प्रतिशत अंक हो गया जो 1.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाता है। ऐसा मुख्यतः सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया ब्याज भुगतानों में वृद्धि होने के कारण हुआ जो 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गए। वर्ष 1999-2002 के दौरान पूंजी व्यय में 2.8 प्रतिशत अंक की गिरावट हुई जो 6.1 प्रतिशत से घट कर 3.3 प्रतिशत हो गया।

4.28 कर राजस्वों की मात्रा और संघटन का सरकारी वित्तों की संरचना में बहुत महत्व है। वर्ष 1950-51 से सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कर अनुपात में वृद्धि की जांच यह दर्शाती है कि वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.3 प्रतिशत के स्तर से शुरु करके कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निरन्तर बढ़ते हुए वर्ष 1987-88 में 16.1 प्रतिशत हो गया। इसमें अधिकांश वृद्धि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने के कारण हुई। वर्ष 1950-51 में, अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत थे जबकि प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद 2.4 प्रतिशत थे। तब से अप्रत्यक्ष कर बढ़ कर वर्ष 1987-88 में 14 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए जबकि प्रत्यक्ष कर वर्ष 1994-95 तक 3 प्रतिशत से भी कम बने रहे। कर सुधारों के परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया अप्रत्यक्ष करों में गिरावट होनी शुरु हो गई जबकि प्रत्यक्ष करों का अनुपात बढ़ने लगा। लेकिन प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की मात्रा अप्रत्यक्ष करों में गिरावट की अपेक्षा कम थी। परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति समग्र कर अनुपात वर्ष 1987-88 के अपने शीर्ष स्तर से गिर कर वर्ष 2001-02 में 14.4 प्रतिशत हो गया। सारणी 4.9 केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में दशक-वार वृद्धि को दर्शाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि केवल सत्तर के दशक को छोड़कर, अस्सी के दशक तक 1 से कम रही। नब्बे के दशक में प्रत्यक्ष कर में हुए सुधारों जिनमें कराधार बढ़ाना और कर दरों में कमी

सारणी 4.9

केन्द्रीय और राज्य कर राजस्वों में दशक-वार वृद्धि

	1950-51 से 1959-60	1960-61 से 1969-70	1970-71 से 1979-80	1980-81 से 1989-90	1991-92 से 2001-02	1950-51 से 2001-02
केन्द्रीय करः सकल राजस्व						
प्रत्यक्ष	0.94	0.96	1.18	0.94	1.30	1.09
अप्रत्यक्ष	1.65	1.24	1.30	1.20	0.72	1.16
जोड़	**1.38**	**1.15**	**1.27**	**1.14**	**0.89**	**1.14**
राज्य के अपने कर राजस्व						
प्रत्यक्ष	-8.43	3.61	-6.32	-8.20	-4.34	-2.46
अप्रत्यक्ष	1.41	1.37	1.37	1.11	1.02	1.23
जोड़	**1.39**	**1.17**	**1.35**	**1.11**	**1.02**	**1.17**
कुल कर राजस्व						
प्रत्यक्ष	1.05	0.79	1.16	0.96	1.26	1.03
अप्रत्यक्ष	1.55	1.29	1.33	1.16	0.86	1.19
जोड़	**1.38**	**1.16**	**1.30**	**1.13**	**0.93**	**1.15**

स्रोत (आधारभूत आंकड़े): भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी और राष्ट्रीय आय लेखे

राज्यों के मामले में कुल कर राजस्वों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा नगण्य रहा है। ऋणात्मक वृद्धि का अर्थ सम्पूर्ण रूप में गिरावट है।

करना शामिल था।, के कारम ही यह वृद्धि वर्ष 1990-91 से लेकर 2001-02 तक की अवधि में 1.3 के स्तर पर पहुंच गई। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर विपरीत दिशा में रहे। अस्सी के दशक के अन्त तक 1 से भी अधिक की वृद्धि बनाए रखने के बाद जीडीपी के संबंध में यह नब्बे के दशक में काफी घट कर 1 से भी कम हो गई। ऐसा दोनों केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की कर दरों में गिरावट होने और सीमा शुल्कों के मामले में तो और भी तेजी से होने, के कारण हुआ। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करों की भारी मात्रा को देखते हुए समग्र जीडीपी अनुपात में गिरावट हुई। नब्बे के दशक में राज्यों के अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि भी कम हो गई हालांकि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करों की तुलना में यह ऊंची बनी रही। राज्य के अप्रत्यक्ष करों में दशक-वार वृद्धि अस्सी और नब्बे के दशकों में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाती है हालांकि ये 1 से अधिक बनी रही।

ग. ऋण में वृद्धिः केन्द्र और राज्य

4.29 वर्ष 2002-03 के अन्त में केन्द्र और राज्य सरकारों का सम्मिलित ऋण-स.घ.उ. (जी.डी.पी) अनुपात कुछ अर्हताओं के अधीन स.घ.उ. का लगभग 76 प्रतिशत था। प्रथमतः सरकारी बजट दस्तावेज़ों में परम्परागत विनिमय दरों अर्थात् उन वर्षों की विनिमय दरें जिनमें ऋण को खर्च किया गया है पर यथा मूल्यांकित केन्द्र के विदेशी ऋण का ब्यौरा दिया गया है। चूंकि कई वर्षों से विनिमय दरों में गिरावट हुई है इसलिए यदि विदेशी ऋण का मूल्यांकन वर्तमान विनिमय दरों पर किया जाता है तो इससे अन्तर आता है। यह अन्तर 1991-92 में करीब 11 प्रतिशत था। तथापि, कुछ वर्षों से यह अन्तर निरन्तर कम होता आ रहा है। वर्ष 2002-03 में, यदि ऋण का मूल्यांकन वर्तमान विनिमय दरों पर किया जाता है तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात में लगभग 5.6 प्रतिशत जोड़ने की जरूरत होगी। इससे वर्ष 2002-03 में सम्मिलित ऋण-स.घ.उ. अनुपात 81.6 प्रतिशत हो जाएगा। दूसरी अर्हता यह है कि राज्य सरकारों की देनदारियों का हिसाब लगाते समय प्रारक्षित निधियों की कतिपय देनदारियों और जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2002-03 में समग्र ऋण-स.घ.उ. को 85 प्रतिशत पर लाने के लिए स.घ.उ. के लगभग 3.4 प्रतिशत बिन्दु को इसके खाते में जोड़ने की जरूरत होगी। इन आंकड़ों में आकस्मिक देनदारियों को शामिल नहीं किया गया है जो स.घ.उ. के 11 प्रतिशत से अधिक हैं।

4.30 हालांकि हम इन अर्हताओं के बिना ऋण के अधिक परम्परागत बजटीय आंकड़ों पर केन्द्रित रहते हैं यह आश्चर्य की बात है कि यह वर्ष 1996-97 से जब ऋण-स.घ.उ. अनुपात 56.3 प्रतिशत था जो ईएफसी की निर्धारित दर से मामूली ही अधिक था, कैसे बढ़ गया। वर्ष 1995-96 से वर्ष 2002-03 की अवधि के दौरान सम्मिलित ऋण-स.घ.उ. अनुपात 56.3 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2002-03 में 76 प्रतिशत हो गया अर्थात् 6 वर्षों की अवधि में 20 प्रतिशत अंक से थोड़ा कम की वृद्धि हुई। इतनी कम अवधि में ऋण-स.घ.उ. अनुपात में यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। इस अवधि के दौरान ऋण-स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि के स्रोत पर ध्यान देना संचित प्राथमिक घाटों और वृद्धि तथा ब्याज दरों में अन्तर (8) के योगदान के रूप में वृद्धि को वियोजित करना है। निरन्तर तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में नामिनल वृद्धि दर गिर कर प्रभावी ब्याज दर से कम हो गई। इन वर्षों में, प्राथमिक घाटों के असर को खपाने के बजाय वृद्धि-ब्याज अन्तर ने जो कि नकारात्मक था, ऋण स.घ.उ. अनुपात को बढ़ाते हुए प्रतिकूल भूमिका निभाई। इसलिए वर्ष 1996-97 से 2002-03 की अवधि में ब्याज से अधिक वृद्धि की अधिकता संचित प्राथमिक घाटों के किसी भी तरह के असर को खपा नहीं सकी क्योंकि पहले तीन वर्षों के लाभ बाद के तीन वर्षों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण व्यर्थ हो गए। इसलिए समग्र वृद्धि प्राथमिक घाटों के संचयन के कारण हुई जिन्हें ब्याज दरों से अधिक वृद्धि की अधिकता द्वारा खपाया नहीं जा सका।

4.31 ऋण-स.घ.उ. अनुपात के उच्च स्तरों के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में ब्याज भुगतान अधिक हुए। चूंकि ब्याज भुगतान वचनबद्ध खर्च है इसलिए जब स.घ.उ. के प्रति राजस्व प्राप्तियों का अनुपात धीमा रहता है तो राजस्व घाटों में अवश्य ही वृद्धि होगी। इससे एक ओर तो बचत दर कम होती जाती है और दूसरी ओर प्राथमिक खर्च को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है। अन्ततः इन परिवर्तनों, राजकोषीय घाटों, ऋण ब्याज भुगतानों और राजस्व घाटों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने और पुनः उच्चतर राजकोषीय घाटों पर वापस आने की क्षमता है। इससे ऋण की वहनीयता का सवाल पैदा होता है।

राजकोषीय घाटा और ऋण : वहनीयता का सवाल

4.32 सरकारी ऋण उन उधारों के संचयन का परिणाम है जिनका उपयोग राजकोषीय घाटों के वित्त प्रबंध के लिए किया जाता है। यदि राजस्व लेखा संतुलित रहता है तो सम्पूर्ण राजकोषीय घाटा पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। ऐसे निवेश से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ ब्याज प्राप्तियों अथवा लाभांशों के रूप में होते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ तब प्राप्त होते हैं जब सरकारी निवेश वृद्धि को बढ़ावा देता है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियां अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। ऋण उस समय समस्या बन जाता है जब राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, ऋण शोधन के लिए अपेक्षित ब्याज की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जब बड़ी मात्रा में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में शामिल नहीं किए जाते तो इससे राजस्व घाटा बढ़ता है और राजस्व घाटे का वह हिस्सा जिसे राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया जाता है उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और बढ़े हुए व्यय के साथ जुड़ी राजस्व वृद्धि कम रह जाती है। अन्ततः ऋण अवहनीय बन जाता है।

4.33 हालांकि अर्थशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता है फिर भी उन परिस्थितियों पर जिनके अधीन ऋण और इसकी वृद्धि अर्थात् राजकोषीय घाटा, अवहनीय बन जाते हैं, संगत प्रसंग में विस्तार से चर्चा की गई है। तीन मुख्य सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हैं, अर्थात् नव-शास्त्रीय, रिकार्डियन तुल्यता और कीनीशियन। परिस्थितियों और सम्बद्ध परिप्रेक्ष्यों पर निर्भर करते हुए राजकोषीय घाटा खराब, तटस्थ अथवा अच्छा हो सकता है। नव-शास्त्रीय विचार धारा यह मानती है कि राजकोषीय घाटे निवेश और वृद्धि के लिए हानिकारक हैं जबकि कीनीशियन प्रतिमान में, यह एक मुख्य नीतिगत

परिप्रेक्ष्य का निर्माण करती है। रिकार्डियन तुल्यता सिद्धान्त में राजकोषीय घाटों का कोई खास महत्व नहीं है सिवाए इसके कि यह व्यय अथवा राजस्व संबंधी आघातों के प्रति समायोजन के मार्ग को सहज बनाते हैं। जबकि नव-शास्त्रीय और रिकार्डियन विचारधारा दीर्घावाधिक प्रभावों पर केन्द्रित है कीनीशियन विचारधारा अल्पावधिक प्रभावों पर बल देती है।

4.34 नव-शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय घाटों का वृद्धि पर तभी हानिकारक प्रभाव पड़ता है यदि सरकार की बचत में कमी को जो राजस्व घाटे के समतुल्य है [8] निजी बचत में वृद्धि द्वारा पूर्णतया प्रतिसंतुलित नहीं किया जाता। जब बचत दर में निवल गिरावट होती है तो उस समय समग्र बचतों पर बुरा प्रभाव पड़ने के अलावा ब्याज दरों पर भी दबाव पड़ता है, जिससे निजी निवेश कम हो जाता है और इसलिए वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि बाजार को मुक्त बनाया जाता है ताकि संसाधनों का पूर्णतः उपयोग किया जा सके। कीनिशियन विचारधारा में यह तर्क दिया जाता है, विशेषतया संसाधनों को प्रयोग में न लिए जाने की स्थिति में, उधारों द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त सरकारी व्यय में वृद्धि, चाहे वह निवेश के रूप में, हो या उपभोग के रूप में, वृद्धिकारी प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ोत्तरी का परिणाम होगी। परम्परागत कीनिशियन ढांचा सरकारी उपभोग अथवा निवेश संबंधी व्यय के बीच राजकोषीय घाटे के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच अन्तर नहीं करता और न ही यह मौद्रिकीकरण अथवा बाह्य अथवा आन्तरिक उधारों के माध्यम से राजकोषीय घाटे का वित्त प्रबंध करने के वैकल्पिक स्रोतों के बीच अन्तर नहीं करता। हालांकि कीन्स द्वारा किए गए विश्लेषण में बजट संबंधी कोई प्रत्यक्ष बाधा नहीं है लेकिन बाद के घटनाक्रम जिनमें बजट संबंधी बाधाएं सम्मिलित हैं, दर्शाते हैं कि परिणामस्वरूप कुछ कीनिशियन निष्कर्ष शिथिल पड़ गए हैं। रिकार्डियन तुल्य सिद्धान्त में राजकोषीय घाटों को वृद्धि पर उनके प्रभाव के लिए तटस्थ माना जाता है। घाटों द्वारा बजट का वित्त प्रबंध करने का अर्थ है करों को स्थगित करना। किसी भी वर्तमान अवधि में घाटा भावी कराधान के वर्तमान मूल्य के बिल्कुल समान है जिसकी आवश्यकता घाटे के परिणामस्वरूप बढ़े हुए ऋण का भुगतान करने के लिए है। चूंकि सरकारी खर्च का भुगतान होना चाहिए चाहे वह अभी किया जाए अथवा बाद में, इसलिए खर्च का वर्तमान मूल्य कर और कर-भिन्न राजस्वों के वर्तमान मूल्य के बराबर होना चाहिए। यदि घरेलू खर्च संबंधी निर्णय उनकी ऐसी आमदनियों के वर्तमान मूल्य पर आधारित है जिनमें उनकी कर संबंधी भावी देनराशियों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखा जाता है तो राजकोषीय घाटों का समग्र मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4.35 इन वैकल्पिक विश्लेषक ढांचों की प्रासंगिकता और व्यवहार्यता किसी एक अर्थव्यवस्था की प्रायोगिक विशेषताओं और प्रारम्भिक स्थितियों पर निर्भर करती है। यह विशेष रूप से घरेलू क्षेत्र की बचत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि उपभोक्ता दूरदर्शी नहीं है और देनदारी से बाधित हैं तो कुल उपभोग प्रयोज्य आमदनियों में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदी हो जाता है और यहां कीनिशियन का सिद्धान्त अधिक व्यवहार्य है। यदि व्यक्ति विवेक सम्मत है, पूरी तरह सजग हैं और परार्थवादी प्रवृत्ति से प्रेरित हैं तो वहां रिकार्डियन तुल्यता सिद्धान्त की कुछ मान्यता हो सकती है। सामान्यतः यह तर्क दिया गया है कि अल्पावधिक मांग प्रबंध के लिए कीनिशियन विचारधाराएं लागू होती हैं और दीर्घावधिक वृद्धि के लिए नव शास्त्रीय विचारधारा को प्रासंगिक माना जाना चाहिए। इन वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों में इतना गहरा अन्तर इस बात से आता है कि निजी क्षेत्र की बचत किसी एक निश्चित क्रम में राजकोषीय घाटे से कैसे प्रभावित होती है। यदि राजकोषीय घाटे अधिकांशतः राजस्व घाटों के वित्त प्रबंध के कारण होते हैं तो सरकारी बचत में गिरावट आएगी। कुछ हद तक इस गिरावट को निजी बचतों में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया जा सकता है क्योंकि राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने से सरकारी बाण्डों की धारिता के रूप में उनके धन में वृद्धि होती है। बाद वाला प्रभाव प्रायः पहले वाले प्रभाव की अपेक्षा कम होता है [10] और इससे समग्र बचत दर में गिरावट आती है।

4.36 बचत-निवेश के रूप में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा स्वीकार्य राजकोषीय घाटे के स्तरों के निर्धारण हेतु एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। भारत में एक घरेलू क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिक बचतें होती है जिन्हें निजी कार्पोरेट और सरकारी क्षेत्र द्वारा खपाया जाता है। ये अधिक बचतें उनकी वित्तीय रूप में बचते हैं। सारणी 4.10 में घरेलू क्षेत्र की अधिक बचत का परिदृश्य दिया गया है जो अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने हेतु उपलब्ध है। घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतें वर्ष 1993-94 से मोटे तौर पर एक ही क्रम में रहीं जो थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव के साथ स.घ.उ. के 10 से 11 प्रतिशत की रेंज में थी। वर्ष 1995-96 से चल रही प्रवृत्ति के साथ तुलना करते हुए यह पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के एक बड़े भाग को खपाता आ रहा है। इस आधिक्य के लिए निजी कार्पोरेट क्षेत्र की मांग वर्ष 1995-96 में स.घ.उ. के 4.65 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2002-03 में 1.4 प्रतिशत रह गई है। इसी कारण नब्बे के दशक के अन्त में ब्याज दरों पर कोई दबाव नहीं था। एक बार निजी क्षेत्र के मांग बढ़ जाने से वृद्धि में तेजी आने का दृश्य तभी सामने आएगा यदि सरकार अपने राजस्व घाटे को कम कर सकने में समर्थ हो जाती है तभी ब्याज दरें भी कम बनी रह सकेंगी। इसके अलावा, यदि सरकार अपने राजस्व घाटे को समाप्त करते हुए अपनी बचतों और पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है तो निजी निवेशों की मांग पुनः सुदृढ़ हो जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि आधारढांचे में सरकारी निवेश करने से निजी निवेश बढ़ेगा।

4.37 ऐसे प्रश्न उठते रहे हैं कि क्या भारत में सरकारी ऋण अवहनीय होता जा रहा है क्योंकि यह स.घ.उ. की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रहा है। राजकोषीय वहनीयता के लिए यह आवश्यक है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि को बढ़े हुए ऋण के शोधन की क्षमता बढ़ा कर प्रतिसंतुलित किया जाए। यह तर्क दिया गया है कि इस दृष्टि से आस्तियों के सृजन हेतु उधार लेना न्यायसंगत है। इस तथ्य के अलावा भी कि उधार ली गई राशि का 70 प्रतिशत से कुछ कम भाग इस समय पूंजीगत आस्तियों पर खर्च नहीं किया जा रहा है, वहां पर भी नहीं जहां पूंजीगत व्यय हो रहा है, आस्तियों पर प्रतिफल नगण्य है। उच्चतर वृद्धि के माध्यम से

सारणी 4.10
बचत और निवेश (स.घ.उ. के प्रति)
संबंधी क्षेत्र-वार शेष

(प्रतिशतांक बिन्दु)

वर्ष	घाटे वाले क्षेत्र		अधिकतावाले क्षेत्र	अन्तर
	सरकारी क्षेत्र	निजी कार्पोरेट क्षेत्र	वित्तीय आस्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचत	बचत की तुलना में निवेश की अधिकता
	आईपी-एसपी	आईसी-एससी	एसएच-आईएच	आई-एस
औसत (1985-86 to 1989-90)	7.72	2.37	7.20	2.33
1990-91	8.23	1.47	8.73	3.20
1991-92	6.85	2.56	9.51	0.52
1992-93	6.97	3.79	8.73	1.85
1993-94	7.61	2.14	11.03	0.56
1994-95	7.05	3.43	11.92	1.17
1995-96	5.63	4.65	8.90	1.75
1996-97	5.36	3.58	10.35	1.30
1997-98	5.28	3.80	9.64	1.46
1998-99	7.57	2.65	10.36	1.05
1999-00	7.98	2.11	10.62	1.14
2000-01	8.61	0.94	10.66	0.61
2001-02	8.58	1.42	11.14	-0.32
2002-03	7.54	1.39	10.30	-0.92

स्रोत (मूल आंकड़े) : राष्ट्रीय आय लेखा, के.सां. संगठन

और अधिक प्रतिफल भी ब्याज की बढ़ती हुई देनराशियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वास्तव में, ऋण के प्रति सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ते हुए अनुपात सहित राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर के कारण ब्याज भुगतानों और पेंशनों को घटा कर सरकार के वर्तमान खर्च में गिरावट हुई है।

4.38 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्व जुटाने की अपेक्षा उधार लेना प्रायः आसान विकल्प है, नीति निर्माताओं को बहिर्मुखी बैंचमार्क उपलब्ध कराने के लिए उधार हेतु प्रायः पूर्वनिर्धारित लक्ष्य निश्चित करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणार्थ मास्ट्रिक्ट संधि में यूरोपीय मौद्रिक संघ के सदस्यों के लिए दो अलग अलग शर्तें रखी गई हैः (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देश का समग्र वित्तीय घाटा अवश्य ही स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे कम होना चाहिए और (ii) देश के सरकारी ऋण का स्टाक स.घ.उ. के 60 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे कम होना चाहिए। यू.के. में वर्ष 1997 से एक गोल्डन नियम का पालन किया जा रहा है जिसके तहत राजकोषीय घाटे को सरकारी निवेश के बराबर रखा जाता है। भारत में भी राजकोषीय घाटे को कुछ निर्धारित लक्ष्य स्तरों के अनुरूप रखने के प्रयास किए गए हैं। ईएफसी ने सुझाव दिया है कि वर्ष 2004-05 में राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 6.5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर पर लाया जाए। दसवीं योजना में राजकोषीय घाटे का औसत आकार योजनावधि में स.घ.उ. का 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय सरकार के लिए एफआरबीएम लक्ष्यों में वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 3 प्रतिशत होने का लक्ष्य रखा गया है।

4.39 राजस्व और वित्तीय घाटों के लक्ष्य किसी पुनर्संरचना कार्यक्रम के अनिवार्य अंश हैं। केन्द्र सरकार की भांति राज्यों के लिए भी संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक ऐसे ही लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत होगी। इन लक्ष्यों के निर्धारण के लिए ब्याज दरों के स्तरों सहित प्रमुख वृद्धि परिदृश्य और अन्य पैरामीटरों की जरूरत है। ऐसे लक्ष्यों के निर्धारण हेतु ऋण के गतिक निर्धारकों को ध्यान में रखना उचित होगा। इस विश्लेषण में ऋण स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि दो घटकों पर निर्भर करती हैः

(क) स.घ.उ. अनुपात के प्रति प्राथमिक घाटा और (ख) ब्याज दर से ऊपर वृद्धि की अधिकता। यदि वृद्धि दर ब्याज दर के बराबर है तो स.घ.उ. के सापेक्ष ऋण मात्र संचित प्राथमिक घाटों का परिणाम होगा। तथापि, जब तक वृद्धि दर ब्याज दर से अधिक है यह स.घ.उ. के सापेक्ष में उच्चतर ऋण में बदल रहे कुछ प्राथमिक घाटों को खपा सकती है। दूसरी ओर, यदि ब्याज दर वृद्धि दर से अधिक हो जाती है तो ऋण सं.घ.उ. अनुपात दोनों घटकों के परिणामस्वरूप बढ़ जाएगा। एक मुख्य सीमा यह है कि नामिनल वृद्धि दर (जी) और नामिनल ब्याज दर (आई) को वास्तव में बहिर्मुखी रूप में नहीं लिया जा सकता, विशेष रूप में, राजकोषीय घाटे के बढ़ते हुए स्तर विशेष रूप से तब तक राजकोषीय घाटे के उच्च

स्तर ये निवेश के लिए हों, वृद्धि दर को बढ़ा सकते हैं जबकि राजकोषीय घाटों के उच्च स्तर ब्याज दर पर दबाव बना सकते हैं विशेष रूप से जब वित्तीय रूप में घरेलू बचतें सरकार की उन बचतों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती जो बड़ी मात्रा में यह गैर सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए छोड़ देती है। ऋण गति के समीकरण का प्रयोग करते हुए कतिपय पूर्वानुमानों के तहत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो स.घ.उ. के सापेक्ष में ऋण और वित्तीय घाटे को स्थिर बनाए। यह माना जाता है कि नामिनल वृद्धि दर (जी) और नामिनल प्रभावी ब्याज दरें निर्धारित और बहिर्मुखी होती है। सम्बद्ध परिस्थितियां यह व्यक्त [11] करती हैं किः

(क) ऋण स.घ.उ. अनुपात बी* के स्तर पर स्थिर होगा जहां *= पी(1+जी)/(जी-आई) है,

(ख) स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का अनुपात एफ* पर स्थिर रहेगा जहां एफ*=पीजी/(जी-आई) है।

4.40 स.घ.उ. के प्रति राजस्व प्राप्तियों के अनुपात जिसे (आर) द्वारा दर्शाया गया है, को दर्शाते हुए इन स्थितियों को प्राथमिक घाटे की बजाए राजस्व प्राप्तियों (आईपी)* के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात के रूप में, समतुल्य रुप में लिखा सकता था, जैसाकि नीचे दिया गया हे [12]ः

(क) ऋण स.घ.उ. अनुपात स्तर बी* पर स्थिर होगा जहां बी*=(आईपी)* आर(1+जी)/आई है।

(ख) स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटा एफ* पर स्थिर होगा जहां एफ*=(आईपी)* आर जी/आई है।

राज्यों के मामले में, जी.एस.डी.पी. के प्रति राजस्व प्राप्तियों के अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के अनुपात में सभी राज्यों में काफी भिन्नता है। राज्यों को उपचित राजस्व भी अन्तरणों के रूप में होते हैं। ऋण वहनीयता की स्थितियों को राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात के रूप में लेना ज्यादा उपयोगी होगा हालांकि स्थितियों के दो सेट एकसमान हैं।

4.41 वर्तमान भारतीय संदर्भ में, एफआरबीएम ने केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 3 प्रतिशत पर निर्धारित किया है। (एऔर बी) संबंधों का प्रयोग करते हुए जिसका अर्थ है [बी*) एफ =(1* जी)/जी][3], यह देखा गया है कि राजकोषीय घाटे के इस स्तर और 12 प्रतिशत की नामिनल वृद्धि दर के लिए ऋण-स.घ.उ. अनुपात समान रूप से 28 प्रतिशत पर स्थिर होगा। इस समय, केन्द्र का ऋण स.घ.उ. अनुपात 53 प्रतिशत के करीब है जिसमें विदेशी ऋण को परम्परागत दरों पर मापा गया है और एनएसएसएफ देनदारियों के उस भाग को शामिल नहीं किया गया है जिसके प्रति राज्य प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियां हैं और जिसमें बाजार स्थिरीकरण स्कीम (एमएसएस) को भी शामिल नहीं किया गया है और जिसके लिए नकद शेष की समान राशि धारित की जाती है। चूंकि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किया गया है इसलिए जब तक वृद्धि ब्याज दर से अधिक बनी रहती है प्राथमिक घाटे को स्थिरीकरण के चरण में बनाए रखा जा सकता है। 12 प्रतिशत नामिनल वृद्धि दर और 7 प्रतिशत ब्याज दर के मिश्रण के लिए यह स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के बराबर होगा। हमारा विचार हे कि स.घ.उ. के सापेक्ष में 6 प्रतिशत का सम्मिलित राजकोषीय घाटा वित्तीय आस्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचतों की उपलब्धता के अनुरूप होगा जो चालू खाते के घाटे के 10 प्रतिशत के वांछनीय स्तर और कार्पोरेट क्षेत्र तथा गैर-विभागीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की अपेक्षानुसार है। चालू खाते के घाटे के 1.5 प्रतिशत के स्वीकार्य स्तर सहित घरेलू क्षेत्र की स.घ.उ. के 10 प्रतिशत की अन्तरणीय बचतें सरकार के 6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त होंगी जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा स.घ.उ. के 4 प्रतिशत और गैर-विभागीय सरकारी उद्यमों द्वारा 1.5 प्रतिशत का आमेलन शामिल होगा। जब राजस्व घाटा शून्य हो जाएगा तो सम्पूर्ण राजकोषीय घाटा निवेश को बढ़ाएगा जिससे स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल निवेश 28 से 30 प्रतिशत की रेंज के स्तर पर पहुंच जाएगा। इस कुल निवेश में घरेलू क्षेत्र स.घ.उ. का लगभग 12 प्रतिशत, निजी क्षेत्र स.घ.उ. का लगभग 8 प्रतिशत और सरकारी क्षेत्र स.घ.उ. लगभग 8 से 10 प्रतिशत निवेश करेगा।

4.42 सम्मिलित राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 6 प्रतिशत तक सीमित करना राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों को केन्द्र के मामले में वर्ष 2002-03 के लगभग 50 प्रतिशत, राज्यों के मामले में 26 और उनके सम्मिलित खाते में 37 प्रतिशत के बहुत ऊंचे स्तर से नीचे लाने के लिए भी जरूरी है। सरकारी वित्तों की पुनर्संरचना करने की प्रस्तावित योजना में इन्हें वर्ष 2009-10 तक कम करके क्रमशः केन्द्र के संबंध में 28 प्रतिशत, राज्यों के संबंध में 15 प्रतिशत और उनके सम्मिलित खातों में 22 प्रतिशत तक करना होगा।

4.43 समग्र राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 6 प्रतिशत होने की वांछनीयता के मद्देनज़र जैसा कि केन्द्र ने अपने उधारों के लिए पहले से ही 3 प्रतिशत का लक्ष्य तय कर लिया है, राज्यों के लिए समग्रतः राजकोषीय घाटे के समान स्तर की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार गैर-विभागीय उद्यमों सहित सरकारी क्षेत्र के उधार 7.5 प्रतिशत हो सकते हैं। विदेशी ऋण को परम्परागत विनिमय दरों पर मापते हुए सम्मिलित खाते के लिए ऋण स.घ.उ. का तदनुरूपी अनुपात 56 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो वर्ष 1996-97 के अन्त में स.घ.उ. के सापेक्ष में सम्मिलित ऋण के वास्तविक स्तर के निकट है। प्रत्येक राज्यों के संबंध में, पैरा 40 में विनिर्दिष्ट शर्तों का प्रयोग करते हुए राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात के रूप में लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। इस पर परिशिष्ट 4.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

4.44 इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ऋण-स.घ.उ. अनुपात को वर्तमान स्तरों पर स्थिर रखने और उन्हें वहनीयता के अनुरूप निम्नतर स्तरों अथवा सर्वाधिक अनुकूलता पर कुछ सीमा

तक विचार करने के बाद वांछनीय ऋण-स.घ.उ. अनुपातों पर स्थिर करने में अन्तर है। राजकोषीय समेकन में दो अवस्थाओं में भेद किया जा सकता हैः समायोजन अवस्था और स्थिरीकरण अवस्था। समायोजन अवस्था में ऋण-स.घ.उ. अनुपात में नियमित गिरावट होगी क्योंकि प्राथमिक घाटा समायोजन का मार्ग अपनाता है ताकि राजकोषीय घाटे के 6 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ऋण- स.घ.उ. अनुपात में वांछनीय स्तरों तक गिरावट होने के पश्चात प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा स्थिर हो जाएंगे।

4.45 इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए हम यह सिफारिश करते हैं कि

(i) संयुक्त खाते पर समग्र ऋण-स.घ.उ. अनुपात (विदेशी ऋण को परम्परागत दरों पर मापते हुए) को कम करके कुछ समय में स.घ.उ. के 56 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। चूंकि वर्ष 2004-05 के अन्त में इसका स्तर स.घ.उ. के 81 प्रतिशत पर बहुत ऊंचा होने का अनुमान लगाया गया है इसलिए इसे वर्ष 2009-10 के अन्त तक कम से कम 75 प्रतिशत तक नीचे लाना होगा।

(ii) राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में सम्मिलित ब्याज भुगतानों का स्तर वर्ष 2004-05 के 34 प्रतिशत से कम करके वर्ष 2009-10 में 22 प्रतिशत तक करना चाहिए और अन्ततः लगभग 17 प्रतिशत तक।

(iii) केन्द्र द्वारा राज्यों को उधार देने की प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त कर देना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के लिए ऋण स.घ.उ. अनुपात का दीर्घावधि लक्ष्य प्रत्येक के लिए 28 प्रतिशत होना चाहिए। स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे के अनुपात का उनका लक्ष्य प्रत्येक के संबंध में 3 प्रतिशत होना चाहिए।

राजकोषीय समायोजनः 2005-10

4.46 इस भाग में, हमने वर्ष 2009-10 तक राजकोषीय घाटे की रूपरेखा पर चर्चा की है। एफआरबीएमए की धारा 3 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष निम्नलिखित के संबंध में तीन विवरणियों प्रस्तुत करेगी (i) मध्यावधि वित्तीय नीति विवरणी (ii) राजकोषीय नीति विवरणी और (iii) वृहत आर्थिक ढांचा विवरणी, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में मूल्यांकन किया गया होगा (क) स.घ.उ. में वृद्धि (ख) राजस्व शेष तथा सकल राजकोषीय शेष में यथा प्रतिबिम्बित केन्द्र सरकार का राजकोषीय शेष, और (ग) भुगतान संतुलनों के चालू खाते के शेष में यथा प्रतिबिम्बित अर्थव्यवस्था का विदेशी क्षेत्र शेष। वर्ष 2004-05 के बजट में केन्द्रीय राजस्व घाटा स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। एफआरबीएमए के एक भाग के रूप में, वर्ष 2006-07 की अवधि के लिए पूर्वानुमानों का एक और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के एक भाग के रूप में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी बीच केन्द्र सरकार ने कार्यान्वयन हेतु एक कृतिक बल नियुक्त किया है जो एफआरबीएमए के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मध्यावधि राजकोषीय ढांचा तैयार करेगा। कृतिक बल के पूर्वानुमान वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए हैं और एक आधारभूत परिदृश्य से संबंधित हैं जो वर्तमान प्रवृत्तियों की अवस्थिति और सुधार परिदृश्य पर आधारित हैं जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के ढांचे में कतिपय बुनियादी परिवर्तन सुझाता है। केन्द्र सरकार ने आयोग को अपना ज्ञापन और पूर्वानुमान प्रस्तुत किए हैं और कृतिक बल के सुधार परिदृश्य के अनुमानों का भी उन्हें वर्ष 2009-10 तक बढ़ाते हुए उल्लेख किया है।

क कृतिक बल के पूर्वानुमान

4.47 कृतिक बल ने केन्द्रीय वित्तों की पुनर्संरचना की योजना बनाई है। राज्य के वित्तों के लिए भी इस योजना का खास महत्व है। कृतिक बल की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं का सार नीचे दिया गया हैः

(i) अनुच्छेद 268 क के अधीन सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है।

(ii) वस्तुओं के मामले में विनिर्माण से परे मूल्य वृद्धि व्यापार की प्रकृति की है जो उनकी थोक अथवा फुटकर बिक्री करने से हो रही है जिसे सेवा के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, सरकार इस मूल्यवृद्धि पर कर लगाने की हकदार है।

(iii) राज्यों को सेवाओं पर कर लगाने का हक नहीं है क्योंकि यह विषय संघ सूची में शामिल है। तथापि अनुच्छेद 268 क के तहत सेवाओं पर कर लगाने का कार्य पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में राज्यों को सौंपा जा सकता है।

(iv) तत्पश्चात राज्यों को एक बड़े सौदे का प्रस्ताव दिया जा सकता है जिसमें राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीसटी) में भागीदारी की मंजूरी दे सकते हैं जो 20 प्रतिशत की दर पर लगाया जा सकता है जिसमें से 12 प्रतिशत केन्द्र लगाएगा और 8 प्रतिशत राज्य लगा सकते हैं।

4.48 कृतिक बल द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के अनुसार, इन परिवर्तनों से राजस्व में खासी वृद्धि होगी। आधारभूत परिदृश्य में प्रत्यक्ष करों में 1.87 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों में 0.74 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें वर्तमान नियमों के तहत सेवाओं पर कर लगाना भी शामिल है। इनके परिणामस्वरूप, स.घ.उ. के प्रति केन्द्र के सकल कर राजस्व अनुपात में काफी सुधार आया है जो वर्ष 2003-04 के स.घ.उ. के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाते हुए वर्ष 2008-09 में 10.7 प्रतिशत हो जाएगा। इतनी वृद्धि होने के बाद भी एफआरबीएमए का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका और वर्ष 2008-09 में राजस्व घाटा स.घ.उ. का 1.66 प्रतिशत है। सुधार के दौर में भी अधिकांश समायोजन स.घ.उ. के प्रति केन्द्र के सकल कर राजस्वों के अनुपात में हुई पर्याप्त वृद्धि से ही किया

गया है जिसने वर्ष 2008-09 में इसे 13 प्रतिशत से ऊपर पहुंचाया है। एक बड़े सौदे के तहत कृतिक बल की जीएसटी की सिफारिश के संबंध में इस तरह के वाद-विवाद में कई मुद्दे आए हैं :

(i) वस्तुओं की मूल्यवृद्धि को सेवा मानते हुए उस पर कर लगाने की केन्द्र को शक्ति की विधिक स्थिति पर संदेह किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जो एक बार सही कानून बनने और अधिसूचित हो जाने पर कानूनी मुद्दा बन सकता है।

(ii) केन्द्र के पक्ष में इसका 12.8 का अनुपात इस प्रणाली में उर्ध्वस्थ असंतुलन बढ़ा सकता है विशेष रूप से इसलिए कि निर्माण कार्य संबंधी संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और बिक्री कर को जीएसटी के तहत मिलाया जाएगा। राज्य भी दरें निर्धारित करने की अपनी स्वायतता खो देंगे जो कराधारों पर स्वायतता रखने के लिए जरूरी है।

(iii) सेवाओं के अन्तर्राज्यीय कराधान के पहलुओं से और समस्याएं बढ़ती हैं। कुछेक ने तर्क दिया है कि अन्तर्राज्यीय विशेषता वाले करों की एक नकारात्मक सूची की जरूरत है। अन्तर्राज्यीय कराधान के मुद्दों का समाधान करने और छूट के दावों और प्रतिपक्षी दावों का निपटान करने के लिए एक समाशोधन गृह प्रणाली के प्रस्ताव से कई तरह की व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

(iv) यदि खर्च करने के निर्णयों को कर के निर्णयों से पूर्णतः अलग कर दिया जाता है तो इससे अक्षमता बढ़ेगी।

(v) सेवाओं पर कर की विभाज्यता की स्थिति अनियंत्रित रहेगी क्योंकि अनुच्छेद 270 के अधीन और इसलिए वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इन्हें बांटा नहीं जा सकता।

4.49 हमारे विचार में, व्यापक जीएसटी का प्रस्ताव आकर्षक है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सम्बद्ध विधिक और प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए, विशेष रूप से राज्यों के साथ राज्य स्तरीय वैट के कार्यान्वयन से यथासमय इसे शुरु करने में सुविधा होगी। लेकिन इस सुधारवादी परिवर्तन के बिना भी कर-स.घ.उ. के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि संभव होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि वर्ष 2004-05 के केन्द्रीय बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि स.घ.उ. के प्रति सकल केन्द्रीय कर राजस्व में एक वर्ष में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

ख. एफआरबीएमए के तहत विवरणियां

4.50 अर्थव्यवस्था और केन्द्रीय वित्त पोषण की सामान्य समीक्षा को प्रस्तुत करने वाली एक वृहत आर्थिक ढांचा विवरणी वर्ष 2004-05 के बजट के साथ पहली बार संसद को प्रस्तुत की गई है। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरणी में वर्ष 2006-07 तक के आवर्ती (रोलिंग) लक्ष्य दिए गए हैं। इसमें सामान्य रूप में स.घ.उ. में 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान पर कर-राजस्व का अनुमान लगाया गया है। इस पूर्वानुमान के तहत केन्द्र के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों में 26 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों में 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के आधार पर औसतन 22 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होने की आशा है। इसलिए प्रत्यक्ष करों की उपलक्षित वृद्धि 2.15 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों की उपलक्षित वृद्धि 1.58 प्रतिशत के बराबर है। स.घ.उ. के समानुपात के रूप में कर राजस्व बजट अनुमान 2004-05 के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 11.1 प्रतिशत होने का लक्ष्य रखा गया है। यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 1991 से कर दरों में कमी लाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मुकदमेबाजी कम करने, कर तंत्र को और व्यापक बनाने तथा सामान्यतया स्वैच्छिक रूप से इनके अनुपालन में वृद्धि करने सम्बन्धी सुधार किए गए हैं। राजकोषीय नीति योजना विवरणी (एफपीएसएस) में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजकोषीय घाटे का वित्त प्रबंध लगभग पूर्णतया घरेलू है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी खर्च की वृद्धि में कुछ विवेकपूर्ण नियंत्रण किया गया है। इसमें सब्सिडियों की पुनर्संरचना की बात कही गई है ताकि इनका लाभ वे लोग उठा सकें जिन्हें इन सब्सिडियों का लाभानुभोगी नहीं बनाया गया है। एफपीएसएस में धीरे-धीरे वस्तुओं और सेवाओं के समेकित कराधान की ओर बढ़ने तथा सीमाशुल्क को आसियान देशों में विद्यमान स्तरों तक कम करने की सरकार की वचनबद्धता व्यक्त की गई है।

राजकोषीय समायोजन

4.51 पुनर्संरचना के लिए योजना पर विचार करते समय सामान्यतः एक आधारभूत परिदृश्य तैयार किया जाता है जो इस पूर्वधारणा पर संभावित परिणामों को प्रतिबिम्बित करता है कि विद्यमान राजकोषीय प्रवृत्तियां भविष्य में जारी रहेंगी। इसकी तुलना में सुधार परिदृश्य संशोधन का मार्ग दिखाता है। हमारे विश्लेषण में एफआरबीएमए के परिणामस्वरुप और हमारी अपनी सिफारिशों का अनुसरण करते हुए वर्तमान प्रवृत्तियां जारी नहीं रह सकती। इसलिए एक मूल परिदृश्य तैयार करना प्रासंगिक नहीं होगा। इसकी बजाए हम मुख्य सुधार परिदृश्य पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और इस सुधार परिदृश्य में समायोजन के वैकल्पिक मार्गों पर विचार करेंगे। सारणी 4.11 में वर्ष 2005 से 2010 तक की अवधि के दौरान और उससे पूर्व के वृहत आर्थिक परिदृश्य के प्रमुख अन्तरों को दर्शाया गया है। केन्द्र और राज्य के सम्मिलित खाते में राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत तक कम करना होगा और राजस्व घाटे को कम करके शून्य स्तर पर लाना होगा। इससे समग्र बचत दर में वृद्धि होती है तथा साथ ही स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सरकार का पूंजी व्यय बढ़ता है। परिणामस्वरुप, जैसे ही समग्र निवेश दर बढ़ जाती है तो वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक पर स्थिर हो जाती है। यह माना जाता है कि मार्जिन पर ब्याज दर वर्तमान स्तरों पर बनी रहेंगी जिससे केन्द्र और राज्यों की औसत ब्याज दर में निरन्तर गिरावट होगी। जैसे ही राजकोषीय घाटा कम होगा और मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। ब्याज दर को बढ़ाने पर कोई दबाव नहीं होगा।

सारणी 4.11
वृहत आर्थिक परिदृश्यः वर्तमान एवं पूर्वानुमान अवधि

(स.घ.उ. को प्रतिशत के रूप में)

	2004-05 (अनुमान)	2009-10 (पूर्वानुमान)
स.घ.उ. वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर) (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	6.5	7.0
मुद्रास्थिति दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	6.0	5.0
बचत दर	24.0	26.0
निवेश दर	24.5	27.5
चालू खाते का घाटा	-0.5	1.5
राजकोषीय घाटा	8.9	6.0
राजस्व घाटा	4.5	0.0
सरकार का पूंजीगत व्यय	5.6	6.6

4.52 पुनर्संरचना की योजना राजस्व को बढ़ाने और व्यय को पुनर्संरचित करने, दोनों, पर ही निर्भर करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अवयव हैंः केन्द्र और राज्यों, दोनों, के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटों में लक्षित वृद्धि प्राप्त करने समय सं.घ.उ. के सापेक्ष में कर राजस्वों और पूंजीगत खर्चों में वृद्धि। सारणी 4.12 दर्शाती है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त खाते में 60 प्रतिशत से अधिक समायोजन राजस्व पक्ष से होता है। कर स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि की मात्रा 2.0 प्रतिशत निर्धारित की गई है। स.घ.उ. के प्रति समग्र राजस्व में वृद्धि 3.0 प्रतिशत अंक के निकट है। व्यय पक्ष में, स.घ.उ. के प्रति सम्मिलित राजस्व व्यय में गिरावट 1.7 प्रतिशत अंक है। हालांकि, कुल पूंजी व्यय में गिरावट आई है लेकिन प्राथमिक व्यय में वृद्धि हुई हैं क्योंकि स.घ.उ. के सापेक्ष में पूंजी व्यय में लगभग 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। जैसाकि राजकोषीय घाटा समाप्त हो गया है, ऋण वसूलियों और विनिवेश प्राप्तियों के रूप में ऋण-भिन्न प्राप्तियों द्वारा अनुपूरित राजकोषीय घाटे का पूंजी व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि लक्षित सम्मलित राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत है इसलिए पूंजी व्यय स.घ.उ. के 6 प्रतिशत से अधिक होगा। हमने विनिवेश प्राप्तियों के रूप में एक अल्प राशि मुहैया कराई है। हम आशा करते हैं कि वास्तविक राशि अपेक्षाकृत अधिक होगी तथा तदनुसार पूंजी व्यय निर्धारित मात्रा से अधिक होगा।

4.53 ऋण की पुनर्संरचना की हमारी योजना मों केन्द्र के प्रति राज्यों के ऋण का समेकन शामिल है, जिसका वापसी भुगतान विनिर्दिष्ट वर्षों में किया जाएगा। यह भी सुझाव दिया जाता है कि केन्द्र सरकार को राज्यों के उधारों में उत्तरोत्तर अपनी मध्यस्थता को घटाते जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, जैसाकि विदेशी सहायता के मामले में है, यह सरकारी खाते के माध्यम से की जानी चाहिए। यदि राज्यों को आगे और उधार देना केन्द्र के राजकोषीय घाटे का हिस्सा बना रहता है तो 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बहुत कम होगा। जैसे ही केन्द्र राज्यों को उधार देना बंद कर देता है राज्यों द्वारा की गई वापसी अदायगियां केन्द्र को पूंजी व्यय के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। राज्यों को, राज्यों के वित्तों की पुनर्संरचना की योजना में राजकोषीय घाटे के लिए निर्धारित मार्ग के अनुसार अपनी निवल उधारों की आवश्यकता के अलावा वापसी अदायगी की राशि बजट से उधार लेने की अनुमति होनी चाहिए।

सारणी 4.12
सम्मिलित वित्तों के संबंध में सुझाई गई पुनर्संरचना का सार

सम्मिलित वित्त	2004-05	2009-10	समायोजन वर्ष 2009-10 में से 2004-05 को घटा कर	औसत समायोजन प्रति वर्ष
कर राजस्व	15.6	17.6	2.0	0.40
कर-भिन्न राजस्व	2.5	3.4	0.9	0.18
कुल राजस्व प्राप्तियां	18.1	21.0	2.9	0.58
ब्याज भुगतान	6.1	4.5	-1.6	-0.31
कुल राजस्व व्यय	22.6	21.0	-1.7	-0.33
पूंजी व्यय	5.6	6.6	1.0	0.20
कुल व्यय	28.3	27.6	-0.7	-0.13
प्राथमिक व्यय	22.2	23.1	0.9	0.18
राजस्व घाटा	4.5	0.0	-4.5	-0.90
राजकोषीय घाटा	8.9	6.0	-2.9	-0.57
प्राथमिक घाटा	2.8	1.5	-1.3	-0.26
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	33.7	21.6	-12.1	-2.42
बकाया देनदारियां	80.8	74.5	-6.3	-1.26

सारणी 4.13
केन्द्र और राज्यों के वित्तों के सम्बन्ध में सुझाई गई पुनर्संरचना का सार

सम्मिलित वित्त	2004-05	2009-10	समायोजन वर्ष 2009-10 में से 2004-05 को घटा कर	औसत समायोजन प्रति वर्ष
केन्द्र के वित्त				
सकल कर राजस्व	9.7	10.9	1.2	0.24
कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	7.2	7.9	0.8	0.16
कर-भिन्न राजस्व	2.2	2.2	0.0	0.01
कुल राजस्व प्राप्तियां	9.4	10.2	0.8	0.17
ब्याज भुगतान	4.2	2.8	-1.3	-0.26
कुल राजस्व व्यय	11.9	10.2	-1.7	-0.33
पूंजी व्यय	3.0	3.5	0.5	0.10
कुल व्यय	14.8	13.7	-1.2	-0.23
प्राथमिक व्यय	10.7	10.8	0.2	0.03
राजस्व घाटा	2.5	0.0	-2.5	-0.50
राजकोषीय घाटा	4.5	3.0	-1.5	-0.29
प्राथमिक घाटा	0.3	0.2	-0.2	-0.03
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	44.5	28.0	-16.6	-3.32
ऋण (वर्ष के अन्त में समायोजित देनदारियां)	53.0	43.7	-9.3	-1.86
राज्यों के वित्त				
राज्यों के निजी कर राजस्व	5.9	6.8	0.8	0.17
कर राजस्व	8.4	9.7	1.3	0.25
निजी कर-भिन्न राजस्व	1.2	1.4	0.2	0.03
कर-भिन्न राजस्व	3.2	3.5	0.3	0.07
कुल राजस्व प्राप्तियां	11.6	13.2	1.6	0.32
ब्याज भुगतान	2.9	2.0	-0.9	-0.18
कुल राजस्व व्यय	13.6	13.2	-0.4	-0.08
पूंजी व्यय	2.6	3.1	0.5	0.10
कुल व्यय	16.2	16.3	0.1	0.01
प्राथमिक व्यय	13.3	14.3	1.0	0.20
राजस्व व्यय	2.0	0.0	-2.0	-0.40
राजकोषीय घाटा	4.5	3.0	-1.5	-0.30
प्राथमिक घाटा	1.6	1.0	-0.6	-0.12
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	24.9	15.0	-10.0	-1.99
ऋण (वर्ष के अन्त में समायोजित देनदारियां)	30.3	30.8	0.6	0.11
ज्ञापनः				
केन्द्र को राज्यों के ब्याज भुगतान	0.9	0.3	-0.7	-0.13

टिप्पणीः सम्मिलित कर-भिन्न राजस्वों को केन्द्र के कर-भिन्न राजस्व + राज्यों के निजी कर-भिन्न राजस्व-राज्यों से केन्द्र को ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है।

4.54 सारणी 4.13 में, सुझाई गई पुनर्संरचना का सार केन्द्र और राज्यों के वित्तों के लिए अलग-अलग दिया गया है। कर राजस्वों के संबंध में केन्द्रीय और राज्य दोनों कर वर्ष 2009-10 में कर-स.घ.उ. अनुपातों में वृद्धि दर्शाते हैं लेकिन केन्द्र के मामले में वृद्धि की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। व्यय के पक्ष में दोनों ही मामलों में पूंजी व्यय में वृद्धि हुई है और स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतानों में गिरावट हुई है। दोनों मामलों में, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य स.घ.उ. को 3 प्रतिशत रखा गया है और केन्द्र द्वारा राज्यों को उधार देना कम से कम कर दिया गया है अथवा इसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अपरिहार्य मामलों में यह भारत की समेकित निधि के माध्यम से देने की बजाए सरकारी खाते के माध्यम से दिया जाना चाहिए। हम नीचे प्रस्तावित पुनर्संरचना के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे।

पुनर्सरचना के आयाम

4.55 हमने सरकारी वित्तपोषण की एक बहु-आयामी पुनर्संरचना की सिफारिश की है जिसका उद्देश्य सरकारी वितपोषण प्रबंधन के गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों पहलुओं पर गौर करना है। विशेष रूप से प्रस्तावित पुनर्संरचना में निम्नलिखित विषय शामिल हैं।

(i) कर सुधारों का उद्देश्य करों की विकृति रहित और राजस्व लोच प्रणाली तैयार करना है जिसमें कर दरें न्यून हों, कर श्रेणियों की संख्या सीमित हो और वे स्थिर हों।

(ii) ऐसी सेवाओं के मामले में जिनमें आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है, कर-भिन्न राजस्व जहां अल्पावधि लक्ष्य के रूप में प्रयोक्ता प्रभार वर्तमान लागतों पर वसूलियां सुनिश्चित करते हैं और जिनका उद्देश्य दीर्घावधि में स्वीकार्य क्षमता स्तरों पर मापी गई लागतों की पूरी वसूली करना है ये उधारों की औसत लागत को कवर करने वाले निवेश पर लाभ की दरें भी सुनिश्चित करते हैं।

(iii) व्यय की पुनर्संरचना जो इसके आकार और क्षेत्रवार आवंटनों से संबंधित है, का उद्देश्य गलत आवंटन, योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन तथा सेवाओं के वितरण से उत्पन्न अक्षमताओं को दूर करना है;

(iv) सब्सिडियों को उनकी समग्र मात्रा में कमी करते हुए स्पष्ट बनाकर उनकी परादर्शिता को बढ़ाते और उनके लक्ष्य निर्धारण में सुधार करते हुए युक्तिसंगत बनाना है;

(v) उन मामलों में जहां प्राकृतिक एकाधिकारों और नीतिगत कारणों के अलावा सरकार की भागीदारी को कम करने का ठोस मामला हो, सरकारी क्षेत्र की पुनर्संरचना करना;

(vi) ऐसे मामलों में, जहां अन्तरणों को एकसमान करने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता हो और उन्हें स्थानीय निकायों को विस्तारित किया जाता है राजकोषीय अन्तरण प्रणाली।

(vii) योजना की प्रक्रिया के लिए एक परिष्कृत भूमिका का सुझाव देना।

(viii) स्थानीय सरकारी वस्तुओं के वितरण का एक और अधिक कारगर साधन बनने के लिए स्थानीय निकायों का भूमिका को मजबूत बनाना;

(ix) प्रत्येक राज्य के लिए उधारों की वार्षिक उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करने की जरुरत सहित राज्यों के लिए ऋणों की मध्यस्थता करने और कमी वाले बजट को कार्यान्वित करने में केन्द्र सरकार की भूमिका, और

(x) ऋण और घाटों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने तथा राज्य स्तर के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से उनका अनुवीक्षण (मानिटरी) करने की प्रक्रियाओं सहित संस्थागत ढांचो का सुझाव देना।

राजस्व पुनर्संरचना

4.56 राजस्व पुनर्सरचना पर विचार करते समय, हम यह मानते हैं कि केंद्रीय वस्तु करों के कर-स.घ.उ. अनुपात में गिरावट को केवल कुछ सीमा तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों में हुई बढ़ोतरी द्वारा कम किया गया है। इससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, इनमें से कुछ परिवर्तन दक्षतापूर्वक करों के विभिन्न सोपानों को घटा रहे हैं। विस्तृत कर आधार और निम्न दरें, सीमित दर श्रेणियां, कर सोपानों का अभाव था। न्यूनतम छूट तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार में कर अवरोधों का अभाव वस्तुओं तथा सेवाओं के कराधान की वांछनीय प्रणाली को स्पष्ट करेगा। इस प्रकार की प्रणाली को राज्यों के साथ भी सुमेलित किया जाए ताकि कर दरों की प्रतिस्पर्द्धी गिरावट से बचा जा सके। जहां केन्द्र सरकार के कर सम्बन्धी निर्णय राज्य सरकारों तथा इसके विपरीत क्रम में कर आधार को प्रभावित करते हैं जैसाकि बिक्री कर तथा संघ उत्पाद शुल्कों के मामले है, वहां सामान्य कर आधारों के उपयोग में शीर्ष स्तर पर समन्वय की जरुरत है। इसलिए केन्द्रीय बिक्री कर जैसे समेकित देशव्यापी बाजार के संबंध में राज्य स्तर मूल्य वर्धित कर (वैट) का कार्यान्वयन तथा कर सम्बन्धी अवरोधों को हटाने से कर सुधारों के दक्षता प्रभावों को मजबूती मिलेगी।

4.57 राज्यों ने केन्द्र के कुछ ही देर बाद कर सुधार शुरु किए थे। विशेष रूप से इन राज्यों ने बिक्री करों के संबंध में दर श्रेणियां कम कीं, छूटों में कमी कर दी और न्यूनतम दरें शुरु कीं। इन बदलावों के पश्चात ठोस राजस्व लाभ हुए थे। राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने हेतु राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति दिशा-निर्देशों के तहत अब कुछ समय से प्रयास जारी हैं। वित मंत्री ने वर्ष 2004-05 का बजट पेश करते समय अपने भाषण में "मूल्यवर्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन के प्रति राज्यों के बीच व्यापक सर्वसम्मति और 1 अप्रैल, 2005 को कार्यान्वनय की तारीख नियत होने" का उल्लेख किया था। यदि इस तारीख से राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर (वैट) का कार्यान्वयन किया जाए, तो इससे क्रमिक गिरावट के कारण होने वाली बाधाओं में और कमी होगी। हम यह सिफारिश करते हैं कि वस्त्र, तम्बाकू और चीनी जैसे अतिरिक्त सीमा शुल्क वाली मदों से संबंधित कर मूल्य व्यवस्था औपचारिक रूप से वापस ली जानी चाहिए तथा इन मदों को राज्य मूल्य वर्धित कर के समग्र अभिकल्प में समेकित किया जाना चाहिए जिसमें 4 प्रतिशत की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिए तथा वस्तुतः घोषित वस्तुओं की संपूर्ण व्यवस्था की संगतता कर पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, सेवाओं का कराधान विखंडित और अनियमित रहा। यदि राज्य स्तर पर वैट को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाए तो यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्येक और समग्र तौर पर राज्य-कर राजस्वों का कैसा प्रभाव होगा, विशेषतः उस समय जब बदली हुई प्रणाली का प्रारंभ इस आयोग की सिफारश की अवधि के साथ-साथ हो। राजस्वों पर राज्य-मूल्य वर्धित कर (वैट) के संभावित प्रभाव पर एक दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से हमने दो अध्ययन [13] किए थे, एक वैट के राजस्व प्रभाव से सीधे संबंधित है, और दूसरा राज्य स्तर पर कर सुधारों की राजस्व पर संभाव्यता से जो राज्य तथा केन्द्र कर राजस्वों की अन्तर्निर्भरता पर ध्यान देता है। इन अध्ययनों से यह निश्चित हुआ है कि यदि उचित रूप से तैयार किया जाय तो राज्य स्तर वैट

मध्यावधि से लंबी अवधि तक राजस्व वर्धित सिद्ध होगा। यदि कोई हानि होगी तो वह क्षणिक ही होगी है। राज्य स्तर पर वैट का कार्यान्वयन सुसाध्य और इसकी राजस्व निष्पादन क्षमता में सुधार होगाः यदि राज्यों के अन्तर्गत और राज्यों उनमें उत्पादन, खपत और वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेतावार प्रवाह से संबंधित संग्रहण तथा सूचना विनियम के लिए एक केन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्था स्थापित कर ली जाती है। हम यह समझते है कि केन्द्र सरकार एक उचित व्यवस्था की जांच कर रही है, जिसके जरिए ऐसी क्षणिक हानियों की प्रतिपूर्ति की जा सके। यह उल्लेख किया जाता है कि राजस्व में वृद्धि लाने हेतु अधिकतर वस्तुओं को 12 प्रतिशत की प्रस्तावित स्थायी दर के तहत रखा जाना चाहिए। राज्यों को यदि वे चाहें तो उच्चतम दर का प्रयोग करने का विकल्प दिया जा सकता है। सुप्रतिपादित सिद्धांतों के तहत लघु संख्यक वस्तुओं को 4 प्रतिशत की प्रस्तावित निम्न दर श्रेणी के तहत रखा जाए। केन्द्रीय बिक्री कर को शीघ्र चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाए।

4.58 हमारी पुनर्संरचना योजना में कर-राजस्व अनुपात 2 प्रतिशतांक तक बढ़ा है, जिसमें केन्द्र तथा राज्य दोनों का योगदान है। राज्यों के संबंध में मूल्यवर्धित कर (वैट) को स्वीकार करने से मध्यवधि से दीर्घावधि में राजस्व की वृद्धि होने की संभावना है। यदि कतिपय राज्यों के राजस्व में कोई गिरावट आती है तो उसके कम और क्षणिक होने की संभावना हे। हमारा यह विचार है कि इस परिवर्तन से कुछ हद तक खपत वाले राज्यों के लिए कुछ संसाधनों में वृद्धि एवं परिवर्तन होगा। इस प्रकार इन परिवर्तनों से विषम स्तरीय और समस्तरीय दोनों ही लाभ होंगे। विषमस्तरीय लाभ आधार में वृद्धि के कारण होगा क्योंकि बाधा संबंधी अदक्षताएं कम हो जाती हैं। सापेक्ष रूप से खपत वाले राज्य अधिक प्राप्ति करेंगे जिससे समस्तरीय लाभ उपचित होंगें। संविधान के 88वें संशोधन के अनुसरण में सेवाओं के कराधान संबंधी मामले का निपटान महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि सेवा कर को अनुच्छेद 268क के तहत रखा गया है इसलिए राज्यों के साथ अपने राजस्वों का बंटवारा वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह इस विषय के लेन-देन के संभाव्य विकल्पों के बीच बेहतर नहीं रहा होगा। जैसी मामलों की स्थिति हो, केन्द्र, राजस्वों के संग्रहण करने और प्रतिधारण करने के लिए राज्यों को निश्चित सेवाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन कर केन्द्र द्वारा लगाया जाएगा। जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों को मिलने वाला राजस्व राज्यों को हिस्से में मिलने वाले लाभ से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि समग्र सेवा कर प्राप्ति एक शेयर किए जाने वाले पूल का ही भाग रही थी। हमने कर अंतरण की प्रस्तावित योजना में इस पूर्वानूमान को स्थान दिया है।

कर-भिन्न राजस्व

4.59 कर भिन्न राजस्व स्रोतों के बेमेल मिश्रण में सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां इक्विटी निवेश पर लाभांश, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों और टैरिफ शामिल हैं। कर भिन्न राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में केन्द्र तथा राज्यों के सम्मिलित राजस्वों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 3 प्रतिशत पर स्थिर रहे हैं। निजी वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में, लागत वसूली का सिद्धांत लागू करना चाहिए और जहां लागतें पूरी तरह वसूल नहीं की जातीं वहां प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए इस तरह सरकारी वित्तों का प्रबंधन आवश्यक पारदर्शिता प्रदान करेगा और राजकोषीय हस्तक्षेप की क्षमता में सुधार जाएगा। ब्याज प्राप्तियों और लाभांशों के संदर्भ में, यह मामला सरकारी उद्यमों के सुधार से जुड़ा है और प्रयोक्ता प्रभारों का प्रश्न सब्सिडी से जुडा हुआ है। जहां रॉयल्टी देय हैं, यह यथामूल्य आधार पर होनी चाहिए। हमारी पुनर्संरचना योजना जीडीपी के सापेक्ष में कर भिन्न राजस्व में एक ठोस वृद्धि का प्रस्ताव करती है।

व्यय पुनर्संरचना

4.60 व्यय पुनर्संरचना के संबंध में, आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार के हस्तक्षेप के मूलभूत उद्देश्यों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच उत्तरदायित्वों के समनुदेश के लिए मूलभूत उद्देश्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। इस सदंर्भ में, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी व्यय को गुणवत्ता, पहुंच और सरकारी सेवाओं के परिणामों के साथ सम्बद्ध। यदि सरकारें ऐसे अनेक क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्र आवश्यक सेवाएं प्रदान कर सकता है, कम संसाधनों को ज्यादा क्षेत्र में फैलाने के बजाए अपने प्राथमिक उत्तरदायित्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें तो यह कार्य सुसाध्य बन जाएगा। सरकार की मुख्य भूमिका रक्षा, नियम व कानून और सामान्य प्रशासन जैसे सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराना है। यह एक प्रकार की बाजार असफलता को दर्शाता है। सरकारों की भूमिका शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बड़ी सकारात्मक बाह्यकारक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना है। विस्तार से यदि सार्वजनिक वस्तुओं का क्षेत्र रक्षा की तरह राष्ट्रव्यापी हो तो ये सेवाएं केन्द्र सरकार को सौंप दी जानी चाहिए। सेवाएं, यदि सार्वजनिक वस्तुओं का क्षेत्र प्रदेशों तक सीमित हैं अथवा बाह्य परक उपयोगिता स्वास्थ्य सेवाओं की तरह अधिक सीमित क्षेत्र में है तो ये राज्य सरकारों को सौंपी जा सकती हैं। यह विदित है कि लाभों के रह जाने के कई उदाहरण हो सकते है, जिसमें से कुछ को अनुदानों की उचित योजना द्वारा राज्य स्तर के को अन्तरीकृत किया जा सकता है। इस बात की जांच करने की आवश्यकता महसूस की जाती है कि क्या केन्द्र सरकार ऐसी अनेक जिम्मेदारियों में भाग ले रही है जोकि वैधानिक रूप से राज्यों के अधिकार-क्षेत्र से संबंधित हैं। दोनों ही स्तर की सरकारों ने अनेक निजी वस्तुओं का प्रावधान किया है, जो सार्वजनिक तथा प्राथमिकता आधारित वस्तुओं के संबंध में सेवा की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सरकारी व्यय की पुनर्संरचना के दो मुख्य कारक जीडीपी के सापेक्ष में आधारभूत ढांचे पर ध्यान केंन्द्रित पूंजी व्यय की वृद्धि और राज्य के उत्तरदायित्वों के रूप में सूचीबद्ध विषयों पर केन्द्र सरकार के व्ययों में कमी करना है।

व्यय से लेकर परिणाम तक

4.61 पारंपरिक बजटीय कार्यकलाप, इस बात की ओर ध्यान दिए बिना कि कैसे सरकारी व्यय उत्पादन और परिणामों में अंतरित किया जाता है, विभिन्न शीर्षों में संसाधनों के आवंटन पर

केन्द्रित रहा है। उत्पादन सरकारी व्यय का सीधा परिणाम होता है और उस के नतीजे अंतिम फल होते है। इस प्रकार शिक्षा के संदर्भ में एक नया स्कूल खोलना अथवा एक नये अध्यापक की नियुक्ति करना एक उत्पादन है तथा निरक्षता की दर में कमी लाना उस का फल है। क्षमता संबंधी मामलों पर विचार करना इस संदर्भ में अनिवार्य हो जाता है कि समान परिणाम को निम्न लागतों पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं और समान लागतें बेहतर परिणामों दे सकती है या नहीं। बजटीय सुधारों के महत्वपूर्ण भाग में व्यय के बीच संबंध की सूचना और बजट के आकार और विभिन्न शीर्षों के बीच उसके आवंटन के निर्धारण के अनुसार वास्तविक परिणामों के निर्माण में तदनुरुपी निष्पादन अवश्य शामिल करने चाहिए। हालांकि विगत में निष्पादन बजटिंग को आरंभ करने की कोशिशें रहीं है, लेकिन इस तरह के प्रयासों का कोई महत्व नहीं रहा है। केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तर पर निष्पादन बजटिंग को बजटों की तैयारी व मूल्यांकन के एकीकृत भाग के रूप में लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार सरकारी व्यय के प्रबंधन को अर्थव्यवस्था क्षमता और प्रभावकारिता द्वारा निर्देशित किया जाए।

सब्सिडियां

4.62 बजटीय सब्सिडियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। जब सब्सिडियां बजट में प्रत्यक्ष रूप से निश्चित की जाती है तो वह व्यय प्रबंधन में पारदर्शिता लाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997 में निकाले गये चर्चा पत्र के अनुसार बजट में कई छिपी सब्सिडियां मौजूद होती हैं। ये इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इन सब को उपलब्ध कराने में लगने वाली लागतों को प्रयोक्ताओं अथवा लाभभोगियों से वसूल नहीं किया जाता। शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकता वस्तुओं के संबंध में सब्सिडी प्रदान करना वांछनीय हो सकता है। लेकिन सब्सिडी प्रदान करने की वांछित सीमा को स्पष्ट तरीके से तैयार किया जाए। अनेक अध्ययनों [14] ने यह दर्शाया है कि निजी वस्तुओं के सरकारी प्रावधान में वसूल न की गई लागतों के रूप में आकलित सरकारी सब्सिडियां अधिक मात्रा में हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13 से 14 प्रतिशत तक होंगी। कई मामलों में सब्सिडी अक्षमताओं में वृद्धि करती है अथवा कहीं उसमें सहायक है। अक्सर सब्सिडियां बेकार हो जाती हैं क्योंकि वे उद्देशित लाभभोगियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997 में निकाले गये चर्चा पत्र में इन में से कई समस्याओं को दर्शाया गया है और सब्सिडी सुधार के लिए उपाय का सुझाव भी दिया गया, जिसमें सब्सिडियों की मात्रा में कमी करना, निविष्टि-आधारित सब्सिडियों को हटाना, इन सब्सिडियों को प्रत्यक्ष बनाना और उनके लक्ष्य में सुधार लाना शामिल हैं। व्यय सुधार आयोग ने खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडियों की भी विस्तार से जांच की और सुधारों की एक कार्यसूची का सुझाव भी दिया है। इन प्रयासों के बावजूद, केन्द्रीय बजट में सब्सिडियों की मात्रा अधिक रही। वर्ष 2002-2003 में केन्द्र के सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 18 प्रतिशत है। सब्सिडियां कम करने के लिए विशेषतः उर्वरकों तथा पेट्रोलियम के क्षेत्र में पहले लाई गई कुछ वचनबद्धताओं में कमी न की जाए। सब्सिडियों में वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए केन्द्र को एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। राज्यों के मामलों में, सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया का बहुत बड़ा भाग छिपा रहता है क्योंकि सेवाओं की लागतें बढ़ती रहती हैं जबकि लागतों के अनुपात में वसूलियां अत्यधिक कम हो जाती हैं। इसलिए लागतों के साथ प्रयोक्ता प्रभारों को जोड़ देने की स्पष्ट आवश्यकता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की निजी सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों के निर्धारण का पर्यवेक्षण एक स्वायत्त विनियामक आयोग द्वारा किया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता के हितों और सरकार के राजस्व दोनों की सुरक्षा हो सके।

सरकारी वेतन

4.63 कई राज्यों ने आयोग को यह अभ्यावेदन दिया है कि वेतन एवं भत्ते केन्द्र सरकार की व्यवस्था के अनुरुप होने की ओर अभिमुख है, और इसी वजह से केन्द्र सरकार से हटकर एक भिन्न वेतन संरचना का कार्यान्वयन करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। कुछ राज्यों के लिए ये समस्याएं अत्यंत कठिन बन गयी है क्योंकि उनके कुल व्यय में वेतनों का बहुत बड़ा भाग है। राज्यों के लिए प्रारंभ की स्थितियां भिन्न थीं क्योंकि विगत में उनके वेतनमान केन्द्र से भिन्न थे तथा वे विभिन्न नियुक्ति संबंधी नीतियों का पालन कर रहे थे। यदि सभी राज्यों की वेतन संरचना को समनुरुप बना दिया जाए तो एक राज्य में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी जनसंख्या के आकार, राजकोषीय क्षमता, और अन्य संगत विचारों से संबंधित कुछ तुलनीय मानदंडों के अनुरुप रखने की आवश्यकता है। ऐसा होने पर भी कार्यबल के गठन के कारण प्रति कर्मचारी वेतन व्यय भिन्न हो सकता है। उनकी राजकोषीय क्षमताओं की अपेक्षा में प्रसामान्यीकरण किया जा सकता है। वेतन का बोझ पहले से ही अधिक है और कम से कम ब्याज भुगतानों और पेंशन को घटाकर राजस्व व्यय के प्रति वेतन के अनुपात को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। इसे लगातार वर्ष 1996-97 के प्रचलित स्तरों तक लाया जाय। परिशिष्ट 4.2 रोजगार के सापेक्ष में प्रोफाइल और सरकार के वेतन बिलों पर चर्चा को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि ब्याज भुगतानों और पेंशन को छोड़कर राजस्व व्यय की तुलना में वेतनों पर व्यय वर्ष 1996-97 में 35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 42 प्रतिशत हो गया। ईएफसी ने यह सिफारिश की थी कि 10 वर्षों के अंतराल में एक नित्यक्रम के रूप में वेतन आयोग की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि एक नये वेतन आयोग की नियुक्ति करते समय राज्यों को परामर्श लेना चाहिए। हम इन सिफारिशों से सहमत हैं।

पेंशन सुधार

4.64 पेंशन भुगतान, केन्द्र तथा राज्य बजटों के वचनबद्ध व्यय का प्रमुख संघटक है। केन्द्र सरकार ने पेंशन सुधारों के लिए विशेषतः भर्ती होने वाले नये कर्मचारियों के संबंध में कई कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से, इसी तारीख को अथवा बाद में भर्ती होने वाले नये केन्द्र सरकारी कर्मचारियों (प्रथम चरण में, सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए मौजूदा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर एक परिभाषित

अंशदान पेंशन योजना आरंभ की है। केन्द्र सरकार ने एक स्वतंत्र पेंशन विनियामक प्राधिकरण की नियुक्ति हेतु विधान लाने के लिए एक प्रक्रिया भी शुरु की है, जो पेंशन निधियों के उचित निवेश को सुनिश्चित कर सकता है। पेंशन निधियों को विनियमित करने, उनमें वृद्धि करने और उसकी क्रमबद्ध वृद्धि को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पेंशन निधि विनियामक पर होगा। राज्यों के मामले में पेंशन देयताएं उनकी राजस्व प्राप्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। यह हिस्सा आगे बढ़ती हुई आयु और साठ के अंत में और सत्तर की शुरुआत में हुई नियुक्तियों की संख्या को देखते हुए और अधिक बढ़ सकता है, जब राज्य सरकारों का आकार में विस्तार किया जा रहा था। पेंशन सुधारों के लिए राज्य सरकारों को भी केन्द्र सरकार के समान पहलों की शुरुआत करने की आवश्यकता है। यह भी विनियामक की नियुक्ति करने से सरल हो जाएगा।

अनुत्पादक से लेकर उत्पादक पूंजी व्यय तक

4.65 प्रस्तावित पुनर्संरचना योजना में जीडीपी के सापेक्ष में केन्द्र तथा राज्यों के सम्मिलित लेखे में पूंजी व्यय का स्तर वर्ष 2009-10 तक जीडीपी के 7 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। हमने संकेत दिया है कि यह पूंजी व्यय प्रशासनिक विभागों और विभागीय उद्यमों के संबंध में है। गैर-विभागीय उद्यमों के लिए पृथक ऋण सीमाओं का निर्धारण किया गया है। पूंजी व्यय में वृद्धि सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली अनेक सेवाओं के लिए निवेश और भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ाने के लिए है जो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक सेवाओं की वृद्धि को बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने पर केन्द्रित है। यह गैर-विभागीय सरकारी उद्यमों को उनके शेयर पूंजी में अंशदान करते हुए हानियों को पूरा करने अथवा बजट-भिन्न ऋणों से होने वाले शोधन ऋण के लिए नहीं है।

राजकोषीय अंतरण प्रणाली की पुनर्संरचना

4.66 केन्द्र से राज्यों को राजकोषीय अंतरण वित्त आयोग, योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से होता है। राजकोषीय अंतरण की समग्र प्रणाली अनेक अपर्याप्तताओं और कमियों से पीड़ित है जो अंतरणों तथा अंतरणों के प्रत्येक खंड के अन्दर खंडीकरण के कारण उत्पन्न होती है। हम अंतरणों के विभिन्न चैनलों के संबंध में सुधारों की एक योजना की सिफारिश करते हैं जिसे एक समयावधि के भीतर कार्यान्वित किया जा सकता है।

क. वित्त आयोग अंतरण

4.67 अंतरणों की प्रणाली समकरण द्वारा मार्गदर्शित होनी चाहिए, जो इक्विटी तथा क्षमता के अनुकूल हों। कुछ हद तक मानकीय दृष्टिकोण का उपयोग सूचना अन्तरालों के कारण बाधित होता है। जनसंख्या के आंकड़े वर्ष 1971 से संबंधित हैं। जब तक इस आयोग की सिफारिश की अवधि पूरी हो जाएगी यह लगभग 39 वर्ष पुराना हो जाएगा। यहां तक कि जीएसडीपी के आंकडे जोकि राजस्व आधार के संकेतक के रूप में कार्य करता हैं वर्ष 2009-10 तक करीब 8 वर्ष पुराने हो जाएंगे। ऐसे संदर्भ में जहां असमानताएं बढ़ती जाती हैं, वहां प्रयोग की जाने वाले आंकडों के संबंध में एक समकरण दृष्टिकोण के तहत अंतरण प्रगामी तौर पर डिजाइन किया जाता है तो भी वास्तविक अंतरण होने के समय तक अंतरण प्रणाली प्रतिगामी हो सकती है। वर्ष 1971 में जब सभी राज्यों की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थीं, जनसंख्या जनगणना आंकड़ों की प्रासंगिकता को लेना कठिन है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में सभी राज्यों की जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक थी। यह लगभग 100 प्रतिशत अप्रचलित है। हम यह मानते है कि अन्तर्निहित उद्देश्य ऐसे राज्यों को दंडित करने के होने चाहिएं जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में तुलनात्मक आधार पर अच्छा कार्य नहीं किया है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि जन्मदर, मृत्युदर और निवल प्रवसन का परिणाम है। यह बेहतर होगा कि टीओआर में उद्देश्यों को बतला दिया जाए और उन सिद्धान्तों जिनके आधार पर अंतरण तंत्र कार्यान्वित किया जाता है, का निर्णय वित्त आयोग पर, छोड़ दिया जाए। सूचना अन्तराल की समस्या से अंततः तब छुटकारा होगा जब वित्त आयोग अंतरणों के नियम और भार, जो कि 5 वर्षों के लिए हैं को निर्धारित करेगा, लेकिन वास्तविक हिस्से का प्रत्येक वर्ष के अद्यतन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए अद्यतन किया जाए। यह 5 वर्षीय समीक्षा और वार्षिकी अद्यतनों की ऐसी पद्धति है जो ऑस्ट्रेलिया में भी लागू है। वित्त आयोग अंतरणों से संबंधित मुख्य आशंकाओं के संबंध में पहले के अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है।

ख. योजना आयोग अंतरण

4.68 योजना सहायता के मामले में अनुदानों और ऋणों के बीच का अनुपात जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 30:70 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10:90 जिसमें राज्यों को योजना ऋणों पर केन्द्र सरकार द्वारा भारित ब्याज दर में का पूरक है, जो विगत में कभी कभी 300 से 400 आधार बिन्दु पर रहा है और ये केन्द्र को निधियों की लागत से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में, योजना अनुदान वास्तव में ब्याज-मुक्त अनुदान नहीं है। काफी समय से ये सब उच्चतर ब्याज प्राप्तियों के रूप में वसूल किये जाते है। योजना अनुदानों को असल अनुदानों के रूप में दिया जाए तथा राज्यों को बाजार से सीधा उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे एक परिवर्तन के लिए योजना सहायता में अनुदानों को ऋणों से अलग रखने की आवश्यकता होगी। इससे आवश्यकताओं के अनुसार अनुदानों का और क्षमताओं के अनुसार ऋणों का निर्धारण करने में सुविधा होगी। प्रत्येक राज्य के योजना आकार में वहनीय ऋण स्तर और बाजार से उधार लेने की क्षमता को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।

4.69 एक पुनर्संरचना योजना में योजना प्रक्रिया से संबंधित सुधारों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। व्यय की संरचना में विषमताओं का भाग योजना और योजना-भिन्न व्यय के बीच भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। पहले से ही सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण का त्याग करते समय नई परिसम्पत्तियों के सृजन की प्रमुखता अथवा योजना का भाग होने के कारण नयी स्कीमों की शुरुआत को दर्शाना अदक्षता है। इसके परिणामस्वरुप, एक ओर ऐसी कई अपूर्ण परियोजनाएं/योजनाएं रह जाती हैं जिससे

कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और दूसरी ओर, खराब रख-रखाव तथा तेजी से ह्रासमान होने वाली परिसंपत्तियां रह जाती हैं। काफी समय से आयोजनाएँ परियोजना-केन्द्रित होने के बजाय योजना-केन्द्रित हो गयी हैं जिस कारण ऐसी परिसम्पत्तियां जो आयोजनागत व्यय के वित्त प्रबंध हेतु उपयोग किए गए ऋण के शोधन हेतु प्रतिफल प्रदान कर सकती हैं, न तो सृजित की जाती है और न ही उनका रख-रखाव किया जाता है।

4.70 केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं के मामले में केवल अनुदान घटक होना चाहिए तथा अनुदानों के साथ ऋणों को संबद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य को उसके अनुदानों की पूरी हकदारी दी जानी चाहिए तथा उसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित (सीएस) योजनाओं में से, कुल अनुदान की सीमा के भीतर, अपना विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार सीएस योजनाओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगेगी और मंत्रालय पर ऐसी परियोजनाएं तैयार करने का दबाव होगा जिनकी मांग अधिक होगी। यह मौजूदा आपूर्ति-प्रेरित दृष्टिकोण के जरिए दूर होगा जहाँ योजनाएं बड़ी संख्या, प्रतिरुपता और मानिटरिंग की कमी द्वारा श्रेणीबद्ध की जाती हैं। सीएस योजनाएं अनेक समितियों द्वारा अध्ययन का विषय रही हैं। सामान्य सर्वसम्मति इनकी संख्या में कमी कराने के प्रति रही है, लेकिन उसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई मन्द रही है।

ऋण पुनर्संरचना

4.71 वर्ष 2002-03 में केन्द्र सरकार ने एक ऋण अदला-बदली योजना आरंभ की ताकि राज्य सरकारों को मौजूदा लघु बचत अंतरण के भाग और अतिरिक्त बाजार उधारों के साथ भारत सरकार को देय अपने उच्च लागत वाले ऋणों की अदला-बदली करने में सुविधा हो। वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सरकारों ने 20 प्रतिशत लघु बचत शेयर और अतिरिक्त बाजार उधारों सहित 13766 करोड़ रुपए की अदला-बदली की। वर्ष 2003-04 के दौरान अंनतिम आँकड़ों के अनुसार 46211 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों का 30 प्रतिशत लघु बचत अंतरणों और अतिरिक्त बाजार उधारों के साथ अदला-बदली की गई है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को अपनी देयताओं के पुनर्भुगतान के लिए ऋण अदला-बदली योजना के तहत प्राप्तियों का प्रयोग किया है। यह केन्द्र सरकार के समग्र ऋण तथा उसके साथ प्रभावी ब्याज दर को कम कराने में प्रभावी रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान 43887 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ऋण अदला-बदली के लिए परिकल्पित की गई है।

4.72 वर्ष 2004-05 के प्राप्ति बजट के अनुसार भारत सरकार की कुल देयताएं 1985866 करोड़ रुपए दर्शाई गई हैं। इसमें राज्य सरकारों को ऋणों के प्रति राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के सरकारी लेखे में देयताएँ और 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की बाजार स्थिरीकरण योजना शामिल है। बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) निधियाँ मौजूदा व्यय के लिए सरकार को उपलब्ध नहीं हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी रूप में रहती हैं। एनएसएसएफ के तहत ऋण लेने के एवज़ में में राज्यों ने विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की हैं। इन दो राशियों को परिसंपत्ति की तरफ से समायोजित करने के लिए वर्ष 2004-05 के अंत में केन्द्र सरकार की बकाया देयताएँ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 53 प्रतिशत होनी अनुमानित हैं। राज्यों के लिए ऋण अदला-बदली कार्यक्रम पर आधारित एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के शोधन के कारण जीडीपी के सापेक्ष में केन्द्र सरकार की देयताओं में गिरावट हुई है।

4.73 उसी प्रकार, केन्द्र सरकार को राज्यों द्वारा उधार लेने में अपनी मध्यस्थता चरणबद्ध रूप से समाप्त कर देनी चाहिए। जहाँ आवश्यक हों, एक लोक लेखे के माध्यम से इसकी देख-रेख की जाय। तथापि, लघु बचत और राज्यों के लोक लेखे और प्रारक्षित निधियों सहित सभी स्रोतों से उधार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए उधार की सीमाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता है। हमारी पुनर्संरचना योजना में राज्यों के समग्र राजकोषीय घाटे पर उल्लिखित उधार की सीमा 3 प्रतिशत है। उनके मामलों में भी वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाये। एक बार स्थिरीकरण हो जाने के बाद घाटे संबंधी इन नियमों को चक्रीय पेटर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ मध्यावधि में लागू किया जाये।

4.74 राज्यों के लिए हमारे द्वारा सुझाए गये ऋण पुनर्सरंचना कार्यक्रम में जैसा कि अध्याय 12 में बताया गया है, दो संघटक हैंः 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर वर्ष 2004-05 के अंत में केन्द्र के बकाया शेष में सभी राज्य ऋणों का समेकन जिनका 20 वर्षों में पुनर्भुगतान किया जाना है और राजस्व घाटों में कमी करने की उपलब्धि से संबद्ध एक ऋण राहत योजना। हम यह प्रस्ताव करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक पूर्वशर्त के रूप में सभी राज्यों को उत्तरदायित्व विधान बनाना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक वर्ष 2008-09 तक सभी राज्यों को राजस्व घाटा दूर करने का प्रावधान हो, राजकोषीय और राजस्व घाटों में कमी करने के लिए वार्षिक लक्ष्यों का प्रावधान शामिल हो, और संबंधित कानूनों में अपने बजट के साथ-साथ एक समेकित वृद्धि एवं राजकोषीय प्रणाली विवरण प्रस्तुत हों। जैसाकि राज्यों की उधारों के लिए बाजार में पहुंच बढ़ रही हैं उनकी राजकोषीय स्थिति का बाजारों द्वारा अधिकाधिक मूल्यांकन किया जाएगा। वे अतिरिक्त जोखिम को पूरा करने के लिए औसत ब्याज दरों से अधिक ब्याज देने के लिए मजबूर हो सकते हैं यदि बाजार मूल्यांकन द्वारा लोक वित्त को अधिक संतुलित न दिखाया जाता हो। इसलिए, राजकोषीय सुधार के लिए हम दो तंत्रों पर निर्भर हैंः राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत स्व-मूल्यांकन और बाजार में प्रस्तुतीकरण। हमारी दृष्टि में ये सब राज्यों की स्वायत्तता के साथ समझौता किए बिना ही राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रभावी साधन सिद्ध होंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र सुधार

4.75 जैसाकि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संकेत दिया गया है पूंजी की एक बड़ी राशि सरकारी क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाती हैं जो सरकार की निधियों की औसत लागत के संदर्भ में बहुत कम प्राप्तियों को दर्शाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 109 केन्द्रीय सरकारी (पब्लिक) क्षेत्र की कंपनियाँ घाटे में चल रही थीं। यह समस्या विशेषतः राज्यों के मामले में अधिक तीव्र है। राज्य स्तर

के 1003 सरकारी उद्यम "एसएलपीई" या तो कार्य नहीं कर रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं। केवल सरकारी निवेश पर प्राप्तियाँ अप्रचलित अथवा कम नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में एसएलपीई अपने लेखों को अंतिम रूप देने में असमर्थ भी हैं। उन एसएलपीई के संबंध में निवेश की कुल राशि जहाँ लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, वर्ष 2000-01 के अंत में 2,38,220 करोड़ रुपए होना अनुमानित था। तथापि, अनेक राज्यों ने कुछ एसएलपीई को बन्द करने और अन्यों में विनिवेश के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। पुनर्संरचना की अवधि अर्थात् 2005-10 में राज्य सरकारों को एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसमें लगभग सभी घाटे में चल रहे एसएलपीई को बंद करना शामिल है। राज्य विद्युत बोर्डों और परिवहन उद्यमों से संबंधित सुधार पृथक रूप से किए जा रहे हैं। वर्ष 2009-10 के अंत तक राज्यों के पास एसएलपीई के लघु लेकिन व्यवहार्य समूह होने चाहिए।

सुधारों के लिए राजकोषीय ढाँचा

4.76 नब्बे के दशकों में, विश्व के अधिकतर देश राजकोषीय सुदृढ़ता को प्राप्त करने, प्राथमिक अधिशेषों को प्राप्त करने में सक्षम थे। ऋण सीमाएं और घाटा, लक्ष्य सहित व्यापक सुधारों ने राजकोषीय रूपरेखा ढांचा को मजबूत बनाया है। व्यय नियमावली और राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता से भी इन राजकोषीय रूपरेखाओं को बल मिला है। इन राजकोषीय सुदृढ़ता प्रयासों [15] के मूल्यांकन से कतिपय कार्यों की पहचान की गई है जो विश्वसनीय और स्थायी समायोजनों के लिए कार्य करते हैं। तदनुसार, व्यय में कमी पर आधारित राजकोषीय सुदृढ़ता के अधिक सफल होने की संभावना है, विशेषतः तब जब ऋण के उच्च स्तरों वाले देशों द्वारा अपनाई जाती हो। व्यापक सुधारों के राजकोषीय ढांचें में राजकोषीय सुदृढ़ता प्राप्त करने तथा उसके अनुरक्षण करने पर लक्षित संस्थागत सुधारों की अपेक्षा है, जिसमें राजकोषीय नीति के लिए स्वतः चालित स्थायीकारियों और नीतिगत कार्रवाईयों के जरिए कारोबारी चक्रों से निपटने की गुंजाइश हो।

4.77 हाल ही के संस्थागत सुधारों को तीन बड़े समूहों में विभाजित किया जा सकता है : औपचारिक घाटा और ऋण नियमावली, व्यय सीमाएँ और पारदर्शिता। इस दृष्टिकोण के लिए मुख्य उदाहरण वे यूरोपियन देश हैं जो स्थिरता एवं वृद्धि द्वारा आपूर्ति मास्ट्रिक्ट संधि से बंधे हैं। यू.के. ने वर्ष 1997 से एक गोल्डन नियम आरंभ किया है जिसके द्वारा उधार केवल पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने के लिए दिया जाता है तथा निवल ऋण की सीमा एक चक्र में जीडीपी का 40 प्रतिशत है। कई देशों में उप राष्ट्रीय स्तर पर घाटा और ऋण संबंधी नियमावली मौजूद है। यूएस में दो को छोड़कर सभी राज्यों के पास ऐसे कानून हैं जिनमें राज्यों को ऋण जुटाने के लिए संतुलित बजट और ऋण सीमा की आवश्यकता होती है। कनाडा के नौ प्रांत और संघ राज्य क्षेत्रों के पास संतुलित बजट वाली राजकोषीय नियमावली है जिसमें केवल निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु ऋण लेने की अपेक्षा होती है। कनाडा ने एक कठोर व्यय समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। ऋण सीमांकन घाटे संबंधी नियमावली के लिए एक सहायक कारक के रूप में कार्य कर सकता है। व्यवहार में ऋण सीमाएँ सिद्धांत पर आधारित परिकलनों द्वारा नही चलती रही हैं, बल्कि उच्च ऋण स्तरों को कम करने के उद्देश्य द्वारा चलती है और इसलिए सामान्य तौर पर इसे प्रत्येक देश के अनुभव के आधार पर चुना जाता है। सामान्य रूप से घाटा संबंधी नियमावली और विशेष रूप में संतुलित बजट की मुख्य आलोचना यह है कि वे अपरिवर्तनीय हैं और इसलिए पूर्व-चक्रीय की ओर उन्मुख हैं। यह उप-राष्ट्रीय सरकारों के साथ तुलना करते समय राष्ट्रीय सरकारों के लिए अधिक महत्वपूर्ण विषय है। इस कारण राष्ट्रीय सरकार में घाटा नियमावली को अधिकांशत चक्रीय रूप से समायोजित घाटा उपायों अथवा आर्थिक चक्र की अपेक्षा एक औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार यह नियमावली घरेलू स्थायीकारियों के चालन की अनुमति देती है और एक हद तक चक्र के भीतर विवेकाधीन नीति के लिए गुंजाइश भी प्रदान करती है।

4.78 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यू.के. जैसे देशों ने राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता पर बल दिया है। इस दृष्टिकोण के मुख्य घटक हैः अप्रत्यक्ष कानूनी आधार, राजकोषीय नीति के मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों का विस्तार करना, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अपेक्षा, राजकोषीय नीति पर दीर्घावधि सकेन्द्रण की आवश्यकता पर बल देना और जनता को राजकोषीय संबधी सूचना देना। यू.के., यू.एस. और न्यूजीलैंड ने पारदर्शिता के लिए कानून आरंभ किए हैं, जिनमें घाटों और ऋणों के लिए उद्देश्य प्रदान करने वाले विवरण की अपेक्षा है। यू.एस, व्यय और घाटा संबंधी नियमावली पर अपेक्षाकृत अधिक महत्व देता है। व्यय संबंधी नियमावली मुख्य रूप से व्यय के विशेष क्षेत्रों जैसे गैर-विवेकपूर्ण व्यय के विपरीत विवेकपूर्ण व्यय की सीमा और विशेष कार्यक्रमों के संबंध में कुछ मामलों पर बल देती है। इस प्रकार तीन संरचनात्मक परिवर्तन भारत में राजकोषीय स्थिति को पुनः चालू करने में सहायता कर सकते हैं नामतः (i) ऐसे कानून अधिनियमित करना जो राजकोषीय असावधानियों पर रोक लगा सकें और राजकोषीय तथा राजस्व घाटों के संबंध में लक्ष्य तय कर सकें और जिसमें विशिष्ट शर्तों के अधीन व्यय संबंधी कटौतियों के लिए नियम हो। (ii) राजकोषीय प्रबंधन में ऐसी पारदर्शिता अपेक्षाएं हो, जिससे सरकार की राजकोषीय स्थिति को अच्छी तरह समझने में उसके नागरिकों और उसके प्रतिनिधियों को सहायता प्राप्त हो और (iii) बाजार अनुशासन, विशेषतः ऋण जुटाने के प्रति उन का अधिक संपर्क हो।

सारांश

4.79 पुनर्संरचना संबंधी हमारे दृष्टिकोण में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एवं समन्वित प्रयासों की अपेक्षा है। यह एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य के साथ बृहत्‌ आर्थिक ढांचे में राजकोषीय सुधारों पर बल देता है। यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कराधान और राजकोषीय रूपरेखा में अधिकाधिक परिवर्तन वर्ष 2005-06 तक पूरे होने चाहिए तथा इस प्रक्रिया में सुधार तिमाही और वार्षिक समीक्षाओं के आधार पर किये जाने चाहिए। हमने जिस राजकोषीय पुनर्संरचना की मुख्य प्रणाली की सिफारिश

की है वह वृद्धि दर की प्रवृत्ति को बढ़ाने पर केन्द्रित है। ऐसा बचत दर में वृद्धि करते हुए किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार के अधिव्ययों में भारी कमी करने की अपेक्षा है। इसके लिए कम से कम सरकार के दोनों ही स्तरों पर राजस्व घाटे को दूर करने की अपेक्षा है। तथापि, हम आधारभूत ढांचे पर लक्षित सरकार के निवेश में वृद्धि करने की सिफारिश करते हैं। हमने जो विशेष सुझाव दिये हैं, वे नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये हैं :

(i) सुझायी गई सुधार प्रणाली सरकारी क्षेत्र की बचत और जीडीपी की तुलना में सरकार की पूंजी व्ययों को बढ़ाते हुए वृद्धि को मजबूत बनाने पर केन्द्रित होनी चाहिए। इसके लिए राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का भाग कम करने की अपेक्षा है, जिससे वह स्वतः कम हो जायेगा।

(ii) बृहत आर्थिक परिदृश्य जो राजकोषीय सुधारों के लिए रूपरेखा का कार्य करता है, में औसतन वास्तविक वृद्धि 7 प्रतिशत और मुद्रास्फीति दर 5 प्रतिशत है।

(iii) वर्ष 2009-10 तक राजकोषीय सुधार में वृद्धि की अपेक्षा है, जिसमें संयुक्त कर-जीडीपी दर 17.6 प्रतिशत, प्राथमिक व्यय जीडीपी के 22 प्रतिशत के स्तर पर और पूंजीव्यय जीडीपी के लगभग 7 प्रतिशत तक हो।

(iv) ऋण और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के लक्ष्यों और संबंधित महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह विचार है कि :

(क) जीडीपी के 6 प्रतिशत का संयुक्त राजकोषीय घाटा और प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर के साथ यह प्रणाली 56 प्रतिशत की संयुक्त ऋण जीडीपी दर की ओर अभिमुख होगी। मौजूदा स्तर पारंपरिक विनिमय दरों पर आकलित विदेशी ऋण सहित जीडीपी 81 प्रतिशत के उच्च स्तर पर होना अनुमानित है। वर्ष 2009-10 के अंत तक इसे कम से कम 75 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए।

(ख) कुछ समय से आगे उधार लेने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है, ऋण-जीडीपी के लिए दीर्घावधि लक्ष्य केन्द्र तथा राज्य के लिए प्रत्येक का 28 प्रतिशत होना चाहिए। उनका जीडीपी की दर की तुलना में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्रत्येक जीडीपी के 3 प्रतिशत पर नियत करना चाहिए। दोनों ही मामलों में, वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को दूर करना चाहिए।

(ग) जीडीपी दरों की तुलना में राजस्व के अनुमानों के तहत अंततः वर्ष 2009-10 तक केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में ब्याज भुगतान लगभग 28 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। राज्यों के मामले में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में ब्याज भुगतानों का स्तर वर्ष 2009-10 तक करीब 15 प्रतिशत तक कम होगा।

(v) प्रस्तावित राजकोषीय समायोजन के भाग के रूप में केन्द्र तथा राज्यों के लिए जीडीपी के सापेक्ष में राजस्व घाटा, उनके संयुक्त तथा वैयक्तिक खातों को वर्ष 2008-09 तक शून्य के स्तर पर कम कराना चाहिए। केन्द्र के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं और बजट प्रबंधन अधिनियम में पहले से ही ऐसा प्रावधान है।

(vi) राज्यों को भर्ती एवं मजदूरी नीति का पालन करना चाहिए, वह भी इस तरीके से कि ब्याज भुगतानों और पेंशन को घटाकर राजस्व व्यय के सापेक्ष में कुल वेतन बिल 55 प्रतिशत से अधिक न हो।

(vii) हम यह सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक राज्य को एक राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान प्रांरभ कर देना चाहिए। इसे ऋण-राहत योजना का लाभ उठाने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, जैसाकि हमने एक दूसरे अध्याय में सिफारिश की हैं। इस विधान में कम से कम निम्नलिखित शामिल होने चाहिएं :

(क) वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे का उन्मूलन;

(ख) राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक कम करना अथवा उसके समतुल्य जिसे राजस्व प्राप्तियों की तुलना मे ब्याज भुगतानों की दर के रूप में परिभाषित किया है;

(ग) राजस्व और राजकोषीय घाटों को वार्षिक कमी के लक्ष्यों तक लाना;

(घ) राज्य अर्थव्यवस्था और संबंधित राजकोषीय प्रणाली के लिए संभावनाएं दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी का प्रकाशन करना ।

(ङ) बजट के साथ-साथ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतनों का ब्यौरा देने वाली विशेष विवरणियों का प्रकाशन ।

अंतिम टिप्पणियां

(1) इसमें परम्परागत विनिमय दरों पर मूल्यांकित विदेशी ऋण शामिल हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट. 2000-01 पृष्ठ सं. iv-12 से 14 ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक (ओप.सिट.) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार नब्बे के दशक के दौरान चक्रीय घाटा स.घ.उ. के 0.12 प्रतिशत के घाटे और स.घ.उ. के 0.21 प्रतिशत अधिशेषों के बीच में रहा है। हाल के वर्षों में संरचनात्मक राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के लगभग 10 प्रतिशत की रेंज में रहा है।

जैसा कि (2) में है।

(4) हम, यथार्थ रूप में उत्पादन की प्रवृत्ति तथा मूल्य स्फीतिकारक की जानकारी के लिए हाडरिक-प्रेसकोट (एचपी) फिल्टर

का प्रयोग करते हैं । माना कि श्रृंखला वाई है तो एचपी फिल्टर, वाई के बराबर एस का परिकलन एस के दूसरे अन्तर को बाधित करने वाली पेनल्टी के अधीन एस के आस-पास वाई के अन्तर को न्यूनतम करते हुए करता है। पेनल्टी पैरामीटर एस श्रृंखला को समानता को नियंत्रित करता है। पेनल्टी पैरामीटर जितना बढ़ा होगा श्रृंखला उतनी ही समान होगी। पैरामीटर का प्रतिमान बहुत अधिक होने से श्रृंखलाएं रेखाकार हो जाती हैं। हमने इस पैरामीटर के लिए 100 के मान का प्रयोग किया है जिसकी समान्यतया वार्षिक श्रृंखलाओं के मामले में सिफारिश की जाती है।

(5) आहलुवालिया ने अपने लेख "सुधार-पश्च अवधि में राज्यों का आर्थिक निष्पादन" (ईपीडब्लयू, 2000) में, यह मानते हुए कि किसी एक राज्य की जनसंख्या उस राज्य की औसत आय पर केन्द्रित होती है गिनी गुणांक के अनुमानों के प्रतिपादन के लिए आवश्यक अर्हताओं का उल्लेख किया है।

(6) डा. सीता प्रभु और यूएन डीपी के भारत स्थित कार्यालयों में उनके सहयोगियों द्वारा तैयार ।

(7) वित्त आयोग के हित के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स के प्रो. टी.सी. अनन्त और आईडीएफसी के श्री निर्मल मोहन्ती द्वारा तैयार ।

(8) अलग-अलग समायवधियों में ऋण की गति को वर्णित करने वाले समीकरण का मानक विर्निदेशन इस समीकरण (1) के रूप में दिया गया है [(बी$_{\text{टी}}$ = पी$_{\text{टी}}$ +बी$_{\text{टी}}$ -1 (1+ 1$_{\text{टी}}$)/ (1 + जी$_{\text{टी}}$)] । जैसाकि रंगाराजन और श्रीवास्तव (2004, के लेख में चर्चा की गई है जेड$_{\text{टी}}$ =बी$_{\text{टी}}$ - बी$_{\text{टी-1}}$ समीकरण 1 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ।

जेड$_{\text{टी}}$ =पी$_{\text{टी}}$ - बी$_{\text{टी-1}}$ [(जी$_{\text{टी}}$ - आई$_{\text{टी}}$) (1 +जी$_{\text{टी}}$)-1]

अथवा पी$_{\text{टी}}$= जेड$_{\text{टी}}$ = +बी$_{\text{टी-1}}$ [(जी$_{\text{टी}}$-आई$_{\text{टी}}$) (1 +जी$_{\text{टी}}$)-1]
किन्हों भी दो बैंचमार्क वर्षों को 1 और टी मानते हुए

{पी$_{\text{टी}}$= {जेड$_{\text{टी}}$ +{बी$_{\text{टी}}$ +बी$_{\text{टी-1}}$ [(जी$_{\text{टी}}$-आई$_{\text{टी}}$)(1 +जी$_{\text{टी}}$)-1] (टी 1, ...टी)

पद ए1 ={जेड$_{\text{टी}}$ /{पीटी (टी = 1, ...टी)

उस मात्रा को दर्शाती है जिसमें संचित प्राथमिक घाटे ऋण संचयन में परिवर्तित किए जाते हैं। दूसरी ओर, पद

ए 2 ={बी$_{\text{टी-1}}$ [(जी$_{\text{टी}}$ - आई$_{\text{टी}}$)-1] /{पीटी (टी 1, ..टी)

उस मात्रा को दर्शाती है जिसमें संचित प्राथमिक घाटों को ब्याज दर से वृद्धि की अधिकता द्वारा खपाया जाता है।

(9) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के साथ किए गए विचार-विमर्श से इस बात की पुष्टि हो गई है कि सांख्यिकी संबंधी कुछ समायोजनों के अधीन प्रशासनिक विभागों और विभागीय उद्यमों की निवल बचतें और केन्द्र तथा राज्य सरकारों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा बराबर है।

(10) मुहलीसेन (1997, स्टाफ कागज-पत्र) ने अनुमान लगाया है कि हर बार सरकारी बचत में 2 प्रतिशतांक की वृद्धि होने से प्राइवेट बचतों में 0.25 प्रतिशतांक की कमी होती है। यह संबंध विपरीत क्रम में भी होता है।

(11) माना डी =अवधि के अन्त में बकाया ऋण, वाई = बाजार मूल्यों पर स.घ.उ., जी = वृद्धि दर, आई$_{(1)}$ = प्रभावी ब्याज दर, पी = प्राथमिक घाटा, एफ = राजकोषीय घाटा और आई$_{(1)}$ = ब्याज भुगतान। सम्बद्ध अवधि को अधोलिखित टी द्वारा दर्शाया गया है। ऋण-स.घ.उ. अनुपात को बी द्वारा और स.घ.उ. के प्रति प्राथमिक घाटे को पी द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार बी$_{\text{टी}}$ डी$_{\text{टी}}$ /वाई$_{\text{टी,}}$ और पी$_{\text{टी}}$ =पी$_{\text{टी}}$/वाई$_{\text{टी}}$ ।

परिभाषा के अनुसार

डी$_{\text{टी}}$ - डी$_{\text{टी-1}}$ = एफ$_{\text{टी}}$

अथवा डी$_{\text{टी}}$ - डी$_{\text{टी-1}}$ = पी$_{\text{टी+1 टी.}}$......................... (क)

हम इस तरह भी लिख सकते हैं :-

आई$_{\text{टी}}$ = आई$_{(1)}$डी$_{\text{टी-1,}}$ और वाई$_{\text{टी}}$ = वाई$_{\text{टी-1}}$ (1 +जी$_{\text{टी}}$)

(क) को वाई से भाग देने पर हमारे पास यह समीकरण होगाः

बी$_{\text{टी}}$-बी$_{\text{टी-1}}$ [1/(1 +जी$_{\text{टी}}$)]= पी$_{\text{टी}}$ + आई$_{\text{टी}}$ बी$_{\text{टी-1}}$[1/1+जी$_{\text{टी}}$)

अथवा बी$_{\text{टी}}$-पी$_{\text{टी-1}}$+ बी$_{\text{टी-1}}$[1-(1+ आई$_{\text{टी}}$)/ (1 +जी$_{\text{टी}}$)] ....(ख)

अथवा बी$_{\text{टी}}$-बी$_{\text{टी-1}}$ = पी$_{\text{टी}}$-बी$_{\text{टी-1}}$[1-(1+ आई$_{\text{टी}}$)/(1+जी$_{\text{टी}}$)]

अथवा बी$_{\text{टी}}$-बी$_{\text{टी-1}}$ = पी$_{\text{टी}}$-बी$_{\text{टी-1}}$[(जी$_{\text{टी}}$ + आई$_{\text{टी}}$)/ (1 +जी$_{\text{टी}}$)] ....(ग)

इस प्रकार बी$_{\text{टी}}$=बी$_{\text{टी-1}}$ =बी* का दीर्घावधि संतुलन निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया है.. बी* =पी (1 +जी) / (जी - आई (i) ...(घ)

तदनुरूप = एफ* = पी.जी. / (जी-आई) .....(ङ)

इस प्रकार, आई(i) और जी के मानों को मानते हुए स.घ.उ. के प्रति प्राथमिक घाटों के अनुपात (पी) के किसी भी लक्षित स्तर के लिए स.घ.उ. के प्रति ऋण का स्थिर अनुपात (घ) द्वार दर्शाया गया और स.घ.उ. के प्रति तदनुरूप राजकोषीय घाटे का अनुपात जो यह सुनिश्चित करेगा कि एफ* वर्ष प्रति वर्ष स्थिर रहता है, (ङ) द्वारा दर्शाया गया है। (घ) और (ङ) से यह भी पता चलता है कि बी* और एफ* के बीच संबंध एफ*=बी* जी/ (1+जी) द्वारा दर्शाया गया है।

....(च)

(12) राजस्व के प्रति ब्याज भुगतानों का अनुपात (आईपी$_{\text{टी}}$/आर आर$_{\text{टी}}$) नीचे दिए गए अनुसार प्राप्त किया जा सकता है :

आई पी$_{\text{टी}}$ = आई बी$_{\text{टी-1}}$ = आई बी$_{\text{टी-1}}$ वाई$_{\text{टी-1}}$

चूंकि ऋण स्थिर है बी$_{टी}$=बी$_{टी-1}$ बी* =आई पी$_{टी}$ = आई [पी (1+ जी)/(जी-आई] वाई$_{टी-1}$ अथवा आई, पी/(जी-आई] वाई$_{टी}$

(चूंकि वाई$_{टी-1}$ = वाई$_{टी}$ / (1 + जी)])

राजस्व प्राप्तियों को इस प्रकार लिखा जा सकता है :

आर आर$_{टी}$ = आर (r) वाई$_{टी}$

इस प्रकार (आई पी)*= आई पी$_{टी}$/ आर आर$_{टी}$ = आई पी/ आर(जी-आई(i)) अथवा पी/(जी-आई) =आई पी)* आर (आर)/ आई

इसके अलावा, स्थिरता के साथ, कि बी$_{टी}$ = बी$_{टी-1}$, यह दर्शाता है कि बी$_{टी}$ = बी$_{टी-1}$ = (1 + जी) हो जाता है।

फिर राजकोषीय घाटे को इस प्रकार लिखा जा सकता है।

एफ$_{टी}$ = बी$_{टी-1}$ जी

अथवा एफ$_{टी}$ = बी$_{टी-1}$ जी (1 + जी)

अथवा एफ* = बी$_{टी}$ जी / (1 + जी) = पी.जी. (जी.आई)

फिर हम ऐसा लिख सकते हैं :-

एफ*= (आई पी)*आर जी/आई का प्रयोग करते हुए (छ)

और बी* =(आई पी)* आर (1 + जी) / आई (ज)

तदनुसार, एफ*/बी* = जी/ (1 + जी)

(13) एक अध्ययन राष्ट्रीय सरकारी वित्त और नीति संस्थान द्वारा किया गया था जो दो राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर केन्द्रित था। दूसरा अध्ययन सरकारी वित्त एंव नीति फाउण्डेशन द्वारा किया गया था जिसने कराधान में ऊर्ध्वमुखी वृद्धि के प्रश्न की जांच पड़ताल की।

(14) भारत सरकार ने वर्ष 1997 में भारत में सरकारी सब्सिडियों से संबंधित एक विवेचन पत्र प्रकाशित किया।

(15) विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, 2001, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

❐❐

अध्याय 5

केंद्र की वित्त व्यवस्थाः राजस्व और व्यय का मूल्यांकन

5.1 राज्यों को कर सुपुर्दगी और अनुदानों के रूप में सिफारिशें करने सम्बन्धी विचारणीय मुद्दों के अनुसार आयोग के इस बारे में वर्ष 2003-04 के अंत में सम्भावित कराधान एवं कर-भिन्न राजस्वों के स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ पंचवर्षीय अवधि के लिए केन्द्र सरकार के संसाधनों पर विचार करेगा।

इसके अलावा, आयोग को ध्यान में रखने की अपेक्षा हैः (क) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों के सम्बन्ध में मांगों, विशेषकर, सिविल प्रशासन पर होने वाले व्यय, रक्षा, आन्तरिक और सीमा पर सुरक्षा, ऋण का भुगतान और अन्य कार्यों के लिए व्ययों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना; (ख) न केवल केन्द्र के राजस्व के सम्बन्ध में प्राप्तियों और व्यय का सन्तुलन बनाना उद्देश्य है, अपितु पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करना और राजकोषीय घाटे को कम करना है; और (ग) लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में केन्द्रीय सरकार के कराधान का प्रयास करना, यदि कोई हैं, और कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को बेहतर बनाने के लिए क्रम में अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावना तलासना इन विचार-विमर्श के सम्बन्ध में विचारार्थ विषय का पैरा 5 है, जिसमें हम से केन्द्र और राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और बजटीय संतुलन को सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को पुनःस्थापित करने के लिए पुन संरचना के लिए एक योजना का सुझाव देने, बृहत-आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने और साथ ही साथ समानान्तर रूप से वृद्धि करने के साथ-साथ ऋण को कम करने की अपेक्षा की गई है।

5.2 जैसा कि पूर्व के वित्त आयोगों के मामले में हुआ है, के अनुसार, संदर्भित अवधि (2005-2010) के दौरान केन्द्र की वित्त व्यवस्थाओं के मूल्यांकन हमारे लिए केन्द्रीय सरकार के ज्ञापन और पूर्वानुमान मुहैया करने के लिए आधार बने हैं। हमने अपना दृष्टिकोण तैयार करने से पहले इस विषय पर वित्त मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। हमने, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व विनियमन पर ध्यान दिया है, जो राजस्वों और व्यय के प्रक्षेपण के लिए बाधाओं वाला है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, (एफआरबीएमए) 2003, का अधिनियमन 26 अगस्त, 2003 से किया गया है और उसके तहत नियमों को 2 जुलाई, 2004 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम की शर्तों के अनुसार, केन्द्र के राजस्व घाटे का आकलन 31 मार्च, 2008 तक किये जाने की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा, अधिनियम के तहत नियम केन्द्रीय सरकार को राजस्व घाटे को वर्ष 2004-05 के आरम्भ से प्रत्येक वर्ष के अन्त में 0.5 प्रतिशत के बराबर या सकल घरेलू उत्पाद से अधिक कम करने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2004-05 से आरम्भ होकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राजकोषीय घाटे को 0.3 प्रतिशत या सकल घरेलू उत्पाद से अधिक कम करना है, ताकि, वर्ष 2008 में यह कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत हो जाए। वित्त अधिनियम, 2004 ने राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2008 तक के निर्धारित लक्ष्यों को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ा दिया है।

5.3 एफआरबीएमए के पारित होने के बाद केन्द्रीय सरकार ने समायोजन का मार्ग और साथ ही साथ अपेक्षित नीति-मूलक उपायों को दर्शाते हुए एफआरबीएमए के लक्ष्यों को प्राप्त करने और वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए राजकोषीय नीतियों के लिए एक मध्यावधिक कार्य योजना बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। सरकार को जुलाई, 2004, में प्रस्तुत कार्यदल की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। इसके अलावा, हम कार्यदल के अध्यक्ष के साथ चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यदल ने भविष्य के लिए दो परिदृश्यों पर ध्यान केंन्द्रित किया अर्थात प्रारम्भिक परिदृश्य और सुधार परिदृश्य। प्रारंभिक परिदृश्य यह कल्पना करता है कि 2005-06 से 2008-09 तक ये 4 वर्ष नीति एवं प्रसासन संबंधी प्रगति की दृष्टि से हाल के वर्षों के सदृश्य साबित होंगे। इसमें किसी मुख्य नए कर सुधार की कल्पना नहीं की गई है। प्रारंभिक परिदृश्य के अनुमान यह दर्शाते हैं कि इस परिदृश्य के अंतर्गत एफआरबीएमए में निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। द्वितीय परिदृश्य जिसे कार्य-दल द्वारा सुधार परिदृश्य कहा जाता है, करों के मूल सुधार संस्थापित किया जाता है तथा राजस्व देने वाले तथा अग्रगामी राजकोषीय दृढ़ीकरण के सिद्धान्त का पालन किया जाता है राजस्व घाटे की समाप्ति और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय सुधारों की उपलब्धि पाने में सहायता हेतु प्रस्तावित सुधारों को अपनाने की संभावना है।

5.4 एफआरबीएमए अपेक्षा करता है कि तीन विवरण नामतः वृहद-आर्थिक ढांचा विवरण, राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति विवरण और एक मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण जिसमें निर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए चल लक्ष्य और अन्तर्निहित अनुमान शामिल हैं, प्रति वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष रखे जाएं। विवरणों का ऐसा पहला सेट संसद में बजट 2004-05 के साथ जुलाई, 2004 में रखा गया था। हमें ध्यान है कि मध्यवधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण में चल लक्ष्य कार्यदल की रिपोर्ट के सुधार परिदृश्य में किए गए अनुमानों के तदनुरुप हैं। जहां हमने संसद में रखे गए विवरण और कार्यदल की रिपोर्ट में किए गए सुझावों पर विचार किया हैं (यद्यपि सिफारिशों को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना बाकी है), वहां हमने अपनी अधिनिर्णय अवधि के दौरान प्रस्तावित सुधारों के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता का अपना आकलन किया है। अतः केन्द्र के संसाधनों का हमारा आकलन हमारे विचारणीय विषयों में उल्लिखित विचारों की रोशनी में और अध्याय 4 में हमारे द्वारा रेखांकित पुनर्संरचना कार्यक्रम के अनुसार किया गया है। राजस्व और राजकोषीय घाटों तथा एफआरबएमए के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिक समायोजन और उसके अधीन बने नियमों के संबंध में हमारा मार्गदर्शन लक्ष्यों द्वारा किया गया है।

केन्द्र सरकार का ज्ञापन और पूर्वानुमान

5.5 केन्द्र सरकार ने सितंबर, 2003 में आयोग को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा हमें राजस्व

और व्यय के मद-वार अनुमान वाले कई विवरण भी अग्रेषित किए गए जिनमें विभिन्न मदों के लिए अनुमान और उनके लिए अपनाई गई वृद्धि दरों का ब्यौरा था। केन्द्र सरकार के राजस्व और राजकोषीय घाटे के अनुमान वाले केन्द्र सरकार के वित्त साधनों की सारांश स्थिति का पूर्वानुमान आयोग को सितंबर, 2004 में उपलब्ध कराया गया था। हमें सूचित किया गया था कि सारांश स्थिति का पूर्वानुमान, यद्यपि यह संसद में मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत विवरण के रखें जाने के बाद प्रस्तुत किया गया, 2004-2005 के बजट अनुमानों अथवा एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन लक्ष्यों में प्रकट नहीं हुआ। तथापि, यह वर्ष 2009-10 हेतु बड़े राजस्व और राजकोषीय घाटों का अनुमान करते हुए हमें पूर्व-प्रस्तुत विस्तृत विवरणों के अनुरुप था। तथापि, हमारे साथ एक बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने निर्दिष्ट किया कि सुधार परिदृश्य के अंतर्गत कार्य दल द्वारा अनुशंसित उपायों का क्रियान्वयन राजस्व और राजकोषीय घाटों के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम/नियम में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक होगा।

5.6 ज्ञापन में, केन्द्र सरकार ने आयोग से केन्द्र की वचनवद्धताओं पर उचित ध्यान देने और केन्द्र से राज्यों को अंतरण की प्रमात्रा तय करते समय केन्द्र और राज्यों की आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन रखने का आग्रह किया है। आयोग से अनुच्छेद 275 के अधीन केन्द्रीय करों और अनुदानों के अलग पड़े हिस्से पर ध्यान न देकर केन्द्र से राज्यों को संपूर्ण संसाधन अंतरणों को ध्यान में रखकर इन अंतरणों को अंशशोधित करने का आग्रह भी किया गया है।

5.7 केन्द्रीय सरकार ने घाटे को कम करने और अन्तः अतिरिक्त बचत करने जिसे लाभकारी क्षेत्रों में लगाने सरकार के नीतिमूलक उद्देश्यों और उपलब्धियों को प्राप्त करने के क्रम में सार्वजनिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर लगाने की आवश्यकता है, के सम्बध में, केन्द्र और राज्यों की अक्षमता पर चिन्ता जताई है। केन्द्रीय सरकार के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि एफआरबीएमए के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए उपयुक्त उपाए करने अपेक्षित हैं, ताकि इसे 31.3.2008 तक (इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2009 कर दिया गया है) राजस्व घाटे को खत्म किया जाए और इसके बाद पर्याप्त राजस्व बचत की जाएं। केन्द्रीय सरकार पर यह एक बाध्यकारी अपेक्षा है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिश करते समय, इसपर ध्यान रखे। केन्द्र और राज्यों के बड़े राजस्व घाटे और कर-सं.घ.ड. अनुपात के स्तर को भी ध्यान में रखते हुए, कर-स.घ.ड.. अनुपात को बढ़ाने से राजकोषीय संचय वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए आवश्यक है। इस संधर्भ में ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि "केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को मार्च, 2008 तक 2 प्रतिशत तक कम करना है और फिर, उसके बाद राजस्व बचत को सृजित करना अपेक्षित है, को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2009-10 तक सकल घरेलू उत्पाद के केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक कम करना है।"

5.8 ज्ञापन में, केन्द्रीय सरकार के व्यय में प्रवृत्तियां दर्शाते हुए, अन्य बातों के साथ, ब्याज भुगतान रक्षा व्यय, सब्सिडियां, पेंशन और राज्यों को अन्तरण को मिलाते हुए गैर-योजना व्यय की ओर हमारा ध्यान खींचा है। यह केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत पूर्वक्रय अधिभार से अधिक है। यह भी उल्लेख किया गया है कि दरों में कमी करने और छूटों को जारी रखने से केन्द्र सरकार को करों में उछाल की संभावना नहीं की जाती। आयोग से व्यय पक्ष के सम्बन्ध में वचनबद्धाताओं के साथ कर राजस्व में धीमी वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। हमारा ध्यान डब्ल्यूटीओ की वचनबद्धताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्कों में कमी करने की ओर भी दिलाया गया है।

5.9 मूल्य वर्धित कर (वैट) जिसके अप्रैल, 2005 से लागू होने की संभावना की जाती है, के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने उल्लेख किया है कि वैट के लागू होने से राजस्व संसाधनों में निवल लाभ प्राप्त होने में सहायता मिलेगी, लेकिन तीन वर्षों के लिए एक क्षतिपूर्ति तंत्र की संकल्पना राज्यों के लिए "सन्तोष" देने वाला एक उपाय सोचा गया है। संभावित राजस्व घाटे और इसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

5.10 केन्द्रीय सरकार ने प्रयुक्त चार्ज के स्तर जो सरकार के गैर-कर राजस्व का एक भाग है, की समीक्षा करने और केन्द्र तथा राज्यों के गैर-कर राजस्व को बढ़ावा देने के विचार से, अनुरोध किया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव को उन क्षेत्रों जो विशेषकर, टेलीकाम क्षेत्र में है, में काम में लिया जाए। यह उल्लेख किया जाता है कि इस क्षेत्र के मामले में रेडियों स्पेक्ट्रम की नीलामी ने यू.के. तथा जर्मनी जैसे देशों में राजस्व में बिलियनों डालरों के मूल्य पर बेचा है और भारत के संदर्भ में, इसके कर पर आयोग प्राथमिकता से ध्यान दे।

5.11 राज्य सरकारों को दी गई गारन्टी के स्तर को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, अतः केन्द्रीय सरकार ने उल्लेख किया है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, प्रतिवर्ष स.घ.ड. की सीमा को 0.5 प्रतिशत नई गारन्टी को करना होगा जैसा कि एफआरबीएमए में उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने यह भी उल्लेख किया है कि केन्द्र की खस्ता राजकोषीय स्थिति और केन्द्र के राजकोषीय और ऋण के विदेशी वृहत-आर्थिक को आवश्यक बनाए रखने के आलोक में, राज्यों को सुपुर्द करने में धीरे-धीरे कमी की जानी चाहिए।

चीनी, तम्बाकू और वस्त्रों पर राज्यों द्वारा बिक्री कर और विशिष्ट किए जाने वाली पर राज्यों द्वारा सेवा कर का संग्रहण करने की उपलब्धता जैसी संभावना दी गई है, अतः आयोग केन्द्र से राज्यों को समग्र अन्तरणों के अधिकतम स्तर की समीक्षा करे और एक सीमा का निर्धारण करे जो ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से कम हो।

5.12 बाद में अर्थात 09 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत, जो पूर्व के ज्ञापन से काफी भिन्न है, के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि करों की निवल लाभ में राज्यों के हिस्से के बारे में, आयोग राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के उद्देश्यों को ध्यान में रखे (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि करों के एकल, विभाजनीय पूल में राज्यों के हिस्से को बढ़ाया जायेगा) और निम्नलिखित पर विचार किया जाएः

(i) अठ्ठासीवें संवैधानिक संशोधन के तहत, "सेवाओं पर करों" को केन्द्रीय करों/शुल्कों के एकल विभाज्य पूल से अलग रखा जाए;

(ii) केन्द्र इस समय राज्य सूची में विषयों/क्षेत्रों, दोनों के सम्बन्ध में योजना अन्तरणों और गैर-योजना अन्तरणों/व्ययों के सम्बन्ध में कई प्रकार के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, और

(iii) जैसा कि एफआरबीएमए में कहा गया है, और इसके तहत नियम बनाए गए हैं, केन्द्र के राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार और संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार संसाधनों की मांग करने पर विचार करना।

कार्यदल के सुधार परिदृश्य के अधीन वर्ष 2009-10 के लिए राजकोषीय अनुमान वाला एक विवरण भी आयोग को इस निवेदन के साथ यह सलाह देते हुए दिया गया कि आयोग इस बारे में अपना आकलन करेगा क्योंकि कार्यदल सिफारिशें व्यापक कर सुधारों पर आधारित हैं और प्रस्तावित सुधारों को सरकार द्वारा व्यापक अपनाया जाना बाकी है।

5.13 हमने केन्द्र सरकार के विभिन्न निवेदनों पर विचार किया हैः दिनांक 1.9.2003 का ज्ञापन, समय-समय पर प्रस्तुत राजस्व तथा व्यय विवरण, अगस्त 2004 में अग्रेषित 2009-10 के राजकोषीय अनुमान वाला विवरण और सितम्बर, 2004 में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के वित्त साधनों की सारांश स्थिति पर विवरण। इन निवेदनों पर वाजिब ध्यान देते हुए और वित्त अधिनियम 2004 द्वारा यथासंशोधित एफआरबीएमए के आदेशकों को ध्यान में रखकर हमने एफआरबीएमए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजकोषीय समंजन मार्ग निर्दिष्ट किया है। ऐसा करने में हमारा प्रयास राजकोषीय दृढ़ीकरण हेतु राजस्व वृद्धि और गैर-प्राथमिक व्यय के दवाब के बीच उचित संतुलन बनाए रखना है।

आधार वर्ष का पुनराकलनः 2004-05

5.14 केन्द्र के संसाधनों का आकलन दो चरणों में किए जाने की जरुरत है। पहला चरण आधार वर्ष 2004-05 के लिए राजस्व तथा व्यय अनुमान बनाना है। इस प्रयोजनार्थ, हमने मोटे तौर पर केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों और व्यय में कुछ संशोधन के साथ 2004-05 के बजट अनुमानों को स्वीकार किया है। चर्चाओं के दौरान वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर, हमने निगम कर के अनुमान को 88436 करोड़ रुपए से घटाकर 80436 करोड़ रुपए इस आधार पर बनाया है कि बजट अनुमान में 8000 करोड़ रुपए तक की बकाया राशियों का एककालिक अनुमानित संग्रहण शामिल है। यह संमजन केवल आगामी अनुमानों के प्रयोजनार्थ है और इसका यह आशय नहीं है कि अनुमान आधार वर्ष में कार्यान्वित नहीं होंगे। आय कर अनुमान, प्रतिभूति लेनदेन कर की मूल योजना में किए गए संशोधन के परिणामस्वरुप 50929 करोड़ रुपए से घटकर 47929 करोड़ रुपए रह गए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आधार वर्ष के आंकडों को भी अधोमुखी संशोधित किया गया है क्योंकि बजट अनुमान (109199 करोड़ रुपए) हालिया वर्षों में कार्यनिष्पादन के संबंध में हासिल किए जाने लायक नहीं प्रतीत होते और साथ ही चालू वर्ष के संग्रहणों के रूझान जो संकेत देते हैं कि अनुमानों का केवल 34 प्रतिशत ही सितम्बर, 2004 तक क्रियान्वित किया जा सकता है, भी ऐसा ही दर्शाते हैं। अतः हमने वर्ष 1999-2000 से 2003-04 (सं.अ.) के दौरान राजस्व में औसत वृद्धि के आधार पर 103557 करोड़ रुपए का आधार वर्ष का पुनराकलन किया है। शिक्षा उपकर के अनुमान को भी उपर्युक्त संशोधनों के अनुसार समायोजित किया जाना था। ब.अ. 2004-05 में हमारे द्वारा पुनराकलित दूसरी मद राज्यों से ब्याज प्राप्तियां हैं। इसका पलड़ा भारी पड़ता नजर आता अगर प्राप्ति बजट, 2004-05 में 31.3.2004 को राज्यों पर बकाया राशि के रूप में दिखाए गए केन्द्र सरकार ऋणों को ध्यान में रखा जाता। तदनुसार, हमने 31.3.2004 को बकाया ऋणों पर 12 प्रतिशत ब्याज दर लगाते हुए ब.अ. 2004-05 में निर्दिष्ट 29982 करोड़ रुपए की राशि को संशोधित करके 23164 करोड़ रुपए कर दिया। हमें राजस्व घाटे को 2.5 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत पर बजट अनुमानों के करीब रखने के उद्देश्य से आयोजना राजस्व व्यय में तदनुरुपी समायोजनों और लघु समायोजनों को करना है। राजस्व एवं व्यय की शेष मदों के लिए ब.अ. 2004-05 के आंकड़ों के हमने अपनाया है। तथापि, आधार वर्ष में भारत सरकार के बकाया ऋण के परिकलन करते समय हमने बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए के उधारों को अपवर्जित किया है क्योंकि इन्हें एनएसएसएफ के तहत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में नकद शेष तथा निवेशों के रूप में रखा जाना है जैसाकि परवर्ती की देख-रेख राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

5.15 बजट दस्तावेजों में दर्शाए गए वर्ष 2004-04 में राज्यों से प्राप्त ऋणों की वसूली में 11,000 करोड़ रुपए की ऋण-अदला बदली को शामिल किया गया है। यद्यपि, हमें पृथक रूप से सूचना मिली है कि वर्ष के दौरान लगभग 46,000 करोड़ रुपए की कुल ऋण अदला-बदली की प्रत्याशा है तथा लगभग 29,300 की अदला-बदली पहले ही प्रभावी हो चुकी है। तथापि, इस संबंध में 2004-05 के संशोधित अनुमानों को तैयार करते समय समायोजन किए जाने की प्रत्याशा है।

राजस्व प्राप्तियाँ : 2005-10

कर-राजस्व

5.16 अगला कदम 2005-10 की अवधि के लिए निर्धारण करना है। केन्द्र सरकार के पूर्वानुमान में आयकर तथा निगम कर के आयोग की अधिनिर्णय अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि की कल्पना की गई थी। सीमा-शुल्क तथा सेवा-कर दोनों की 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की कल्पना की गई थी। स्वतंत्र परिवर्ती के रूप में औद्योगिक उत्पादन (विनिर्माण) के सूचकांक के साथ डबल लॉग मंदी का प्रयोग कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का 2004-05 से आगे की अवधि के लिए 6.6 प्रतिशत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की औसत वृद्धि मानकर अनुमान लगाया गया। यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 10.47 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर में परिवर्तित हो गया।

5.17 इन अनुमानों से तुलना किए जाने पर, केन्द्र सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत विवरण से एफआरबीएमए के तहत यह अनुमान प्राप्त होता है कि 2004-05 से 2006-07 की अवधि से दौरान सकल कर राजस्व में 22 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर के वृद्धि होगी जो प्रत्यक्ष करों में 26 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष करों में 19 प्रतिशत कल्पित औसत वृद्धि दर पर आधारित होगी। केन्द्र के कर-स.घ.उ. अनुपात में 2003-04 (सं.अ.) के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 10.2 प्रतिशत, 2005-06 में 11.1 प्रतिशत तथा 2006-07

में 12.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। हमने यह पाया कि ये अनुमान एफआरबीएमए. के क्रियान्वयन के तहत कार्यदल के सुधार परिदृश्य में किए गए अनुमानों के तदनुरुपी हैं। हमारे दृष्टिकोण से कर सुधारों के क्रियान्वयन में समय लगेगा क्योंकि इसमें दुरवर्ती परिवर्तनों का समावेश होता है जिसके लिए राज्यों की सहमति अपेक्षित होती है। अतः हमने वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत संभावित अतिरिक्त संसाधन जुटाव के मद्देनजर भविष्य के लिए कर राजस्वों का निर्धारण किया है। हमें ऐसा लगता है कि सेवा कर में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित से कहीं अधिक उछाल सेवा सेक्टर में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण किया है कि केन्द्र को अपने पहले के कार्य में बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित कर तथा अतिरिक्त राजस्वों को प्रभावी ढंग से जुटाने हेतु कार्य क्षेत्र विशेषकर जहाँ सेवाकर का संबंध है, का उपयोग कर सुधार लाना चाहिए।

5.18 तदनुसार, कर राजस्वों के हमारे अनुपात पृथक करों के लिए उछाल प्रतिमानकों के आधार पर परिकलित वृद्धि दरों का इस्तेमाल कर प्राप्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर पर नाम मात्र के स.घ.उ. की कल्पना की गई है जो हमारे दृष्टिकोण में गत 2-3 वर्षों में नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि की पृष्ठभूमि में वास्तविक है। प्रमुख करों में से प्रत्येक के उछाल का आकलन 1999-2000 से 2003-04 (सं.अ.) तक की वृद्धि दरों तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाव के विस्तार के आधार पर किया गया है। तदनुसार हमने अपने अधिनिर्णय अवधि के दौरान निगम कर के लिए 1.7 प्रतिशत आयकर के लिए 1.4 प्रतिशत, सीमा शुल्कों के लिए 0.6 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के लिए 0.9 प्रतिशत तथा सेवा कर के लिए 1.75 प्रतिशत के उछाल का उपयोग किया है। शेष करों नामतः संपत्ति कर तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए 1999-2000 से 2003-2004 (सं.अ.) तथा औसत वृद्धि दरों का उपयोग किया गया है।

5.19 केन्द्र के कर राजस्वों के हमारे अनुमान के लिए कर-स.घ.उ. अनुपात में 2009-10 तक 2004-05 (पुनर्निधारित) स्तरों की तुलना में 0.92 प्रतिशतांक परन्तु 2003-2004 (सं.अ.) आँकड़ों की तुलना में 1.68 प्रतिशतांक सुधार आवश्यकता के सुधार परिदृश्य और केन्द्र सरकार के मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में परिकल्पित सुधार की तुलना में संतुलित है तथा इसलिए इसे हासिल किए जाने की अधिक संभावना है। यह राज्यों को कर सुपुर्दगी के वास्तविक अनुमान तथा इसके पश्चात् अनुदानों को सुकर बनाता है।

5.20 अठ्ठासीवें संवैधानिक संशोधन में एकल विभाजीय निकाय से सेवा कर को हटाने तथा उस रीति निर्धारण करने की परिकल्पना की गई है जिससे सेवा कर को बाँटा जा सके। तथापि, हमने अपने अनुमान के प्रयोजन हेतु इसे वर्तमान में विभाजीय निकाय के भाग के रूप में माना है क्योंकि संशोधन संबंधी आवश्यक अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है। अध्याय 2 मे जैसा कि पहले ही इंगित किया गया है कि इसके निहितार्थो को केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते समय कारक बनाया जाए।

कर-भिन्न राजस्व :

5.21 कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों में, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, पेट्रोलियम एवं टेलीकॉम क्षेत्रों से प्राप्तियाँ तथा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न उपयोगकर्ता प्रभार शामिल है। अधिकांश मद संबंधी कर-भिन्न राजस्वों के संबंध में केन्द्र सरकार के अनुमान 1997-98 से 2001-02 तक के वर्षों में प्राप्त औसत वृद्धि दर पर आधारित हैं। ब्याज प्राप्तियों में इस दर से वृद्धि का अनुमान किया गया है जिस दर से 1997-98 से 2001-02 तक के दौरान समग्र कर-भिन्न राजस्वों में वृद्धि हुई है। इन मदों के संबंध में समान अनुमान किए गए हैं जिसकी वृद्धि दर में व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया है। लाभांश एवं लाभ प्राप्तियों में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ोतरी का अनुमान है।

5.22 केन्द्र सरकार को ब्याज प्राप्तियां मुख्यतः राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा रेलवे को दिए गए ऋणों पर प्रोद्भूत होती हैं। केन्द्र सरकार के ज्ञापन में ब्याज प्राप्तियों के हिस्से में गिरती हुई प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि ब्याज दरों को कम करने तथा ऋण अदला-बदली की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की चालू प्रणाली में कर-भिन्न राजस्वों में इसके हिस्से में आगे गिरावट होने की संभावना है। 2004-05 तक राज्यों को दिए जाने वाले 114000 करोड़ रु. के केन्द्रीय ऋण की अदला-बदली हो चुकी होगी तथा 2004-05 में राज्यों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाने की आशा है, के मद्देनजर हमने अपने अधिनिर्णय अवधि के दौरान पिछले ऋणों के वास्तविक बकाया ब्याज प्राप्तियों में कारक बनाकर तथा राज्यों को भविष्य के केन्द्रीय ऋणों के संबंध में वर्तमान ब्याज दर प्रणाली को जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान कर राज्यों से ब्याज प्राप्तियों का अनुमान किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों के संबंध में हमें सूचना मिली है कि केन्द्र कई बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सहायता करता रहा है । रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के पुनर्गठन में कवायद से सरकार के राजस्व प्रवाह में ऋण/ब्याज भुगतान न करने, ऋण को इक्विटी, बट्टे खाते में डालने इत्यादि के कारण कमी आई है। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों से प्राप्त प्रतिलाभों के हमारे विश्लेषण से 1999-2000 से 2001-02 तक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को दिए गए ऋणों पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत का अत्यंत कम प्रतिलाभ का पता चलता है। हमारे दृष्टिकोण से यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिक अनुशासन की आवश्यकता है तथा सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दिए गए ऋणों पर उचित प्रतिलाभ सुनिश्चित करना चाहिए। तदनुसार, हमने अपने अधिनिर्णय अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के बकाया ऋणों पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के औसत प्रतिलाभ का अनुमान लगाया है।

5.23 रेलवे सभा समिति की आठवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर रेलवे से आवासीय भवनों की पूंजी लागत जिसका लाभांश 3.5 प्रतिशत है, को छोड़कर लाभांश का भुगतान करने वाली समग्र पूंजी पर 7 प्रतिशत की दर से लाभांश के रूप में ब्याज के भुगतान की आशा की जाती है। रेलवे को अलाभकारी शाखा क्षेत्रों, अयस्क क्षेत्रों तथा कुछ अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों संबंधी सामान्य राजस्वों से सब्सिडी के रूप में लाभांश छूटें दी जाती हैं। हम यह पाते हैं कि लाभांश भुगतान के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमान

रेलवे सभा समिति द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश भुगतान को निर्धारित दर पर आधारित होते हैं। अतः हमने रेलवे से ब्याज प्राप्तियों के संबंध में रेलवे मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमानों को स्वीकार किया है। तथापि, हम यह अनुरोध करते हैं कि रेलवे को दी जाने वाली लाभांश छूटें की समीक्षा नियमित अंतरालों पर की जाए जो तीन वर्ष से अधिक न हो, ताकि एक यौक्तिक तथा उचित प्रकार से लक्षित सब्सिडी को सुनिश्चित किया जा सके।

5.24 जहाँ तक लाभांश तथा लाभों के कारण प्राप्तियों का संबंध है हमने सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों से 1993-94 से 2003-04 तक वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर इस तथ्य को देखते हुए कि विनिवेश जैसा कि पहले योजनाबद्ध है न हो सके, लाभांशों का अनुमान किया है । भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों से प्राप्त लाभों में 2005-06 से आगे 12 प्रतिशत की दर से नॉमिनल स.घ.उ. की वृद्धि दर के साथ-साथ बढ़ोत्तरी होने का अनुमान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों पर नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि मुनाफे वाले कई पी.एस.यू. लाभांश की घोषणा नहीं करते हैं यद्यपि वित्त मंत्रालय द्वारा बार-बार निर्देश जारी किए गए हैं कि मुनाफे वाले सभी पी.एस.यू. को 20 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश या तो इक्विटी पर अथवा कर-पश्च लाभ, पर जो भी अधिक हो की घोषणा करनी चाहिए। तेल, पेट्रोलियम, रासायनिक एवं अन्य आधारित संरचना क्षेत्रों में कार्यरत पी.एस.यू. (2003) के लिए लाभांश घोषणा हेतु निर्धारित दर कर-पश्च लाभ का 30 प्रतिशत है। हमें यह लगता है कि भारत सरकार को पी.एस.यू. से लाभांशों के कारण होने वाले उचित प्रतिलाभों को सुनिश्चित करने हेतु सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

5.25 केन्द्र के कर-भिन्न राजस्वों में आर्थिक सेवाओं से होने वाली प्राप्तियों का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न प्राप्तियों के हमारे अनुमान संसाधनों के सृजन हेतु उनकी संभावनाओं संबंधी प्रतिमानकों पर आधारित हैं। हम नोटिस करते हैं कि केन्द्र की दूरसंचार प्राप्तियों ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साध राजस्व बाँटने वाली व्यवस्थाओं के परिणाम-स्वरूप पिछले दशक में एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है। हम विनिमय की लागत और सार्वभौमिक सेवा देयता की प्रणाली के अनुरूप लाइसेंस शुल्क के संरेखन की ओर केन्द्र सरकार द्वारा कदम उठाने की उम्मीद करते हैं। रेडियो स्पेक्ट्रम की नीलामी एक अन्य क्षेत्र है जहाँ राजकोष नए कर-भिन्न राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है। हम पाते हैं कि कार्यदल ने अनुशंसित किया है कि वित्त मंत्रालय को टीआरएआई (ट्राई) के साथ इन मुद्दों के अन्वेषण और उन प्रक्रियाओं जिनके माध्यम से स्पेक्ट्रम की प्रभावी ढंग से दूरसंचार और कम्प्यूटर उद्योग सेवा प्रदाताओं को नीलामी की जा सके, को पहचानने के लिए काम करना चाहिए। भारत सरकार को अतिरिक्त राजस्व उत्पादन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की संभावना का दोहन करना चाहिए। इसी दौरान, ऐतिहासिक वृद्धि और लाइसेंस शुल्क संरेखण के संबंध में परिक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमने दूरसंचार प्राप्तियों में 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अनुमान किया है। इसी प्रकार, अतिरिक्त रायल्टी और एक विशेष क्षेत्र में तेल और गैस के विशेष अन्वेषण अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क के कारण उत्पादित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, हमने पेट्रोलियम प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था की है। शेष आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों का भी 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर बढ़ने का अनुमान लगाया है। प्रयोक्ता प्रभारों के मामले में, जो यूपीएससी/एसएससी परीक्षा शुल्क, स्टेशनरी, प्रिंटिंग छावनी और रक्षा भूमियों, वीजा और आप्रवासन शुल्क आदि से उपचित होते हैं, हम महसूस करते हैं कि लागतों को पूरा करने के लिए पुनः संरेखन से राजस्व बढ़ेगा और केन्द्र उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। प्रयोक्ता प्रभारों के यौक्तिकरण को लंबित रखकर, हमने पिछली वृद्धि दरों के आधार पर कर-भिन्न राजस्वों की शेष मदों का अनुमान लगाया है।

5.26 हमारे अनुमानों के संबंध में, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र के कुल कर-भिन्न राजस्वों में भारी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है और ये वर्ष 2004-05 के हमारे पुनराकलन के अनुसार, 2.21 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में स.घ.उ. के 2.45 प्रतिशत पर पहुचेंगे। केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों में 2004-05 (पुनराकलित) में स.घ.उ. के 12.16 प्रतिशत से वृद्धि के कारण इसके हमारी अधिनिर्णय अवधि के अंतिम वर्ष में स.घ.उ. के 13.33 प्रतिशत हो जाने की संभावना है, यह 1.17 प्रतिशंतांक की वृद्धि है। इसी प्रकार, केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियाँ 2004-05 (पुनराकलित) में स.घ.उ. के 9.55 प्रतिशत से वृद्धि पश्चात् हमारी अधिनिर्णय अवधि के अंतिम वर्ष में 10.39 प्रतिशत हो जाएंगी।

कर-भिन्न राजस्व व्यय : 2005-10

5.27 ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, सब्सिडियाँ और पेंशन से केन्द्र सरकार के राजस्व व्यय का बड़ा संघटक बनता है और इसमें कुल कर भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 80 प्रतिशत शामिल है। कर-भिन्न राजस्व व्यय की विविध मदों के लिए अनुमान करने में, केन्द्र सरकार ने सामान्यतः चार-वर्षीय अवधि (1997-98 से 2001-02) में प्रत्येक मुख्य शीर्ष में औसत वृद्धि दर का उपयोग किया है। तथापि, कुछ मदों के मामले में, चार वर्षीय अवधि में हुए कर-भिन्न व्यय की औसत वृद्धि दर का उपयोग किया गया है। आयोजना व्यय के अनुमान हेतु, कार्यदल रिपोर्ट के प्रारंभिक परिदृश्य में निर्दिष्ट वृद्धि दर अपनाई गई है।

5.28 ग्यारहवें वित्त आयोग के समान, हमने अपने पुर्वानुमान में, कर-भिन्न राज्व व्यय की विभिन्न मदों के अनुमान हेतु विभिन्न नियम अपनाए हैं। ब्याज भुगतान का हमारा अनुमान वर्तमान ब्याज दर व्यवस्था को जारी रखने के पूर्वानुमान पर आधारित है। हम पाते हैं कि 31.3.04 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र के बकाया ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 8.56 प्रतिशत है। वर्ष 2003-04 के दौरान बाजार उधारों की भारित औसत लागत 5.74 प्रतिशत रही। अतः हमारा अनुमान है कि 2009-10 तक बकाया ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 7 प्रतिशत तक गिर जाएगी। तदनुसार, ब्याज भुगतानों का अनुमान करने के लिए, केन्द्र के बकाया ऋण को राजकोषीय घाटे के लिए हमारे द्वारा निर्दिष्ट समंजन पथ के आधार पहले निकाला गया है और उसके बाद, एक गिरावटपूर्ण प्रभावी ब्याज दर को इस तरह लगाया गया है कि 2009-10 में प्रभावी दर 7 प्रतिशत है।

5.29 पेंशन पर व्यय के संबंध में, हम पाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि (0.4 प्रतिशत और 6.01 प्रतिशत के बीच झूलती रहती है) दोषपूर्ण रही है जिससे औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.87 प्रतिशत हो

गई। हम पाते हैं कि ब.अ. 2004-05 में पूर्वानुमानित वृद्धि 3.65 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय के अनुमान 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर का संकेत देते हैं जो, हम महसूस करते हैं कि मंहगाई राहत का वार्षिक संशोधन और कई पेंशनभोगियों की वार्षिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए उचित है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ नई पेंशन योजना का हमारी संदर्भावधि के दौरान पेंशन बिल पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अतः हमने हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान पेंशनों पर व्यय में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को अनुमत किया है।

5.30 वित्त मंत्रालय द्वारा किए गये रक्षा राजस्व व्यय में 9.10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की कल्पना की गई है। मंत्रालय के ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख है कि रक्षा तैयारी की जरूरत तथा तीनों सेवाओं हेतु आधुनिक अस्त्र-शस्त्र अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में रक्षा खर्च के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की वचन बद्धताओं में वृद्धि की सम्भावना है, रक्षा मत्रालय ने इसकी दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य आयोजनाओं में यथा उल्लेखित तीनों सेवाओं की "आवश्यकता-आधारित" अपेक्षा पर हमारे सामने अलग से बल दिया है। इसके अनुमान 2005-06 में रक्षा राजस्व व्यय में 52 प्रतिशत की असन्तुलित वृद्धि और इसके बाद, 8.3 से 10.96 प्रतिशत के दायरे मे वृद्धि दर रहने का आश्य देते हैं। इसी तरह, रक्षा व्यय में 2005-06 में 2004-05 के स्तरों में 37 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है, जिसके बाद रक्षा पूंजी व्यय 7.3 प्रतिशत से 10.8 प्रतिशत की श्रेणी की दरों पर बढ़ोतरी होने की सम्भावना है । हमने बिल मंत्रालय के सूझावों पर विचार किया है। जहां हम रक्षा मंत्रालय की अवधारणाओं की प्रंशसा करते, वही केन्द्र सरकार की संसाधन स्थिति और इसके संसाधनों पर विभिन्न मांगों के समग्र संदर्भ में इन पर विचार किए जाने की जरुरत है । हम आगे यह भी महसूस करते हैं कि रक्षा पर खर्च पूंजी व्यय के प्रति पक्षपाती है और इसलिए कुछ वृद्धि होने के बाद पिछली दरों के आधार पर रक्षा राजस्व व्यय का अनुमान किया गया है। यह मानते हुए कि रक्षा राजस्व व्यय 1999-2000 से 2003-04 (सं.अ.) के दौरान 5.38 प्रतिशत वार्षिक औसत दर पर बढ़ा है, हम महसूस करते हैं कि हमारी अधिनियम अवधि के दौरान पूर्वानुमान के प्रयोजन से रक्षा राजस्व व्यय में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि उचित है। हमारे द्वारा अनुमानित स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पूंजी व्यय में वृद्धि रक्षा पर पूंजी व्यय की अतिरिक्त जरूरतों का ध्यान रखने की सम्भावना है।

5.31 सब्सिडियाँ केन्द्र के व्यय का एक महत्वपूर्ण संघटक है। खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडि के अलावा, केन्द्र सरकार वर्ष 2002-03 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के निर्णय के बावजूद, पेट्रोलियम सब्सिडि पर भारी व्यय कर रही है। केन्द्र सरकार का ज्ञापन बताता है कि इस संबंध में "प्रबोधन/निर्णय" के बावजूद सब्सिडि बिल में कटौती किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। तथापि, सब्सिडि व्यय में ठीक-ठाक अल्पवृद्धि का संबंधित मंत्रालयों की जानकारियों के आधार पर केन्द्र द्वारा अनुमान लगाया गया है। सब्सिडियों के संदर्भ में, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों जिनको लागू करने से अन्ततः बचतें होगीं, पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत सामरिक वितरण से यह भी दृष्टव्य है कि केन्द्र सरकार सब्सिडियों के प्रचालनात्मक पहलुओं की संघन समीक्षा करने और उन्हें इस तरह पुनसंर्रचित करने कि लाभों का फायदा इन सब्सिडियों के लक्षित लाभभोगियों के अलावा कोई और न उठा ले, का इरादा रखती है। सब्सिडियों के हमारे अनुमान में काफी हद तक ये नीतिगत निर्णय परिलक्षित होते हैं। इन पहलों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमने ब.अ. 2004-05 की 25800 करोड़ रूपए की खाद्य सब्सिडि की तुलना में वर्ष 2005-10 के दौरान प्रतिवर्ष 22000 करोड़ रुपए पर इसे स्थिर रखा है जोकि इस विचार पर आधारित है कि ब.अ. 2004-05 के स्तरों में कुछ बकाया राशियाँ जिनको हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान दोबारा होने की संभावना नहीं है, शामिल हैं। यह नोट किया जाए कि कार्य दल रिपोर्ट में यह माना गया है कि खाद्य सब्सिडि में प्रति वर्ष 5 प्रति की गिरावट होगी। पेट्रोलियम सब्सिडि के बारे में, हमने माना है कि 2007-08 तक इसकी क्रमिक समाप्ति होगी। ईआरसी की सिफारिशों और सब्सिडियों की समीक्षा करने के हालिया निर्णय की रोशनी में हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान उर्वरक सब्सिडि को ब.अ. 2004-05 के स्तरों पर स्थिर रखा गया है। इसी प्रकार, अन्य सब्सिडियाँ ब.अ. 2004-05 स्तरों पर स्थिर रखी गई है। परिणामस्वरूप, हमारे आकलन से स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडियों में हमारी अधिनिर्णय अवधि के आधार वर्ष में 1.40 प्रतिशत से समाप्ति वर्ष में जाकर 0.66 प्रतिशत तक गिरावट होगी।

5.32 हमारे विचारणीय विषयों के अनुसार,हमें आन्तरिक एवं सीमा सुरक्षा संबंधी व्यय पर केन्द्र की मांगों पर विचार करने की जरूरत है। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 (सं.अ.) की अवधि से पुलिस संबंधी व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि 7.04 प्रतिशत रही है। केन्द्र सरकार के ज्ञापन में इंगित किया गया है कि वर्तमान आंतरिक सुरक्षा वातावरण में, ऐसी संभावना है कि केन्द्रीय पुलिस बलों पर व्यय में आगामी वर्षों में तीव्र वृद्धि हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस की अतिरिक्त बटालियनों को जुटाने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। गृह मंत्रलाय ने आयोग के किए अपने निवेदनों में न केवल आवर्ती व्यय बल्कि कतिपय नई पहलों पर भी उच्च आवंटनों की आवश्यकता को भी विशेष रूप से रेखांकित किया है। इसके परिप्रेक्ष्य में, हमने पुलिस पर व्यय हेतु 7.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेत व्यवस्था की है।

5.33 केन्द्र सरकार के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की शेष मुख्य मदों को मोटे तौर पर अन्य सामान्य सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में बांटा गया है। वेतन पर इन व्ययों विशेष रूप से अन्य सामान्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। हालांकि ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऐसे व्यय के वेतन एवं वेतन-भिन्न संघटकों को अलग-2 कर दिया था और इनका पृथक वृद्धि दरों पर अनुमान लगाया था, फिर भी हमने हालिया रूझानों पर गैर किया है और इन शीर्षो के अधीन व्यय के अपने आकलन को करने के बाद मिश्रित वृद्धि दरों के आधार पर प्रत्येक मद का अनुमान लगाया है। तदनुसार, हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर अन्य सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं का भी 5 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जबकि आर्थिक सेवाओं को 7.5 प्रतिशत की उच्च्च वृद्धि, दर पर रहने देने का अनुमान किया गया है।

5.34 वेतन पर केन्द्र सरकार के व्यय के संदर्भ में, ईआरसी की रिपोर्टों जिनमें 38 मंत्रालय/विभागों को कवर किया गया हैं, का दोबारा हवाला देना आवश्यक है। ईआरसी ने सभी मंत्रालयों/विभागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया और इस पर विचार किया कि क्या सरकार द्वारा इन कार्यकलापों को किया जाना आवश्यक था या इन्हें अन्य तरीकों द्वारा और कारगर ढंग से निबटाया जा सकता था। एक विस्तृत छानबीन के बाद, ईआरसी ने सरकार में लगभग 42000 पदों की समाप्ति की सिफारिश की थी। यद्यपि मंत्रालयों और विभागों से ईआरसी को लागू करने की अपेक्षा थी, फिर भी, लागू किए जाने की गति धीमी रही है। आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संग्रहित सूचना के अनुसार, केवल 9833 पदों को अब तक समाप्त किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार के पास उपचित बचतों की राशि पर सूचना अपूर्ण हैं। उपलब्ध आंकड़ों के के अनुसार वार्षिक बचत 68.21 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा संभावित बचतों जो सरकार के पास उपचित होती है, यदि ईआरसी की सिफारिशें पूर्णतः लागू हो जाती है, के सुनिश्चय के लिए आयोग द्वारा भी एक प्रयास किया है। यद्यपि सूचना दोबारा अपूर्ण है क्योंकि कई मंत्रालयों/विभाग अपने अनुमान तैयार करने में असमर्थ या अनिच्छुक रहे, फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम 250 करोड़ रुपए की सालाना अतिरिक्त राशि बच सकती थी यदि पूर्ण क्रियान्वयन हुआ होता। वेतन पर केन्द्र के व्यय के यौक्तिकीकरण हेतु, व्यय सुधार आयोग की सभी सिफारिशों को तुरंत लागू किए जाने की जरूरत है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यों की आवधिक समीक्षा की, यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यकता है कि वे गतिविधियाँ जो मौजूदा संदर्भ में आवश्यक नहीं, समाप्त कर दी जाएं।

5.35 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की अवशिष्ट श्रेणियों में संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का व्यय, डाक घाटा और विदेशी सरकारों को सहायता-अनुदान शामिल हैं। डाक घाटों का डाक विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर, हमारी अधिनिर्णय, अवधि के दौरान गिरावटपूर्ण रूझान दर्शाते हुए, कम रहने का अनुमान लगाया गया है। यूटी के व्यय तथा अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय सहित अन्य व्ययों का वर्ष 1999-2000 से 2003-04 (सं.अ.) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दरों के आधार पर हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है।

5.36 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की विभिन्न मदों पर हमारे अनुमान तैयार करने में, हमने क्षतिपूर्ति में वह कारक नहीं रखा जोकि 1.4.2005 से प्रभावी वैट की शुरूआत और केन्द्रीय बिक्री कर दर में कटौती से उत्पन्न राजस्व हानियों के लिए राज्यों को देय है। अतः, केन्द्रीय सरकार को यदि जरूरत पड़े तो, इस क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था हेतु संसाधन ढूंढने होंगे।

आयोजना राजस्व व्ययः 2005-10

5.37 हमने राज्यों को आयोजना अनुदानों के विशेष संदर्भ में केन्द्र के आयोजना राजस्व व्यय का एक विश्लेषण किया है। इस संदर्भ में, केन्द्र सरकार के विरूद्ध अक्सर की जाने वाली आलोचनात्मक बात यह है कि केन्द्र सरकार उन विषयों जो पूर्णतः राज्य सूची में है या सम्मत सूची में होने पर भी राज्यों द्वारा ही अधिकांशतः देखे जाते हैं, पर केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय आयोजना स्कीमों की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करती है। अतः हमने उन विषयों जो राज्य/सम्मत सूची में है, पर व्यय संबंधी केन्द्र सरकार के संसाधनों पर मांगों का विश्लेषण किया है। हमारा अध्ययन उजागर करता है कि भारत सरकार के कुल व्यय की 9.6 प्रतिशत औसत उन विषयों के संबंध में है जो राज्य सूची में है। इसमें 7.4 प्रतिशत आयोजना संघटक और 2.2 प्रतिशत आयोजना-भिन्न संघटक हैं। इसी तरह, सम्मत सूची के विषयों के संबंध में भारत सरकार के कुल व्यय का औसत 9.4 प्रतिशत है। इसमें 3.8 प्रतिशत आयोजना संघटक और 5.6 प्रतिशत आयोजना-भिन्न संघटक है। केन्द्र ऐसी स्कीमों के संचालन के लिए मंत्रलायों/विभागों पर भारी व्यय करती हैं। संकेन्द्रण, समाप्ति या राज्यों के अंतरण के तरीके से केन्द्रीय आयोजना तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के यौक्तिकीकरण के उद्देश्य के अनुसार योजना आयोग ने नौवीं योजना के समाप्ति वर्ष में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एक शून्य आधारित बजटीय प्रयोग (जेडबीबी) किया है। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप, योजना आयोग ने सिफारिश की कि कुल 360 प्रचालित सीएसएस में से 48 स्कीमों को समाप्त कर दिया जाए,161 स्कीमों को 53 स्कीमों में विलय कर दिया जाए और शेष 135 स्कीमें यथावत रखी जाएं। इसका आशय यह था कि 188 सीएसएस को दसवीं योजना में डाल दिया जाना था। 2247 केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के संबंध में, योजना आयोग द्वारा किया गया जेड़ बीबी प्रयोग 539 स्कीमों की समाप्ति, 1019 स्कीमों के 233 स्कीमों के विलय और शेष 689 स्कीमों को यथावत रखने में परिणत हुआ, जिससे 922 केन्द्रीय आयोजना स्कीमों को दसवीं योजना में डाला गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज इस जेड बीबी प्रयोग को एक नियमित स्तंभ के रूप में जारी रखने की आवश्यकता पर बल देता है और सिफारिश करता है कि राज्यों को भी अपनी स्कीमों की ऐसी समीक्षाओं के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5.38 आयोजना राजस्व व्यय के अनुमान हेतु, हमने राजस्व घाटे हेतु निर्दिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय पर आते हुए इसे अवशिष्ट श्रेणी के रूप में रखने वाली ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली, का अनुपालन किया है। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि से केन्द्र के आयोजना राजस्व व्यय में 13.76 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि कु तुलना में, हमारे अनुमानों का, अधिनिर्णय अवधि के पहले वर्ष को छोड़कर आयोजना राजस्व व्यय में उच्च वृद्धि रखने का आशय है। राज्यों को आयोजना अनुदान केन्द्र के आयोजना राजस्व व्यय का बड़ा संघटक है। ग्यारहवें वित्त आयोग की कार्यप्रणाली के आधार पर हमारे द्वारा राज्यों को आयोजना अनुदान का काम हमारे द्वारा राज्य सरकारों को कर सुपुर्दगी और सहायता-अनुदान के रुप में अनुशंसित राशियों को काटकर अनुशंसित संपूर्ण राजकोषीय अंतरणों पर सीमांकन (सीलिंग) के अवशिष्ट के रूप में पूरा कर लिया गया है।

राजस्व व्ययः 2005-10

5.39 हमारे अनुमानों के आधार पर, केन्द्र के कुल राजस्व व्यय के 2004-05 (पुनः आकलित) में स.घ.उ. के 12.05 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 10.39 प्रतिशत हो जाने की संभावना की गई है।

संपूर्ण राजकोषीय अंतरण

5.40 कर सुपुर्दगी और अनुदानों के अलावा, राज्यों को राजकोषीय अंतरणों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अवरूद्ध आयोजना अनुदानों और अन्य विवेकपूर्ण अंतरणों के माध्यम से निधियों की सुपुर्दगी भी शामिल है। ग्यारहवें वित्त आयोग की दृष्टि 1979-80 से 1997-98 की अवधि के बीच राज्यों को राजस्व अंतरणों पर रही थी और उसने सुझाव दिया था कि राज्यों को केन्द्र का राजकोषीय अंतरण केन्द्र सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 37.5 प्रतिशत होना चाहिए। हमने मामले की समीक्षा की है। हमारे द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई जरा सी बढ़ोतरी और आयोजना हेतु राजस्व अंतरणों को वहनीय बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमने अनुमान किया है कि केन्द्र से राज्यों को कुल अंतरण केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत होगा। यह हमारे द्वारा सुझाई गई निर्देशात्मक सीमांकन(सीलिंग) को ध्यान में रखकर किया गया है।

पूँजी प्राप्तियाँ और व्ययः 2005-10

5.41 हमारे विचारणीय विषय हमसे न केवल केन्द्र के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय के संतुलन बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेष सृजित करने और राजकोषीय घाटा कम करने के उद्देश्य पर विचार करने की अपेक्षा रखते हैं। हमने एफआरबीएमए के अधीन नियमों में यथानिर्दिष्ट, राजकोषीय घाटे को वर्ष 2009 तक स.घ.उ. के 3 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य का कारक रखा है। हमने हमारी अधिनिर्णय अवधि के समाप्ति वर्ष में इसे स.घ.उ. के 3 प्रतिशत पर अनुरक्षित रखा है। केन्द्र की पूंजी प्राप्तियों में ऋणों और अग्रिमों की वसूली, विनिवेश प्राप्तियाँ और उधार शामिल हैं। राज्य सरकारों से ऋणों की अनुमानित वसूली के लिए, हमने राज्य सरकारों से देय वास्तविक वसूलियों को ध्यान में रखा है और 2005-10 के दौरान 20 वर्षीय वापसी अदायगी कार्यक्रम के आधार पर पहले पाँच वर्षों में आधी वापसी अदायगी पर 50 प्रतिशत ऋण स्थगन सहित,प्रदान किए जाने वाले संभावित अतिरिक्त ऋणों की वसूली की व्यवस्था की है। अन्य ऋणों की वसूली वर्ष 1999-2000 से 2003-04 (सं.अ.) के दौरान रहे प्रोफाइल पर आधारित है। जहां तक विनिवेश प्राप्तियों का संबंध है, हमने केन्द्र सरकार के अनुमानों, जो संकेत देते हैं कि प्राप्तियाँ हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान 4000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगी, को स्वीकार किया है।

5.42 हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान पूंजी व्यय के अनुमानों को राजकोषीय और राजस्व घाटों के लक्ष्यों और ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों के संबंध में प्रत्याशाओं को ध्यान में रखते हुए अवशिष्ट श्रेणी के रूप में तैयार किया गया है। हमारे द्वारा किए गए अनुमान आधार वर्ष के आंकड़ों की तुलना में हमारी अधिनिर्णय अवधि के समाप्ति वर्ष तक 0.66 प्रतिशतांक द्वारा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में पूँजी व्यय में वृद्धि का संकेत देते हैं। इसकी वर्ष 1999-2000 से 2004-05 की अवधि से तदनुरूपी वृद्धि से अच्छी तुलना की जा सकती है जिसके अनुसार, यह 0.44 प्रतिशतांक के स्तर की रही है यदि हम ऋण अदला-बदली प्राप्तियों से पूरित एनएसएसएफ के भुगतानों को छोड़ दें।

नियंत्रण संबंधी अनुमान विवरणः 2005-10

5.43 वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए केन्द्रीय वित्त व्यवस्था के उपर्युक्त पुनराकलनों के आधार पर राजस्व एवं व्यय अनुमानों के साथ-2 मद-वार ब्यौरे अनुबंध 5.1 में दिए गए हैं। अध्याय 12 में, हमने राज्यों के लिए ऋण राहत की एक स्कीम अभिकल्पित की जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र की ब्याज प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों में हमारी अधिनिर्णय अवधि के दौरान गिरावट होगी। सभी राज्यों को प्रयोज्य ऋण राहत के संघटक के असर को कारक और राजकोषीय कार्यनिष्पादन संबंधी ऋण को बट्टे खाते डालने के संबंध में पचास फीसदी सफलता दर मानते हुए, हमने अनुबंध 5.2 में यथानिर्दिष्ट संशोधित अनुमान किए हैं। जहां तक राज्यों को ऋणों का संबंध है, यह अनुमान केन्द्र द्वारा मध्यस्थता न किए जाने के बारे में हमारी सिफारिश के असर को भी ध्यान में रखते हैं। इस तरह हमने माना है कि राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उधार दी जाने वाली राशि 2005-06 में 2004-05 (ब.अ.) स्तरों की आधी रह जाएगी और 2009-10 तक क्रमिक रूप से ये समाप्त हो जाएगी। हमने यह भी माना है कि भारित ब्याज दरें केन्द्र द्वारा उधार की सीमांत लागत के अनुरूप होगी। हमारे द्वारा अनुशंसित ऋण राहत के परिणामस्वरूप , जहां केन्द्र का कर-स.घ.उ. अनुपात अप्रभावित रहा, वहाँ सकल राजस्व प्राप्तियाँ अनुबंध 5.1 में मौजूद आंकड़ों के संबंध में 13.33 की तुलना में वर्ष 2009-10 में स.घ.. की 13.13 प्रतिशत होंगी, निवल राजस्व प्राप्तियाँ 10.39 की तुलना में 10.20 प्रतिशत जबकि राजस्व व्यय 10.39 की तुलना में स.घ.उ. का 10.20 प्रतिशत होगा, अतः आयोजना राजस्व व्यय पर प्रभाव महसूस किया जा रहा है। पूंजी व्यय 3.63 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में स.घ.उ. का 3.47 प्रतिशत हो जाएगा। तथापि, एफआरबीएमए के अधीन लक्ष्यों को दोनों अनुमानों के संबंध में पूरा किए जाने की संभावना की गई है।

अध्याय 6

राज्य वित्त साधन : राजस्व एवं व्यय का आकलन

6.1 राज्यों को कर सुपुर्दगी और सहायता-अनुदान के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, अवधि 2005-10 के लिए राज्यों के राजस्वों और व्ययों का आकलन करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, विचारार्थ विषयों का पैरा 11 हमसे प्राप्तियों और व्यय का राज्य-वार अनुमान तैयार करने की अपेक्षा करता है। इस प्रक्रिया को करते समय, विचारार्थ विषयों के पैरा 6 के अंतर्गत, आयोग को राज्य सरकारों के संसाधन और उनके कराधान प्रयासों, राज्यों के राजस्व लेखे को संतुलित करने की आवश्यकता, पूंजी आस्तियों के अनुरक्षण और पूर्ण आयोजना स्कीमों, और सिंचाई और विद्युत क्षेत्रों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर विचार करना है।

बुनियादी दृष्टिकोण

6.2 राज्यों के राजस्वों और व्ययों के आकलन का एक नियामक दृष्टिकोण के द्वारा मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है जिससे अंतर-राज्यीय समता सुनिश्चित होती है और प्रतिकूल प्रोत्साहनों को टाला जाता है। कोई राज्य उससे ज्यादा हिस्सा हासिल नहीं कर सकता जितना कि इसकी राजकोषीय क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए अभीष्ट होती है। इसी प्रकार, एक राज्य को आकलन में गौर किए जाने वाले प्रामाणिक विचारों द्वारा न्यायोचित न ठहराए जाने वाले व्यय का अनुमान नहीं करना चाहिए। तथापि, हमने यह माना है कि प्रामाणिक सिद्धांत को क्षमताओं और लागतों को प्रभावित कर रहे विभिन्न आयामों के संबंध में राज्यों की विषमता और प्रासंगिक आंकड़ों की उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण, पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है। पूर्वानुमान अवधि 2005-10 के दौरान राज्यों की प्राप्तियों और व्यय के लिए हमने अनुमानों में, अपने वित्त लेखों में यथानिहित 1993-2003 के राजकोषीय आंकड़ों पर, और 2003-04 तथा 2004-05 के क्रमशः संशोधित और बजट अनुमानों पर भरोसा किया है। 2005-10 की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य से राजस्व तथा व्यय के अनुमान भी हासिल किए गए थे। इन अनुमानों की मांग करते समय, राज्यों को यह निर्दिष्ट किया गया है कि वे मोटे तौर पर मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमएफटीएफआरपी) के अंतर्गत किए जा रहे उद्देश्यों के अनुपालन में होने चाहिए।

6.3 सारणी 6.1 कुल मिलाकर राज्यों से प्राप्त अनुमानों के साथ कतिपय बड़े राजकोषीय मानदंडों के लिए पूर्वावधि आंकड़ों की तुलना दिखाती है, वहीं अनुबंध 6.1 में अनुमानों का राज्य वार ब्यौरा दिया गया है।

6.4 कुल मिलाकर, सुपुर्दगी-पूर्व घाटा वर्ष 2002-03 में स.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत के स्तर से कम होकर 2004-05 (ब.अ.) में 4 प्रतिशत, और 2009-10 में अंततः 3.8 प्रतिशत होता नजर आ रहा है। तथापि, 2004-10 के दौरान कटौती पूरी तरह स.घ.उ. के 1.2 प्रतिशतांक वाले आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की अनुमानित कमी की वजह से है जिसकी महत्वपूर्ण भरपाई इस अवधि में स.घ.उ. के 1 प्रतिशतांक द्वारा स्व-राजस्व प्राप्तियों में अनुमानित कटौती से की गई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में स्व-राजस्व प्राप्तियों में हुई कमी मजबूत राजकोषीय स्थिति पर लक्ष्य रखते हुए संपूर्ण लोक वित्त साधनों की पुनर्संरचना के उद्देश्य को हासिल करने में मदद नहीं कर सकती है।

6.5 अतः हमने प्रत्येक राज्य हेतु राजस्व और व्यय के स्व-आकलन करने का निश्चय किया। हमारे वृहद दृष्टिकोण का

सारणी 6.1

पूर्व राजकोषीय आंकड़ों की राज्यों द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना

(करोड़ रुपए/प्रतिशत)

मद	1993-94 (वास्तविक आंकड़े)	2002-03 (वास्तविक आंकड़े)	2004-05 बजट अनुमान	2009-10 (राज्यों के अनुमान	2005-10 (राज्यों के अनुमान)
1. स्व-राजस्व प्राप्तियां	59081	166484	215941	328482	1391002
	(6.9)	*(6.7)*	*(7.0)*	*(6.0)*	*(6.3)*
2. आयोजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियां	87552	277630	340444	534054	2315499
	(10.2)	*(11.2)*	*(11.0)*	*(9.8)*	*(10.5)*
3. सुपुर्दगी-पूर्व घाटा (1-2)	-28471	-111147	-124503	-205572	-924497
	(-3.3)	*(-4.5)*	*(-4.0)*	*(-3.8)*	*(-4.2)*
4. स.घ.उ. (वर्तमान मूल्य)	859220	2469564	3104857	5471819	22091645

यें आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता के हैं।

वर्ष 2004-10 के लिए चालू कीमतों पर स.घ.उ. का अनुमान वित्त आयोग द्वारा लगाया गया है।

मार्गदर्शन अध्याय 4 में रेखांकित राज्यों के लोक वित्त साधनों की पुनर्संरचना के समग्र उद्देश्य द्वारा किया गया है। पूर्वानुमान अवधि में 28 राज्यों में से प्रत्येक के लिए अनुमान करने हेतु मानदंडों का उपयोग किया गया है। यह एक द्वि-चरणीय प्रक्रिया है। पहले चरण में, आधार वर्ष 2004-05 के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान लगाया गया। आधार वर्ष में कुछ सुधार जरूरी थे, क्योंकि बजट अनुमानों को स्वीकृत करने से व्यय में शिथिलता या राज्यों की तरफ से राजस्व उगाने में अक्षमता हो सकती है। अतः राजस्व और व्यय के 2005-10 के लिए, राजकोषीय पुनर्संरचना के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप, प्रामाणिक अनुमान किए गए थे।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

6.6 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य सरकारों की राजस्व उगाने की राजकोषीय क्षमता का संकेत देता है। जीएसडीपी स्तर आर्थिक वृद्धि की चुनी गई कार्ययोजना को जारी रखने के लिए व्यय स्तर का एक अनुमान देते हैं। अतः हमारा पहला काम पूर्वानुमान अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के जीएसडीपी का अनुमान करना रहा है।

6.7 कारक लागत पर नॉमिनल जीएसडीपी के तुलनात्मक स्तरों पर कालानुक्रम आंकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 2001-02 तक के लिए उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक राज्य से अलग-अलग प्राप्त अतुलनीय नॉमिनल जीएसडीपी श्रृंखला वर्ष 2002-03 तक राज्यों की श्रृंखलाओं से उपलब्ध कराई गईं। 2002-03 की वृद्धि दरें, प्रत्येक राज्य हेतु 2002-03 के तुलनीय नॉमिनल जीएसडीपी प्राप्त करने के लिए, तुलनीय श्रृंखला के 2001-02 जीएसडीपी पर लागू की गई थीं। अगला कदम 2003-04 के लिए और फिर 2009-10 तक नॉमिनल जीएसडीपी का अनुमान लगाना था। चूंकि सकल जीएसडीपी की नॉमिनल वृद्धि दर स.घ.उ. की दर से मामूली कम रही है, इसलिए स.घ.उ. की दर से कुल जीएसडीपी की रूझान वृद्धि दर (टीजीआर) का अनुपात 1993-2002 की अवधि के लिए प्राप्त किया गया। वर्ष 2003-04 में स.घ.उ. के लिए अपनाई गई 12.25 प्रतिशत वृद्धि दर पर यह अनुपात लागू किया गया। इससे 2003-04 के कुल जीएसडीपी के लिए 11.1 प्रतिशत नॉमिनल वृद्धि दर का आंकड़ा प्राप्त हुआ। 1997-2002 की अवधि के लिए राज्य-विशिष्ट नॉमिनल वृद्धि दरों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक राज्य के तुलनीय जीएसडीपी की औसत सालाना वृद्धि दर को निकाला गया और इस तरीके से समानुपातिक रूप से समंजित किया गया कि कुल मिलाकर नॉमिनल जीएसडीपी वृद्धि दर 11.1 प्रतिशत हो गई। इन राज्य-विशिष्ट वृद्धि दरों को, प्रत्येक राज्य के लिए 2003-04 स्तरों को प्राप्त करने के लिए, 2002-03 स्तरों पर लागू किया गया था। इसी तरीके से, 2004-05 के लिए राज्य-विशिष्ट वृद्धि दरें निकालीं गईं और उन्हें 2004-05 के लिए राज्य-वार नॉमिनल जीएसडीपी अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अनुमानित 2003-04 स्तरों पर लागू किया गया। 2004-05 के लिए यह नोट किया जाए कि 12 प्रतिशत अनुमानित नॉमिनल स.घ.उ. वृद्धि दर से कुल जीएसडीपी हेतु 10.9 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हुई।

6.8 पूर्वानुमान अवधि 2005-10 में, स.घ.उ. की वार्षिक नॉमिनल वृद्धि दर का 12 प्रतिशत पर पूर्व अनुमान लगाया गया है। जीएसडीपी पूर्वानुमानों के प्रयोजनार्थ, उसी वृद्धि दर (अर्थात् 12 प्रतिशत) को राज्यों के वित्त साधनों की पुनर्संरचना हेतु संपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनाया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में व्यक्त विचार कि जीएसडीपी में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए विभिन्न दरों पर वृद्धि होनी चाहिए, के अनुसान हमने दसवीं योजना दस्तावेज के 8 प्रतिशत और अधिक की औसत वास्तविक सालाना वृद्धि दर को हासिल करने के लिए पूर्वानुमान राज्यों हेतु 12.8 प्रतिशत की सालाना नॉमिनल वृद्धि दर नियत की है। इसी तरह, दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत के बीच और 7 प्रतिशत के नीचे रहने वाली वास्तविक सालाना वृद्धि दर हासिल करने वाले संभावित राज्यों हेतु क्रमशः 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की नॉमिनल वृद्धि दरें निर्धारित की गई हैं। अनुबंध 6.2 में जीएसडीपी की राज्य-वार वृद्धि दरें दी गई हैं। कुल जीएसडीपी का सालाना नॉमिनल वृद्धि दर तब पूर्वानुमान अवधि 2005-10 के दौरान 12 प्रतिशत बनती है।

स्व-कर राजस्व

6.9 स्व-कर राजस्वों के पूर्वानुमान का हमारे दृष्टिकोण का टीओआर के पैरा 6(iii) द्वारा मार्गदर्शन किया गया है जिसमें कहा गया है "आयोग अपनी सिफारिशों को करने के लिए 2003-04 के अंत में संभावित कराधान और कर-भिन्न राजस्वों के आधार पर 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ पंचवर्षीय अवधि के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों पर अन्य विचारों के साथ विचार करेगा।" पैरा 6(v) आगे तय करता है कि आयोग प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयासों के लक्ष्य, यदि कोई हो, को और कर जीएसडीपी अनुपात सुधारने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावना पर गौर करेगा।

6.10 राज्यों के स्व-कर राजस्वों में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन और यात्री कर, और अन्य शामिल हैं। दसवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य हेतु प्रत्येक श्रेणी का अलग-अलग अनुमान किया है। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग ने कारण बताया है कि विभिन्न कर रूझानों के बीच प्रतिस्थापन संभावनाओं ने स्व-कर राजस्वों को एक बहुप्रयोजन वाले समूह के रूप में प्रक्षेपित करना अधिक वांछनीय बनाया है। हम ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हैं।

6.11 टीओआर के अनुसार, कर जीएसडीपी अनुपात में सुधार करना राज्यों के स्व-कर राजस्वों के प्रक्षेपण के लिए मूल सिद्धांत बना। इसे पहले कुछ राज्यों के लिए आधार वर्ष में कर योग्य क्षमता के अल्प उपयोग के लिए समायोजित करके और बाद में प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट कर उत्प्लावकता के आदर्शनिष्ठ स्तरों के माध्यम से इसके उपयोग में और सुधार करके हासिल किया गया था।

आधार वर्ष अनुमान

6.12 स्व-कर राजस्व (ओटीआर) के टीजीआर का 1993-2003 की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य हेतु अनुमान लगाया गया है और उन्हें आधार वर्ष 2004-05 हेतु टीजीआर आधारित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य के संबंधित 2002-03 (वह नवीनतम वर्ष जिसके लेखे आंकड़ें उपलब्ध हैं) स्तरों पर लागू किया गया। छह

द्विभाजित राज्यों के लिए, उसी टीजीआर का मूल और विभाजन पश्चात अलग किए गए राज्यों के लिए प्रयोग किया गया है, इसे 1993-2003 की अवधि के संयुक्त लेखों से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार ज्ञात किए गए टीजीआर को 2004-05 के टीजीआर आधारित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए द्विभाजित राज्यों के लिए 2002-03 के पृथक लेखों पर लागू किया गया। तत्पश्चात प्रत्येक राज्य के ओटीआर के टीजीआर आधारित अनुमान की तुलना 2004-05 के संबंधित बजट अनुमानों से की गई और दोनों में से अधिक अनुमान को आधार वर्ष के लिए प्रारंभिक अनुमानों के रूप में चुना गया। प्रारंभिक अनुमानों को फिर प्रत्येक राज्य के लिए जीएसडीपी से अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया, और विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस अनुपात की औसतों को 2004-05 के लिए अलग से परिकलित किया गया।

6.13 प्रामाणिक आकलन के प्रयोजनार्थ आधार वर्ष 2004-05 में कर योग्य क्षमता के अल्प-प्रयोग हेतु कम से कम आंशिक समायोजन को उन राज्यों के लिए उचित माना गया जहां पर ओटीआर का जीएसडीपी से अनुपात संबंधित श्रेणी की औसत से नीचे था। विशेषतः कम औसत वाले राज्यों के संबंध में प्रामाणिक आधार वर्ष अनुमान के प्रयोजनार्थ हमने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों की संबंधित वर्ग औसत से उनकी दूरी के अनुमानित कर जीएसडीपी अनुपातों को 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी द्वारा बढ़ाया। इस तरीके से प्रत्येक राज्य के प्रामाणिक ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात को ज्ञात करके उसे मात्रात्मक (रुपया) रूप में, ओटीआर के आधार वर्ष के समायोजित स्तर पर पहुंचने के लिए 2004-05 के अनुमानित जीएसडीपी स्तर पर लागू किया गया। इससे आधार वर्ष में राष्ट्रीय स.घ.उ. पर 5.9 प्रतिशत अनुपात सभी राज्यों के लिए समायोजित स्व-कर राजस्व एकत्रित हुआ।

पूर्वानुमान अवधि के लक्ष्य

6.14 हमने पूर्वानुमान अवधि में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल ओटीआर में 0.9 प्रतिशतांक से कुछ कम की बढ़ोतरी समाविष्ट की है अर्थात आधार वर्ष में 5.91 प्रतिशत से अंतिम वर्ष में 6.75 प्रतिशत। यह सरकारी वित्त साधनों की पुनर्संरचना हेतु आयोजना के अनुसार है। ओटीआर/स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि का अर्थ है कि कुल ओटीआर को पूर्वानुमान वृद्धि में 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर बढ़ना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर, अनुबंध 6.2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अलग-अलग राज्यों को 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 और 1.35 के आदर्शनिष्ठ उत्प्लावकता स्तर दिए गए। अलग-अलग राज्यों को आदर्शनिष्ठ उत्प्लावकताएं देते हुए, वैट की शुरूआत का असर यदि राजस्व बढ़ाने वाला नहीं तो राजस्व पर निष्प्रभावी माना गया था।

6.15 आदर्शनिष्ठ उत्प्लावकताएं समनुदेशित करने के लिए, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा गया हैः

(i) 2000-03 में हासिल औसत ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात।

(ii) 1993-96 की तुलना में 2000-03 में ओटीआर/ जीएसडीपी अनुपात में सुधार।

(iii) 1999-2002 के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का औसत।

उदाहरणार्थ, किसी राज्य को इसलिए उच्च उत्प्लावकता निर्दिष्ट की गई क्योंकि इसका हालिया ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात और समयावधि में इसमें सुधार अपेक्षाकृत कम रहे बशर्ते कि इसकी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक रही। प्रत्येक राज्य के लिए ओटीआर की औसत वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए समनुदेशित उत्प्लावकता अनुमानित राज्य-विशिष्ट जीएसडीपी वार्षिक वृद्धि दर से वर्धित हुई, जिसे तब पूर्वानुमान अवधि में ओटीआर स्तर सृजित करने के लिए आधार वर्ष अनुमानों पर लागू किया गया। अनुबंध 6.2 पूर्वानुमान अवधि के दौरान राज्यों की अनुमानित जीएसडीपी वृद्धि दरों का संकेत देते हैं।

स्व-कर-भिन्न राजस्व

6.16 ओटीआर के विपरीत स्व-कर-भिन्न राजस्वों (ओएनटीआर) को एक बहुप्रयोजन वाली श्रेणी नहीं माना गया है क्योंकि इनमें प्राप्ति मद शामिल है जिनमें आपस में बहुत कम उभयनिष्ठता है। अतः ओएनटीआर के अधीन बड़ी प्राप्ति मदों का अलग से अनुमान किया गया है। आंकड़ों के अभाव के परिप्रेक्ष्य में, शेष मदों को एक अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत इकट्ठा किया गया और अनुमान अवधि के लिए एक समान मानदंड लागू किया गया। प्रक्षेपित मदें निम्नानुसार हैंः

(i) ब्याज प्राप्तियां और लाभांश;

(ii) रायल्टी;

(iii) वानिकी और वन्य जीवन से प्राप्तियां;

(iv) अन्य विविध सामान्य सेवाएं और लाटरी;

(v) सिंचाई प्राप्तियां; और

(vi) अन्य स्व-कर भिन्न राजस्व।

ब्याज प्राप्तियां और लाभांश

6.17 ब्याज प्राप्तियां राज्यों को उनकी सरकारों द्वारा दिए गए सांस्थानिक और गैर-सांस्थानिक ऋणों पर उपचित होती हैं। सांस्थानिक उधार मुख्यतः राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) जिनमें राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी), राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) और अन्य वाणिज्यिक और संवर्धनात्मक उद्यम शामिल हैं, को दिए जाते हैं। गैर-सांस्थानिक ऋण अधिकांशतः सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं। यह पाया गया है कि सभी राज्यों के लिए कुल मिलाकर बकाया ऋणों पर प्रतिफल की प्रभावी दर 2002-03 में लगभग 2 प्रतिशत पर बहुत कम थी। यह उस दर जिस पर राज्य सरकारें ऋण लेती हैं, से काफी कम थी। विशेषतः एसईबी और एसआरटीसी ने ब्याज भुगतानों और ऋण पुनः अदायगियों में नेमी चूकें कीं। इसी तरह लाभांशों के मामले में हुआ, जहां प्रतिफल की आय भी 2002-03 में 0.6 प्रतिशत पर कम थी।

6.18 टीओआर का पैरा 6(vii) उल्लेख करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों जिनमें विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, की व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रयोक्ता प्रभारों के समायोजन और निजीकरण या विनिवेश के माध्यम से प्राथमिकता-भिन्न उद्यमों के त्याग जैसे उपायों के माध्यम से सुनिश्चित करने की जरूरत है। हमने पूर्वानुमान

अवधि के अंतिम वर्ष तक क्रमिक रूप में हासिल किए जाने वाले बकाया ऋणों और अग्रिमों पर 7 प्रतिशत प्रतिफल और इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की कल्पना की है। इस प्रयोजनार्थ, 1.4.2005 को ऋणों और अग्रिमों की राशि और 1.4.2003 को इक्विटी स्तरों को पूर्वानुमान अवधि के दौरान स्थिर रखा गया है।

रॉयल्टी

6.19 इस शीर्ष के अधीन, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम से रॉयल्टी पर विचार किया गया है। हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अधिकांश मामलों में रॉयल्टी की दरों को संशोधित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में विहित है। भारत सरकार व्यवस्थानुसार रॉयल्टी दरों का संशोधन नहीं करती रही है। विशेषतः कोयला और लिग्नाईट के बारे में यह सत्य है। हम अनुशंसा करते हैं कि रॉयल्टी के कुछ राज्यों हेतु राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होने की वजह से, रॉयल्टी की दरों को मूल्यानुसार आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

6.20 इस राजस्व प्रवृत्ति की स्थापना हेतु हमने इस पर विचार किया कि क्योंकि राज्यों के पास रॉयल्टी दरों को संशोधित करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए इस शीर्ष के अधीन राजस्व की मुद्रास्फीति के साथ गति बनाए रखना सबसे अच्छी बात है। तीन वर्ष 2002-05 के औसत की 2004-05 (ब.अ.) से तुलना की गई थी और दोनों में से उच्चतर को आधार वर्ष आंकड़े के रूप में अपनाया गया और 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर को 2005-10 के लिए आंकड़ों को स्थापित करने के लिए लागू किया गया।

वानिकी और वन्य जीवन से प्राप्तियां

6.21 इस शीर्ष के अधीन प्राप्तियां किसी भी राज्य के लिए कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने वन संपदा जिसका राज्यों के राजस्व पर परिणामी प्रभाव होता है, के शोषण पर प्रतिबंध लगाएं हैं। इस मामले में, तीन वर्ष 2002-05 के औसत राजस्व की 2004-05 (ब.अ.) से तुलना की गई और दोनों में से उच्चतर को आधार वर्ष अनुमान के लिए अपनाया गया और उसे पूर्वानुमान अवधि के लिए उस स्तर पर धारित किया गया।

अन्य विविध सामान्य सेवाओं और लाटरियों से प्राप्तियां

6.22 इस शीर्ष के अधीन मदों में किसी अन्य मुख्य शीर्ष के अधीन शामिल नहीं की गईं विविध प्राप्तियां शामिल हैं। इस शीर्ष के अधीन प्राप्तियों की अनिश्चितता के कारण, तीन वर्ष 2002-05 की औसत को आधार वर्ष अनुमान के रूप में लेना उत्तम माना गया जिस पर पूर्वानुमान अवधि में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर लागू की गई थी। निवल धनात्मक लाटरी प्राप्तियों का 2000-03 के लिए (2001-03 द्विभाजित राज्यों हेतु) औसत निकाला गया और इसे पूर्वानुमान अवधि में उस स्तर पर स्थिर रखा गया।

सिंचाई से प्राप्तियां

6.23 टीओआर का पैरा 6(vii) सिंचाई परियोजनाओं की व्यवसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की जरूरत का हवाला देता है। अतः यह निश्चित किया गया कि इस मद के अधीन प्राप्तियों के अनुमान हेतु चालू लागतों की वसूली का सिद्धांत प्रत्यक्षतः अपनाया जाए। 2004-05 (ब.अ.) में सिंचाई प्राप्तियां जिन्हें आधार वर्ष अनुमानों के रूप में अपनाया गया है, कुल मिलाकर सभी राज्यों के लिए सिंचाई पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का 32.3 प्रतिशत थी। यह वसूली दर बहुत कम समझी गई। लागत वसूली की उच्च दरों के बिना, सिंचाई नेटवर्क के अनुरक्षण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। तद्नुसार सिंचाई प्राप्तियों के आकलन में, पूर्वानुमान अवधि में बड़ी मध्यम और लघु आकार की सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमानित प्रयुक्त संभाव्यता पर व्यय अनुरक्षण के संबंध में 2005-06 में 50 प्रतिशत लागत वसूली दर, 2006-07 में 60 प्रतिशत, 2007-08 में 70 प्रतिशत, 2008-09 में 80 प्रतिशत और 2009-10 में 90 प्रतिशत लागत वसूली दर निर्दिष्ट की गई हैं।

अन्य स्व-कर-भिन्न राजस्व

6.24 अन्य स्व-कर-भिन्न राजस्व (ओओएनटीआर) के अधीन प्राप्तियां कुल स्व-कर-भिन्न राजस्वों से, ऊपरोल्लिखित मदों को छोड़ने के बाद, एक अवशिष्ट श्रेणी बनाती है और ये वृहत रूप से विभिन्न प्रयोक्ता प्रभारों से प्रवाहों को दर्शाते हैं। ये अवशिष्ट मद सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभक्त की गईं थी। ऐसा करते समय, सामान्य सेवाओं से "चुनाव" शीर्ष के अधीन प्राप्तियों को अलग कर दिया गया, क्योंकि चुनाव व्यय का अलग से निवल आधार पर अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार, डेयरी, विद्युत एवं परिवहन से प्राप्तियों को भी आर्थिक सेवाओं से अलग कर दिया गया। आर्थिक सेवाओं से इन्हें हटाना विभाग द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसायिक कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडियों को अनुमति नहीं प्रदान करने के हमारे पक्ष के अनुरूप था। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए 1993-2003 (वास्तविक), 2003-04 (स.अ.) तथा 2004-05 (ब.अ.) की अवधि के लिए समायोजित ओओएनटीआर (सेवा-वार) प्राप्त किया गया। आगे, 1993-2003 अवधि के लिए परिकलित किया गया तथा 2004-05 के लिए प्रारंभिक अनुमानों के लिए 2002-03 स्तरों पर अनुपयोग किया गया। अलग किए गए राज्यों के लिए, वृद्धि दर की प्रवृत्ति के अनुमान के लिए संयुक्त लेखे उपयोग किए गए जिसे 2002-03 के उनके संबंधित लेखों पर प्रारंभिक अनुमान के सृजन के लिए अनुप्रयोग किया गया है। इन प्रारंभिक अनुमानों की तुलना 2004-05 (ब.अ.) के अनुमानों के साथ की गई है तथा दोनों में से अधिक वाले को आधार वर्ष अनुमान माना गया है। इन अनुमानों पर 12.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर सामान्य सेवाओं पर तथा सामाजिक एवं पूर्वानुमान अवधि में आर्थिक सेवाओं दोनों के लिए 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर अनुप्रयुक्त की गई है जो राज्यों को इन सेवाओं में लागत वसूली के ज्यादा परिमाण प्राप्ति की आवश्यकता को दर्शाता है।

आयोजना-भिन्न गैर-वित्त आयोग अनुदान

6.25 ये मुख्यतः भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रदत्त विवेकपूर्ण अनुदान हैं। चूंकि ये आयोजना-भिन्न मद में गैर-वित्त आयोग (गैर-वि.आ.) अनुदान हैं अतः पूर्वानुमान अवधि में उनके स्तरों के बारे में देखा जाना आवश्यक है। ग्यारहवें-वित्त आयोग ने गत तीन वर्षों के औसत को आधार वर्ष अनुदानों के रूप में माना है तथा पूर्वानुमान अवधि में 10 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर को अनुप्रयुक्त किया है। चूंकि इन अनुदानों के अनुमान के लिए उनकी विवेकपूर्ण प्रकृति को देखते हुए कोई ठोस आधार नहीं है, अतः प्राप्तियों तथा व्यय दोनों के आधार वर्ष निर्धारण से उन्हे अलग किया

गया है। प्रत्येक राज्य के लिए 2000-03 की अवधि के लिए इन अनुदानों के औसत को आधार वर्ष स्तर माना गया। आयोजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के आधार वर्ष अनुदानों से इन्हें अलग किया गया। तदनुसार, चूंकि इन अनुदानों के व्यय का ब्यौरा उलब्ध नहीं था, गैर-वित्त आयोग अनुदानों के आधार वर्ष अनुमान के बराबर राशि को आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के अंतर्गत "अन्य सामान्य सेवाएं" के आधार वर्ष अनुमानों से घटा दिया गया है।

व्यय : आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

6.26 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) के अनुमान में कर-भिन्न राजस्वों के सदृश तरीके का पालन किया गया है तथा जहाँ भी संभव हुआ, मदवार अनुमान किये गये। अन्य मामलों में, मदों को एकत्रित किया गया या तो पर्याप्त सूचना के अभाव के कारण अथवा श्रेणीवार प्रतिमानकों को लागू करने के प्रयोजन के लिए कुछ बृहत् श्रेणियों के अंतर्गत है। आगे, सामान्यतः हमारा उद्देश्य आयोजना राजस्व व्यय की वृद्धि में नियामक तरीके से कुछ दबाव हासिल करना रहा है, हमें यह भी विश्वास है कि इस व्यय के कतिपय घटक प्रोत्साहित किए जाने के योग्य हैं। ये घटक हैं; शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों एवं भवनों का रखरखाव। व्यय के अनुमान में हमने एनपीआरई के अन्य घटकों की तुलना में इन घटकों के अधिक मुक्त निरुपण का प्रावधान किया है।

6.27 अनुमान प्रक्रिया आरंभ करने से पहले 1993-2005 की अवधि की एनपीआरई आँकड़ा श्रृंखला में कतिपय समायोजन अपेक्षित हैं। अनुदानों के साथ-साथ आपदा राहत संबंधी व्यय को अलग किया गया है क्योंकि इस मद का अध्याय 9 में पृथक रूप से अनुमान किया गया है। स्थानीय निकायों के मामले में अनुदानों को राजस्व प्राप्ति से अलग रखा गया है परन्तु एनपीआरई के सम्बन्ध में व्यय को स्थानीय निकायों के दायरे में रखा गया है । हमारे विचार में, स्थानीय निकाय की अनुदानों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को समग्र रूप से उन अनुदानों जिन्हें घाटा अनुदानों में सन्निहित किया गया है, के लिए अतिरिक्त अनुदानों के रूप में लिया जाना चाहिए। चुकता करने वाले निधि प्रावधानों से सम्बन्धित व्यय को "ऋण त्यागने के लिए समायोजन करना", शीर्ष के तहत रखा गया है, और इस व्यय को घाटा अनुदानों को पूरा करने के लिए असंगत के रूप में न माना जाए। इसके अलावा, सभी उन अभियुक्तियों के आंकड़ों को जिनका राज्यों के गैर-योजना राजस्व व्यय और कर-भिन्न राजस्व घाटों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, दोनों की मात्रा समान के विरोधाभास को हटा दिया गया है। इस शीर्ष के तहत, ब्याज प्राप्तियों के तहत विरोधाभास वाले ब्याज भुगतानों में सन्निहित कर दिया गया है। इसके अलावा, निधियों से/अन्तरण के लिए" व्यय के कम बताने के या अधिक बताने के प्रभाव को शून्य करने के लिए समायोजित कर दिया गया है। इसमें सम्बन्धित संचलनात्मक शीर्षों से जहां इन्हें रखा गया है, लेकिन, वास्तविक रूप से इनका प्रयोग नहीं किया गया है, उन "निधियों के लिए अंतरण" व्ययों को कम करना शामिल किया गया है। इसी प्रकार, जिन सम्बन्धित शीर्षों को जहां तदनुरूपी बजटीय आवंटन के बिना वास्तविक रूप से नगद निधियां ली गई हैं, को "निधियों से अंतरण" की प्राप्तियों में शामिल किया गया है। लाटरियों के सम्बन्ध में व्यय को अलग रखा गया है, चूंकि, निवल आधार पर इसे प्राप्ति खण्ड में रखा गया है। इसके अलावा, चुनावी व्यय को अलग रखा गया है, चूंकि चुनावों के तहत प्राप्तियों को हमारी आंकड़ा श्रृंखलाओं में विचार नहीं किया गया है और इसलिए भी कि चुनावी खर्चों को अलग से दिखाया गया है।

6.28 इन समायोजनों ने राज्यों के बीच एनपीआरई के तुलनात्मक आंकड़ों के मूल्यांकन को किया है। इसके अलावा, हमने विद्युत, परिवहन और डेयरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए और गैर-योजना राजस्व व्यय तथा इन शीर्षों के तहत प्राप्तियों को छोड़ते हुए पता लगाई गई सब्सिडियों को खत्म कर दिया है। उपरोक्त सभी समायोजन प्रत्येक राज्य के लिए एनपीआरई श्रृंखलाओं का समायोजन मुहैया करते हैं। अतः आधार वर्ष अनुमानों को छोड़ने के लिए इन उपरोक्त सूचीबद्ध मदों को शामिल नहीं करती है।

6.29 विद्युत, परिवहन डेयरी और खाद्य से सम्बन्धित छोड़ी गई सब्सिडियों की श्रृंखलाओं को समायोजित किया गया है। अतः यह महसूस किया गया कि तथापि, किसी दूर-दराज के राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुगमता से पहुंच बनाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए, पूर्वानुमित अवधि में प्रत्येक राज्यों के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर पर खाद्य सब्सिडी के लिए वार्षिक प्रावधान किया गया है। खाद्य सब्सिडी की राशि को अनुबन्ध 6.3 में दिखाया गया है।

6.30 प्रत्येक राज्य के समायोजित गैर-योजना राजस्व व्यय को मुख्य चार बड़ी श्रेणियों अर्थात् सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं आर्थिक सेवाओं और स्थानीय निकायों के लिए प्रतिपूर्ति व कार्य के लिए विश्लेषण किया गया है। इन श्रेणियों के तहत् प्रक्षेपण के लिए कुछ मुख्य मदों को लिया गया है। इन मदों में सामान्य सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, के तहत ब्याज भुगतानों और पेंशन भुगतानों और सामाजिक सेवाओं के तहत भवनों का रखरखाव और सिंचाई परियोजनाओं का तथा आर्थिक सेवाओं के तहत सड़कों के रखरखाव को शामिल किया गया है। इन मदों के लिए अलग से प्रक्षेपण करने के लिए, अन्य मदों को "अन्य सामान्य सेवाएं", "अन्य सामाजिक सेवाएं" के तहत शामिल किया गया है। जिसके लिए प्रक्षेपण हेतु विशेष मानदण्ड लागू होते हैं। स्थानीय निकायों संबंधी क्षतिपूर्ति और समनुदेशन का अनुमान पृथक रूप से किया गया है। इन चार विस्तृत श्रेणियों के अतिरिक्त दसवीं योजना के अंत में वचनबद्ध योजना देयताओं के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय पक्ष में अंतरण संबंधी व्यय भी अनुमान किया गया है।

ब्याज भुगतान

आधार वर्ष निर्धारण

6.31 ऐसा महसूस किया गया कि 2004-05 के लिए राज्यों द्वारा तैयार किए गए बजट में ब्याज भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ राज्यों पर अत्यधिक उधार हो जाएंगे जो उन राज्यों के लिए उचित नहीं होगा जिन्होने अपने विवेक का अधिक प्रयोग करते हुए उधार लिए है। आधार वर्ष में ब्याज भुगतानों के आकलन हेतु, ब्याज भुगतानों की कुल राजस्व प्राप्तियों (आईपी/टीआरआर) (लाटरियों से निवल) से अनुपात का वर्ष 2002-03 के

लिए अनुमान लगाया गया है, विशेष एवं गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए समूह औसत निकाले गए। संबंधित समूह औसतों से अधिक अनुपात वाले राज्यों के लिए, अधिकता के केवल 80 प्रतिशत को रखने की इजाजत दी गई। तत्पश्चात् ऐसे राज्यों के घटे अनुपात और शेष राज्यों के असमंजित अनुपातों को, वर्ष 2002-03 के लिए ब्याज भुगतानों के सुधरे स्तर पर पहुँचने के लिए, संबंधित राज्य के टीआरआर पर लागू किया गया। प्रत्येक राज्य के सुधरे स्तरों पर वर्ष 2004-05 के लिए आधार वर्ष अनुमान प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर लागू की गई है। यह वृद्धि दर ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उनकी पूर्वानुमान अवधि अर्थात 2000-05 में ब्याज भुगतान के अनुमान के लिए नियोजित दर के समान थी।

पूर्वानुमान अवधि हेतु लक्ष्य

6.32 1993-2003 की अवधि के दौरान भी राज्यों के ब्याज भुगतानों में 18.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से संयुक्त रूप से वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में नॉमिनल ब्याज दरों में गिरावट रही है तथा राज्य केन्द्र सरकार के ऋण अदला-बदली कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करते रहे हैं। राज्य वित्तों की पुनर्गठन हेतु रणनीति के मद्देनजर सभी राज्यों के लिए ब्याज भुगतान की वृद्धि दर को एक साथ लेकर 7.5 प्रतिवर्ष में एकीकृत कर दिया गया। इस स्तर को तल-चिन्ह के रूप में इस्तेमाल कर सामान्य श्रेणी के राज्यों को अपने ब्याज भुगतान के अनुमान के लिए विभेदक वृद्धि दरें समुनेदेशित की गई जैसे 6.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत एवं 8.5 प्रतिशत 2003-04 (सं.अ.) में 30 प्रतिशत से अधिक आईपी/टीआरआर अनुपात वाले राज्यों को 6.5 प्रतिशत की कम वृद्धि दर समनुदेशित की गई क्योंकि पहले के अत्यधिक उधारों के कारण राज्यों पर ब्याज भुगतान का भारी बोझ है। पुर्वानुमान अवधि के दौरान 23 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बीच के आईपीटीआरआर अनुपात वाले राज्यों को 7.5 प्रतिशत, से कम वालों को 8.5 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत की वृद्धि दर समनुदेशित की गई। सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों को 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर समनुदिश की गई सिवाए एक राज्य के जिसे 6.5 प्रतिशत की दर इसके अत्याधिक ऋण बोझ के कारण समनुदेशित की गई। तत्पश्चात् 2005-10 के दौरान ब्याज भुगतानों के अनुमान के लिए आधार वर्ष अनुमानों पर राज्य विशिष्ट वृद्धि दर अनुप्रयुक्त की गई। इसकी राज्य के अपने अनुमान से तुलना की गई तथा दोनों में से कम वाले को अपनाया गया।

पेंशन भुगतान

6.33 पेंशन भुगतानों के अनुमान में अल्पावधि अथवा मध्यावधि में पेन्शन प्रोफाइल को प्रभावित करने की राज्यों की अक्षमता को देखते हुए हमारा प्रयास मौजूदा प्रवृत्ति से न्यूनतम विचलन करना था। तदनुसार, 2004-05 (ब.अ.) के आँकड़ों को ब्याज भुगतानों हेतु अपनाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वानुमान अवधि में पेंशन भुगतानों की वार्षिक वृद्धि दर निकाली गई। राज्यों के कुल पेंशन भुगतानों का हमारे विश्लेषण से 1993-2003 की अवधि के लिए 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर का पता चला। चूंकि इस अवधि में पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की वजह से हुआ पेंशनों का उपरो-मुखी संशोधन वाली अवधि शामिल है, इसलिए हालिया वर्षों में पेंशन भुगतानों में हुई वृद्धि पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया। राज्यों के कुल पेंशन भुगतानों में क्रमशः 2003-04 और 2004-05 में 14.8 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। अन्य 10 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर को अपनाया है और इसे पूर्वानुमान अवधि में पेंशन भुगतान स्तरों को सृजित करने के लिए प्रत्येक राज्य के आधार वर्ष अनुमानों पर लागू किया गया। यह नोट किया जाए कि इस दर के मुद्रास्फीति दर से अधिक रहने को 2005-10 के दौरान पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि में कारक है।

सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य

6.34 जैसा कि पहले इंगित किया गया है, हमने इस दो क्षेत्रों के पक्ष में व्यय पुनर्सरचना की अनुमति दी है। इसे इस अध्याय में व्यय के पूर्वानुमान में गैर-वेतन संघटक हेतु उच्चतर वृद्धि दर प्रदान करने और अध्याय 10 में की गई चर्चा के अनुसार इस क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, दोनों बातों में दर्शाया गया है। आधार वर्ष आँकड़ों के अनुमान के लिए, 1993-2003 के लिए टीजीआर को 2004-05 के लिए संगत संख्या प्राप्त करने हेतु 2002-03 के आँकड़ों पर लागू किया गया। इसकी तुलना 2004-05 के बजट अनुमानों से की गई और दोनों में से कम अनुमान को आधार वर्ष का अनुमान माना गया।

6.35 तत्पश्चात्-पूर्वानुमान अवधि के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली वृद्धि दरें ज्ञात कर ली गई हैं। शिक्षा के मामले में, यह पाया गया है कि कुल मिलाकर राज्यों के लिए मोटे तौर पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के 85 प्रतिशत में वेतन पर हुआ व्यय शामिल हैं। जबकि स्वास्थ्य के लिए संगत आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत का है। सामान्यतः, हम वेतन में केवल 5 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदान करते रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेतन वास्तविक रूप में स्थिर रह सके । जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में इस मानदंड का अनुपालन किया गया है, वहाँ शिक्षा क्षेत्र में वेतन संघटक के लिए लगभग 6 प्रतिशत की थोड़ी अधिक वृद्धि दर को अपनाया गया था ताकि अध्यापकों की अतिरिक्त भर्ती को समंजित किया जा सके जोकि सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी होगा। अलग से, इन दो क्षेत्रों के गैर-वेतन भाग में 30 प्रतिशत की एक उच्च वृद्धि दर प्रदान की गई है। उपर्युक्त के अनुसार वेतन तथा गैर-वेतन संघटकों की वृद्धि दरों को उनके संबंधित भारांशों से संयुक्त करके, सामान्य शिक्षा (मुख्य शीर्ष 2202) के लिए 9.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य (मुख्य शीर्ष 2210 और 2211) के लिए एक मिश्रित वृद्धि दर प्राप्त की गई। ये वृद्धि दरें प्रत्येक राज्यों पर लागू की गईं। 2005-10 के लिए इन दो क्षेत्रों हेतु पूर्वानुमानित व्यय (अध्याय 10 में अलग से प्रदान किया गया। अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय को छोड़कर) अनुबंध 6.4 और 6.5 में निर्दिष्ट किया गया।

सिंचाई कार्यों का अनुरक्षण

6.36 हमने जल संसाधन मंत्रालय से सिंचाई कार्यों (मुख्य शीर्ष 2701 और 2702) के अनुरक्षण हेतु मानदंड प्राप्त कर लिए हैं। आधार वर्ष 2004-05 में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की उपयोग की गई संभाव्यता के लिए 600 रु. प्रति हेक्टेयर और उपयोग न की गई संभाव्यता के लिए 300 रु. प्रति हेक्टेयर की प्रमाणिक व्यय हमें निर्दिष्ट किया गया है। लघु सिंचाई कार्यों के

मामले में, मंत्रालय ने उपयोग की गई संभाव्यता के लिए वर्ष 2004-05 में 400 रु. प्रति हेक्टेयर के मानदंड का प्रस्ताव किया। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग का विचार था कि लघु सिंचाई कार्यों हेतु अनुरक्षण मानदंडों को बड़ा एवं मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के लिए धारित मानदंडों का आधार होना चाहिए। हमने ग्यारहवें वित्त आयोग की प्रथा का अनुपालन करने का निश्चय किया है और लघु सिंचार की उपयोग की गई संभाव्यता के लिए 2004-05 में 300 रु. प्रति हेक्टवेयर दर को अपनाया। लघु सिंचाई कार्यों की उपयोग ने की गई संभाव्यता को महत्वपूर्ण न होने के कारण अनदेखा करने का निश्चय किया गया है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अनुरक्षण मानदंडों में 30 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई। नौवीं योजना के अंत में योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य-वार उपयोग की गई और उपयोग न की गई संभाव्यता को अनुरक्षण व्यय का अनुमान लगाने के लिए ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए, 2004-05 के लिए मानदंड आधारित अनुमानों की 2004-05 (ब.अ.) की तुलना की गई है, और दोनों अनुमानों में से अधिक अनुमान को आधार वर्ष अनुमानों के रूप में अपनाया गया है। अनुरक्षण के लिए अधिक प्रावधान करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह निकाले गए आधार वर्ष अनुमानों के आधार पर, पूर्वानुमान अवधि में पूर्वानुमानित स्तरों को सृजित करने के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर को लागू किया गया है। अनुबंध 6.6 और 6.7 पूर्वानुमान अवधि के दौरान बड़ी एवं माध्यम और लघू सिंचाई स्कीमों पर अनुरक्षण व्यय के पूर्वानुमानित स्तरों को निर्दिष्ट करते हैं।

सड़कों और भवनों का अनुरक्षण

6.37 सड़कों और पुलों (मुख्य शीर्ष 3054) और भवनों (मुख्य शीर्ष 2059 और 2216) के अनुरक्षण के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के 1993-03 की अवधि के लिए टीजीआर (द्विभाजित राज्यों के मामले में संयुक्त टीजीआर) का संगत मुख्य शीर्ष के अधीन पता लगाया गया और उसे वर्ष 2004-05 के लिए प्रांरभिक अनुमान तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों के 2002-03 स्तरों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत के अधीन लागू किया गया। इन प्रारंभिक अनुमानों की तुलना 2004-05 (ब.अ.) से की गई है दोनों में से अधिक को आधार वर्ष के अनुमानों के रूप में अपनाया गया है। यहाँ पर भी न्यूनतम 5 प्रतिशत टीजीआर और टीजीआर आधारित अनुमानों और बजट अनुमानों में से अधिक के विकल्प ने अनुरक्षण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जरूरत को दर्शाया है। आधारवर्ष अनुमानों के आधार पर, पूर्वानुमान अवधि में पूर्वानुमानित स्तर प्राप्त करने के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर ली गई है। अनुबंध 6.8 और 6.9 पूर्वानुमान अवधि में सड़कों और भवनों के अनुरक्षण व्यय के पूर्वानुमानित स्तरों को दर्शाते हैं। इन व्ययों में अध्याय 10 में अलग से दिए जा रहे अतिरिक्त सहायता अनुदान के तदनुरूपी अनुदान को शामिल नहीं किया गया है।

अन्य सामान्य, अन्य सामाजिक एवं अन्य आर्थिक सेवाएँ

6.38. प्रत्येक राज्य और इन तीन सेवाओं में से प्रत्येक के लिए, 2004-05 के टीजीआर आधारित अनुमानों और बजट अनुमानों में कम वाले अनुमानों को आधार वर्ष अनुमानों के व्यय में अपनाया गया है। ऐसा करते समय, टीजीआर के लिए अन्यूनतम की मत 7.5 प्रतिशत मानी गई है। द्विभाजित राज्यों के लिए, संयुक्त राज्यों के टीजीआर सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निकाले गए हैं, किन्तु इन्हें 2004-05 के लिए टीजीआर आधारित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए उनके संबंधित 2002-03 स्तरों पर लागू किया गया।

6.39. अगला काम इन तीन सेवा श्रेणियों के लिए पूर्वानुमान अवधि में व्यय की राज्य-वार सेवा-विशिष्ट वार्षिक दरों को प्राप्त करना था। प्रत्येक सेवा श्रेणी में, हमने सभी राज्यों के लिए गैर-वेतन व्यय के लिए एक समान वृद्धि दर, और नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिए परिवर्तनीय वेतन वृद्धि दर को अपनाया है। गैर-वेतन व्यय के लिए, "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन सभी राज्यों के लिए 7 प्रतिशत औसत वृद्धि दर और "अन्य सामाजिक सेवाओं" और "अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर अपनाई गई है।

6.40. तीनों सेवाओं में से प्रत्येक के अधीन वेतन संघटक के लिए समनुदेशित वार्षिक वृद्धि दरों में वेतन तीव्रताओं के उनके संबंधित स्तरों पर निर्भर राज्यों के बीच भिन्नता रही है (एक मुख्य शीर्ष की "वेतन तीव्रता" को उस शीर्ष के अधीन एनपीआरई के आयोजना-भिन्न वेतन की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया गया है) इसका उद्देश्य उन राज्यों जिनकी पहले से ही किसी विशेष श्रेणी के अधीन एक उच्च वेतन तीव्रता थी, के लिए वेतन व्यय में हुई वृद्धियों को हतोत्साहित करना था। इस तरह, "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन 85 प्रतिशत और उससे अधिक वेतन सघनता वाले राज्यों ने उच्चतम वेतन तीव्रता वाला उप-समूह बनाया और उन्हें वेतन संघटक के लिए 4.5 प्रतिशत न्यूनतम औसत वृद्धि दर समनुदेशित की गई। इसी प्रकार, 75 प्रतिशत से 84 प्रतिशत की श्रेणी वाली कम वेतन तीव्रता वाले राज्यों को 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि समनुदेशित की गई और अन्य राज्यों को 5.5 प्रतिशत वेतन वृद्धि समनुदेशित की गई "अन्य सामान्य सेवाओं" के गैर-वेतन संघटक में जैसाकि पहले ही ऊपरोल्लिखित है, सभी राज्यों में 7 प्रतिशत की प्रामाणिक वृद्धि होनी थी। इन दोनो संघटकों के सयोजन से, कुल मिलाकर प्रत्येक उप-समूह के लिए "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन मिश्रित वृद्धि दर प्राप्त की गई।

6.41. "अन्य सामाजिक सेवाओं" के अधीन, 45 प्रतिशत और अधिक की वेतन तीव्रताओं वाले राज्यों ने उच्चतम वेतन तीव्रता उप-समूह, 44 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच वेतन तीव्रता वालों ने मध्यम तीव्रता उप-समूह और 30 प्रतिशत से नीचे वाले ने न्यूनतम तीव्रता उप-समूह बनाया। उप-समूह वार वेतन वृद्धि दरों को प्रत्येक उप-समूह हेतु मिश्रित वृद्धि दरों को प्राप्त करने के लिए एक समान गैर-वेतन वृद्धि दरों के साथ संयुक्त किया गया।

6.42. "अन्य आर्थिक सेवाओं के अधीन 65 प्रतिशत और अधिक की वेतन तीव्रता वाले राज्यों ने सर्वोच्च उप-समूह 64 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच की वेतन तीव्रता वालों ने मध्यम उप-समूह और 50 प्रतिशत से नीचे की वेतन तीव्रता वाले राज्यों ने न्यूनतम उप-

समूह बनाया। इन वृद्धि दरों को प्रत्येक उप-समूह के लिए मिश्रित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत गैर-वेतन वृद्धि दर से संयुक्त किया गया।

6.43. इस प्रकार, सभी राज्यों हेतु नौ मिश्रित वृद्धि दरें निकाली गईं, जिनमें तीनो में से प्रत्येक सेवाओं के लिए तीन दरें रखी गई। प्रत्येक सेवा के लिए, किसी खास एक राज्य के लिए पूर्वानुमान स्तर सृजन हेतु एक उचित मिश्रित दर को इसके आधार वर्ष के अनुमानों पर लागू किया गया। परिणामी मिश्रित वृद्धि दरों और इनसे संबंधित तदनुरूपी राज्यों को अनुबंध 6.10 में दिखाया गया है।

6.44. चुनावों पर निवल व्यय (मुख्य शीर्ष 2015-लघु शीर्ष 0070-02) का राज्यों द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमानों के आधार पर मोटे तौर पर अनुमान किया गया है। तथापि, जहाँ भी किसी राज्य के ऐसे अनुमान वर्ष 2000-05 के दौरान उसके द्वारा खर्च किए गए निवल व्यय से 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाए, वहाँ इसमें कटौती की गई है। प्रत्येक राज्य हेतु अनुमानित निवल व्यय को उन वर्षों जिनमें चुनाव होना निर्धारित है, के लिए रखे गए बड़े भाग के साथ, पाँच वर्षों, 2005-10 की अवधि, में बाँटा गया है। चुनावों संबंधी ये अनुमान प्रत्येक राज्य हेतु एनपीआरई के संपूर्ण अनुमान के प्रयोजनार्थ "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन व्यय (पिछले पैरा में यथानुमानित) में जोड़ा गया है।

स्थानीय निकायों के लिए क्षतिपूर्ति करना और विनिर्दिष्ट करना

6.45. इस मद (मुख्य शीर्ष 3604) के तहत व्यय राज्यों द्वारा अपने स्थानीय निकायों को सीधे ही मुहैया कराई गई अनुदान सहायता है। चूंकि, यह व्यय शाखा कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है अतः हम वर्ष 2000-03 (विभाजित किए गए राज्यों के मामले में) वर्ष 2001-03 का औसत लेते हैं और आधार वर्ष के अनुमानों तक पहुंचने के लिए और यह मानते हुए कि औसत को वर्ष 2001-02 पर केन्द्रित किया गया है 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग करते हैं। पूर्वानुमान अवधि में, आधार वर्ष के अनुमानों पर 12.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग किया गया था। यह तुलनात्मक रूप से वृद्धि की ऊंची दर है, जैसाकि व्यय की अन्य मदों से तुलना की गई है, और यह स्थानीय निकायों के लिए बढ़े हुए वित्तपोषण के सम्बन्ध में है, और इसने हमारे ध्यान को बल दिया है।

वचनबद्ध योजना दायित्वों का अन्तरण

6.46. एक पंचवर्षीय अवधि के पूरा होने पर, राज्य पूर्ण हुई प्लान योजनाओं से जुड़ी वचनबद्ध दायित्वों से अन्तरण को गैर-प्लान में ले जाने की आशा की जाती है। इस प्रबन्ध से राज्यों को ऐसे दायित्वों का वित्तपोषण करने में केन्द्रीय प्लान सहायता के अलावा सहायता मिलती है। बाद में, राज्य सरकारों की नई स्कीमों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय प्लान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विचारार्थ विषय के पैरा 6(vi) में हमसे 31 मार्च, 2005 तक पूरी की जाने वाली प्लान योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय के रखरखाव से सम्बन्धित गैर-मजदूरी पर विचार करने की आशा की गई है। चूंकि आमतौर पर, प्लान-स्कीमों का अंतरण गैर-प्लान में करने में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में करने की संभावना की जाती है, अतः हमने वर्ष 2007-08 से लेकर आगे तक इस विचारणा में पक्ष लिया है।

6.47. दसवीं योजना के आरम्भ में गैर-प्लान में अंतरण की गई वचनबद्ध दायित्वों के सम्बन्ध में मिली सूचना को विश्वसनीय नहीं पाया गया। हमारी इच्छा इन अन्तरणों की प्लान राजस्व व्यय के एक प्रतिशत के रूप में आंकना था और वर्ष 2006-07 में हमारी अनुमान अवधि के पिछले तीन वर्षों में अन्तरण किए जाने वाले वचनबद्ध दायित्वों के आकलन के क्रम में, दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में प्रक्षेपित राज्यों के प्लान राजस्व व्यय के लिए समान समानुपात का प्रयोग करना था। अधिकतर राज्य हमें इस सूचना को उपलब्ध नहीं करा सके और जिसने उपलब्ध कराई उसने उस अन्तरण में काफी अंतर दिखाया है। अतः हमने सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए समानुपात का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। अतः वर्ष 2006-07 में प्लान राजस्व व्यय के 30 प्रतिशत का सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए अगले वर्ष में गैर-प्लान के लिए अन्तरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, हालांकि, ग्यारहवें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में, इस प्रकार का कोई अन्तरण मुहैया नहीं कराया है, अतः हमने उनके प्लान राजस्व व्यय के 10 प्रतिशत के अंतरण को गैर-योजना में मान लिया है।

6.48. वर्ष 2006-07 में प्लान राजस्व व्यय की गणना करने के लिए, वर्ष 2006-07 का स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक राज्य के वर्ष 2004-05 (बजट अनुमान) के प्लान राजस्व व्यय के सम्बन्ध में हम 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर आरूढ़ रहे। इससे, सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए वर्ष 2007-08 में गैर-योजना राजस्व व्यय साइड के लिए 30 प्रतिशत अन्तरण के रूप में मुहैया कराया गया है, और 10 प्रतिशत विशेष श्रेणी वाले राज्यों को मुहैया कराया गया है। हमने, जैसा कि योजना आयोग ने उनके गैर-योजना व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजना सहायता का 20 प्रतिशत मुहैया कराने के लिए अनुमति दी है। इसके बाद, वर्ष 2007-08 के लिए अनुमानित वचनबद्ध दायित्वों का स्तर पूर्वानुमान अवधि के शेष दो वर्षों में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वृद्धि हुई थी। अनुबन्ध 6.11 पूर्वानुमान अवधि में वचनबद्ध दायित्वों के अन्तरण से सम्बन्धित व्यय को दर्शाता है।

मूल्यांकन का सार

6.49 इस विस्तृत चर्चा का परिणाम, राजस्व के हमारे मूल्यांकन को दर्शाते हुए, स्वीकृत अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के व्यय और गैर-योजना राजस्व घाटे को सुपर्द करने से पूर्व सभी राज्यों के एक साथ परिणामों के सार अनुबन्ध 6.12, सारणी 6.2 में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.2

सभी राज्यों का सुपर्दगी-पूर्व गैर-योजना राजस्व लेखा, 2005-10

(रुपये करोड़/प्रतिशत)

मद (1)	राज्यों का प्रक्षेपण (2)	हमारा प्रक्षेपण (3)	अन्तर (3-2) (4)
i. स्व-राजस्व प्राप्तियां	1391002 *(6.3)*	1653661 *(7.5)*	262659 (1.2)
ii. गैर-योजना राजस्व व्यय	2315499 *(10.5)*	1879298 *(8.5)*	-436201 (-2.0)
iii. सुपर्दगी-पूर्व अन्तर (i - ii)	-924497 *(-4.2)*	-225637 *(-1.0)*	698860 *(3.2)*

लघु कोष्ठकों में आंकड़े स.घ.उ. के प्रतिशतांक के हैं।

सकल घरेलू उत्पाद के 6.3 प्रतिशत पर स्व-राजस्व की प्राप्तियों के राज्यों के प्रक्षेपणों की तुलना करने पर, इस आयोग में मूल्यांकन को 7.5 प्रतिशत पर रखा है, अर्थात प्रतिशतांक बिन्दु में 1.2 प्रतिशतांक की वृद्धि है। एनपीआरई में गिरावट, हालांकि, काफी हद तक अर्थात 2.0 प्रतिशतांक बिन्दु तक से बड़ा है। सुपुर्दगी-पूर्व अंतर का दबाव स.घ.उ. का 4.2 प्रतिशत का 1.0 प्रतिशत होने के परिणाम ने राजस्वों और व्यय के मूल्यांकन को नियामक बनाया है।

नियामक मूल्यांकन की मुख्य-मुख्य बातें

6.50. स्व कर राजस्वः राज्य के वित्त प्रबन्धन का पुनर्गठन करने के अनुसरण में, सकल घरेलू उत्पाद कर का अनुपात, सभी राज्यों पर विचार करते हुए, पूर्वानुमान अवधि से इसे 0.9 प्रतिशतांक बिन्दु से कम के मुकाबले कुछ बढ़ाया गया है। इसे दो चरणों में प्राप्त किया गया है। प्रथम चरण में, उन राज्यों का कर-जीएसडीपी अनुपात जिसके लिए यह अनुपात उनके सम्बन्धित समूह औसत से तुलनात्मक रूप से कम है, को आधार वर्ष में आंशिक रूप से कम कर दिया गया है। पूर्वानुमान अवधि के लिए प्रक्षेपण से सम्बन्धित दूसरे चरण में, राज्यों को इस प्रकार उछाल का अन्तर बता दिया गया है ताकि कर-स.घ.उ. अनुपात में समग्र सुधार कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

6.51. **स्व-गैर-कर राजस्वः** जहां कहीं संभव होता है, स्व-कर-भिन्न राजस्वों को संयुक्त लागत से जोड़ा गया है। अतः, ब्याज की प्राप्तियां और लाभांशों के प्रक्षेपण उधार लागतों के कुछ भाग की वसूली पर आधारित हैं। इसी प्रकार, रख-रखाव व्यय के एक वास्तविक भाग की इन वसूली मानदण्डों को बनाकर सिंचाई वसूलियों के प्रक्षेपणों के लिए लागत वसूली मानदण्डों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के तहत प्रयुक्त चार्जों का प्रक्षेपण करने के लिए, संयुक्त की गई वृद्धि दरों को पूर्व के उनके प्रक्षेपण की गई व्यय की वृद्धि दरों को उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया है। अतः प्रक्षेपण किए गए स्व-कर-भिन्न राजस्वों के लिए अपनाई गई लागत वसूली के सिद्धान्त से बजटीय प्रावधानों में अप्रत्यक्ष सब्सिडियों को कम किया गया है।

6.52. गैर-योजना राजस्व व्ययः हमारी सोच, सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और भवनों का रखरखाव करने से सम्बन्धित के क्षेत्रों में व्यय में उच्च वृद्धि दर को बढ़ावा देते समय एनपीआरई की वृद्धि दर पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा है। उस पर निम्नानुसार ध्यान दिया गया हैः

(i) **ब्याज भुगतानः** समग्र रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि ब्याज भुगतानों के भार को कम किया जाए और घाटा अनुदान की गणना करते समय विगत में कुछ राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर लिये गए उधारों से उत्पन्न ब्याज भुगतानों के लिए पूरी तरह से मुहैया न कराना है। इस उद्देश्य के लिए, उन राज्यों जिनका कुल राजस्व प्राप्तियों के ब्याज भुगतानों का अनुपात औसत से अधिक है, के लिए आधार वर्ष में सुधार कर दिये गये है। इसके अलावा, पूर्वानुमान अवधि में प्रक्षेपणों के लिए, वर्ष 1993-2003 के दौरान 18.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के मुकाबले 7.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर को अपनाया गया है।

(ii) **पेंशन भुगतानः** मध्यावधि में इस व्यय प्रवाह के प्रभाव को डालने वाले राज्यों की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमानों को आधार वर्ष आंकड़े के रूप में स्वीकार किया गया है, और हाल की वृद्धि दर के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर को स्वीकार किया गया है।

(iii) **शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रः** हमारा ध्येय यह रहा है कि इन क्षेत्रों में उच्च व्यय को बढ़ावा दिया जाए। यहां इस प्रक्षेपण में, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के वेतन घटक में क्रमशः 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की एक सामान्य वृद्धि दर को रखा है, लेकिन वेतन-भिन्न घटकों में 30 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि दर रखी है। अतः राजस्व घाटा अनुदानों को तदनुसार तैयार किया गया है। तथ्य के प्रति सजग रहते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय के लिए उदार मानदण्डों के प्रयोग की गारन्टी नहीं देते कि इन क्षेत्रों के लिए निधियों का प्रवाह होगा, अतः हमने जैसा कि अध्याय 10 में चर्चा की गई है कुछ राज्यों को सिद्धान्त के अनुरूप करने के लिए इन दो क्षेत्रों को अलग से अतिरिक्त अनुदान सहायता दी है।

(iv) **सिंचाई कार्य का रखरखावः** प्रक्षेपणों को बड़े पैमाने पर जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त मानदण्डों के आधार पर तैयार किया गया है। हमने जिस आधार वर्ष को चुना है, उसमें व्यय मानदण्ड प्रमुख और मध्यम सिंचाई वाली संभावित योजनाओं के लिए 600 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा संभावित अप्रयुक्त योजनाओं के लिए 300 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए मानदण्ड 300 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। यह प्रक्षेपण 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर पर तैयार किया गया है।

(v) **सड़कों और पुलों का रखरखावः** इसमें हमने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के समरूप ही दृष्टिकोण तैयार किया है। हमने, जैसाकि अध्याय 10 में चर्चा की है, के अनुसार, अलग से अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराने के लिए सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए वृहत व्यय को बढ़ावा दिया है। राजस्व घाटा अनुदान की गणना के लिए, हमने हालांकि, पूर्वानुमान अवधि में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर को सामान्य व्यय आंकड़े के में स्वीकार किया है।

(vi) **अन्य सामान्य, अन्य सामाजिक और अन्य आर्थिक सेवाएं**: इन मदों पर, वृद्धि दर के संदर्भ में, विशेषकर, उनके वेतन खण्ड के वृद्धि दबाव के लिए उपयुक्त माना गया है। अतः आधार वर्ष में, टीजीआर-आधारित अनुमानों और बजट अनुमानों को कम लिया है। प्रक्षेपण के उद्देश्यों के लिए, वेतन खण्ड केवल 5 प्रतिशत की औसत सामान्य वृद्धि दर दर्शाते हुए, वास्तविक रूप में, स्थिर रहा। वेतन-भिन्न खण्ड में अन्य सामान्य सेवाओं के लिए 7 प्रतिशत और शेष से सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत पर सामान्य वृद्धि रही है।

(vii) **दो स्थानीय निकायों के लिए प्रतिपूर्ति और कार्य सौंपनाः** हमने दो तरह से स्थानीय निकायों में व्यय को बढ़ाया है। पहला, हमने राज्यों के वसूली खण्ड से केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर स्थानीय निकाय के अनुदान को अलग रखा है, लेकिन, व्यय खण्ड से समान राशि को अलग नहीं रखा है। इससे राज्यों के लिए सामान्यतः राजस्व घाटा अधिक होगा। दूसरे, हमने स्थानीय निकायों के लिए प्रतिपूर्ति और कार्य से सम्बन्धित व्यय पर प्रक्षेपण अवधि के दौरान 12.5 प्रतिशत के सामान्य राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है।

(viii) **वचनबद्ध प्लान दायित्वों के अन्तरणः** सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए वर्ष 2006-07 में प्लान राजस्व व्यय का 30 प्रतिशत और विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत को वर्ष 2007-08 के लिए प्लान-भिन्न राजस्व व्यय खण्ड में अन्तरण किया है, जो राज्यों की नई स्कीमों को आरम्भ करने में राज्यों की सहायता करेगा।

❐❐

अध्याय 7

संघ कर राजस्व में साझेदारी

संघ कर राजस्व में साझेदारी

7.1 संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (क) और विचारार्थ विषयों के पैरा 4(i) के अनुसरण में, बारहवें वित्त आयोग से यह अपेक्षित है कि केन्द्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्तियों जिन्हें संविधान के भाग XII के अध्याय 1 के अंतर्गत बांटा जाना है अथवा बांटा जा सकता है, के वितरण और ऐसी प्राप्तियों के संबंधित हिस्से का राज्यों के बीच आबंटन की अनुशंसा करें।

सांविधानिक प्रावधान

7.2 संविधान (अस्सीवें संशोधन) अधिनियम, 2000 के अधिनियम से पूर्व, राज्यों के साथ केन्द्रीय कर राजस्वों की साझेदारी, अनुच्छेद 270 और 272 के प्रावधानों के अनुरूप थी, जैसे ये उस समय थे। जहां अनुच्छेद 270 ने आय कर की निवल प्राप्तियों की अनिवार्य साझेदारी की व्यवस्था की (निगम कर को छोड़कर), अनुच्छेद 272 ने संघ उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों की साझेदारी की अनुमति दी (औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर शुल्कों को छोड़कर), यदि संसद कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करे। परिणामस्वरूप, राजस्व साझेदारी के लिए अपनाए गए सिद्धान्त दोनों करों के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे।

7.3 संविधान के अस्सीवें संशोधन ने केन्द्रीय करों की साझेदारी के प्रतिरूप में मूलभूत परिवर्तन किया। इस संशोधन के अंतर्गत, अनुच्छेद 272 को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 270 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। नए अनुच्छेद 268 और 269 में क्रमशः संदर्भित करों और शुल्कों, अनुच्छेद 271 में संदर्भित करों और शुल्कों पर अधिभारों और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी भी उपकर को छोडकर संघ सूची में संदर्भित सभी करों और शुल्कों की साझेदारी की व्यवस्था की गई। इस परिवर्तन का आधार दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तान्तरण की वैकल्पिक योजना थी। यह परिवर्तन पर्याप्त रूप से अनुकूल है, क्योंकि यह केन्द्र को एकीकृत तरीके से कर सुधारों के अनुसरण के लिए अधिक स्वतन्त्रता और नम्यता देते हैं और राज्यों को केन्द्रीय करों की समग्र उत्प्लावकता में साझेदारी करने में समर्थ बनाते हैं। ग्याहरवां वित्त आयोग विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से की अनुशंसा करते हुए इन परिवर्तनों को हिसाब में लेने वाला पहला आयोग था।

7.4 केन्द्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के लिए प्रासंगिक एक अन्य सांविधानिक संशोधन अठ्ठासीवां संशोधन है, जिसका अधिनियमन जनवरी, 2004 में संविधान (अठ्ठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से किया गया। यह सेवा कर से संबंधित है, और उस तिथि से प्रभावी होगा, जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है। यह संशोधन सेवा कर के उद्ग्रहण को प्राधिकृत करने के लिए संविधान में एक विशिष्ट प्रविष्टि की व्यवस्था करता है। केन्द्र सरकार, संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 97 के अंतर्गत एक अवशिष्ट मद के रूप में इस कर को अधिरोपित और संग्रहित कर रही है और इसकी निवल प्राप्तियों को वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार राज्यों और केन्द्र के बीच वितरित किया जाता है। अठ्ठासीवें संशोधन के अनुसार (अनुबंध 7.1), सेवाओं पर करों का उदग्रहण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है और ऐसे करों की निवल प्राप्तियों का संग्रहण और विनियोजन संसद द्वारा विधि सम्मत तैयार किए गए संग्रहण और विनियोग के सिद्धान्तों के अनुसरण में, केन्द्र और राज्यों द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, संविधान की सातवीं अनुसूची में, एक मद "सेवाओं पर कर" को प्रविष्टि संख्या 92ग के अंतर्गत संघ सूची में सन्निविष्ट किया जाना है, जिसके द्वारा सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार को समनुदेशित होगी। एक नए अनुच्छेद 268क का अन्तर्वेशन किया गया है, जहां केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में से सेवा कर को निकालना है और परिणामस्वरूप वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार से भी निकालना है।

साझेदारी प्रक्रिया का विकास

7.5 जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, संविधान में अस्सीवें संशोधन से पूर्व, केवल दो केन्द्रीय करों की साझेदारी की जाती थी अनिगमित आय कर और संघ उत्पाद शुल्क। इसके अतिरिक्त तीन वस्तुओं पर बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच एक कर किराया व्यवस्था है। दो करों की साझेदारी की एक संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है।

आय कर

7.6 जब तक पहले वित्त आयोग का गठन हुआ, आयकर की "निवल प्राप्तियों" में राज्यों का हिस्सा पहले ही 50 प्रतिशत पर निर्धारित किया जा चुका था । पहले वित्त आयोग ने राज्यों की संख्या में वृद्धि के कारण हिस्से को बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया। दूसरे, तीसरे और चौथे वित्त आयोगों ने निगमित आय कर और अधिभारों के असम्मिलन की प्रतिपूर्ति के लिए इस हिस्से को क्रमिक रूप से क्रमशः 60,66.67 और 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया(अनुबंध 7.2)। पांचवे वित्त आयोग ने हिस्से में वृद्धि नहीं की परन्तु वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर की प्राप्तियों के निर्धारण में अग्रिम कर संग्रहणों और उससे संबंधित बकाया के सम्मिलन की अनुशंसा की। छठें आयोग ने इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि अग्रिम संग्रहणों

के बकाया अब उपलब्ध नहीं थे और सातवें वित्त आयोग ने इस हिस्से को बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया।

राज्यों की इस शिकायत के प्रत्युत्तर में कि केन्द्र ने संघ अधिभार को किन्हीं विशिष्ट संघ प्रयोजनों को पूरा करने के बजाए राजस्व उपाय के रूप में बढ़ाया है जिसके कारण राज्य वर्धित राजस्व के हिस्से से वंचित रह गए हैं, जहां आठवें और नौवें वित्त आयोग ने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया, दसवें वित्त आयोग ने महसूस किया कि किसी कर का उद्ग्रहण तथा उसे प्रशासित करने वाले प्राधिकरण के पास इसकी आय में एक महत्वपूर्ण और मूर्त्त हिस्सा होना चाहिए और उसने तदनुसार आय कर की प्राप्तियों में राज्यों के हिस्से को घटाकर 77.5 प्रतिशत पर संशोधित कर दिया, परन्तु राज्यों के संपूर्ण हस्तान्तरण के स्तर के संरक्षण के लिए, संघ उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों में हिस्सा बढ़ा दिया।

संघ उत्पाद शुल्क

7.7 पहले वित्त आयोग के समय, वर्ष 1951-52 में संघ उत्पाद शुल्कों के अधीन 12 महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। पहले वित्त आयोग ने यह महसूस किया कि वितरण हेतु पर्याप्त राजस्व देने वाली सामान्य उपभोग की वस्तुओं की एक चयनित संख्या में से उत्पाद राजस्व की साझेदारी उचित होगी। तदनुसार, आयोग ने तीन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की साझेदारी की अनुशंसा की (जिसमें तम्बाकू उत्पाद, माचिस और वनस्पति उत्पाद शामिल हैं) और यह हिस्सा 40 प्रतिशत[2] पर निर्धारित किया गया। दूसरे वित्त आयोग ने उत्पाद शुल्क राजस्व में साझेदारी के लिए वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी परन्तु हिस्से को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया। जहां तीसरे और चौथे आयोगों द्वारा वस्तुओं का विस्तार बढ़ा दिया गया हिस्सा घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया, वहां पांचवें और छठे आयोगों ने हिस्से को 20 प्रतिशत पर रखते हुए साझेदारी वाले उत्पाद शुल्कों को विशिष्ट और सहायक शुल्कों पर भी विस्तारित कर दिया। सातवें वित्त आयोग ने सहायता अनुदान[3] के अवयवों को कम करने की दृष्टि से हिस्से को दोगुना कर दिया। आठवें आयोग ने अतिरिक्त 5 प्रतिशत जोड़ते हुए हिस्से को बढ़ा दिया, जिसे घाटे वाले राज्यों के बीच वितरित किया जाना था। नौवें आयोग ने, अपनी दूसरी रिपोर्ट में, घाटे वाले राज्यों के बीच वितरण के लिए हिस्से को 45 प्रतिशत पर बनाए रखा। दसवें आयोग ने राज्यों के हिस्से को और बढ़ाकर 47.5 प्रतिशत कर दिया जिसमें से 7.5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों के बीच वितरित किया जाना था।

समग्र केन्द्रीय करों में साझेदारी

7.8 दसवें वित्त आयोग ने कर हस्तान्तरण की अपनी वैकल्पिक योजना में यह सुझाव दिया कि व्यष्टि करों की साझेदारी के बजाय, राज्यों का उपकरों और अधिभारों को छोड़कर सभी केन्द्रीय करों की कुल निवल प्राप्तियों में हिस्सा होगा। केन्द्रीय कर राजस्वों की कुल निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने में, आयोग ने एक ओर केन्द्रीय कर राजस्व के अनुपात के रूप में रेलवे यात्री भाड़ों पर कर के एवज में अनुदानों, आय कर और बुनियादी उत्पाद शुल्कों में हिस्सों (एस-1) और दूसरी ओर कर किराया व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों (एस 2) के हिस्से के बीच अंतर किया। आयोग ने अवलोकन किया कि एस 1 का औसत मूल्य 1979-84, 1984-89 और 1990-95 की पंच वर्ष अवधियों के लिए क्रमशः 24.32,22.22 और 24.3 प्रतिशत और एस2 का 2.96, 3.22 और 2.95 प्रतिशत पर रहा। इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने केन्द्रीय करों की सकल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 26 प्रतिशत करने की और कर किराया व्यवस्था के समाप्त होने तक बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए, केन्द्र की सकल कर प्राप्तियों में तीन प्रतिशत के अतिरिक्त हिस्से की अनुशंसा की।

7.9 ग्यारहवें वित्त आयोग ने, केन्द्रीय कर राजस्वों के उर्ध्वस्थ हस्तान्तरण के मुद्दे पर विचार करते हुए, पिछले दो दशकों के दौरान अधिभारों और उपकरों को छोड़कर, सभी संघ करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यों के समग्र हिस्सों में पूर्व रूझानों का पुनरीक्षण किया[5]। यह पाया गया कि सभी संघ करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से में (अनुक्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित संघ उत्पाद शुल्कों और आय कर में सभी राज्यों के हिस्से के आधार पर तैयार) 26.17 प्रतिशत (1988-89 में) और 31.79 प्रतिशत (1993-94 में) के बीच घट बढ़ रही है। इसी वित्त आयोग द्वारा शामिल हस्तान्तरण अवधि में भी मुख्यतः आय कर और संघ उत्पाद शुल्कों, जो संविधान में अस्सीवें संशोधन से पूर्व राज्यों के साथ साझेदारी वाले केवल मात्र कर थे,की दरों में वृद्धि में हुए उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष दर वर्ष उतार चढाव महत्वपूर्ण रहे।

7.10 वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिए केन्द्रीय संसाधनों और राज्य वित्त साधनों का मूल्यांकन पूरा करने के पश्चात आयोग ने, राज्यों के हिस्से को 2000-01 से शुरू और 2004-05 में समाप्त हुए प्रत्येक पांच वर्षों के लिए अधिभारों और उपकरों तथा अनुच्छेद 268 और 269 में संदर्भित करों और शुल्कों को छोड़कर, संघ सूची में संदर्भित सभी करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों के 28 प्रतिशत पर निर्धारित करने की अनुशंसा की।

7.11 ग्यारहवें वित्त आयोग ने आगे टिप्पणी की कि संशोधन के परिणामस्वरूप, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अनुच्छेद 272 का विलोपन हुआ, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत उद्ग्रहण किया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा बन गए और ये राज्यों के साथ साझेदारी योग्य हैं। यह महसूस किया गया कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के पुनरीक्षण की आवश्यकता थी और ऐसे पुनरीक्षण के लंबित होने तक आयोग ने अनुशंसा की कि सभी साझेदारी योग्य संघ करों और शुल्कों के 1.5 प्रतिशत का आवंटन राज्यों को अलग से किया जाए और राज्यों के बीच इसका पारस्परिक वितरण उसी प्रकार से किया जाए जैसे निवल प्राप्तियों के 28 प्रतिशत का वितरण किया गया था। यदि कोई राज्य इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर बिक्री कर का उद्ग्रहण या संग्रहण करता है, तो ऐसा राज्य इस 1.5 प्रतिशत में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं होगा। इससे ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल कर हस्तान्तरण सभी साझेदारी योग्य केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों के 29.5 प्रतिशत पर आ गया।

सारणी 7.1

केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से राज्यों को अंतरण

वित्त आयोग अवधि के औसत

वर्ष	वित्त आयोग अंतरण			अन्य अंतरण			
	केन्द्रीय करों में हिस्सा	**अनुदान**	**वित्त आयोग के माध्यम से कुल अंतरण (2+3)**	**योजना आयोग के माध्यम से अनुदान**	**योजना-भिन्न अनुदान गैर-सांविधिक**	**कुल अन्य अंतरण (5+6)**	कुल अंतरण (4+7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
VII वित्त आयोग	22.39	1.96	24.35	12.11	1.66	13.77	38.11
VIII वित्त आयोग	20.25	2.52	22.77	13.56	1.54	15.10	37.86
IX वित्त आयोग	21.37	3.42	24.79	14.48	1.06	15.54	40.33
X वित्त आयोग	21.40	2.34	23.75	10.57	0.63	11.19	35.79
XI वित्त आयोग (प्रथम दो वर्ष)	20.93	5.20	26.13	10.39	0.82	11.21	37.20

स्रोत : संघ सरकार वित्त लेखे और राजस्व प्राप्तियां केन्द्र सरकार प्राप्ति बजट से हैं (विभिन्न अंक)।

टिप्पणी : 1997-98 में 7594 रू. की राशि आय स्रोतों की स्वैच्छिक घोषणा के कारण है, जिसे वित्त लेखों में राज्यों के आयोजना-भिन्न अनुदानों में शामिल किया गया है। चूंकि तर्कानुसार इसे कर हस्तान्तरण का भाग होना चाहिए, इस राशि को योजना भिन्न अनुदानों से निकाल लिया गया है और वित्त आयोग अंतरणों में जोड़ा गया है।

उर्ध्वस्थ साझेदारी में रूझान

7.12 इस चरण पर, भारत में प्रमुख माध्यमों से केन्द्र से राज्यों को हुए अंतरणों में पारम्परिक रूझानों की जांच करना उपयोगी होगा जैसाकि सारणी 7.1 से देखा जा सकता है, सातवें से ग्यारहवें वित्त आयोगों द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान,केन्द्रीय सरकार सकल राजस्व प्राप्तियों को किए गए कुल अंतरणों का पंचाट अवधि-वार औसत अनुपात सातवें और आठवें वित्त आयोगों की अवधि के दौरान 38 प्रतिशत के आसपास रहा है। यह नौवें वित्त आयोग के दौरान 40 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके पश्चात दसवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान तेजी से गिरकर 35.8 प्रतिशत पर पहुंच गया। ग्यारहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान यह बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गया है।

7.13 वित्त आयोग अंतरण राज्यों को किए गए कुल केन्द्रीय अंतरणों का लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक बैठते हैं और इनमें समय के साथ अंतर दिखता है। सातवें वित्त आयोग की अवधि के लिए केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों में औसत अनुपात 24.4 प्रतिशत था। नौवें वित्त आयोग के दौरान यह बढ़कर 24.8 प्रतिशत हो गया और दसवें वित्त आयोग के दौरान कम होकर 23.8 प्रतिशत रह गया। तथापि, ग्याहरवे वित्त आयोग अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान, औसत अनुपात 26.1 प्रतिशत था (सारणी 7.1)। कर हस्तांतरण द्वारा वित्त आयोग अंतरण विशेष अभिरूचि के विषय हैं। पिछले तीन वित्त आयोगों के दौरान केन्द्र के सकल कर राजस्व में कर हस्तांतरण घटक का अनुपात लगभग 21 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।

7.14 पिछले दो दशकों के दौरान, अधिभारों और उपकरों को छोड़कर, सभी संघ करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का समग्र हिस्सा 26.2 प्रतिशत (1988-89) और 31.8 प्रतिशत (1993-94) के बीच रहा है (अनुबंध 7.3)। वित्त आयोग पंचाट अवधि औसत 27.3 प्रतिशत के निम्न स्तर से 28.8 प्रतिशत के उच्च स्तर के बीच भिन्न रहा है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा इस अनुपात का 29.5 प्रतिशत होना निर्धारित किया गया है।

केन्द्र सरकार के विचार

7.15 केन्द्र सरकार ने सितंबर 2003 के अपने ज्ञापन में, यह कहा है कि केन्द्र की दबावाधीन राजकोषीय स्थिति और बाह्य केन्द्रीय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के वृहत आर्थिक उपायों के प्रकाश में, राज्यों को हस्तान्तरण में क्रमिक कटौती की जानी चाहिए। विनिर्दिष्ट मदों पर सेवा कर के संग्रहण के माध्यम से, राजस्वों की अतिरिक्त उपलब्धता के साथ, राज्यों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि से केन्द्र को हानि होगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्र ने सिद्धान्ततः राज्यों को चीनी, तंबाकू और वस्त्रों पर बिक्री कर का उद्ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। अतः केन्द्र सरकार ने आग्रह किया है कि कर हस्तान्तरण साझेदारी योग्य करों की निवल प्राप्तियों के अधिकतम 28 प्रतिशत पर रखा जाए, जिसमें से निवल प्राप्तियों के अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत का वितरण तब तक जारी किया जाए जब तक चीनी, तंबाकू और वस्त्रों पर बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जारी रहता है।

7.16 ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में उन्मूलन की स्थिति में, राज्यों को बिक्री कर का उद्ग्रहण करने का अधिकार पुनः प्राप्त हो जाएगा और राज्य कर किराया व्यवस्था

की समाप्ति के परिणामस्वरूप हुए 1.5 प्रतिशत राजस्व घाटे के लिए अपनी प्रतिपूर्ति कर लेंगे। ज्ञापन में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें केन्द्र के लिए घाटे और ऋण के स्तर को नियंत्रित करना अनिवार्य बना दिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि आयोग केन्द्र से राज्यों को समग्र अंतरण के अधिकतम स्तर का पुनरीक्षण करे और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उच्चतम सीमा से निम्नतर उच्चतम सीमा अर्थात केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 37.5 प्रतिशत निर्धारित करे।

7.17 9 अगस्त, 2004 की अनुवर्ती संसूचना में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों के समनुरूप और निम्नलिखित विचारणाओं को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया :-

(i) 88 वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत "सेवाओं पर कर" को केन्द्रीय करों/शुल्कों के एकल विभाज्य पूल से अलग रखा जाना है (संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत)।

(ii) वर्तमान में केन्द्र आयोजना अंतरणों और आयोजना-भिन्न अंतरणों/व्ययों, दोनों के माध्यम से, राज्य सूची में विषय/क्षेत्रों से संबंधित अनेक व्यय दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

(iii) केन्द्र सरकार के संसाधनों पर मांग और केन्द्र के राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए सांविधिक आवश्यकता जैसाकि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अनुबद्ध है।

7.18 केन्द्र राज्य संबंधों के विषय से संबंधित कार्रवाई करते समय राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम ने अवलोकन किया है कि करों के एकल, विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाए[6]।

7.19 केन्द्र के राजस्व प्रक्षेपणों के अपूर्ण रह जाने की स्थिति में राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में, सूचना में यह निर्दिष्ट किया गया है कि संघ करों के एकल, विभाज्य पूल के सृजन का बुनियादी तर्काधार यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र और राज्य दोनों की उत्प्लावकता में साझेदारी हो। सकारात्मक उत्प्लावकता में हिस्सा लेने का निहितार्थ ऋणात्मक उत्प्लावकता में साझेदारी को स्वीकार करना भी है।

राज्यों के विचार

7.20 ज्ञापन में, राज्यों ने, लगभग सर्वसम्मति से केन्द्रीय करों के कुल हिस्से में वृद्धि की मांग की है। बड़ी संख्या में राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और उत्तर प्रदेश ने कर हिस्से को बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए कहा है। बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और गोवा द्वारा 40 प्रतिशत हिस्से का सुझाव दिया गया है। अरूणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब और तमिलनाडू ने 50 प्रतिशत हिस्से की मांग की है। राज्यों द्वारा उच्चतर हिस्से की मांग के लिए दिए गए तर्कों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है:

(i) अंतःराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठकों में से एक में सर्वसम्मति के आधार पर, यह निर्णय लिया गया था कि आरम्भ में केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश को बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक किया जाए।

(ii) विभाज्य पूल में सभी करों को शामिल करने के लिए सुझावों की शुरूआत, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय करों के उच्चतर हिस्से के लिए अनुरोधों से हुई थी, परन्तु ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निवल केन्द्रीय कर राजस्वों के 29.5 प्रतिशत पर निर्धारित हिस्सा, वर्धित हस्तान्तरण में परिणामित नहीं हुआ है।

(iii) भारत सरकार ने व्यय सुधार आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है और यदि ये अनुशंसाएं कार्यान्वित की गई, तो व्यय में महत्वपूर्ण मितव्ययिता होगी और केन्द्र सरकार के लिए केन्द्रीय करों में वर्धित हिस्सा देना संभव हो जाएगा।

(iv) भारत सरकार द्वारा राज्यों को निधियों के साथ केन्द्रीकृत प्रायोजित योजनाओं के अंतरण का निर्णय लिया गया है और यह अंतरण केन्द्रीय करों के उच्चतर हिस्से के रूप में प्रभावी किया जा सकता है।

(v) केन्द्र सरकार के लिए कई विभागों को समाप्त करने से, जो उन विषयों में संबंधित है, जो अनन्य रूप से राज्य सूची में है और किसी आवश्यक राष्ट्रीय नीति का अनुसरण अथवा कार्यान्वयन नहीं करते हैं,अपने व्ययों में और कटौती करना संभावित होगा।

(vi) केन्द्रीय कर संग्रहण, ग्याहरवें वित्त आयोग के आकलनों के अनुसार नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को उनको देय राशियां प्राप्त नहीं हुई।

(vii) कुछ राज्य यह चाहते हैं कि सेवा कर राज्य सूची में होना चाहिए अथवा इनका संग्रहण केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए और राज्यों को अंतरित होना चाहिए।

(viii) अधिभारों के संबंध में, राज्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि एक अधिभार/उपकर दीर्घ अवधि के लिए जारी रखे जाने की स्थिति में (एक अथवा दो वर्षों से अधिक), उसे मूल कर के साथ एकीकृत कर दिया जाना चाहिए और उसकी गणना साझेदारी करों में होनी चाहिए।

(ix) संघ करों की "सकल" प्राप्तियों के स्थान पर "निवल" प्राप्तियों की अवधारणा, संग्रहण लागत को कम करने के लिए संघ को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती। संघ करों के संग्रहण की लागत, जो 1980-81 में सकल कर राजस्व का केवल 0.67 प्रतिशत थी, अब सकल कर राजस्व के 1.06 प्रतिशत पर

पहुंच चुकी है। कुछ राज्य यह चाहते हैं कि हस्तान्तरण "सकल प्राप्तियों" के आधार पर हो न कि "निवल प्राप्तियों" के आधार पर।

(x) विगत वर्षों में, संघ का कर-भिन्न राजस्व महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। 1980-81 में, कर-भिन्न राजस्व संघ की कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 24 प्रतिशत था। 1999-2000 में यह बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत हो गया। कर-भिन्न राजस्व साझेदारी योग्य नहीं है और इसलिए संघ सरकार अब वित्तीय रूप से बेहतर समर्थ है और राज्यों को उच्चतर हस्तान्तरण की गुंजाइश है।

7.21 कुछ राज्य चाहते हैं कि विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से में से कम से कम 30 प्रतिशत विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के बीच वितरण के लिए उद्दिष्ट किया जाए (असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं मणिपुर)। कुछ राज्यों जिनमें असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर एवं त्रिपुरा उल्लेखनीय हैं, ने सुझाव दिया है कि वित्त आयोग केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अंतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि निर्दिष्ट करे। राज्यों ने ग्याहरवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों की तुलना में केन्द्र सरकार के राजस्वों में गिरावट का भी उल्लेख किया है और सुझाव दिया है कि पंचाट अवधि के दौरान ऐसे अंतर को या तो बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के हिस्से के मूल्यांकन पर आधारित न्यूनतम वचनबद्ध हस्तान्तरण की व्यवस्था करके अथवा अंतर की सीमा तक सहायता अनुदान देकर, दूर किया जा सकता है। राज्यों की एक अन्य मांग रेलवे यात्री भाड़ों पर कर से संबंधित है, जिनकी पहले अर्जनों में राज्य के अंशदान के आधार पर राज्यों द्वारा साझेदारी की जाती थी। वर्ष 1961 में रेलवे यात्री भाड़ा अधिनियम, 1957 के निरसन के पश्चात, राज्यों को प्रत्येक राज्य में उद्भूत होने वाले यातायात से प्राप्त गैर-उपनगरीय यात्री अर्जनों के आधार पर निरस्त करने के लिए क्षतिपूर्ति मिल रही है। यह सुझाव दिया गया है कि या तो (क) निरस्त अधिनियम के लिए राज्यों को क्षतिपूरण की प्रक्रिया जारी रखी जाए अथवा (ख) अधिनियम को पुरःस्थापित किया जाए और राज्यों को संघ की ओर से करों का संग्रहण करने और प्राप्तियों को रखने की अनुमति दी जाए।

ऊर्ध्वस्थ हस्तांतरण संबंधी अनुशंसाएं

7.22 केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते समय यह आवश्यक है कि केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों से संबद्ध समग्र अंतरणों के स्तर, कर हस्तांतरण और अनुदानों के बीच सापेक्ष संतुलन और व्यावहरिक पुनर्वितरण को देख लिया जाए जो कर हस्तांतरण में राज्यों के पारस्परिक हिस्से में किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है अनेक राज्यों ने साझेदारी योग्य पूल में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए कहा है। कुछ राज्यों ने तो 50 प्रतिशत के आंकड़े का सुझाव भी दिया है। हम मानते हैं कि यदि राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाता है तो पारस्परिक वितरण में पुनर्वितरण संघटक को वितरण मानदंड में भारों को बदलते हुए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना होगा ताकि वे समकरण उद्देश्य के अनुरूप हो जाएं। तथापि, इस प्रयोजनार्थ अनुदान एक अधिक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करते हैं। अतएव, हमने अनुदानों का प्रयोग काफी हद तक अंतरणों की लिखत के रूप में किया है। इसी के साथ, हम अनुशंसा करते हैं कि साझेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत कर दिया जाए। इस प्रयोजनार्थ, वस्त्र, तंबाकू और चीनी पर बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय करों के सामान्य पूल के भाग के रूप में माना जाता है। यदि फिर भी, कर किराया व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है और राज्यों को बिना किसी निर्धारित सीमा के इन वस्तुओं पर बिक्री कर (अर्थात वैट) लगाने की अनुमति दी जाती है तो साझेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल आय में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत होगा। बजट दस्तावेजों से उपलब्ध अनुमानों के अनुसार बिक्रीकर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2003-04 और 2004-05 (ब.अ.) में साझेदारी योग्य कर का लगभग एक प्रतिशत बैठते हैं। यह अनुशंसित वृद्धि उन क्षेत्रों में केन्द्र की प्रतिभागिता को युक्तिसंगत बनाते हुए केन्द्र सरकार द्वारा आसानी से समायोजित की जा सकती है जो प्रत्यक्ष रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व है। हमने सेवा कर को साझेदारी योग्य माना है। यह, वास्तव में, वर्तमान स्थिति है। यह स्थिति अठ्ठासिवां संविधान संशोधन अधिसूचित होने के पश्चात बदल जाएगी। उस स्थिति में, जैसाकि अध्याय 2 में दर्शाया गया है, सेवा कर के संबंध में अधिनियमित कोई विधान यह सुनिश्चित करेगा कि इस विधान के अंतर्गत राज्य के पास उपचित राजस्व उस हिस्से से कम नहीं होना चाहिए जो इसके पास उपचित होता यदि समूची सेवा कर आय साझेदारी योग्य पूल का हिस्सा होती। फिर, जैसा कि पूर्व में सुझाव दिया गया है, केन्द्रीय सकल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को समग्र अंतरणों की निर्देशात्मक राशि को, जो ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 37.5 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, 38 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए।

समस्तरीय साझेदारी

7.23 राज्यों के पारस्परिक हिस्सों के निर्धारण के संबंध में विगत में वित्त आयोग के अंतरणों का मूल लक्ष्य ये रहे हैं- (i) राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्हित राजस्व क्षमता के विभेदकों और लागत अशक्तता कारकों को ठीक करना और (ii) राज्यों में राजकोषीय दक्षता को प्रोत्साहित करना। इन प्रयोजनों हेतु विगत में प्रयोग किए गए मानदंडों को इन समूहों में रखा जा सकता हैः (क) जनसंख्या और या तो सर्वाधिक आय से दूरी के रूप में अथवा विपर्ययेन आंकी गई आय जैसी आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली कारक; (ख) क्षेत्र और जनसंख्या दूरी जैसे लागत अशक्तता संकेतक; और (ग) कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन जैसे राजकोषीय दक्षता संकेतक (अनुबंध 7.4)।

7.24 पिछले कुछ वित्त आयोगों के समय वितरणशील मानदंड निम्न की तरफ समभिरूप हुए हैं। आवश्यकता कारकों में जनसंख्या और आय दूरी को स्वीकार्यता मिली है; लागत अशक्तता क्षेत्रों में क्षेत्र और अवसंरचना सूचकांक दूरी वांछित संकेतक रहे हैं; और राजकोषीय दक्षता कारकों में राजस्व व्यय की तुलना में स्वयं के कर राजस्व के अनुपात द्वारा यथा मापित राजकोषीय अनुशासन और कर प्रयास को उचित माना गया है।

समस्तरीय साझेदारी के संबंध में राज्यों के विचार

7.25 राज्यों ने अपने ज्ञापनों में 5 प्रतिशत (राजस्थान) से 88 प्रतिशत (गुजरात) के बीच सारांश का सुझाव देते हुए एक कारक के रूप में जनसंख्या के प्रयोग को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, कर्नाटक ने 10 प्रतिशत सारांश रखने को प्राथमिकता दी जबकि अनेक राज्यों ने अपेक्षाकृत अधिक महत्व चाहा है। आय दूरी मानदंडों के प्रयोग पर राज्यों ने 10 प्रतिशत (तमिलनाडू और हरियाणा) से 70 प्रतिशत (असम) के बीच सारांशों का सुझाव दिया है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 25 प्रतिशत सारांश की इच्छा जताई है जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः 62.5 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सारांश की मांग की है। अनेक राज्यों ने "क्षेत्र" को कारक के रूप में जारी रखने के लिए कहा है जिनमें 5 प्रतिशत (हरियाणा और कर्नाटक) और 20 प्रतिशत (राजस्थान) के बीच भारांश है। राज्यों ने कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन सूचकांक के मानदंड को बनाए रखने का सुझाव भी दिया है। कर प्रयास हेतु सुझाए गए भारांश 5 प्रतिशत (राजस्थान,त्रिपुरा,महाराष्ट्र और झारखंड) से 40 प्रतिशत (तमिलनाडू) के बीच हैं। राजकोषीय अनुशासन के लिए सुझाए गए भारांश 5 प्रतिशत (कर्नाटक,महाराष्ट्र और राजस्थान) से 10 प्रतिशत (आन्ध्र प्रेदश, बिहार,केरल और पंजाब) के बीच हैं। आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तरांचल ने दोनों मानदंडों के लिए एक ही भारांश को प्राथमिकता दी है। झारखंड और कर्नाटक ने कर प्रयास की तुलना में राजकोषीय अनुशासन को कम महत्व दिए जाने को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने केवल कर प्रयास की अनुशंसा की जबकि पंजाब ने सिर्फ राजकोषीय अनुशासन की सिफारिश की है।

मानदंड और भारांश

7.26 ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रयोग किए गए सूत्र के अनुसार कर हस्तांतरण में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निम्नलिखित मानदंड और सापेक्ष भाराशों द्वारा निर्धारित किया गया थाः जनसंख्या (10 प्रतिशत), आय दूरी (62.5 प्रतिशत), क्षेत्र (7.5 प्रतिशत), अवसंरचना का सूचकांक (7.5 प्रतिशत), कर प्रयास (5 प्रतिशत) और राजकोषीय अनुशासन (7.5 प्रतिशत)[7]। हमने इनमें से प्रत्येक मानदंड और दिए गए भारांशों का अध्ययन किया है तथा यथा आवश्यक परिवर्तन सुझाए हैं।

जनसंख्या

7.27 जनसंख्या सार्वजनिक माल और सेवाओं के लिए आवश्यकता का मूल संकेतक है और मानदंड के रूप में यह सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति समान अंतरण सुनिश्चित करता है। जनसंख्या से जुड़ा भारांश समय के साथ बहुत ज्यादा बदला है। सातवें और आठवें वित्त आयोगों के दौरान हाल की अवधियां देखने पर जनसंख्या से जुड़ा भारांश 22.5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच रहा है। नौवें वित्त आयोग ने इस भार को घटाकर 20 प्रतिशत और ग्यारहवें आयोग ने और घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। हम अनुभव करते हैं कि भारांश बढ़ाने का एक सुदृढ़ आधार बनता है और हमने इसे 25 प्रतिशत पर नियत किया है।

प्रतिव्यक्ति आय दूरी

7.28 विभेदक राजकोषीय क्षमताओं को सही करने के लिए प्रयुक्त मानदंडों में तथा अपेक्षाकृत अधिक गरीब राज्यों को सार्वजनिक माल व सेवाओं के लिए आवश्यकताएं बेहतर तरह से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रति व्यक्ति आय दूरी अधिमानी संकेतक प्रतीत होता है। यह वितरण में प्रगतिशीलता प्रदान करता है। पांचवें वित्त आयोग ने इन मानदंडों का प्रयोग करते हुए अनुशंसा की कि साझेदारी योग्य संघीय उत्पाद शुल्कों का एक भाग उन राज्यों के बीच बांटा जाए "जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राज्य की जनसंख्या से गुणा करके सभी राज्य के औसत से प्रति व्यक्ति राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में कमी के अनुपात में सभी राज्यों की प्रतिव्यक्ति औसत आय से नीचे है।"[9] छठे आयोग ने पात्रता के न्यूनतम आधार बिन्दु के बगैर सभी राज्यों के लिए दूरी के तरीके का अनुकरण किया। इस तरीके में प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय की दूरी उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय से मापी गई थी जिनकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। इस मान को फिर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या से गुणा किया गया। इस तरीके में, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के मामले में दूरी शून्य होगी परन्तु विभिन्न आयोगों ने ऐसा तरीका अपनाया है जिसके द्वारा उस राज्य की प्रतिव्यक्ति आय और अगले सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के बीच अप्रयोगमूलक दूरी के आधार पर इस राज्य को भी हिस्सा दिया जाता है। आठवें और नौवें आयोगों ने इस तरीके का प्रयोग किया था।[10] दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों ने इस तरीके का प्रयोग करते हुए दूरी मापने के लिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष के तीन राज्यों के औसत का प्रयोग किया है। सभी मामलों में इन आयोगों ने साल-दर-साल अंतरों को खत्म करने के लिए तीन वर्षों हेतु औसत स.रा.घ.उ. लिया।

7.29 राज्य-वार आय दूरी सूचकांक के निर्धारण के लिए हमने केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करायी गई पिछले तीन वर्षों 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के लिए 28 राज्यों में से प्रत्येक के प्रति व्यक्ति तुलनीय स.रा.घ.उ. औसत पर विचार किया है (अनुबंध 7.7)। दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक राज्य की आय दूरी की संगणना के लिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष के तीन राज्यों अर्थात गोवा, पंजाब और महाराष्ट्र के औसत को लिया गया। शीर्ष के तीन राज्यों के लिए अप्रयोगमूलक दूरी का निर्धारण चौथे सर्वाधिक स्थान वाले राज्य अर्थात हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय से उनकी दूरी को मानते हुए किया गया। हमने आय दूरी मानदंड के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित किया है। इस प्रकार जनसंख्या के मानदंड के साथ मिलकर यह मानदंड आवश्यकताओं व राजकोषीय क्षमता में कमी को इकट्ठे प्रतिबिंबित करते हुए 75 प्रतिशत का संयुक्त भारांश रखेगा।

क्षेत्र

7.30 राज्य के "क्षेत्र" का उसके हिस्से के निर्धारण हेतु मानदंड के रूप में प्रयोग अतिरिक्त प्रशासनिक और अन्य लागतों, जो एक बड़े राज्य को अपने नागरिकों को सेवा के तुलनीय स्तर प्रदान करने के लिए वहन करनी पड़ती है, से उत्पन्न हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि इस सूत्र में मानदंड के रूप में "क्षेत्र" के प्रयोग की व्याख्या जनसंख्या द्वारा गुणित जनसंख्या घनत्व के विपरीत है।"[11] फिर भी माना जा सकता है कि राज्य के आकार के साथ सेवाएं उपलब्ध

कराने की लागतें बढ़ सकती हैं परन्तु ह्रासवान दर पर। दूसरी तरफ, छोटे राज्यों को भी सरकारी मशीनरी के ढ़ाचों की संस्थापना हेतु कुछ न्यूनतम लागतें वहन करनी पड़ सकती हैं। दसवें वित्त आयोग ने क्षेत्र के आय में 2 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर और 10 प्रतिशत के उच्चतम स्तर की व्यवस्था की है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया है। हमने राज्यों के लिए न्यूनतम 2 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है जिनके क्षेत्र का हिस्सा 2 प्रतिशत से कम है। परन्तु, हमने ऊपरी उच्चतम सीमा 10 प्रतिशत नियत नहीं की है क्योंकि केवल एक राज्य (राजस्थान) है जो मामूली रूप से 10 प्रतिशत से अधिक है। वे राज्य जिनके लिए 2 प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा निर्धारित किया गया है वे हैं; गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल (अनुबंध 7.8)। हमने क्षेत्र मानदंड के लिए 10 प्रतिशत भारांश निर्धारित किया है।

7.31 पिछले दो आयोगों द्वारा प्रयुक्त एक अन्य लागत अशक्तता मानदंड राज्य में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना की सापेक्ष उपलब्धता के संकेतक के रूप में अवसंरचना सूचकांक था। यह सूचकांक विपरीत रूप में हिस्से से जुड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि अवसंरचना सूचकांक दूरी मानदंड आय दूरी मान दंड से सहबद्ध है। इससे भी महत्वपूर्ण रूप से हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि इस सूचकांक का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से बेहतर ढंग से किया गया है। इन कारणों से हम ने मानदंड के रूप में अवसंरचना को छोड़ दिया है।

कर प्रयास

7.32 जैसा कि दसवें वित्त आयोग ने अवलोकन किया था राज्यों के बीच तुलनीय आधार पर कर प्रयास का माप एक आसान क्रिया नहीं है क्योंकि कर प्रयास कर संभाव्यता के किसी विचार से जुड़े होने चाहिए और राज्यों के बीच प्रकृति और कराधारों की संरचना में अंतर हैं। आंकड़ा नियंत्रणों को देखते हुए दसवें आयोग ने सकल कर आधार हेतु प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. को प्रतिनिधि के रूप में माना है। कर प्रयास राज्य के प्रति व्यक्ति एवं कर राजस्व से इसके प्रति व्यक्ति आय अनुपात द्वारा मापा गया था। आयोग ने महसूस किया कि अधिक कमजोर कर आधारों वाले राज्यों हेतु समंजन के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। यदि ऊपर यथा परिभाषित कर प्रयास अनुपात प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम द्वारा भारित हो, इसमें यह अंतर्निहित होगा कि यदि कोई अधिक गरीब राज्य अपने कराधार को किसी धनी राज्य की तरह ही उपयोग में लाता है तो यह इस सूत्र में अतिरिक्त सकारात्मक महत्व प्राप्त करता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने कर प्रयास सूचकांक पर विचार करते समय प्रति व्यक्ति आय के विलोमत भारांश को 1 से घटाकर 0.5 कर दिया था। हमने उसी परंपरा को अपनाया है परन्तु कर प्रयास मानदंडों को दिया भारांश बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है क्योंकि राजकोषीय समेकन के लिए आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कर प्रयास मानदंड प्रति व्यक्ति आय स.रा.घ.उ. के प्रतिलोम के वर्गमूल द्वारा भारित तुलनीय स.रा.घ.उ. के स्व कर राजस्व के अनुपातों के तीन वर्षीय औसत (1999-2000, 2000-01 और 2001-02) औसत को लेकर निकाला गया है (अनुबंध 7.9)।

राजकोषीय अनुशासन

7.33 राजकोषीय अनुशासन की निर्देशिका ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा बेहतर राजकोषीय प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत प्रस्तावित थी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने माप के मानदंड के रूप में किसी राज्य के कुल राजस्व व्यय के प्रति स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, जो सभी राज्यों के लिए इसी अनुपात से जुड़ा था, में सुधार को अपनाया। इस प्रकार संगणित अनुपात का प्रयोग आधार अवधि की तुलना में संदर्भ अवधि में राजकोषीय अनुशासन के सूचकांक में सुधार मापने के लिए किया गया था। आयोग ने आधार अवधि के लिए 1990-91 से 1992-93 तक की तीन वर्ष की अवधि और संदर्भ अवधि के लिए 1996-97 से 1998-99 तक की संदर्भ अवधि का औसत लिया। यह उल्लेखनीय है कि इस तरह का सुधार स्वयं के उच्च राजस्व अथवा न्यून राजस्व व्यय या दोनों के संयोजन से किया जा सकता है। एक राज्य के निष्पादन की सभी राज्यों के निष्पादन से तुलना यह मान्यता प्रतिबिंबित करती है कि यदि राज्यों का निष्पादन सामान्य रूप से ह्रासमान है तो जो राज्य तुलनात्मक रूप से न्यून ह्रासमान पूरा करता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार यदि सभी राजस्व संतुलन रेखाचित्र सुधर रहे हैं, वह राज्य जहां सुधार तुलनात्मक रूप से औसत से अधिक है उसे तुलनात्मक रूप से अधिक पुरस्कृत किया जाता है। राजकोषीय अनुशासन के मानदंड को रखते हुए हमने 1993-94 से 1995-96 तक आधार अवधि और 2000-01 से 2002-03 तक संदर्भ अवधि (अनुबंध 7.10) का प्रयोग करते हुए इसकी संगणना की है और भारांश 7.5 प्रतिशत पर रखा है।

7.34 सारणी 7.2, राज्यों के हिस्से के पारस्परिक निर्धारण हेतु इस प्रकार प्रदान किए मानदंड और भारांश दर्शाती है।

सारणी 7.2
मानदंड और भारांश

मानदंड	भारांश (प्रतिशत)
जनसंख्या	25.0
आय दूरी	50.0
क्षेत्र	10.0
कर प्रयास	7.5
राजकोषीय अनुशासन	7.5

समस्तरीय हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं

7.35 हमने एक सूत्र तैयार करने की कोशिश की है जो साम्यता का राजकोषीय दक्षता के साथ संतुलन बनाएगा। साम्यता की मान्यताएं, फिर भी, प्रबल होती हैं क्योंकि उन्हें संघवाद अंतरण की किसी भी योजना में समकरण सिद्धांत के क्रियान्वयन का प्रयास करते रहना चाहिए। उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत हम अनुशंसा करते हैं कि राज्यों को 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान पांच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष में साझेदारी योग्य सभी केन्द्रीय करों (सेवा कर को छोड़कर, क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर में प्रभार्य नहीं हैं) की निवल आय में सारणी 7.3 में यथानिर्दिष्टानुसार हिस्सा दिया जाना चाहिए।

सारणी 7.2

राज्यों के पारस्परिक हिस्से

राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)
आन्ध्र प्रदेश	7.356
अरूणाचल प्रदेश	0.288
असम	3.235
बिहार	11.028
छत्तीसगढ़	2.654
गोवा	0.259
गुजरात	3.569
हरियाणा	1.075
हिमाचल प्रदेश	0.522
जम्मू और कश्मीर	1.297
झारखंड	3.361
कर्नाटक	4.459
केरल	2.665
मध्य प्रदेश	6.711
महाराष्ट्र	4.997
मणिपुर	0.362
मेघालय	0.371
मिजोरम	0.239
नागालैंड	0.263
उड़ीसा	5.161
पंजाब	1.299
राजस्थान	5.609
सिक्किम	0.227
तमिलनाडू	5.305
त्रिपुरा	0.428
उत्तर प्रदेश	19.264
उत्तरांचल	0.939
पश्चिम बंगाल	7.057
सभी राज्य	**100.000**

7.36 जैसा ऊपर उल्लिखित है, वर्तमान जम्मू और कश्मीर में सेवाकर लागू नहीं है और इसलिए इससे प्राप्त आय इस राज्य को प्रदान नहीं की जाती। हमने सेवा कर की निवल आय में शेष 27 राज्यों में से प्रत्येक का हिस्सा निकाला है और यह सारणी 7.4 में यथा दर्शाए अनुसार होगा। यदि किसी वर्ष यह कर जम्मू और कश्मीर में लागू हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर सहित प्रत्येक राज्य का हिस्सा सारणी 7.4 में दिए गए प्रतिशतों के अनुसार होगा।

7.37 यदि 2005-10 की अवधि के दौरान संघ के अंतर्गत कोई कर उद्ग्राह्य नहीं होगा, उस कर में उस राज्य का हिस्सा शून्य होना चाहिए और समूची आय समानुपाती रूप से उनके हिस्से का समंजन करते हुए शेष राज्यों में बांट दी जाएगी।

सारणी 7.4

सेवा कर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर राज्यों का हिस्सा

राज्य	जम्मू और कश्मीर को छोड़कर हिस्सा(प्रतिशत)
आन्ध्र प्रदेश	7.453
अरूणाचल प्रदेश	0.292
असम	3.277
बिहार	11.173
छत्तीसगढ़	2.689
गोवा	0.262
गुजरात	3.616
हरियाणा	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.529
झारखंड	3.405
कर्नाटक	4.518
केरल	2.700
मध्य प्रदेश	6.799
महाराष्ट्र	5.063
मणिपुर	0.367
मेघालय	0.376
मिजोरम	0.242
नागालैंड	0.266
उड़ीसा	5.229
पंजाब	1.316
राजस्थान	5.683
सिक्किम	0.230
तमिलनाडू	5.374
त्रिपुरा	0.433
उत्तर प्रदेश	19.517
उत्तरांचल	0.952
पश्चिम बंगाल	7.150
सभी राज्य	**100.000**

अंतः टिप्पणियां

1. सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, अध्याय 9, पैरा 22 पृष्ठ 81-82।
2. "हमने राज्यों का हिस्सा इस राशि के संदर्भ में निर्धारित किया है जिसे कुल मिलाकर हमारी योजना में हम उचित मानते हैं कि इसे उत्पाद शुल्कों के विभाजन द्वारा राज्यों में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।" (प्रथम वित्त आयोग की रिपोर्ट, अध्याय **V**, पृष्ठ 82)।
3. "उनके आकार को ध्यान में रखते हुए राज्यों को वित्तीय संसाधनों के अंतरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हमने यह निर्णय भी लिया है, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, कि राज्यों को प्रपंज राजकोषीय अंतरण अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता-अनुदान के संघटकों को एक तरफ अवशिष्ट स्थिति तक घटाकर और दूसरी तरफ जहां तक संभव हो राज्यों की अधिकाधिक संख्या के पास राजस्व खाते में अतिशेषों को छोड़ते हुए मदों के हिस्से के रूप में होने चाहिए"। (सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 31, केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध और अंतरणों की हमारी योजना)।
4. दसवें वित्त आयोग की रिपोर्टः: कुल केन्द्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा, सारणी 2 ।
5. अनुबंध **VI.**। ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का अध्याय 7।
6. संप्रग सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नई दिल्ली, 27 मई, 2004।
7. ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट सारणी 6.2, पृष्ठ 58 ।
8. 13.34 प्रतिशत अर्थात 20 प्रतिशत का दो तिहाई।
9. पांचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट, पृष्ठ 36 ।
10. यहां एक अन्य मानदंड उल्लेखनीय है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग आय समंजित कुल जनसंख्या (आईएटीपी) थी जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय का प्रतिलोम थी। राज्य के हिस्से का निर्धारण सभी राज्यों के कुल आईएटीपी से राज्य के आईएटीपी की प्रतिशतता द्वारा किया गया है। सातवें और आठवें आयोगों तथा नौवें आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में इस तरीके का प्रयोग किया था किन्तु कुछ तकनीकी दोषों के दृष्टिगत इस मानदंड का प्रयोग दसवें वित्त आयोग से बंद कर दिया गया।
11. चूंकि क्षेत्र = (क्षेत्र/जनसंख्या) x जनसंख्या।

अध्याय 8

स्थानीय निकाय

8.1 विचारार्थ विषय का पैरा 4(iii) आयोग को निम्नलिखित विषय के रूप में संस्तुतियां करने का व्यादेश देता हैः

> "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर निगमों के संसाधनों के अनुपूरक राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय"।

वर्ष 1993 में यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) और (ग) में समाविष्ट उपबंधों का यह एक समेकित पुनर्प्रस्तुतीकरण है।

पूर्ववर्त्ती आयोगों का दृष्टिकोण

8.2 पहली बार यह ग्यारहवां वित्त आयोग ही था जिससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार राज्यों को अपने स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें अपनी समेकित निधियों में वृद्धि करने के उपाय सुझाए। हालांकि इससे पहले दसवें वित्त आयोग ने भी इस संबंध में सिफारिशें की थीं क्योंकि इस आयोग की अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुच्छेद 280 में संशोधन किया जा चुका था और आयोग ने महसूस किया था कि संशोधित अनुच्छेद 280 के अनुसार वह इस विषय पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, यद्यपि यह विषय इस आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं था, आयोग ने विचार व्यक्त किए थे कि पंचायतों और नगर निगमों के संसाधनों को सहायता देने के लिए राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि करने के उपायों के लिए केंद्र से राज्यों को संसाधनों का अन्तरण करना अनिवार्य नहीं है। यह महसूस किया गया है कि एक बार राज्यों के वित्त आयोग अपने कार्य पूरे कर लेंगे तो केन्द्रीय वित्त आयोग राज्यों के व्यय प्रवाहों का आकलन करने और उनका निर्माण करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध होगा और राज्यों की पंचायतों तथा नगर निगमों के संसाधनों की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशियों का वित्त पोषण करेगा। राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों का भी तदनुसार निर्धारण हो सकेगा। संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कर्त्तव्यों और कार्य-कलापों के अन्तरण में कर्मचारियों तथा संसाधनों के सहवर्त्ती अन्तरण भी शामिल होंगे। इसलिए, कर्त्तव्यों और कार्यकलापों के हस्तांतरण में किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार अहस्तांतरणीय नहीं होना चाहिए। तथापि, आयोग ने वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के लिए ग्रामीण जनसंख्या के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति के अनुदान की और 1971 की जनगणना के आधार पर निकाली गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या के अन्तर-राज्य अनुपात के आधार पर राज्यों के बीच संवितरित किए जाने के लिए नगरपालिकाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। राज्य सरकारों से अनुदानों के उपयोग के लिए उपयुक्त स्कीमें और उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाने की अपेक्षा की गयी थी। इस प्रयोजनार्थ स्थानीय निकायों से बराबर के "उपयुक्त" अंशदान उगाहने की भी अपेक्षा की गयी थी। वेतनों और मजदूरियों पर व्यय के लिए इसमें से कोई राशि प्रयोग नहीं की जानी थी।

8.3 ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि वह राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए सिफारिशें करे। यद्यपि, ग्यारहवें वित्त आयोग से कहा गया था कि यदि राज्य वित्त आयोगों के गठित न किए जाने अथवा उनके द्वारा अपनी रिपोर्टें अभी प्रस्तुत न किए जाने के कारण उनकी सिफारिशें प्रस्तुत न की गई हों तो वह अपना आकलन प्रस्तुत करे। स्थानीय निकायों के संसाधनों के बारे में अपना मूल्यांकन करने में ग्यारहवें वित्त आयोग को (i) अध्यापकों सहित स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की परिलब्धियों और आवधिक लाभों, (ii) वित्तीय संसाधनों को जुटाने में स्थानीय निकायों की विद्यमान शक्तियों, और (iii) संविधान की धारा 243छ और 243ब के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को हस्तांतरित शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों को भी ध्यान में रखना था।

8.4 निम्नलिखित के कारण ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों को अपनी सिफारिशों के लिए आधार के रूप में स्वीकार करने में अक्षम पायाः

- (क) राज्य वित्त आयोगों और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि का असमान होना;
- (ख) स्थानीय निकायों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के आबंटन में स्पष्टता का अभाव;
- (ग) ऐसी समय-सीमा का अभाव जिसके अन्तर्गत राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य सरकारों को कार्रवाई करना जरूरी होगा;
- (घ) राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों की अनुपलब्धता।

इन बाधाओं को देखते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग ने, "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर" शब्दों को हटाने हेतु संविधान में संशोधन करने तक की सिफारिश कर दी।

8.5 स्थानीय निकायों के वित्त के मुद्दे पर विचार करते हुए ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऐसे अनेक उपायों की सिफारिशें की थीं जिनसे राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूरक व्यवस्था करने में राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि हो सके। इनमें बुनियादी नागरिक सेवाओं को सुधारने के लिए राज्यों के करों पर भूमि-कर, व्यवसाय-कर और सरचार्ज/उपकर का लगाया जाना और सामाजिक तथा आर्थिक विकास की स्कीमों पर कार्रवाई करना शामिल है। सम्पत्ति कर/गृह-कर, चुंगी/प्रवेश कर और उपभोक्ता प्रभारों के संबंध में सुधारों की सिफारिशें की गई थी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने पाया कि राज्यों के

राजस्वों और व्यय का मूल्यांकन करने समय राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों के कार्यान्वयन के कारण उनके वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को उसने पहले ही हिसाब में ले लिया है, इसलिए इस बारे में और अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्यों से निधियों के सामान्य प्रवाह में कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों की अनदेखी हुई है, ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 1600 करोड़ रुपए और नगरपालिकाओं के लिए 400 करोड़ रुपए के तदर्थ वार्षिक अनुदान की सिफारिश की और लेखों के अनुरक्षण, डाटा-बेस का विकास जैसे कतिपय क्रियाकलापों को अनिवार्य बनाया और इस अनुदान की लेखा परीक्षा भी अनिवार्य की गयी। इसके पश्चात् शेष बची राशि का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं के अनुरक्षण के लिए किया जाना था।

राज्यों के विचार

8.6 राज्यों से प्राप्त ज्ञापन में मांगें और सुझाव दोनों ही शामिल हैं। राज्यों द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं: (i) एक फार्मूला आधारित दृष्टिकोण हो जिसपर केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदानों के लिए अनुसरण किए जाने की आवश्यकता हो और जिसमें एक शर्त यह भी हो कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने राजस्व सृजन का एक न्यूनतम स्तर शामिल किया जाए; (ii) पारस्परिक संवितरण में जनसंख्या की अपेक्षा ग्रामीण पूंजी परिसम्पत्तियों को हिसाब में लिया जाना चाहिए; (iii) बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; (iv) अनुदान सहायता पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए एक प्रोत्साहन निधि को समर्थन देने हेतु मुहैया करायी जानी चाहिए; (v) अनुदानों की प्रणाली को राज्यों द्वारा आरम्भ किए गए सुधारों के स्तर से जोड़ा जाना चाहिए; (vi) केंद्रीय अनुदान राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के तहत होने चाहिए; (vii) राज्य वित्त आयोगों द्वारा यथानुमानित राजस्व लेखा के अन्तर को पूरा करने के साथ-साथ सेवाओं के उन्नयन हेतु भी निधियां उपलब्ध करायी जानी चाहिए; (viii) केन्द्रीय करों का विभाज्य पूल स्थानीय निकायों को संवितरण हेतु 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए; (ix) मानदंडों के अनुसार सेवाएं मुहैया कराने के लिए आधारभूत ढांचे के उन्नयन के लिए स्थानीय निकायों के संसाधन संबंधी अन्तर को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता अपेक्षित होनी चाहिए; (x) बारहवें वित्त आयोग को ग्यारहवें वित्त आयोग के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए स्थानीय निकायों द्वारा अपेक्षित संसाधनों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए; (xi) निधियों के 5 प्रतिशत का आबंटन नए बनाए गए राज्यों के लिए किया जाना चाहिए; (xii) जिन राज्यों ने 73वें और 74वें संशोधन की विषय वस्तु और भावनाओं के अनुरूप वास्तव में अपने संविधानगत अधिदेश का पालन किया हो, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए; (xiii) राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को किए गए अन्तरणों का 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित होना चाहिए; (xiv) राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्तरणों को व्यय के पूर्वानुमानों का पुनर्मूल्यांकन करते समय राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय माना जाना चाहिए।

8.7 कुछ राज्यों ने चुंगी समाप्त किए जाने पर हुए राजस्व कर के नुकसान हेतु मुआवजा मांगा है। प्रशिक्षण अवसंरचना को सुधारने और डाटा-बेस को सुसाध्य बनाने के अनवरत प्रयासों और लेखों के अनुरक्षण हेतु अनुदान मांगे गए हैं। अनेक राज्यों ने उस शर्त को वापस लिए जाने का सुझाव दिया है जिसमें या तो राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाओं से बराबर के अंशदान मुहैया कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

8.8 हमने इन सुझावों पर अपेक्षित ध्यान दिया है और उन केंद्रीय अनुदानों की मात्रा का आकलन करते समय ध्यान में रखा है जिन्हें स्थानीय निकायों के संसाधनों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ अलग रखा जा सकेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचार

8.9 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित विषयों को उठाया है:

(i) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्व के बारे में हल्के प्रयास; ग्यारहवें वित्त आयोग की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के आंतरिक राजस्व जुटाने में उनके कुल राजस्व का केवल 4.17 प्रतिशत हिस्सा ही बैठता है;

(ii) प्रभार शुल्कों की अनिच्छा के कारण होने वाली अकार्यकुशलताएं, आरोपित होने के बावजूद भी, उन पर कम स्तरीय दरें और लम्बी अवधियों के लिए संशोधन न किया जाना;

(iii) राज्य सरकारें करों की न्यूनतम और अधिकतम दरों का निर्धारण करती हैं, जिससे पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप होता है;

(iv) करों के संग्रहण के लिए प्रशासनिक तंत्र का अभाव;

(v) गांवों में और विशेष रूप से सूखा प्रभावित तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की करों के भुगतान करने में सीमित क्षमता होना;

(vi) केंद्रीय सरकार की पर्याप्त सीमा में हस्तक्षेप करने की असमर्थता, क्योंकि स्थानीय निकाय राज्य सरकारों का विषय होता है;

(vii) केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोगों की पंचाट अवधियों में ताल-मेल का अभाव;

(viii) राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार करना/कार्यान्वयन करना;

(ix) पंचायतों के लिए निर्धारित निधियों को ऐसे विभागों को जारी करना जो पंचायतों से अलग स्वतंत्र रूप से प्रचालन करते हैं;

(x) पंचायतों के वित्त की स्थिति को नियमित रूप से संग्रहीत करने, संकलित करने तथा मानीटर करने की प्रणाली की अशक्तता;

(xi) पंचायतों द्वारा डाटा बेस तैयार करने के लिए जिसके लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने निधियां निर्धारित की थीं, किए गए उपायों से संबंधित सूचना का अभाव;

(xii) राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता;

(xiii) राज्य वित्त आयोगों को गठित करने का लापरवाही पूर्ण तरीका।

8.10 ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000-05 के लिए दिए गए 8000 करोड़ रुपए के मुकाबले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरम्भ में वर्ष 2005-2010 के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या के 300 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से पंचायती राज संस्थाओं के लिए 22,250 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का सुझाव दिया था। तदनन्तर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें जलापूर्ति प्रणाली, नहर व्यवस्था, भवनों, सड़कों, नालों आदि जैसी प्रमुख परिसम्पत्तियों से संबंधित क्रियाकलापों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष 2 लाख रुपए की दर से 23,468 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये विचार व्यक्त किए थे कि यदि एक विकेंद्रीकरण विषय सूचकांक का प्रयोग किया जाना है तो इसमें ऐसे पैरामीटरों का समावेश होना चाहिए जो साधारण, पारदर्शी तथा उद्देश्य परक हों। इसमें (i) धारा 243यघ के अन्तर्गत यथापेक्षित जिला आयोजना केंद्रों का गठन और कार्य प्रचालन; (ii) निधियों और सभी कार्य-प्रचालकों के साथ ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए सभी 29 कार्यकलापों की सुपुर्दगी (iii) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

8.11 हमें जलापूर्ति और सफाई क्षेत्र की आवश्यकताओं के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेय जलापूर्ति विभाग से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। पेय जल और सफाई व्यवस्था राज्य सरकारों के उन विषयों में से है जिन्हें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत पंचायतों को सौंपा जा सकता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जबकि ग्रामीण आबादी के 94.2 प्रतिशत के पास प्रति दिन 40 लीटर प्रति व्यक्ति के मानदंड के हिसाब से पेयजल की सुलभता है, केवल 22 प्रतिशत लोगों के पास बुनियादी सफाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत सरकार, दो केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों यथा, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1972-73 से और केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम वर्ष 1986 से, के माध्यम से ग्रामों में पेय जलापूर्ति और सफाई के क्षेत्रों में राज्यों के प्रयासों में योगदान दे रही है।

8.12 इन दो क्षेत्रों में भारी अन्तर तथा विगत में सृजित परिसम्पत्तियों को अधिगृहीत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को देखते हुए पेय जलापूर्ति विभाग ने 29,200 करोड़ रुपए के अनुदान का सुझाव दिया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) विद्यमान जलापूर्ति स्कीमों की प्रमुख मरम्मतों तथा प्रतिस्थापन कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता - 9000 करोड़ रुपए;

(ii) विद्यमान ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की मरम्मतों/पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता - 5200 करोड़ रुपए;

(iii) स्वजलधारा के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित की जाने वाली नई स्कीमों के लिए उनकी प्रचालन तथा अनुरक्षण निधि में एक मुश्त प्रोत्साहन अंशदान - 1000 करोड़ रुपए;

(iv) राज्यों में जल गुणवत्ता मानीटरिंग तथा निगरानी अवसंरचना का निर्माण - 440 करोड़ रुपए;

(v) जल गुणवत्ता सुधारने के कार्यक्रम में राज्यों का हिस्सा - 1500 करोड़ रुपए;

(vi) चल रही पेय जलापूर्ति स्कीमों को पूरा करना - 6700 करोड़ रुपए;

(vii) सफाई सेवाओं की प्रचालन और अनुरक्षण लागतें - 3600 करोड़ रुपए;

(viii) ग्रामीण सफाई व्यवस्था कार्यक्रम में राज्यों का हिस्सा - 1400 करोड़ रुपए;

(ix) पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण - 350 करोड़ रुपए;

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के विचार

8.13 शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में विभिन्न नागरिक सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण के विषय में 2005-10 की अवधि के दौरान सभी राज्यों के लिए 76896 करोड़ रुपए के संसाधन-अंतर का अनुमान लगाया है। इसने सुझाव दिया है कि इस अंतर को बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान-सहायता के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए।

8.14 शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

(i) राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वे वित्त आयोग की सिफारिशों पर एक विनिर्दिष्ट अवधि, हो सके तो 6 महीने के अंदर ही, अंतिम निर्णय लें;

(ii) शहरी स्थानीय निकायों को करों की एक अलग से सूची सौंपी जानी चाहिए और सम्पत्ति कर की लेवी से किसी प्रकार की छूट से बचना चाहिए। यदि राज्य सरकार से कोई छूट दी गयी हो तो उन्हें पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए;

(iii) अनुत्पादक और अनुपयुक्त करों को समाप्त करके राजस्व के नए स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए;

(iv) शहरी स्थानीय निकायों को नगर पालिका बांडों के निर्गम की संभावना तलाशनी चाहिए;

(v) लेखांकन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण होना चाहिए और कम्प्यूटरों के प्रयोग को सरल तथा सुसाध्य बनाया जाना चाहिए;

(vi) निष्पादन बजटिंग और सामाजिक लेखा परीक्षण प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए;

(vii) लोकोपयोगिता सेवाओं के खर्च की वसूली सेवाओं के प्रयोक्ताओं से उपयुक्त शुल्कों के रूप में की जानी चाहिए;

(viii) नगर पालिकाओं को प्रचालन और अनुरक्षण, बिलिंग और संग्रहण तथा पूंजी आदि को शामिल करते हुए पूरे खर्चों को उत्तरोत्तर वसूल करना होगा;

(ix) राज्यों के करों तथा सहायता अनुदान में हिस्से सहित अन्तर-सरकारी अन्तरण फार्मूला आधारित होने चाहिए न कि बातचीत के जरिए उन्हें तय किया जाए;

(x) नगर पालिकाओं के लिए पूंजी के निधिकरण के प्राथमिक स्रोतों में उधार लिया जाना भी एक जरिया हो सकता है; और

(xi) अवसंरचना के विकास के लिए दिए गए अनुदानों का उपयोग अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए किया जाना चाहिए।

8.15 एक दूसरे ज्ञापन में शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने देश में ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रणालियों के पर्याप्त मात्रा में न होने और शहरी स्थानीय निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति से उत्पन्न शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। यह उल्लेख किया गया था कि शहरी भारत में प्रति व्यक्ति 0.2 से 0.6 कि. ग्राम प्रतिदिन के बीच प्रति व्यक्ति अपशिष्ट सृजन के साथ लगभग 42 मिलियन टन प्रति वर्ष शहरी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इस अपशिष्ट के 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और बढ़ने की उम्मीद है। औसतन, शहरी स्थानीय निकाय अपने बजट का लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक ही इस महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पर व्यय करते हैं। सूरत में 1994 में प्लेग के फैलने और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यू) पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए थे। चूंकि दसवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, इसलिए शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सहायतार्थ बारहवें वित्त आयोग द्वारा पर्याप्त निधियां अन्तरित करने का सुझाव दिया है। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार 220 रुपए प्रति व्यक्ति की औसत लागत पर कुल 3763 करोड़ रुपए के परिव्यय की श्रेणी-I के 400 शहरों में कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार श्रेणी-I के शहरों की आबादी के आधार पर राज्यों के बीच पारस्परिक आबंटन निर्धारित किया गया है। तथापि, यह स्कीम अपशिष्टों पर आधारित कम्पोस्ट संयंत्रों तथा अपशिष्टों वाले खतों के निर्माण की लागत सहित पूंजी व्यय के निधिकरण पर केंद्रित है। पांच वर्षों के लिए उपस्करों, मशीनरी की पूंजीगत लागत जो उनके संग्रहण, परिवहन और निपटान के साथ-साथ उनकी प्रतिस्थापन लागत के लिए जरूरी होगी, उसे शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता के रूप में मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है।

8.16 शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की कमियां शहरी पूंजीगत अवसंरचना की कमी के कारण ही बनी हुई हैं। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और उन्हें इन बेकार बैठे कार्यबलों को बड़े पैमाने पर भुगतान करना पड़ता है। यदि इस बेकार बैठे कार्य बल के साथ-साथ विद्यमान संसाधनों को उत्पादकतापूर्ण कार्यों में लगाया जाए और उपलब्ध अवसंरचना का उपयुक्त इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में आने वाली स्पष्ट बाधाओं को ध्यान में रखते हुए और कार्य-कुशलता पूर्वक लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बद्ध सेवाओं को किसी बाह्य संस्थान के सुपुर्द करके इस स्कीम के सफल होने की आशा कर सकते हैं। श्रम उत्पादकता के विषय पर ध्यान दिए बगैर पूंजीगत अवसंरचना में निवेश करना व्यर्थ ही होगा।

8.17 ऊर्जा उपक्रमों के लिए कम्पोस्टिंग और अवशिष्ट निजी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य रहेंगे बशर्ते कि नगर पालिकाएं ठोस अपशिष्टों की (यदि आवश्यक हो तो अलग-अलग रूप में) नियमित आपूर्ति का आश्वासन दे सकें। इसलिए, नगर पालिकाओं की भूमिका अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्कीकरण (यदि आवश्यक हो) और परिवहन की उपयुक्त सुनिश्चितता तक सीमित होगी। यदि इन क्रियाकलापों के लिए किसी बाहरी संस्था का सहारा लिया जाएगा तो मशीनरी, उपस्करों आदि पर कोई व्यय करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्कीम के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से इसकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु नगर पालिकाओं द्वारा वहन की जाने वाली अपेक्षित लागत (अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले खर्चों सहित) संबंधी न्यूनतम राजस्व व्यय पर सहायता देने के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराए जाएं।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययन/सेमीनार

8.18 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली नई पहलों/बेहतर प्रथाओं के अध्ययन हेतु आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य क्रियाकलापों में उनकी पुनरावृत्ति की गुंजायश को तलाशना है। इसका विस्तृत अध्ययन तीन प्रमुख राज्यों यथा, केरल, गुजरात और मध्यप्रदेश तक ही सीमित रखा गया जिन्होंने एनआईआरडी के विचार से अपनी-अपनी पंचायती राज संस्थाओं की प्रणाली में कुछ अलग हट कर विशेषताएं प्रदर्शित की थीं। अन्य प्रमुख राज्यों में पंचायती राज के महत्वपूर्ण लक्षणों को समाविष्ट करने का भी प्रयास किया गया था। इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 73वें संशोधन के अनिवार्य/अधिदेशित उपबंधों का अनुपालन लगभग सभी राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है।

8.19 बेहतर क्रियाविधियों के प्रत्युत्तर में अध्ययन द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:-

(i) पंचायतों के लिए कतिपय प्रमुख करों की लेवी लगाने और कर-भिन्न राजस्व के स्रोतों के दोहन को

अनिवार्य बनाया जाए। ऐसी सभी लेवियों के लिए न्यूनतम दरों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाए;

(ii) पंचायत के करों से एक न्यूनतम राजस्व वसूली पर जोर दिया जाए;

(iii) राज्य सरकार द्वारा एक निर्धारित न्यूनतम सीमा से बाहर राजस्व वसूलियों से संबंधित प्रोत्साहन अनुदान लागू किए जाएं;

(iv) प्रयोक्ता प्रभारों को अनिवार्य लेवी के रूप में लगाया जाए;

(v) ग्राम पंचायतों में विहित सभी सामान्य सम्पत्ति संबंधी संसाधनों का पता लगाकर उन्हें सूचीबद्ध करते हुए उत्पादनकारी बनाया जाए ताकि राजस्व प्राप्ति हो;

(vi) कर-योग्य भूमि और भवनों का मूल्यांकन राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग में एक अलग कक्ष द्वारा करवाया जाना चाहिए और उसे पंचायतों के अधीन नहीं छोड़ा जाना चाहिए;

(vii) कृषि जोतों पर कर/सरचार्ज/उपकर लगाने की शक्तियां मध्यवर्त्ती या जिला पंचायतों को दी जानी चाहिए;

(viii) राज्यों से पंचायतों को राजस्व में भागीदारी/राजस्व सुपुर्दगियों के रूप में राजस्व के अन्तरण को सांविधिक स्वरूप का बनाया जाना चाहिए;

(ix) राज्य सरकारों को ऐसे राजस्वों के संबंध में एक तरफा निर्णय लेने से बाज आना चाहिए जिनसे होने वाली अधिप्राप्तियों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक तौर पर पंचायतों को हस्तान्तरित करना पड़ता है;

(x) राजस्व भागीदारी प्रणाली के अन्तर्गत राजस्व की उस मात्रा का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहए जिसकी कोई भी पंचायत तर्कसंगत रूप से आशा करती है;

(xi) अनुदान सहायता के संबंध में राज्य सरकार को अपनी वचनबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए; पंचायतों को दिए जाने वाले सभी अलग-अलग अनुदानों को वैधानिक स्वरूप का बनाया जाना चाहिए;

(xii) राज्य वित्त आयोग का गठन 18 महीने की अवधि के लिए किया जाना चाहिए और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने हेतु किसी भी राज्य सरकार के लिए छः महीने की समय सीमा निर्धारित की जाए;

(xiii) पंचायतों द्वारा रखे जाने वाले लेखों का मानकीकरण हो; पंचायत विभाग के पदाधिकारियों को ग्राम पंचायतों का वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं बनाया जाना चाहिए; मध्यवर्तियों और जिला पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा करवाई जानी चाहिए;

(xiv) एक निष्पादन लेखा परीक्षा प्रणाली अपनायी जाए।

हम मोटे तौर पर इन सिफारिशों से सहमत हैं और राज्य सरकारों द्वारा इन्हें अपनाए जाने की सिफारिश करते हैं।

8.20 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था को भी राज्य वित्त आयोगों की इन सिफारिशों का राज्य के वित्त पर पड़ने वाले इनके प्रभावों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से अध्ययन करने हेतु कहा गया था ताकि समेकित निधि को अपेक्षित रूप से बढ़ाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अध्ययन के निष्कर्ष सारांश में नीचे दिए गए हैं।

(i) राज्यों ने निरपवाद रूप से पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कोई प्रगति नहीं की है;

(ii) ग्राम पंचायतों के साथ-साथ मध्यवर्त्ती तथा जिला पंचायतों को भी राजस्व संबंधी कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(iii) चार वर्ष पूर्व पाई गई आंकड़ा संबंधी त्रुटियों को राज्य सरकारों ने अभी तक ठीक नहीं किया है;

(iv) पंचायतों के अपने संसाधनों का स्वरूप उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा अत्यधिक सीमित है। वर्ष 1990-91 से 1997-98 के दौरान 23 राज्यों में सभी स्तरों पर पंचायतों का जुटाया गया आन्तरिक राजस्व उनके कुल राजस्व का केवल 4.17 प्रतिशत ही बैठता है। बिहार, राजस्थान, मणिपुर और सिक्किम में स्पष्ट रूप से कोई आन्तरिक राजस्व संग्रहण नहीं हुआ। कुछ राज्यों में पंचायतों का वार्षिक प्रति-व्यक्ति आंतरिक राजस्व संग्रहण केवल 8 रुपए के लगभग था;

(v) केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों से ही राजस्व अन्तरण पर पंचायतों की नैसर्गिक आश्रितता रही है। 1997-98 में, पंचायतों ने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.04 प्रतिशत ही संग्रहीत किया और सकल घरेलू उत्पाद का 1.38 प्रतिशत खर्च किया था;

(vi) राज्य सरकारों से पंचायतों को मिलने वाली सहायता राजस्व में भागीदारी, राजस्व की सुपुर्दगी और अनुदान सहायता का रूप लेती है। राज्य सरकारों के अनुदान पंचायतों के कुल संसाधनों का 80 प्रतिशत से कम का हिस्सा ही नहीं बैठते हैं बल्कि उनमें से अधिकांश अनुदान संबद्ध अनुदान होते हैं। अनेक राज्यों में अनुदानों की प्रणाली को अभी तक युक्तियुक्त नहीं बनाया गया है और पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की मात्रा का प्रायः पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जाता;

(vii) कुछ राज्यों में दूसरे राज्य वित्त आयोग के गठन करने में विलम्ब हुआ है जबकि अन्य राज्यों में दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया गया। केवल 19 राज्यों ने ही दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया था, जिसमें से केवल 10 ने ही अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। इनमें से केवल छः रिपोर्टें ही

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के साथ राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं;

(viii) राज्य वित्त आयोग की उन रिपोर्टों के कार्यान्वयन के संबंध में, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था, निम्नलिखित विषयों को प्रकाश में लाया गया था:-

(क) अनेक राज्यों ने विधायी/प्रशासनिक उपायों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाइयां नहीं की थीं;

(ख) जिन सिफारिशों को "परीक्षाधीन" चिन्हित किया गया था, उन पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई;

(ग) बहुत ही कम राज्यों ने इन सिफारिशों के प्रति अतिरिक्त संसाधनों को जारी करने के लिए अपनी वचनबद्धता का पालन किया है;

(घ) इन सिफारिशों के संबंध में बजटीय प्रावधान "कम पड़ गए" थे।

इस अध्ययन ने माना है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्यों से पंचायतों को मिलने वाली निवल अतिरिक्त संसाधनों संबंधी सहायता का मूल्यांकन करने में उसे सफलता नहीं मिली है।

8.21 शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में इसी प्रकार के अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) का गठन किया गया था। एनआईपीएफपी ने 23 राज्यों के संबंध में अध्ययन किए थे। अध्ययन में पाया गया था कि नगर पालिकाओं के वित्त संबंधी आंकड़े बड़े ही लचीले और नाजुक थे और आंकड़ों के प्रतिपादन में उन्होंने समस्याएं खड़ी कर दी थीं। इसने पाया कि जो कुछ भी नगरपालिकाएं राजस्व वसूली करती हैं और खर्च करती हैं, उसके अनुसार मापित नगरपालिका क्षेत्र का आकार सकल घरेलू उत्पाद का मात्र एक प्रतिशत ही था, उसमें भी बड़े पैमाने पर अन्तर-राज्य विसंगतियां थीं। अलग-अलग राज्यों में नगरपालिकाओं के राजस्व जुटाने और उनके खर्च करने के स्तरों में भी अन्तर था। प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले राज्यों में ही प्रमुख सुधार उपक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा था और वे अच्छा कार्य-निष्पादन कर रहे थे। नगरपालिका राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन अन्तरण बना रहा लेकिन वह भी राज्यों के अपने संसाधनों का मात्र 3.8 प्रतिशत हिस्सा ही था।

8.22 एक अध्ययन "भारतीय नगरों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन" पर आरम्भ किया गया था। अवसंरचनागत व्यावसायिक उद्यम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में अपनायी जाने वाली कुछ अत्युत्तम प्रथाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसने भारत तथा विदेशों में अपशिष्टों को कम्पोस्ट अथवा ऊर्जा में बदलने के कतिपय उपलब्ध प्रौद्योगिकीय विकल्पों को भी सूचीबद्ध किया था। अवसंरचनात्मक व्यावसायिक उद्यम ने एक नमूनागत शहर बर्दवान (प. बंगाल) के संबंध में एकीकृत ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए लागत का परिकलन किया। मलव्ययन, गंदे पानी का उपचार और मल निकास संबंधी नालियों के प्रावधान के खर्चों पर किए गए एक दूसरे अध्ययन में आईपीई ने जनसंख्या के विभिन्न आकार और श्रेणियों वाले पांच शहरों का चयन किया। विषय अध्ययन ने उपलब्ध शहरी अवसंरचना के साथ-साथ जनसंख्या के व्याप्ति क्षेत्र को भी हिसाब में लिया और मलव्ययन, गंदे पानी उपचार तथा नालियों के संबंध में अलग-अलग प्रति-व्यक्ति लागत का हिसाब निकाला। समग्र अन्तर को निकालने के लिए प्रत्येक मद पर अलग-अलग मद पर अन्तर अनुमान लगाया गया। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अनुमान एक विशेष प्रकार की श्रेणी के शहर के विषय में पदचिन्ह साबित हो सकते हैं। निधियों की वास्तविक आवश्यकता प्रत्येक शहर की जनसंख्या के आकार और अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और उनका स्वतंत्र रूप से अनुमान लगाने की आवश्यकता होगी।

8.23 राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि करने हेतु आवश्यक मात्रात्मक और गुणवत्तामूलक उपायों पर गौर करने का कार्य एक विशेषज्ञ को सौंपा गया था। अध्ययन के मुख्य केन्द्र बिंदु वे क्षेत्र थे जिन पर केन्द्र सरकार की ओर से कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था। रिपोर्ट ने पांच वर्ष की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों के वसूल न किए गए अन्तर का अनुमान 74,000 करोड़ रुपए लगाया था। राज्य वित्त आयोगों द्वारा सुझाए गए ऐसे कुछ उपायों की सूची बनायी गयी जिन पर केंद्रीय सरकार की ओर से कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ये निम्नलिखित हैं:-

(i) व्यवसाय कर पर लगायी गयी अधिकतम सीमा में वृद्धि किया जाना;

(ii) खनिज संसाधनों पर रायल्टी की दरों में वृद्धि करना;

(iii) सेवा करों की लेवी के लिए राज्यों/स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन किया जाना;

(iv) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को निधियों और कार्यकर्त्ताओं के साथ राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को अन्तरित करना;

(v) राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन योजना जारी रखना;

(vi) विशेष श्रेणी से इतर राज्यों को केन्द्र से किए जाने वाले योजनागत अन्तरणों में अनुदानों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए, उनकी ब्याज अदायगियों के बोझ को कम करने की दृष्टि से गाडगिल फार्मूले की समीक्षा करना;

(vii) केन्द्रीय सरकार को देय राज्य सरकारों के पुराने कर्जों को बट्टे खाते डालना ताकि ऐसे राज्य राजकोषीय सुधार शुरू करते समय एक नई शुरूआत कर सकें।

(viii) बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपने अन्तरण फार्मूले में निम्नलिखित कारकों को अधिक महत्व दिया जाना;

(क) कार्यात्मक और राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की सीमा;

(ख) राज्यों का पिछड़ापन; और

(ग) कर-प्रयासों के लिए प्रोत्साहन;

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष वित्तपोषण से अथवा केन्द्रीय/राज्य स्तर पर मौजूदा वित्तीय संस्थाओं का विलय करके नगरपालिका वित्त निगम और पंचायत वित्त निगम की स्थापना करने की संभावना।

हमने अपनी रिपोर्ट में अलग-अलग स्थानों पर इन मुद्दों पर टिप्पणी की है और हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न नीतिगत उपाय करते समय या उन्हें संशोधित करते समय उनका ध्यान रखेगी। विशेष तौर पर, हम व्यवसाय कर पर सीमा को बढ़ाने के सुझाव का समर्थन करते हैं।

8.24 संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में केन्द्रीय वित्त आयोग की तथ्यपरक भूमिका को समझने और सरकार के तीसरे स्तर की महसूस की गई जरूरतों के बारे में एक अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए, बारहवें वित्त आयोग ने दो संगोष्ठियां प्रायोजित कीं, एक शहरी स्थानीय निकायों के लिए और दूसरी पंचायती राज संस्थाओं के लिए, जिन्हें क्रमशः भारतीय लोकप्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और एनआईआरडी द्वारा आयोजित किया गया। वक्ताओं की सूची और उनके द्वारा प्रस्तुत विषय सामग्री अनुबंध 8.1 में दी गई है। संगोष्ठियों में व्यक्त कुछ विचार निम्नानुसार थेः

(i) पंचायती राज संस्थाएं अधिक कर वसूल कर सकती हैं बशर्ते वे कराधार का सही मूल्यांकन करके, छूट इत्यादि को समाप्त कर के प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार करें। पंचायतों की वित्तीय जरूरतें उन्हें उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक होती हैं;

(ii) बारहवें वित्त आयोग से किए गए अन्तरण को कारगर राजकोषीय विकेन्द्रीकरण से जोड़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का अन्तरण;

(iii) सरकारी वित्त साधनों की पुनर्संरचना के उपाय तभी पूर्ण होंगे यदि सरकार के तीसरे स्तर को भी हिसाब में लिया जाए;

(iv) बारहवें वित्त आयोग के सन्दर्भ में वाक्यांश "राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर" के स्थान पर "राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद" रखा जाए;

(v) स्थानीय राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है। रोपण-भिन्न कृषि क्षेत्र से एसडीपी जैसे गौण स्रोतों को इस्तेमाल करके पंचायतों की राजस्व क्षमता का आकलन किया जा सकता है;

(vi) राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित करने का एकमात्र लागत-प्रभावी तरीका है - राज्य सरकारों से मिलने वाले सीमित अवधि वाले अनुदानों के मापदंड पर आधारित प्रणाली का होना, जहां पंचायतों के लिए आबंटन स्थानीय राजस्व क्षमता के आधारिक आकलनों की कटौती किए जाने के बाद किए जाते हैं;

(vii) स्थानीय निकायों को वितरित की जाने वाली निधि का आरंभिक निर्धारण स्थानीय निकायों के लिए प्रति व्यक्ति मनमाने आबंटन के स्थान पर कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में स्थानीय व्यय पर आधारित विकेन्द्रीकरण लक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा केन्द्रीय कर के बंटवारे में से किया जाना चाहिए; राज्यों को अन्तरित किए जाने हेतु वैश्विक राजस्व बंटवारे में स्थानीय निकायों का हिस्सा साथ-साथ तय किया जाना चाहिए;

(viii) संविधान में एक "स्थानीय सूची" होनी चाहिए जिसमें स्थानीय कार्यों और करों दोनों को शामिल किया जाए;

(ix) केन्द्र और राज्य के अन्तरण पारदर्शी और पूर्वानुमेय होने चाहिए जिसमें बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कार भी शामिल हों;

(x) स्थानीय सरकारों को संसाधन अधिकार स्वरूप दिए जाने चाहिए न कि रियायत या प्रतिलाभ के रूप में।

आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े

8.25 आयोग ने पांच अनुसूचियों में स्थानीय निकायों के संबंध में प्रत्येक राज्य से विस्तृत सूचना एकत्र की जो अनुबंध 8.2 से 8.6 में दी गई है। राज्यों से निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया गया था ताकि राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों के सन्दर्भ में उनकी समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक राज्य की जरूरत का आकलन किया जा सकेः

I. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की प्रास्थिति - राज्य वित्त आयोगों की पंचाट - अवधि - पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को करों के समनुदेशन/अन्तरण/अनुदान सहायता हेतु राज्य वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित सिद्धान्त - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - अस्वीकृत सिफारिशें - उनकी अस्वीकृति के कारण;

II. राज्य वित्त आयोग स्थापित करने से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को किए गए अन्तरणों का ब्यौरा - ऐसे अन्तरणों की वृद्धि दर - अन्तरणों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राशियां (जैसेकि करों का समनुदेशन, अन्तरण, अनुदान-सहायता) - किए गए वास्तविक अन्तर - समान कार्यात्मक जिम्मेदारियों के लिए औसत वृद्धि दर (पिछले पांच वर्षों में) पर आधारित प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित राशि और राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राशियों के बीच अन्तर;

III. 73वें/74वें संशोधन के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को सौंपी गई अतिरिक्त कार्यात्मक जिम्मेदारियों का ब्यौरा - ऐसे अन्तरणों से पूर्व इन कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा

किए गए व्यय - ऐसे अन्तरणों से पूर्व पांच वर्षों में ऐसे व्यय की वृद्धि दर - अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित संसाधन - ऐसे कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को राज्य से जनशक्ति का अन्तरण/जिम्मेदारियों की तुलना में अन्तरित संसाधनों की पर्याप्तता - इस मुद्दे पर राज्य वित्त आयोगों का दृष्टिकोण - राज्य वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें - राज्य सरकार पर उनके वित्तीय प्रभाव;

IV. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण राज्य की समेकित निधि पर प्रभाव - सिफारिशों का ब्यौरा - प्रत्येक सिफारिश को स्वीकारने के वार्षिक वित्तीय प्रभाव - अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने हेतु किए गए प्रयास व उनके परिणाम;

V. ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति - उनका पालन करने के लिए स्थानीय निकायों के संसाधन जुटाने हेतु किए गए प्रयास तथा उनके परिणाम - ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का उपयोग - ग्राम स्तर की पंचायतों और मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के लेखा-विवरण रखने के लिए व्यवस्था - स्थानीय निकायों के वित्त साधनों से संबंधित डाटा बेस तैयार करना - पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा के लिए व्यवस्था और उनकी प्रास्थिति;

VI. स्थानीय निकायों द्वारा लिए गए बाजार उधार - क्या इसकी अनुमति है - यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उधार और बकाया देयताओं का ब्यौरा दिया जाए।

यह उम्मीद की जा रही थी कि न सिर्फ राज्य सरकार द्वारा मानीटरिंग किए जाने के लिए बल्कि राज्य वित्त आयोगों के प्रयोग के लिए भी राज्य मुख्यालय के स्तर पर ऐसी सूचना एकत्र करने और संकलित करने की कोई व्यवस्था अवश्य होगी और इसलिए यह सूचना उचित समयावधि के भीतर अद्यतन की जाएगी तथा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन, बहुत अनुरोध किए जाने के बाद भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना लगभग अपूर्ण पाई गई। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि में अपेक्षित वृद्धि की मात्रा के निर्धारण के कार्य में राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों से सहायता नहीं मिलती। तथापि, इन कारकों से संबंधित सूचना संकलित की जा सकी (क) प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या; और (ख) अपने राजस्व तथा राज्यों से उनके स्थानीय निकायों को किए गए अन्तरणों के ब्यौरे। ये ब्यौरे अनुबंध 8.7 से 8.9 में दिए गए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पंचायतों (सभी स्तर) के अपने राजस्व का हिस्सा 1998-99 से 2002-03 की अवधि के उनके कुल राजस्व का 6.40 प्रतिशत था, जो 1990-91 से 1997-98 की अवधि के लिए अनुमानित 4.17 प्रतिशत से निश्चित तौर पर बेहतर था, लेकिन अभी भी कम है।

8.26 ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के वित्त साधनों से संबंधित डाटा बेस तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपए और ग्राम तथा मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के लेखा-विवरण रखने के लिए 98.61 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए थे। यह सिफारिश की गई थी कि जिला, राज्य और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के वित्त साधनों से संबंधित डाटाबेस तैयार किया जाए और वह कम्प्यूटरीकरण द्वारा और वी-सैट के जरिए जोड़कर आसानी से उपलब्ध हो। स्थानीय निकायों के लेखा-विवरणों की लेखा-परीक्षा करने के लिए निर्धारित प्राधिकरण को इस कार्य के लिए उत्तरदायी होना था और आंकड़ों का संग्रहण और संकलन सी.एण्ड ए.जी. (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) द्वारा निर्धारित मानक प्रपत्र में किया जाना था। इससे राज्यों के बीच स्थानीय निकायों के कार्य-निष्पादन और विकास की स्थिति की तुलना करने में आसानी होती।

8.27 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लेखा-विवरणों से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति निम्नानुसार है:

i **पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीन स्तरों के लेखा-विवरण उचित रूप से रखने और उनकी लेखा-परीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन और देख-रेख (टीजीएस) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक को सौंपना** - अब तक 19 राज्यों ने स्थानीय निकायों का टीजीएस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौपा है। उन राज्यों को छोड़कर, जहां 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं है, पांच प्रमुख राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और अरूणाचल प्रदेश ने अभी तक इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है;

ii. **टीजीएस मुहैया कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित दस्तावेज़** - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा-परीक्षा संबंधी दिशानिर्देश, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा-विवरणों की लेखा-परीक्षा के प्रमाणन हेतु दिशा-निर्देश, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बजट और लेखा-विवरण के प्रपत्र और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रमों, कार्यों और गतिविधियों के लिए संहिता-सूची निर्धारित की है;

iii. **पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट और लेखा-विवरण प्रपत्रों को स्वीकारना** - 18 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित प्रपत्रों को स्वीकृत करने पर सहमति जताई है और बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और उड़ीसा आदि छह राज्यों ने इस

संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए, बजट और लेखा-विवरण संबंधी प्रपत्र तैयार करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित कृतिक बल की रिपोर्ट सार्वभौमिक कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों ने स्वीकार कर ली है;

iv. **लेखा-विवरण रखने के कार्य में पिछड़ना** - वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उस व्यक्ति/एजेंसी की अर्हता और अनुभव निर्धारित करना है जिसे लेखा-विवरण, बनाए रखने का कार्य, जहां भी बाकी हो, सौंपा जाना हो। तदनुसार, राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बिहार, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में बाहर की एजेन्सियों को नियुक्त करने के मापदंडों को अनुमोदित कर दिया है। संबंधित महा-लेखाकार बकायों की सीमा का आकलन करने और तदनुसार प्रस्ताव भेजने के लिए शेष राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं;

v. **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण उपाय** - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के कौशल को उन्नत करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्थान को केन्द्रक अभिकरण बनाकर चलाए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण दो चरणों में दिया जाना है, जहां पहले चरण में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और दूसरे चरण में वे प्रशिक्षक शेष स्टाफ को प्रशिक्षित करेंगे। पहला चरण जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है, 9 राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, असम, केरल, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पूरा किया जा चुका है। शेष राज्यों में यह शुरू किया जा रहा है;

vi. **स्थानीय निकायों के वित्त साधनों से संबंधित केन्द्रीय डाटाबेस तैयार करना** - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जिला एवं राज्य स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के वित्त साधनों से संबंधित नेटवर्क किया हुआ डाटाबेस तैयार करने के लिए मसौदा प्रपत्रों का मसौदा तैयार किया है। अब तक 10 राज्यों ने प्रपत्रों को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की है और 7 राज्यों ने डाटाबेस के संग्रहण, पारेषण और अनुरक्षण के लिए अवसंरचना तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आशा की जाती है कि ये उपाय और आगे बढ़ेंगे तथा भविष्य में राज्य के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग को अपेक्षित आंकड़े प्रमाणित आधार पर उपलब्ध कराना संभव हो जाएगा।

राज्य वित्त आयोगों की भूमिका

8.28 संविधान के अनुच्छेद 243(झ) और 243(म) के अनुसार राज्य वित्त आयोगों को इन बातों के संबंध में सिफारिशें करनी हैं (क) राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों इत्यादि की निवल प्राप्तियों का एक ओर तो राज्य और दूसरी ओर स्थानीय निकायों के बीच वितरण को तथा विभिन्न पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच परस्पर आवंटन को शासित करने वाले दिशानिर्देश; (ख) उन करों, शुल्कों, मार्गकर और फीस का निर्धारण जो स्थानीय निकायों को समनुदेशित या विनियोजित किए जाएं; और (ग) राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता। राज्य वित्त आयोगों से यह भी अपेक्षित है कि वे पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी उपाय सुझाएं। हमने विभिन्न राज्यों द्वारा, उनकी संवैधानिक देयता के अनुपालन में, गठित राज्य वित्त आयोगों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य वित्त आयोगों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रास्थिति, और राज्य सरकारों द्वारा उनपर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना एकत्र की है। हम यह सूचना अनुबंध 8.10 में दे रहे हैं।

8.29 राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की योजना में राज्य वित्त आयोगों का महत्त्व इस बात में है कि राज्य सरकार द्वारा संसाधनों पर दावों के संबंध में मध्यस्थता करने के अलावा, उनकी सिफारिशों से अन्तरण-तंत्र में अधिक स्थिरता और पूर्वानुमान लगाने की योग्यता का तत्त्व आएगा। लेकिन, वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों को बिना संशोधन के स्वीकारने की राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई परंपरा का राज्यों में पालन नहीं किया जा रहा है। अक्सर संसाधन संबंधी बाधाओं का जिक्र करके स्वीकृत की गई सिफारिशों को भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाता है और इससे राज्य वित्त आयोग गठित करने का प्रयोजन ही बेकार हो जाता है। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है।

8.30 यदि राज्य वित्त आयोग केन्द्र से राज्यों को होने वाले संसाधनों के अन्तरण से संबंधित केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का पालन करें, तो उनकी रिपोर्टों में राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के अन्तरण-पूर्व और पश्च चरणों पर वित्त साधनों के अनुमान शामिल होने के साथ साथ अनुशंसित उपाय अपनाकर स्थानीय निकायों द्वारा सृजित किए जा सकने वाले अतिरिक्त राजस्वों का मात्रा-निर्धारण भी निहित होगा। जो अन्तराल फिर भी रह जाएंगे, वे केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले उपायों का आधार हो सकते हैं।

8.31 संसाधनों में अन्तर का अनुमान लगाने के लिए राज्य वित्त आयोगों को पारंपरिक प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने की बजाय राजस्व और व्यय के आकलन के आधार पर एक मानकीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। राजस्व सृजन संबंधी प्रति व्यक्ति मानदंडों में, पर्याप्त उत्प्लावकता और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की गुंजाइश का अनुमान लगाते हुए, कराधारों से संबंधित आंकड़ों और नगरपालिकाओं तथा पंचायतों द्वारा कर-भिन्न आय जुटाने के स्रोतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मूलभूत सेवाओं के प्रावधान में सर्वोत्तम कार्य करने वाली कुछ नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा किए गए औसत व्यय के आधार पर प्रति व्यक्ति व्यय आकलित किया जा सकता है।

राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित संसाधन अन्तरण समायोजित करने के बाद, इस विधि से आकलित किए गए समग्र राजस्व और समग्र व्यय के बीच का अन्तर केन्द्रीय वित्त आयोग के दृष्टिकोण का आधार बनेगा।

8.32 राज्य वित्त आयोगों की सावधानी पूर्वक संवीक्षा करने से पता चलता है कि बहुत कम राज्य वित्त आयोगों ने इस दृष्टिकोण का पालन किया है। इस कारण उन रिपोर्टों को अपनी सिफारिशों का आधार बनाना हमारे लिए असंभव हो गया है। हम यह जोरदार सिफारिश करते हैं कि भविष्य में सभी राज्य वित्त आयोग, जिनमें वे आयोग भी शामिल हैं जो गठित हो चुके हैं लेकिन जिन्हें अभी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं, उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें ताकि केन्द्रीय वित्त आयोग अपने संवैधानिक अधिदेश के साथ पूरा न्याय कर सके।

8.33 यह संभव बनाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य वित्त आयोगों के गठन को मात्र संवैधानिक औपचारिकता मानने की बजाय, राज्य, राज्य वित्त आयोगों में प्रतिष्ठित और सक्षम व्यक्ति शामिल करें। हमने यह पाया है कि अधिकतर राज्यों ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने में और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं को मजबूत बनाकर प्रतिस्पर्धी स्तर पर सामर्थ्य विकसित करने में इसकी क्षमता के संदर्भ में इस संस्था के महत्व को अभी तक नहीं समझा है। राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी, विभिन्न चरणों में उनका गठन, बार-बार पुनर्गठन, चुने गए व्यक्तियों की अर्हता, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी और कई मामलों में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) विधानमंडलों में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से इस संस्था का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। यह केन्द्रीय वित्त आयोग के लिए सिर्फ चिन्ता का विषय ही हो सकता है जिसे अपनी सिफारिशों के आधार के रूप में उनकी रिपोर्टें स्वीकारनी पड़ती हैं।

8.34 राज्य वित्त आयोगों के गठन के मामले में, राज्यों को यह राय दी जा सकती है कि वे उन केन्द्रीय कानूनों और नियमावली का पालन करें जो अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए अर्हताएं निर्धारित करती हैं तथा इसी प्रकार के नियम बनाएं। यह महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, लोक वित्त, लोक प्रशासन और कानून जैसे विशिष्ट विषयों से संबंधित हों। इस उद्देश्य से कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के ही सरोकारों पर उचित ध्यान दिया जाए, यह सुझाव है कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता और/अथवा अनुभव हासिल हो तथा एक और व्यक्ति जिसे नगरपालिका के मामलों में इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, राज्य वित्त आयोग में नियुक्त किया जाना चाहिए। अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए, इनमें वह पदाधिकारी शामिल नहीं है जो सचिव का कार्य कर सकता है। चूंकि राज्य वित्त आयोग अस्थायी निकाय होते हैं और एक निश्चित समय-सीमा में उन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास करने की जरूरत होती है, इसलिए सभी सदस्य और अध्यक्ष पूर्णकालिक होने चाहिए। राज्य वित्त आयोगों के बार-बार पुनर्गठन से बचना चाहिए क्योंकि इससे दृष्टिकोण और विचार की निरन्तरता में बाधा पड़ती है। पुनर्गठन का मुख्य कारण पदाधिकारियों का नेमी अन्तरण प्रतीत होता है। यदि राज्य वित्त आयोग में गैर-आधिकारिक विशेषज्ञ हों, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी।

8.35 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए प्रपत्रों में समय-श्रृंखला में असम्बद्ध आंकड़ों का संकलन राज्य वित्त आयोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे स्थानीय निकायों की आय और व्यय संबंधी जरूरतों का आकलन कर सकें। ग्यारहवां वित्त आयोग तथा यह आयोग भी विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव के कारण उलझन में रहे। इसी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से ग्यारहवें वित्त आयोग ने आंकड़ों के सृजन और उन्हें रखने के साथ-साथ लेखांकन मापदंडों में सुधार करने के लिए प्रावधान किया था। हमें यह उल्लेख करते हुए खुशी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को अधिकतर राज्यों ने स्वीकार कर लिया है और आशा है कि शेष राज्य भी ऐसा ही करेंगे। चूंकि आंकड़ों के संग्रहण और मिलान का कार्य निरन्तर करना होगा और जब भी राज्य वित्त आयोग गठित किए जाएंगे, तब ये आंकड़े उसे मुहैया कराने होंगे, इसलिए यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक राज्य के वित्त विभाग में एक स्थायी राज्य वित्त आयोग सेल स्थापित कर दिया जाए। इस सेल की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जा सकती है जो राज्य वित्त आयोग, जब भी वह गठित किया जाए,के सचिव के रूप में भी कार्य कर सकता है।

8.36 अन्य मुद्दे हैं - नए राज्य वित्त आयोग को गठित करने के लिए निर्धारित समयावधि, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय, एटीआर हेतु समय सीमाएं और इसकी पंचाट अवधि का केन्द्रीय वित्त आयोग के साथ ताल-मेल रखना। राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने में लिया गया समय तीन महीने से कम और तीन वर्ष से अधिक की सीमा में रहा है। ऐसे भी उदाहरण हैं जब राज्य ने रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही पहले राज्य वित्त आयोग को बन्द कर दिया और दूसरा राज्य वित्त आयोग गठित कर दिया। रिपोर्टों को देरी से प्रस्तुत करने के साथ यह समस्या जुड़ी है कि जिस समयावधि के लिए उन्हें सिफारिशें करनी हैं, अकसर वह समयावधि ही बीत जाती है। यह वांछनीय होगा कि राज्य वित्त आयोगों को उनकी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षित तारीख से कम से कम दो वर्ष पूर्व गठित किया जाए और अंतिम तारीख इस प्रकार तय की जाए कि राज्य सरकार को एटीआर प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीन माह का समय मिले जो अधिमानतः आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट के साथ प्रस्तुत की जाए। राज्य वित्त आयोग की पंचाट-अवधि का केन्द्रीय वित्त आयोग के साथ ताल-मेल रखने अर्थ यह नहीं है कि उनका कार्य-काल एक हो। जरूरी बात यह है कि जब केंद्रीय वित्त आयोग गठित किया जाए तब उसे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टें तत्काल उपलब्ध हो जाएं ताकि केन्द्रीय वित्त आयोग राज्य की जरूरतों का आकलन सार्वभौम सिद्धान्तों के आधार पर कर सके। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि ये रिपोर्टें बहुत पुरानी न हों। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन की आवधिकता का अनुमान लगाया जा सकता है, राज्यों को भी अपने राज्य वित्त आयोगों का गठन उपयुक्त समय पर कर लेना चाहिए। इस समूचे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, संगत कानून में प्रक्रिया और समय-सीमाएं शामिल की जानी होंगी।

केन्द्रीय वित्त आयोग की भूमिका

8.37 उन संवैधानिक उपबंधों के कार्य क्षेत्र को पूरी तरह समझने का प्रयास किया गया जिनमें केन्द्रीय वित्त आयोग के लिए राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए उपायों की सिफारिश करने की अपेक्षा की गई है। जहां राज्य सरकारों के साथ हुई संगोष्ठियों

और बैठकों में प्रस्तुत विषय-सामग्री से जो प्रमुख राय उभरी वह यह थी कि ये केन्द्र से राज्यों को अतिरिक्त संसाधनों का अन्तरण करने के लिए सिर्फ एक तंत्र स्वरूप हैं, वहीं हम यह महसूस करते हैं कि इसका कार्य-क्षेत्र इससे कहीं अधिक है। हमारे विचार में संविधान के संगत उपबंध का उद्देश्य क्षेत्र दोहरा है :- (क) राज्यों की विशेष परिस्थितियों जो संभवतः ऐसी सहायता को उचित ठहराएं, को देखते हुए केन्द्र से अतिरिक्त अनुदान देकर राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि करने का वाकई आधार हो सकता है; (ख) राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के लिए राज्य वित्त आयोग की कतिपय सिफारिशों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की जरूरत हो सकती है क्योंकि उनके केन्द्र-राज्य और/अथवा अन्तर्राज्यीय परिणाम हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य वित्त आयोगों की ऐसी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र के साथ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करते हुए केन्द्रीय वित्त आयोग की विशेषज्ञ राय से लाभ उठा सकती है। उदाहरण के लिए, केन्द्र इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई कर सकता है जैसे (क) करों/शुल्कों की दरों में संशोधन जहां भी ऐसे करों/शुल्कों की प्राप्तियां राज्य द्वारा विनियोजित अथवा राज्य को समनुदेशित की जानी हों; अनुच्छेद 268 के तहत औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा अनुच्छेद 269 के तहत केन्द्रीय बिक्री कर इस श्रेणी में आते हैं; (ख) कर-भिन्न राजस्वों की कतिपय श्रेणियों के लिए दरों में संशोधन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि खनिजों से रायल्टी जहां भी ऐसे राजस्वों के हिस्से को स्थानीय निकायों से बांटने की सिफारिश की गई हो; (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, रेलवे इत्यादि से संबंधित मुद्दे जिनमें सम्पत्ति और उनके द्वारा देय स्थानीय कर शामिल है, उनके स्वामित्व में उनकी जरूरत से अधिक जमीन की वापसी इत्यादि; और (घ) व्यवसाय-कर पर लगी सीमा को बढ़ाना जिसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। यह उन मुद्दों की सिर्फ एक सूची है जिनके लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है और जहां केन्द्रीय सरकार के निर्णयों से किसी राज्य की समेकित निधि में आने वाली निधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, राज्य वित्त आयोगों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद केन्द्रीय वित्त आयोग इन मुद्दों और इसी प्रकार के अन्य मुद्दों के संबंध में जिन उपायों की सिफारिश करेगा, वे उसके संवैधानिक अधिदेश को काफी हद तक पूरा करेंगे। इसके मद्देनजर, हम यह सिफारिश करते हैं कि भविष्य में राज्य वित्त आयोग ऐसे मुद्दों की स्पष्ट पहचान करें जिनके लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से कार्रवाई करने की जरूरत होती है और उन्हें केन्द्रीय वित्त आयोग के विचारार्थ एक पृथक अध्याय में सूचीबद्ध करें।

सिफारिशें

8.38 73वें और 74वें संशोधनों की भावना और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की स्पष्ट जरूरत को देखते हुए, हमने 2005-10 की अवधि के लिए अनुदान सहायता के रूप में 25,000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की है ताकि नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि की जा सके। यह बांटे जाने वाले कर-राजस्व के 1.24 प्रतिशत और केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 0.9 प्रतिशत के समतुल्य होगा जैसाकि हमने 2005-10 की अवधि के लिए पूर्वानुमान लगाया है।

8.39 ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए अनुदान सहायता के विभाजन का अनुपात क्रमशः 80 : 20 होना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि शहरी स्थानीय निकायों के पास अपने कर और कर-भिन्न संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं और इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त सहायता दिए जाने की जरूरत है। 2001 जनगणना के अनुसार 28 राज्यों की शहरी जनसंख्या 26.8 प्रतिशत है। हमने सड़कों और इमारतों के रख-रखाव के लिए अलग से अनुदानों की सिफारिश की है जिनमें स्थानीय निकायों के रख-रखाव में आने वाली सड़कें भी शामिल हैं। नगरपालिकाएं इन अनुदानों से सबसे अधिक लाभान्वित होंगी। नगरपालिकाओं द्वारा अपने राजस्व में वृद्धि करने की क्षमता और जरूरत को देखते हुए 20 प्रतिशत का हिस्सा उचित प्रतीत होता है। तदनुसार, हम यह सिफारिश करते हैं कि 25,000 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच 80:20 के अनुपात में बांटी जाए। इस तरह पंचायती राज संस्थाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए और नगरपालिकाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आकलित की गई राशि पिछले आयोगों द्वारा अनुशंसित स्तरों से काफी अधिक है और यह स्थानीय सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं के स्तर को सुधारने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

8.40 हम चाहेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए अनुदान पंचायतों द्वारा जलापूर्ति और स्वच्छता के सन्दर्भ में की गई सेवा को सुधारने में इस्तेमाल किए जाएं। हमें सूचित किया गया है कि पिछले वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश किया गया है। स्वजलधारा के अंतर्गत योजनाओं को 12 महीने तक सफलतापूर्वक चलने के बाद ओ एण्ड एम (प्रचालन एवं रख-रखाव) के लिए प्रोत्साहन के रूप में पूंजीगत लागत के 10 प्रतिशत हिस्से का अनुदान और राज्य सरकार द्वारा उतना ही अंशदान मुहैया कराया जाता है। पहले पूर्ण हुई योजनाओं के लिए ओ एण्ड एम हेतु कोई प्रावधान नहीं है। पंचायतों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है कि वे इन योजनाओं को अपने प्रभार में लें और चलाएं। कुछ मौजूदा योजनाओं को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाने के लिए विशेष सुधार की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाएं परिसम्पत्तियों को अधिग्रहीत कर सकती हैं और इन अनुदानों का उपयोग मरम्मत/नवीकरण और रख-रखाव के लिए कर सकती हैं ताकि उन्हें पूरी तरह से चालू किया जा सके। इसके बाद भी, पंचायती राज संस्थाएं पांच वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए जलापूर्ति के ओ एण्ड एम की सम्पूर्ण लागत को सम्भवतः वहन न कर पाएं। तथापि, उन्हें प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागत का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल करना चाहिए।

8.41 पेय जलापूर्ति विभाग ने हमें सूचित किया है कि जब तक एक आधारभूत स्वच्छता कवरेज न हो, तब तक पंचायतों को ठोस अपशिष्ट निपटान, नालियों की सफाई इत्यादि के लिए "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" (टीसीएस) के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं

मिलती। एक बार आधारभूत स्वच्छता कवरेज हासिल कर लेने के बाद वे अपनी जनसंख्या के आधार पर 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक के निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए पात्र हो जाते हैं। उनके इस प्रकार पात्र होने तक, उन्हें पांच वर्ष की सहायता अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के लिए सहायता दी जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में, हम यह सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए हमारे द्वारा आवंटित अनुदान सहायता में से जलापूर्ति एवं स्वच्छता की ओ एण्ड एम लागत पर किए जाने वाले व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8.42 शहरी स्थानीय निकायों के मामले में, हमने सरकारी-निजी भागीदारी के महत्व पर पहले ही बल दिया है ताकि ठोस अपशिष्ट पदार्थ-प्रबंधन के संबंध में सेवा-सुपुर्दगी को बढ़ाया जा सके। नगरपालिकाओं को ठोस अपशिष्ट पदार्थ के संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। राज्य सरकारें 2001 जनगणना के अनुसार 1,00,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की नगरपालिकाओं से अपेक्षा करें कि वे एक ऐसी व्यापक योजना तैयार करें जिसमें हमारे द्वारा अनुशंसित अनुदान-सहायता से उपयुक्त वित्त पोषण के लिए निजी क्षेत्र में किए जाने वाले वानस्पतिक खाद और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर ऊर्जा कार्यक्रम भी शामिल हों। तथापि, अनुदान-सहायता सिर्फ संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन की लागत में सहायता देने के लिए ही उपलब्ध होगी, क्योंकि एक बार नगरपालिका के अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभा लेने के बाद, निजी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थ-क्षम हो जानी चाहिए। हमारा सुझाव है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्येक राज्य को मुहैया कराए गए अनुदानों का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा इन योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। छह बड़े शहरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर और हैदराबाद को अनुदान-सहायता के प्रयोजन से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि उनके लिए इस महत्वपूर्ण सेवा हेतु स्वयं अपने संसाधन जुटाना संभव होगा।

8.43 ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों द्वारा डाटाबेस तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे लेकिन वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 93 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए जा सके। लेखा-विवरण रखने के लिए आवंटित 483 करोड़ रुपए में से केवल 113 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए गए। इस प्रकार, कुल उपयोग का प्रतिशत आवंटित राशि का मुश्किल से 30 प्रतिशत रहा है। हालांकि इस बहुत कम उपयोग के कारण बिलकुल भी स्पष्ट नहीं हैं, फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि आधारभूत स्तरों पर आंकड़ों की गुणवत्ता निकृष्ट है। अधिकतर राज्यों के पास उनके स्थानीय निकायों के वित्त-साधनों से संबंधित सही सूचना नहीं है। आधारभूत स्तरों पर लेखांकन की एक समुचित व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए ताकि बुनियादी नागरिक और विकास-कार्यों के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं की जरूरतों का वस्तुपरक आकलन करने में आसानी हो सके। महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए संसाधनों में अन्तर का आकलन करना राजकोषीय अन्तरण की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे साम्यता को बढ़ावा मिलेगा। सेवा-सुपुर्दगी की लागत और संसाधन जुटाने की क्षमता के बीच अन्तर का तर्कसंगत निर्धारण करने के लिए जरूरी आंकड़ों के अभाव से सेवाओं में साम्यता हासिल करने के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आधारभूत स्तर पर डाटाबेस तैयार करने और लेखा विवरण रखने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाए। शहरी क्षेत्रों में सम्पत्तियों के मानचित्रण के लिए जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) जैसी कुछ आधुनिक विधियां और वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक प्रणाली को अपनाने के लिए कम्प्यूटरीकरण मजबूत स्थानीय सरकारें स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा जिससे 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि जैसाकि ऊपर पैरा 8.41 और 8.42 में बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता की ओ एण्ड एम लागतों पर और शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की योजनाओं पर व्यय के अलावा, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को, जहां भी संभव हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध प्रणालियों के जरिए डाटाबेस तैयार करने और लेखा-विवरण बनाकर रखने पर होने वाले व्यय को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लागत संबंधी विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, हम व्यय की अलग-अलग मदों पर विशिष्ट आवंटन नहीं करते और यह कार्य राज्यों के लिए छोड़ देते हैं कि वे उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय की जरूरत का आकलन करें और हमारे द्वारा अनुशंसित कुल आवंटन में से तदनुसार निधियां निर्धारित करें।

8.44 जहां तक राज्यों के बीच अनुदान सहायता के परस्पर आवंटन का संबंध है, ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच अनुदान सहायता के परस्पर आवंटन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित कारक और भार-कारक अपनाए थेः

	मापदंड	**भार (प्रतिशत)**
I.	जनसंख्या	40
II.	भौगोलिक क्षेत्र	10
III.	अधिकतम प्रति व्यक्ति आय से दूरी	20
IV.	विकेन्द्रीकरण का सूचकांक	20
V.	राजस्व संबंधी प्रयास	10

हम यह उल्लेख कर रहे हैं कि चूंकि जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र का मापदंड तटस्थ है,इसलिए उन्हें आम स्वीकृति मिली है। इसलिए, हमने इन दो कारकों के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित भार-कारकों को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। हमने ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विकसित "अधिकतम प्रति व्यक्ति आय से दूरी" के मापदंड को 20 प्रतिशत के भार के साथ रखने का निर्णय लिया है। हमने वर्ष1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के संबंध में सीएसओ द्वारा मुहैया कराए गए जीएसडीपी आंकड़ों के आधार पर आकलित किए गए प्राथमिक क्षेत्र से औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (तुलनीय कीमतों पर) का प्रयोग किया है। इन तीन वर्षों के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े वर्ष 1991 और 2001 के लिए ग्रामीण जनसंख्या के जनगणना आंकड़ों के आधार पर अन्तर्वेशित/अनुमानित किए गए थे। अन्तर्वेशन/अनुमान वर्ष 1991 और 2001 के बीच जनसंख्या की घातांकी वृद्धि के आधार पर किए गए हैं। चूंकि 2001

जनगणना के परिणामों पर आधारित राज्य-वार ग्रामीण/शहरी जनसंख्या के अनुमान उपलबध नहीं थे, इसलिए ये पहले कैलेंडर वर्ष के लिए आकलित किए गए और इसके बाद वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के लिए अन्तर्वेशित किए गए। अधिकतम औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य, और आधा मानक विचलन से प्रत्येक राज्य की दूरी मापी गई। इसके बाद, पंचायतों के लिए हिस्सा आकलित करने के लिए संबंधित राज्य की ग्रामीण जनसंख्या (2001) से इन दूरियों को भारित किया गया।

8.45 शहरी स्थानीय निकायों के मामले में, हमने सीएसओ द्वारा दिए गए जीएसडीपी आंकड़ों और शहरी जनसंख्या संबंधी 1991 और 2001 के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के लिए अन्तर्वेशित/अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (तुलनीय कीमतों पर) का प्रयोग किया है। अधिकतम औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य, और आधा मानक विचलन से प्रत्येक राज्य की दूरी मापी गई। इसके बाद, संबंधित राज्य के हिस्से की गणना करने के लिए इसकी शहरी जनसंख्या (2001) से इन दूरियों को भारित किया गया।

8.46. इसके अतिरिक्त, हमने जनता की कतिपय न्यूनतम जरूरतों से संबंधित आंकड़ों के आधार पर राज्य के भीतर ही विषमताओं को हिसाब में लेने के लिए अभाव का सूचकांक बनाने का प्रयास भी किया है। पेयजल और स्वच्छता ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली दो प्रमुख सेवाएं हैं। राज्य-वार 2001 जनगणना आंकड़ों में दूर से पानी वाले वाले परिवारों की संख्या (शहरी परिवारों के मामले में 100 मीटर से ज्यादा और ग्रामीण परिवारों के मामले में 500 मीटर से ज्यादा), घर के परिसर में बिना शौचालय के परिवारों की संख्या और गन्दे जल की निकासी के लिए जल-निकासी की सुविधाओं से रहित परिवारों की संख्या से संबंधित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का ब्यौरा उपलब्ध है। इस सूचकांक को तैयार करने में इन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त फार्मूला है $D.I=0.5x+0.25(y+z)$ जहां D.I अभाव सूचकांक है, x दूर से पानी लाने वाले परिवार का प्रतिशत है, y शौचालय रहित परिवारों का प्रतिशत है और z जल निकासी सुविधा रहित परिवारों का प्रतिशत है। इसके बाद न्यूनतम अभावग्रस्त राज्य से दूरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में जनगणना 2001 की जनसंख्या से भारित की गई ताकि राज्य-वार हिस्सा निकाला जा सके। 0.5 के मानक विचलन की छूट दी गई है ताकि सबसे कम अभावग्रस्त राज्य को भी हिस्सा मिल सके। हमने इस मापदण्ड को 10 प्रतिशत का भार दिया है।

8.47 ग्यारहवें वित्त आयोग ने विकेन्द्रीकरण का सूचकांक बनाने के प्रयोजन से निम्नलिखित 10 पैरामीटरों का चयन किया था:-

(i) राज्य/पंचायत/नगरपालिका कानूनों का अधिनियमन/संशोधन;

(ii) स्थानीय निकायों के कार्यकरण में हस्तक्षेप/रोक;

(iii) राज्य कानून बनाकर स्थानीय निकायों को कार्य सौंपना;

(iv) नियमावली, अधिसूचना, आदेशों के जरिए इन निकायों को कार्यों का वास्तविक अन्तरण;

(v) स्थानीय निकायों को कराधान की शक्ति सौंपना;

(vi) कराधान शक्तियों का प्रयोग करने की सीमा;

(vii) राज्य वित्त आयोग का गठन और उनकी रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की सूचना प्रस्तुत करना;

(viii) राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर की गई कार्रवाई;

(ix) स्थानीय निकायों के चुनाव; और

(x) अनुच्छेद 243यघ की मूल भावना के अनुरूप जिला योजना समितियों का गठन।

यह देखते हुए कि अब लगभग सभी राज्यों ने 73वें और 74वें संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए उपाय कर लिए है और कानून अधिनियमित किए हैं, चुनाव कराए हैं, राज्य वित्त आयोग गठित कर लिए हैं और उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई भी की है, इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऊपर बताए गए अधिकतर कारक बहुत प्रासंगिक नहीं होंगे। इसलिए हमने इस मापदंड को इसी रूप में छोड़ने का निर्णय लिया है।

8.48 "राजस्व प्रयास" का मूल्यांकन करने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के अपने राजस्व के अनुपात को राज्य के अपने राजस्व तथा एसडीपी से पृथक रूप से सम्बद्ध किया और प्रत्येक को 5 प्रतिशत भार समनुदेशित किया। पंचायतों के मामले में, खनन और उत्खनन को छोड़कर प्राथमिक क्षेत्र से एसडीपी को हिसाब में लिया गया, नगरपालिकाओं के मामले में प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर एसडीपी को आधार बनाया गया। इन्हें प्रत्येक मामले के आधार पर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या से उचित रूप से भारित किया गया। हमने पंचायतों के मामले में खनन एवं उत्खनन को शामिल करके इस मापदंड में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रत्येक घटक को 10 प्रतिशत भार दिया गया है। राज्य के अपने राजस्व से संबंधित स्थानीय निकायों के अपने राजस्व के मामले में 2000-01 से 2002-03 तक की अवधि ली गई और एसडीपी से संबंधित स्थानीय निकायों के अपने राजस्व के मामले में 1999-2000 और 2001-02 की अवधि ली गई। चूंकि झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ जैसे नवनिर्मित राज्य नवम्बर, 2000 में बनाए गए थे, इसलिए राज्य के अपने राजस्व से संबंधित राजकोषीय आंकड़े केवल नवम्बर से ही उपलब्ध थे। इसे देखते हुए, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के संबंध में राज्य के अपने संसाधनों की तुलना में स्थानीय निकायों के राजस्व प्रयासों को आकलित करने के लिए केवल वर्ष 2001-02 और 2002-03 से संबंधित आंकड़े ही लिए गए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अवशिष्ट राज्यों के लिए यही दृष्टिकोण अपनाया गया क्योंकि 2000-01 के आंकड़े नवम्बर तक संयुक्त राज्य का मिला-जुला रूप थे और नवम्बर 2000 के बाद विभाजित राज्यों के। स्थानीय निकायों के अपने संसाधनों और राज्य के अपने राजस्व के अनुपात का महत्व यह है कि यह राजस्व विकेन्द्रीकरण के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।

8.49 अनुदानों के परस्पर आवंटन के लिए प्रयुक्त मापदंड नीचे सारबद्ध किया गया है :

	मापदंड	भार (प्रतिशत)
I.	जनसंख्या	40
II.	भौगोलिक क्षेत्र	10
III.	अधिकतम प्रति व्यक्ति आय से दूरी	20
IV.	अभाव का सूचकांक	10
V.	राजस्व संबंधी प्रयास	20
	जिसमें से (क) राज्यों के अपने राजस्व के संबंध में	10
	(ख) जीएसडीपी के संबंध में	10

उपर्युक्त मापदंड के आधार पर आकलित राज्यों के हिस्से को करोड़ रुपए में निकटतम अंक तक पूर्णांकित किया गया। अनुदान-सहायता के राज्य-वार आवंटन के सन्दर्भ में इस कार्रवाई के परिणाम सारणी 8.1 में दिए गए हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए प्रत्येक राज्य को वार्षिक तौर पर जारी की जाने वाली राशियां क्रमशः अनुबंध 8.17 और 8.18 में दी गई हैं।

प्रत्येक कारक के संबंध में इस्तेमाल किए गए आंकड़े और प्रत्येक संकेतक के तहत प्रत्येक राज्य का यथानुपात हिस्सा अनुबंध 8.11 से 8.18 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.1

आवंटन में राज्यों का हिस्सा (2005-10)

क्र.सं.	राज्य	पंचायतें		नगरपालिकाएं	
		प्रतिशत	(करोड़ रुपए)	प्रतिशत	(करोड़ रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	7.935	1587	7.480	374
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.340	68	0.060	3
3.	असम	2.630	526	1.100	55
4.	बिहार	8.120	1624	2.840	142
5.	छत्तीसगढ़	3.075	615	1.760	88
6.	गोआ	0.090	18	0.240	12
7.	गुजरात	4.655	931	8.280	414
8.	हरियाणा	1.940	388	1.820	91
9.	हिमाचल प्रदेश	0.735	147	0.160	8
10.	जम्मू और काश्मीर	1.405	281	0.760	38
11.	झारखण्ड	2.410	482	1.960	98
12.	कर्नाटक	4.440	888	6.460	323
13.	केरल	4.925	985	2.980	149
14.	मध्य प्रदेश	8.315	1663	7.220	361
15.	महाराष्ट्र	9.915	1983	15.820	791
16.	मणिपुर	0.230	46	0.180	9
17.	मेघालय	0.250	50	0.160	8
18.	मिजोरम	0.100	20	0.200	10
19.	नागालैंड	0.200	40	0.120	6
20.	उड़ीसा	4.015	803	2.080	104
21.	पंजाब	1.620	324	3.420	171
22.	राजस्थान	6.150	1230	4.400	220
23.	सिक्किम	0.065	13	0.020	1
24.	तमिलनाडु	4.350	870	11.440	572
25.	त्रिपुरा	0.285	57	0.160	8
26.	उत्तर प्रदेश	14.640	2928	10.340	517
27.	उत्तरांचल	0.810	162	0.680	34
28.	पश्चिम बंगाल	6.355	1271	7.860	393
		100.000	**20000**	**100.000**	**5000**

8.50 कुछ क्षेत्रों को 73वें तथा 74वें संशोधनों के उपबंधों में शामिल न किए जाने का मुद्दा अभी भी बाकी है। पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों को भी 73वें तथा 74वें संशोधनों के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्यों को 73वें संशोधन के कार्यक्षेत्र से विशेष रूप से बाहर रखा गया है लेकिन इन राज्यों के विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे छठी अनुसूची के क्षेत्र को छोड़कर इस संशोधन को अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। असम, मेघालय,मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। 73वें संशोधन के प्रावधानों का पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए संसद द्वारा 1996 में कानून पारित किया गया था। छठी अनुसूची के क्षेत्र के मामले में संसद द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके द्वारा इन संशोधनों को इन क्षेत्रों में लागू किया जा सके। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सामान्य तथा बाह्य क्षेत्रों के किए अनुदानों को पृथक कर दिया था तथा यह आशा जताई थी कि आवश्यक प्रशासनिक तथा विधायी उपायों के माध्यम से बाह्य क्षेत्र "पात्र" बन जाएंगे।

8.51 हमें सूचित किया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है जिससे स्वायत्त जिला परिषदों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इन प्रस्तावों के अंतर्गत इन परिषदों के अधिकार बढ़ाए जाने तथा 73वें और 74वें संशोधनों के कुछ उपबंधों को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने का विचार है। इस तथ्य को देखते हुए, हम सामान्य तथा बाह्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग सहायता अनुदानों को दर्शाने का प्रस्ताव नहीं करते। यह संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हमारे द्वारा अनुशंसित अनुदानों को स्थानीय निकायों, जिनमें बाह्य क्षेत्र के निकाय भी शामिल हैं, के बीच उचित और न्यायसंगत रूप से वितरित करें।

8.52 ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करने में हुई कमी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। यह कमी (क) पहले से ही जारी की गई राशि का उपयोग न करने अथवा इसका कम उपयोग करने तथा (ख) राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा समतुल्य अंशदान न जुटा पाने के कारण हुई। समतुल्य अंशदान संबंधी शर्त ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा नहीं लगाई गई थी। हालांकि, स्थानीय निकायों को अपने संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करने की जोरदार आवश्यकता है, लेकिन हमारा यह मानना है कि उन्हें वित्त आयोग के अनुदानों से वंचित करने से इस समस्या का सही समाधान नहीं होगा। इससे वे निकाय उन निधियों से वंचित रह जाएंगे जो उनके लिए हैं। इसलिए, हम ऐसी किसी शर्त की सिफारिश नहीं करते। हमारा यह भी मत है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए जिसकी सिफारिश वित्त आयोग द्वारा न की गई हो क्योंकि इन अनुदानों का उद्देश्य केन्द्र और राज्यों के बीच के असंतुलन को दूर करना है। और नई निधियां जारी करने पर विचार करने से पूर्व, पहले से ही जारी धनराशि का उपयोग करने के लिए आग्रह करने की सामान्य परम्परा जारी रखनी चाहिए तथा राज्य को सहायता अनुदान केवल तभी जारी किए जाएं जब राज्य इस बात का प्रमाणपत्र दे कि पिछली धनराशि स्थानीय निकायों को दे दी गई है। तथापि हमारी निर्णय-अवधि के पहले वर्ष अर्थात् 2005-06 में राज्यों को देय राशि ऐसे आग्रह के बिना ही जारी कर दी जाए।

8.53 यह देखा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान राशि जारी किए जाने के बाद भी कई बार वित्त आयोग के अनुदानों को स्थानीय निकायों तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। अधिकतर यह पाया गया है कि राज्य सरकारें इन अनुदानों का उपयोग अपने अर्थोपाय सुविधा के लिए करती हैं और इन राशियों को सही प्राप्तकर्त्ताओं तक पहुँचाने में कोई जल्दबाजी नही दर्शाती। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र द्वारा आगे दी जाने वाली धनराशि के निर्गम में रूकावट आ जाती है तथा स्थानीय निकायों को बिना किसी दोष के इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसलिए, हम राज्य सरकारों से जोरदार आग्रह करते हैं कि वे ऐसे व्यवहार को त्याग दें जिनके कारण स्थानीय निकायों को ऐसे अनुदान देने का मूल प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि केन्द्र द्वारा अनुदान जारी करने की तारीख के पश्चात, यदि राज्य सरकार इन अनुदानों को स्थानीय निकायों को देने में 15 दिन से अधिक का विलम्ब करती है तो इसे केन्द्र सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

8.54 अनुबंध 8.2 से 8.6 के अंतर्गत उन प्रपत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें बारहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों संबंधी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य वित्त आयोगों द्वारा इन प्रपत्रों को अपनाया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य न केवल उनके अपने विचारार्थ विषयों को स्पष्ट करना हो बल्कि इन के आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग भी विश्वसनीय निष्कर्ष तैयार कर सके। राज्यों पर इस बात के लिए भी दबाव डालना आवश्यक है कि वे सूचना की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें।

8.55 हमारी सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार हैः

(i) पैरा 8.19 में सूचीबद्ध सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए राज्यों द्वारा उन पर विचार किया जाना चाहिए जिससे पंचायतों के संसाधनों को बेहतर बनाया जा सके।

(ii) राज्यों को राज्य वित्त आयोगों के गठन में विलम्ब, चरणबद्ध तरीके से उनके गठन, बार बार उनके पुनगर्ठन, रिपोर्टों और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों (एटीआर) को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। यह भी वांछनीय है राज्य वित्त आयोगों का गठन उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले सिफारिशों की अपेक्षित तारीख से कम से कम दो वर्ष पूर्व कर देना चाहिए तथा तारीख का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे सरकार को एटीआर को सदन पटल पर रखने के लिए कम से कम तीन महीने का समय मिल सके तथा यह आगामी वित्त वर्ष के बजट के साथ हो तो और भी बेहतर होगा।

(iii) केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन होते ही उसे राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टें तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए

ताकि केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा एक समान सिद्धांतों के आधार पर राज्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि ये रिपोर्टें बहुत पुरानी न हों। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन की अवधि सबंधी सूचना उपलब्ध रहती है इसलिए राज्यों के अपने वित्त आयोगों के गठन का सही समय निर्धारण करना चाहिए।

(iv) राज्य वित्त आयोगों में ऐसे विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो अपने अपने संबद्ध क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव रखते हों, को शामिल किया जाना चाहिए।

(v) राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार करने की परम्परा है। इस परम्परा का राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों के संबंध में अनुसरण किया जाना चाहिए।

(vi) राज्य वित्त आयोगों द्वारा उन सभी मुद्दों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए जिन पर राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तथा इन सभी मुद्दों को एक पृथक अध्याय में सूचीबद्ध कर देना चाहिए ताकि उन पर केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा विचार किया जा सके।

(vii) व्यवसाय कर की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में राज्य वित्त आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए समर्थन किया जाता है।

(viii) यह वांछनीय है कि राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को संसाधन अंतरण के संबंध में राज्य वित्त आयोगों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों में राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के आर्थिक संसाधनों की अंतरण-पूर्व तथा अंतरण-पश्च स्थिति का प्राक्कलन तथा विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इनमें राजस्व की उस मात्रा को भी दर्शाया जाना चाहिए जिसे स्थानीय निकायों द्वारा रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को अपना कर जुटाया जा सकता है। इसके बाद भी रह गए अंतर के आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा उपाए सुझाए जाएंगे।

(ix) स्थानीय निकायों के संसाधनों का अनुमान लगाते समय, राज्य वित्त आयोगों की परम्परागत प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्वानुमान करने की बजाए राजस्व एवं व्यय का मूल्याकंन करने के लिए मानकीय उपाय अपनाने चाहिए।

(x) राज्य सरकारों के वित्त विभाग में एक स्थायी राज्य वित्त आयोग सेल गठित किया जाना चाहिए क्योंकि आंकड़ों के संकलन एवं मिलान प्रक्रिया की निरंतर आवश्यकता रहेगी तथा जब भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा तो ये आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करने होंगे।

(xi) राज्यों की समेकित निधि में बढ़ोतरी करने के लिए पंचायतों के लिए 20,000 करोड़ रुपए तथा नगरपालिकाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाए ताकि सारणी 8.1 में दर्शाए गए विवरण के अनुसार 2005-10 की अवधि हेतु पारस्परिक हिस्सों के साथ वितरण किया जा सके।

(xii) जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेने तथा उनके रख रखाव और नवीकरण के साथ-साथ उनकी प्रचालन एवं रखरखाव लागत हेतु अनुदानों का उपयोग करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, पंचायती राज संस्थाओं को आवर्ती लागत के कम कम 50 प्रतिशत भाग की वसूली प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में कर लेनी चाहिए।

(xiii) पंचायतों को आंवटित किए गए अनुदानों में, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणाली की प्रचालन एवं रखरखाव लागत पर होने वाले व्यय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पंचायतें इन योजनाओं का उत्तरदायित्व लेकर उनका परिचालन कर सकेंगी।

(xiv) शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्रत्येक राज्य को प्रदत्त सहायता-अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत भाग सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। नगरपालिकाओं को ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, वियोजन तता उनकी ढुलाई पर ध्यान देना चाहिए। इन क्रिया-कलापों से संबंधित लागत को अनुदान राशियों से पूरा किया जा सकता है।

(xv) अधिकांश राज्यों के पास स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति से संबंधित विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं होती। आंकड़ों से संबंधित आधार तथा लेखों के अनुरक्षण के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती रहेगी। राज्यों को इस विषय पर प्रत्येक स्थानीय निकाय की जरूरतों का मूल्यांकन करना चाहिए तथा हमारे द्वारा सुझाए गए कुल आवंटित अनुदान में से तदनुसार धनराशि निर्धारित करनी चाहिए।

(xvi) सामान्य तथा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सहायता-अनुदान का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। यह संबंधित राज्य पर निर्भर करता है कि वह राज्य के लिए प्रस्तावित अनुदान राशि को स्थानीय निकायों, जिनमें शामिल न किए गए क्षेत्रों में स्थित निकाय भी शामिल हैं, के बीच उचित और न्यायसंगत तरीके से वितरित करें।

(xvii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान सहायता जारी करने के लिए हमारे द्वारा अनुशंसित शर्तों के अतिरिक्त और अन्य कोई शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय 9

आपदा राहत

9.1 विचारार्थ विषयों के पैरा 10 में हमसे अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण के बारे में वर्तमान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करें और उन पर उचित अनुशंसाएं करें।

आपदा राहत निधि (सीआरएफ)

9.2 दूसरे वित्त आयोग से लेकर प्रत्येक वित्त आयोग ने राहत व्यय के निधिपोषण की समस्या को पहचाना है। तब से क्रमिक वित्त आयोगों ने राज्यों के राजस्व में से राहत व्यय हेतु प्रावधान और केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता के परिमाण के बारे में अनुशंसाएं की हैं। द्वितीय वित्त आयोग के आदेश पर इस बारे में किए गए प्रबंधों को सामान्यता 'मार्जिन मनी स्कीम' के नाम से जाना जाता था। यह प्रबंध जिसमें राहत व्यय के लिए मार्जिन के रूप में राज्यों द्वारा एक विनिर्दिष्ट राशि अलग से रखा जाना और केंद्र द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना शामिल था, कुछ छोटे परिवर्तनों के साथ बाद के आठवें तक के वित्त आयोगों द्वारा पृष्ठांकित किया जाना जारी रहा है।

9.3 सी.आर.एफ की वर्तमान योजना अनिवार्य रूप से नौवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। सीआरएफ का आकार निर्धारित करते समय नौवें वित्त आयोग ने स्वयं को मार्जिन मनी तक सीमित नहीं रखा जैसा कि पूर्ववर्ती वित्त आयोगों (चौथे से आठवें तक) द्वारा किया गया था बल्कि व्यय की उच्चतम सीमाओं के औसत को ध्यान में रखा जिसमें मार्जिन मनी, अग्रिम आयोजना सहायता (अनुदान और ऋण) विशेष केंद्रीय सहायता और 1988-89 में समाप्त दस वर्ष की अवधि में राज्य का स्वयं का 25 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। इस आधार पर सभी राज्यों के लिए सीआरएफ की कुल राशि 804 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बैठती है। सीआरएफ का आकार निर्धारित करते समय समय दसवें वित्त आयोग ने 1983-84 से 1989-90 तक के वर्षों की व्यय की उच्चतम सीमाओं के जोड़ के औसत और 1990-91 से 1992-93 तक के वर्षों के लिए सीआरएफ की राशि को हिसाब में लिया। सभी राज्यों के लिए इस प्रकार निकाली गई राशि 1994-95 तक मुद्रास्फीति और तत्पश्चात 1999-2000 तक अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की तरह ही उसी लचीलेपन से क्रमबद्ध दरों पर समंजित की गई थी। वर्ष 1995-2000 की अवधि के लिए सभी राज्यों की सीआरएफ की कुल राशि 6304.27 करोड़ रुपए बैठती है।

9.4 सीआरएफ की वर्तमान योजना की मुख्य विशेषताएं, जो ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित हैं, निम्नानुसार हैः

(i) सीआरएफ का प्रयोग चक्रवात, सूखे, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु किया जाना चाहिए।

(ii) राज्यों के सीआरएफ का आकार 1998-99 के मूल्यों पर 1998-99 में समाप्त 12 वर्षों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को पूर्णतया समंजित करने के पश्चात मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत राज्यों द्वारा उपगत औसत व्यय को हिसाब में लेकर निर्धारित किया गया था। इस प्रकार आकलित राशि अनुमानित मुद्रास्फीति के आधार पर 1999-2000 तक अनुमानित की गई है और 2004-2005 तक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रावधान मुद्रास्फीति की वर्तमान दर मानते हुए किया गया है। जहां औसत व्यय कम हुआ है, वर्ष 2000-01 के लिए आवंटन 1999-2000 के स्तर पर रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई राज्य उससे कम प्राप्त न करे जो वह पहले प्राप्त कर रहा था। असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों के मामले में उनके सीआरएफ का आकार इन छहः राज्यों में इन राज्यों के अपने स्वयं के सीआरएफ के अनुपात में आवंटित सीआरएफ के सकल आकार के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान द्वारा सुदृढ़ किया गया था।

(iii) सीआरएफ में केंद्र और राज्यों से अशंदान 75:25 के अनुपात में होगा।

(iv) केंद्र सरकार का हिस्सा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली मई और पहली नवंबर को दो किश्तों में राज्य सकारों को प्रेषित करा दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी उसी वर्ष के मई और नवम्बर में दो किश्तों में निधि को कुल अशंदान (उनके अपने हिस्से सहित) अतंरित कर देती हैं। किश्त जारी करने से पहले राज्य यह दर्शाते हुए प्रमाणपत्र देंगे कि पहले प्राप्त राशि सीआरएफ में जमा करा दी गई है। इस प्रमाण पत्र के साथ अद्यतन व्यय और सीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि दर्शाने वाला एक विवरण होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीआरएफ की निधियों का विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मदों/मानदंडों के अनुसार अनुमोदित न किए गए व्यय पूरा करने के लिए विपथित नहीं किया जा रहा, केंद्र सरकार ने अब एक विस्तृत प्रपत्र विनिर्दिष्ट किया है जिसमें राज्यों को मदवार व्यय की सूचना देनी होती है।

(v) सीआरएफ से आहरित धनरशि प्रभावित क्षेत्र और जनसंख्या को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय, जिसने सीआरएफ की योजना हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कृषि मंत्रालय को प्रतिस्थापित किया है, द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में सन्निहित व्यय की मदों पर और मानदंडों के अनुसार ही प्रयुक्त की जानी चाहिए।

(vi) अवसंरचना और अन्य पूंजी अस्तियों की पुनर्बहाली पर व्यय, सिवाय उनके जो राहत संचालन और प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या की संपर्कता से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हैं, प्राथमिकता के आधार पर आयोजना निधियों से पूरा किया जाना चाहिए।

(vii) यदि किसी विशिष्ट वर्ष में प्राकृतिक आपदा पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि सीआरएफ में उपलब्ध राशि से अधिक है तो राज्य, उत्तरवर्ती वर्ष में देयों के एवज में संमजित किए जाने के लिए केंद्र से राज्य को अगले वर्ष देय निधियों के 25 प्रतिशत का आहरण करने में समर्थ होगें।

(viii) सीआरएफ का संचालन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता व अन्य अधिकारियों, जो सामान्यतः राहत कार्यों से जुड़े हैं और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, को मिलाकर बनी संबंधित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है। यह समिति राहत व्यय के वित्त पोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेती है, संबंधित सरकारों से अशंदान प्राप्त करने की व्यवस्था करती है, निधि का संचालन करती है और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संग्रहणों का निवेश करती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि सीआरएफ से आहरित धनराशि वास्तव में उन्ही प्रयोजनों के लिए जिनके लिए निधि की स्थापना की गई है और केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में सन्निहित व्यय मदों और मानदंडों के अनुसार प्रयुक्त की जाए।

(ix) निधियों के निवेश का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा द्वारा किया जाता है जिसका बैंकिंग विभाग राज्य के मुख्यालय में होता है। उन राज्यों के मामले में जहां राज्य के मुख्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसी कोई शाखा नहीं है, इस निवेश का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित बैंक द्वारा किया जाएगा और जम्मू तथा कश्मीर व सिक्किम की सरकारों के मामले में ये कार्य उनके बैंकरों द्वारा किए जाते हैं। निधि में संग्रहणों के साथ निवेश पर अर्जित आय (i) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, (ii) नीलाम की गई राजकोषीय हुंडियों, (iii) ब्याज अर्जनकारी जमाराशियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियों के प्रमाणपत्रों और (iv) सहकारी बैंकों में ब्याज अर्जनकारी जमाराशियों जैसी एक अथवा अधिक लिखतों में निवेश की जाती है। यदि किसी कारणवश इस योजना में निर्दिष्ट तरीके से निवेश करना संभव नहीं हो तो निधि को आवधिक अशंदान के साथ-साथ निधि की अन्य आय को लोक लेखे में रखा जा सकता है जिसपर राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर प्रयोज्य दर से डेढ़ गुणा दर पर निधि को अर्धवार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगी।

(x) पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत में निधि में शेष को अगली योजना में संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ)

9.5 क्रमिक वित्त आयोगों ने असाधारण प्रचंडता की आपदाओं के मामलों में केंद्र सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार की है और इस बारे में अनुशंसाएं की हैं। सातवें और आठवें वित्त आयोगों ने अनुशंसित किया है कि यदि असाधारण प्रचडंता की आपदा है तो केंद्र को प्रभावित राज्य को उसमें निर्दिष्ट हिस्से से अधिक विशेष सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। नौवें वित्त आयोग को प्रत्याशा थी कि यदि किसी क्षेत्र को इतने परिमाण व प्रचंडता की आपदा का सामना करना पड़ता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर समाधान किए जाने की आवश्यकता हो तो केंद्र स्थिति की मांग के अनुसार समुचित कार्रवाई करेगा और आवश्यक व्यय उपगत करेगा। दसवें वित्त आयोग ने पहली बार असाधारण प्रचंडता वाली आपदाओं की देखभाल के लिए एक सुस्पष्ट निधियन तंत्र बनाया है। आयोग ने अवलोकित किया कि 'असाधारण प्रचंडता' पद की कोई परिभाषा असंख्य कठिनाईयों से भरी होगी और इसके उत्पादकता-रोधी होने की संभावना है। आयोग का विचार था कि असाधारण प्रचंडता वाली आपदा को अन्य बातों के साथ-साथ आपदा की सघनता व आकार, आवश्यक राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने में राज्य की क्षमता, सहायता और राहत पहुंचाने के लिए योजनाओं में विकल्प व लोचशीलता आदि को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर आंकना होगा। आयोग ने राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (एमसीआरसी) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनएफसीआर) के गठन की अनुशंसा की है। केंद्र और राज्यों दोनों को एनसीआरसी में प्रतिनिधित्व दिया जाना था जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की जानी थी और इसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष और कुछ मुख्य मंत्रियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना था। एनएफसीआर की संचित निधि 700 करोड़ रुपए की थी जिसमें केंद्र और राज्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि में 75:25 के अनुपात में अशंदान किया जाना था।

9.6 असाधारण प्रचंडता की आपदाओं के मुद्दे पर चर्चा करते समय ईएफसी ने अवलोकित किया कि एनएफसीआर की योजना के अंतर्गत राज्यों को समिति से किसी राहत का आवंटन किए जाने से पहले एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना था। यह भी इंगित किया गया कि ऐसे अवसर रहे हैं जब राहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय दलों और अंतर-मंत्रालयीन समूहों की अनुशंसाएं या तो स्वीकार नहीं की गई अथवा आशोधित कर दी गई तथा राहत की राशि कम कर दी गई। ईएफसी ने यह भी अवलोकित किया कि एनएफसीआर की संचित निधि पूरे पांच वर्ष तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं थी; यह पहले तीन वर्षों अर्थात 1995-98 में समाप्त हो गई और इसे बढ़ाना पड़ा था। आयोग ने इस निधि को बंद करने की अनुशंसा की क्योंकि इसके परिणामस्वरुप असाधारण प्रचंडता की आपदा से निपटने में तत्काल निधियां उपलब्ध नहीं हो सकी थीं। तथापि ईएफसी का विचार था कि असाधारण प्रचंडता वाली आपदा के घटित होने के मामले में राज्यों को स्वयं के बचाव के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता और केंद्र और अन्य राज्यों से भी विपदाग्रस्त राज्य को राहत प्रदान करने के लिए आगे आने की प्रत्याशा की जाती है। अतएव आयोग ने महसूस किया है कि ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिससे राज्य सरकार से किसी ज्ञापन अथवा नुकसान के तत्स्थल मूल्यांकन तथा अपेक्षित राहत की सीमा हेतु केंद्रीय दल की तैनाती की प्रतीक्षा किए बगैर केंद्र सरकार द्वारा असाधारण प्रचंडता की आपदाएं आने पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना संभव हो सके। ईएफसी ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की स्थापना की अनुशंसा की है।

9.7 ईएफसी की अनुशंसाओं पर आधारित एनसीसीएफ की वर्तमान योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के अनुवीक्षण हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनसीसीएम) की स्थापना की गई है। एनसीसीएम से प्रत्याशा है कि नियमित आधार पर ऐसी घटनाओं का अनुवीक्षण करे और क्षेत्र व जनसंख्या पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करे और यह भी मूल्यांकन करे कि क्या राज्य सीआरएफ और अपने स्वयं के संसाधनों से प्रचंड प्रकृति की आपदा के विशिष्ट मामले में राहत पहुंचाने की स्थिति में है। इसे तब स्वयं ही केंद्र सरकार को अनुशंसा करनी होगी कि आपदा प्रचंड प्रकृति की है और इसलिए केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों से सहायता के लिए पात्र है। केंद्र तब ऐसी अनुशंसा पर समुचित कार्रवाई करेगा।

(ii) इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई किसी वित्तीय सहायता को केंद्रीय करों पर विशेष अधिभार लगा कर पूरा किया जाएगा। ऐसे अधिभार/उपकर से संग्रहणों को केंद्र सरकार के लोक लेखे में सृजित अलग निधि में रखा जाएगा जिसमें आरंभिक मूल राशि के रूप में उसका अंशदान 500 करोड़ रुपए का होगा। इस निधि से व्यय की प्रतिपूति अधिभार लगा कर की जाएगी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत में राष्ट्रीय निधि में अव्ययित शेष अगली आयोजना हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु केंद्र सरकार के पास उपलब्ध होगा।

राज्यों के विचार

9.8 राज्यों ने सीआरएफ और एनसीसीएफ की योजनाओं से संबधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार नीचे दिए जा रहे हैं:

(क) सीआरएफ के आकार के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने आग्रह किया है कि निधि का आकार कम से कम 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाए। अरुणाचल प्रदेश और असम ने सीआरएफ की संचित निधियों को बढ़ाकर क्रमशः दोगुना और तिगुना करने का अनुरोध किया है। केरल ने अनुरोध किया है कि सीआरएफ को संबंधित राज्य के वार्षिक राज्य आयोजना आकार की राशि का 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। कुछ राज्यों ने अभ्यावेदन किया है कि सीआरएफ का आकार केवल औसत वार्षिक व्यय के आधार पर नियत नहीं किया जाना चाहिए। जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने मांग की है कि बारहवां वित्त आयोग आपदाओं और उनकी प्रचंडता के प्रति राज्यों की प्रवणता पर विचार करें, मध्य प्रदेश ने सूखा प्रवण क्षेत्र, अवधि, आवधिकता और अन्य संबद्ध कारकों पर विचार करने का सुझाव दिया। बिहार ने अनुरोध किया कि राहत के मानदंडों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पुनर्बहाली हेतु प्रावधान के अनुसार प्रभावित जनसंख्या के आधार पर सीआरएफ का आकार नियत किया जाए। इसने यह भी कहा कि सीआरएफ का आकार कितना ही हो मुद्रास्फीति के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने भी सुझाव दिया है कि सीआरएफ का आकार तय करते समय सघनता, नियमितता और अपेक्षित राहत की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान ने सुझाव दिया है कि आपदा राहत निधि में राज्यों के अंशदान को घटाकर 10 प्रतिशत किया जाए, जबकि उत्तर प्रदेश ने इसे 15 प्रतिशत पर रखने का सुझाव दिया है। असम, नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर का मत यह है कि सम्पूर्ण निधियन केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश ने सुझाया है कि पिछड़े राज्यों से निधि में अंशदान नहीं कराया जाए अथवा वैकल्पिक रूप से उनके अंशदान को 10 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। त्रिपुरा विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों को निधि में अंशदान करने से मुक्त चाहता है। इसी प्रकार, उत्तरांचल ने सुझाव दिया है कि उत्तरांचल जैसे आपदा-प्रवण राज्य के लिए, जोकि राजकोषीय रूप से भी लाभवंचित है, संपूर्ण राहत केन्द्र से 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में आनी चाहिए। मणिपुर ने आग्रह किया है कि राज्य द्वारा सामना किए जाने वाले राजकोषीय दबाबों के प्ररिप्रेक्ष्य में, उसके मामले में आपदा राहत कोष में संपूर्ण अंशदान केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) राहत प्रदान करने के लिए, राज्यों द्वारा अनेक आपदाओं का सुझाव दिया गया है। इनमें से अधिकतर क्षेत्र-विशिष्ट हैं और केवल उन्ही राज्यों द्वारा सुझाए गए हैं, जो इन आपदाओं से प्रभावित होते हैं। आपदा राहत कोष के अन्तर्गत वर्तमान छः आपदाओं (राज्यों के नाम कोष्ठक में दिए गए हैं) के अलावा, सुझाई गई आपदाएं हैं:- भूस्खलन (अरुणाचल प्रदेश, असम और तमिल नाडु), भू-क्षरण (असम), गर्म और ठंडी लहरें (बिहार, हरियाणा, उड़ीसा), बिजली चमकना (हरियाणा), कीट आक्रमण (पंजाब, तमिलनाडु), पानी जमा होना (पंजाब), बांस फ्लॉवरिंग (मिजोरम) और नदियों के मार्ग में परिवर्तन (बिहार)।

(घ) आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, प. बगांल और उत्तर प्रदेश ने क्षतिग्रस्त अवसंरचना की पुनःबहाली और उन्हें पूर्व-आपदा स्तर पर लाने के लिए व्यय पूर्ति की अनुमति राज्यों को देने का अनुरोध किया है। आपदा राहत निधि से पूरा किए जाने वाले राहत व्यय के लिए निर्धारित मानकों के मुद्दे पर, राज्यों ने योजना के लचीलेपन के लिए उनमें रियायत हेतु अभ्यावेदन किया है। आंध्र प्रदेश के अनुसार, प्रचण्ड सूखे की स्थिति में, पूंजीगत कार्यो जैसे कुओं का खोदा जाना, पम्पों के संस्थापन आदि पर व्यय के लिए मानकों में रियायत की जा सकती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने सुझाव दिया है कि राहत कार्य के निरीक्षण के लिए स्थापना पर व्यय भी आपदा राहत कोष पर एक वैध प्रभार होना चाहिए।

(ङ) छत्तीसगढ़ और गुजरात ने सुझाव दिया है कि परिसमापन के आधार पर निधि में अभिवृद्धि के निवेश के मामले में राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता की अनुमति दी जाए। जहां गुजरात ने निधि को राज्यों के लोक खातों में रखने का सुझाव दिया है, छत्तीसगढ़ इस मामले में राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है, जिसमें उसे राज्यों के लोक खातों में रखने की स्वतन्त्रता शामिल है। उत्तर प्रदेश ने अभ्यावेदन किया है कि परिसमापन के उद्देश्य के लिए और निधियों पर निवेश के पर्याप्त प्रतिफल के लिए, निवेश पैटर्न को राज्य स्तरीय समितियों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(च) राज्यों ने एनसीसीएफ को जारी रखने का सुझाव दिया है, परन्तु वर्धित संचित निधि के साथ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और प. बंगाल का मत है कि एनसीसीएफ की संचित निधि अपर्याप्त है और उसे उपयुक्त रूप से बढ़ाना चाहिए। केरल ने सुझाव दिया है कि निधि की संचित निधि को राज्यों को आपदा राहत निधि के केन्द्रीय साझे के रूप में अंतरित कुल राशि के 10 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के अनुसार, एनसीसीएफ के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक मूल राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

(छ) केरल का मत है कि असाधारण प्रचन्ड विपत्तियों को विपत्तियों के विभिन्न प्रकारों और प्रबलता के मापकों के लिए पैरामीटरों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि विवेकाधिकार और विलम्ब को न्यूनतम किया जा सके। उड़ीसा ने यह विचार व्यक्त किया है कि असाधारण प्रचंडता वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निधियन और पुर्नवास लचीला और पर्याप्त और किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए।

केन्द्र सरकार के विचार

9.9 गृह मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में, पश्च-विपत्ति राहत से पूर्व विपत्ति तैयारी और प्रशमन पर संकेन्द्रण करने का मामला उठाया है। मंत्रालय ने तैयारी और प्रशमन पहलुओं के लिए आपदा प्रशमन निधि नामक एक विशिष्ट कोष के गठन का सुझाव दिया है, जिसे गृह मंत्रालय के अधिकारक्षेत्रातंर्गत रखा जाएगा। गृह मंत्रालय के ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं के आधार पर, व्यय के मानकों को संशोधित किया गया है। अब राज्यों को, राज्यों द्वारा गठित खोज और बचाव दलों के लिए खोज और बचाव उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष आपदा राहत निधि में अतर्वाहों का 10 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय इसे अभिमुखीकरण में परिवर्तन के रूप में विशेषज्ञों के दलों के प्रशिक्षण के लिए आपदा राहत निधि के प्रयोग की अनुमति की व्यवस्था के साथ तैयारी के लिए सीआरएफ के प्रयोग की अनुमति मानता है। दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय का मत यह है कि आपदा राहत निधि एनसीसीएफ का संकेन्द्रण मुख्यतया आपदा राहत और विपत्ति प्रशमन पर रखा जाना आवश्यक है; पुनर्निर्माण और ऐसे अन्य क्रियाकलापों का निधियन अलग से सुभिन्न आयोजनागत स्कीमों के रूप में किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय का विचार यह है कि पूर्व में हुए औसत व्यय के आधार पर आपदा राहत निधि के आकार को निर्धारित करने की वर्तमान प्रक्रिया अधिक गरीब राज्यों और उन राज्यों पर अधिक भार डालती है जो अधिक सावधानीपूर्वक आपदा राहत निधि से व्यय उपगत करते हैं। अतः मंत्रालय ने अनुशंसा की है कि आपदा राहत निधि के आकार के निर्धारण के लिए वर्तमान मानदंड के अतिरिक्त राज्यों की भेद्यता/संकट पार्श्वचित्र गरीबी की स्थिति, पिछले दस वर्षों में विपत्तियों के कारण हानियों की राशि आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्य सुझाव सीआरएफ/एनसीसीएफ से राहत के लिए पात्र आपदाओं की सूची में भू स्खलन और हिम वर्षा को शामिल करने और एनसीसीएफ से संघ राज्य क्षेत्रों को राहत के लिए प्रावधान देने से संबंधित हैं; क्योंकि राज्यों द्वारा एनसीसीएफ की संचित निधि में कोई अंशदान नहीं किया जाता।

अनुशंसाएं

9.10 राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के मतों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि आपदा राहत निधि योजना ने राज्यों की तत्काल राहत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को कुल मिलाकर पूरा किया है। तदनुसार, हम भी आपदा राहत कोष की योजना को इसके आगे सुझाए गए कुछ लघु परिवर्तनों के साथ, उसके वर्तमान रूप में जारी रखने की अनुशंसा करते हैं।

9.11 आपदा राहत कोष के आकार के निर्धारण के उद्देश्य से, 1993-94 से 2002-03 तक के वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत उपगत राहत व्यय को ध्यान में रखा गया है, चूंकि 2003-04 के लिए आंकड़े केवल संशोधित अनुमानों के रूप में उपलब्ध थे। इस प्रयोजनार्थ, एनसीसीएफ से आबंटनों को छोड़ा गया है। इसके पश्चात् आपदा राहत निधि के आकार के निर्धारण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की कार्यप्रणाली का अनुसरण किया गया है। इन वर्षों के दौरान किए गए कुल व्यय के औसत को 2003-04 के लिए परिकल्पित आंकड़े के रूप में अपनाया गया है और 2009-10 तक प्रत्येक वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की 5 प्रतिशत की वार्षिक दर को जोड़ा गया है। यह नोट किया गया कि कुछ वर्षों में, कतिपय घटनाओं के कारण (जैसे गुजरात में भूकंप और उड़ीसा में महा चक्रवात) जो हो सकता है कि पंचाट अवधि के दौरान फिर न हो, कुछेक राज्यों का व्यय विचारणीय रूप से बढ़ा है। यह भी माना गया है कि राहत उपलब्ध कराने के मानदंड के रूप में व्यय से उन राज्यों के साथ न्याय नहीं होता, जो आवश्यकता के बावजूद निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण खर्च करने में असमर्थ हैं। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे "निम्न-आय" वाले राज्यों की आबंटन के लिए, ग्यारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि के कुल आकार के दस प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान किया था। हमारे विचार में, निम्न आय वाले राज्यों की समस्या अब भी वहीं है और हमने इस पहलू का ध्यान अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त आंबटन उपलब्ध कराकर रखा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के नव-सृजित राज्यों को आबंटन क्षेत्र के अनुपात के आधार पर किए गए हैं। हमने पाया कि उत्तरांचल के मामले में, क्षेत्र के आधार पर औसत राहत व्यय का परिकलन और उसके एक विशिष्ट श्रेणी वाले राज्य के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान देने से राज्य के साथ

पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। पहली बार है कि उत्तरांचल की आपदा राहत निधि के आकार का निर्धारण किया जा रहा है। क्षेत्र, भूभाग और जलवायु स्थितियों में हिमाचल प्रदेश से तुलनीय होने पर भी उत्तरांचल की जनसंख्या अधिक है। इसीलिए, उत्तरांचल की आपदा राहत निधि में हिमाचल प्रदेश की तुलना में कुछ हद तक समरूपता लाने के लिए, उसके आबंटन को 144 करोड़ रुपए की राशि द्वारा बढ़ाया गया है। इन सभी पर विचार करते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए 2005-06 से 2009-10 तक आपदा राहत निधि के आकार का निर्धारण किया गया है। अतः आपदा राहत कोष का आकार ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में 11007.59 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर हमारे आंबटन के अंतर्गत 21333.33 करोड़ रुपए हो गया है। केन्द्र का अंशदान 8255.69 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया । यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक राज्य के लिए हमारे द्वारा अनुशंसित किया गया, आपदा राहत निधि का आकार, मुद्रास्फीति के लिए सूचकांकन के पश्चात् भी ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किए गए आकार से बड़ा है। इससे सीआरएफ का आकार बढ़ाने की राज्यों की मांग और मुद्रास्फीति के लिए व्यवस्था करने की मांग पूरी हो जाती है। तथापि, हम राज्यों और गृह मंत्रालय के अन्य कारकों जैसे राज्यों की आपदाओं के लिए प्रवणता और उनकी प्रचण्डता और पिछले दस वर्षों में विपत्तियों के कारण हुई हानियों की राशि, को ध्यान में रखने के सुझावों से सहमत होने की ओर प्रवृत्त नहीं है। हम इस मामले में, ग्याहरवें वित्त आयोग के विचारों का समर्थन करते हैं कि ये सभी कारक एक समयावधि के दौरान मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत हुए राहत व्ययों पर आकड़ों में तर्कसंगत रूप से शामिल हैं।

हम राज्यों की आपदा राहत निधि में राज्यों के अंशदान को कम करने से संबंधित सुझावों से भी सहमत नहीं हैं। आपदा राहत निधि में राज्यों का स्वयं का अंशदान राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना भरता है और निधि से फिजूल व्यय करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। इसीलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि केन्द्र और राज्य आपदा राहत निधि में क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक का अंशदान जारी रखेंगे।

9.12 हम आपदाओं की सूची का विस्तार करने में विचारणीय न्यायसंगतता पाते हैं, जिन्हें हमारी अनुशंसाओं द्वारा शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा की परिभाषा का, जैसे वह वर्तमान में प्रयोज्य है, भू स्खलन, हिमवर्षा, बादल का फटना और कीट आक्रमण तक विस्तार किया जाएगा। यद्यपि हमारे विचारार्थ विषयों में "विपत्ति" शब्द शामिल है, हम इस शब्द के विषयक्षेत्र का और अधिक विस्तार व्यवहार्य नहीं समझते। अन्य विपत्तियों, रासायनिक और औद्योगिक, और वायु/रेलवे दुर्घटनाओं का संबंधित मंत्रालयों द्वारा ध्यान रखा जाना जारी रहेगा।

9.13 अवसंरचना और पूंजीगत परिसंपत्तियों की बहाली पर व्यय, वर्जित रहना जारी रहेगा, क्योंकि आपदा के घटित होने पर राज्यों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हुए व्यय के अलावा अन्य कोई भी व्यय, न केवल आपदा राहत निधि पर अतिरिक्त भार डालेगा बल्कि आपदा राहत निधि की योजना को नुकसान पहुंचाने वाले राज्यों की ओर से फिजूल व्यय के रूप में परिणामित होगा। क्षतिग्रस्त अवसंचरना की बहाली की नए मानकों द्वारा योजना बनानी होगी, जिसका परिकलन क्षति पहुंचाने वाली घटना के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् होगा तथा साथ ही ऐसा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके किया जाना है जो स्पष्टतः किसी तत्काल राहत कार्यक्रम के भाग के रूप में संभव नहीं है।

9.14 कई राज्यों और गृह मंत्रालय ने भी विपत्ति की तैयारी और प्रशमन से संबंधित आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। हम इस बात से सहमत हैं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसपर विचार किया जाना आवश्यक है। परन्तु इसे राज्य योजना में अंतनिर्मित किए जाने की आवश्यकता है, जैसाकि प्रचलन रहा है । सीआरएफ/एनसीसीएफ का संकेन्द्रण मुख्यतया आपदा राहत पर होना चाहिए। विपत्ति तैयारी के संबंध में, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए संकट के मापन का सुझाव दिया गया है। इस संदर्भ में, देश की भूभौतिकीय और कृषिय-मौसम वैज्ञानिकता को देखते हुए, विभिन्न राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले संकटों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों वाली एक समिति का गठन करना उपयोगी होगा।

9.15 आपदा राहत निधि में पड़ी अव्ययित निधि के निवेश और सीआरएफ से राहत व्यय करने के लिए मदों/मानकों के संबंध में, वर्तमान व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप से भी हम इन्कार करते हैं। तथापि, हम सुझाते हैं कि वित्त मंत्रालय सीआरएफ में पड़ी निधियों के निवेश के मुद्दे पर पुर्नविचार करे और राज्यों को आवश्यक दिशानिर्देश दे, बशर्ते कि ये दिशानिर्देश वर्तमान योजना के विस्तृत ढांचे के विपरीतार्थक न हों।

9.16 हम एनसीसीएफ की योजना को जारी करने के संबंध में राज्यों के सुझावों से सहमत हैं। अतः हम अनुशंसा करते हैं कि एनसीसीएफ की योजना अपने वर्तमान रूप में जारी रहे। योजना, गुजरात भूंकम्प और अन्य स्थितियों के निवारण में, जो राज्यों के नियंत्रण से बाहर थीं, सफल रही है।

निधि जमा करने के मोर्चे पर भी, योजना समय की परीक्षा में सफल रही है क्योंकि किसी विशिष्ट समय-बद्ध अधिभार की अनुपस्थिति में, प्रत्येक वर्ष निधि की पूर्ति सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अधिरोपित राष्ट्रीय आपदा आक्समिकता शुल्क के माध्यम से हो जाती है। यह शुल्क अनन्य रूप से एनसीसीएफ की पूर्ति के लिए होता है और वर्ष 2004-05 के लिए इससे 1769 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। एनसीसीएफ में यह वार्षिक अभिवृद्धि उसकी संचित निधि के निर्माण में मदद करती है।

9.17 एनसीसीएफ में निधियों की अपर्याप्तता और 500 करोड़ रुपए की संचित निधि को बढ़ाने के संबंध में हमने राज्यों के मतों पर विचार किया है। चूंकि एनसीसीएफ की योजना का निधियन तंत्र किसी भी व्यय के कारण निधि की तत्काल और समकालिक पूर्ति की व्यवस्था करता है, असाधारण प्रचण्डता की आपदा के घटित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई किसी भी दुर्घटना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उचित प्रतीत होती है। अतः हम एनसीसीएफ की संचित निधि में संवृद्धि के लिए कोई न्यायसंगतता नहीं पाते।

9.18 आयोग ने विशेषतया हाल के वर्षों में राज्यों में सूखे की स्थितियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों के आंवटन को नोट किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीआरएफ

के तुलनीय वित्तीय प्रमात्रा की अपनी स्वयं की एक योजना बनाई है। इस योजना में मुफ्त अन्न और रोजगार निरंतरता के लिए नकदी का आश्वासन दिया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा घोषित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को अनेक राज्यों, विशेषकर आंध्रप्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में राहत कार्यक्रमों के साथ एकीकृत कर दिया गया था। दिनांक 15.8.2001 को एसजीआरवाई की घोषणा की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए का 50 लाख टन खाद्यान्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिवर्ष मुफ्त उपलब्ध कराया जाना था। हाल के वर्षों में, राजस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना का सबसे बड़ा उल्लेखनीय लाभभोगी रहा है क्योंकि यह 2003 में सात मिलियन व्यक्तियों के लिए काम सृजित करने में सक्षम रहा था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने मंत्रालय की योजना का काफी लाभ उठाया है। इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों को आवंटन यद्यपि अधिक नहीं रहा है फिर भी सीआरएफ के अंतर्गत वार्षिक आवंटन से तुलनीय है। केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन पर व्यय सूखे अथवा अन्य आपदाओं के परिणामस्वरूप उसे न्यून करने के लिए आवश्यक रूप से राहत व्यय है और केंद्र सरकार इस बारे में पारदर्शी नीति बनाकर ऐसे आवंटन जारी रख सकती है।

9.19 पूर्ववर्ती आयोगों ने उपयुक्त बीमा योजना का विकास करते हुए आपदाओं के प्रभाव को कम करने की संभावना का पता लगाया था। नौवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में यह अपेक्षित था कि राष्ट्रीय बीमा निधि के गठन की व्यवहार्यता की जांच करे जिसमें राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का कुछ प्रतिशत अंशदान करें। तथापि, आयोग ने अवलोकित किया है कि आपदा राहत के लिए बीमा निधि की संकल्पना इस आधार पर न तो जीवक्षम है और नहीं व्यवहारिक है कि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नुकसान का मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया अनिवार्यतः जटिल और समय लेने वाली होगी जिससे प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाने का वास्तविक प्रयोजन व्यर्थ हो जाता। ईएफसी को भी बीमा कवच की संकल्पना व्यावहारिक प्रतीत नहीं हुई जिसमें प्रीमियम पूर्णतया केंद्र और राज्यों द्वारा अदा किया जाएगा। तथापि, आयोग ने अनुभव किया कि फसल बीमा योजना विशेषतया प्राकृतिक आपदाओं के समय संबंधित किसानों की सहायता रहेगी और इसीलिए इसने इस योजना को मजबूत करने का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु ने बारहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि प्रभावित जनसंख्या को राहत प्रदान करने के लिए एक बीमा योजना की अनुशंसा करे।

9.20 हम इस मुद्दे पर नौवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोगों के विचारों का समर्थन करते हैं क्योंकि कोई भी बीमा योजना, जिसका प्रीमियम केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा अदा किया जाना है, प्रभावित जनसंख्या को कोई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए बिना वर्षानुवर्ष उनपर भारी बोझ डालेगी। तथापि, केन्द्र एवं राज्य सरकारें संवेदनशील क्षेत्रों में निजी आस्तियों के बीमा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा योजना तथा ऋण संबद्ध बीमा योजनाएं एक ऐसा ही उपाय हैं। इसके अतिरिक्त, लघु-बीमा आज की आवश्यकता है। लघु बीमा का संदर्भ औपचारिक संस्थाओं अर्थात् बीमाकर्ताओं तथा अर्ध-औपचारिक/अनौपचारिक संस्थाओं जैसे एनजीओ, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या जैसे लघु उद्यमी, छोटे किसान तथा भूमिहीन लोग, महिलाएं तथा निम्न आय लोगों के बीमा योग्य जोखिमों से आस्तियों और जीवन की संरक्षा करने से है। यह संकल्पना देश में अभी शैशवावस्था पर है तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण लघु-बीमा विनियमों को अंतिम रूप देने तथा उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। चूंकि औपचारिक संस्थाएं जनसंख्या के केवल एक भाग को ही सेवाएं प्रदान करती हैं जो विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था के उपरी वर्ग में निहित होती है, एनजीओ तथा स्व-सहायता समूहों जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सीधे अभिगम्य हैं, को शामिल करने की कोई पहल राज्य सरकारों की पहल पर ही सर्वोत्तम रूप से की जा सकती है।

9.21 हमें आईआरडीए ने सूचित किया है कि साधारण बीमा कम्पनी ने एक "भूकम्प पूल" का सृजन करने का निर्णय किया है जो भूकम्पों के कारण होने वाली भारी हानियों के मामले में जोखिम के भार की साझेदारी करने में सभी बीमा कम्पनियों को समर्थ बनाएगी। "भूकम्प पूल" के संघटन की रुपात्मकताओं की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल का पहले ही संघटन कर लिया गया है। इस संकल्पना के तहत, बीमाकर्ता भूकम्प प्रीमियम को पूल में विपथित करेंगे। ऐसी योजना प्रपात की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जनता को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह आशा है कि इस प्रकार का बीमा समाधान प्रभावित जनसंख्या को आपदा राहत के सुव्यवस्थित वितरण में परिणामित होगा।

9.22 संक्षेप में, हमारी अनुशंसाएं निम्न प्रकार हैं :-

(क) सीआरएफ की योजना को केन्द्र तथा राज्य में 75:25 के अनुपात में अंशदान के साथ इसके वर्तमान रूप में जारी रखा जाए।

(ख) हमारी अवार्ड अवधि के लिए सीआरएफ का आकार 21333.33 करोड़ रुपए परिकलित किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, वर्तमान में चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़ तथा ओलावृष्टि पर यथा प्रयोज्य प्राकृतिक आपदा की परिभाषा को विस्तारित कर उसमें भू-स्खलन, हिमप्रपात, बादल फटने तथा कीट आक्रमणों को शामिल किया जाए।

(घ) आपदा तैयारी तथा प्रशमन आवश्यकताओं के लिए प्रावधान को राज्य योजनाओं में अंतनिर्मित किया जाना आवश्यक है, न कि आपदा राहत के भाग के रूप में ।

(ङ) राज्यों के समक्ष आने वाले खतरों का अध्ययन करने तथा उनका परिमाणन करने के लिए वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों से युक्त एक समिति का गठन किया जाए।

(च) एनसीसीएफ की योजना 500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय संचित निधि के साथ अपने वर्तमान रूप में जारी रखी जाए। निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के संग्रहण तथा विशेष अधिभार के उद्ग्रहण के रूप में जारी रखी जाए।

(छ) केन्द्र राहत उपाय के रूप में जरुरतमंद राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन करना जारी रखेगा किन्तु इस संबंध में एक सुस्पष्ट पारदर्शी नीति की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अध्याय 10

राज्यों को सहायता अनुदान

10.1 विचारार्थ विषय (टीओआर) के पैरा 4(ii) में हमसे उन सिद्धांतों पर सिफारिशें प्रदान करने की अपेक्षा की गई थी जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान तथा ऐसे राज्यों को की जाने वाली राशियों के भुगतान को शासित करे जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत इसके खंड (1) के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से इतर उनके राजस्वों के सहायता अनुदान अनुदान के जरिए मदद की जरूरत है।

सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत

10.2 चूंकि भारत में अनुदान की व्यवस्था जारी है, इसलिए केन्द्र से राज्यों को अनुदान का प्रवाह तीन तरीके से होता है। पहली व्यवस्था में सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदान किया जाता है। दूसरी श्रेणी में आयोजना अनुदान शामिल हैं जिसके अंतर्गत योजना आयोग द्वारा निर्णीत राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु आयोजना अनुदान प्रदान करना शामिल है। तीसरे प्रकार का अनुदान यद्यपि मात्रा में काफी कम है, लेकिन इसमें अनिवार्यतः केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों को आयोजना भिन्न पक्ष पर विवेकाधीन अनुदान शामिल है।

10.3 वित्त आयोग के पास ऐसे राज्यों के संबंध में राजस्वों के सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांतों तथा राशियों के बारे में सिफारिशें प्रदान करने का अधिदेश है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के उपबंधों के अनुसार सहायता की जरूरत है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, औसत अथवा अन्य वांछनीय मानदंडों के संबंध में इन सेवाओं का मानदंड तथा इन आवश्यकताओं की स्वयं के राजस्वों द्वारा पूर्ति की सीमा के संबंध में आवश्यकताओं का मूल्यांकन अपेक्षित है। जैसाकि अध्याय 2 तथा 6 में बताया गया है, व्यय की आवश्यकताओं तथा राज्यों के अपने राजस्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इन मूल्यांकनों को करते समय, एक मुद्दा यह है कि क्या राज्यों की उनके आयोजना लेखों के संबंध में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोजना आवश्यकताएं वार्षिक आधार पर सर्वोत्कृष्ट निर्णायक होती हैं और राज्य अपनी आयोजनाओं को योजना आयोग से जिसे आयोजना अनुदानों का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, परामर्श कर निर्धारित करते हैं।

10.4 जैसाकि अध्याय 4 में बताया गया है, हमने राज्य आजोनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में एक सिफारिश की है। वर्तमान में, सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्य श्रेणी वाले राज्यों को केन्द्र द्वारा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत ऋण तथा 90 प्रतिशत अनुदान) के रूप में प्रदान की जाती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई सामान्य श्रेणी वाला राज्य केन्द्र से 30 रुपए का अनुदान चाहता है तो उसे केन्द्र से ही 70 रुपए का उधार लेना आवश्यक है और साथ ही यह भी कि ब्याज दर अक्सर खुले बाजार दर से ऊंची होती है। यह भी सर्वज्ञात है कि मौजूदा आयोजना प्रक्रिया परम्परागत तौर पर आयोजना के आकार को सदैव अपेक्षाकृत बड़ा करने हेतु प्रोत्साहित करती है। इन सभी के परिणामस्वरूप राज्य, संरचनात्मक तौर पर अधिदेशित उधारों के कारण ऋण में धंसते चले जाते हैं। इसलिए वास्तव में यह सही है कि राज्यों को प्रदान किए जाने वाले आयोजना अनुदानों को केन्द्र से प्राप्त अनिवार्य ऋणों से क्यों न जोड़ा जाए। अनुदान के निर्धारण में किया जाने वाला विचार ऋण के संबंध में निर्धारण किए जाने की व्यवस्था से भिन्न होता है और इसे होना भी चाहिए। चूंकि आयोजना संबंधी लगभग संपूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा उधार ली गई निधियों से पूरा किया जाता है, इसलिए आयोजना सहायता के रूप में केन्द्रीय ऋण अनावश्यक तौर पर केन्द्र का राजकोषीय घाटा (एकल आधार पर) बढ़ाते हैं। इन परिस्थितियों में, हमें सामान्य श्रेणी के राज्यों के संबंध में आयोजना सहायता प्रदान करने हेतु ऋण अनुदानों के बीच 70:30 के अनुपात (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 10:90) को अधिरोपित करने की प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर, योजना आयोग अपने को राज्यों को प्रदान किए जाने वाले आयोजना अनुदानों तक सीमित रखे और राज्यों पर यह निर्णय करने का अधिकार छोड़े कि वे कितनी मात्रा में अर्थात् केन्द्र से अथवा खुले बाजार से उधार लेना चाहते हैं। राज्यों को उधार देने की प्रक्रिया में केन्द्र की यह "अमध्यवर्ती" व्यवस्था अंततः केन्द्र से उधार देने की संरचनात्मक बाध्यता को हटाते हुए राज्यों के स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का अपेक्षाकृत बेहतर सुनिश्चय करेगी। इससे वास्तव में केन्द्र को भी लाभ मिलेगा क्योंकि इससे केन्द्र का राजकोषीय घाटा भी घटेगा।

वित्त आयोग अनुदान

10.5 राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करते समय, राज्यों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया। राज्य सरकारों से बातचीत के दौरान यह ध्यान में आया कि वे सहायता अनुदान की अपेक्षा कर सुपुर्दगी के रूप में वित्त आयोग के अंतरणों का अपेक्षाकृत अधिक भाग आवंटित किए जाने के पक्ष में है। राज्यों का अनुभव है कि कर सुपुर्दगी हकदारी का मामला है, इसलिए अपने इस स्वरूप के कारण यह शर्त रहित है।

10.6 इसी कारण, अनुदानों के राजकोषीय अंतरण के साधन के रूप में कई अद्वितीय विशेषताएं हैं। पहला, इनका निर्धारण सापेक्ष रूप में किया जाता है और इसलिए राशि ज्ञात रहती है। दूसरा, इन्हें बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सकता है। तीसरा, इन्हे निर्धारित करते समय लागत निर्योग्यताओं तथा पुनर्वितरण बातों जिनका कर

सुपुर्दगी फार्मूले में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा गया है, को बेहतर तरीके से विचार में रखा जा सकता है। इन कारणों से, हमने समग्र वित्त आयोग अंतरणों में अनुदानों के संबंध में बेहतर भूमिका के निर्वहन की अनुमति प्रदान की है। जैसाकि बाद के अध्याय में किए गए विचार विमर्श से स्पष्ट होगा, हमारी सिफारिश में कर सुपुर्दगी के संबंध में अनुदानों का सापेक्ष हिस्सा पिछले आयोग की तुलना में बढ़ा दिया गया है। इसे सारणी 10.1 से देखा जा सकता है।

10.7 राज्यों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा विकास संबंधी चिन्ताओं के आधार पर अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान की सिफारिश निम्नानुसार की गई हैः

(i)	सुपुर्दगी-पश्च आयोजना भिन्न	56,856 करोड़ रुपए
(ii)	स्वास्थ्य क्षेत्र	5,887 करोड़ रुपए
(iii)	शिक्षा क्षेत्र	10,172 करोड़ रुपए
(iv)	सड़क तथा पुलों का रख-रखाव	15,000 करोड़ रुपए
(v)	भवनों का रख-रखाव	5,000 करोड़ रुपए
(vi)	वनों का रख-रखाव	1,000 करोड़ रुपए
(vii)	विरासत संरक्षण	625 करोड़ रुपए
(viii)	राज्य विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं	7,100 करोड़ रुपए
(ix)	स्थानीय निकाय	25,000 करोड़ रुपए
(x)	आपदा राहत	16,000 करोड़ रुपए
	कुल वित्त आयोग अनुदान	1,42,640 करोड़ रुपए

पहले आठ मदों का इस अध्याय में उल्लेख है जबकि शेष दो को क्रमशः अध्याय 8 तथा 9 में पहले ही कवर किया जा चुका है।

सुपुर्दगी-पश्च आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा

10.8 आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे को शामिल करने हेतु सहायता अनुदान सामान्यतः वित्त आयोग के अनुदानों का सबसे बड़ा संघटक रहा है। इसका उद्देश्य उन राज्यों को अनुदान प्रदान करना रहा है जो प्रामाणिक आधार पर किसी भी वर्ष में सुपुर्दगी-पश्च आयोजना भिन्न राजस्व घाटे के रूप में अनुमानित है ताकि प्रामाणिक आधार पर मूल्यांकित घाटे की व्यवस्था की जा सके। यहां इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः अंतर पूर्ण करने संबंधी दृष्टिकोण से भिन्न है। बाद के मामले में, घाटे का मूल्यांकन राज्यों की राजकोषीय प्रवृत्ति में बिना किसी सुधार के किया गया है। हमने जैसाकि पिछले आयोगों में किया है, एक प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाया है जो राजकोषीय क्षमता में कमी को सुधारने का सुनिश्चय करती है लेकिन अपर्याप्त राजस्व प्रयास अथवा अतिरिक्त व्यय को प्रोत्साहित नहीं करती।

10.9 प्रत्येक राज्य के संबंध में पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटे का मूल्यांकन अध्याय 6 में प्रामाणिक तौर पर किया गया है। सारणी 10.2 उस प्रक्रिया का परिणाम उपलब्ध कराती है।

10.10 जैसाकि सारणी 10.2 में दिखाया गया है, सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों को प्रामाणिक अनुमान के आधार पर सुपुर्दगी-पश्च परिदृश्य में अवार्ड अवधि के प्रत्येक पांच वर्षों में आयोजना भिन्न राजस्व घाटा रखना पड़ेगा। विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों के मामले में, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र का मूल्यांकन किया गया है जो प्रत्येक पांच वर्षों में पूर्व-सुपुर्दगी अधिशेष रख रहे हैं। तमिलनाडु वर्ष 2006-07 से आगे अधिशेष रखेगा जबकि आन्ध्र प्रदेश का अंतिम वर्ष में अधिशेष रखना अनुमानित है।

10.11 अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य का कर सुपुर्दगी में हिस्सा अध्याय 7 में आंका गया है। राज्यों की सुपुर्दगी-पश्च स्थिति को सारणी 10.3 में दिखाया गया है।

10.12 सारणी 10.3 से यह स्पष्ट होता है कि असम और सिक्किम को छोड़कर सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों से संपूर्ण अवार्ड अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे की पूर्व सुपुर्दगी का प्रामाणिक तौर पर निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है। असम ने दूसरे वर्ष से आगे राजस्व अधिशेष का मूल्यांकन कर लिया है तथा सिक्किम से अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष में राजस्व अधिशेष रखने की अपेक्षा है। केरल, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर गैर-

सारणी 10.1

वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अंतरण

(करोड़ रुपए)

आयोग	अवधि	सहायता अनुदान		करों में हिस्सा		कुल
		राशि	प्रतिशत हिस्सा	राशि	प्रतिशत हिस्सा	राशि
सातवां	1979-84	1609.92	7.72	19233.05	92.28	**20842.97**
आठवां	1984-89	3769.43	9.55	35682.58	90.45	**39452.01**
नौवां*	1989-95	11030.38	9.96	99667.64	90.04	**110698.02**
दसवां	1995-00	20300.30	8.96	206343.00	91.04	**226643.30**
ग्यारहवां	2000-05	58587.39	13.47	376318.01	86.53	**434905.40**
बारहवां	2005-10	142639.60	18.87	613112.02	81.13	**755751.62**

*** नौवां वित्त आयोग में छह वर्ष शामिल हैं और इसके अलावा, 9000.83 करोड़ रुपए (ऊपर शामिल नहीं हैं) के आयोजना अनुदान की भी व्यवस्था की गई है।**

सारणी 10.2

पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा (-)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	-2252.29	-1171.68	-2815.30	-1407.41	287.30	**-7359.38**
अरुणाचल प्रदेश	-535.21	-564.47	-639.05	-671.81	-714.68	**-3125.22**
असम	-3263.86	-3356.94	-3730.26	-3794.54	-3838.37	**-17983.97**
बिहार	-8327.27	-8623.72	-9412.75	-9719.92	-10130.36	**-46214.02**
छत्तीसगढ़	-196.11	-60.14	-545.04	-380.84	-170.77	**-1352.90**
गोवा	70.76	196.17	306.34	502.52	746.19	**1821.98**
गुजरात	99.15	1447.25	1872.02	3945.18	6371.47	**13735.07**
हरियाणा	2172.96	2948.57	3385.95	4484.74	5791.17	**18783.39**
हिमाचल प्रदेश	-2641.47	-2653.65	-2748.04	-2712.79	-2649.65	**-13405.60**
जम्मू और कश्मीर	-3576.54	-3722.12	-4010.51	-4181.68	-4304.32	**-19795.17**
झारखंड	-531.12	-457.31	-1416.60	-1357.60	-1360.13	**-5122.76**
कर्नाटक	2612.70	4517.46	5194.17	7956.95	11267.78	**31549.06**
केरल	-2907.35	-2415.69	-3137.66	-2444.79	-1562.85	**-12468.34**
मध्य प्रदेश	-1979.58	-1463.29	-2008.59	-1336.55	-468.17	**-7256.18**
महाराष्ट्र	73.08	2604.01	4367.63	8009.66	12262.34	**27316.72**
मणिपुर	-1139.43	-1220.17	-1323.99	-1418.62	-1511.21	**-6613.42**
मेघालय	-715.93	-747.43	-838.93	-868.32	-902.86	**-4073.47**
मिजोरम	-755.73	-806.72	-892.27	-964.16	-1025.43	**-4444.31**
नागालैंड	-1234.13	-1312.98	-1440.34	-1531.46	-1631.26	**-7150.17**
उड़ीसा	-5207.47	-5272.97	-6117.81	-6190.06	-6300.37	**-29088.68**
पंजाब	-2744.68	-2282.59	-2213.66	-1506.75	-619.22	**-9366.90**
राजस्थान	-5098.50	-4666.61	-5046.73	-4396.04	-3461.81	**-22669.69**
सिक्किम	-274.39	-284.71	-325.56	-335.53	-360.02	**-1580.21**
तमिलनाडु	-785.96	539.66	1095.37	3229.94	5874.47	**9953.48**
त्रिपुरा	-1433.25	-1512.35	-1637.01	-1723.12	-1814.56	**-8120.29**
उत्तर प्रदेश	-12448.30	-11744.71	-12338.20	-11072.60	-9624.16	**-57227.97**
उत्तरांचल	-1971.60	-2047.40	-2243.08	-2289.28	-2325.54	**-10876.90**
पश्चिम बंगाल	-8892.12	-7993.98	-7309.07	-5679.90	-3626.73	**-33501.80**
कुल राज्य (घाटा)	**-68912.29**	**-64381.63**	**-72190.45**	**-65983.77**	**-58402.47**	**-329870.61**
कुल राज्य (अधिशेष)	**5028.65**	**12253.12**	**16221.48**	**28128.99**	**42600.72**	**104232.96**

विशेष श्रेणी वाले अधिकांश राज्यों में संपूर्ण अवार्ड अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष की सुपुर्दगी-पश्च की व्यवस्था है। केरल तथा उड़ीसा ने अवार्ड अवधि के केवल पहले वर्ष में घाटे का अनुमान लगाया है जबकि पश्चिम बंगाल में पहले दो वर्षों में और पंजाब में पहले तीन वर्षों में, अधिशेष की स्थिति से पूर्व, घाटे का अनुमान लगाया गया है। मूल्यांकित आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे वाले राज्यों को शामिल करने के लिए, हम सारणी 10.4 में दर्शित सहायता अनुदान की वर्षवार सिफारिश करते हैं।

10.13 अवार्ड अवधि के पहले वर्ष के दौरान, पन्द्रह राज्यों के लिए 15091.86 करोड़ रुपए राशि का आयोजना भिन्न राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की जाती है। अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष तक, केवल नौ राज्य 9528.14 करोड़ रुपए की आयोजना भिन्न राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त करेंगे। समग्र तौर पर, हम अवार्ड अवधि के दौरान कुल 56855.87 करोड़ रुपए के आयोजना भिन्न राजस्व घाटे की सिफारिश करते हैं।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र

10.14 राज्यों के स्वयं के कर राजस्वों पर यथा लागू प्रामाणिक दृष्टिकोण में ऐसे राज्यों के मामले में सुधार किया गया था जहां कर-जीएसडीपी अनुपात समूह औसत की अपेक्षा कम था। यह समकारी दृष्टिकोण के अनुरूप है, यद्यपि यह कुछ सीमा तक ही है। व्यय पक्ष

सारणी 10.3

कर सुपुर्दगी पश्च आयोजना भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा (-)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	4474.35	6529.51	6021.40	8754.77	11999.27	37779.30
अरुणाचल प्रदेश	-271.84	-262.94	-293.07	-273.92	-256.11	-1357.88
असम	-305.67	29.83	155.86	674.49	1312.21	1866.72
बिहार	1757.18	2921.76	3835.05	5515.02	7428.01	21457.02
छत्तीसगढ़	2230.82	2718.40	2643.18	3285.61	4054.85	14932.86
गोवा	307.58	467.30	617.45	860.28	1158.51	3411.12
गुजरात	3362.80	5183.73	6159.42	8875.68	12053.91	35635.54
हरियाणा	3155.98	4074.00	4677.32	5969.82	7502.73	25379.85
हिमाचल प्रदेश	-2164.12	-2107.14	-2120.96	-1991.64	-1818.52	-10202.38
जम्मू और कश्मीर	-2458.56	-2446.64	-2552.18	-2510.64	-2385.44	-12353.46
झारखंड	2542.31	3061.39	2620.92	3285.53	3991.11	15501.26
कर्नाटक	6690.21	9185.72	10550.74	14117.00	18367.27	58910.94
केरल	-470.37	374.36	63.77	1236.85	2680.26	3884.87
मध्य प्रदेश	4157.22	5562.61	6053.24	7934.53	10216.81	33924.41
महाराष्ट्र	4642.56	7835.51	10370.49	14912.94	20218.41	57979.91
मणिपुर	-808.39	-841.17	-889.10	-918.50	-934.82	-4391.98
मेघालय	-376.67	-359.02	-393.24	-355.78	-312.15	-1796.86
मिजोरम	-537.19	-556.52	-605.17	-634.00	-644.91	-2977.79
नागालैंड	-993.65	-1037.66	-1124.44	-1168.17	-1212.58	-5536.50
उड़ीसा	-488.04	130.22	82.05	939.76	1916.80	2580.79
पंजाब	-1556.83	-922.64	-653.20	287.78	1448.99	-1395.90
राजस्थान	30.61	1205.60	1691.32	3352.69	5468.65	11748.87
सिक्किम	-66.81	-47.06	-52.86	-21.94	1.40	-187.27
तमिलनाडु	4065.11	6093.55	7468.14	10558.61	14320.81	42506.22
त्रिपुरा	-1041.91	-1064.30	-1122.91	-1131.90	-1133.18	-5494.20
उत्तर प्रदेश	5167.48	8423.22	10803.39	15540.17	21047.22	60981.48
उत्तरांचल	-1112.91	-1064.30	-1115.02	-992.02	-830.43	-5114.68
पश्चिम बंगाल	-2438.90	-605.82	1168.44	4069.21	7609.18	9802.11
कुल राज्य (घाटा)	**-15091.86**	**-11315.21**	**-10922.15**	**-9998.51**	**-9528.14**	**-56855.87**
कुल राज्य (अधिशेष)	**42584.21**	**63796.71**	**74982.18**	**110170.74**	**152796.4**	**444330.24**

की ओर भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। कई राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय राज्यों के संगत समूह के औसत प्रति व्यक्ति व्यय से काफी नीचे है। जहां समकारी दृष्टिकोण के पूर्ण उपयोग हेतु अपेक्षित अंतरण राशि अत्यधिक होगी, वहीं हमने दो महत्वपूर्ण कमी वाले क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया है लेकिन संगत औसत समूह तथा विशेषकर निम्न राजकोषीय क्षमता तथा अधिक जनसंख्या वाले कुछ घटक राज्यों के वास्तविक प्रति व्यक्ति व्यय के मध्य व्यापक विषमता के कारण केवल आंशिक संशोधन ही किया जा सका। अनुदानों का अनुमान लगाते समय, उन राज्यों के संबंध में सावधानी बरती गई जो आयोजना तथा आयोजना भिन्न दोनों सहित कुल राजस्व व्यय के संबंध में अनुमान लगाए गए अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर समूह औसत के बराबर राशि आवंटित करने में सक्षम नहीं रहे। इस प्रयोजनार्थ कुल व्यय ब्याज भुगतानों, पेंशन तथा नीचे वर्णित कुछ अन्य समायोजनों को घटाने के बाद किया जाता है। इस विचार को आगामी विचार विमर्श में तरजीही सुधार के रूप में जाना जाता है।

10.15 यद्यपि आयोजना पक्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, फिर भी समस्या के आकार को देखते हुए और आवश्यकताओं की दृष्टि से निधियों की उपलब्धता अभी भी कम है। इन दो क्षेत्रों में बहुत सी आयोजना स्कीमों में,

सारणी 10.4

पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा (2005-10)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	271.84	262.94	293.07	273.92	256.11	1357.88
असम	305.67	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	305.67
हिमाचल प्रदेश	2164.12	2107.14	2120.96	1991.64	1818.52	10202.38
जम्मू और कश्मीर	2458.56	2446.64	2552.18	2510.64	2385.44	12353.46
केरल	470.37	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	470.37
मणिपुर	808.39	841.17	889.10	918.50	934.82	4391.98
मेघालय	376.67	359.02	393.24	355.78	312.15	1796.86
मिजोरम	537.19	556.52	605.17	634.00	644.91	2977.79
नागालैंड	993.65	1037.66	1124.44	1168.17	1212.58	5536.50
उड़ीसा	488.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	488.04
पंजाब	1556.83	922.64	653.20	शून्य	शून्य	3132.67
सिक्किम	66.81	47.06	52.86	21.94	शून्य	188.67
त्रिपुरा	1041.91	1064.30	1122.91	1131.90	1133.18	5494.20
उत्तरांचल	1112.91	1064.30	1115.02	992.02	830.43	5114.68
पश्चिम बंगाल	2438.90	605.82	शून्य	शून्य	शून्य	3044.72
जोड़ राज्य	**15091.86**	**11315.21**	**10922.15**	**9998.51**	**9528.14**	**56855.87**

राज्य सरकारों द्वारा प्रतिरूप निधियों की आवश्यकता पूरा करने की अक्षमता भी निधियों के पूर्ण उपयोग करने में एक बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, सर्वशिक्षा अभियान की योजना के तहत राज्यों से उनके संसाधनों से 25 प्रतिशत से परिव्यय उपलब्ध कराने की अपेक्षा होती है ताकि पूर्ण रूप से केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर सकें। अधिकांश राज्य इस अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए यह महसूस किया गया कि हम इन दो क्षेत्रों हेतु उन राज्यों को विशेष सहायता अनुदान उपलब्ध कराएं जो राजकोषीय क्षमता में कमियों की वजह से इन क्षेत्रों में पर्याप्त व्यय करने में असमर्थ हैं।

10.16 इन दो क्षेत्रों के लिए अनुदान की मात्रा का अनुमान लगाते समय दो-स्तरीय प्रामाणिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। पहले दृष्टिकोण में, इन क्षेत्रों में राज्यों की कम मात्रा में व्यय तरजीहों में सुधार किया गया है। दूसरे शब्दों में, सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने कुल राजस्व व्यय (आयोजना तथा आयोजना भिन्न) का कतिपय न्यूनतम प्रतिशत प्रामाणिक तौर पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय करें। दूसरे चरण में, उन राज्यों की पहचान करना शामिल है जो अपेक्षित प्रतिशत खर्च करने के बाद भी इन दो क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय के प्रामाणिक स्तर से नीचे हैं।

10.17 इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2002-03 के संबंध में प्रत्येक राज्यों के व्यय आंकड़ों (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) की जांच की गई थी। शिक्षा के मामले में, मुख्य शीर्ष 2202 (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) के अंतर्गत राजस्व व्यय का अनुपात प्रत्येक राज्य के संबंध में इसके "समायोजित" कुल राजस्व व्यय (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) के संदर्भ में निकाला गया है। इस अनुपात को निकालते समय, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य समायोजन मदों (जिनका उल्लेख पहले ही अध्याय 6 में किया जा चुका है) से संबद्ध व्ययों को "समायोजित" कुल राजस्व व्यय में लेने हेतु आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय से हटा दिया गया था। तत्पश्चात्, औसत अनुपात विशेष तथा गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में निकाला गया। जिन राज्यों का अनुपात उनके संबद्ध समूह औसत से कम था, उन्हें शिक्षा क्षेत्र के संबंध में निम्न व्यय तरजीह के रूप में इस अर्थ में माना गया कि ये राज्य अन्य राज्यों से उनके समूह बतौर तुलना करने पर व्यय करने में (राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में) समर्थ नहीं हैं। इसलिए इस निम्न व्यय तरजीह का प्रामाणिक तौर पर संबद्ध समूह औसत अनुपात के माध्यम से उन राज्यों के संबंध में सुधार किया गया जो औसत से नीचे थे। इस समायोजन के बाद, प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 2002-03 हेतु शिक्षा से संबद्ध संशोधित प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) दोनों को मिलाकर) निकाला गया। उसके बाद विशेष तथा गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के दो समूहों हेतु औसत प्रति व्यक्ति व्यय निकाला गया। जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय उनके समूह औसत से कम था, उनकी गणना वित्तीय सहायता की जरूरत वाले राज्यों के रूप में की गई क्योंकि उनका अपेक्षाकृत निम्न व्यय निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण हो सकता है। हमने 15 प्रतिशत अंतर को कवर करने हेतु अपेक्षित अनुदान की राशि का अनुमान लगाया जिससे एक निम्न औसत राज्य प्रति व्यक्ति व्यय के अपने समूह औसत (निम्न व्यय तरजीह को समायोजित करने के बाद) से पीछे छूट रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह अनुदान आयोजना तथा आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय दोनों के संदर्भ में 15 प्रतिशत अंतर के बराबर है और

सारणी 10.5

शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष 2202)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
असम	183.20	200.60	219.66	240.53	263.38	**1107.37**
बिहार	443.99	486.17	532.36	582.93	638.31	**2683.76**
झारखंड	107.82	118.06	129.28	141.56	155.01	**651.73**
मध्य प्रदेश	76.03	83.25	91.16	99.82	109.30	**459.56**
उड़ीसा	53.49	58.57	64.13	70.22	76.89	**323.30**
राजस्थान	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	**100.00**
उत्तर प्रदेश	736.87	806.87	883.52	967.45	1059.36	**4454.07**
पश्चिम बंगाल	64.83	70.99	77.73	85.11	93.20	**391.86**
कुल राज्य	**1686.23**	**1844.51**	**2017.84**	**2207.62**	**2415.45**	**10171.65**

यदि इसे केवल आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की एवज में देखा जाता है तो यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा। तथापि, समकारी-सीमा को संसाधनों की उपलब्धता से सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा के लिए वर्ष 2002-03 में अपेक्षित अनुदान राशि का निर्धारण करने के बाद शिक्षा पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय हेतु वर्ष 1993-2003 के लिए विकास दर प्रवृत्ति समूह के बराबर विकास दर को इस राशि पर लागू किया गया ताकि आधार वर्ष में अनुदान की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। तत्पश्चात, पूर्वानुमान अवधि के दौरान 9.5 प्रतिशत की विकास दर नियत की गई। यह वह दर है जिसमें शिक्षा पर सामान्य व्यय स्रोत के बढ़ने का अनुमान प्रत्येक राज्य के संबंध में पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटे का निर्धारण करने हेतु लगाया गया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, हमने आठ राज्यों के लिए अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए 10171.65 करोड़ रुपए सहायता अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की जिसमें किसी भी पात्र राज्य हेतु एक वर्ष में न्यूनतम 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करना शामिल है। ब्यौरा सारणी 10.5 में दिया गया है।

10.18 जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) के संबंध में प्रदान किए जाने वाले अनुदान का संबंध है, शिक्षा के क्षेत्र में विचार-विमर्श की गई विधि का ही पालन इसमें भी किया जाएगा। तथापि, दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। स्वास्थ्य के मामले में, हमने वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त अनुदान का निर्धारण करने हेतु शिक्षा के मामले में 15 प्रतिशत की तुलना में समूह औसत प्रति व्यक्ति के अंतर का उच्च प्रतिशत अर्थात् 30 प्रतिशत निर्धारित किया है। ऐसा इस कारण से है कि जहां एक और शिक्षा क्षेत्र में हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और जिसके लिए पर्याप्त निधि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्रीय वित्तपोषण में ऐसी बढ़ोतरी की अभाव रहा है। अन्य अंतर-पूर्वानुमान अवधि के लिए नियत विकास दर से संबंधित है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11.5 प्रतिशत है, इसमें विकास दर पर ध्यान दिया गया है और जिसका अनुमान पूर्व-सुपुर्दगी आयोजना-भिन्न राजस्व अधिशेष/घाटा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य के लिए सामान्य व्यय स्रोतों से लगाया गया है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य क्षेत्र (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) के लिए अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए सात राज्यों को 5887.08 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान प्रदान करने की सिफारिश करते हैं जिसमें किसी भी पात्र राज्य हेतु न्यूतम 10 करोड़ रुपए रखा जाएगा। ब्यौरा सारणी 10.6 में दिया गया है।

10.19 शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए ये अनुदान राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों में किए जाने वाले सामान्य खर्च के अलावा अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं। इन अनुदानों को केवल संबंधित क्षेत्रों (आयोजना-भिन्न) के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थात् शिक्षा के मामले में मुख्य शीर्ष 2202 और स्वास्थ्य के मामले में मुख्य शीर्ष 2210 और 2211। इन अनुदानों की निर्मुक्ति और उपयोग को शासित करने वाली शर्तें अनुबंध 10.1 से 10.3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय का अनुवीक्षण (मानीटरिंग) संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

सड़कों और भवनों का रख-रखाव

10.20 विचाराधीन विषय के पैरा 6(vi) के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि हम पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव के वेतन-भिन्न घटक पर व्यय को ध्यान में रखें और इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट धनराशियों की सिफारिश करें। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सड़कों और भवनों के रखरखाव के लिए पृथक अनुदानों की सिफारिश नहीं की है। इसके बजाए रखरखाव संबंधी अनुमानों को आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के समग्र अनुमानों में शामिल कर दिया गया और इस प्रयोजन हेतु आवश्यकता को आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान में सन्निहित कर दिया गया। लेकिन हमने देखा है कि सड़कों और भवनों के रखरखाव को राज्यों द्वारा पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए, हम सड़कों और पुलों के रखरखाव और भवनों के रखरखाव के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अनुदानों की सिफारिश कर रहे हैं।

10.21 सड़कों और पुलों के मामले में, आधार वर्ष में रखरखाव के लिए निधियों की आवश्यकता का निर्धारण मानक रूप में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मैदानी और पहाड़ी इलाकों के

सारणी 10.6

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
असम	153.58	171.24	190.93	212.89	237.38	**966.02**
बिहार	289.30	322.57	359.66	401.02	447.14	**1819.69**
झारखंड	57.39	63.99	71.35	79.55	88.70	**360.98**
मध्य प्रदेश	28.88	32.20	35.90	40.03	44.63	**181.64**
उड़ीसा	31.22	34.81	38.81	43.28	48.25	**196.37**
उत्तर प्रदेश	367.63	409.90	457.04	509.60	568.21	**2312.38**
उत्तरांचल	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	**50.00**
कुल राज्य	**938.00**	**1044.71**	**1163.69**	**1296.37**	**1444.31**	**5887.08**

लिए प्रस्तुत मानदंडों को उनके कुछ संशोधनों के साथ अपनाते हुए किया गया था। हालांकि सामान्य मरम्मतों की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन समय-समय पर की जाने वाली मरम्मतों के लिए व्यवस्था को मानदंडों के 20 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। सड़क की लम्बाई के संबंध में राज्यों से प्राप्त आंकड़ों को अपनाते हुए रखरखाव संबंधी व्यय के लिए निधियों की मानक आधारित आवश्यकता का अनुमान आधार वर्ष 2004-05 तथा पूर्वानुमान की अवधि के लिए लगाया गया है। प्रत्येक राज्य के संबंध में पूर्वानुमान अवधि के लिए वृद्धि दर प्रवृत्ति टीजीआर पर आधारित व्यय प्रवाह का भी अनुमान लगाया गया है। इन दोनों अनुमानों को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष 2006-2010 की अवधि के दौरान 15,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि उस सामान्य व्यय के अलावा है जो राज्य सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए खर्च करेंगे। राज्यों को इसका वितरण सड़क की लम्बाई के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय सड़कों और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों को इनसे भिन्न सड़कों की लम्बाई में जोड़ने से पूर्व सड़कों की लम्बाई की भारिता 0.5 और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों की भारिता 1.2 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, हमने यह राशि पूर्वानुमान अवधि के अंतिम चार वर्षों (अर्थात् वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10) में समान किश्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि राज्यों को इन निधियों के उपयोग की तैयारी करने के लिए एक वर्ष का समय मिल जाए। सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदानों के तौर पर सिफारिश की गई राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा सारणी 10.7 में दर्शाया गया है।

10.22 सरकारी भवनों के मामले में रखरखाव संबंधी मानदंड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से प्राप्त किए गए थे। ये मानदंड बहुत व्यापक और बहुत ही अलग हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न किस्मों और अवधियों वाले भवन शामिल हैं और ये सिविल और निर्माण कार्यों के संबंध में भी अलग-अलग हैं। हालांकि ये राज्य, राज्य के सभी सरकारी भवनों के कुल आधार क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान कर सकते थे लेकिन उनके लिए इसके अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करना मुश्किल था, जो सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के प्रयोग हेतु अपेक्षित थे। कुछ राज्यों द्वारा बताया गया आधार क्षेत्र की असामान्य रूप से अधिक पाया गया और उसका उसी आकार के राज्यों के साथ साम्य रखते हुए समायोजन करना पड़ा। हमने सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान के रूप में 5000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की है। आधार क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच इसका वितरण सारणी 10.8 में दर्शाए गए अनुसार किया गया है।

10.23 अनुमान है कि सड़कों और पुलों तथा भवनों के भी रखरखाव के लिए अनुदान राज्यों द्वारा किए जाने वाले रखरखाव संबंधी सामान्य खर्च के अलावा अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। ये अनुदान अनुबंध 10.4 से 10.6 तक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार जारी और खर्च किए जाने चाहिए। इन अनुदानों से संबंधित व्यय का अनुवीक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

राज्यों के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान

10.24 यह देखा गया है कि हिस्से योग्य करों का राज्यों के बीच वितरण करने के लिए प्रयोग किया गया फार्मूला अपनी प्रकृति के अनुसार किसी राज्य की सभी तरह की वित्तीय जरूरतों का ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए यह जरूरी है कि राज्यों की कतिपय साधारण और विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाए। छठे वित्त आयोग से शुरू करके पिछले वित्त आयोग राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए तब भी पृथक रूप से सहायता अनुदान प्रदान करते रहे हैं जबकि विचारार्थ विषय में भी विशेष समस्याओं का विशिष्ट रूप में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हमारी चर्चाओं और राज्यों के दौरों के आधार पर हमने राज्यों की कतिपय साधारण और विशेष जरूरतों के लिए अनुदानों की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया है। इनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में भी की जाएगी।

वनों का रखरखाव

10.25 कई राज्यों ने बताया है कि वन सम्पत्ति के दोहन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वन राजस्व का एक स्रोत होने की अपेक्षा राज्यों के लिए एक निवल देनदारी बन गए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने पूरे देश में वनों के प्रबंध के लिए कुशल कार्य योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करने की सिफारिश की है। कुछ राज्यों ने पहले से ही कार्य योजनाएं मंजूर करा लीं हैं और उन्हें कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। लेकिन, उन्होंने बताया है

सारणी 10.7

सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	245.03	245.03	245.03	245.03	**980.12**
अरुणाचल प्रदेश	0.00	11.09	11.09	11.09	11.09	**44.36**
असम	0.00	82.53	82.53	82.53	82.53	**330.12**
बिहार	0.00	77.34	77.34	77.34	77.34	**309.36**
छत्तीसगढ़	0.00	65.60	65.60	65.60	65.60	**262.40**
गोवा	0.00	9.87	9.87	9.87	9.87	**39.48**
गुजरात	0.00	223.80	223.80	223.80	223.80	**895.20**
हरियाणा	0.00	45.68	45.68	45.68	45.68	**182.72**
हिमाचल प्रदेश	0.00	65.41	65.41	65.41	65.41	**261.64**
जम्मू और कश्मीर	0.00	29.42	29.42	29.42	29.42	**117.68**
झारखंड	0.00	102.26	102.26	102.26	102.26	**409.04**
कर्नाटक	0.00	364.53	364.53	364.53	364.53	**1458.12**
केरल	0.00	160.58	160.58	160.58	160.58	**642.32**
मध्य प्रदेश	0.00	146.72	146.72	146.72	146.72	**586.88**
महाराष्ट्र	0.00	297.42	297.42	297.42	297.42	**1189.68**
मणिपुर	0.00	19.24	19.24	19.24	19.24	**76.96**
मेघालय	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	**86.40**
मिजोरम	0.00	10.53	10.53	10.53	10.53	**42.12**
नागालैंड	0.00	30.22	30.22	30.22	30.22	**120.88**
उड़ीसा	0.00	368.77	368.77	368.77	368.77	**1475.08**
पंजाब	0.00	105.24	105.24	105.24	105.24	**420.96**
राजस्थान	0.00	158.33	158.33	158.33	158.33	**633.32**
सिक्किम	0.00	4.66	4.66	4.66	4.66	**18.64**
तमिलनाडु	0.00	303.60	303.60	303.60	303.60	**1214.40**
त्रिपुरा	0.00	15.37	15.37	15.37	15.37	**61.48**
उत्तर प्रदेश	0.00	600.79	600.79	600.79	600.79	**2403.16**
उत्तरांचल	0.00	81.14	81.14	81.14	81.14	**324.56**
पश्चिम बंगाल	0.00	103.23	103.23	103.23	103.23	**412.92**
कुल राज्य	**0.00**	**3750.00**	**3750.00**	**3750.00**	**3750.00**	**15000.00**

कि कार्य योजना के अनुसार वन क्षेत्र का रख-रखाव वित्तीय अड़चनों के कारण एक समस्या बन गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वनों के अनुरक्षण हेतु उन्हें पृथक अनुदान मुहैया कराए जाएं। हम मानते हैं कि वन राष्ट्रीय सम्पत्ति है और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनका संरक्षण करे। तद्नुसार, हमने निर्णय लिया है कि वनों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2005-10 की पंचाट (एवार्ड) अवधि में 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की जाए। यह राशि अब खर्च के अलावा होगी जो राज्य अपने वन विभागों के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। राज्यों के बीच इस रकम को उनके वन क्षेत्र के आधार पर वितरित किया गया है, और इसे सम्पत्ति के संरक्षण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह का अधिक व्यय वन विभाग के सामान्य खर्च के अतिरिक्त, इस अनुदान की मात्रा तक होना चाहिए। सारणी 10.9 में इस अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाया गया है।

ऐतिहासिक विरासत संरक्षण

10.26 राज्यों की अपनी यात्राओं के दौरान हमें अनेक ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातत्वीय स्थलों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह देखा गया कि इनमें से अधिकांश स्थलों का रख-रखाव बहुत खराब था। कई राज्य सरकारों ने इनके रख-रखाव हेतु निधियां मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। हमारा यह विचार है कि ये स्मारक और पुरातत्वीय स्थल हमारे गैर-नवीकरणीय सांस्कृतिक साधन हैं और इन्हें सुरक्षित रखने और इनका दौरा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की बहुत जरूरत है। तद्नुसार हमने निर्णय लिया है कि इस प्रयोजन

सारणी 10.8

सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	60.64	60.63	60.63	60.63	242.53
अरुणाचल प्रदेश	0.00	14.35	14.35	14.36	14.36	57.42
असम	0.00	57.66	57.66	57.66	57.66	230.64
बिहार	0.00	89.90	89.90	89.91	89.90	359.61
छत्तीसगढ़	0.00	45.78	45.77	45.77	45.77	183.09
गोवा	0.00	6.05	6.05	6.04	6.04	24.18
गुजरात	0.00	50.90	50.90	50.90	50.91	203.61
हरियाणा	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	151.80
हिमाचल प्रदेश	0.00	36.90	36.90	36.90	36.90	147.60
जम्मू और कश्मीर	0.00	41.14	41.14	41.13	41.13	164.54
झारखंड	0.00	39.90	39.90	39.90	39.91	159.61
कर्नाटक	0.00	51.28	51.28	51.28	51.28	205.12
केरल	0.00	25.88	25.88	25.87	25.87	103.50
मध्य प्रदेश	0.00	110.76	110.76	110.75	110.75	443.02
महाराष्ट्र	0.00	55.90	55.90	55.90	55.91	223.61
मणिपुर	0.00	9.42	9.43	9.43	9.43	37.71
मेघालय	0.00	8.75	8.76	8.75	8.76	35.02
मिजोरम	0.00	5.82	5.82	5.82	5.83	23.29
नागालैंड	0.00	11.54	11.55	11.54	11.54	46.17
उड़ीसा	0.00	97.28	97.28	97.29	97.29	389.14
पंजाब	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	151.80
राजस्थान	0.00	53.27	53.27	53.27	53.28	213.09
सिक्किम	0.00	8.04	8.03	8.04	8.04	32.15
तमिलनाडु	0.00	60.64	60.63	60.63	60.63	242.53
त्रिपुरा	0.00	12.53	12.53	12.53	12.52	50.11
उत्तर प्रदेश	0.00	150.07	150.07	150.08	150.06	600.28
उत्तरांचल	0.00	24.40	24.40	24.40	24.40	97.60
पश्चिम बंगाल	0.00	45.30	45.31	45.32	45.30	181.23
कुल रज्य	**0.00**	**1250.00**	**1250.00**	**1250.00**	**1250.00**	**5000.00**

हेतु पंचाट अवधि के दौरान 625 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की जाए। राज्यों के बीच इस रकम का वितरण करने के लिए हमें उनके द्वारा सूचित आवश्यकताओं से मार्गदर्शन मिला है। इस अनुदान का प्रयोग ऐतिहासिक स्मारकों के पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण और सुरक्षा तथा इन स्थलों का दौरा सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटक आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए भी किया जाएगा। सारणी 10.10 प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सहायता अनुदानों को दर्शाती है।

राज्यों की विशेष जरूरतें

10.27 सभी राज्यों ने राज्यों के कतिपय विशेष मुद्दों का समाधान करने के लिए अपने ज्ञापन में अनुदानों की मांग की है। स्पष्टतः ऐसे सभी अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं है। राज्यों की बहुत भारी जरूरतों का मूल्यांकन राज्यों द्वारा बैठक में तथा राज्यों में आयोग के दौरों के दौरान किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर किया गया था। राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए सिफारिश किए गए अनुदानों का ब्यौरा आगे दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

(i) *फ्लूराइड प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्तिः* राज्य सरकार ने फ्लूरासिस को पूरी तरह समाप्त करके सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नालगोंडा और पड़ोसी जिलों में डि-फ्लुरिनेशन संयंत्रों के संस्थान हेतु विशेष

सारणी 10.9

वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	44637	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	65.00
अरुणाचल प्रदेश	68045	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
असम	27714	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00
बिहार	5720	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
छत्तीसगढ़	56448	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	85.00
गोवा	2095	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00
गुजरात	15152	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
हरियाणा	1754	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
हिमाचल प्रदेश	14360	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
जम्मू और कश्मीर	21237	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
झारखंड	22637	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
कर्नाटक	36991	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	55.00
केरल	15560	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
मध्य प्रदेश	77265	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	115.00
महाराष्ट्र	47482	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	70.00
मणिपुर	16926	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
मेघालय	15584	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
मिजोरम	17494	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
नागालैंड	13345	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
उड़ीसा	48838	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00
पंजाब	2432	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
राजस्थान	16367	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
सिक्किम	3193	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	8.00
तमिलनाडु	21482	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
त्रिपुरा	7065	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
उत्तर प्रदेश	13746	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
उत्तरांचल	23938	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
पश्चिम बंगाल	10693	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
कुल राज्य	**668200**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**1000.00**

पैकेज के लिए अनुरोध किया है।

(ii) *दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधारः* राज्य सरकार ने दूर-दराज तथा जनजातीय इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु 175 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

अरुणाचल प्रदेश

राजकोष भवनः इसके 12 राजकोष और 5 उप-राजकोष भवनों के लिए जोकि जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता के लिए अनुरोध किया है जो प्रदान की जा रही है।

असम

(i) *शहरी इलाकों का विकासः* राज्य सरकार ने सड़क किनारे नालियां बनवाने और गुवाहाटी शहर में बाद के पानी की निकासी के लिए 924 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है। गुवाहाटी शहर में सड़क के किनारे नालियां बनवाने के लिए प्रारंभिक राशि के तौर पर 121 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

सारणी 10.10

ऐतिहासिक विरासत संरक्षण के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
असम	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
बिहार	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
छत्तीसगढ़	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
गोवा	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
गुजरात	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00
हरियाणा	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
झारखंड	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
कर्नाटक	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
केरल	0.00	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00
मध्य प्रदेश	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
महाराष्ट्र	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
मणिपुर	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
मेघालय	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
मिजोरम	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
नागालैंड	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
उड़ीसा	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
पंजाब	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
राजस्थान	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
सिक्किम	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
तमिलनाडु	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
त्रिपुरा	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
उत्तर प्रदेश	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
उत्तरांचल	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
पश्चिम बंगाल	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
कुल राज्य	**0.00**	**156.25**	**156.25**	**156.25**	**156.25**	**625.00**

(ii) *स्वास्थ्य आधारभूत ढांचाः* राज्य सरकार की सहायता से गुवाहाटी में स्थापित उच्च तकनीकी अस्पताल में नेत्र चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराने हेतु अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को यह राशि प्रदान की जा रही है।

बिहार

(i) *तकनीकी शिक्षाः* चूंकि राज्य के विभाजन के पश्चात प्रमुख तकनीकी संस्थान झारखंड में चले गए हैं इसलिए राज्य सरकार द्वारा, वर्तमान तकनीकी संस्थानों जैसे कि मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर इंजीनियरी महाविद्यालय, लोक नायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान और छह सरकारी पालिटेक्निकों को उन्नत बनाने और के लिए 108.33 करोड़ रुपए की राशि के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ii) *प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापनाः* बिहार का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान रांची में स्थित था और अब यह झारखंड सरकार के अधीन है। बिहार सरकार का अब 110.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नया संस्थान स्थापित करने का

प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है।

(iii) *ई-गवर्नेंसः* राज्य ने 47.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन) नामक एक परियोजना तैयार की है। परियोजना का उद्देश्य वित्त विभाग में स्थित आंकड़ा केन्द्र (डाटा सेन्टर) से वाणिज्यिक करों, पंजीकरण, राजकोषों एवं उप-राजकोषों तथा भविष्य निधि निदेशालय के संबंध में आन-लाइन आंकड़े एकत्रित करना और उनका उपयोग करना है। परियोजना में न केवल उपर्युक्त कार्यालयों का बल्कि उस राज्य में उनके जिला स्तरीय कार्यालय का भी आंतरिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इस परियोजना के लिए हमने 40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

(iv) *किशोर न्याय अधिनियम के तहत सुधार गृहों का निर्माण और सुधारालयों, अनुरक्षण गृहों और विकलांगों के लिए आवासी विद्यालय में सुधारः* इस संबंध में राज्य द्वारा 21.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(v) *शहरी जलापूर्ति और जल निकास सुधारः* राज्य द्वारा प्रमुख शहरों में जलापूर्ति, मल-व्ययन और जल-निकास की सुविधाओं में वृद्धि करने की एक परियोजना तैयार की गई है। इस पर 180 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। यह राशि प्रदान कर दी गई है।

(vi) अग्निशमन सेवाएंः अग्निशमन सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक विकास योजना तैयार की है। इस प्रस्ताव में अग्निशमन केन्द्र की इमारत का निर्माण करना, पुराने दमकल उपकरणों को बदलना, नए उपकरणों की खरीद और अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना शामिल है। इस प्रयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आवासी विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माणः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षणिक स्तरों में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 124.22 करोड़ रुपए की लागत से बालक और बालिकाओं के लिए आवासी विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। विशेषतया बालिकाओं के लिए ऐसे आवासी विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

छत्तीसगढ़

(i) रायपुर में राज्य की राजधानी का विकासः राज्य ने रायपुर में राज्य की राजधानी का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रूपए की राशि के लिए अनुरोध किया है। हमने, रायपुर में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन पर सचिवालय विधानसभा और अन्य भवनों के निर्माण सहित राज्य स्तर के आधारभूत ढांचे का सृजन करने के लिए 200 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(ii) पुलिस आधारभूत ढांचे में सुधार करनाः राज्य ने, पुलिस बल के अस्त्र-शस्त्र/युद्धोपकरणों, वाहनों, प्रशिक्षण और संचार संबंधी आधारभूत ढांचे के उन्नयन और सुधार के लिए 237 करोड़ रूपए के अनुदान हेतु अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हमने 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

गोआ

स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचाः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुधार हेतु राज्य द्वारा मांगी गई 150 करोड़ रूपए की सहायता के एवज में 10 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

गुजरात

लवण उपस्थितिः राज्य ने विशेष रूप से सौराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र में जमीन में लवण की उपस्थिति से पैदा होने वाली समस्या से निपटने के लिए 1000 करोड़ रूपए की राशि के लिए अनुरोध किया है। गुजरात की 1600 कि. मी. की समुद्र तट रेखा काफी लम्बी है जो भारत की कुल तटरेखा का लगभग एक तिहाई है। इस राज्य में लवणता की स्थिति के कारण लगभग सात लाख हेक्टर तटवर्ती भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई है जिसके परिणामस्वरूप तटवर्ती क्षेत्र की आर्थिक सम्पन्नता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस समस्या के समाधान की अत्यावश्यकता को देखते हुए हमने इन परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

हरियाणा

जल अवरूद्धता/लवणता और जल का गिरता स्तरः राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर नहरों द्वारा सिंचाई शुरू किए जाने के कारण जल स्तर और बढ़ गया है जिसके तल में खारा पानी है। जल अवरूद्धता/लवणता की समस्या से इस राज्य के कृषि उत्पादन को खतरा है। इसके अलावा, अलवणीय जल क्षेत्र से जल की अधिक निकासी होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर काफी कम हो गया है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इन समस्याओं के निकारण हेतु 523 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। इस प्रयोजन हेतु हमने 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

हिमाचल प्रदेश

शहरी इलाकों का विकासः संजुअली उप-मार्ग के निर्माण हेतु 13.46 करोड़ रूपए की राशि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 12 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं। राज्य ने शिमला में जलापूर्ति बढ़ाने हेतु 39.37 करोड़ रूपए की लागत पर

एक परियोजना भी तैयार की है। इस प्रयोजन हेतु हमने 38 करोड़ रूपए की रकम प्रदान की है। कुल मिलाकर राज्य को शिमला में तथा उसके आस-पास के इलाकों के विकास हेतु 50 करोड़ रूपए की राशि के अनुदान मुहैया कराए जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर

(i) पर्यटन संबंधी योजनाएंः राज्य सरकार ने पर्यटन संबंधी अपनी सुविधाओं के उन्नयन हेतु 136.33 करोड़ की सहायता मांगी है। इस प्रयोजन हेतु 90 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

(ii) जम्मु में लोक सेवा आयोग भवन का निर्माणः राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 15.85 करोड़ रूपए की सहायता की एवज में 10 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है।

झारखण्ड

(i) रांची स्थित राज्य की राजधानी का विकासः राज्य ने रांची में राज्य की राजधानी के विकास हेतु 5,000 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। हमने रांची में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर सचिवालय एवं अन्य भवनों के निर्माण सहित राज्य स्तर के आधारभूत ढांचे का सृजन करने के लिए 200 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(ii) पुलिस बल की विशेष जरूरतेंः राज्य सरकार ने नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने तथा पुलिस बल को आधुनिक बनाने और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 181.90 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हमने 130 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

कर्नाटक

(i) सामान्य प्रशासनः राज्य ने राज्य-वार वैन (डब्लयूएएन) तथा प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन सहित सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए 250 करोड़ रूपए की राशि प्रदान करने का अनुरोध किया है। हमने, इन प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा मांगी गई धनराशि प्रदान कर दी है।

(ii) युवा सेवाएं एवं खेल-कूद की सुविधाएंः बहु-उद्देशीय व्यायामशालों तथा तालुका स्तर पर खेल परिसरों के निर्माण सहित युवा सेवाओं और खेल-कूद की सुविधाओं में सुधार करने के लिए 100 करोड़ रूपए की राशि के लिए अनुरोध किया है। हमने, राज्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु मांगी गई धनराशि मुहैया करा दी है।

(iv) पुलिस प्रशासन को सुधारः राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि पुलिस प्रशासन को आधुनिक बनाने और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने, राज्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु मांगी गई धनराशि मुहैया करा दी है।

(iii) स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारः राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि स्थानीय स्तर पर एम्बुलेंस की सेवाएं मुहैया कराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए 350 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने इस प्रयोजन हेतु 150 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

केरल

(i) अन्तर्देशीय जल मार्ग और नहरः राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन का उपयोग जोकि कुछेक दशक पहले तक परिवहन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था बिल्कुल बंद हो गया है। परिवहन की इस व्यवस्था को वस्तुओं के भारी मात्रा में परिवहन तथा पर्यटन की वजह से फिर से महत्व दिया जाने लगा है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मुख्य नहरों तथा सहायक नहरों में सुधार करने के लिए 237.49 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने इस प्रयोजन हेतु 225 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(ii) तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधः राज्य सरकार ने राज्य में समुद्र बांध के निर्माण, रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 199.43 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। यह उल्लेख किया गया है कि केरल तट जबरदस्त कटाव से ग्रस्त है जिससे उपयोग तटवर्ती पारिस्थितिकी की व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तथा लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लगभग 100 किलोमीटर के तटवर्ती होता है। लगभग 100 किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र की जो कि जबरदस्त समुद्री कटाव प्रवण क्षेत्र है, दीर्घावधिक आधार पर अविलम्ब सुरक्षा करने की जरूरत है। हमने इस प्रयोजन हेतु 175 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

(iii) विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारः राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि पाठ विद्यालयों में, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का निर्माण करके और कम्प्युटर प्रदान करके शिक्षा के स्तरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 258 करोड़ रूपए का अनुदान प्रदान किया जाए। हमने इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है।

मध्य प्रदेश

(i) पर्यटन का विकासः राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक विरासत पर्यटन, वन्य प्राणी और एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने, जैन सर्किट का विकास और बरहनपुर, आसिरगढ़ और सियोनी में नए पर्यटन

गंतव्यों का विकास करने के लिए पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 90 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 67 करोड़ रूपए की राशि प्रदान किए है। अनुदान का प्रयोग वेतनों के भुगतान, पर्यटकों के लिए बंगलों के निर्माण और वाहनों की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) सड़क आधारभूत ढांचे का विकासः राज्य सरकार ने राज्य में सड़क आधारभूत ढांचे में सुधार करने के लिए 1000 करोड़ रूपए के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। यह बताया गया है कि राज्य में सड़कों की सक्षमता बहुत ही कम है और फलस्वरूप संयोजकता भी बहुत कम है। हमने सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान के रूप में 586.88 करोड़ रूपए की व्यवस्था पहले ही कर दी है। (देखें सारणी 10.7) और राज्य में पर्यटन के आधरभूत ढांचे के विकास हेतु 67 करोड़ रूपए (उक्त उप-पैरा (i) का प्रावधान है। इस क्षेत्र में राज्य सुधार की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, हम सुदूर क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के सुधार और सड़क नेटवर्क का विस्तार करने हेतु 208 करोड़ रूपए के अतिरिक्त अनुदान की सिफारिश की है। इस अतिरिक्त अनुदान सहित, इस राज्य हेतु सड़क क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य के लिए कुल आवंटन 800 करोड़ रूपए से अधिक होगा।

(iii) शहरी क्षेत्रों का विकासः देवास में मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था, सड़क नेटवर्क के निर्माण/उसे चौड़ा करने और जल निकासी सुविधाओं में सुधार करने के लिए 29.71 करोड़ रूपए के अनुदान हेतु अनुरोध किया है। देवास दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों इन्दौर तथा उज्जैन के सम्बन्ध में सैटलाइट कस्बे के रूप में सहायक है। हमने इस महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र के विकास प्रयोजनार्थ 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था की है।

महराष्ट्र

(i) महिला तथा विकास कार्यक्रम हेतु आधारभूत ढांचाः राज्य सरकार ने महिला तथा बाल विकास के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु 93 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रूपए इस शर्त के साथ उपलब्ध कराए है कि अनुदान का उपयोग जन शक्ति तथा वाहनों पर नहीं किया जाएगा।

(ii) समुद्रतटीय तथा पारिस्थितिकी पर्यटनः राज्य सरकार ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में समेकित पर्यटन विकास हेतु 1000 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजनार्थ 250 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए हैं।

मणिपुर

(i) सचिवालय परिसरः मणिपुर सचिवालय के चौथी और पांचवी मंजिलों के निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार ने 3.50 करोड़ रूपए की सहायता देने का अनुरोध किया है। हमने, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मांगी गई राशि प्रदान कर दी है।

(ii) खेल-कूद परिसरः अपने खेल-कूद परिसर की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मणिपुर सरकार ने 16.07 करोड़ रूपए की पूंजी व्यय की आवश्यकता सूचित की है। हमने इस प्रयोजन हेतु 15 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

(iii) लोकतक झीलःइस झील के जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने 32.88 करोड़ रूपए की सहायता का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 11.50 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

मेघालय

(ii) चिड़िया घरः संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु चिड़िया घर स्थापित करने के लिए मेघालय राज्य सरकार ने 30 करोड़ रूपए की सहायता का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु राज्य द्वारा मांगी गई राशि प्रदान की है।

(ii) वानस्पतिक उद्यानः वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वानस्पतिक उद्यान की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने 5 करोड़ रूपए की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। हमने उक्त राशि प्रदान कर दी है।

मिजोरम

(i) बाँस पुष्पणः राज्य ने आसन्न बांस पुष्पण से उत्पन्न होने वाली कृतकों की समस्या का सामना करने के लिए, जिससे कृषि तथा वानिकी में भारी मात्रा में हानि होती है, अपनी योजना लागत को पूरा करने हेतु 566 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। हमने इस प्रयोजन हेतु राज्य को 40 करोड़ रूपए प्रदान किए है ताकि वे योजना प्रारंभ कर सके।

(ii) खेल-कूद परिसरः राज्य सरकार ने ऐजोल में खेल-कूद समूह के निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रूपए की सहायता देने का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 25 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

नागालैंड

(i) स्वास्थ्य सुविधाएँः राज्य सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु पूंजी व्यय की एवज में 17.92 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। हमने इस प्रयोजन हेतु 15 करोड़ रूपए की सहायता दी जा रही है।

(ii) असेम्बली सचिवालयः असेम्बली सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए 34.60 करोड़ रूपए की पूंजी व्यय

अपेक्षा की एवज में 30 करोड़ रूपए का एक प्रावधान तैयार किया जा रहा है।

उड़ीसा

(i) चिल्का झील में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन निर्माण कार्य को और मजबूत बनानाः ग्यारहवें वित्त आयोग ने चिल्का लैगून में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन निर्माण कार्य हेतु समेकन उपायों के बतौर 30 करोड़ रूपए प्रदान किये थे। लैगून के विस्तार को देखते हुए राज्य ने बारहवें वित्त आयोग से पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन निर्माण कार्य के क्षेत्र के समेकन करने और उसे अधिक विस्तार देने तथा लैगून पर निर्भर रहनेवाले मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए 30 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया है। हमने, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मांगी गई राशि प्रदान कर दी है।

(ii) भुवनेश्वर के लिए व्ययन प्रणालीः राज्य सरकार ने वर्ष 2005-10 के दौरान राजधानी भुवनेश्वर में आवश्यक शाखा मल व्ययन प्रणालियों, ट्रंक मल-प्रणालियों और शोधन इकाइयों में व्यापक मल-व्ययन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रूपए का अनुरोध किया है, जो 600 करोड़ रूपए के अनुमानित परियोजना लागत का 25 प्रतिशत है। व्यापक मल व्ययन प्रणाली के अभाव के कारण मुख्य नदी समूहों में प्रदूषण हो रहा है और इसलिए समय रहते कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने इस प्रयोजन हेतु 140 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

पंजाब

अवरूद्ध कृषिः पंजाब में कृषि अनेक समस्याओं से घिरी है, जिसमें मिट्टी का स्थिति में सतत ह्रास, जल स्तर में कमी, पारिस्थितिकीय अवक्रमण और फसल पश्च अवसंरचना की अपर्याप्तता आदि शामिल है। राज्य सरकार ने कृषि पर एक सलाहकार-समिति का गठन किया था, जिसने पंजाब में उत्पादकता एवं विकास के लिए कृषि उत्पादन पैटर्न समायोजन कार्यक्रम नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पंजाब राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग से ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जो चावल, गेहूँ चक्र से किसानों को मुक्त कराने पर केन्द्रित है। हम इस प्रयोजन हेतु 96 करोड़ रूपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। इस राशि का प्रयोग कुछ जिलों में प्रायोजिक परियोजना आधार पर उचित कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

राजस्थान

(i) इंदिरा गांधी नहर परियोजनाः राज्य सरकार ने यह व्यक्त किया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निधियों की कमी के कारण अभी भी अधूरी है। इस परियोजना में सूखे की स्थिति को दूर करने, मरूस्थल क्षेत्रों की सिंचाई करने और पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के मरूस्थल तथा सीमांत जिलों में रबी तथा ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का हस्तान्तरण करना शामिल है। राजस्थान राज्य ने परियोजना के शेष निर्माण कार्यों हेतु 411 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है। चूंकि परियोजना के तेजी से पूरा होने पर मरूस्थल के विस्तार का प्रतिकूल प्रभाव विपरीत जलवायु संबंधी स्थितियों में कमी आएगी, इसलिए हमने इस प्रयोजन हेतु 300 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

(ii) सीमा तथा मरूस्थली जिलों में पेयजल कमी को पूरा करनाः राजस्थान देश में अधिक जल कमी वाले राज्यों में से एक है। राज्य सरकार ने आयोग का ध्यान पेयजल की समस्या की ओर दिलाया है, जो मरूस्थली और सीमा जिलों में अत्यधिक बिगड़ गई है। राज्य सरकार ने मौजूदा स्रोतों से जल की वृद्धि करने, वितरण प्रणाली में सुधार लाने, सीमा तथा मरूस्थली जिलों में फ्लूराइड और लवण शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए 295 करोड़ रूपए की राशि की अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है हमने सीमा तथा मरूस्थली जिलो में मौजूदा स्रोतों से जल की वृद्धि करने और फ्लूराइड और लवण शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए प्रदान किये हैं।

सिक्किम

विमान पत्तन का निर्माणः राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 174 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने 50 करोड़ रूपए प्रदान किये थे। इस समय हम 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदान कर रहे हैं।

तमिलनाडु

(i) शहरी क्षेत्रों का विकासः राज्य सरकार ने राज्य के कुछ शहरी क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ रही गन्दी बस्तियों की समस्या की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 1107 करोड़ रूपए के अनुरोध की एवज में 250 करोड़ रूपए प्रदान किये हैं।

(ii) समुद्र कटाव और तटवर्ती क्षेत्र सुरक्षा निर्माण कार्यः राज्य सरकार ने राज्य के अनेक भागों में समुद्र कटाव की समस्या का समाधान करने के लिए 169 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

त्रिपुरा

(i) राजधानी परिसर का निर्माण : राज्य सरकार ने राजधानी परिसर के निर्माण कार्य के लिए सहायता का अनुरोध किया है, जिसमें शामिल हैः (क) नये एसेम्बली भवन को पूरा करने हेतु 4.40 करोड़

रूपए, (ख) नया सचिवालय भवन हेतु 5.13 करोड़ रूपए, (ग) राज्य उच्च न्यायालय भवनहेतु 8.65 करोड़ रूपए (घ) नए राजधानी परिसर में राज्य अतिथि भवन हेतु : 6.73 करोड़ रूपए और (ङ) उज्ज्यंता पैलस सीसमिक रिट्रोफिटिंग एण्ड रिनोवेशन 4 करोड़ रूपए। हमने इस प्रयोजन हेतु 28 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(ii) धलाई जिले के कुलाई में 150 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापनाः राज्य ने 11.99 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है, जिसकी एवज में 11 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा रही है।

(iii) बिशालगढ़ में एक आदर्श जेल का निर्माणः राज्य ने 11 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है जिसकी एवज में 10 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश

(i) 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी कलक्टरी भवनों की मरम्मतः उत्तर प्रदेश राज्य ने 29 कलक्टरी भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जो 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी है तथा अत्यंत खराब स्थिति में है, 180.25 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है, हमने इस प्रयोजन हेतु 60 करोड़ रूपए प्रदान किए है।

(ii) बुन्देलखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास में तेजी लानाः राज्य ने बुन्देलखंड और पूर्वी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने हेतु 5044.56 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है, जो अपेक्षतया सामाजिक एवं आर्थिक ढांचागत सुविधाओं के अभाव के कारण पिछड़ा है। राज्य में मौजूद क्षेत्रीय विषमताओं को मिटाने की दृष्टि से, हमने इस प्रयोजन के लिए 700 करोड़ रूपए प्रदान किये है। इस अनुदान का प्रयोग जलापूर्ति और सफाई सुविधाओं में सुधार लाने जीर्ण-शीर्ण बांधों की बहाली करने, सड़कों व पुलों का निर्माण करने, और भूमिगत जल को फिर से प्रयोग में लाने/वर्षा के पानी का संचयन करने से संबंधित योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

(iii) शहरी क्षेत्रों का विकासः इलाहाबाद शहर के भौतिक अवसंरचना को सुधारने के लिए 52.47 करोड़ रूपए का अनुरोध किया गया है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री आते हैं। यह अनुदान जल आपूर्ति, जल निकास, मल-व्ययन मवेशीगर, बूचड़खाने, पार्कों आदि जैसे विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित है। हमने इस प्रयोजन हेतु 40 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

उत्तरांचल

(i) *राज्य राजधानी का विकास :* राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी के विकास के लिए 398 करोड़ रूपए की राशि का अनुरोध किया है। हमने उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले जमीन पर राज्य स्तर की अवसंरचना के सृजन के लिए 200 करोड़ रूपए प्रदान किये है, जिसमें सचिवालय, एसेम्बली भवन, लोक सेवा आयोग और अन्य भवनों का निर्माण शामिल है।

(ii) पर्यटन को बढ़ावा देनाः राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों के भौतिक अवसंरचना में सुधार लाने, पर्यटन स्थलों में यात्रियों की पहुंच को सुगम बनाने और नये पर्यटन स्थलों का विकास करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं. इन प्रस्तावों की लागत लगभग 325 करोड़ रूपए तक है। हमने इस प्रयोजन हेतु 35 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

स्वास्थ्य आधारभूत ढांचाः राज्य सरकार ने उत्तरांचल और अन्य राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला नेत्र देखभाल हेतु देहरादून में 50 बिस्तरवाला विशेष नेत्र अस्पताल की स्थापना के लिए 6 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने यह व्यक्त किया है कि इस अस्पताल में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी, क्योंकि राज्य में इस समय ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने इस प्रयोजन हेतु 5 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

पश्चिम बंगाल

(i) भूमिगत जल का आर्सेनिकल प्रदूषणः भूमिगत जल का आर्सेनिकल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के कतिपय क्षेत्रों को पीड़ित करने वाली एक गंभीर समस्या है। 4,747 निवास स्थानों में लगभग 77.76 लाख की जनसंख्या को आर्सेनिक मुक्त जल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने अपने लिए लगभग 964 करोड़ रूपए की निधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। भूमिगत जल के आर्सेनिकल प्रदूषण के कारण समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाली गंभीर आशंका को देखते हुए हमने इस प्रयोजन हेतु 600 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(ii) मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पद्मा नदी के कटाव से संबंधित समस्याएँः राज्य सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पद्मा नदी के गंभीर तट कटाव के कारण उत्पन्न समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समस्या की गंभीरता समय के साथ-साथ बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने 60 करोड़ रूपए प्रदान किये थे। राज्य सरकार ने दो जिलों में महत्वपूर्ण कटाव-रोधी योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का

अनुरोध किया है। हमने इस प्रयोजन हेतु 190 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

(iii) सुन्दरबन क्षेत्रों का विकासः राज्य सरकार ने सुन्दरबन क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ रूपए के अनुदान का अनुरोध किया है। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि सुन्दरबन मुख्य रूप से एकतटवर्ती क्षेत्र है, जहां यात्रियों की पहुंच उतनी सुगम नहीं है। इस क्षेत्र की जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में, कृषि के विकास, तटबंधन को मजबूत बनाने, संचार सुविधाओं के विकास, विद्युत आपूर्ति के प्रावधान आदि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। हमने इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रूपए प्रदान किए हैं।

10.28 सारणी 10.11 में राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए हमारे द्वारा अनुशंसित सहायता अनुदानों का विवरण दिया गया है। चूंकि इन अनुदानों का उपयोग पिछले चार वर्षों में समान रूप से चरणबद्ध तरीके से किया गया, इसलिए इस उपयोग को संकेतक स्वरूप में लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार केन्द्र सरकार को अनुदानों के अपेक्षित उपयोग के संबंध में सूचित कर सकती है।

10.29 राज्यों के कुल अंतरणों को दर्शाने वाला एक विवरण सारणी 10.12 में दिया गया है।

❑❑

सारणी 10.11

राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
असम	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50	130.00
बिहार	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
छत्तीसगढ़	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
गोवा	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
गुजरात	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
हरियाणा	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
झारखंड	0.00	82.50	82.50	82.50	82.50	330.00
कर्नाटक	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
केरल	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
मध्य प्रदेश	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
महाराष्ट्र	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
मणिपुर	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00
मेघालय	0.00	8.75	8.75	8.75	8.75	35.00
मिजोरम	0.00	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00
नागालैंड	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	45.00
उड़ीसा	0.00	42.50	42.50	42.50	42.50	170.00
पंजाब	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
राजस्थान	0.00	112.50	112.50	112.50	112.50	450.00
सिक्किम	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
तमिलनाडु	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
त्रिपुरा	0.00	12.25	12.25	12.25	12.25	49.00
उत्तर प्रदेश	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
उत्तरांचल	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
पश्चिम बंगाल	0.00	222.50	222.50	222.50	222.50	890.00
कुल राज्य	**0.00**	**1775.00**	**1775.00**	**1775.00**	**1775.00**	**7100.00**

सारणी 10.12

राज्यों को कुल वित्त आयोग अंतरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	केन्द्रीय कर एवं शुल्क में हिस्सा (2005-10)	सहायता अनुदान: आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा (2005-10)	स्वास्थ्य क्षेत्र (2005-10)	शिक्षा क्षेत्र (2005-10)	सड़क एवं पुलों का रखरखाव (2006-10)	भवनों का रखरखाव (2006-10)	वनों का रखरखाव (2005-10)	ऐतिहासिक विरासत संरक्षण (2006-10)	राज्यों की विशेष आवश्यकताएं (2006-10)	स्थानीय निकाय (2005-10)	आपदा राहत (2005-10)	कुल (कालम 3 से कालम 12)	कुल अंतरण (कालम 2+ कालम 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	45138.68				980.12	242.53	65.00	40.00	500.00	1961.00	1425.93	5214.58	50353.26
अरुणाचल प्रदेश	1767.34	1357.88			44.36	57.42	100.00	5.00	10.00	71.00	112.56	1758.22	3525.56
असम	19850.69	305.67	966.02	1107.37	330.12	230.64	40.00	20.00	130.00	581.00	767.89	4478.71	24329.40
बिहार	67671.04		1819.69	2683.76	309.36	359.61	5.00	40.00	400.00	1766.00	592.37	7975.79	75646.83
छतीसगढ़	16285.76				262.40	183.09	85.00	10.00	300.00	703.00	444.45	1987.94	18273.70
गोवा	1589.14				39.48	24.18	3.00	20.00	10.00	30.00	8.73	135.39	1724.53
गुजरात	21900.47				895.20	203.61	20.00	25.00	200.00	1345.00	1019.47	3708.28	25608.75
हरियाणा	6596.46				182.72	151.80	2.00	15.00	100.00	479.00	515.46	1445.98	8042.44
हिमाचल प्रदेश	3203.22	10202.38			261.64	147.60	20.00	10.00	50.00	155.00	400.52	11247.14	14450.36
जम्मू और कश्मीर	7441.71	12353.46			117.68	164.54	30.00	10.00	100.00	319.00	343.89	13438.57	20880.28
झारखंड	20624.02		360.98	651.73	409.04	159.61	30.00	10.00	330.00	580.00	501.46	3032.82	23656.84
कर्नाटक	27361.88				1458.12	205.12	55.00	50.00	600.00	1211.00	475.16	4054.40	31416.28
केरल	16353.21	470.37			642.32	103.50	25.00	25.00	500.00	1134.00	354.32	3254.51	19607.72
मध्य प्रदेश	41180.59		181.64	459.56	586.88	443.02	115.00	20.00	300.00	2024.00	1011.27	5141.37	46321.96
महाराष्ट्र	30663.19				1189.68	223.61	70.00	50.00	300.00	2774.00	923.77	5531.06	36194.25
मणिपुर	2221.44	4391.98			76.96	37.71	30.00	5.00	30.00	55.00	22.11	4648.76	6870.20
मेघालय	2276.61	1796.86			86.40	35.02	30.00	5.00	35.00	58.00	44.88	2091.16	4367.77
मिजोरम	1466.52	2977.79			42.12	23.29	25.00	5.00	65.00	30.00	26.19	3194.39	4660.91
नागालैंड	1613.67	5536.50			120.88	46.17	25.00	5.00	45.00	46.00	15.19	5839.74	7453.41
उड़ीसा	31669.47	488.04	196.37	323.30	1475.08	389.14	75.00	50.00	170.00	907.00	1199.37	5273.30	36942.77
पंजाब	7971.00	3132.67			420.96	151.80	2.00	10.00	96.00	495.00	605.16	4913.59	12884.59
राजस्थान	34418.56			100.00	633.32	213.09	25.00	50.00	450.00	1450.00	1722.50	4643.91	39062.47
सिक्किम	1392.94	188.67			18.64	32.15	8.00	5.00	100.00	14.00	69.74	436.20	1829.14
तमिलनाडु	32552.74				1214.40	242.53	30.00	40.00	300.00	1442.00	866.46	4135.39	36688.13
त्रिपुरा	2626.09	5494.20			61.48	50.11	15.00	5.00	49.00	65.00	51.12	5790.91	8417.00
उत्तर प्रदेश	118209.45		2312.38	4454.07	2403.16	600.28	20.00	50.00	800.00	3445.00	1177.11	15262.00	133471.45
उत्तरांचल	5762.22	5114.68	50.00		324.56	97.60	35.00	5.00	240.00	196.00	369.28	6432.12	12194.34
पश्चिम बंगाल	43303.91	3044.72		391.86	412.92	181.23	15.00	40.00	890.00	1664.00	933.64	7573.37	50877.28
जोड़ राज्य	**613112.02**	**56855.87**	**5887.08**	**10171.65**	**15000.00**	**5000.00**	**1000.00**	**625.00**	**7100.00**	**25000.00**	**16000.00**	**142639.60**	**755751.62**

अध्याय 11

राजकोषीय सुधार सुविधा

11.1 हमारे विचारार्थ विषयों के पैरा 8 में हमसे "ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई राजकोषीय सुधार सुविधा का पुनरीक्षण करना और उसके उद्देश्यों की प्रभावी उपलब्धि के लिए उपाय सुझाना" अपेक्षित है।

पृष्ठभूमि

11.2 ग्याहरवें वित्त आयोग से उसके अतिरिक्त विचारार्थ विषय के एक भाग के रूप में, जिसे 28 अप्रैल, 2000 को अधिसूचित किया गया था, राज्यों की राजस्व हानि में कटौती की ओर लक्षित एक अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने और उनके आयोजना-भिन्न राजस्व लेखों में मूल्यांकित घाटे को पूरा करने के लिए तरीके की अनुशंसा करने के लिए कहा गया था, जिससे राज्यों को दिए गए अनुदानों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति से जोड़ा जा सके। जनवरी 2000 में प्रस्तुत अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, ग्याहरवें वित्त आयोग ने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदानों के लिए केन्द्रीय बजट 2000-01 में 11000 करोड़ रुपए के एकमुश्त प्रावधान की अनुशंसा की है। इसके पश्चात, जुलाई 2000 में प्रस्तुत अपनी मुख्य रिपोर्ट में, ग्याहरवें वित्त आयोग ने 15 राज्यों के लिए 2000-2005 के दौरान 35359 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की अनुशंसा की है। शेष 10 राज्यों का राजस्व अधिशेष के लिए निर्धारण किया गया है।

11.3 अप्रैल 2000 की अधिसूचना द्वारा समनुदेशित अधिदेश के संबंध में, ग्याहरवें वित्त आयोग ने 30 अगस्त, 2000 को एक अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि राजस्व हानि के लिए केवल 15 राज्यों का निर्धारण किया गया था और परिणामस्वरूप, राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ये राज्य शामिल हो सकते थे, ग्याहरवें वित्त आयोग के बहुमत ने एक प्रोत्साहन निधि द्वारा सभी राज्यों को (तब 25) राजकोषीय निष्पादन आधारित अनुदान उपलब्ध कराने का समर्थन किया था। प्रोत्साहन निधि का गठन दो भागों में करने की अनुशंसा की गई थी, एक, 15 राज्यों के लिए 35359 करोड़ रुपए घाटा अनुदानों के 15 प्रतिशत को रोककर और दूसरा वर्ष-वार चरणबद्धता के साथ, भारत सरकार द्वारा एक समान अंशदान द्वारा, जैसा कि सारणी 11.1 में दर्शाया गया है।

11.4 वर्ष 2004-05 तक सभी राज्यों के राजस्व घाटे के कुल स्तर को शून्य तक लाने के समग्र उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में, ग्याहरवें वित्त आयोग ने राज्यों के राजकोषीय निष्पादन के माप के रूप में पांच संकेतकों की पहचान की है और प्रत्येक के लिए भारांशों की अनुशंसा की है, जैसा नीचे निर्दिष्ट हैः

सारणी 11.1

प्रोत्साहन निधि का संघटन

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजस्व हानि अनुदानों का रोका गया भाग	केन्द्र का अंशदान	कुल निधि
2000-01	1523.06	598.48	2121.54
2001-02	1080.43	1041.11	2121.54
2002-03	994.64	1126.91	2121.55
2003-04	861.74	1259.81	2121.55
2004-05	843.99	1277.55	2121.54
कुल	**5303.86**	**5303.86**	**10607.72**

क्रम सं.	संकेतक	भारांश (प्रतिशत)
(i)	कर राजस्व में वृद्धि	30
(ii)	कर भिन्न राजस्व में वृद्धि	20
(iii)	वेतन और भत्तों पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में वृद्धि	30
(iv)	ब्याज भुगतान	10
(v)	सब्सिडियों में कटौती	10

यह कहा गया था कि अनुवीक्षण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र और भारांश केवल सुझाव मात्र थे। राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करते समय इन्हें उपयुक्त रूप से आशोधित किया जा सकता है। ईएफसी की मुख्य रिपोर्ट के निर्दिष्ट सुधार की व्यापक विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए समग्र निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कुछ क्षेत्रों में अधिक उपलब्धि को अन्यों में कमी के विरूद्ध संतुलित किया जा सकता है।

राजकोषीय सुधार सुविधा की योजना

11.5 जैसा कि ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी, ईएफसी द्वारा अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदान का 85 प्रतिशत उसे निष्पादन के साथ संबद्ध किए बिना राज्यों को निर्मुक्त किए जाने के लिए छोड़ते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय सुधार सुविधा (एफआरएफ) के रूप में एक प्रोत्साहन निधि का गठन किया गया था। शेष 15 प्रतिशत, जो भाग "क" में शामिल है, को राजकोषीय

निष्पादन में सुधार से जोड़ा गया है। जहां तक भाग "ख" का संबंध है, 1971 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर, राज्यों का प्रारंभिक हिस्सा यथानुपातिक आधार पर निर्धारित किया गया था। यह राशि राज्यों को विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के संबंध में निष्पादन के एक सुधरे हुए स्तर को प्राप्त करने पर उपलब्ध कराई जानी थी।

11.6 एफआरएफ की योजना को शुरू करते समय, प्रोत्साहन निधि से निर्मुक्ति करने के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने एक एकल अनुवीक्षणीय संकेतक का निर्धारण किया है। यह संकेतक प्रत्येक राज्य से 1999-2000 के आधार वर्ष के संदर्भ में मापित 2004-05 तक प्रत्येक वर्ष के लिए उनकी राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में राजस्व घाटे अधिशेष में कम से कम 5 प्रतिशत का सुधार प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। राजस्व घाटे में निम्न शामिल थेः-

(i) आकस्मिक देयताएं जैसे उस वर्ष में देय वचनबद्धताएं और आश्वासन पत्र, जो प्रत्यक्ष रूप से बजट दायित्वों का संघटन करेंगे; और

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को देय सब्सिडियां, चाहे राज्य ऐसी सब्सिडी एक मुश्त रूप में अदा करे या नही; अतः राजस्व हानि के आकलन के प्रयोजनार्थ किसी राज्य विद्युत बार्ड (एसईबी) को संदेय बजट सब्सिडी की "पहचान" एक राजस्व व्यय के रूप में की जाएगी।

11.7 इस योजना के तहत, यदि कोई राज्य किसी वर्ष में उसके लिए प्रारंभतः उद्दिष्ट राशि को प्राप्त करने में असमर्थ था, तो यह राशि व्यपगत नहीं होगी, अपितु यह चौथे वर्ष अर्थात 2003-04 तक आगे ले जाई जाएगी। फिर भी यदि कोई राज्य प्रथम चार वर्षों के निष्पादन के आधार पर निर्दिष्ट राशि को पूरी तरह आहरित नहीं कर पाता, तो असंवितरित राशि सामान्य पूल का भाग हो जाएगी, जिसमें यथानुपात आधार पर पांचवे वर्ष में निष्पादनकारी राज्यों द्वारा साझेदारी की जाएगी, यह उन राशियों के अतिरिक्त होगी जिसके वे अन्यथा पात्र होते।

11.8 ग्याहरवे वित्त आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि केन्द्र सरकार बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के आतिरिक्त, अर्थोपाय अग्रिमों और अतिरिक्त खुले बाजार उधारों द्वारा, राजकोषीय सुधार कार्यक्रम संबद्ध सहायता पर भी विचार करे। इन सुविधाओं के वृहत-आर्थिक निहितार्थों और केन्द्र की राजकोषीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इन सुविधाओं के कार्यक्षेत्र और आयाम का निर्धारण किया जाना था। इन सुविधाओं को राज्यों द्वारा बनाए गए अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार कार्यक्रम से जोड़ा जाना था।

11.9 अनुदानों के उपयोग में प्रगति के पुनरीक्षण के लिए ग्याहरवें वित्त आयोग ने एक अनुवीक्षण अभिकरण के गठन की अनुशंसा की। वित्त मंत्रलाय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, आधार वर्ष 1999-2000 के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्यों की व्यापक रूप से प्राप्ति के लिए पांच वर्ष की अवधि के दौरान, राजस्व संवर्धन और व्यय अपचयन के लिए, प्रत्येक राज्य द्वारा प्रभावी उपाय किया जाना अपेक्षित था, जैसा कि ईएफसी की मुख्य रिपोर्ट में निर्धारित किया गया हैः-

(i) सकल रूप में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा कम करके स.रा.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत किया जाए;

(ii) सभी राज्यों का राजस्व घाटा, कुल मिलाकर, शून्य तक कम किया जाए;

(iii) राज्य क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 18 से 20 प्रतिशत के बीच रहे।

ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट में यह अनुशंसा भी की गई कि मजदूरी और वेतनों में वृद्धि 5 प्रतिशत अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि, जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए, ब्याज भुगतानों में वृद्धि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष तक सीमित रहे और वर्ष 2009-10 तक पूर्ण रूप से सब्सिडियों को समाप्त करने के दृष्टिगत अगली पांच-वर्षीय अवधि में सब्सिडी को 50 प्रतिशत तक नीचे लाना होगा। इन राजकोषीय उद्देश्यों की रूपरेखाओं के मद्देनजर, राज्य सरकारों से राजकोषीय उद्देश्य और सुधार, विद्युत क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र पुर्ननिर्माण और बजटीय सुधारों को शामिल करते हुए समयबद्ध कार्रवाई बिन्दुओं का अन्तर्ग्रथन करने के लिए कहा गया था। इन मार्गनिर्देशों पर आधारित प्रत्येक राज्य से एक मध्यम अवधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमटीएफआरपी) तैयार करने और केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के लिए कहा गया था।

11.10 ऊपर उल्लिखित योजना में उसके प्रारंभण के पश्चात कतिपय परिवर्तन किए गए। उन राज्यों के लिए जो पहले से ही राजस्व अधिशेष में थे, यह महसूस किया गया कि यह पर्याप्त होगा, यदि राजस्व बकाया को सुधारने के साथ राज्य वर्तमान राजस्व में से अपने वर्तमान (बीसीआर) बकाया में सम्मेय सुधार दर्शाए। अतएव, यह निर्णय लिया गया कि राजस्व अधिशेष वाले राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में बीसीआर में कम से कम तीन प्रतिशत बिंदुओं का सुधार किया जाना प्रत्याशित है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के मामले में, वर्ष, 2002-03 से प्रभावी कुल राजस्व प्राप्तियों में राजस्व घाटे के अनुपात में, दो प्रतिशत बिन्दु सुधार, उन्हें प्रोत्साहन निधि से निर्मुक्ति के लिए पात्र बनता है। सितंबर, 2003 से प्रभावी, भारत सरकार ने राज्यों में अनुदान एवं खुले बाजार उधारों के मिश्रण के जरिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आदि जैसे सुधारों की लागत के वित्तपोषण का निर्णय भी लिया। विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के मामले में, भारत सरकार ऐसी लागतों के 80 प्रतिशत का वित्तपोषण करेगी। विशिष्ट श्रेणी-भिन्न राज्यों के लिए, केन्द्र द्वारा ऐसी लागतों के 60 प्रतिशत की पूर्ति की जाएगी। इन उपायों के लिए प्रतिपक्ष निधियां इन राज्यों द्वारा अपने स्वयं के राजस्वों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। यह सुविधा उन राज्यों को प्राप्त नहीं है जो उस विशिष्ट वर्ष में बहुपक्षीय/द्विपक्षीय अभिकरणों से किसी भी संरचनात्मक समायोजन ऋण के लाभानुभोगी हैं। विभिन्न सुधार पहलों के लिए, भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता में अनुदानों

अतिरिक्त खुले बाजार उधारों के विभिन्न संघटक हैं। निम्न ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए, वित्तीय संस्थाओं के साथ ऋण की पुर्नसंरचना के लिए भी भारत सरकार की सहायता राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। "ऋण पुर्नसंरचना" में "ऋण पुनःअनुसूचीकरण" अथवा "पुनःवित्तपोषण शामिल है परन्तु "ऋण पूर्व-भुगतान" अथवा किसी "पुट" विकल्प का प्रयोग शामिल नहीं है। पुनःअनुसूचीकरण अथवा पुनःवित्त पोषण में पुराने ऋण की तुलना में नए ऋण पर निम्नतर ब्याज के कारण प्रीमियम का भुगतान शामिल हो सकता है। यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की एफआरएफ के जरिए, अतिरिक्त खुले बाजार उधार के आबंटन द्वारा पुर्नसंरचना की प्रीमियम लागत में राज्य के हिस्से के एक भाग में साझेदारी होगी। हमें सूचित किया गया है कि इस सुविधा के अंतर्गत नागालैंड और हिमाचल प्रदेश की सहायता की गई है।

11.11 31 अगस्त, 2004 की स्थिति के अनुसार, अनुवीक्षण समिति द्वारा 25 राज्यों के मध्यम अवधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया और 19 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दो राज्यों के समझौता ज्ञापन-उत्तरांचल और मध्यप्रदेश, विचार विमर्श के अंतिम चरणों में हैं और उनपर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। उत्तर प्रतेश और सिक्किम ने अपने समझौता ज्ञापनों में संशोधनों के लिए कहा है और अभी उन्हें संशोधित ज्ञापन उपलब्ध कराया जाना है। नवंबर, 2004 के मध्य तक 10607.72 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि से निर्मुक्त हुई कुल राशि 5029.51 करोड़ रुपए थी। इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आदि के लिए निर्मुक्त 40.65 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। ये निर्मुक्तियां त्रिपुरा, उड़ीसा, राजस्थान तथा कर्नाटक को छोड़कर जिन्हें 2003-04 के लिए भी निर्मुक्तियां दे दी गई हैं, वर्ष 2000-01 से 2002-03 से संबंधित थी। कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे/अधिशेष के अनुपात के संबंध में व्यष्टि राज्यों के निष्पादन और व्यष्टि राज्यों को निधि से किए गए कुल निर्मुक्तियों के ब्यौरे अनुबंध 11.1 में निर्दिष्ट हैं। अनुबंध 11.2 में निधि के भाग क और भाग ख से राज्यों को की गई वर्ष-वार निर्मुक्तियां निर्दिष्ट हैं।

11.12 राज्यों के एफआरएफ पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में यह परिकल्पित है कि, यदि राज्य क्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2005-06 तक, प्रत्येक वर्ष राजस्व प्राप्तियों (आरआर) के प्रतिशत के रूप में, राजस्व घाटे में औसतन पांच प्रतिशत बिन्दु की कटौती हासिल करता है, वह क्षेत्र समग्र रूप से राजस्व शेष के अन्तर्गत आ जाएगा। इस उद्देश्य के प्रति, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा सूचित राज्यों का निष्पादन सारणी 11.2 में दर्शाया गया है। इस सारणी से यह अवलोकित किया गया है कि राज्यों ने आधार वर्ष 1999-00 की तुलना में लक्षित 15 प्रतिशत बिन्दु कटौती के प्रति 2002-03 तक आरडी/आरआर अनुपात में 6.23 प्रतिशत बिन्दु कटौती प्राप्त की है। वर्ष 2003-04 में, स्थिति में 1.89 प्रतिशत बिंदुओं का ह्रास हुआ तथापि, आयोग द्वारा संग्रहित आंकड़े राज्यों के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों में राजस्व घाटे/अधिशेष का अनुपात (निवल लाटरियों सहित) 1999-00 से लेकर 2002-03 तक 6.24 प्रतिशत गिरकर प्रत्येक वर्ष में थोड़ा सा भिन्न परिणाम दर्शाता है जैसाकि सारणी 11.3 में निर्दिष्ट किया गया है। वर्ष 2003-04 में 2.05 प्रतिशत बिन्दु का और ह्रास हुआ।

11.13 हमें सूचित किया गया है कि विस्तारित अग्रिम अर्थोपायों और अतिरिक्त खुले बाजार उधारों द्वारा राजकोषीय सुधार कार्यक्रम संबद्ध सहायता के लिए, ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा परिकल्पित योजना के अनुसार, (i) संरचनात्मक समायोजन भार की पूर्ति के लिए, जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा केन्द्रीय सिविल सेवा का आकार कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/पृथक्करण भुगतान आवश्यक हो गया है और (ii) राजकोषीय सुधार कार्यक्रम से जुड़े कदमों, यदि इनकी एक प्रारंभिक "सुधार लागत" है जो बजट पर प्रभाव डालती है, राज्यों को खुले बाजार उधारों द्वारा अतिरिक्त राशियों का आबंटन किया जा रहा है। सात राज्यों राज्यों, नामतः नागालैंड, केरल, मिजोरम, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडू, उड़ीसा, और सिक्किम को चालू सुधार पहलों के निधियन के लिए 2363 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त खुले बाजार उधारों की अनुमति दी गई थी। राजकोषीय रूप से दबावाधीन छः राज्यों नामतः मणिपुर, उड़ीसा, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नागालैंड को उनके द्वारा एमटीएफआरपी तैयार कर लेने और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन कर लेने के पश्चात 2002-03 के लिए उनके प्रारंभिक घाटे के 66 प्रतिशत के निधियन के लिए 3151 करोड़ रुपए के मध्यम अवधि ऋणों की व्यवस्था की गई। संरचनात्मक सुधारों के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन निधि के भाग "ख" से अनुदान के रूप में अब तक कुल 40.65 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और केरल को निर्मुक्त 29.91 करोड़ रुपए और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नागालैंड और पंजाब को निर्मुक्त 10.74 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सारणी 11.2

कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) में राजस्व घाटे/अधिशेष का अनुपात

आरडी/टीआरआर अनुपात	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 ब.अ./स.अ.	2004-05 ब.अ
एफआरएफ उद्देश्य	-27.40	-22.40	-17.40	-12.40	-7.40	-2.40
निष्पादन	-27.23	-23.85	-24.49	-21.00	-22.89*	-

स्रोतः वित्त मंत्रालय

***: 24 राज्यों के लिए सं. अ./4 राज्यों के लिए ब.अ.**

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, अतिरिक्त खुले बाजार उधारों के रूप में मणिपुर (5.20 करोड़ रुपए), केरल(200.00 करोड़ रुपए), लागालैंड (0.81 करोड़ रुपए) और हिमाचल प्रदेश (49.98 करोड़ रुपए) को कुल 255.99 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है।

वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य-आवधिक समीक्षा

11.14 वित्त मत्रालय ने 2004 की आरम्भिक अवधि में सुविधा की एक मध्य आवधिक समीक्षा की। कुछ बिन्दु, जिन पर समीक्षा में विशेष प्रकाश डाला गया है और जो हमारे विचारार्थ विषयों से संबद्ध हैं, निम्नानुसार हैः-

सारणी 11.3

कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे/अधिशेष का अनुपात

सभी राज्य	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 सं.अ.	2004-05 ब.अ.
आरडी/टीआरआर अनुपात	-27.53	-23.59	-25.19	-21.29	-23.34	-13.99

(i) कर और कर-भिन्न राजस्वों दोनों में राज्यों का निष्पादन ग्याहरवें वित्त आयोग के अनुमानों के समनुरूप रहा है। समस्या, विशेषतया बढते हुए ब्याज भार के कारण, राजस्व व्यय के रूझानों, में निहित है।

(ii) निष्पादन के आधार पर, 5 राज्यों का वर्गीकरण निरंतर सुधरते हुए राज्यों के रूप में (केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम, और छत्तीसगढ़), 4 राज्यों का निरंतर ह्रासित हुए राज्यों के रूप में (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और झारखंड), 12 राज्यों का आरम्भ में सुधार और बाद में ह्रास दर्शाने वाले (पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, बिहार, तमिल नाडू, मणिपुर, मध्यप्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा और मेघालय) और शेष राज्यों का प्रारंभ में ह्रास और बाद में सुधार दर्शाने वाले राज्यों के रूप में (महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और उड़ीसा) किया जा सकता है;

(iii) सभी राज्यों के लिए अनुपात में एक समान पांच प्रतिशत बिन्दु सुधार के निर्धारण में "स्वीकार्य रूप सें" एक अभिकल्पन असफलता थी। सुधार अवधि, 1999-2000 के आरंभ में, राज्यों के पास राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटों के अलग-अलग परिमाण थे। जहां राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में औसत राजस्व घाटा 27 प्रतिशत था, व्यष्टि राज्यों के अनुपात 10 प्रतिशत (त्रिपुरा) से लेकर 90 प्रतिशत (प. बंगाल) के बीच कहीं अधिक उच्चतर थे। एक वैकल्पिक अभिकलपन वार्षिक रूप से पश्चिम बंगाल के लिए 18 प्रतिशत बिन्दु सुधार और त्रिपुरा के लिए 2 प्रतिशत बिन्दु सुधार का निर्धारण हो सकता था। यदि राज्य अधिक विशाल आधार वर्ष घाटों के साथ शुरू करते हैं, तो उनके लिए प्रारंभिक वर्षों में भारी सुधार करना सापेक्ष रूप से आसान होता है। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल एक वर्ष में अनुपात घटाकर 52 प्रतिशत करने में समर्थ रहा, जो 38 प्रतिशत बिन्दु सुधार है। इस प्रकार राज्य ने एक वर्ष में वह प्राप्त किया, जिसकी उससे पांच वर्ष में प्राप्त करने की आशा थी;

(iv) हालांकि सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) और राजस्व घाटे (आरडी) में कमी आई हैं, और उनके और सुधरने का अनुमान है, स.घ.उ. के 2.5 प्रतिशत पर जीएफडी और 2004-05 तक शून्य राजस्व घाटे के "दृढ सुधार" उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावना कम ही है। एक कार्यक्रम जो आयोजना राजस्व घाटे की समस्या का पूर्णतःनिवारण नहीं करता; राजस्व घाटे का पूर्णतया उन्मूलन करने में समर्थ नहीं हो सकता है;

(v) यह सुविधा एक सुदृढ़, निर्वहनीय ऋण मार्ग की ओर सुस्थिर समाभिरूपता की आवश्यकता का निवारण करने में अधिकतम असफल रही है। किसी भी मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार का अंततः उद्देश्य ऋण को वहनीय स्तरों तक नीचे लाना है। कुल राजस्व प्राप्तियों में समेकित ऋण का स्टॉक (वचनबद्धताओं समेत) 300 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का लक्ष्य अपने एमटीएफआरपी के जरिए अंततः इस उद्देश्य तक पहुंचना होना चाहिए,;

(vi) राज्यों के ऋण के संबंध में सुधारात्मक उपायों जैसे ऋण अदला-बदली व्यवस्था, ऋण के अत्यधिक दबावधीन राज्यों के लिए विशेष राहत आदि पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

राज्यों के विचार

11.15. राज्यों ने सुविधा समाप्त करने, प्रोत्साहन निधि के आकार में वृद्धि करने और मानदंड बदलने के बारे में सुझावों सहित एफआरएफ के बारे में अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। राज्यों द्वारा उनके ज्ञापनों में यथाप्रस्तुत विचार संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैः

(i) यह योजना संविधान के अनुच्छेद 275 की भावना के विपरीत जाती है क्योंकि यह सुविधा उन राज्यों को सुविधा देती है जो घाटे में नहीं है और इसलिए उन्हें अनुदानों की आवश्यकता नहीं है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि आयोग यह महसूस करता है कि अनुदानों की सशर्त निर्मुक्ति संवैधानिक रूप से व्यवहार्य है तो योजना में अंत-निर्मित नम्यता होनी चाहिए और उन बाहरी कारकों के लिए यथेष्ट छूट दी जानी चाहिए जिनपर राज्यों का कोई नियंत्रण नहीं है।

(iii) एकल अनुवीक्षणीय कारक समाप्त कर दिया जाना चाहिए और मध्यावधिक उत्पति स्थान आधारित कार्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिए।

(iv) ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय करों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण कमी आई है। इसलिए राजस्व संग्रहण में केंद्र में निकृष्ट कार्यनिष्पादन के कारण राज्य निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं।

(v) निधि का आकार छोटा है और यह उचित प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराती है।

(vi) सहायता को सुधार के स्तर के अनुपात में दिया जाना चाहिए।

(vii) उन राज्यों के मामले में जो पांच वर्ष से पहले राजस्व प्राप्ति के प्रति राजस्व घाटे के अनुपात में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए वर्ष दर वर्ष कटौती खंड को संशोधित किया जाना चाहिए।

(viii) राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में राज्य के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन मुख्यतया प्राथमिक राजस्व घाटे में कमी के बारे में इसकी उपलब्धि पर आधारित होना चाहिए जिसमें नीतिगत विभेदक (जैसे राज्य का स्व राजस्व, पूर्व के ऋणों के कारण ब्याज अदायगी छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय, आदि) राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं।

(ix) अनुवीक्षणीय उद्देश्य (अर्थात राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती) जिस के अर्थ में मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कार्यनिष्पादन को आंका जाता है, की समीक्षा करने और इसे घटाकर 2 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

(x) प्रोत्साहन निधि बंद कर दी जानी चाहिए और निधि से निर्मुक्ति के लिए पूर्वशर्त के रूप में निर्धारित सभी मानदंड कार्य निष्पादन प्राचलों में अंतःनिर्मित होने चाहिएं जिनपर हस्तांतरण का सूत्र आधारित होगा।

(xi) एफआरएफ को इसके वर्तमान रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए और रोके गए सभी राजस्व घाटा अनुदानों को तत्काल राज्यों को निर्मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

(xii) राजकोषीय सुधारों हेतु प्रोत्साहन निधियों के रूप में अलग से केंद्रीय निधियां नामोद्दिष्ट की जानी चाहिए। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अंतर्निष्ठ पिछड़ेपन और परिस्थितियों को हिसाब में रखने वाली एक अन्य योजना ऐसे राज्यों के लिए बनाई जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय के विचार

11.16 आयोग ने इस सुविधा के कार्यकरण के संबंध में वित्त मंत्रालय के विशिष्ट विचार आमंत्रित किए थे। वित्त मंत्रालय ने सुविधा के कार्यान्वयन से सीखे कुछ महत्वपूर्ण सबकों को हमारे ध्यान में लाया है जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

(i) इस सुविधा ने प्रथम बार राज्यों को एमटीएफआरपी आहरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह राज्यों के वित्तों के प्रबंधन में उस हद तक महत्वपूर्ण प्रगति है कि राज्यों ने मध्यावधिक ढांचे पर राजकोषीय मामलों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है।

(ii) चूंकि प्रोत्साहन निधि का पचास प्रतिशत 16 राज्यों के आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान के रोके गए हिस्से से और शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार के अंशदान से किया गया था, राजस्व घाटे वाले राज्यों ने अननुपाती रूप से निधि में अंशदान किया है तथा शेष 12 राज्यों ने कोई अंशदान नहीं किया है। एक तरह से जबकि राजस्व घाटे वाले 16 राज्य अपने आयोजना-भिन्न घाटों को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन खोजेंगे यदि वे आवश्यक सुधार नहीं लाते हैं, अन्य राज्यों को राजकोषीय सुधार सुविधा से लाभ ही होना था और उनके लिए कोई नकारात्मक प्रोत्साहन नहीं था।

(iii) 5 वर्ष की अवधि में 10600 करोड़ रुपए और 2120 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की प्रोत्साहन निधि का आकार इस तथ्य को मानते हुए तुलनात्मक रूप से छोटा था कि राज्यों को कर हस्तांतरण, अनुदान (आयोजना और आयोजना-भिन्न) और लघु बचत अंतरणों/आयोजना ऋणों सहित कुल अंतरण औसतन क्रमशः 60000 करोड़ रुपए, 40000 करोड़ रुपए और 90000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हैं। त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) जैसी कुछ अन्य सुधार सुविधाओं के लिए अधिक वित्तीय आवंटन हैं।

(iv) राज्यों से प्रत्याशित था कि वे एक एमटीएफआरपी

तैयार करें जिसमें राजकोषीय अनुमानों की प्रत्याशा थी जिसमें ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपायों को लागू करने और वे उपाय करने जो राज्यों व केन्द्र सरकार की राय में औसतन प्रतिवर्ष 5 प्रतिशतांक के राजस्व घाटे में कमी के आवश्यक सुधार करने के लिए किए जाने अपेक्षित थे। सुधार परिदृश्य अनुमान तैयार करने के लिए राज्यों को एक मूलाधार परिदृश्य तैयार करना चाहिए जो 1999-2000 में रुझान और प्रचालनरत नीतिगत ढांचे के आधार पर हो। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राज्यों द्वारा अपनाए जाने की सहमति वाले विभिन्न उपायों के राजकोषीय प्रभाव के मूल्यांकन से सुधार कार्यक्रम प्राप्त होता। राज्यों ने मूलाधार अथवा सुधार आधारित अनुमान तैयार नहीं किए। कई राज्यों की एमटीएफआरपी ने 25 प्रतिशत राजस्व घाटा कमी/सुधार की उपलब्धि की संभावना भी नहीं बताई जिससे यह संकेत मिले कि राज्यों के पास कोई योजना/कार्यक्रम नहीं थे जिससे वे यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकें।

(v) प्रारंभ में विशेष श्रेणी के राज्यों सहित प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुपात में 5 प्रतिशतांक सुधार का एक समान मानदंड निर्धारित किया गया था। राजस्व अधिशेष वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन निधि से निर्मुक्ति के लिए मानदंड के रूप में चालू राजस्व से शेष में 3 प्रतिशतांक वार्षिक सुधार को उनके आयोजना-भिन्न राजस्व प्राप्ति के प्रतिशतांक के रूप में अपनाया गया था। तीसरे वर्ष में यह व्यवस्था करने के लिए मार्गनिर्देशों में संशोधन किया गया कि विशेष श्रेणी वाले राज्य 2 प्रतिशतांक का न्यूनतम सुधार कर सकते हैं (2002-03 से आगे)। विशेष श्रेणी वाले राज्यों को उनके अपने राजस्व और व्यय के साथ अपने कार्य-निष्पादन को जोड़ने के लिए इस मानदंड को और आशोधित किया जा सकता है क्योंकि इन राज्यों का समग्र राजकोषीय निष्पादन अननुपाती रूप से केन्द्रीय अंतरणों पर निर्भर है।

(vi) राजस्व घाटे की परिभाषा ने समस्याएं खड़ी की हैं। कुछ राज्यों ने विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं के घाटे सहित समेकित राजस्व घाटे के लिए तर्क दिए हैं। कुछ राज्य बीच में ही राजस्व घाटे की परिभाषा की पुनरीक्षण की मांग कर रहे थे। इससे विभिन्न राज्यों के लिए राजस्व घाटे की विभिन्न परिभाषाएं अपनाई गई। निर्मुक्ति मानदंड के परिणामस्वरूप भी कुछ राज्यों ने संख्याओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का सहारा लिया।

(vii) राज्यों द्वारा उनके समझौता ज्ञापनों में सहमति प्राप्त सुधार कार्यक्रम व सोपाधिकताएं प्रोत्साहन की निर्मुक्ति से जुड़ी नहीं थी। सहमति प्राप्त सुधारों के संबंध में राज्यों के लिए उपलब्धियां अथवा उनके अभाव का अनुवीक्षण करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था। इससे बढ़कर सुधार सोपाधिकता और उस पर आधारित किसी पुरस्कार/सजा के ढांचे के बीच असंबद्धता ने समझौता ज्ञापन की संरचना को बिल्कुल कमजोर बना दिया। समझौता ज्ञापनों को न तो सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया गया न ही अन्य राज्यों के साथ आदान-प्रदान किया गया।

(viii) सुधारों के वित्तपोषण की सुविधा उन राज्यों को उपलब्ध नहीं थी जो उस विशेष वर्ष में बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से किन्ही संरचनात्मक समंजन ऋणों के लाभार्थी थे। उस माध्यम का बिल्कुल सीमित प्रयोग हुआ है जो संरचनात्मक समंजन लागतों के लिए व्यवस्था करता है जो एफआरएफ का एक हिस्सा है।

11.17 वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया कि एफआरएफ के माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन एक द्विभागी सुविधा हो सकती है जिसमें प्रोत्साहन निधि का भाग क (कुल निधि का 60 प्रतिशत अंतर्विष्ट) बहुविध परन्तु अलग कसौटी पर आधारित राजकोषीय सुधार के सम्मत मार्ग/लक्ष्यों की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा और प्रोत्साहन निधि का भाग ख (कुल निधि का शेष 40 प्रतिशत अंतर्विष्ट) उन राज्यों को निर्मुक्त किया जाएगा जो कतिपय सम्मत सुधार कार्रवाई कर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि राजकोषीय निष्पादन के पांच सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक हैं, नामतः

(i) राज्य के कुल कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व और केन्द्रीय करों में हिस्से को मिलाकर) के प्रति ब्याज व पेंशन का अनुपात, स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कि राज्यों के कर राजस्व का कितना भाग वर्तमान में अनुत्पादक व्यय के निधि पोषण में जाता है;

(ii) राज्यों के कुल कर राजस्व में कर्मचारियों के वेतन, पारिश्रमिक और अन्य व्यक्तिगत लाभों की लागतों का अनुपात जो सरकार की वर्तमान कार्मिक सुपुर्दगी लागत को दर्शाता है;

(iii) राज्य के ऋण और देनदारियों के स्वीकार्य स्तर के प्रति राज्य के वर्तमान ऋण व देनदारियों का अनुपात; ऋण और देनदारियों के स्वीकार्य स्तर का निर्धारण यह परिकलित करके किया जाएगा कि भारतीय स्थिति में कर राजस्वों में 20 प्रतिशत का आदर्श ब्याज मानते हुए वर्तमान प्रभावी ब्याज दर पर कितने ऋण को समर्थित किया जा सकता है।

(iv) राजस्व प्राप्तियों में समेकित राजस्व घाटे का अनुपात (राज्य के स्वामित्व वाले सभी निकायों के घाटों/

हानियों सहित); और

(v) स.घ.उ. में राजकोषीय घाटे का अनुपात।

प्रोत्साहन निधि के भाग क को निष्पादन के साथ इन पांच संकेतकों से जोड़ा जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को कुछ भारांश दिया जा सकता है। राज्यों से कहा जाना चाहिए कि वे आधार वर्ष (2004-05) अनुपात और प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित लक्ष्य अनुपातों (टीएफसी द्वारा अनुशंसित किए जाने हैं) के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए मध्यावधि सुधार कार्यक्रम बनाएं। प्रत्येक वर्ष वार्षिक उपलब्धियों के आधार पर आनुपातिक निर्मुक्तियां की जा सकती हैं। प्रोत्साहन निधि का भाग ख विशिष्ट राजकोषीय सुधार कार्रवाई का प्रोत्साहित करने के निहितार्थ होगा। सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में सुझाई गई कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्रवाईयां ये हैं:

(क) राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान का अधिनियमन;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट तक अभिगम बंद करना;

(ग) अनिधिपोषित पेंशनों को पेंशन निधि में परिवर्तित करते हुए पेंशनों को सुप्रवाही बनाना;

(घ) प्रत्येक परियोजना का अनिवार्य रूप से वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण और अंतर के लिए एकमुश्त प्रावधान;

(ङ) राज्य के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय प्रणाली से पारिश्रमिक और मुद्रास्फीति बढ़ोतरी को असंबद्ध करना;

(च) वैट को लागू किया जाना; और

(छ) राजकोषों, राजकोषीय लेनदेन प्रबंधन और ऋण रिकार्डिंग व प्रबंधन का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण।

प्रत्येक विशिष्ट कार्रवाई को राजकोषीय अनुदान की निर्दिष्ट राशि उपलब्ध करा के प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि राज्य इसे हासिल कर लेता है तो प्रोत्साहन निर्मुक्त किया जा सकता है।

हमारा विश्लेषण और दृष्टिकोण

11.18 हमने मूल्यांकन के दृष्टिकोण से इस सुविधा के कार्यकरण का विस्तार से विश्लेषण किया है कि क्या इसने अपने उद्देश्य पूरे किए हैं। ऐसा करते समय हमने वित्त मंत्रालय की मध्यावधि समीक्षा में प्रस्तुत किए गए बिन्दुओं और केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आयोग को किए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है। हमने नोट किया है कि सुविधा के बताए गए उद्देश्यों के अनुसार राजकोषीय लक्ष्य मुख्यतया विद्युत क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आदि में सुधार उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ राज्यों के जीएफडी, राज्यों के राजस्व घाटे, ब्याज अदायगियों, पारिश्रमिक और वेतन तथा सब्सिडियों में कटौती से संबंधित हैं।

11.19 मध्यावधि समीक्षा में विभिन्न राजकोषीय सुधार पहलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्संरचना में सुधार पहलों, राज्यों द्वारा किए गए विद्युत क्षेत्र और बजटीय सुधारों को इस सुविधा का सकारात्मक परिणाम बताया है। यद्यपि योजना की शुरूआत उन राज्यों में अनुशासन की कतिपय मात्रा प्रदान करती प्रतीत होती है क्योंकि उन्हें एमटीएफआरपी तैयार करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया गया है और राजकोषीय समेकन हेतु आवश्यकता के प्रति उन्हें सुग्राही बना दिया है, वास्तविक राजकोषीय निष्पादन में योजना प्रभावी नहीं रही है। सभी राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में राजस्व घाटे की प्रतिशतता कुल मिलाकर 5 प्रतिशतांक वार्षिक सुधार पर आधारित 2003-04 में घटाकर 7.40 प्रतिशत की जानी थी। फिर भी, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े यह इंगित करते हैं कि 2003-04 में यह प्रतिशतता 22.89 प्रतिशत थी। फिर, 2000-01 से शुरू करके 5 वर्षों में से प्रत्येक में निधि से 2121.54 करोड़ रुपए की राशि की निर्मुक्ति प्रत्याशित थी। वास्तव में निर्मुक्त राशियां 2000-01 में 2006.67 करोड़ रुपए, 2001-02 में 1691 करोड़ रुपए, 2002-03 में 1037.52 करोड़ रुपए और 2003-04 में 253.67 करोड़ रुपए हैं। वास्तव में 2000-03 में की गई निर्मुक्तियां प्रत्याशित निर्मुक्तियों का 74.4 प्रतिशत बैठती हैं। यह मिलकर भाग क में से प्रत्याशित निर्मुक्तियों का 87.88 प्रतिशत और भाग ख में से प्रत्याशित निर्मुक्तियों का 56.85 प्रतिशत है।

11.20 सुधार दृश्यलेख के भाग के रूप में ईएफसी ने अनुमान लगाया था कि कुल मिलाकर 2003-04 में राज्यों का राजकोषीय घाटा 2.94 प्रतिशत और 2004-05 में और गिरकर स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार कुल मिलाकर राजस्व घाटा गिरकर 2002-03 में स.घ.उ. का 0.59 प्रतिशत और 2004-05 में शून्य हो जाना था। मध्यावधि समीक्षा यह उल्लेख करती है कि 28 राज्यों में से 12 में या तो सतत् सुधार हो रहा है अथवा आरंभिक ह्रास के पश्चात सुधार दर्शित हुआ है। शेष राज्यों ने सुधार नहीं दर्शाया है। जहां तक सभी राज्यों की समग्र स्थिति का संबंध है सारणी 11.4 में वास्तविक निष्पादन की तुलना में ईएफसी द्वारा किए गए आकलनों को दर्शाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वास्तविक राजकोषीय घाटा 1999-2000 की तुलना में 2003-04 (सं.अ.) में अधिक है।

11.21 ब्याज अदायगियों (जो कुल मिलाकर राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का 18-20 प्रतिशत होनी थी और 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित दरों पर बढ़नी थी) और वेतन पर व्यय (जिसकी अभिवृद्धि सुविधा के उद्देश्यों के अर्थों में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर सीमित होनी थी) के संदर्भ में सभी राज्यों का निष्पादन सारणी 11.5 में दर्शाया गया है। स्पष्ट रूप से, ईएफसी द्वारा निर्धारित और राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और ब्याज अदायगियों व वेतनों की अभिवृद्धि से संबंधित लक्ष्यों के बारे में एमटीएफआरपी में स्पष्ट किए गए उद्देश्य न तो पूरे किए गए हैं और न पूरे किए जाने की संभावना है।

11.22 वह प्रमुख उद्देश्य, जिसके आसपास इस सुविधा की संरचना की गई है, राज्यों के राजस्व घाटे को समाप्त करना है, ताकि पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिशेष उपलब्ध हो सकें। हमने अपनी रिपोर्ट में अन्यत्र सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करना चाहिए ताकि राजस्व घाटा 2008-09 तक समाप्त किया जा सके। हमारे विचारार्थ विषय हमसे

अपेक्षा करते हैं कि सुविधा के उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाएं। हमारे मत में वर्तमान योजना की मुख्य त्रुटियां ये हैं: (क) यह योजना विवेकशील राजकोषीय व्यवहार हेतु समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराती क्योंकि इस निधि का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा है; (ख) घाटा अनुदान को रोकने से ही राज्यों के वित्त में उतनी ही हानि होती है जितनी मात्रा के अतिरिक्त अंतराल की पूर्ति उधारों के जरिए की जाती है जिनके भावी उलझाव होते हैं; तथा (ग) एक समान लक्ष्य का नुस्खा सभी को अनिवार्यतः विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए पुरस्कृत नहीं करता है, क्योंकि यह भारी घाटे वाले राज्यों के लिए सहज तथा आसानी से हासिल होने वाला लक्ष्य देता है जबकि अधिक विवेकपूर्ण राज्यों के लिए कठिन लक्ष्य प्रदान करता है।

11.23 विवेकपूर्ण राजकोषीय व्यवहार के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निधि का आकार इसके वर्तमान आकार से काफी बड़ा होना चाहिए। तथापि, केन्द्र सरकार अपेक्षित आकार की प्रोत्साहन निधि सृजित करने के लिए संसाधन सृजित करने में सक्षम नहीं हो सकती है, विशेषतया आयोग द्वारा अन्यत्र अतिरिक्त संसाधन अंतरित करने की अनुशंसा के संदर्भ में। हम घाटा अनुदानों को रोकने के माध्यम से सुविधा स्थापित किए जाने के पक्ष में नहीं है जिनका आकलन प्रतिमानक आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमने यह देखा है कि केन्द्र सरकार सुविधा के निबंधनों एवं शर्तों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर सकी है। उदाहरणार्थ, राजस्व घाटा की परिभाषा सभी राज्यों के लिए समान नहीं रही है। निर्मुक्तियां हमेशा विश्वसनीय आंकड़ों यथा वित्त लेखों के आधार पर नहीं की गई हैं। राज्यों को समंजित करने के लिए चयनात्मक आधार पर परिवर्तन भी किए गए हैं, जब उन्हें राजकोषीय संकट का सामना करना पड़ा है। स्वयं को इस प्रकार की मनमाने ढंग से लोचशीलता प्रदान करने वाली योजना हमारे विचार से वांछनीय नहीं है।

11.24 हमने वित्त मंत्रालय द्वारा की गई इस टिप्पणी पर विचार किया है कि सुविधा स्थिर एवं वहनीय ऋण पथ के लिए समाभिरूपता की कमी की समस्या का समाधान करने में असफल रही है। हमारे विचार से विवेकपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाली तथा साथ ही राज्यों के ऋण भार की समस्या का समाधान करने वाली योजना राजस्व घाटे के उन्मूलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। अध्याय 12 में हमने राजकोषीय निष्पादन के आधार पर एक प्रोत्साहन योजना तैयार की है जो कि एफआरएफ में निर्दिष्ट उद्देश्यों की भी पूर्ति करेगी तथा साथ ही राज्यों को ऋण राहत भी प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

11.25 समिति ने 1999-2000 से 2003-04 की अवधि के दौरान अनेक राज्यों द्वारा अपनी-अपनी मध्यावधिक राजकोषीय स्थितियों में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को नोट किया है। राजकोषीय

सारणी 11.4

राज्यों के राजस्व और राजकोषीय घाटे

(स.घ.उ. के प्रतिशत)

		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
(i)	**राजकोषीय घाटा**					
	ग्यारहवें वित्त आयोग का अनुमान	4.71	4.27	3.83	3.38	2.94
	वास्तविक स्थिति	**4.64**	**4.16**	**4.09**	**3.94**	**4.97**
(ii)	**राजस्व घाटे**					
	ग्यारहवें वित्त आयोग का अनुमान	2.96	2.37	1.78	1.18	0.59
	वास्तविक स्थिति	**2.82**	**2.61**	**2.68**	**2.29**	**2.67**
(iii)	**बकाया ऋण (आरक्षित निधि और जमाखातों समेत)**					
	ग्यारहवें वित्त आयोग का अनुमान	25.07	26.46	27.24	27.49	27.27
	वास्तविक स्थिति	**25.20**	**27.42**	**29.37**	**31.15**	**31.23**

सारणी 11.5

राज्यों के ब्याज भुगतानों और वेतन पर व्यय का पार्श्व चित्र

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	22.46	22.42	25.23	26.04	26.07
ब्याज भुगतानों की वार्षिक संवृद्धि दर (%)	24.06	15.95	18.31	13.09	19.27
वेतन और भत्तों की वार्षिक संवृद्धि दर (%)	18.44	2.36	3.23	5.64	12.58

सुधार तथा समेकन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यावधिक कार्यक्रम तैयार करने की निस्संदेह आवश्यकता है। तथापि, मामले के दो पक्षों में विभिन्न तर्कों एवं विचारणाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति 2005-10 की अवधि के बाद एफआरएफ को जारी रखने की अनुशंसा नहीं करती है। जैसाकि पूर्व में विमर्श किया गया है, निम्नांकित प्रमुख कारण समिति की अनुशंसाओं के आधार है।

11.26 प्रथम, एफआरएफ के लागू रहने के बावजूद राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 तक स.घ.उ. के 2.9 प्रतिशत के सुधार परिदृश्य लक्ष्य की तुलना में वास्तव में वर्ष 1999-2000 में स.घ.उ. के 4.64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 (सं.अ.) में 4.97 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, राज्यों का राजस्व घाटा 1999-2000 में स.घ.उ. के 2.82 प्रतिशत से केवल मामूली रूप से गिरकर 2003-04 में 2.67 प्रतिशत हो गया। यह भी कि राज्यों का बकाया ऋण 1999-2000 में स.घ.उ. के 25.20 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2003-04 में 31.23 प्रतिशत हो गया। जबकि कई अन्य कारक भी इस अवधि के दौरान सक्रिय थे, इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि एफआरएफ ने पिछले पांच वर्षों में राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है।

11.27 दूसरे, यह प्रतीत होता है कि एफआरएफ की प्रोत्साहन निधि का पैमाना राज्यों द्वारा विवेकशील राजकोषीय व्यवहार के लघु-अवधि "पुरस्कारों" की तुलना में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था।

11.28 तीसरे, इस प्रकार की सुधार सुविधा का कार्य प्रचालन आवश्यक रूप से सोपाधिकता के स्थूल प्राचलों को लागू करने में निर्णय और विवेक की अपेक्षा करता है। इससे संघीय राजकोषीय ढांचे में अनेक दुविधाएं हुई हैं। शेष पर, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि वित्त आयोग के अंतरण यथा व्यवहार्य आत्मनिष्ठ और विवेकशील आयामों से मुक्त होने चाहिए।

11.29 अंततः राज्यों की मध्यावधिक राजकोषीय स्थिति सुधारने के सर्वोपरि महत्व को पहचानते हुए आयोग ने इन विचारणाओं को अध्याय 12 में वर्णनानुसार ऋण राहत योजना में प्रतिबिम्बित करने का निर्णय लिया है। यह अलग राजकोषीय सुधार सुविधा की आवश्यकता को अनावश्यक बनाता है।

❑❑

अध्याय 12

राज्यों की ऋण स्थिति : राहत और सुधारात्मक उपाय

12.1 हमारे विचारार्थ विषयों के पैरा 9 में हमसे यह अपेक्षा की गई है कि हम 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों की ऋण-स्थिति का आकलन करें और ऐसे सुधारात्मक उपाय सुझाएं जो बृहत-आर्थिक स्थिरता और ऋण की वहनीयता के अनुरूप जरूरी समझे जाएं। सिफारिशें करते समय, मानव विकास और निवेश संबंधी माहौल के क्षेत्र में राज्यों के कार्य-निष्पादन को महत्व दिया जाना था।

पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के दृष्टिकोण

12.2 दूसरा वित्त आयोग राज्य के ऋण के मुद्दे पर कार्रवाई करने वाला पहला आयोग था और इससे स्वतंत्रता के बाद और 31 मार्च, 1956 तक राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों की ब्याज दरों और वापसी-अदायगी की शर्तों के संबंध में सिफारिशें करने की अपेक्षा की गई थी। इसके बाद, छठे आयोग से राज्य-ऋण की समीक्षा एक विचारार्थ विषय रहा है। आठवें आयोग तक वित्त आयोगों के विचारार्थ विषयों में उनसे राज्यों के आयोजना-भिन्न पूंजी अंतर का मूल्यांकन करने और राज्यों को केन्द्रीय ऋणों के विशेष संदर्भ में ऋण स्थिति की समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती थी। इन आयोगों से समग्र योजना-भिन्न पूंजी अंतर और जिन प्रयोजनों के लिए ऋणों का उपयोग किया गया है तथा केन्द्र की जरूरतों के संबंध में ऋण-राहत के उपाय सुझाने के लिए कहा गया था। नौवें वित्त आयोग से आगे वित्त आयोगों को समग्र तौर पर राज्यों की ऋण-स्थिति की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने का अधिदेश दिया गया था। नौवें वित्त आयोग से विशेष तौर पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में किए गए निवेशों और उन्हें वित्तीय तथा प्रबंधकीय दक्षता में सुधार से जोड़ने के संदर्भ में सुधारात्मक उपाय सुझाने की अपेक्षा की गई थी। जहां दसवें वित्त आयोग को केन्द्र की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक उपाय सुझाने का अधिदेश प्राप्त था, वहीं ग्यारहवें वित्त आयोग से केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए ऋण की दीर्घकालिक वहनीयता पर विचार करने की अपेक्षा की गई थी। हमारे विचारार्थ विषय ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों से इस अर्थ में थोड़ा सा भिन्न है कि ऋण-वहनीयता के अलावा, ये उपाय बृहत-आर्थिक स्थिरता के भी अनुरूप होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सिफारिशों को मानव-विकास और निवेश संबंधी माहौल के क्षेत्र में राज्यों के कार्य-निष्पादन से जोड़ने की बात भी कही गई है।

12.3 हमने उस तरीके की जांच की है जिससे वित्त आयोगों ने विगत में राज्यों के ऋण और ऋण को वहनीय स्तरों पर बनाए रखने के लिए आवश्यक राजकोषीय उपायों की समस्या पर कार्रवाई की है। वित्त आयोगों ने उधार का सहारा लेते समय ऋण की लागत, उधार ली गई निधियों का उपयोग और उत्पादकता तथा ऋण-शोधन की व्यवस्थाओं पर विचार करने की जरूरत पर टिप्पणी की थी। विशेष रूप से, नौवें वित्त आयोग का विचार था कि लोक-ऋण की समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों को (क) राजस्व-व्यय के वित्त-पोषण हेतु इस्तेमाल न करने और (ख) पूंजीगत-व्यय हेतु उसे दक्षतापूर्वक और लाभकर रूप से इस्तेमाल करने में निहित था ताकि या तो आय अर्जित की जाए या अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि हो जिसकी परिणति सरकार के राजस्व में वृद्धि के रूप में हो। इसी प्रकार, दसवें वित्त आयोग ने भी टिप्पणी की थी कि राज्यों की ऋण-स्थिति की परेशान करने वाली विशेषताएं थीं - राजस्व व्यय पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग, अनुत्पादक अथवा गैर-निष्पादनकारी उद्यमों में ऋणों का उपयोग और सरकार के स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास अथवा निधियों के शोधन का प्रावधान न किया जाना। इसके परिणामस्वरूप लिए गए नए उधारों से वापसी-अदायगियां की गईं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह पाया कि ऋण के स्थिर और वहनीय स्तरों का निर्धारण (सांकेतिक) स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर, संबंधित सरकारों (केन्द्र/राज्य) द्वारा लिए गए ऋण की प्रभावी ब्याज दर, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर और स.घ.उ./स.रा.घ.उ. के संदर्भ में प्राथमिक व्यय, (ब्याज अदायगियों के अतिरिक्त दूसरा व्यय) जो वांछनीय माना जाए, पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। अन्य बातों के होते हुए, एक ऐसा राज्य जिसकी वृद्धि दर ब्याज दर की तुलना में अधिक हो, वह स.रा.घ.उ. के संदर्भ में, अधिक ऊंचे स्तर पर ऋण को वहन करने में सक्षम होगा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के ऋण-भार को कम करने के लिए वांछनीय उपायों का भी पता लगाया जो निम्नानुसार हैः (i) बढ़ी हुई राजस्व प्राप्तियों से बढ़ा हुआ ब्याज भार और बढ़ा हुआ प्राथमिक व्यय पूरा किया जाना चाहिए, (ii) राजस्व लेखे पर अधिशेष सृजित किया जाना चाहिए जो भावी वापसी अदायगी/देनदारियां पूरी करने के लिए एक ऋण-शोधन निधि में जमा किया जाना चाहिए और (iii) राज्य के राजस्व लेखे में शेष होना चाहिए और उसे वह बनाए रखना चाहिए।

12.4 जैसाकि हमारे विचारार्थ विषयों में अपेक्षा की गई है, हमने अध्याय 4 में पहले ही एक पुनर्संरचना योजना का सुझाव दिया है जो बजटीय संतुलन की बहाली करेगी और राज्यों तथा केन्द्र के लिए बृहत-आर्थिक स्थिरता और ऋण में कमी करने के साथ-साथ साम्यतापूर्ण विकास हासिल करने में समर्थ बनाएगी। हमने राज्यों के बढ़ते ऋण और राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के कारणों का विश्लेषण किया है। हमने बृहत-आर्थिक स्थिरता हेतु विभिन्न स्थितियों पर भी ध्यान दिया है। ऋण वहनीयता और बृहत-आर्थिक स्थिरता हेतु अपेक्षित राजकोषीय अनुशासन के प्रति हमारे दृष्टिकोण की रूपरेखा उस अध्याय में दी गई है। उसमें दिए

गए सुझाव, मौजूदा ऋण जिस पर इस अध्याय में विचार किया जाना है, के संदर्भ में सुधारात्मक उपायों का समूचा संदर्भ प्रदान करते हैं।

राज्यों की ऋण-स्थिति

12.5 हमने 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों की ऋण-स्थिति का मूल्यांकन किया है। हमने 31 मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों से उनके बकाया ऋण के अनुमान से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए हैं। राज्यों के लोक ऋण में आंतरिक ऋण (जिनमें बाजार उधार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं), केन्द्र और लघु बचतों तथा भविष्य निधियों, इत्यादि से लिए गए ऋण शामिल हैं। राज्यों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार, राज्यों के कुल बकाया ऋण, जिसमें अल्पावधिक उधार भी शामिल हैं, का मार्च, 2004 के अंत तक 865859 करोड़ रुपए होना का अनुमान है और मार्च, 2005 के अंत तक इसके बढ़कर 963870 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। 2003-04 के अंत तक बाजार उधारों (जिनमें बैंकों से ऋण और अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं) और भविष्य निधियों तथा जमाराशियों का हिस्सा क्रमशः 35.60 और 14.94 प्रतिशत था और 2004-05 के अंत तक इसके 37.23 और 14.74 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2003-04 तथा 2004-05 के अंत में ऋण का राज्य-वार संघटन अनुबंध 12.1 और 12.2 में दिया गया है।

12.6 पूर्ववर्ती वित्त आयोगों ने राज्यों की ऋण-स्थिति का मूल्यांकन करते समय ऋण के अल्पकालिक घटकों अर्थात् अर्थोपाय अग्रिमों तथा प्रारक्षित निधियों एवं जमाराशियों को बाहर रखने की प्रथा का पालन किया था। सारणी 12.1 में राज्य सरकारों के अनुमानित ऋण के संबंध में राज्यों द्वारा हमें मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर, अर्थोपाय अग्रिमों और प्रारक्षित निधियों एवं जमाराशियों को बाहर रखकर किए गए आकलन के परिणाम दिखाए गए हैं।

सारणी 12.1

राज्य सरकारों का कुल बकाया ऋण

(करोड़ रुपए)

इस वित्तीय वर्ष के अंत में	2003-04	2004-05
1) बाजार उधार	200690	230292
2) बैंकों इत्यादि से उधार	102531	124236
3) केन्द्र से लिए गए ऋण*	252809	261416
4) भविष्य निधियां और जमाराशियां इत्यादि	129376	142103
5) अन्य@	97906	123303
जोड़	783312	881350

स्रोतः राज्य सरकारें

* इसमें एनएसएसएफ ऋण भी शामिल हो सकते हैं।

@ इसमें कुछ राज्यों के लिए एनएसएसएफ ऋण शामिल हैं।

12.7 हाल के वर्षों में बाजार उधार राज्य सरकारों के लिए निधियों के सबसे सस्ते स्रोत के रूप में उभरे हैं, जहां ब्याज-दरें 1995-96 के 14 प्रतिशत के स्तर से निरन्तर गिरती हुई 2003-04 तक लगभग 6 प्रतिशत के स्तर पर आ गई हैं। तथापि, बाजार उधार प्राप्त करने की राज्यों की क्षमता को केन्द्र सरकार द्वारा अपनी जरूरतों तथा बाजार में नकदी की स्थिति को देखते हुए विनियमित किया जाता है। राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋण राज्यों के ऋण का सबसे बड़ा घटक होते हैं। ये अक्सर बाजार ऋण होते हैं जो केन्द्र द्वारा प्रचलित ब्याज दरों पर उठाए जाते हैं लेकिन राज्यों को ऐसी ब्याज दरों पर दिए जाते हैं जो बाजार दरों से बहुत भिन्न होती हैं। राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था केन्द्र को राज्यों के उधारों पर नियंत्रण रखने में समर्थ बनाती है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं जुटा सकता, यदि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए किसी ऋण का कोई हिस्सा अथवा गारंटी बकाया हो।

12.8 केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) सामान्य केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में राज्य प्लान स्कीमों के लिए ऋण, विदेशी अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित राज्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और अनेक राज्य प्लान स्कीमों (राज्य आयोजना ऋण) के योजनागत हिस्से का ऋण घटक जिसे प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर को एक ऋण के रूप में समेकित कर दिया जाता है, जिस पर समान ब्याज-दर और अन्य शर्तें लगाई जाती हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1999 जब राष्ट्रीय लघु बचत निधि सृजित की गई थी, से पूर्व दिए गए ऋणों से युक्त लघु बचत ऋण;

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय प्लान स्कीमों के लिए ऋण और केन्द्रीय मंत्रालयों के जरिए दिए गए अन्य विविध ऋण;

(घ) वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए मध्यावधिक ऋण; और

(ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम ऋण।

12.9 1999-2000 से आगे प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्यों को प्रदत्त बकाया केन्द्रीय ऋण, जैसाकि भारत सरकार के प्राप्ति बजट 2004-05 में बताया गया है, सारणी 12.2 में दिखाए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि उधार संबंधी जरूरतों के लिए केन्द्र पर राज्यों की निर्भरता में क्रमिक कमी हुई है। जहां वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय ऋण राज्यों के बकाया ऋणों के 50 प्रतिशत से अधिक के हिस्से का निर्माण करते थे, वहीं 2002-03 में यह आंकड़ा गिरकर 34.04 प्रतिशत हो गया है और 2005 के अंत तक इसके और अधिक कम होकर 22.17 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। इस गिरावट का एक कारण यह है कि केन्द्रीय ऋणों

सारणी 12.2

राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों की रूपरेखा

(करोड़ रुपए)

इस वर्ष के अंत में	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
बकाया केन्द्रीय ऋण*	209882	218380	228902	227343	193034	196346
कुल बकाया ऋण@	415142	489768	576171	667891	788401	885700
	(50.48)	(44.59)	(39.73)	(34.04)	(24.48)	(22.17)

* स्रोतः प्राप्ति बजट, भारत सरकार 2004-05।

@ स्रोतः राज्यों के वित्त लेखे/राज्य सरकार के आंकड़े (इसमें प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां शामिल नहीं हैं लेकिन अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं)। कोष्ठकों के दिए गए आंकड़े सभी राज्यों के संबंध में कुल बकाया ऋण में केन्द्रीय ऋणों का प्रतिशत हिस्सा है।

में अब लघु बचतों के प्रति लिए गए उधार शामिल नहीं होते क्योंकि एनएसएसएफ में किए गए संग्रहणों के प्रति राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में किया गया निवेश 1.4.99 से लोक-लेखा में रखा जा रहा है। इस गिरावट का दूसरा कारण है - केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमत की गई ऋण की अदला-बदली। इस पर इस अध्याय में आगे चलकर चर्चा की गई है।

12.10 1984 से 2004 तक आयोजना और आयोजना-भिन्न ऋणों (लघु बचत ऋणों को छोड़कर) के संबंध में राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच रही है। एनएसएसएफ के निर्माण से पूर्व लघु बचत संग्रहणों के प्रति दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज की दर 1.8.74 से 31.5.81 तक 6.25 प्रतिशत से लेकर 1.6.93 से 1.9.93 तक अधिकतम 15 प्रतिशत रही, जिसके बाद यह 2.9.93 से 31.12.98 तक 14.5 प्रतिशत और 1.1.99 से 31.3.99 तक 14 प्रतिशत रही। चूंकि विगत में राज्य ऋण का सबसे बड़ा घटक केन्द्रीय ऋण थे, इसलिए बहुत हद तक केन्द्रीय ऋणों पर बढ़ती ब्याज दरों ने राज्यों के ऋण-शोधन के बढ़ते बोझ को और बढ़ाया है। अनुबंध 12.3 में केन्द्रीय ऋणों पर समय-समय पर लागू ब्याज दरों के ब्यौरे दिए गए हैं।

12.11 राज्यों के ऋण की वहनीयता का निर्धारण करने के लिए मानक मापदंड ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात के और कुल राज्य प्राप्तियों में ब्याज अदायगियों के स्वीकार्य स्तरों को प्राप्त करना

सारणी 12.3

2002-03 में समग्र ऋण में राज्यों का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात और प्रतिशत हिस्सा

क्र. सं.	राज्य	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	राज्यों के कुल ऋण में हिस्सा	क्र. सं.	राज्य	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	राज्यों के कुल ऋण में हिस्सा
सामान्य श्रेणी के राज्य							
1	आन्ध्र प्रदेश	28.85	7.50	16	उत्तर प्रदेश	39.08	11.90
2	बिहार	55.33	4.79	17	पश्चिम बंगाल	41.15	10.46
3	छत्तीसगढ़	25.46	1.20				
4	गोआ	28.15	0.45	विशेष श्रेणी के राज्य			
5	गुजरात	33.93	6.61	18	अरुणाचल प्रदेश	55.45	0.18
6	हरियाणा	27.85	2.70	19	असम	33.91	1.94
7	झारखंड	24.28	1.29	20	हिमाचल प्रदेश	63.25	1.71
8	कर्नाटक	25.12	4.72	21	जम्मू और कश्मीर	53.80	1.65
9	केरल	36.34	4.65	22	मणिपुर	43.08	0.31
10	मध्य प्रदेश	32.28	4.07	23	मेघालय	32.17	0.22
11	महाराष्ट्र	21.56	9.51	24	मिजोरम	81.56	0.27
12	उड़ीसा	62.93	4.23	25	नागालैंड	52.10	0.38
13	पंजाब	48.51	5.52	26	सिक्किम	60.27	0.13
14	राजस्थान	45.38	6.31	27	त्रिपुरा	37.78	0.46
15	तमिलनाडु	26.80	6.02	28	उत्तरांचल	32.37	0.80

ऋण में प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

रहा है। वर्ष 2002-03 के संबंध में जो वित्त लेखों की उपलब्धता की दृष्टि से नवीनतम वर्ष है, राज्यों के ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात की तुलनात्मक स्थिति और राज्यों के कुल बकाया ऋण में प्रत्येक राज्य के प्रतिशत हिस्से का विश्लेषण जो परिणाम दर्शाता है, वे सारणी 12.3 में दिए गए हैं। सभी राज्यो के लिए समग्र ऋण-स.रा.घ.उ. 34.21 प्रतिशत बैठता है। 2002-03 के अंत तक, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 25 प्रतिशत से अधिक था। 2002-03 तक ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के वर्षवार आंकड़े अनुबंध 12.4 में दिए गए हैं।

12.12 ऋण के वहनीय स्तरों के संदर्भ में, ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि कर अंतरण और अनुदानों सहित राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज-अदायगियों का अनुपात तत्कालीन 22 प्रतिशत की औसत की तुलना में कम करके लगभग 18 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। तथापि, हमने देखा है कि 2000-01 से 2002-03 तक, 17 राज्यों के संबंध में औसत अनुपात 18 प्रतिशत से ऊपर रहा है और 11 राज्यों के मामले में यह 22 प्रतिशत से ऊपर रहा है। इसलिए, इस मापदंड के अनुसार, 28 में से 17 राज्यों का ऋण अवहनीय स्तरों पर है। राज्यों की तुलनात्मक स्थिति सारणी 12.4 में दी गई है।

कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगियों के अनुपात के संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़े अनुबंध 12.5 में दिए गए हैं। वर्ष 2003-04 (सं.अ.) के संबंध में सभी राज्यों के लिए राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज अदायगियों के अनुपात की समग्र स्थिति 26.07 प्रतिशत पाई गई है और वर्ष 2004-05 में इसके 25.19 प्रतिशत होने का अनुमान है।

12.13 राज्यों के ऋण की बिगड़ती स्थिति ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज-अदायगियों के अनुपात दोनों में प्रतिबिम्बित होती है। यह स्थिति ऐसे राज्यों के लिए विशेष रूप से गंभीर है जिनके ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात ऊंचे स्तर पर हैं (अर्थात 35 प्रतिशत से अधिक) तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगियों का अनुपात भी ऊंचा है (22 प्रतिशत से अधिक)। ये राज्य हैं बिहार - हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

12.14 वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय सुधार सुविधा की अपनी समीक्षा में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण के वहनीय स्तरों का आकलन किया है। इस सूत्र के अनुसार, ऋण को गारंटियों को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है। इसमें विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों को ऋण और ऋण-शोधन के संदर्भ में "अत्यधिक बोझग्रस्त" माना गया है, यदि यह अनुपात 300 प्रतिशत से अधिक हो जाए। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में आरंभिक सीमा 200 प्रतिशत है। समीक्षा में शामिल किए गए 20 राज्यों के मामले में यह अनुपात वर्ष 2002-03 में, सिक्किम के लिए 96.09 प्रतिशत से लेकर पश्चिम बंगाल के लिए 500.93 प्रतिशत था। वर्ष 2004-05 के लिए तदनुरूप आंकड़ों का 98.26 प्रतिशत से 529.69 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2002-03 में 20 राज्यों में से 7 विशेष श्रेणी से भिन्न राज्य और 2 विशेष श्रेणी के राज्य अत्यधिक बोझग्रस्त थे।

12.15 राज्यों के ऋण की रूपरेखा को देखने से पता चलता है कि राज्यों का कुल बकाया ऋण (प्रारक्षित निधियों और जमाराशियों को छोड़कर) 1993-94 में स.घ.उ. के 18.62 प्रतिशत के स्तर से निरन्तर बढ़ता हुआ 2002-03 में स.घ.उ. का 27.04 प्रतिशत हो गया है। 2003-04 और 2004-05 के लिए तदनुरूप आंकड़े क्रमशः 28.43 प्रतिशत और 28.53 प्रतिशत है। राज्यों का बढ़ता ऋण राज्यों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन की गिरावट को प्रतिबिम्बित करता है और यह राज्यों के राजस्व तथा व्यय की वृद्धि के बीच दीर्घकालिक अनमेल की स्थिति का द्योतक है। यह ब्याज अदायगियों, सब्सिडियों, वेतन और पेंशन जैसे आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में निरन्तर वृद्धि के साथ-साथ कर-स.घ.उ. अनुपात में धीमी वृद्धि, सरकारी निवेशों से होने वाली अपर्याप्त आय और केन्द्रीय अंतरणों की अपर्याप्त वृद्धि का परिणाम है। बड़े राजस्व घाटों के कारण बड़े राजकोषीय घाटे हुए हैं और ऋण में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप घाटे, ऋण और ऋण-शोधन अदायगियों का एक दुष्चक्र उत्पन्न हो गया है।

सारणी 12.4

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां

राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज अदायगियों का प्रतिशत (2000-01 से 2002-03 तक की औसत)	राज्य
35% से ऊपर	उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल
28-35%	हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
22-28%	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल
18-22%	गोआ, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
10-18%	असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल

ऋण की अदला-बदली (ऋण-स्वैप) योजना

12.16 राज्यों के ऋण के संदर्भ में, ब्याज अदायगियों के इस ऊंचे स्तर से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों का उल्लेख किए जाने की जरूरत है। गिरते ब्याज की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए, केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 2002 में ऋण की अदला-बदली की योजना शुरू की ताकि राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय "ऊंची लागत के ऋण" पर राज्यों को राहत दी जा सके। ऊंची लागत का ऋण उस ऋण को कहा गया जिस पर 13 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की ब्याज दर हो। केवल दिनांक 31.3.99 तक दिए गए राज्य आयोजना-ऋण तथा लघु बचत ऋण ही ऋण की अदला-बदली की योजना हेतु पात्र थे। हमें सूचित किया गया है कि 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार ऊंची लागत का यह ऋण 114325 करोड़ रुपए मूल्य का था। ऊंची लागत के इन केन्द्रीय सरकारी ऋणों की अदला-बदली करने के लिए उधार के दो स्रोतों की पहचान की गई - अतिरिक्त खुले बाजार-उधार और लघु बचत प्रतिभूतियों में राज्य सरकार के निवेश। यह उम्मीद की जा रही थी कि अतिरिक्त बाजार उधार लगभग 7 प्रतिशत पर उठाए जा सकते हैं। चूंकि राज्यों पर 65000 करोड़ रुपए अधिक का लघु बचत ऋण था जिस पर 14.5 प्रतिशत से अधिक का ब्याज था, इसलिए इस अदला-बदली से राज्य सरकारों को अतिरिक्त बाजार उधारों से अदला-बदली किए गए लघु बचत ऋण के संदर्भ में 6 से 8 प्रतिशत से अधिक के ब्याज की स्पष्ट बचत होने की संभावना थी। एनएसएसएफ प्रतिभूतियों में राज्यों के निवेश पर 9.5 प्रतिशत की ब्याज-देनदारी थी। इस संबंध में 3.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत की ब्याज-बचत होने की उम्मीद थी। योजना में यह परिकल्पना की गई कि वर्ष 2002-03 के दौरान, सितम्बर, 2002 से राज्यों को देय निवल लघु बचत ऋणों का 20 प्रतिशत हिस्सा विगत ऋणों की पूर्व-अदायगी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष 2003-04 में निवल लघु बचतों के 30 प्रतिशत हिस्से और वर्ष 2004-05 में निवल लघु बचतों के 40 प्रतिशत हिस्से को ऋण की अदला-बदली करने के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई। नकदी की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा लघु बचतों की अनुपूर्ति अतिरिक्त बाजार उधारों से की जाती है।

12.17 वित्त मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि अब तक ऋण की कुल अदला-बदली 87672 करोड़ रुपए रही है, जिसका वर्ष-वार ब्यौरा सारणी 12.5 में दिया गया है।

सारणी 12.5

की जा चुकी ऋण की अदला-बदली की स्थिति

(करोड़ रुपए)

	लघु बचतों से	अतिरिक्त खुले बाजार उधारों से	जोड़
2002-03	3766	10000	13766
2003-04	17943	26623	44566
2004-05 सित. 04 तक	15559	13781	29340

12.18 वर्ष 2004-05 में, अदला-बदली किया जाने वाला कुल ऋण अनुमानतः लगभग 46000 करोड़ रुपए होगा। ऋण की अदला-बदली से इसकी पूर्णावधि में 31000 करोड़ रुपए की कुल ब्याज राहत और पहले पांच और दस वर्ष में क्रमशः 14500 करोड़ रुपए तथा 28000 करोड़ रुपए की ब्याज राहत मिलने की उम्मीद है। हमें सूचित किया गया है कि ब्याज अदायगियों में होने वाली बचतों से संबंधित ये आकलन इस पूर्वानुमान पर आधारित हैं कि 1.14 लाख करोड़ रुपए के ऊंची लागत के ऋण की 20 वर्ष की समान परिशोधन अवधि है और 6017 करोड़ रुपए की वार्षिक अदायगी है तथा यह भी कि अदला-बदली किए गए ऋणों पर औसत ब्याज अतिरिक्त खुले बाजार उधारों के लिए 7 प्रतिशत और लघु बचतों के लिए 9.5 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के परिणामस्वरूप राज्यों के राजस्व व्यय में हुई बचतों के 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्तर पर होने का आकलन किया है।

12.19 केन्द्रीय सरकार ने ऋण की अदला-बदली से हुई प्राप्तियों का प्रयोग एनएसएसएफ को देय इसके ऋण, जो 1999 में इसके सृजन के समय लिया गया था, की पूर्व-अदायगी करने के लिए किया है। तथापि, केन्द्र के लिए राजस्व की कुछ हानि होगी क्योंकि ऊंची लागत के ऋण प्रभावी रूप से 14 प्रतिशत के औसत वार्षिक ब्याज की आय सृजित कर रहे थे, जबकि जहां केन्द्र एनएसएसएफ को देय ऋण जिस पर 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर है, की पूर्वअदायगी करने के लिए ऋण की अदला-बदली से हुई पूर्ण प्राप्तियों को इस्तेमाल करता है तो ऐसी स्थिति में 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज दर का अंतर मौजूद रहता है। राज्यों के लिए, ऋण की अदला-बदली का परिणाम केवल ऋण के संघटन और परिपक्वता अवधि में परिवर्तन होना रहा है लेकिन ऋण के समग्र भंडार में परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन लाभ ये हैं कि कुछ समय के बाद अपेक्षाकृत कम ब्याज अदायगियों के रूप में राज्यों के राजस्व लेखे पर दबाव कम हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप उधार संबंधी समग्र जरूरतों पर भी दबाव में कमी आएगी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को ऋण देने के संबंध में मध्यवर्ती के रूप में केन्द्रीय सरकार की भूमिका भी कम हो जाएगी।

पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा दी गई ऋण-राहत

12.20. ऋण-राहत के संबंध में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करने से पूर्व, हमने पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा राज्य को दी गई ऋण-राहत के उपायों की जाँच की। हमने पाया कि ऋण-राहत इन रूपों में दी गई (i) साझी शर्तों पर ऋणों का समेकन और भविष्य में ब्याज दरों में गिरावट, (ii) ब्याज दरों में कटौती किए बिना राज्यों को दिए गए ऋण की वापसी अदायगी की शर्तों में संशोधन, (iii) कतिपय वर्षों में देय ब्याज अदायगियों और मूल राशि की वापसी अदायगी के संबंध में ऋण स्थगन की अनुमति; (iv) विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान देय होने वाले ऋणों अथवा वापसी अदायगियों को बट्टे-खाते डालना, (v) राजकोषीय कार्य-निष्पादन से जुड़ी ऋण-राहत की योजनाओं को शुरू करना इत्यादि। जहां दूसरे, सातवें और आठवें वित्त आयोग ने कुछ पूर्ववर्ती ऋणों को समेकित किया और उन्हें अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर पुनः

निर्धारित किया, वहीं छठे वित्त आयोग ने बकाया ऋणों की वापसी-अदायगी की शर्तों को संशोधित किया। सातवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश भी की कि 1978-79 के अन्त में बकाया लघु बचत ऋणों को चिरस्थायी ऋणों में रूपान्तरित कर दिया जाए। लेकिन, केन्द्रीय सरकार ने यह सिफारिश स्वीकृत नहीं की थी। विशिष्ट ऋणों को बट्टे खाते डालना भी इन आयोगों की सिफारिशों का हिस्सा था। तथापि, हम बिल्कुल पिछले तीन आयोगों की सिफारिशों पर अधिक विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अधिक प्रासंगिक मानी जाती हैं। नौवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 1986-89 के दौरान सूखे के कारण राज्यों को दिए गए ऋणों और 31 मार्च, 1989 को बकाया ऋणों तथा 1984-89 के दौरान मध्य प्रदेश को दिए गए भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े ऋणों को इस शर्त पर बट्टे खाते डालने की सिफारिश की कि उनके संबंध में वापसी-अदायगी, जो राज्य सरकार द्वारा पहले ही मूल राशि और ब्याज के रूप में कर दी गई है, को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अन्य देय राशियों के प्रति समायोजित कर दिया जाए। आयोग ने 1984-89 के दौरान पंजाब को दिए गए विशेष ऋणों के संबंध में मूल-राशि की वापसी-अदायगी और ब्याज-अदायगी पर दो वर्ष के स्थगन काल का भी सुझाव दिया। इसके अलावा, सभी राज्यों के मामले में 1984-89 की पांच वर्षीय अवधि के दौरान दिए गए राज्य आयोजना ऋणों और 31 मार्च, 1990 तक की स्थिति को बकाया ऋणों को समेकित करने तथा 15 वर्ष के लिए पुनःनिर्धारित करने की सिफारिश की गई। पहले पांच वर्षों अर्थात् 1990-95 के दौरान, उस समय मौजूद आधार पर देय राशियों की तुलना में वापसी-अदायगियों की मात्रा कम होनी थी जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोआ और विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 प्रतिशत तक, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मामले में 7.5 प्रतिशत तथा बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के मामले में 5 प्रतिशत तक होना था।

12.21. दसवें वित्त आयोग ने कहा कि चूंकि पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा अनुशंसित राहत उपायों में से अनेक उपाय लागू किए जा रहे हैं, इसलिए भावी राहत को महज एक वृद्धि ही माना जाना चाहिए। आयोग ने दो भागों में एक ऋण-राहत योजना की सिफारिश की, अर्थात् (i) सभी राज्यों के लिए राजकोषीय निष्पादन से जुड़ी सामान्य ऋण-राहत की योजना और (ii) ऊंचे राजकोषीय दबाव वाले राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों और विशेष ध्यान दिए जाने वाले ऋण की समस्याओं से ग्रस्त राज्यों के लिए विशिष्ट राहत। यह राज्य सरकारों की इक्विटी धारिता के विनिवेश से हुई आय से ऋण के भुगतान को प्रोत्साहित करने की योजना के अतिरिक्त थी। दसवें वित्त आयोग की सामान्य ऋण राहत योजना में राजकोषीय कार्य-निष्पादन में हुए सुधार को एक वर्ष विशेष में कुल राजस्व व्यय के प्रति राजस्व प्राप्तियों (केन्द्र से प्राप्त अन्तरण और अनुदानों सहित) के अनुपात की तुलना में एकदम पिछले तीन वर्षों में तदनुरूप अनुपात की औसत से करके मापा गया है। प्रत्येक राज्य के कार्य-निष्पादन की तुलना उसीके कार्य-निष्पादन से की गई। 1989-95 की अवधि में दिए गए ऋणों और 31 मार्च, 1995 के बाद वापसी-अदायगी हेतु देय ऋणों पर राहत देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय सुधार के औसत अनुपात की तुलना में अनुपात के आधिक्य को दोगुना करने की सिफारिश की गई। यह राहत किसी भी वर्ष में इन ऋणों के लिए वापसी-अदायगी हेतु देयराशि के अधिक से अधिक दस प्रतिशत तक ही अनुमत थी। हमने पाया कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को मंजूर की गई वास्तविक राहत 1995-2000 की अवधि के दौरान 212 करोड़ रुपए थी जबकि दसवें वित्त आयोग द्वारा 565.51 करोड़ रु. (कार्य-निष्पादन में 2.5 प्रतिशतांक की वृद्धि का अनुमान करने पर) की राहत का अनुमान लगाया गया था। विशेष श्रेणी के राज्यों और ऊंचे राजकोषीय दबाव वाले तीन अन्य राज्यों (उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश) के लिए दसवें वित्त आयोग ने 1989-95 के दौरान दिए गए नए केन्द्रीय ऋणों और 31.3.95 को बकाया ऋणों के संबंध में वापसी अदायगियों के 5 प्रतिशत को बट्टे खाते डालने के रूप में विशेष राहत दी क्योंकि राजस्व व्यय की तुलना में उनकी ब्याज अदायगियों का औसत अनुपात 1989-90 से 1993-94 के दौरान 17 प्रतिशत से अधिक हो गया था। पंजाब के मामले में, 1995-2000 के दौरान देय होने वाले विशेष सावधि ऋणों की मूल राशि की वापसी-अदायगी के एक तिहाई हिस्से को माफ करने की सिफारिश की गई।

12.22. ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय दबाव से ग्रस्त राज्यों के लिए किसी विशेष ऋण राहत पर विचार नहीं किया, लेकिन निम्नलिखित संशोधनों के साथ दसवें वित्त आयोग की सामान्य ऋण राहत योजना जारी रखीः-

(i) कुल राजस्व व्यय के सापेक्षतया राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में राजकोषीय सुधार के अनुपात पर 2 के गुणक के स्थान पर 5 का गुणक इस्तेमाल किया गया;

(ii) निर्धारित राहत की सीमा किसी एक वर्ष में देय वापसी-अदायगी के 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत के स्तर पर तय की गई और

(iii) राजस्व प्राप्तियों के आकलन में, अनुच्छेद 275 के तहत ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व घाटे संबंधी अनुदानों को बाहर रखा जाना था।

यह राहत 1995-2000 के दौरान दिए गए नए ऋणों और मार्च, 2000 को बकाया ऋणों के संबंध में दी जानी थी। हालांकि अनुमानित ऋण राहत 600 से 700 करोड़ रु. तक की थी, हमें वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि सितम्बर, 2004 तक राज्य सिर्फ 131.77 करोड़ रु. की राहत के ही पात्र हुए थे। इस योजना के तहत जो राज्य लाभान्वित हुए, वे हैंः-आंध्र प्रदेश (77.52 करोड़ रु.), अरूणाचल प्रदेश (1.72 करोड़ रु.), मणिपुर (2.47 करोड़ रु.), तमिलनाडु (7.89 करोड़ रु.) और पंजाब (42.11 करोड़ रु.)।

राज्य सरकारों के विचार

12.23. हमने ऋण राहत के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उनके ज्ञापनों में दिए गए सुझावों पर विचार किया है। अनेक राज्यों ने

अनुरोध किया है कि राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज दरों को कम किया जाए। ब्याज-माफी, ऋणों के समेकन, मूल-राशि को बट्टे खाते डालने, वापसी अदायगी का पुनःनिर्धारण और स्थगन करने के सुझाव दिए गए हैं। अनेक राज्यों ने ब्याज और वापसी अदायगी पर स्थगन के साथ अथवा उसके बिना ऋणों के समेकन और पुनःनिर्धारण का अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने यह सुझाव भी दिया है कि समेकित ऋणों के कुछ हिस्से को बट्टे खाते डाल दिया जाए। राज्यों की एक अन्य मांग ऋण की अदला-बदली की योजना को जारी रखना है और कुछ राज्यों का सुझाव है कि यह योजना वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों सहित ऊँची लागत के सभी बकाया ऋणों पर लागू कर दी जानी चाहिए। कुछ राज्यों ने ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय कार्य-निष्पादन से जुड़ी ऋण राहत की योजना में संशोधन करने का सुझाव दिया है। राज्यों द्वारा दिए गए अन्य सुझावों को नीचे सारबद्ध किया गया हैः

क) भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त विदेशी सहायता को अनुदान के रूप में राज्यों को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए और विनिमय लागत चुकाने के लिए राज्यों से एक शुल्क लिया जा सकता है।

ख) विदेशी अभिकरणों से लिए गए और राज्यों को अन्तरित किए जाने वाले उधारों की वापसी अदायगी विदेशी अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को विनिमय लागत चुकाने के लिए केवल एक शुल्क प्रभारित करना चाहिए।

ग) लघु बचतों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार राज्यों से सिर्फ उसी राशि को वसूल करे जो निवेशक को अदा की जानी है और एक सांकेतिक लागत हो जो योजनाओं के प्रशासन हेतु आधे प्रतिशत से अधिक न हो।

घ) ऋण की अदला-बदली की योजना ऊंची लागत के सभी ऋणों पर लागू होनी चाहिए और राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई कतिपय सीमाओं के भीतर, ऊंची लागत के ऋणों की वापसी अदायगी करने के लिए आन्तरिक और बाहरी दोनों बाजारों से कम लागत के ऋण जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ङ) विद्रोह अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष सावधि ऋणों के रूप में दी गई आयोजना-सहायता को अनुदान में रूपान्तरित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य में, ऐसी सहायता केवल "सहायता अनुदान" के रूप में आनी चाहिए।

च) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों को दी गई अतिरिक्त आयोजना सहायता को अन्य प्लान स्कीमों की तरह 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण में रूपान्तरित कर दिया जाना चाहिए बजाय 100 प्रतिशत ऋण के, जैसाकि इस समय किया जा रहा है।

छ) व्यपगत न होने वाला संसाधनों का केन्द्रीय पूल, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित निधियों की खर्च न की गई राशि रहती है, को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के मौजूदा पैटर्न की बजाय 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में संबंधित राज्यों को दिया जाना चाहिए।

ज) राज्यों को दिए गए ऋणों पर भारत सरकार द्वारा प्रभारित ब्याज-दर की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए और इसे बाजार की प्रचलित ब्याज-दर से जोड़ा जाना चाहिए।

झ) केन्द्रीय आयोजना सहायता सामान्यतया अनुदानों के रूप में होनी चाहिए और राज्यों के पास खुले बाजार से ऋण लेने का विकल्प होना चाहिए।

ञ) वित्तीय संस्थाओं को राय दी जानी चाहिए कि वे राज्य की गारंटी पर जोर दिए बिना परियोजना की अर्थ-क्षमता के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण दें।

केंद्रीय सरकार के विचार

12.24. केंद्रीय सरकार ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि पंचाट अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य कर के अनुपात को कम करने के लिए एक उपयुक्त राजकोषीय योजना बनाया जाना अनिवार्य है। इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि केंद्र सरकार ऋणों की अदला-बदली करके और योजनागत ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती करके तथा लघु बचत अन्तरणों के माध्यम से राज्यों के ऋण-भार को कम करने का प्रयास कर रही है, फिर भी केंद्र के प्रति राज्यों के ऋणों को न तो बट्टे खाते डाला जाना चाहिए और न ही उनको पुनर्सूचीबद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार इस बारे में और किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं है। किसी भी हालत में राज्यों को दी जाने वाली ऋण राहत शर्त रहित नहीं होनी चाहिए और सभी राज्यों पर लागू होनी चाहिए।

12.25. ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि राज्यों द्वारा दी गई गारन्टियों में विगत में तेजी से वृद्धि हुई है और मार्च 2002 के अन्त में ये गारन्टियां 166116 करोड़ रुपए के स्तर पर थीं जो 17 प्रमुख राज्यों पर विचार करते हुए सकल घरेलू उत्पाद का 7.2 प्रतिशत बैठती हैं। हालांकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा इन गारन्टियों के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक कदम उठाए गए हैं, फिर भी उपयुक्त यही होगा कि यदि आयोग गारन्टियों के एक उपयुक्त स्तर की सिफारिश करता है तो उसी

स्तर तक की गारन्टियां किसी भी राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। जहां तक केंद्रीय सरकार का संबंध है और जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक में व्यवस्था की गई है, प्रत्येक वर्ष नई गारन्टियों को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने के प्रयास किए जाएंगे।

12.26. एक अनुवर्ती संदर्भ में, यह कहा गया है कि राज्यों के मामले में ऋण की वहनीयता के मामले में मध्यावधिक राजकोषीय सुधार अवसंरचना में ध्यान दिया जा रहा है। अनेक राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व वाले विधान को अपनाकर, गारन्टियों आदि की सीमा निर्धारित करके राजकोषीय सुधार के प्रति कार्य भी कर रहे हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इससे उनकी भविष्य में उधार लेने की जरूरतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उनके समग्र ऋण का स्टाक भी प्रभावित होगा।

12.27. ऋण राहत को मानव विकास सूचकांक में प्रगति के मुद्दे से जोड़ने पर आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह समानता के साथ कार्यकुशलता की विचारणाओं को संतुलित रखे ताकि भारत के औसत मानव विकास सूचकांकों की अपेक्षा कम सूचकांक वाले राज्यों की चिन्ताओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके। किसी भी स्थिति में, ऋण-राहत विशेष रूप से ऋण की लागत से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए होनी चाहिए न कि ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए, जो कि सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रभावी होने पर सामने आने वाले अवरोधों के कारण वहन करने की स्थिति में नहीं है।

12.28 ऋण राहत को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में प्रगति से जोड़ने के विषय पर एक अन्य अनुरोध में वित्त मंत्रालय ने विचार प्रकट किया था कि विविध कार्य प्रणालियों, राज्यों के अपूर्ण कवरेज तथा आंकड़ों में असामान्यता के होते हुए राज्यों को दी जाने वाली ऋण राहत को मानव विकास के सूचकांक से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा। ऋण राहत के विषय में विशुद्ध "वित्तीय" और "राजकोषीय" निर्देशकों पर ध्यान देना ही उपयुक्त होगा।

12.29 चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उल्लेख किया है कि ऋण वहनीयता की समस्या को मध्यावधिक राजकोषीय सुधार अवसंरचना के माध्यम से हल किया जा रहा है, इसलिए हमने विशेषरूप से ऋण से सम्बद्ध राजकोष सुधार सुविधा (एफआरएफ) के लक्षणों का अध्ययन किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा एफआरएफ की मध्यावधिक पुनरीक्षा में यह पाया गया है कि डोमर सिद्धांत पर आधारित वहनीय ऋण की पारम्परिक परिभाषा की बजाय कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण का मूल्यांकन अधिक उपयुक्त पाया गया है क्योंकि राज्य के जीएसडीपी को प्रयोग करने में कार्य प्रणाली गत समस्याएं आती हैं। चूंकि जीएसडीपी वृद्धि और राज्यों के राजस्वों में वृद्धि में एक तादात्म्य बना रहता है इसलिए, कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के प्रतिशत के रूप में ऋण को रोकना गलत नहीं था। मध्यावधिक पुनरीक्षा में दिए गए सूत्रीकरण में ऋण की परिभाषा में गारन्टियां शामिल हैं। जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर सकल राजकोषीय घाटे को स्थिर रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साधारण श्रेणी के राज्यों के लिए वहनीय ऋण (गारन्टियों सहित) कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में 300 प्रतिशत बैठता है। पुनरीक्षा में उल्लेख है कि यदि सामान्य श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 300 प्रतिशत से अधिक बैठता है तो उन्हें अधिक दबाव वाले राज्य समझा जाएगा। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए यदि यह अनुपात 200 प्रतिशत से अधिक बैठता है तो उन्हें उच्च दबाब वाले राज्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2004-05 तक अत्यधिक दबाब वाले राज्यों की संख्या आठ होने की संभावना है (विशेष श्रेणी में असम और हिमाचल प्रदेश तथा सामान्य श्रेणी में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल)।

12.30 राजकोष सुधार सुविधा की मध्यावधिक पुनरीक्षा ने यह भी सुझाव दिया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण यही होगा कि राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाए, जैसे कि (क) अत्यधिक ऋण से दबे राज्य, (ख) सामान्य ऋण के दबाव वाले राज्य और (ग) दबाव रहित राज्य । अत्यधिक ऋण के बोझ वाले राज्यों के लिए एक आईएमएफ-विश्व बैंक एचआईपीसी उपक्रम का एक संशोधित रूप होना चाहिए जिसमें सभी ऋणों को शामिल करते हुए उन पर विचार किया गया हो। इसके अतिरिक्त, ऋण अदला-बदली स्कीम को जारी रखा जाए और सुधार के खर्चों को पूरा करने के लिए ऋणों और अनुदानों के मिले-जुले रूप को अपनाना चाहिए जिसमें ऋणों का हिस्सा इस मिश्रण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

12.31 हमें यह समझना होगा कि राज्यों को जो सहायता उपलब्ध करायी गयी है, वह वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से कम ब्याज वाले ऋणों का लाभ उठाते हुए अपने ऋणों के पुनर्गठन के लिए है। यह सहायता ऋणों को पुनः सूचीबद्ध करने अथवा पुनर्वित्तपोषण के लिए होगी और भारत सरकार एफआरएफ के माध्यम से पुनर्गठन की प्रीमियम लागत के एक भाग की हिस्सेदारी खुले बाजार से अतिरिक्त उधारों के आंवटन द्वारा करेगी। नागालैण्ड और हिमाचल प्रदेश ने ही अब तक इस सहायता का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, अनुदानों के सम्मिश्रण तथा खुले बाजार से उधारों के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आदि जैसे सुधारों के खर्चों के वित्तपोषण के लिए बनायी गई स्कीमों के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, केरल और नागालैंड ने लाभ उठाया है।

12.32 हमने यह भी पाया है कि जुलाई, 2004 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई भारत सरकार की मध्यावधिक राजकोषीय नीति केंद्रीय बजट के माध्यम से राज्यों को ऋण उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा सीधे ही खुले बाजार से ऋण उठाने को प्रोत्साहन देती है और राज्यों को विदेशी ऋण "बैक-टू-बैक" आधार पर उधार दिए जाने पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों पर ऋण के बोझ को दूर करने का संरचनात्मक और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि वे सामाजिक क्षेत्र के निवेशों में वृद्धि करने में समर्थ हो सकें और राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरों में कमी की जाएगी।

आयोग द्वारा समनुदेशित अध्ययन

12.33 भारत में राज्यों को ऋण की राजकोषीय वहनीयता का मूल्यांकन करने तथा उन प्रमुख कारकों का पता लगाने के लिए जिन्होंने विगत में ऋण के प्रोफाइल को विकृत करने में सहयोग दिया है, आयोग द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को इस विषय पर एक उपयुक्त कार्यप्रणाली विकसित करने का कार्य सौंपा था। छः राज्यों के संबंध में मामला अध्ययनों का प्रयोग करते हुए अध्ययन में सुधारों को एक माडल कार्यक्रम तैयार करने और ऋण से सम्बद्ध विषयों को हल करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दिया जाना अपेक्षित था। अध्ययन ने केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अन्तरण (कर और अनुदानों) को जोड़ने की सिफारिश की थी जिससे राज्य अपने राजस्वों का सृजन करते हुए अपने प्रारम्भिक घाटे के लेखों में उपयोग कर लें। आयोग द्वारा एक बार किसी भी आधार पर राज्य को अन्तरणों के स्तर का निर्धारण किए जाने के बाद राज्यों के अपने राजस्वों में इसके अनुपात का निर्धारण हो जाएगा और यह एक प्रोत्साहन योजना का आधार बनना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि आपदा / विनाश राहत के लिए दिए गए सभी अन्य ब्याज वाले ऋणों पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए, फिर चाहे उन्हें पूर्णतया अथवा आंशिक तौर पर बट्टे खाते डाला जाए या फिर उन पर ब्याज दरों को घटाने के अतिरिक्त पांच वर्ष की ऋण-स्थगन की रियायत दी जाए। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चार राज्यों को ब्याज भुगतानों पर पांच वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के माध्यम से अपने ऋण को लगभग 15 प्रतिशत पुनर्गठित करने की आवश्यकता पड़ेगी और इनमें से दो राज्यों के लिए यह स्तर क्रमशः 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होगा। यह सब कुछ राज्यों के अपने राजस्वों और प्रारम्भिक व्ययों में लक्षित वृद्धि की प्राप्ति के सख्त अनुपालन में क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अधीन होना चाहिए जिसके पूरा न होने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ ब्याज को पुनः जोड़ा जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि किसी भी राज्य के लिए निधियों के अन्य स्रोतों की तुलना में चूंकि केन्द्र से प्राप्त ऋणों पर उच्चतम प्रभावी ब्याज दर होती है इसलिए, केंद्र द्वारा प्रभारित प्रभावी ब्याज दर में कम से कम 200 आधारिक बिंदुओं की कटौती होनी चाहिए और पांच वर्ष की अवधि के दौरान इन्हें बाजार में प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप लाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्यों द्वारा लिए जाने वाले बाजार उधारों पर लगी विद्यमान सीमा की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए और उनकी उधार लेने की क्षमता तथा समग्र आर्थिक निष्पादन के आधार पर राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन लघु बचतों के संबंध में जिन पर उच्च ब्याज खर्च आता है, केंद्र को चाहिए कि वह इन ऋणों का लाभ उठाने के विषय में राज्यों को कोई विकल्प प्रदान करें। राज्यों में ऐसे ऋणों की आवश्यकता के समय केंद्र एक राज्य से दूसरे राज्य में इन लघु बचतों के आधिक्य की पूर्ति कर सकता है। विकल्प के तौर पर केंद्र इन ऋणों के ब्याज खर्च तथा बाजार ब्याज दर के अन्तर को वहन कर सकता है। अध्ययन ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों द्वारा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की पूर्व-भुगतान संबंधी बातचीत को केंद्रीय सरकार द्वारा सरल और सुसाध्य बनाया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के कारण इन पर बहुत ही ऊंची ब्याज दरें प्रभावी होती हैं।

12.34 आयोग ने ऋण वहनीयता/ऋण राहत पर एक दस्तावेज भी जारी किया था। इस दस्तावेज में ऋण वहनीयता के विभिन्न पहलुओं और ऋण राहत के उपायों को शामिल किया गया था और भविष्य में लिए जाने वाले उधारों के लिए नीति भी सुझाई गई थी। इसने राजकोषीय घाटे के आकार पर अतिरिक्त सीमा के साथ राजस्व घाटे को समाप्त किए जाने के महत्व पर जोर दिया था। प्रत्येक राज्य के लिए जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ जीएसडीपी के 25 प्रतिशत के लक्षित ऋण अनुपात का सुझाव दिया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को केंद्रीय ऋणों के मामले में ऋण राहत के तीन विभिन्न स्वरूपों की आवश्यकता होगी, यथा (क) एक उपयुक्त स्तर तक राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय ऋणों पर ब्याज दर कम करके ब्याज संबंधी देयताओं में कटौती करना, (ख) केंद्र से राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले उधारों की नीति में संशोधनों के साथ-साथ ऋण परिशोधन और ब्याज भुगतान पर भविष्य में होने वाले बजटीय खर्चों को समाप्त किया जाना और (ग) ऋण परिशोधन के अनुसार राज्यों के लिए वार्षिक बजटीय व्यय को घटाने के लिए लम्बी अवधि वाले ऋणों को पुनः सूचीबद्ध करना। मानव विकास में कार्य-निष्पादन को ऋण राहत के साथ जोड़ने की संभावना को तलाशने के उद्देश्य से हमने योजना आयोग और यूएनडीपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की जांच की है। निवेश के वातावरण में अन्तर-राज्य भेदों को जानने के लिए मैसर्स इंडिकस एनेलिटिक्स द्वारा अनेक परिवर्तनीय घटकों का प्रयोग करते हुए निवेश आकर्षणकारी सूचकांक और निवेश वातावरण सूचकांक नामक दो सूचकांकों को विकसित किया गया था। वर्ष 1996-2001 के बीच प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर 20 राज्यों को दर्जा दिया गया था।

हमारा दृष्टिकोण

12.35 हमने अपने विचारों को मूर्त रूप देते समय राज्यों के ऋण के विद्यमान स्तरों, उनकी राजकोषीय स्थितियों, पिछले वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए उपचारात्मक उपायों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों और राज्य सरकारों के निवेदनों को ध्यान में रखा है। हमने अपने द्वारा सौंपे गए दो अध्ययनों के साथ-साथ अन्य अध्ययनों के सुझावों को भी ध्यान में रखा है। इन सभी कारकों पर विचार करने के बाद हमारा विचार यह है कि जब तक राज्यों के ऋण से निपटने के लिए ठोस और तात्कालिक उपाय नहीं किए जाते तब तक राज्यों की राजकोषीय स्थिरता को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। हम ग्यारहवें वित्त आयोग के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि वृद्धिकारी राजस्व प्राप्तियों को वृद्धिकारी ब्याज के बोझ तथा वृद्धिकारी प्राथमिक व्यय को पूरा करना चाहिए। तथापि, हम महसूस करते हैं कि इससे पूर्व राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने तथा खर्चों को नियंत्रित करने के उपायों

को आरम्भ करके राजस्व संतुलन की प्राप्ति अपेक्षित है। इस प्रकार, राज्यों के राजस्व घाटे को दूर करने की दृष्टि से और वहनीय समझे जाने वाले ऋण के संदर्भ में हमारे द्वारा ऋण राहत संबंधी उपायों की सिफारिश किया जाना आवश्यक होगा। विशेष प्रकार की ऋण राहत मुहैया कराने के अतिरिक्त, वहनीय स्तरों से अधिक राज्यों के ऋण भंडार की भावी वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक उपाय भी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से, राज्यों को दिए गए केंद्रीय ऋणों के संबंध में सिफारिश किए गए ऋण राहत उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी और साथ ही बेहतर राजकोषीय निष्पादन को प्रोत्साहित करना होगा। राज्यों के ऋण की तुलना में केंद्र की भूमिका को भविष्य के लिए एक युक्तियुक्त उधार देने की नीति निर्धारित करके पुनः निश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें राज्यों को भविष्य में दिए जाने वाले ऋणों के लिए ब्याज दरों का युक्ति युक्त परिकलन भी शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पुनर्भुगतानों, विशेष रूप से खुले बाजार से लिए जाने वाले उधारों के संबंध में, भावी आवश्यकताओं पर इस प्रकार से ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी कि समूह में अथवा एकल भुगतान किए जाने के मामले में कोई अनावश्यक राजकोषीय प्रभाव न पड़े।

12.36 चूंकि विगत वर्षों के राजकोषीय घाटों को वित्त पोषित करने हेतु लिए गए सकल उधार ऋण का रूप लेते हैं, इसलिए उच्च स्तरीय राजस्व और राजकोषीय घाटे ऋण के स्टाक को और अधिक बढ़ा देते है। हम समझते हैं कि राज्यों को अपने राजस्व घाटों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए ताकि लिए गए उधारों का उपयोग राजस्व व्यय को पोषित करने पर नहीं बल्कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर हो सके। हमने पाया है कि कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने राजकोषीय अनुशासन की सुरक्षा के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किया है और राज्यों के ऋण और/या उधारों (गारन्टियों सहित) के आकार पर वैधानिक सीमा भी लगाई है। महाराष्ट्र विधान सभा में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक भी लाया गया है। हम समझते हैं कि इन छः राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के राजकोषीय और राजस्व घाटों के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्य हैं। कुल देयताओं के संबंध में कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश द्वारा सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। महाराष्ट्र का प्रस्ताव है कि उधारों पर प्रतिबंध लगाया जाए। कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश (नियमों या कानून के अन्तर्गत सीमा निर्धारित की जाएगी) और महाराष्ट्र के विधान में गारन्टियों की सीमाएँ तय की जाएंगी। हमारी सिफारिश है कि राजकोषीय अनुशासन के उपाय के रूप में पहली अवस्था में सभी राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों को अधिनियमित करना चाहिए जिसमें उन्हें अपने राजस्व और राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए विशेष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ उधारों और गारन्टियों में कटौती करने के लिए सीमा निश्चित करनी चाहिए। हमारी यह भी सिफारिश है कि उस विधान में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि वर्ष 2008-09 तक राज्यों का राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाए और केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित इसी प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 4 में दिए गए निर्देशानुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित करना, ऋण राहत का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त होगी, जैसीकि इस अध्याय में सिफारिश की गई है।

12.37 हमारे विचारर्थ विषय में हमसे मानव विकास और निवेश वातावरण के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को महत्व देते हुए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने की अपेक्षा की गई है। हमने केंद्र और राज्य सरकारों के सुझावों और इस प्रकार के संबंध मुहैया कराने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने ऋण राहत के एक मानदंड के रूप में इन्हें समाविष्ट करने का समर्थन किया है, लेकिन अन्य राज्य ऋण राहत को मानव विकास में प्रगति अथवा निवेश वातावरण से जोड़ने के हक में नहीं हैं, उनका कहना है कि खराब कार्य निष्पादन अथवा इन क्षेत्रों में राज्यों का सापेक्षतया नीचा स्तर अवहनीय ऋण भार सहित राजकोषीय असंतुलनों पर काफी हद तक निर्भर करता है। इस प्रकार का संबंध विकासशील और पिछड़े राज्यों के बीच अन्तर को भी बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, मानव विकास का सूचकांक तैयार करने और एक विशेष निर्धारित तारीख तक राज्यों के कार्य निष्पादन का आकलन इसके मूल्यांकन को वस्तुपरक बना सकता है। इसी प्रकार, निवेश के वातावरण में सुधार लाने हेतु संघटकों की परिभाषा करना भी विवादास्पद सिद्ध होगा। जहां तक केंद्रीय सरकार का संबंध है, उनका विचार यह है कि मानव विकास सूचकांक में सुधारों को ऋण राहत से जोड़ना भी उपयुक्त नहीं होगा।

12.38 हमने मानव विकास और निवेश वातावरण के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को ऋण राहत से जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच की है। हमने पाया है कि हमारा विचारार्थ विषय यह स्पष्ट नहीं करता है कि इस प्रकार के निष्पादन से राहत की स्कीम में सकारात्मक महत्व मिलेगा अथवा नकारात्मक। हमें सौंपे गए अध्ययन के निष्कर्षों और कार्य प्रणाली सहित अन्तर्ग्रस्त मुद्दों की ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात् हम न तो मानव विकास और न ही निवेश वातावरण के क्षेत्र में ऋण राहत और निष्पादन के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। केंद्र सरकार भी इस प्रकार के संयोजन के हक में नही है और सुझाव दिया है कि ऋण राहत के विषय में विशुद्ध वित्तीय और राजकोषीय निर्देशकों पर ध्यान दिया जाना ही लाभदायक होगा। इसके अतिरिक्त, विविध कार्यप्रणालियों, राज्यों का अपूर्ण व्याप्तिक्षेत्र और आंकड़ों के समय पर उपलब्ध न होने के कारण मानव विकास में निष्पादन को ऋण राहत से संयोजित करना उपयुक्त नहीं होगा। निवेश वातावरण के सूचकांक के सूत्रीकरण में तो और भी अधिक अड़चने आती हैं क्योंकि इस सूचकांक के सूत्रीकरण के लिए किसी स्वीकृत अथवा मानक कार्यप्रणाली की अवधारणा न होने के कारण इसमें काफी अधिक तथ्यपरक निर्णय लेना अपेक्षित होता है। इसलिए, हमने निर्णय लिया है कि ऋण राहत को मानव विकास में निष्पादन अथवा निवेश वातावरण से संयोजित न किया जाए।

12.39 हमने पैरा 12.20 से पैरा 12.22 तक यह उल्लेख किया है कि किस प्रकार से पिछले आयोगों ने राज्यों को ऋण राहत मुहैया कराना स्वीकारा था। ऋण राहत की अपनी स्कीम तैयार करने में हमने दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश की गई स्कीमों को हिसाब में लिया है। केंद्रीय सरकार की ऋण अदला-बदली स्कीम में राज्यों को काफी राहत प्रदान की गई है। जहां तक राजकोषीय सुधारों का संबंध है, हमारा ध्यान राज्यों द्वारा वर्ष 2008-09 तक राजस्व संतुलन प्राप्त किए जाने पर है। इसलिए, हमने ऋण राहत के प्रति दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाया है । पहला, ऋण राहत की साधारण स्कीम जो सभी राज्यों पर लागू होती है और दूसरा वर्ष 2008-09 तक राजस्व संतुलन प्राप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से राजकोषीय निष्पादन से संयोजित बट्टे खाते डाले जाने की एक स्कीम। तथापि, हमने ऋण राहत के व्याप्ति क्षेत्र से 1-4-99 के बाद से एनएसएसएफ से राज्यों को दिए गए ऋणों को शामिल नहीं किया है।

12.40 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत सरकार की ऋण अदला-बदली स्कीम में उन केंद्रीय ऋणों को भी शामिल किया गया है जिन पर 13 प्रतिशत और उससे अधिक की ब्याज दर है और उसके 2004-05 तक बन्द होने की आशा है। राज्यों ने केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज दरों को बाजार उधारों पर लागू होने वाली ब्याज दरों के अनुरूप रखने का अनुरोध किया है। वर्ष 2004-05 के प्राप्ति बजट से देखा गया है कि वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्र के बाजार उधारों की भारित औसत लागत 5.74 प्रतिशत थी। वित्त मंत्रालय से एकत्र आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 में कुल उधारों की भारित औसत लागत, जैसाकि सारणी 12.6 में निर्दिष्ट है, 6.04 प्रतिशत बैठती है। वर्ष 2003-04 में केंद्र द्वारा राज्यों से भारित ब्याज दर 10.5 प्रतिशत ही थी। इस प्रकार, केंद्र द्वारा दिए गए उधारों की सीमान्तिक लागत राज्यों से वसूली गई ब्याज दर की अपेक्षा बहुत कम है। भारी ब्याज भुगतान एक प्रमुख कारक रहा है जिससे राज्य सरकारों के बकाया ऋणों में वृद्धि होती जाती है। इसलिए, हमारे विचार से ऋण वहनीयता को प्राप्त करने हेतु ब्याज भुगतानों में कटौती किया जाना अनिवार्य है। हमने अपनी पंचाट अवधि के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों से ऐसे ऋण-वार ब्यौरे मुहैया कराने का अनुरोध किया है, जिसमें 31-3-04 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष और केंद्रीय ऋणों पर देय वापसी अदायगी की मात्रा तथा ब्याज भुगतान को भी शामिल किया गया हो। मुहैया कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए दिए गए ऋणों की काफी अधिक मात्रा का प्रशासन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यह भी कि इन ऋणों के समेकन से इन ऋणों के प्रबंधन में सुगमता आएगी। दिनांक 31-3-04 की स्थिति के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए बकाया ऋणों, सिवाय उन ऋणों के जो केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए गए हैं और जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, के सम्बन्ध में समेकन प्रक्रिया को हमने निष्पादित कर दिया है।

12.41 दिनांक 31-3-04 की स्थिति के अनुसार राज्यों को दिए गए बकाया केन्द्रीय ऋणों को समेकित करने के प्रयोजनार्थ हमने वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए बकाया केंद्रीय ऋणों के विवरण पर इन कारणों से विश्वास किया है कि, (क) वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में 2004-05 के अन्त तक होने वाली ऋण की संभावित अदला-बदली को हिसाब में लेते हुए तदनुसार पुनर्भुगतानों का निर्धारण किया गया है और (ख) अनेक मामलों में राज्यों द्वारा भेजे गए केंद्रीय ऋणों के आंकड़ों में एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों को शामिल किया गया है। दिनांक 31-3-04 की स्थिति के अनुसार, राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि को हमने समेकित किया है, जो 184268 करोड़ रुपए बैठती है। इन ऋणों में केंद्रीय योजनाओं/केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए ऋणों को शामिल नहीं किया है। इन बकाया ऋणों का ब्यौरा सारणी 12.7 में दिखाया गया है।

सारणी 12.6

वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय सरकार के उधारों की भारित औसत ब्याज दर

निवल उधार	राशि	ब्याज दर (प्रतिशत)
बाजार उधार	86797	5.74
एनएसएसएफ	13765	7
एनएसएसएफ	32602	6
एनएसएसएफ	13608	5.95
भविष्य निधियाँ	5000	8
अन्य (कर-मुक्त)	4520	6.5
अन्य (करयोग्य)	1588	8
जोड़	157880	
भारित औसत ब्याज दर		6.04 %

सारणी 12.7

दिनांक 31-3-04 की स्थिति के अनुसार राज्यों को दिए गए केंद्रीय ऋणों के बकाया का ब्यौरा

31.3.04 को ऋणों का बकाया	(करोड़ रुपए में)
अवरूद्ध ऋण	146198
मध्यावधिक ऋण	2431
31-3-99 तक प्रदान किए गए लघु बचतों के ऋण	30638
1979-80 से पूर्व के समेकित ऋण (30 वर्ष)	475
1979-80 से पूर्व के पुनर्समेकित ऋण (30 वर्ष)	1441
1979-84 समेकित ऋण (20 वर्ष)	27
1979-84 समेकित ऋण (25 वर्ष)	550
1979-84 समेकित ऋण (30 वर्ष)	1562
1984-89 समेकित ऋण (15 वर्ष)	942
अन्य	4
कुल जोड़	184268

12.42 उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में वर्ष 2004-05 में जैसी संभावना की गई है, लगभग 44,000 करोड़ रुपए के ऋणों की अदला-बदली को निर्दिष्ट किया गया है। 31.3.05 को इन समेकित ऋणों का बकाया जो वर्ष 2004-05 में सामान्य पुनर्भुगतानों को हिसाब में लेने और ऋणों की संभावित अदला-बदली के पश्चात् जो राशि बचेगी, वह 128795 करोड़ रुपए होगी। हमारी पंचाट अवधि के दौरान उपर्युक्त सारणी 12.7 में वर्णित ऋणों पर देय पुनर्भुगतान के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध 12.6 में दिए गए हैं। हमारा मानना है कि ऋण अदला-बदली स्कीम के बंद होने के बाद भी बकाया ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर 11.5 प्रतिशत के लगभग होगी। हमारे विचार से, केंद्रीय सरकार के उधारों की सीमान्त लागत और केंद्र द्वारा ऋणों पर प्रभारित प्रभावी ब्याज दरों के बीच अन्तर का समायोजन करके ब्याज भुगतानों में राहत देना आवश्यक होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लेन-देन संबंधी लागतों के रूप में कुछ प्रीमियम केंद्र को उपलब्ध होना चाहिए, हम सिफारिश करते हैं कि 31-3-04 तक राज्यों को संविदा किए गए केंद्रीय ऋणों तथा 31.3.05 को बकाया (यह राशि 128795 करोड़ रुपए बैठती है) राशि को समेकित कर दिया जाए और 20 वर्ष की नई अवधि (20 समान किस्तों में वापसी अदायगी की जाए) में पुनः व्यवस्थित किया जाए तथा उन पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज वसूल किया जाए। इन समेकित ऋणों में ऐसे कुछ ऋण भी शामिल होंगे जिन्हें पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा 7.5 प्रतिशत से भी कम की ब्याज दरों पर समेकित किया था। तथापि, हमने वर्तमान प्रक्रिया में उन्हें शामिल कर लिया है ताकि केंद्र सरकार के लिए ऋणों का प्रबंधन करना आसान हो जाए। इन ऋणों को पुनः व्यवस्थित किए जाने से राज्यों को वापसी अदायगी करने में लाभ होगा। समेकन करने, पुनः व्यवस्था करने तथा ब्याज दरों को कम किए जाने से संबंधित इन सिफारिशों के संदर्भ मे, सभी राज्यों को एक साथ मिलाते हुए पंचाट अवधि के दौरान ऋण राहत की राशि ब्याज भुगतानों में 21276 करोड़ रुपए और वापसी अदायगी करने में 11929 करोड़ रुपए बैठती है। इस प्रकार, प्रस्तावित स्कीम ब्याज दर में कटौती किए जाने तथा ऋणों को पुनः व्यवस्थित किए जाने के संदर्भ में लाभ प्रदान कर रही है जिससे राज्यों की नकदी की स्थिति मजबूत होगी। ऋण राहत के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 12.7 में निर्दिष्ट हैं। ऋण समेकन प्रक्रिया में हमने वर्ष 2004-05 में केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले नए ऋणों को हिसाब में नहीं लिया है क्योंकि ऐसे ऋणों के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। तथापि, केंद्रीय सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को वर्ष 2004-05 में 10.5 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत कर दिया है। यह आम ऋण राहत जिसमें समेकन, पुनः व्यवस्था और ब्याज दर को कम करके 7.5 प्रतिशत किया जाना शामिल है, पैरा 12.36 में हमारे द्वारा सिफारिश किए गए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित किए जाने वाले वर्ष से सभी राज्यों को उपलब्ध होगी।

12.43 ऋणों को समेकित करके तथा 31-3-04 से पूर्व के तथा 31-3-05 को बकाया रहने वाले केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किए गए ऋणों पर ब्याज की दरों को भारी मात्रा में घटाकर उन्हें पुनः व्यवस्थित करके सामान्य ऋण राहत प्रदान करने के अतिरिक्त हमने राजकोषीय निष्पादन पर आधारित ऋणों को बट्टे खाते डालने की एक स्कीम तैयार की है। हमने प्रत्येक राज्य के लिए एक राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करने की जरूरत पर पहले से ही दबाव डाला हुआ है जिसमें वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को घटाकर शून्य तक लाने के लिए राजकोषीय समायोजन की दिशा को निर्धारित किया जाएगा। हमने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 11 में राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा को इस आधार पर बंद करने का सुझाव दिया था कि इस सुविधा का वर्तमान स्वरूप इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। हमारे विचार से, राजकोषीय निष्पादन को प्रतिफलित करने की गुणात्मक प्रोत्साहन योजनाओं की बजाय ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने के पैकेज में राजकोषीय निष्पादन के लिए प्रोत्साहनों की स्कीम बनायी जानी चाहिए। हम महसूस करते हैं कि राज्यों को एक ठोस प्रोत्साहन तभी दिया जाएगा यदि राजस्व घाटे की कटौती उन्हें ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए भी हकदारी देती हो। इस प्रकार की स्कीम से राज्यों के राजस्व घाटे को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी आएगी। इसलिए, हम राज्यों के राजस्व घाटे की कटौती से सम्बद्ध ऋण को बट्टे खाते डाले जाने की स्कीम आरम्भ करने की सिफारिश करते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत पैरा 12.40 से पैरा 12.42 में सिफारिश किए गए अनुसार ऋणों को समेकित तथा पुनः व्यवस्थित किए जाने के बाद 2005-06 से 2009-10 तक केन्द्रीय ऋणों पर देय वापसी अदायगी ही बट्टे खाते डाले जाने के लिए उपयुक्त होगी। वापसी अदायगी को बट्टे खाते डाले जाने की मात्रा को उस निरपेक्ष राशि से जोड़ा जाएगा जिस राशि तक हमारी पंचाट अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में राजस्व घाटे में कटौती हुई है। वास्तव में, यदि राजस्व घाटे को शून्य तक लाया जाता है तो उस अवधि के दौरान समस्त वापसी अदायगी को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। बट्टे

खाते डाले जाने की यह स्कीम सभी राज्यों के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित करके सामान्य ऋण राहत के लिए अर्हता प्राप्त करने पर ही उन्हें उपलब्ध होगी।

12.44 स्कीम को चलाने का तरीका नीचे बताया गया हैः-

(क) राजकोषीय निष्पादन को राजस्व घाटे/राजस्व अधिशेष के संदर्भ में मापा जाएगा, जिसे तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 (वास्तविक), 2002-03 (वास्तविक), और 2003-04 (सं.अ.) का औसत लेकर निरपेक्ष संख्याओं में निकाला गया होगा। यह औसत 2003-04 के लिए आधार वर्ष के आंकड़ों के रूप में लिया जाएगा।

(ख) आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार (उपर्युक्त पद्धति से परिकलित) जो राज्य राजस्व अधिशेष में थे और अनुवर्ती वर्षों में भी हमारी पंचाट अवधि के अंत तक अधिशेष में बने रहेंगे, केंद्रीय ऋणों पर देय वापसी अदायगी की किस्त को (समेकन और पुनः व्यवस्थित किए जाने के बाद) वर्ष 2005-06 से आगे प्रत्येक वर्ष में बट्टे खाते डाला जा सकता है और यह क्रम तब तक बना रहेगा जब तक कि राज्यों का राजस्व अधिशेष निरपेक्ष अर्थों में आधार वर्ष के स्तर से नीचे न चला जाए। जिस वर्ष में राजस्व अधिशेष आधार वर्ष के आंकड़ों की तुलना में कम रहेगा तो किस्त को निरस्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) जो राज्य आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार राजस्व घाटे में थे उनके राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक अर्थात् पांच वर्ष की अवधि के दौरान समाप्त किए जाने की आशा है। राजकोषीय निष्पादन को उस निरपेक्ष राशि तक मापा जाएगा जिस तक आधार वर्ष के आंकड़े से आरम्भ करते हुए पिछले वर्ष में हुए घाटे की तुलना में प्रत्येक वर्ष में राजस्व घाटा कम हुआ है। उस मापदंड का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ जिस पर राहत प्रदान की जाएगी, 2005-10 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा देय वापसी अदायगी का अनुपात (समेकन तथा पुनः व्यवस्था किए जाने के बाद केंद्रीय ऋणों का) आधार वर्ष के राजस्व घाटे की तुलना में निकाला गया है। यह बट्टे खाते डाली गयी वापसी अदायगी की उस राशि का निर्धारण करता है, जिसकी प्रत्येक राज्य को राजस्व घाटे के प्रत्येक रुपए की कटौती के लिए अनुमति दी जाएगी। अनुबंध 12.8 में वह अनुपात दिया गया है जो बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए राज्यों पर लागू होगा।

(घ) प्रत्येक वर्ष में एकदम पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे में हुई वास्तविक कटौती राज्य के लिए तत्काल अनुवर्ती वर्ष में देय वापसी अदायगी को बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि का निर्धारण करेगी। इसका परिकलन राजस्व घाटे की कटौती की राशि द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुपात से गुणा करके किया जाएगा। तथापि, किसी एक वर्ष में बट्टे खाते डाली गई कुल राशि उस वर्ष में समेकित ऋणों पर देय वापसी अदायगी तक सीमित रहेगी। इसके अतिरिक्त, बट्टे खाते डाले जाने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि आधार वर्ष के आंकड़ों की तुलना में राज्य अपने राजस्व घाटे को कम स्तर पर रखता है।

(ङ) यह ध्यान दिया जाए कि अन्य बातों के समान रहते हुए पैरा 12.42 में सिफारिश की गई ब्याज दर को कम किए जाने के कारण ऋण राहत के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 से आगे राजस्व घाटे में कटौती अदृश्य रहेगी। राजस्व घाटे में कटौती जो ब्याज दर राहत के समान स्तर तक हो, उसे पात्रता की आवश्यकता के रूप में लिया जाएगा। इसलिए, प्रत्येक राज्य से हमारी पंचाट अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में राजस्व घाटे में कटौती किए जाने की अपेक्षा की जाएगी, जो आधार वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने पर हमारे द्वारा सिफारिश किए गए ब्याज राहत में सामूहिक कटौती किए जाने की अपेक्षा अधिक हो। वर्ष 2005-10 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए ब्याज दर को कम किए जाने से व्युत्पन्न राजस्व घाटे में सामूहिक कटौती और ब्याज भुगतानों में वर्ष-वार राहत के ब्यौरे अनुबंध 12.9 में दिए गए हं।

(च) यदि किसी वर्ष में राजस्व घाटे में कटौती उस वर्ष में देय समस्त वापसी अदायगी को बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित न्यूनतम राशि से अधिक हो जाती है तो उस आधिक्य को अगले वर्ष के लिए पूर्णतया अग्रेणीत कर लिया जाएगा, बशर्ते कि अगले वर्ष में भी राजस्व घाटा लगातार घटने की प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा हो और आधार वर्ष के आंकड़ों की तुलना में कम हो। दूसरी ओर, यदि अगले वर्ष में राजस्व घाटे में कोई वृद्धि होती है लेकिन राजस्व घाटा आधार वर्ष के आंकड़ों की अपेक्षा अभी भी कम रहता है तो बट्टे खाते डाले जाने की हकदारी का निर्धारण पिछले वर्ष के उस न्यूनतम राजस्व घाटे के आंकड़ों में आए सुधार के आधार पर किया जाएगा जिस पर पिछले वर्ष में पूर्ण राहत दी गई थी।

(छ) अपनी स्कीम का एक उदाहरण देते हैं, यदि राज्य "क" के पास आधार वर्ष के राजस्व घाटे के आंकड़े 2000 करोड़ रुपए के हैं और 2005-2010 से देय वापसी अदायगियां 1000 करोड़ रुपए है

(अथवा कहें कि 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष), तो बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि का निर्धारण करने के लिए अनुपात 0.50 होगा अर्थात् राज्य अपने राजस्व घाटे में कटौती की राशि का 50 प्रतिशत के बराबर ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए पात्र होगा। यदि राज्य 2004-05 में अपने घाटे को 300 करोड़ रुपए तक कम कर लेता है, आधार वर्ष के स्तर की तुलना में, तो वह राज्य 2005-06 में 150 करोड़ रुपए की राशि के ऋण को बट्टे खाते डालने का पात्र होगा। लेकिन, यदि घाटे में कटौती 600 करोड़ रुपए तक होती है तो हालांकि राज्य 300 करोड़ रुपए के ऋण बट्टे खाते डालने का पात्र होगा, लेकिन उस वर्ष में ऋण को बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि उस वर्ष में देय वापसी अदायगी की किस्त (अर्थात् 200 करोड़ रुपए) तक प्रतिबंधित होगी और शेष राशि (अर्थात् 100 करोड़ रुपए) अगले वर्ष में बट्टे खाते डाली जाने के लिए अर्हक हो जाएगी बशर्ते कि वह राज्य अगले वर्ष में अपने राजस्व घाटे को पुनः कम करे अथवा उसी स्तर को बनाए रखे। दूसरी ओर, यदि वर्ष 2005-06 में राजस्व घाटा बढ़ता है, मान लो 2004-05 के स्तर से 100 करोड़ रुपए बढ़ता है तो आधार वर्ष के स्तर की तुलना में निवल सुधार केवल 500 करोड़ रुपए का ही होगा। उस अवस्था में, चूंकि 400 करोड़ रुपए की राशि को पिछले वर्ष में ऋण राहत के लिए पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है इसलिए वह राज्य शेष 100 करोड़ रुपए के 50 प्रतिशत तक अर्थात् वर्ष 2006-07 में केवल 50 करोड़ रुपए की वापसी अदायगी में राहत के लिए पात्र होगा।

(ज) यदि किसी राज्य का किसी वर्ष में निष्पादन खराब रहता है और पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटा उस उच्च स्तर तक बढ़ जाता है जिसके लिए वापसी अदायगी में राहत प्राप्त की गयी है तो अनुवर्ती वर्ष में आए किसी प्रकार के सुधार का आकलन उस वर्ष के संदर्भ में न करते हुए पिछले वर्ष में किए गए निष्पादन के उस स्तर पर किया जाएगा जिस स्तर तक राहत का लाभ उठाया गया है। यदि उस पिछले वर्ष में राजस्व घाटे में कटौती, वापसी अदायगी को 100 प्रतिशत बट्टे खाते डालने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम कटौती की अपेक्षा अधिक होती है तो उस वर्ष का राजस्व घाटा न्यूनतम राजस्व घाटे में उस कटौती को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से निर्धारित किया जाएगा जिसने वापसी अदायगी में 100 प्रतिशत राहत के लिए राज्य को पात्र बनाया होता। उपर्युक्त उप-पैरा (छ) के क्रम में उदाहरणार्थ, यदि "क" राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2004-05 में 1400 करोड़ रुपए तक कम किए जाने के पश्चात् वर्ष 2005-06 में 1800 करोड़ रुपए तक चला जाता है तो वह राज्य वर्ष 2006-07 में वापसी अदायगी में राहत के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा। इसके साथ ही वर्ष 2007-08 में राहत के लिए वर्ष 2006-07 में इसके निष्पादन को वर्ष 2004-05 के सांकेतिक स्तर 2000 करोड़ रुपए में से 400 करोड़ रुपए घटाकर 1600 करोड़ रुपए होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी राज्य आधार वर्ष पर सुधार के उसी स्तर के लिए एक बार से अधिक राहत का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसी प्रकार किसी भी राज्य को किसी भी वर्ष में न्यूनतम अपेक्षित स्तर की तुलना में बेहतर निष्पादन के लिए दंडित नहीं किया जाएगा।

(झ) दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों की ऋण राहत योजना के संबंध में इस लाभ को प्रदान करने में लगने वाले लम्बे समय की अक्सर आलोचना की जाती है। इसलिए, हमारी यह सिफारिश है कि बट्टा-खाता निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के संशोधित अनुमानों में दर्शाए गए राजस्व घाटे का प्रयोग अनन्तिम तौर पर किया जाए ताकि किसी भी वर्ष के लिए राहत तत्काल उत्तरवर्ती वर्ष में उपलब्ध हो सके। जब वित्तीय लेखा-विवरण उपलब्ध हो जाएं तो आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं।

(ञ) राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को देखते हुए हम यह भी सिफारिश करते हैं कि बट्टे-खाते का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि राज्य के राजकोषीय घाटे को 2004-05 के स्तर तक सीमित रखा जाएगा। यदि किसी वर्ष में राजकोषीय घाटा इस स्तर को पार कर जाता है तो पात्र होने के बावजूद बट्टे खाते डालने का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

12.45 हमारे बट्टे-खाते संबंधी पैकेज की शर्तों के अनुसार, यदि कोई राज्य अनुकूल निष्पादन के द्वारा 2008-09 तक शून्य राजस्व घाटा स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उस राज्य को 31.3.04 तक संविदागत केन्द्रीय ऋणों पर 2005-10 के लिए देय सभी पुनः अदायगियों की सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि सभी राज्य 2008-09 तक राजस्व संतुलन प्राप्त कर लेते हैं तो पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते डाले जाने वाली कुल राशि लगभग 32200 करोड़ रुपए होगी।

भावी ऋण नीति

12.46 राज्यों के ऋण संबंधी भार के बारे में हमने यह विचार विमर्श किया कि भविष्य में केन्द्र की ऋण नीति की दिशा क्या होनी चाहिए। जब बाजार में ब्याज की दरें ऊंची थीं तो उस समय

केन्द्र द्वारा राज्यों के प्रति बैंकर की भूमिका निभाए जाने का कुछ औचित्य रहा होगा तथा राज्यों को ऋण देने की प्रक्रिया के अंतर्गत रियायती ब्याज के माध्यम से राज्यों को अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की गई थी लेकिन अब निम्न ब्याज दरों की व्यवस्था में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। कई प्रकार से, केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋण, जो कि उधार की मामूली लागत से कहीं अधिक ऊंची दर पर प्रदान किए जाते हैं, राज्यों से केन्द्र को विपरीत सब्सिडी के रूप में परिणत हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, अधिकांश संघीय देशों में, संघीय सरकारों ने ऋण मध्यवर्ती संबंधी कार्य करना बंद कर दिया है तथा राज्यों को बाजार के नियमों के अनुसार चलने का निदेश दिया गया है। ऐसे प्रबंधन के अंतर्गत संघटक एकक ऐसी शर्तों पर उधार ले सकते हैं जो उनके ऋण संबंधी जोखिमों को प्रतिबिम्बित करते हैं। राजकोषीय विवेक से संपन्न राज्य संघीय सरकार द्वारा की जाने वाली पेशकश से भी कम दरों पर ऋण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जबकि राजकोषीय रूप से नासमझ राज्यों को कम ऋण सुविधाएं मिलती हैं। हम समझते हैं कि राज्यों के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे बाजार दरों का लाभ उठाएं तथा केन्द्र द्वारा प्रभारित कीमत-लागत अंतर से बचें। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि भविष्य में केन्द्र सरकार मध्यवर्ती की भूमिका न निभाए और राज्यों को सीधे बाजार से ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाए। फिर भी, राजकोषीय रूप से कमजोर कुछ राज्य यदि बाजार से ऋण नहीं जुटा पाते तो केन्द्र द्वारा ऋण प्रदान किया जाना चाहिए लेकिन ब्याज दरें केन्द्र की उधार लागत के अनुरूप होनी चाहिए।

विदेशी सहायता ऋण

12.47 बहुत से राज्यों का यह प्रस्ताव है कि विदेशी ऋण राज्यों को उन्हीं शर्तों पर दे दिए जाने चाहिए जिन शर्तों पर वे ऋणदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अवसंरचना समायोजन सहायता को छोड़कर, अधिकांश विदेशी सहायता परियोजना आधारित होती है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण संबंधी शर्तें परियोजना तथा ऋणदाता एजेंसी के अनुसार अलग-अलग होती हैं। ऋणदाता एजेंसियों द्वारा परियोजना के स्वरूप एवं वित्तीय व्यवहार्यता तथा परियोजना की राजस्व अर्जन क्षमता के आधार पर ऋण, उदार ऋण तथा गैर-रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं। तथापि, राज्यों की परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता उन्हें 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत) प्रदान कर दी जाती है। ब्याज की दरें वही होती हैं जो एकमुश्त ऋणों के लिए लागू होती हैं।

12.48 हालांकि कुछ स्रोतों से तथा कुछ परियोजनाओं के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता बहुत ही रियायती होती है लेकिन कई अन्य मामलों में यह सहायता बहुत खर्चीली भी हो सकती है। समूहीकरण की प्रक्रिया तथा रुपए की दर से एक समान ब्याज दर का निर्धारण करते समय, प्रति-सहायता संबंधी तत्व दो स्तरों पर उभरता है : केन्द्र तथा सभी राज्यों के बीच, और सभी राज्यों के बीच। केन्द्र और राज्यों के बीच प्रति-सहायता के मामले में, एक पक्ष तथा दूसरे पक्ष को होने वाला तुलनात्मक लाभ/हानि प्रमुख विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य ह्रास की दर पर निर्भर करती है। राज्यों के मामले में प्रति-सहायता का मुद्दा तब सामने आता है जब उन राज्यों, जिन्हें अपनी सहायता संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अनुदान और उदार ऋण (जिनके द्वारा सामाजिक कल्याण, तैयारी की लम्बी अवधि तथा कम लाभ वाली परियोजनाओं के लिए राहत प्रदान की जाती है) को उच्च लागत वाले ऋणों में अपेक्षाकृत अधिक हिस्से, जो अधिकांशतः वाणिज्यिक परियोजनाओं से संबंधित होते हैं, को बनाए रखने के लिए ब्याज की ऊंची दर का भुगतान करना पड़ता है।

12.49 हमने इस संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा भारत सरकार की मध्यावधिक राजकोषीय नीति संबंधी विवरण का अध्ययन किया है। चूंकि दो तरफा आधार पर विदेशी सहायता के अंतरण से राज्यों को रियायती विदेशी सहायता में एक समान आधार पर हिस्सेदारी प्राप्त होगी, इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि विदेशी सहायता राज्यों को उन्हीं शर्तों पर दे दी जाए जो ऐसी सहायता पर विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा लगाई जाती हैं, इस प्रकार, भारत सरकार की वित्तीय मध्यवर्ती की भूमिका बिना किसी लाभ या हानि के होगी। राज्यों को वही परिपक्वता, अधिस्थगन तथा ऋण परिशोधन संबंधी कार्यक्रम प्राप्त होगा जो कि भारत सरकार को विदेशी ऋणदाताओं से प्राप्त होता है। हमारी जानकारी के अनुसार, विदेशी एजेंसी से मिलने वाले किसी भी ऋण की अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होती और इस प्रकार राज्यों को अधिक परिपक्वता अवधि (अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए ऋणों) के मामले में 35 वर्ष, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ऋणों के मामले में 25 वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) ऋणों के मामले में 20 वर्ष) का लाभ प्राप्त होगा। आईडीए उधारों के मामले में राज्यों को 10 वर्ष की अधिक अधिस्थगन अवधि का लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि, राज्यों को ब्याज अदायगियों पर लाभ प्राप्त होगा लेकिन उन्हें विदेशी मुद्रा मूल्यों के उतार-चढ़ाव संबंधी जोखिम का सामना भी करना होगा। हमारा यह भी मानना है कि भारत की समेकित निधि के दायरे से बाहर विदेशी सहायता का प्रचालन करना और सरल हो जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप, राज्यों के बीच विदेशी सहायता का वितरण तेजी से होगा। इसलिए हमारी सिफारिश है कि राज्यों को विदेशी सहायता दिए जाने संबंधी कार्य का प्रबंधन लोक-लेखा में किसी पृथक निधि के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस निधि का उपयोग विदेशी विनिमय संबंधी जोखिम से निपटने के लिए भी किया जा सकता है।

पंजाब के लिए विशेष सावधिक ऋण

12.50 1984-85 से 1988-89 के दौरान, विद्रोह तथा आंतकवाद का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा पंजाब को 5799.92 करोड़ रुपए के विशेष सावधिक ऋण दिए गए थे। नौंवे वित्त आयोग ने, इन विशेष सावधिक ऋणों के संबंध में मूल राशि की पुनः अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के लिए दो वर्षों (1990-92) की अधिस्थगन अवधि प्रदान की थी। जब ये ऋण प्रदान

किए गए थे तब की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तथा अपने विकास हेतु राज्य के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रख कर दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि ऋण राशि के एक-तिहाई भाग 490.63 करोड़ रुपए की राशि, जिसकी वापसी अदायगी 1995-2000 के दौरान देय थी, को माफ कर दिया जाए। ग्यारहवें वित्त आयोग ने बकाया विशेष सावधिक ऋणों जिनकी राशि 3772 करोड़ रुपए बैठती थी, से संबंधित 2000-05 की अवधि के दौरान की किश्तों तथा ब्याज की अदायगी के लिए अधिस्थगन की सिफारिश की तथा यह कहा कि सुरक्षा पर किए गए व्यय की गणना गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार तथा वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर ली जाए तथा अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् तथा पहले से माफ किए गए ऋण लेखे को हिसाब में लेकर राज्य को उस सीमा तक, जिसके लिए वह सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार है, ऋण संबंधी राहत प्रदान कर दी जाए।

12.51 राज्य सरकार ने हमसे अनुरोध किया है कि 31 मार्च, 2000 को देय 3772 करोड़ रुपए के बकाया विशेष सावधिक ऋण तथा उस पर देय ब्याज को भारत सरकार द्वारा माफ कर दिया जाए। राज्य ने अपने इस अनुरोध के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 355, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन तथा राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया है। हम समझते हैं कि विशेष सावधिक ऋणों में से किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की मात्रा, अधिस्थगन अवधि (2000-05) के बाद दी जाने वाली ऋण राहत राशि का परिकलन अभी तक नहीं किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय का लेखा अब गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अभी इस लेखे की जांच की जानी है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदान की जाने वाली ऋण राहत संबंधी राशि का अंतिम निर्धारण किए जाने तक, हमारी यह सिफारिश है कि इन ऋणों की वापसी अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के लिए अधिस्थगन अवधि को और दो वर्षों अर्थात् 2006-07 तक के लिए बढ़ा दिया जाए तथा तब तक दी जाने वाली ऋण राहत मात्रा संबंधी अंतिम निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए।

गुजरात भूकंप के लिए राहत और पुनर्वास ऋण

12.52 2001 में भूकंप के बाद राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से 5478 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। केन्द्र सरकार ने सामान्य केन्द्रीय सहायता पद्धति अर्थात् 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में यह ऋण गुजरात सरकार को दे दिया था। गुजरात सरकार का अनुरोध यह है कि इस समस्त राशि को अनुदान माना जाना जाए।

12.53 इस अनुरोध पर विचार करने के लिए, हमने वित्त मंत्रालय से इस ऋण के बारे में विस्तृत सूचना मांगी थी। हमें सूचित किया गया है कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए लागू मानक शर्तों के साथ यह आईडीए ऋण गुजरात को दे दिया गया था जिसके अंतर्गत 27.05.2003 से ऋण असंवितरित राशि पर ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कटौती कर दी गई थी। सितम्बर, 2004 तक इस परियोजना के अंतर्गत 200 मिलियन अमरीकी डालर राशि संवितरित की जा चुकी थी जबकि बकाया ऋण राशि 242.8 मिलियन अमरीकी डालर है। परिशोधन सारणी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा वापसी अदायगी 15 अक्तूबर, 2012 से आरम्भ की जाएगी अर्थात् आयोग की पंचाट अवधि के दौरान कोई अदायगी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। 31.3.04 से 15.4.2010 तक देय ब्याज प्रभार की राशि 6984432.39 अमरीकी डालर है तथा अब तक 1.779 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वचनबद्धता प्रभार के रूप में अदा की जा चुकी हैं।

12.54 गुजरात सरकार हमें सूचित किया है कि भूकंप पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण से संबंधित कुल अनुमानित लागत 8087 करोड़ रुपए थी जिनमें से 2244 करोड़ राशि अनुदान के रूप मे प्राप्त की जानी थी तथा 5843 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक और एडीबी की विदेशी सहायता सहित अन्य सभी स्रोतों में जुटाई जानी थी। भारत सरकार ने विश्व बैंक से 699.80 मिलियन अमरीकी डालर (46 रुपए प्रति अमरीकी डालर की विनिमय दर से 3219 करोड़ रुपए) तथा एशियाई विकास बैंक से 350 मिलियन अमरीकी डालर (46 रुपए प्रति अमरीकी डालर की विनिमय दर से 1610 करोड़ रुपए) की विदेशी सहायता अनुमोदित की थी। इसमें से गुजरात सरकार को 2920.94 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार ने इन ऋणों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में माना है। हमारी पंचाट अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को 621.03 करोड़ रुपए की वापसी अदायगी तथा 1158.67 करोड़ रुपए की ब्याज अदायगी की जानी है।

12.55 उन शर्तों, जिन पर विदेशी एजेंसियों ने ऋण प्रदान किए हैं तथा उन शर्तों, जिन पर ये गुजरात को दिए गए हैं, को ध्यान में रखते हुए, हमने गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार किया है। हालांकि हम इन ऋणों को बट्टे खाते डालने अथवा इन्हें अनुदानों के रूप में अंतरित करने की सिफारिश तो नहीं कर सकते लेकिन हमारा मानना है कि यदि ये ऋण उन्हीं शर्तों, जो भारत सरकार और विदेशी एजेंसियों के बीच तय हुई हैं, पर राज्य को दे दिए जाएं तो उससे गुजरात को काफी राहत मिलेगी। इसलिए, हमारी सिफारिश है कि यदि गुजरात सरकार ऐसा चाहती है तो केन्द्रीय सरकार इन ऋणों की शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन कर सकती है जिससे ये ऋण गुजरात को दुतरफा आधार (बैक टू बैक बेसिस) पर उपलब्ध हो सकें।

12.56 पंजाब और गुजरात के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों ने भी विशिष्ट ऋणों को बट्टे खाते डालने अथवा माफ करने का सुझाव दिया है। हमने इन मांगों पर विचार किया है लेकिन हम, हमारे द्वारा पहले से ही प्रस्तावित ऋण राहत पैकेज के अतिरिक्त और अधिक बट्टे खातों की सिफारिश नहीं कर सकते।

निक्षेप निधियों की स्थापना

12.57 कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि ऋण के परिशोधन के लिए निक्षेप निधियों की स्थापना की जाए। हमने पहले भी

सिफारिश की है कि भविष्य में मध्यवर्ती तौर पर केन्द्रीय सरकार की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए तथा केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण नहीं दिए जाने चाहिए। इसकी बजाए, राज्यों को बाजार में सीधे ही सम्पर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में हमने नोट किया है कि नौवें वित्त आयोग ने यह टिप्पणी की थी की ऋणों की वापसी अदायगी परिशोधन/निक्षेप निधियों में से की जानी चाहिए। दसवें वित्त आयोग ने समग्र राजकोषीय अनुशासन के लिए निक्षेप निधियों की स्थापना को वांछनीय माना था। ग्यारवहें वित्त आयोग ने भी ऋणों के परिशोधन के लिए प्रत्येक राज्य में एक निक्षेप निधि स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

12.58 हमें यह भी जानकारी है कि राज्यों के बाजार ऋणों के शोधन को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1999-2000 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की गई थी। अभी तक ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोआ, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल ने निक्षेप निधियों की स्थापना की है।

12.59 ऋण विनिमय योजना के संदर्भ में हमें यह जानकारी दी गई है कि पुराने ऋणों (एकमुश्त ऋणों/लघु बचत ऋणों) की अवशिष्ट अवधि 20-25 वर्ष से कम है। विनिमय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले मुक्त बाजार के ऋण अधिकतर खरीद सुविधाओं के रूप में होते हैं जिनमें से 2003-04 में जुटाई गई कुछ श्रृंखलाओं की परिपक्वता अवधि दस वर्ष / बारह वर्ष है। परिपक्वता अवधि की इस व्यवस्था के अंतर्गत, राज्यों को पहले दस वर्षों के दौरान मूल राशि की कम वापसी अदायगी करनी होगी तथा इससे राज्यों के पास अधिक नकदी उपलब्ध रहेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 2013-2015 की अवधि के दौरान एक साथ बहुत सी अदायगियां करनी पड़ेंगी क्योंकि उन तीन से पांच वर्षों की अल्प अवधि में अतिरिक्त मुक्त बाजार ऋण (जिनकी अनुमानित राशि 45,000 करोड़ रुपए से अधिक है) परिपक्व हो जाएंगे। इससे राज्यों को अपने ऋण परिशोधन में कठिनाई का अनुभव होगा। इस कारण बकाया ऋणों की अदायगी के लिए एक निधि स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इससे, राज्य जब ऋणों के लिए आवेदन करेंगे तो उनकी साख में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए हमारी सिफारिश है कि बैंक ऋणों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए सभी राज्यों को निक्षेप निधियों की स्थापना करनी चाहिए। यह निधि राज्यों की समेकित निधि तथा लोक लेखा से अलग अनुरक्षित की जानी चाहिए तथा ऋणों के शोधन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

गारंटी शोधन निधि

12.60 1990 के दशक के दौरान राज्य सरकारों की बकाया गारंटियों के बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई दी है। हालांकि, आकस्मिक देयताएं राज्यों के ऋण भार का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं होती लेकिन उधारकर्ता एजेंसी द्वारा किसी चूक के मामले में राज्यों की ऋण शोधन संबंधी देयताएं पूरी करनी होंगी। मार्च, 2000 के अंत में राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां 132029 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत) थीं जो मार्च, 2001 के अंत तक बढ़कर 168712 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 8.1 प्रतिशत) हो गईं। मार्च, 2002 के अंत में, इन गारंटियों के घट कर 166116 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 7.2 प्रतिशत) रह जाने का अनुमान है। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय प्रभाव को देखते हुए, बहुत से राज्यों ने गारंटियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं। गोआ, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल ने गारंटियों पर वैधानिक तौर पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी है जब कि अन्य कुछ राज्यों यथा असम, उड़ीसा तथा राजस्थान ने प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से इनकी उच्चतम सीमा तय की है। यह भी जानकारी मिली है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा तथा गुजरात ने गांरटी शोधन निधियों की स्थापना कर दी है। हमने कहीं अन्यत्र यह सिफारिश की है कि सभी राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान तन्त्र के माध्यम से गारंटियों पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए। राज्यों द्वारा गारंटियों से संबंधित आकस्मिक दायित्वों के निर्वाह के लिए हम यह भी सिफारिश करते हैं कि राज्यों को निर्दिष्ट गारंटी शुल्क के माध्यम से गांरटी शोधन निधियों की स्थापना करनी चाहिए। इससे पहले गारंटियों संबंधी जोखिमों की जांच कर ली जानी चाहिए और उसी के अनुरूप निधि में अंशदान की मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

सिफारिशें

12.61 संक्षेप में, हमारी सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

(i) प्रत्येक राज्य को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बना कर विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिससे 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके तथा उधार और गारंटियों को घटाने के माध्यम से राजकोषीय घाटों को कम किया जा सके। ऋण संबंधी राहत सुविधा प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त यह होगी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित किया जाए जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है।

(ii) ऋण राहत संबंधी विषय को मानव विकास अथवा निवेश वातावरण संबंधी निष्पादन के साथ न जोड़ा जाए।

(iii) 31.3.04 तक राज्यों के साथ संविदागत तथा 31.3.05 तक बकाया (128795 करोड़ रुपए की कुल राशि) केन्द्रीय ऋणों का समेकन करके उनको 20 वर्ष की नई अवधि के लिए सारणीबद्ध कर लिया जाए (इसके परिणामस्वरुप उनकी 20 समान किश्तों की वापसी अदायगी करनी होगी) तथा उन पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दर प्रभारित की जाए) तथापि, यह प्रक्रिया राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित करने पर ही लागू होगी तथा उसी वर्ष से प्रभावी

होगी जब इस विधान का अधिनियमन कर लिया जाएगा।

(iv) राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने संबंधी ऋण बट्टा खाता योजना शुरू कर दी जाए। इस योजना के अंतर्गत, 31.3.04 तक संविदागत केन्द्रीय ऋणों से संबंधित 2005-06 से 2009-10 तक की वापसी अदायगियों, जिनके समेकन की सिफारिश की गई है, को ही बट्टे खाते के लिए योग्य माना जाएगा। वापसी अदायगी की बट्टे खाते डाले जाने वाली राशि की मात्रा उतनी ही होगी जितनी राशि का हमारी पंचाट अवधि के दौरान के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में राजस्व घाटा कम किया जाएगा। वस्तुतः यदि राजस्व घाटा शून्य स्तर पर लाया जाता है तो उस अवधि की समस्त वापसी अदायगी बट्टे खाते में डाल दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, भविष्य में उपचित लाभ सहित ऋण-राहत प्राप्त करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान का अधिनियमन करना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त होगी। इस योजना का ब्यौरा पैरा 12.44 में दिया गया है।

(v) जहां तक ऋण देने संबंधी भावी नीति का संबंध है, केन्द्रीय सरकार को मध्यवर्ती की भूमिका नहीं निभानी चाहिए तथा राज्यों के बाजार में सीधे ही सम्पर्क स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए। राजकोषीय रूप से कमजोर कुछ राज्य यदि बाजार से धन नहीं जुटा पाते तो राज्यों को आगे उधार देने के लिए केन्द्र ऋण ले सकता है लेकिन ब्याज की दरें केन्द्र की उधार लागत के अनुरूप होनी चाहिए।

(vi) राज्यों को विदेशी सहायता उन्हीं शर्तों पर अंतरित कर दी जानी चाहिए जो विदेशी निधिक एजेंसियों द्वारा ऐसी सहायता देते समय निर्धारित की जाती हैं और इस प्रकार भारत सरकार को बिना किसी लाभ या हानि के मध्यवर्ती की भूमिका निभानी चाहिए। राज्यों को दी जाने वाली विदेशी सहायता का प्रबंधन लोक लेखा के अंतर्गत किसी पृथक निधि के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(vii) 31.3.2000 तक 3772 करोड़ रुपए राशि के बकाया विशेष सावधिक ऋण तथा उस पर ब्याज अदायगी के संबंध में पंजाब को प्रदत्त "चुकौती पर रोक" सुविधा अभी और दो वर्षों अर्थात् 2006-07 तक जारी रखी जाए और तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की शर्तों के अंतर्गत अनुमत की जाने वाली ऋण राहत की मात्रा का अंतिम निर्धारण कर दिया जाना चाहिए।

(viii) केन्द्रीय सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक द्वारा गुजरात को दिए गए राहत एवं पुनर्वास ऋणों के संबंध में, यदि गुजरात सरकार ऐसा चाहे तो केन्द्रीय सरकार इन ऋणों से संबंधित शर्तों में परिवर्तन कर सकती है ताकि गुजरात को ये ऋण उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध हो सकें जिन पर ये ऋण विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए हैं।

(ix) सभी राज्यों द्वारा सभी प्रकार के ऋणों, जिनमें बैंकों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि से संबंधित देयताएं भी शामिल हैं, के शोधन के लिए निक्षेप निधियों की स्थापना की जानी चाहिए। इस निधि का अनुरक्षण राज्यों को समेकित निधि तथा लोक लेखे से बाहर पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इसका उपयोग ऋणों के शोधन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(x) राज्यों द्वारा निर्दिष्ट गारंटी शुल्क के माध्यम से गारंटी शोधन निधियों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे पहले गारंटियों से संबंधित जोखिमों की जांच कर ली जानी चाहिए और उसी के अनुरूप निधि में अंशदान की मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

अध्याय 13

पेट्रोलियम अर्जित लाभ में भागीदारी

पेट्रोलियम अर्जित लाभ में भागीदारी

13.1 पेट्रोलियम अर्जित लाभ में भागीदारी का मुद्दा दिनांक 31 अक्तूबर, 2003 की राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत आयोग के विचारणीय विषयों में जोड़ा गया था। इस अधिसूचना द्वारा आयोग से निम्नलिखित पर सिफारिशों को करने की अपेक्षा की जाती हैः

(i) "क्या केन्द्र को संविदात्मक उंपबधों से उत्पन्न पेट्रोलियम अर्जित लाभ की कर-भिन्न आय की उन राज्यों जहाँ खनिज तेलों का उत्पादन किया जाता है, के साथ भागीदारी की जानी चाहिए; तथा,

(ii) यदि हाँ, तो किस हद तक"।

पेट्रोलियम अर्जित लाभ

13.2 पेट्रोलियम अर्जित लाभ सरकार द्वारा एक उत्पादन भागीदारी संविदा (पीएससी) के अधीन दिए गए ठेकों के क्षेत्रों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर सृजित लाभ में से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्य कर-भिन्न राजस्व की प्रकृति का होता है। वाणिज्यिक उत्पादन की स्थिति में, यदि कोई परियोजना पर लाभ होता है तो केन्द्र सरकार लाभ में हिस्से की दावेदार बन जाती है। लाभ की भागीदारी के लिए सूत्र को संबंधित पीएससी में विनिर्दिष्ट किया गया है।

पृष्ठभूमि

13.3. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 53 के रूप में, तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों के विनियमन और विकास, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य द्रवों और पदार्थों का "विधि के अनुसार संसद द्वारा खतरनाक रूप से ज्वलनशील घोषित किया जाना" शामिल किया गया है। तदनुसार, तेल-क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (ओआरडीए) का संसद द्वारा अधिनियमन किया गया है। इस अधिनियम के अधीन बनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 (पीएंडएनजीआर) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संबंध में अन्वेषण लाइसेंसों और खनन पट्टों को प्रदान करने के लिए शर्तें निर्दिष्ट करती है। लेकिन, केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अधीन नियमावली में निर्दिष्ट शर्तो से अलग शर्तों पर खनन पट्टा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु स्वतंत्र है।

13.4. संविधान के अनुच्छेद 294-296 के संबंध में, राज्य के क्षेत्र में स्थित सभी थल क्षेत्रों और खनिज संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार राज्य के पास है। यह इस संवैधानिक अधिकार को मान्यता देता है कि पीएंडएनजीआर में प्रावधान है कि किसी राज्य में विहित किसी भूमि के संबंध में कोई लाइसेंस या पट्टा राज्य सरकार द्वारा, किंतु केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ, प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ओआरडीए के खण्ड 6क विशेषतः किसी खनिज तेल के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट संबंधित दर पर पट्टा क्षेत्र से धारक द्वारा खनिज, उत्खनित खुदाई किए या संग्रहित खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी भुगतान हेतु खनन पट्टे की जिम्मेदारी धारक पर डालता है। किस प्राधिकारी को रायल्टी का भुगतान किया जाए, इस संबंध में पीएंडएनजीआर का नियम 14(1) यह बताता है किः

"(1) किसी करार में कुछ भी होने के बावजूद, एक पट्टाधारी

(i) जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा पट्टा प्रदान किया गया है, उस सरकार को;

(ii) जहाँ राज्य सरकार द्वारा पट्टा प्रदान किया गया हो, उस सरकार को; और

रॉयल्टी भुगतान करेगा..............."।

अतः, यह स्पष्ट है कि रॉयल्टी अभितटीय क्षेत्रों के लिए राज्य को, तथा अपतटीय क्षेत्रों के लिए केन्द्र को देय है। लेकिन, ओआरडीए के अधीन केन्द्र सरकार के पास रॉयल्टी दरों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।

13.5. राज्यों के उनके क्षेत्र में उनकी भूमि पर स्वामित्व अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, थल क्षेत्रों पर अन्वेषण ब्लॉकों की केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय तेल कंपनियों या अन्यों को पेशकश की जाती है।

तेल और गैस अन्वेषण के लिए खनन पट्टा/लाइसेंस

13.6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने हमें सूचित किया है कि वर्तमान में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए खनन पट्टा/लाइसेंसों के मामलें में पाँच अलग व्यवस्था हैं, नामतः

क) राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रदत्त पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) और पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) [तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल)],

ख) लघु आकार के खोजे गए क्षेत्र पीएससी के अधीन प्रदत्त खनन लाइसेंस,

ग) मध्याकार के खोजे गए क्षेत्र पीएससी के अधीन खनन लाइसेंस,

घ) पूर्व-एनईएलपी पीएससी के अधीन प्रदत्त पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस, तथा

ङ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अधीन प्रदत्त अन्वेषण लाइसेंस।

13.7. पहली व्यवस्था के अधीन, राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन आधार पर अन्वेषण ब्लॉकों की पेशकश की गई थी। इन कंपनियों को पूर्ण सांविधिक लेवियों नामतः थल क्षेत्रों पर/अपतटीय क्षेत्रों पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को रॉयल्टी और केन्द्र सरकार को उपकर का चुकाना आवश्यक है। वर्तमान में राष्ट्रीय तेल कंपनियों पर रॉयल्टी और उपकर का संयुक्त बोझ 3000 रु. प्रति मीट्रिक टन से अधिक बनता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियां 1.4.1999 से पूर्व प्रदत्त पेट्रोलियम खनन लाइसेंसों के मामले में, नामांकन क्षेत्रों में सीमाशुल्क चुकाती है। ओएनजीसी और ओआईएल ने भी थल स्थित क्षेत्रों और अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज हेतु में भारी अन्वेषण राशि खर्च की है।

13.8. ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा खोजे गए कुछ लघु और सीमांत क्षेत्र वर्ष 1992 और 1993 में बोलीदाताओं के दो दौरों के अधीन तीव्र विकास के लिए अन्य पक्षों को प्रदान किए गए थे। उन क्षेत्रों से संबंधित पीएससी में, रॉयल्टी और उपकर दरों को राजकोषीय स्थायित्व अर्थात् ठेकेदारों को एक स्थिर कर व्यवस्था, प्रदान करने के उद्देश्य से स्थिर कर दिया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य पूर्णदरों अर्थात 20 प्रतिशत पर थल स्थित ब्लॉकों से रॉयल्टी पा सके, राज्यों को अंतर का भुगतान तेल उद्योग विकास बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। केन्द्र सरकार ने आयातों को सीमाशुल्कों से छूट दी है और 1 मार्च, 2002 से प्रभावी 1800 रु. प्रति मीट्रिक टन की सामान्य दर की तुलना में 900 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर पर संविदा की पूरी मियाद के लिए उपकर स्थिर रखा है।

13.9. 1997 से पूर्व, एनईएलपी-पूर्व अन्वेषण ब्लॉकों में, लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं के रूप में दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों से सांविधिक लेवियों, नामतः रॉयल्टी और उपकर की सभी देयता वहन करने की अपेक्षा थी, लेकिन तेल के अन्वेषण और उत्पादन में निजी निवेश आकृष्ट करने के लिए विभिन्न कंपनियों को अन्वेषण ब्लॉकों की पेशकश की गई थी। निजी कंपनियों का चयन एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। इस व्यवस्था के अधीन पीएससी के अनुसार, राष्ट्रीय तेल कंपनियों की भागीदारी अधिकतम 40 प्रतिशत तक हो सकती है और संविदा के पक्षों को कर-पश्च आयों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से तेल अर्जित लाभ और गैस अर्जित लाभ की भागीदार करनी होती है। राज्यों को नांमाकन ब्लॉकों/क्षेत्रों में यथाप्रयोज्य उसी दर अर्थात 20 प्रतिशत की दर पर थल क्षेत्रों के लिए रॉयल्टी चुकाई गई है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार अन्वेषण, विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक आयातों पर सीमा शुल्क प्रदान करके अपना राजस्व इकट्ठा करती है। वर्तमान में, दो क्षेत्र इस व्यवस्था के अधीन उत्पादन पर हैं, और ओएनजीसी ने सांविधिक शुल्कों पर लगभग 250 करोड़ रु. का अब तक व्यय किया है। इस तरह, ओएनजीसी और ओआईएल पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है जिसके लिए पीएससी में कोई उपबंध नहीं है।

13.10. विभिन्न पक्षों को अन्वेषण ब्लॉकों की पेशकश प्रणाली का एनईएलपी के शुरूआत के साथ 1997 में संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय तेल कंपनियों और निजी कंपनियों के साथ समान व्यवहार किया गया और उनसे एकसमान संविदात्मक और राजकोषीय ढांचे के अधीन अन्वेषण क्षेत्रफलों के अधिग्रहण के लिए एक-दूसरे से प्रतियोगिता करने की अपेक्षा की गई है। एनईएलपी के अंतर्गत पीएससी के प्रवेश के संबंध में, सरकार ने 1997 में नीति की घोषणा की और यह 1999 में संबंधित आवश्यकताओं की पूर्णता के बाद प्रभावी हुई जिनमें राज्य सरकारों की सहमति शामिल है। एनईएलपी के अंतर्गत ओएनजीसी और ओआईएल नामांकित होने की बजाए पेट्रोलियम अन्वेषण हासिल करने के लिए होड़ करती है। रायॅल्टी और लागतों की कटौती के बाद शेष निवल राजस्व (अर्थात कर-पूर्व लाभ) की भागीदारी एक निवेश बहुलक प्रणाली के आधार पर भारत सरकार और ठेकेदार के बीच की जानी है। ठेकेदार को एक अन्वेषण ब्लॉक में खर्च की गई सभी लागतों पर पूर्ण लागत वसूली की अनुमति दी जाती है। सभी कंपनियों को कच्चे तेल पर राज्य सरकारों को थल क्षेत्रों हेतु 12.5 प्रतिशत और छिछले जल क्षेत्रों हेतु केन्द्र सरकार को 10 प्रतिशत पर रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है। रॉयल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के पहले सात वर्षों के लिए गहरे जल क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सरकार को आधी दर अर्थात 5 प्रतिशत पर देय है। अपतटीय क्षेत्रों से आधी रॉयल्टी को अन्वेषण संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और निधियन के लिए हाइड्रोकार्बन विकास फंड को दिया जाता है। एनईएलपी के अधीन, सरकार ने कच्चे तेल पर उपकर के भुगतान से कंपनियों को छूट दे दी है। इसके अलावा आयातों को सीमाशुल्कों से छूट प्रदान की गई है और एक सात वर्षीय करावकाश वाणिज्यिक उत्पादन के प्रांरभण तिथि से उपलब्ध है। राजस्वों को जुटाने के लिए, केन्द्र सरकार का उद्देश्य तेल तथा गैस के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना और देश की आर्थिक वृद्धि और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और भंडारों की खोज करना है।

13.11. गुजरात और असम जो दो बड़े तेल और गैस उत्पादक राज्य हैं, को छोड़कर, वर्तमान में नौ अन्य राज्यों में एनईएलपी के अधीन ब्लॉकों की पेशकश की गई है जिनके नाम आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और प. बंगाल हैं।

मुद्दा

13.12. एमओपीएंडएनजी ने मंत्रिमंडल द्वारा एनईएलपी के अनुमोदन के बाद, राज्य सरकारों की सहमति लेने के लिए मामले को उनके साथ उठाया गया। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति जो रॉयल्टी दर को 20 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत करती है, के साथ सहमत होते समय, गुजरात सरकार ने व्यवस्था की कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ पीएससी के अधीन पेट्रोलियम अर्जित लाभ के न्यूनतम 50 प्रतिशत की भागीदारी करनी चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध असम और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा भी किए गए थे। राज्य सरकार के दावे विधि मंत्रालय के पास भेजे गए जिसकी राय थी कि उठाए गए कानूनी मुद्दे अधिक दमदार नहीं है, क्योंकि तेल क्षेत्रों और खनिज संसाधनों का विनियमन और विकास संघ सूची की प्रविष्टि 53 के अधीन केन्द्र सरकार का विषय है और स्पष्टतः राज्यों के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तथापि, चूँकि राज्य राज्य सरकारों को राज्यों में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए पीएंडएनजीआर के अधीन कतिपय व्यवस्थाओं/प्रथाओं का लाभ दिया गया है जैसे

लाइसेंस, प्रदान करने पट्टा आदि और किराया, फीस और रॉयल्टी प्राप्त करने का प्राधिकार; और कोई सांविधानिक या कानूनी आपत्ति नहीं होती यदि इसी भावना से केंद्र सरकार ने सौहार्दपूर्ण केन्द्र-राज्य संबंध के हित में पीएससी के अधीन संबंधित राज्य के साथ पेट्रोलियम लाभ में भागीदारी से करने का निर्णय किया होता ।

राज्यों के विचार

13.13. आयोग ने पेट्रोलियम अर्जित लाभ की भागीदारी और लाभ के वितरण हेतु मानदंडो के मूल मुद्दे पर राज्यों के विचार मांगे हैं। राज्यों ने पेट्रोलियम अर्जित लाभ के लिए भागीदारी के मुद्दे पर अलग-अलग विचार भेजे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड और राजस्थान ने उत्पादन कर रहे राज्यों के साथ पेट्रोलियम अर्जित लाभ की भागीदारी का समर्थन किया है। जहाँ असम, नागालैंड, राजस्थान ने केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में भागीदारी का पक्ष लिया है, वहाँ मणिपुर ने अन्य कर/शुल्कों के समानुपात की तरह खनिज तेल उत्पादनकारी राज्यों के साथ भागीदारी का सुझाव दिया है। असम ने पेट्रोलियम भंडारों पर राज्यों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया है और यह भी जोड़ा कि जब राज्य एनईएलपी के सम्मत हो गया तो इसने स्पष्टतः बताया है कि राज्य को, मुख्यतः एनईएलपी के अधीन तय रॉयल्टी की कम दरों के मद्देनजर, लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए। राजस्थान ने इसके भूमि और खनिजों के स्वामित्व, राज्य को पट्टा देने की शक्ति और रायल्टी दरों की अपर्याप्तता के कारण मिले अधिकारों के संदर्भ में ऐसा ही उत्तर दिया है। असम, नागालैंड और राजस्थान ने अवसंरचना विकास, अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था और तेल अन्वेषण और विकास सुकर बनाने हेतु पर्यावरणिक लागतों पर किए गए व्यय का भी संदर्भ दिया है। झारखंड ने पेट्रोलियम उत्पादन वाले राज्यों हेतु 15 प्रतिशत लाभ की भागीदारी का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश ने संग्रहण की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार 50 प्रतिशत की हद तक पेट्रोलियम अर्जित लाभ की भागीदारी और 25 प्रतिशत तक यदि राज्यों को अपतटीय क्षेत्रों से रॉयल्टी इकट्ठा करने की अनुमति दी जाए और तेल विकास उपकर में भागीदारी प्रदान की जाए। महाराष्ट्र ने सुझाव दिया है कि पेट्रोलियम या निकटस्थ ऊंचे समुद्रों (High Seas) के संबंध में पेट्रोलियम अर्जित लाभ में राज्य का हिस्सा 50 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए। यही तर्क राज्य में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा खनित खनिजों के संबंध में दिया जाना चाहिए।

13.14. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश ने सुझाव दिया है कि पेट्रोलियम अर्जित लाभ का न केवल उत्पादनकर्ता राज्यों बल्कि सभी राज्यों के साथ बँटवारा करना चाहिए। जहाँ हरियाणा ने प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर प्रत्येक राज्य की भागीदारी के निर्धारण की अनुशंसा की वहाँ पंजाब इस आय को सभी राज्यों को सुपुर्द किए पेट्रोलियम अर्जित लाभ के कम से कम 40-50 प्रतिशत सहित विभाज्य पूल का अंश होना पंसद करेगा। पारस्परिक वितरण संघ करों/शुल्कों के बँटवारे के लिए तय सूत्र के अनुसार किया जा सकता है। उड़ीसा ने भी सुझाव दिया है कि पेट्रोलियम से लाभ को सभी राज्यों के साथ भागीदारी होने वाले विभाज्य पूल में लाया जाना चाहिए, लेकिन यह पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के समानुपात हो। छत्तीसगढ़ का यह विचार है कि केन्द्र सरकार अभितटीय खनिज तेल से अपने लिए राजस्व नहीं जुटा सकती है जोकि संबंधित राज्य के हिस्से आता है। पेट्रोलियम से राजस्व, चाहे अपतटीय अथवा अभितटीय तेल क्षेत्रों से उपार्जित होते हों, संघीय उत्पाद शुल्क के अधीन प्राप्तियों की प्रकृति में हों और करों के बँटवारे योग्य पूल में अन्य प्राप्तियों के समान उसी आधार पर संविभाजित होते हैं और करों के बँटवारे योग्य पूल का भाग बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश ने सुझाव दिया है कि कोई लाभ आय, जो केन्द्र सरकार को उपार्जित हो, कुल बँटवारे योग्य पूल का भाग बनना चाहिए क्योंकि देश में बिक्री से लाभ होता है और यह अकेले मूल राज्य से नहीं होता है। लाभ आय मूल राज्य के विशिष्ट नहीं होती और न ही होनी चाहिए।

13.15. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु ने अभ्यावेदन दिया है कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि खनिज तेल उत्पादनकर्ता राज्यों का केन्द्र सरकार के साथ हुए संविदात्मक उपबंधों के कारण हुए पेट्रोलियम अर्जित लाभ पर अधिकार होता है तो अन्य खनिजों के मामले में भी इसी सिद्धांत को मान्यता दी जानी चाहिए।

13.16. गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय और सिक्किम ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि इन राज्यों में इन खनिज तेलों का उत्पादन नहीं किया जाता है।

13.17. केरल ने सुझाव दिया है कि यदि कर-भिन्न राजस्व का बँटवारा किया जाना है तो यह बँटवारा किसी विशेष मद तक सीमित नहीं हो और इसके बजाए, संघ सरकार का सम्पूर्ण कर-भिन्न राजस्व का वित्त आयोग द्वारा निकाले गए सूत्र के अनुसार राज्यों के साथ बँटवारा किया जाना चाहिए। तथापि, यदि केवल पेट्रोलियम अर्जित लाभ में भागीदारी की जानी है तो इसे केवल संबंधित राज्यों को संघ सरकार से वित्त आयोग के लक्ष्य के अनुसार प्राप्तियों के गुणनखंड करने के बाद ही दिया जाना चाहिए।

13.18. गुजरात का मत अन्य राज्यों से कुछ अलग है। गुजरात का यह दावा है कि संविधान की धारा 296 के अनुसार राज्यों का राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भूमि और खनिजों पर स्वामित्वाधिकार होता है। धारा 297 के अधीन सभी भूमि, खनिज तथा भारत के क्षेत्रीय जल के अधीन महासागर में स्थित अन्य मूल्यवान चीजें अथवा महाद्वीपीय शेल्फ अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र संघ में विहित है और यह संघ के प्रयोजनार्थ होती हैं। यह उपबंध स्पष्टतः राज्य तथा भारत सरकार के स्वामित्व अधिकारों की स्थापना करते हैं। अतः राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी पेट्रोलियम संसाधन राज्य की संपति हैं। संवैधानिक उपबंधों के अधीन, भारत सरकार तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों आदि के केवल विनियमन और विकास के लिए विधायी सक्षमता रखती है। पीएंडएनजीआर के अधीन पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे को भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बाद अमितटीय क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना होता है। इसके साथ ही, अभितटीय क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी का संबंधित राज्य सरकारों को भुगतान किया जाना

होता है। अन्वेषण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे पर भारत सरकार द्वारा विशेष शर्तें, यदि कोई हो, केवल संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से ही अमितटीय क्षेत्रों पर लगाई जा सकती है। रॉयल्टी की दरों पर एक संदर्भ यह भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ये दरें नियमों में निर्दिष्ट 20 प्रतिशत की अधिकतम दर और गैर-एनईएलपी क्षेत्रों में मौजूद दर से कम हैं, साथ ही यह बताया कि रॉयल्टी दर 12.5 प्रतिशत कम हो जाएगी। राज्य ने अवसंरचना विकास और सार्वजनिक सेवाओं हेतु इसके द्वारा किए गए खर्चों तथा पर्यावरणिक लागतों का भी हवाला दिया है।

13.19. गुजरात सरकार की राय में, वैधानिक उपबंध केन्द्र सरकार को अभितटीय क्षेत्रों में स्थित पेट्रोलियम संसाधनों के स्वामित्व अधिकार को प्रदान नहीं करते हैं। अभितटीय क्षेत्रों हेतु पेट्रोलियम संसाधनों के स्वामित्व संबंधी मुद्दा इस तथ्य से और स्पष्ट किया गया है कि रॉयल्टी का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है और रॉयल्टी भुगतान स्वभावतः मालिकों को किए जाने आवश्यक हैं। गुजरात सरकार ने जोर दिया है कि किसी व्यावसायिक क्रिया-कलाप में लाभ में भागीदारी एक ऐसा अधिकार है जिसका मालिक ही प्रयोग कर सकता है। चूंकि भारत सरकार अभितटीय हाइड्रोकार्बन संसाधनों की मालिक नहीं है अतः वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती है।

13.20. अतः गुजरात सरकार ने सुझाव दिया है कि भविष्य में पेट्रोलियम अर्जित लाभ में केन्द्र सरकार के दावों की संबंधित राज्य सरकारों को सुपुर्दगी की जानी चाहिए। त्रिपुरा ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है और बताया है कि पीएसई के अधीन निकाला गया संपूर्ण लाभ संबंधित राज्य को मिलना चाहिए। तथापि, गुजरात सरकार ने आगे यह भी बताया है कि अभितटीय उत्पादन से केन्द्र सरकार की विगत प्राप्तियों को संबंधित राज्य सरकारों को भी पूतिपूर्ति की जानी चाहिए। ओएनजीसी-प्रचालनों (एनईएलपी के अधीन कवर न किए गए) से उत्पन्न पेट्रोलियम अर्जित लाभ राज्य सरकार को भी पेट्रोलियम लाभ फॉर्मूला लगाकर और राज्य को पिछले भुगतान करके उपलब्ध कराना चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विचार

13.21. एमओपी एंड एनजी का यह विचार है कि थल क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार का समर्थन और सहयोग महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकारें राज्य में थल क्षेत्रों के लिए पीईएल और पीएमएल प्रदान करती है। इन लाइसेंसों को दिए बिना, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। राज्य सरकारें भी भूमि अधिग्रहण, पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन देती हैं। राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग के अभाव में, अन्वेषण और उत्पादन प्रभावित होगा। चूँकि ये उच्च जोखिम वाली गतिविधियाँ हैं, इसलिए निश्चितता के साथ वसूलनीय लागतों और लाभों का कोई अनुमान नहीं किया जा सकता है। एनईएलपी ब्लॉकों से पेट्रोलियम अर्जित लाभ का वास्तविक उपचय प्रचालनों के 8 से 10 वर्षों के बाद ही शुरू हो सकता है और इस अवधि के दौरान आवधिक लागतों की ठेकेदारों द्वारा वसूली किए जाने की संभावना है। तथापि, ये अनिश्चितताएँ न केवल उस समय जबसे राजस्व प्रवाह प्रारंभ होगा बल्कि प्राप्तियों की प्रमात्रा के बारे में भी हैं।

13.22. एमओपी एंड एनजी ने इसके अलावा यह विचार भी व्यक्त किया है कि ओआरडीए और पीएंडएनजीआर के संविधान के उपबंधों के सामंजस्य पूर्ण निर्माण से यह प्रतीत होगा कि केन्द्र सरकार "इक्विटी विचारों" के संबंध में पेट्रोलियम अर्जित लाभ की भागीदारी के बारे में राज्य सरकार के दावे पर विचार करने से निषेध नही किया गया है। अतः, केन्द्र राज्य संबंधी को बढ़ावा देने और राज्य सरकारों से अधिकतम सहयोग मांगने के लिए, केन्द्र और संबंधित राज्यों के बीच पेट्रोलियम अर्जित लाभ की भागीदारी पर सहमति ली जा सकती है। तथापि एमओपी एंड एनजी, एनईएलपी के अधीन हस्ताक्षर किए गए पीएससी के संबंध में ही यह व्यवस्था लागू करना चाहेगा न कि इससे पूर्व हस्ताक्षरित पीएससी पर।

13.23. गुजरात सरकार द्वारा किए गए दावों के बारे में एमओपी एंड एनजी ने बताया है कि गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को, राष्ट्रीय/आम जनता के हित को राज्य सरकार के साथ संतुलित करते हुए, तेल और गैस के उत्पादन और अन्वेषण हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यकता के विचार बिंदु से देखे जाने की जरूरत है। यह भी आवश्यक है कि राज्य और केंद्र हाइड्रोकार्बन संसाधनों के विकास और उत्पादन से उचित हिस्सा प्राप्त करें। विशेषतः ओएनजीसी से पेट्रोलियम अर्जित लाभ के लिए, यह बताया गया है कि पीएससी के अधीन पेट्रोलियम अर्जित लाभ की अवधारणा एक अलग अवधारणा है, जहाँ ठेकेदारों को सभी वैधानिक शुल्कों के भुगतान के बाद अन्वेषण, मूल्यनिर्धारण, विकास और उत्पादन में व्यय हुई संपूर्ण लागत की वसूली करने का पहले अधिकार दिया जाता है। दूसरी तरफ, ओएनजीसी ने जोखिम उठाया है और पूरे देश और अपतटीय क्षेत्रों जिनमें गुजरात शामिल है, में तेल और गैस के अन्वेषण में भारी संसाधनों का निवेश किया था। लाभ और हानि के निरपेक्ष, समय-समय पर यथानिर्दिष्ट किए जाने वाले सभी वैधानिक शुल्कों और करों को चुकाने की आवश्यकता होती है। पी एंड एनजीआर के अनुसार राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है। इसके अलावा, ओएनजीसी स्थानीय कर चुकाती है और इसके प्रचालन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। ओएनजीसी गुजरात में 40 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है और नामांकन प्रणाली पर लागू व्यवस्था से शासित होता है। ओएनजीसी से पेट्रोलियम अर्जित लाभ के लिए राज्य सरकार की मांग को आनुमानिक आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया गया है क्योंकि ओएनजीसी अलग प्रणाली के अधीन कार्य करता है। एक राष्ट्रीय तेल कंपनी होने के नाते, ओएनजीसी से समय-समय पर जनता हित में कतिपय दायित्व निभाने की अपेक्षा भी की जाती है। हाल में, इस दायित्व में जन उपभोग के लिए ईंधन मिट्टी के तेल और एलपीजी पर सब्सिडी का एक हिस्सा शामिल था जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचा जिनमे गुजरात के लोग भी शामिल हैं। इन कारकों के परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय का यह मत है कि ओएनजीसी द्वारा राज्य को पेट्रोलियम अर्जित लाभ देने का प्रश्न इतना नहीं उठना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार भी नामाकन क्षेत्रों/मैदानों से ओएनजीसी और ओआईएल से कोई पेट्रोलियम अर्जित लाभ प्राप्त नहीं करती है।

13.24. लघु आकार के मौदानों हेतु पीएससी के अधीन गुजरात में स्थित तेल और गैस मैदानों के लिए पेट्रोलियम अर्जित लाभ में भागीदारी के लिए गुजरात सरकार की मांग के संबंध में (गुजरात में खोजे गए मैदानों के लिए सभी पीएससी लघु आकार के मैदानों से संबंधित हैं) यह बताया गया है कि भारत सरकार ने संबंधित पीएससी में ठेकेदार को राजकोषीय स्थिरता प्रदान की है, जिसके द्वारा उनको संबंधित पीएससी में विनिर्दिष्ट दरों पर वैधानिक शुल्कों को चुकाने की जरूरत होती है और ये दरें संपूर्ण संविदा अवधि के लिए स्थिर रखी गई हैं। इसके अलावा, सीमांत/लघु मैदानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने कतिपय राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आयातों पर शून्य सीमाशुल्क। केन्द्र सरकार ने राज्यों की क्षतिपूर्ति का दायित्व उठाया है जिसमें पी एंड एनजीआर के अधीन समय-समय पर, जैसा भी तय किया जाए, अतिरिक्त रॉयल्टी गुजरात के लिए शामिल है और पीएससी में प्रदत्त दर के अतिरिक्त है। जहाँ तक रायल्टी का संबंध है राज्य सरकारों के हित इस प्रकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। जैसे कि इस मामले में भी पेट्रोलियम अर्जित लाभ की भागीदारी के लिए न के बराबर औचित्य था।

13.25. पूर्व-एनईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत पीएससी के बारे में, यह बताया गया है कि एक नामांकित के रूप में ओएनजीसी ने अपने नामांकन ब्लॉको/मैदानों के लिए राज्य को प्रयोजन्य रॉयल्टी चुकाने का उत्तरदायित्व लिया है। इन अन्वेषण ब्लॉकों में, राष्ट्रीय तेल कंपनियों को महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है और वाणिज्यिक उत्पादन के मामले में पीएससी के अधीन उपचित हो सकने वाला पेट्रोलियम अर्जित लाभ इनपीएससी के संबध में राष्ट्रीय तेल कंपनियों के दायित्व द्वारा समाप्त हो जाता है। निजी कंपनियों की ओर से राष्ट्रीय तेल कंपनियों को उनके द्वारा वहन की गई वैधानिक लेवियों के लिए क्षतिपूर्ति देने का भी प्रस्ताव है। अतः पेट्रोलियम अर्जित लाभ का मुद्दा अकेले गुजरात सरकार द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। एनईएलपी के अधीन पेट्रोलियम अर्जित लाभ के लिए, यह बताया गया है कि राज्य ने एनईएलपी की शर्तों के साथ सहमति जताई है। तथापि, इसने अलग से मांग रखी है कि केन्द्र पीएससी के अधीन उसे उपाचित न्यूनतम 50 प्रतिशत की उसके साथ भागीदारी करे। एनईएलपी के अधीन, कच्चे तेल के लिए थल क्षेत्र हेतु रॉयल्टी दर ओएनजीसी के नांमाकन ब्लॉकों को प्रयोज्य 20 प्रतिशत दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत है। एनईएलपी के अधीन रायल्टी की कम दर और कुल परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में, एनईएलपी के अधीन पीएससी की राज्य के साथ 50:50 के अनुपात में भागीदारी की जा सकती है। एमओपी एंड एनजी ने यह कहते हुए निष्पादित किया कि राज्य द्वारा पेट्रोलियम अर्जित लाभ में हिस्से के लिए मांग को संपूर्ण राजकोषीय शासन-प्रणाली, केन्द्र सरकार के राजस्वों पर प्रभाव, समग्र जन हित के साथ-साथ राज्य सरकार को इसके राष्ट्रीय हितों में एक उचित भागीदारी की आवश्यकता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय के विचार

13.26. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोलियम अर्जित लाभ सरकार के लिए कर-भिन्न राजस्व का एक नया स्रोत है और इसकी कुछ वर्षों के बाद महत्वपूर्ण बनने की संभावना है। दीर्घावधिक निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, अगर सरकार राज्यों को कर-भिन्न राजस्वों का एक कतिपय हिस्सा प्रदान करना आवश्यक महसूस करती है, तो यह केन्द्र को सकल राजस्व प्राप्तियों से राज्यों के अंतरणों के लिए निर्धारित समग्र सीलिंग के भीतर होना चाहिए। मंत्रालय ने आयोग से राज्यों के साथ कर-भिन्न राजस्व की एक विशेष धारा के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए यह भी अनुरोध किया है क्योंकि इससे साथ ही केंद्र के कर-भिन्न राजस्व के अन्य संसाधनों की भागीदारी के लिए अनुरोध प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे।

हमारा दृष्टिकोण

13.27. हमने इस बारे में और केंद्र राज्य राजकोषीय संबधों के समग्र संदर्भ में संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्यों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सुझावों की जाँच की है।

13.28. जहाँ तक तेल क्षेत्रों के विनियमन और विकास का संबंध है, हम विधि मंत्रालय द्वारा व्यक्त विचार से सहमत होने के लिए प्रवृत्त हैं कि यह संविधान के अधीन संघ को दिया गया विषय है। संसद ने आरडीए के माध्यम से राज्यों को लाइसेंसिंग और रॉयल्टियों को कमाने की शक्तियाँ दी है। लाइसेंस में अतिरिक्त शर्तों के मामले में भी, केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना जरूरी है किंतु उसकी सहमति लेना आवश्यक नहीं है। केन्द्र सरकार उद्योग के विकास के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार रॉयल्टी दर को निर्धारित करने की भी दावेदार है। साथ ही, जहाँ अधिनियम और नियमावली रॉयल्टी भुगतान की व्यवस्था करते हैं, वहाँ पेट्रोलियम अर्जित लाभ का कोई उल्लेख नहीं है जो केंद्र सरकार और ठेकेदार के बीच प्रबंधों से प्राप्त होता है। राज्य को रायल्टी का भुगतान राज्य की भूमि और खनिज संसाधनों पर पर्याप्त रूप से इसके स्वामित्व को मान्यता देता है। अतः यह दावा कि मूल उत्पादन वाले राज्यों को पेट्रोलियम अर्जित लाभ उपचित होना चाहिए, तर्कसंगत नहीं है।

13.29. अगला विषय यह है कि क्या संविदात्मक व्यवस्थाओं के अनुसार केंद्र सरकार को उपचित हो रहे पेट्रोलियम अर्जित लाभ का बँटवारा खनिज तेल उत्पादक राज्यों के साथ किया जा सकता है। हमारे मत में, भूमि और खनिज के स्वामित्व स्पष्टतः खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्वों पर राज्य को अधिकार प्रदान करते हैं। राज्य को रायॅल्टी की हकदारी इस बात के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की जाती है। जब रॉयल्टी दरें क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए मौजूदा स्तरों से घटाई जाती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि राज्य को बाद में किसी दिन क्षतिपूर्ति की जाने की संभावना है, एक बार यदि अनिश्चितता समाप्त हो और लाभ मिलना शुरू हो जाए।

13.30. हमें सूचित किया गया है कि एनईएलपी पेट्रोलियम अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रॉयल्टी दर मौजूदा 20 प्रतिशत से कटौती करके 12.5 प्रतिशत करने की व्यवस्था करती है। इस हद तक, राजस्वों के संबंध में संबंधित राज्य की ओर से किया गया एक त्याग शामिल है जोकि अन्यथा उस पर बकाया हो गए

होते। खनिज तेल उत्पादक राज्यों ने इस आशा से एनईएलपी को स्पष्टतः सहमति दे दी है कि पेट्रोलियम अर्जित लाभ बाँटा जाएगा। अतः केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों जिनमें एनईएलपी के अधीन अन्वेषण ब्लॉकों की पेशकश की जाती है, में पेट्रोलियम अर्जित लाभ में कतिपय हिस्सेदारी के लिए सहमत होना उचित होगा। तथापि, संबंधित राज्य का भाग रॉयल्टी से राजस्व हानि के बारे में किए गए त्याग से आनुपातिक होना चाहिए। हम इस तथ्य के प्रति भी चिंतित हैं कि एनईएलपी की शुरूआत के बाद पेशकश किए गए ब्लॉकों से पेट्रोलियम अर्जित लाभ हमारी अधिनिर्णय अवधि के बाद ही उपचित होगा। उसी दौरान, राज्यों को कम रायल्टी दरों के कारण राजस्व हानि हो सकती है।

13.31. एमओपीएंडएनजी ने 1998 के बाद खोजों के लिए सात वर्षीय करावकाश प्रदान करने के साथ-साथ अन्वेषण, विकास और उत्पादन कार्यकलापों हेतु आयातों पर सीमाशुल्क भुगतान से कंपनियों को छूट प्रदान करके केंद्र सरकार द्वारा त्यागे गए भारी राजस्वों की ओर ध्यान खींचा गया है। तेल और गैस के लिए क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए देश में जोखिम पूंजी आकृष्ट करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ये राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। एनईएलपी ब्लॉकों के मामले में भी यद्यपि राज्य सरकारों को पूर्व शासन-प्रणाली के लिए कच्चे तेल पर अभितटीय क्षेत्रों के लिए प्रयोज्य 20 प्रतिशत दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत की कम रॉयल्टी दर पर सहमत होने के लिए कहा गया है, केन्द्र सरकार आयातों पर सीमाशुल्कों के साथ-साथ कच्चे तेल पर उपकर के भुगतान से कंपनियों को छूट प्रदान करके राजस्व इकट्ठा कर रही है। एनओपीएंडएनजी ने इन घटकों के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित लाभों के 50 प्रतिशत के बँटवारे का सुझाव दिया है। अधिकांश राज्यों जो खनिज तेल तथा गैस का उत्पादन करते है; ने इस सुझाव पर सहमति दी है। इन परिस्थितियों में हम सिफारिश करते हैं कि एनईएलपी खंडों के मामले में संविदात्मक प्रावधानों से केन्द्र को होने वाले पेट्रोलियम अर्जित लाभ की कर-भिन्न आय को उन राज्यों के साथ, जहाँ से खनिज तेलों का उत्पादन होता है, 50:50 के अनुपात में बँटवारा किया जाए।

13.32. हमें दिए गए अतिरिक्त विचारणीय विषय से एनईएलपी खंडों से पेट्रोलियम अर्जित लाभ तथा एनईएलपी के अपनाए जाने से पहले हस्ताक्षर किए गए पीएससी के अंतर्गत लाभ के बीच अंतर नहीं होता है। हालांकि, एमओपीएंडएनजी ने पीएससी के संबंध में लाभों का बँटवारा एनईएलपी के अंतर्गत ही करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा धारित नामांकन क्षेत्रों के संबंध में लाभ के बँटवारे की सिफारिश इस आधार पर नहीं की गई है कि रॉयल्टियों के साथ-साथ करों तथा शुल्कों का बोझ, स्थानीय करों सहित राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत निर्वहन किए जाते हैं। अन्वेषित क्षेत्रों के लिए हस्ताक्षरित पीएससी के मामले में मंत्रालय ने बँटवारे का समर्थन न करते हुए इंगित किया है कि यद्यपि ये संविदाएँ संविदाकार के लिए राजकोषीय स्थिरता के हित में संविदा की अवधि के लिए रॉयल्टी दरों को स्थिर करने हेतु, उपबंधित है; यदि पीएंडएनजीआर के अंतर्गत नियत रॉयल्टी दर उस दर से अधिक हो, जिसपर पीएससी में सहमति हुई है, तो राज्य केन्द्र द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के हकदार होते हैं। अतः हम एमओपीएंडएनजी के साथ सहमत हैं कि नामांकन क्षेत्रों तथा गैर-एनईएलपी खंडों के संबंध में लाभ के बँटवारे का प्रश्न नहीं उठता है।

13.33. एमओपीएंडएनजी ने आयोग को अपने विचार प्रस्तुत करते समय हमें सूचना दी थी कि कोल बेड मिथेन नीति के अंतर्गत "उत्पादन स्तर भुगतानों" तथा "वाणिज्यिक अन्वेषण बोनस" संबंधी हस्ताक्षर किए गए संविदाओं के संबंध में राज्यों के कर-भिन्न राजस्व संबंधी दावे इस आयोग को भी भेजे जाएँगे। परन्तु उन्हें नहीं भेजा गया है। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि संबंधित राज्यों के राजस्वों के बँटवारे का तरीका पेट्रोलियम एवं कोल बेड मिथेन के लिए एक समान रखना होगा। अतः हम सिफारिश करते हैं कि कोल बेड मिथेन नीति के अंतर्गत हस्ताक्षरित संविदाओं संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्वों को उत्पादनकर्ता राज्यों के साथ भी उसी प्रकार बाँटा जा सकता है जैसा पेट्रोलियम अर्जित लाभों को किया जाता है।

13.34. कुछ राज्यों ने दावा किया है कि यदि पेट्रोलियम अर्जित लाभ को उत्पादनकर्ता राज्यों के साथ बाँटा जाना है तो अन्य खनिज संबंधी लाभों को भी उत्पादनकर्ता राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिए। हमने पेट्रोलियम अर्जित लाभ की सिफारिश केवल एनईएलपी संविदाओं के मामले में की है, जहाँ राज्यों को रॉयल्टी से राजस्वों में निम्नतर रॉयल्टी प्रणाली के कारण हानि होने की संभावना है। हमारा इरादा राज्यों के साथ सामान्य सिद्धान्त के रूप में कर-भिन्न राजस्वों के बाँटने की सिफारिश करना नहीं है। परन्तु सभी खनिजों के संबंध में साम्ययुक्त अभिक्रिया की आवश्यकता को देखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि जहाँ भी किसी भी राज्य के लिए किसी नीति, जिसमें उत्पादन बँटवारे की बात होती है, के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राजस्व हानि की प्रत्याशा हो तो केन्द्र सरकार द्वारा सदृश क्षतिपूर्ति योजना लागू की जानी चाहिए।

सिफारिशें

13.35. संक्षेप में, हमारी सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

(i) केन्द्र को एनईएलपी क्षेत्रों से पेट्रोलियम अर्जित लाभ को उन राज्यों, जहाँ खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, के साथ बाँटना चाहिए।

(ii) 50:50 के अनुपात में बँटवारा किया जाना चाहिए।

(iii) नामांकन क्षेत्र तथा गैर-एनईएलपी खंड संबंधी लाभों के बँटवारे की आवश्यकता नहीं है।

(iv) कोल बेड मिथेन नीति के अंतर्गत हस्ताक्षरित संविदाओं के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्वों का बँटवारा उत्पादनकर्ता राज्यों के साथ उसी प्रकार किया जा सकता है जैसा पेट्रोलियम अर्जित लाभ का किया जाता है; तथा

(v) किसी खनिज के संबंध में यदि किसी राज्य के लिए किसी नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, जिसमें उत्पादन बँटवारे की बात हो, कोई राजस्व हानि होती है तो केन्द्र सरकार द्वारा समान क्षतिपूर्ति प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

अध्याय 14

संस्थागत परिवर्तन एवं सुधार

14.1 वित्त आयोग के प्रभावपूर्ण कार्य के लिए तथा की गई सिफारिशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए कतिपय संस्थागत परिवर्तन, जोकि नीचे दिए गए हैं, आवश्यक हैं। इस अध्याय में की गई टिप्पणियों को उन सुझावों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें हमने अन्य अध्यायों में दिया है।

वित्त आयोग के लिए एक स्थायी सचिवालय

14.2 प्रत्येक पाँच वर्षों में अथवा विशेष अवधि के लिए वित्त आयोगों का गठन अस्थायी निकायों के रूप में किया जाता है तथा समापन उनके अपने सिफारिशों के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कर दिया जाता है। वित्त आयोगों की अस्थायी प्रकृत्ति के कारण यह आवश्यक है कि प्रत्येक बार जब वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सभी प्रशासनिक एवं आधारिक संरचनात्मक व्यवस्थाएँ जैसे कार्यालय भवन को किराए पर लेना, कार्मिक की नियुक्ति, उपकरणों को लगाने इत्यादि का कार्य नए सिरे से किया जाता है। यह भी आवश्यक होता है कि प्रत्येक आयोग नए सिरे से आँकड़ों और जानकारी का संग्रहण करे जिसके कारण आयोग के एक प्रभावी ढंग से कार्य प्रारंभ करने के पहले काफी समय बर्बाद हो जाता है।

14.3 बारहवें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया एक विशेष कार्य अधिकारी के अधीन एक अग्रिम प्रकोष्ठ के सृजन के साथ लोकनायक भवन के किराए पर लिए गए छोटे से भाग में 01.06.2002 से आयोग के गठन हेतु प्रारंभिक व्यवस्थाओं के लिए शुरू हुई। आयोग के लिए अधिकारी/कर्मचारी प्रदान करने के लिए पदों की स्वीकृत्ति संबंधी आदेशों में कुछ समय लगा तथा ये 12.4.02, 12.7.02 तथा 26.2.03 को जारी किए गए। आयोग के भवन हेतु जवाहर व्यापार भवन, (एसटीसी भवन) टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली में लगभग 16000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले दो तलों को किराए पर लिया गया । स्टाफ की नियुक्ति तथा किराए पर लिए गए परिसर की साज-सज्जा तथा आंतरिक सज्जा की प्रक्रिया अग्रिम प्रकोष्ठ द्वारा कमोबेश एक साथ शुरू की गई। आयोग का गठन राष्ट्रपति के दिनांक 1.11.2002 की अधिसूचना के तहत किया गया। तथापि, 2002 के अंत तक आयोग के लिए स्वीकृत 141 पदों में से केवल 19 को भरा जाना संभव था तथा जवाहर व्यापार भवन में कार्य के लिए केवल 4000 वर्ग फीट की जगह उपलब्ध थी। परिसर की साज-सज्जा तथा आंतरिक सज्जा के कार्य को पूरा करने के लिए जून 2003 के अंत तक छः माह का अतिरिक्त समय लगा। इस प्रकार, स्थान को किराए पर लेने तथा इसके पूरी तरह चालू होने के बीच लगभग 9 महीने का विलम्ब हुआ। इसके अलावा आयोग को नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के लिए और उच्च वेतनमान देने में उदारता की कमी या कम अवधि की नियुक्ति के लिए अनिवार्य तौर पर योग्य कार्मिकों को आकर्षित करने में प्रोत्साहनों के अभाव के चलते सरकार के कड़े और विस्तृत नियम आड़े आए और इसके परिणामस्वरूप 141 स्वीकृत पदों में से केवल 111 पदों को ही मार्च 2004 तक भरा जा सका।

14.4 वित्त मंत्रालय में गठित वित्त आयोग प्रभाग (एफसीडी) से नए वित्त आयोग को इसके गठित होते ही आँकड़ों की निरतंरता के रूप में समर्थन प्रदान करने की प्रत्याशा है। ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) ने टिप्पणी की कि एफसीडी का एक मात्र कार्य व्यय का अनुवीक्षण तथा राज्यों को उन्नयन संबंधी अनुदान जारी करना रहा है तथा इसने खुद को केन्द्रीय/राज्य वित्तों संबंधी डाटाबेस के निर्माण में नहीं लगाया है अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु स्थान बनाता रहा है। यह पूर्व वित्त आयोगों द्वारा छोड़े गए रिकॉड़ों का बिना उचित संदर्भ के केवल अनुरक्षण करता रहा था। आयोग ने सिफारिश की कि भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन रखे गए महत्वपूर्ण अनुसंधान स्टाफ सहित एक स्थायी सचिवालय होना चाहिए और इससे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में समन्वय सुकर बनेगा, साथ ही उचित स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ भी समन्वयन सुकर होगा। यह केन्द्र राज्य वित्त साधनों और प्रलेखन पर आधारित आँकड़ों का अद्यतन निर्माण भी सुनिश्चित करेगा, जिसका आयोग के गठन के समय प्रयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश एक स्थायी सचिवालय के सृजन के बारे में ईएफसी की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। आंकड़ों के स्थायी उन्नयन के महत्व और आवश्यकता पर जोर डालने वाले क्रमिक वित्त आयोगों के बावजूद और आगामी आयोगों की कार्यप्रणाली के संबंध में अध्ययन आयोजित करने भी, इस आसन्न आवश्यकता की ओर वित्त मंत्रालय द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया प्रतीत होता है। वित्त आयोग प्रभाग (एफसीडी) वित्त मंत्रालय का एक लघु प्रकोष्ठ रह गया है और यह आयोग को आवश्यक सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं प्रतीत होता है। इसका एक पृथक, नए वित्त आयोग के गठन होने के बाद भी, कायम रखना जारी है और यह केवल वित्त मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। हमारे काम के संबंध में यह नोटिस किया गया कि प्रभाग ने कर्ज संबंधी आँकड़ों का संकलन नहीं किया था जिसके कारण हमने न केवल बड़ी कठिनाईयों का सामना किया बल्कि ऐसे आँकड़ों के संग्रहण में काफी समय व्यतीत किया। साथ ही, प्रभाग ने आंकड़ों का कोई संकलन अथवा राज्य उपक्रमों की कार्यप्रणाली का कोई विश्लेषण नहीं किया है। यहाँ तक कि धारित प्रपत्र में केन्द्रीय वित्त साधनों के संबंध में सूचना तथा विषयों पर टिप्पणियाँ वित्त मंत्रालय से भारी विलंब और लगातार आग्रह के बाद ही प्राप्त की जा सकी, जिससे एफसीडी की स्पष्ट भूमिका पर प्रश्न खड़े हो उठते हैं। यह विचार करते हुए कि प्रभाग का पूर्व आयोगों की सिफारिश के अनुसार सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है और प्रभाग द्वारा भारी उत्तरदायित्व उठाए जाने की संभावना की थी इन असफलताओं को समझा जा सकता है।

14.5 प्रारंभ में वित्त आयोग के विचाराणीय विषय संविधान के अधीन इसकी भूमिका तक सीमित थे, नामतः करों की निवल

प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण तथा राज्यों के राजस्वों को सहायता अनुदान। तथापि, कालांतर में वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में और अधिक मदें जुड़ती चली गईं। इनके बीच उल्लेखनीय बातों में संविधान के 73 वें और 74वें संशोधनों के कारण लगाई गई अतिरिक्त शर्ते शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप वित्त आयोगों को पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की सहायता के लिए राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों पर सिफारिशें करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के विवेक पर आयोग को उल्लिखित अन्य मुद्दे अनेक और जटिल बन गए हैं। उदाहरणार्थ, ग्याहरवें वित्त आयोग के समान बारहवें वित्त आयोग से केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्त साधनों की पुनर्सरंचना पर सिफारिश करने की अपेक्षा की गई है। पूर्व आयोगों के समान राज्यों की कर्ज स्थिति और आपदा राहत की वित्त व्यवस्था के संबंध में मुद्दों के निवारण की भी आयोग द्वारा जरुरत है। बारहवें वित्त आयोग से ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राजकोषीय सुधार सुविधा की समीक्षा करने तथा इसके उद्दश्यों की प्रभावी उपलब्धि हेतु उपायों को सुझाने की भी अपेक्षा की गई है। राज्यों के साथ पेट्रोलियम अर्जित लाभ में से केन्द्र सरकार के कर-भिन्न राजस्व की भागीदारी के बारे में एक अतिरिक्त विचारणीय विषय भी बनाया गया है। विचारणीय विषयों का बढ़ता दायरा और वित्त आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन को मॉनिटर करने की प्रक्रिया होने की जरूरत ने आयोग के प्रारंभिक एवं जारी कार्य संबंध में बेतहाशा माँगे रख दी हैं जिनकी संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पना नहीं की जा सकी। जहाँ हम दो वित्त आयोगों के बीच अंतराल में आँकड़ों को अद्यतन करने और सतत् आधार पर संबंधित अध्ययन करने का एक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं वहाँ कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएँ जो वित्त आयोगों के विचारणीय विषयों के बढ़ते दायरे की वजह से उत्पन्न हुई हों, भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

14.6 हमारे मत में, क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा झेली जा रही अनेक समस्याओं पर आँकड़ा संग्रहण और अनुसंधान आयोजित करने के संबंध में प्रारंभिक कार्य करने के प्रयोजनार्थ एक स्थायी सचिवालय की व्यवस्था करके काबू पाया जा सकता है। अतः हम सिफारिश करते हैं कि वित्त आयोग प्रभाग को एक सम्पर्ण विभाग में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए जोकि वित्त आयोग के लिए बतौर स्थायी सचिवालय कार्य करे। कानूनन और संविधाम के अनुसार ऐसी व्यवस्था करने के लिए कोई रुकावट नहीं है।

14.7 दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वित्त आयोगों के लिए वित्तीय स्वयातत्ता का अभाव है। उनकी भी वित्तीय जरूरतों का वित्त मंत्रालय द्वारा समाशोधन किया जाना है जो वित्त आयोग के संबंध में सरकार ने नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसकी वजह से हवाले पिछले हवाले और विलम्ब, मुख्यतः वित्त आयोग के काम को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता मिलने की वजह से होते हैं। पदों की स्वीकृत्ति अध्ययन का कार्य सौंपे जाने में हुए विलंब आदि का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है क्योंकि वित्त आयोग को एक सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। आयोग द्वारा अनुभव की गई दूसरी बड़ी कठिनाई, एक कम समयावधि में काम करते हुए, वित्तीय मामलो में अपर्याप्त प्रयोजन रही हैं। उदा. के लिए, सदस्य सचिव को वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के लिए ही विभागाध्यक्ष के रूप में पदवामित किया गया है। उसके द्वारा जारी स्वीकृत्तियाँ वित्तीय सलाहकार (वित्त) तथा सचिव (व्यय) की सहमति के अधीन थीं। व्यय विभाग अथवा आर्थिक कार्य विभाग को बार-बार और दोहराए गए हवालों की जरूरत आयोग की सुचारू कार्यप्रणाली में बड़ी बाधा साबित हुई। यद्यपि बारहवें वित्त आयोग को अंततः एक सरकारी विभाग की शक्तियां प्रदान कर दी गईं फिर भी यह काफी देर से और हमारी कार्य अवधि के अंत में ही हुआ जिस समय तक हमारा अधिकांश काम पहले ही पूरा किया जा चुका था। इस तरह यह घोषणा किसी भी रूप में आयोग की कुशलता में योगदान न कर सकी। अतः हम सिफारिश करते हैं कि वित्त आयोग के सचिवालय में सरकार के एक सम्पूर्ण विभाग की शक्तियां विहित की जानी चाहिए। साथ ही, वित्त मंत्रालय को संसद में सम्पर्क के प्रयोजनार्थ वित्त मंत्रालय को ही इसका नोडल मंत्रालय बनाया जाए।

14.8 हम एक अनुसंधान समिति के गठन की भी सिफारिश करते हैं कि जिसमें राजकोषीय संघवाद के प्रासंगिक अध्ययन कार्यों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त निधि हो। सचिवालय द्वारा संग्रहित और अद्यतन किए गए आँकड़ों को दक्ष मार्गदर्शन के अधीन ऐसे तरीके से सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है जो कि लोक वित्त संबंधी मुद्दों के प्रासंगिक हो तथा चूंकि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, यह सुझाव दिया जाता है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए ताकि इसका कार्य उचित प्रकार से हो सके। अतः अगले वित्त आयोग का गठन वर्ष 2007 के प्रारंभ में किया जाना चाहिए। साथ ही, आयोग का समय दैनंदिन प्रशासनिक मामलों में बर्बाद न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग के गठन से पूर्व आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यालय एवं आवास की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। यदि आयोग का स्थायी सचिवालय संबंधी निर्णय जल्द ले लिया जाता है तथा तेरहवीं वित्त आयोग के गठन से काफी पहले सचिवालय इस स्थिति में होता है तो यह कार्य अत्यधिक सुकर हो जाएगा।

14.9 वित्त आयोग संविधान के अंतर्गत यथा परिकल्पित एक स्वतंत्र निकाय है जो बाँटे जाने योग्य करों के संबंध में केन्द्र राज्यों के दावों की मध्यस्थता करता है। अतः यह महसूस किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय के मामले में वित्त आयोगों के व्यय को भारत के समेकित निधि पर "स्वीकृत" व्यय के बजाए "भारित" व्यय माना जाना चाहिए। इससे आयोग के कार्य में अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी।

तंत्र का अनुवीक्षण करना

14.10 हमने अंतरणों की अपनी योजना में समग्र वित्त आयोग अंतरणों में अनुदानों के लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की है जिससे कि कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय का बेहतर लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। हमारी सिफारिशों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए सड़कों तथा भवनों के अनुरक्षण के लिए तथा वनों के अनुरक्षण तथा विरासत संरक्षण के लिए भी विशिष्ट अनुदान शामिल हैं। राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों के भीतर अनुदानों की भी सिफारिश की गई है। स्थानीय निकायों को

सहायता हेतु हमने अनुदानों को बढ़ाया है। हमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य स्वयं-परियोनजाओं / योजनाओं के समय पर तथा गुणात्मक रूप से क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध होंगे, जिसके लिए हमने राज्यों से प्राप्त मांगों में से चयन किए जाने पर ये उनकी प्राथमिकता सूची में रहे हैं। इसी कारण, हमने अध्याय 10 में विशेष रूप से उल्लेखित किया है कि अनुदानों को जारी करने अथवा उपयोग करने के संबंध में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा वैसी कोई प्रतिबंधिता अधिरोपित नहीं की जाएगी जो हमारे द्वारा निर्धारित शर्तों से अलग हो। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं के समूह के विभिन्न चरणों के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा परियोजनाओं के समूह में पुनः प्राथमिकता तय करने, यदि आवश्यक हो, के संबंध में निर्णय लेने में राज्यों की लोचनीयता होनी चाहिए।

14.11 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएं जिसके लिए अनुदानों की सिफारिश की गई है, राज्यों के लिए यह वांछनीय है कि एक सख्त अनुवीक्षण प्रणाली प्रयोग में लाएं। हमारा यह सुझाव है कि प्रत्येक राज्य को अनुदानों के समुचित उपयोग के अनुवीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। समिति को वित्तीय तथा भौतिक दोनों लक्ष्यों के अनुवीक्षण हेतु तथा प्रत्येक अनुदान के संबंध में विशिष्ट प्रतिबंधिताओं, जहां भी लागू हो, के अनुवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होना चाहिए। वर्ष की शुरुआत में समिति प्रत्येक क्षेत्र के शुरू होने वाली परियोजना को अनुमोदित कर सकती हैं, लक्ष्यों का परिमाण भौतिक तथा वित्तीय दोनों दृष्टि से बता सकती है, और विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करने हेतु समयावधि निर्धारित कर सकती हैं।

14.12 उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा वित्त सचिव के साथ की जा सकती है तथा सचिव/संबंधित विभागों के प्रमुख इसके सदस्य हो सकते हैं। समिति को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अनुदानों के उपयोग की समीक्षा हेतु तथा मध्यावधिक सुधार के संबंध में निर्देश जारी करने हेतु, यदि आवश्यक हो, तो एक बैठक बुलानी चाहिए।

लेखा संबंधी क्रियाविधि

14.13 केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पालन की जाने वाली नकद आधारित लेखा प्रणाली की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत लेन-देन तभी मान्य होते हैं जब नकद भुगतान होता है अथवा नकद प्राप्ति होती है। लेखा बहियों में भुगतान के समय व्यय को रिकॉर्ड किया जाता है अर्थात् जब एक चेक जारी किया जाता है तथा प्राप्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है जब इनकी रिपोर्ट संग्रहकर्ता बैंक द्वारा की जाती है। ऐसे भुगतानों तथा प्राप्तियों के फलस्वरूप भा.रि.बैं. में रखी सरकारी नकद शेष राशि की गतिविधियों को भी लेखाबहियों में एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रकार, सरकारी लेखे समेकित निधि तथा सार्वजनिक खाते में नकद के आंतरिक प्रवाह तथा बाध्य प्रवाह के रिकॉर्ड होते हैं तथा इन नकद प्रवाहों का प्रभाव सरकार की तरलता स्थिति को दर्शाता है।

14.14 लेखा संबंधी नकद आधारित प्रणाली बजट की तुलना में लेन-देनों पर जोर देती है। यह संसाधनों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित संपूर्ण वित्तीय जानकारियों को रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट नहीं करती हैं। यह किसी बिन्दु स्थिति में सरकार की वित्तीय स्थिति तथा परिवर्तन जो सरकार की नीति के परिणामस्वरूप होते हैं, की संपूर्ण तस्वीर नहीं प्रदान करती है। यह प्रणाली बिना निधि के पेंशन तथा अधिवर्षिता लाभों तथा वचनबद्धताओं तथा भुगतानों के बीच संबंध विच्छेद से उत्पन्न चालू देयताओं के कारण उत्पन्न प्रोद्भूत देयताओं के जैसी सरकार की देयताओं को नहीं दर्शाती है। इसी प्रकार वर्तमान प्रणाली चालू परिसंपत्तियों तथा गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का पता लगाने में असमर्थ है। यह प्रणाली सरकार द्वारा धारित परिसंपत्तियों, धारिता की कम अधिक लागत और इन परिसंपत्तियों के परिचालन तथा परिसंपत्तियों के स्टॉक पर चालू खपत के असर के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। दूसरी बड़ी बाध्यता आगामी वर्षों में भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं या सरकारी विभागों द्वारा सेवा प्रदान करने की पूर्ण लागत को दर्ज करने में इस प्रणाली की अक्षमता है। नकदी आधारित लेखाकरण प्रणाली राजकोषीय अवसरवादिता के जगह प्रदान करती है क्योंकि कर राजस्वों को वापसियों की अधिक घटनाओं के बाद आने वाली अवधि के दौरान अतिरिक्त रूप में इकट्ठा किया जा सकता है, भुगतानों को आसानी से आस्थगित किया जा सकता है तथा आगामी अवधियों के लिए इन भुगतानों को टाला जा सकता है, भविष्य में देय राजस्वों का निपटान एककालिक भुगतानों के लिए व्यवस्था करके किया जा सकता है। कुछ अन्य उदारहणों का उल्लेख करते हैं यह कि उपयुक्त सरकार की गारन्टियों के जरिए कर्ज में डूबे सरकार के अभिकरणों को सरकार से बाहर स्वायत्तशासी वैधानिक कम्पनियों में रुपान्तरण करना कोई उल्लेखनीय नहीं है और व्यय के दृष्टिकोण से भी सरकार से बाहर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और अभिकरणों के मौजूदा निवल दायित्वों को समाप्त करना है, चूंकि बाद में इस प्रकार की देयताओं से बचा नहीं जा सकेगा।

14.15 नगद आधारित प्रणाली से तुलना करने पर, जब आर्थिक मूल्य का सृजन, रूपान्तरण, विनिमय, हस्तान्तरण या समाप्त करना हो, यद्यपि, भले ही उस समय नगद लेन-देन हुआ हो या नहीं पद्धति लाभ के वित्तीय प्रवाहों को स्वीकार करती हैं। यह नगद आधार पद्धति संसाधनों के रिकार्ड प्रवाहों से भिन्न है। व्ययों का हिसाब उस समय, जब संसाधनों (श्रम, सामग्री, सेवा और पूंजी) को लगाया जाता है, और जब इससे आय अर्जित की जाती है, अर्थात जब सामग्रियों को बेचा जाता है या फिर सेवाएं दी जाती हैं, तब लगाया जाता है। आमतौर पर नगद प्रवाहों की साझेदारी कुछ समय बाद होती है और उसी गणना अवधि के दौरान हो या न भी हो। अतः नगद प्रवाह के अलावा, भुगतान भिन्न उपयोग (देय) और वसूली न की गई आय (वसूली योग्य) को भी गणना में लिया जाता है। अपेक्षित संसाधन परन्तु जिनका गणना अवधि के दौरान पूर्णत उपयोग न किया गया हो, को परिसम्पत्तियों (माल सूची और अचल परिसम्पत्तियां) के रूप में माना जाता है। माल सूची प्राप्त करने के लिए किये गये भुगतानों को उस अवधि जिसमें इनका उपयोग किया जाता है, उसकी संचलनावधि में शामिल किया जाता है। भौतिक परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के लिए किए गए उन भुगतानों जो भविष्य के लिए सेवा सम्भाव्यता वाले हों, उन परिसम्पत्तियों की लागत सम्पूर्ण उपभोग अवधि में समाप्त हो जाती है।

14.16 लाभ गणना की पद्धति, अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर लागत-मूल्य की गणना करने, पूंजी उपयोग के अभिलेखों का उपयुक्त रूप से रखरखाव करने, चालू और पूंजीगत व्ययों में अन्तर दिखाने, ऋण और अन्य देयताओं की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने और वित्तीय स्थितियों का प्रस्तुतीकरण करने, जैसा कि समग्र तुलनपत्र में दिखाया गया है, न कि केवल प्रवाहों और ऋणों में दिखाया गया है, का प्रबन्ध करती है। यह पद्धति विभिन्न सेवाओं की लागत की पूरी नाप-तौल देती है, विनिवेश प्राप्तियों का लेखा-जोखा रखती है और राजकोषीय बकाया और निवल मूल्य दोनों की पर्याप्त सूचना तथा उस समय उनके शुल्कों को मुहैया कराती है। सूचना, जैसा कि लाभ गणना के अधीन उपलब्ध होगी, वित्तीय आयोगों जैसे निकायों के लिए एक आवश्यक प्रणाली का गठन न केवल केन्द्र और राज्यों, अपितु उपलब्ध संसाधनों के राजस्व अपेक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परन्तु सरकारों के लिए देय ऋण निर्धारित करने की दृष्टि से उनके राजकोषीय निष्पादन का मूल्यांकन भी करती है और जिन्होंने अच्छा निष्पादन किया है और वे जो आशा के अनुकूल प्रतिस्पर्द्धा करने में विफल रहे हैं, मूल्यांकन करने में उनकी मदद करती है। हम समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने लाभ आधारित लेखाकरण के सम्बन्ध में कुछ कार्रवाई आरम्भ की है। हालांकि, परिवर्तन चरणों में होगा, चूंकि, यह समय लगने वाली क्रिया है। जबकि, हम, मध्यावधि में लाभ आधारित लेखाकरण के पक्षधर हैं, अतः हम सुझाव देते हैं कि मध्यावधि में, जैसाकि नीचे विवरणों के रूप में उल्लिखित है, मौजूदा नगद लेखाकरण पद्धति को और ज्यादा सूचनाबद्ध निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त सूचना को परिशिष्ट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। विवरणों की एक स्पष्ट सूची जिसे शामिल किया जा सकता है, वह नीचे दी गई हैं :

(i) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार की दी जाने वाली सब्सिडियों का विवरण;

(ii) विभिन्न विभागों/इकाईयों द्वारा वेतनों के सम्बन्ध में व्यय को दर्शाने वाला विवरण;

(iii) सरकारी पेंशन के सम्बन्ध में पेंशनभोगियों और व्यय के बारे में विस्तृत सूचना;

(iv) भावी वचनबद्ध दायित्वों के बारे में आंकड़ा;

(v) ऋण और अन्य देयताओं और साथ-ही-साथ पुनःभुगतान समय सूची के बारे मे सूचना वाला विवरण;

(vi) सरकार द्वारा धारित वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि या घाटा होना जिसमें सरकार द्वारा विस्तार के रूप में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली परिसम्पत्तियों का विवरण;

(vii) भावी नगद प्रवाहों के लिए बजट में प्रस्तावित नई स्कीमों या वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रमुख नीति के लिए निर्णय लेने में बाधाओं को दर्शाने वाला विवरण; और

(viii) वेतन तथा वेतन-भिन्न हिस्सों के पृथक्करण वाले व्यय के रखरखाव के संबंध में विवरण।

14.17 इन विवरणों को प्रस्तुत करते समय, लाभ आधारित लेखाकरण पद्धति को आरम्भ करने को मूलभूत उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए और निष्पादन का अभिकल्प इस रूप में तैयार किया जाए कि परिवर्तन सुगम तथा प्रभावी रूप से दृष्टिगोचर हों। हमने, अध्याय 11 में राजकोषीय सुधार सुविधा पर चर्चा करते हुए, निष्पादन के मापन के उद्देश्य के लिए राज्य विद्युत बोर्ड, सड़क परिवहन उपक्रमों आदि जैसी राज्य की प्रमुख कम्पनियों जिन्हें राज्यों द्वारा घाटों सहित/छोड़कर चुनिन्दा रूप से दिया जा रहा है, के सम्बन्ध में राजस्व घाटे की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है, का भी उल्लेख किया गया है। हमने यह भी पाया है कि कुछ राज्यों ने पूंजीगत व्यय के रूप में स्थानीय निकायों की अनुदानों का वर्गीकरण करना आरम्भ कर दिया है। कुछ राज्य तो पारदर्शी सब्सिडियां मुहैया कराने के बजाय अनुदान ऋणों या फिर, इक्विटी में निवेश करके अपने विद्युत बोर्डों के घाटों की भरपाई पहले ही कर रहे हैं। वर्ष 2005-10 के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में ऋण राहत की हमारी स्कीम वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने की है। अतः यह आवश्यक है कि सृजनात्मक लेखाकरण के जरिए योजना के उद्देश्य ध्वस्त न हो जाएं, पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अतः, हम, सिफारिश करते हैं कि राजस्व घाटों और राजकोषीय घाटों की मानकीकृत परिभाषा तय की जाए और एक समान वर्गीकरण संहिता सभी राज्यों को जारी की जाए। योजना के अधीन अनुदान सहायता मुहैया कराते समय निगरानी एजेन्सी द्वारा लेखाकरण नीतियों में व्यय के अप्राधिकृत और मनमाने ढंग से परिवर्तनों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

14.18 लाभ आधारित लेखाकरण पद्धति में परिवर्तन विभिन्न सरकारी संगठनों, विशेषकर, लेखा समूह के निचले और मध्यम स्तरों पर जिसमें लेखा लिपिक, लेखाकार, सहायक, खजाना अधिकारी तथा अन्य शामिल हैं, में लेखाकरण कार्मिकों के समक्ष विचारणीय मांग रखी जायेगी। हालांकि, इन कुछ अधिकारियों के पास वित्त और लेखा में औपचारिक जानकारी होगी, लेकिन, अधिकतर के पास व्यवसायिक ज्ञान होगा। हालांकि जिनके पास व्यवसायिक शिक्षा होगी, उन्हें अपने सेवाकाल में उसे उन्नत बनाने की जरूरत होगी। ज्यादातर देशों में, लेखाकारों को सरकारी क्षेत्र के लेखाकरण और लेखा परीक्षा में मान्य व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है। यूएसए में, उदाहरण के तौर पर, राजकीय लेखाकार संघ और राजकीय वित्तीय अधिकारी लेखाकारों को लेखाकरण में तकनीकी ज्ञान देने का प्रशिक्षण देते हैं। सतत रूप से व्यावसायिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए इसी प्रकार के प्रबन्ध यू.के. मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, बेहरेन आदि में हैं, जिसे चार्टर्ड संस्थानों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। भारत में सरकारी क्षेत्र में व्यावसायिक लेखाकरण कार्मिकों की कमी को अनेक विश्लेषकों द्वारा कहा गया है। प्रशिक्षित और व्यावसायिक लेखाकरण स्टाफ की आवश्यकता पर विचार करते हुए और विशेषकर, लाभाधारित लेखाकरण पद्धति में परिवर्तन करने के लिए हम अपनी सिफारिश के आलोक में, सिफारिश करते हैं कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय लोक वित्त लेखाकार संस्थान (एनआईपीएफए) की स्थापना करे और इसके चार्टर का निर्णय सीएण्डएजी के परामर्श से तैयार किया जाए।

अध्याय 15

अंतिम अवलोकन

15.1 आयोग ने राजकोषीय अन्तरणों की एक योजना की सिफारिश की है राजकोषीय समेकन ढांचे के भीतर इक्विटी और दक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। राजकोषीय समेकन की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयास केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उत्तर-दायित्व में देखा जा सकता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सामंजस्य की प्राप्ति के लिए सरकारी और श्रेष्ठ सामग्री तथा सेवाएं उपलब्ध मुहैया कराने के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों दोनों सरकारों के स्तरों पर उत्तरदायित्वों को सुसगंत रूप से अपने-अपने राजस्व आधारों से सम्बन्धित राजस्वों के स्तरों को बढ़ाने और अनुचित व्यय संबंधी वचनबद्धताओं के कार्यों से बचने की आवश्यकता है।

15.2 केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तों के संबंध में, निजी तौर पर या फिर समग्र रूप से पूर्ववर्ती आयोग की अधिनिर्णय (अवार्ड अवधि) की अवधि में असन्तुलन बड़े और चिरस्थायी दृष्टिगोचर हुएहैं। गिरावट के चार प्रमुख कारण सतत रूप से बने रहे हैं : अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में प्राप्त उच्च स्तरों की तुलना में केन्द्र के कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट; पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में, विशेषकर, राज्यों के लिए, वेतन और पेंशनों के भुगतानों के स्तरों में निरन्तर बढ़ोतरी; मुद्रास्फीति की दरों में उत्तरवर्ती गिरावट होने से नब्बे के दशक के उत्तरार्ध और साथ ही साथ ब्याज दरों में नाम मात्र के उच्च स्तरों का होना; और नए दशक के पहले तीन वर्षों में कम वृद्धि दरों का होना रहा है। हालांकि, दुःख की प्रचण्डता के लिए ये कारण रहे हैं, लेकिन, राजकोषीय गिरावट के लिए सतत रूप से ढांचागत कारणों में कर संरचना और व्यय पद्धति का होना भी रहा है।

15.3 राजकोषीय अन्तरणों की योजना में, ऊर्ध्वाधर असंतुलन का सुधार, कुछ सीमा तक, विवेक पर आधारित था। सरकार के दो स्तरों पर संसाधनों और उत्तरदायित्वों के बीच के फासले का मूल्यांकन किया जाना है। ऐतिहासिक रूझानों सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमने, राज्यों के करों के विभाज्य समूह में 29.5 प्रतिशत के चालू शेयर स्तर से 30.5 प्रतिशत शेयर बढ़ाने की सिफारिश की है। हमारा विश्वास है कि इस वृद्धि को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कार्यकलापों में काट-छांट करके, जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में आती हैं, से पूरा कर लिया जायेगा। हमने, केन्द्र की 37.5 प्रतिशत की सकल राजस्व प्राप्तियों में से 38 प्रतिशत के समग्र अन्तरणों की निर्देशात्मक वृद्धि की है।

15.4 क्षैतिज असंतुलन के संदर्भ में, हम महसूस करते हैं कि यह अन्तरणों के समानेता की दृष्टि से, उपयुक्त है, चूंकि, यह इक्विटी और दक्षता, दोनों के लिए ही सुसंगत है। हालांकि, इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से कार्यान्वित करना संभव नहीं है, चूंकि, राज्यों के प्रति व्यक्ति राजकोषीय क्षमताओं में असमानताएं बड़ी हैं और कुछ अच्छे वित्तीय स्थिति वाले राज्यों का राजकोषीय असंतुलन गम्भीर है। हमारे द्वारा सिफारिश की गई सुपुर्दगी योजना में, हमने राजकोषीय क्षमताओं, लागत अक्षमताओं और राजकोषीय दक्षता में विभिन्न मापदण्ड दर्शाने वाली कमी पर प्रहार किया है। संसाधनों के अन्तर का मूल्यांकन करने के विचार से, राज्यों के स्वामित्व वाले संसाधनों और व्ययों के मूल्यांकन में एक आदर्श दृष्टिकोण के अनुपालन के अलावा, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया है, क्योंकि ये दोनों ही विशेष प्राथमिकता वाली सेवाएं हैं, इसलिए, सेवा प्रावधान के स्तर में विषमताओं को कम करने में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और हमने समानता के दृष्टिकोण के ढांचे के भीतर सशर्त अनुदानों की सिफारिश की है। हमने अन्तरणों की योजना में कर सुपुर्दगी के लिए अनुदानों समानुपात में वृद्धि की है। अतः यह आवश्यक है कि एक राज्य के लिए अन्तरण का मूल्यांकन करते समय, कर सुपुर्दगी और अनुदानों दोनों पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रति व्यक्ति (वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-02 का औसत) और अनुशंसित प्रति व्यक्ति अन्तरणों के बीच सहसंबंध के सहकारी कारक में गोवा को छोड़कर, सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में कर सुपुर्दगी और सभी अनुदानों को -0.89 पर आंका गया है, जो अन्तरणों के पुनः वितरण के स्वरूप पर बल देती है।

15.5 हमने स्थानीय निकायों को प्रभावी और स्वायत्तशासी स्थानीय स्व-शासन के रूप में संवैधानिक अधिदेश देने की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय निकायों को अन्तरणों की एक योजना द्वारा अवश्य सहायता दी जाए और यह कि विकेन्द्रीकरण को और राजस्वों की प्राप्ति के लिए स्व-प्रयास को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अन्तरणों में शेयर विभाज्य करों का लगभग 1.24 प्रतिशत बनता है और सकल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र का हिस्सा 0.9 प्रतिशत बनता है।

15.6 हम मानते हैं कि इस समय राज्यों का ऋण भार अधिक है। हमने, ऋण सहायता के लिए एक योजना मुहैया कराई है, जो दो भागों में है। प्रथम, सहायता जो विगत के समाहित ऋण से आती है और ब्याज दर को कम करके इसे पुनः निर्धारित करती है। द्वितीय, इसमें ऋण को माफ करना, जो राजस्व घाटों के समूल स्तरों में कमी करने से सम्बद्ध है। दोनों सहायताएं केवल उन राज्यों के लिए ही उपलब्ध होंगी जो वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को शून्य पर लाने के लिए उपयुक्त कानून बनाकर उसे लागू करेगा और यह वचन देगा कि राजकोषीय घाटे को चरणबद्ध रूप में कम किया

जाएगा। उस सहायता जिसको हमने अनुशंसित किया है, इससे राज्यों को राजकोषीय विवेक से अपने विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे।

15.7 हमने यह तर्क दिया है कि सरकारी वित्तों के प्रबन्धन में कुछ ढांचागत समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन आवश्यक है। एक केन्द्रीय परिवर्तन का सम्बन्ध सरकार के उधारों की व्यवस्था से है। हमने सिफारिश की है कि राज्य, केन्द्र की भांति, अपने संबंधित राजकोषीय विधानों के भीतर, अपने वार्षिक उधार कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि राज्यों को अपनी उधार अपेक्षाओं के लिए सीधे ही बाजार तक पहुंच बनाने दी जाए। राज्यों की सभी संसाधनों से समग्र वार्षिक उधारों की सीमा की निगरानी किसी स्वतंत्र निकाय जैसे कि वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ किसी ऋण परिषद द्वारा की जानी चाहिए। यह परिषद, उनकी वास्तविकता को ध्यान में रख कर प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में, प्रत्येक राज्य के लिए उधार की सीमा का निर्धारण करे। आयोजना सहायता में ऋणों और अनुदानों को डी-लिकिंग करने के लिए हमारा सुझाव, इसलिए कि इसकी विभिन्न सिद्धांतों पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, उधार व्यवस्था के सुधार का ही एक भाग है।

15.8 सरकारी वित्तों की पुनसर्रचना की हमारी योजना में, सतत आधार पर उच्च वृद्धि के संयोग से एक उच्चतर कर-सकल घरेलू उत्पाद और ब्याज भुगतानों में गिरावट होने से, बढ़ते हुए सरकार के पूंजीगत व्यय को एक आवश्यक बचत होगी तथा ब्याज-भिन्न उत्पादकता में वृद्धि और वेतन-भिन्न राजस्व व्यय होगा। एक उच्च कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को सतत आधार पर उच्च वृद्धि तथा ब्याज भुगतानों में कमी करके, बढ़ते हुए सरकारी पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक स्थान का सृजन करना और ब्याज-भिन्न, वेतन-भिन्न राजस्व पूंजी व्यय उत्पादकता को बढ़ाना है। सुधारों के अच्छे चक्र, सरकार के वित्तों को सुदृढ़ करने और राजकोषीय अन्तरणों की समरूप पद्धति से भारत में एक ठोस संघीय राजकोषीय पद्धति को स्थापित करने में सहायता मिलनी चाहिए।

❒❒

अध्याय 16

सिफारिशों का सार

लोक वित्त की पुनर्संरचना से सम्बन्धित योजना

1. वर्ष 2009-10 तक, केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित कर-जीडीपी अनुपात 17.6 प्रतिशत तक, प्राथमिक व्यय जीडीपी के 23 प्रतिशत तक और पूंजी व्यय जीडीपी के लगभग 7 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

(पैरा 4.52)

2. परम्परागत विनिमय दरों पर मापित विदेशी ऋण सहित सम्मिलित ऋण-जीडीपी अनुपात न्यूनतम स्तर पर वर्ष 2009-10 के अन्त तक 75 प्रतिशत नीचे लाया जाएगा।

(पैरा 4.45)

3. आगे उधार देने की व्यवस्था को आने वाले समय में समाप्त किया जाए तथा ऋण-जीडीपी अनुपात सम्बन्धी केन्द्र और राज्यों के दीर्घकालिक लक्ष्य प्रत्येक के लिए 28 प्रतिशत होना चाहिए।

(पैरा 4.45)

4. केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में जीडीपी अनुपात से सम्बन्धित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्रत्येक के लिए 3 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

(पैरा 4.45)

5. राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केन्द्र का ब्याज भुगतान वर्ष 2009-10 तक लगभग 28 प्रतिशत तक होना चाहिए। राज्यों के मामले में, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के स्तर में वर्ष 2009-10 तक 15 प्रतिशत की गिरावट आनी चाहिए।

(पैरा 4.54)

6. केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में उनके सम्मिलित तथा वैयक्तिक लेखों के सम्बन्ध में जीडीपी का सापेक्ष राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 तक शून्य स्तर तक नीचे लाया जाए।

(पैरा 4.51)

7. राज्यों को भर्ती तथा मजदूरी नीति की पालना इस प्रकार करनी चाहिए कि राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन बिल ब्याज भुगतान तथा पेंशन को घटाकर 35 प्रतिशत से अधिक न हो।

(पैरा 4.63)

8. प्रत्येक राज्य एक राजकोषीय दायित्व विधान अधिनियमित करे जो कम से कम निम्नलिखित की व्यवस्था करे-

(क) वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना;

(ख) राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक अथवा इसके समकक्ष घटाया जाए जिसे राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ग) राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के वार्षिक गिरावट लक्ष्यों को स्पष्ट करना;

(घ) राज्य अर्थव्यवस्था तथा सम्बन्धित राजकोषीय रणनीति के सम्बन्ध में सम्भावनाओं को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण प्रकाशित करना; और

(ङ) बजट के साथ विशेष विवरणों का प्रकाशन जिसमें सरकारी, सार्वजनिक तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन का ब्यौरा दिया हो।

(पैरा 4.79)

केन्द्रीय कर राजस्वों की हिस्सेदारी

9. साझा योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत होगा। इस प्रयोजनार्थ, बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों को केन्द्रीय करों के सामान्य पूल के एक भाग के रूप में माना जाता है। यदि कर किराया प्रबन्ध को समाप्त किया जाता है तथा राज्यों को इन वस्तुओं पर बिना किसी निर्धारित सीमा के बिक्री कर (अथवा वैट) लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो साझा योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का भाग 29.5 प्रतिशत तक घट जाएगा।

(पैरा 7.22)

10. यदि अठासीवें संविधान संशोधन को अधिसूचित करने के बाद सेवा कर के सम्बन्ध में कोई विधान अधिनियमित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इस विधान के अन्तर्गत किसी राज्य को प्राप्त राजस्व यदि सम्पूर्ण सेवा कर प्राप्तियां सांझा योग्य पूल का भाग होतीं तो इसके अर्जित भाग की अपेक्षी कम होतीं।

(पैरा 7.22)

11. राज्यों को समग्र अन्तरणों की निर्देशित राशि केन्द्रीय सकल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत निर्धारित की जा सकती है।

(पैरा 7.22)

12. राज्यों को, नीचे सारणी में यथाविर्निष्ट भाग में से वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान प्रत्येक पांच वित्तीय वर्षों में सभी साझा योग्य केन्द्रीय शुल्कों की निवल प्राप्तियां दी जाएंगी।

(पैरा 7.35, 7.36)

राज्य	हिस्सा (सेवाकर को छोड़कर सभी साझा योग्य कर) (प्रतिशत)	सेवा कर का भाग (प्रतिशत)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	7.356	7.453
अरूणाचल प्रदेश	0.288	0.292
असम	3.235	3.277
बिहार	11.028	11.173
छत्तीसगढ़	2.654	2.689
गोआ	0.259	0.262
गुजरात	3.569	3.616
हरियाणा	1.075	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.522	0.529
जम्मू और कश्मीर	1.297	शून्य
झारखंड	3.361	3.405
कर्नाटक	4.459	4.518
केरल	2.665	2.700
मध्य प्रदेश	6.711	6.799
महाराष्ट्र	4.997	5.063
मणिपुर	0.362	0.367
मेघालय	0.371	0.376
मिजोरम	0.239	0.242
नागालैंड	0.263	0.266
उड़ीसा	5.161	5.229
पंजाब	1.299	1.316
राजस्थान	5.609	5.683
सिक्किम	0.227	0.230
तमिलनाडु	5.305	5.374
त्रिपुरा	0.428	0.433
उत्तर प्रदेश	19.264	19.517
उत्तरांचल	0.939	0.952
पश्चिम बंगाल	7.057	7.150
सभी राज्य	**100.000**	**100.000**

स्थानीय निकाय

13. सभी राज्यों को वर्ष 2005-10 की समयावधि के लिए पंचायती राज संस्थानों हेतु 20000 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 5000 करोड़ रुपए का कुल अनुदान पारस्परिक वितरण सहित प्रदान किया जाए जिसे सारणी 8.1 में दिखाया गया है।

(पैरा 8.38)

14. पंचायतीराज संस्थाओं को जलापूर्ति तथा स्वच्छता से सम्बन्धित परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए तथा मरम्मत। जीर्णोद्धारा और साथ ही ओएंडएम लागतों पर अनुदानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागतों के कम से कम 50 प्रतिशत भाग की वसूली करें।

(पैरा 8.40)

15. पंचायतों के लिए आवंटित अनुदानों में से, जलापूर्ति तथा स्वच्छता की ओएंडएम लागतों पर व्यय को प्राथमिकता दी जाए। इससे पंचायतों के लिए योजनाओं का अधिग्रहण करने तथा उन्हें संचालित करने का कार्य सुगम हो जाएगा।

(पैरा 8.41)

16. शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराए गए कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजना के लिए निर्धारित किया जाए। नगरपालिकाएं ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण तथा परिवहन पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। इन गतिविधियों की लागत, भले ही वे देश के भीतर पूरी की जाएं अथवा उनकी आउटसेर्सिग हो, अनुदानों से पूरी की जाएगी।

(पैरा 8.42)

17. ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति तथा स्वच्छता की और शहरी इलाकों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्कीमों पर ओएंडएम लागतों पर किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय आवंटित अनुदानों में से आंकड़ा आधार तैयार कराने पर होने वाले व्यय तथा जहां सम्भव हो, वहां आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध प्रणालियों के उपयोग से लेखों के रख-रखाव को उच्च प्राथमिकता दें। शहरी क्षेत्रों में सम्पतियों के मानचित्रण के लिए जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) जैसी कुछ आधुनिक विधियों तथा वित्तीय प्रबन्धन की आधुनिक प्रणाली अपनाने हेतु कम्प्यूटरीकरण के उपयोग से ठोस स्थानीय सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की भावना की पूर्ति होगी।

(पैरा 8.43)

18. राज्य हमारे द्वारा उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय की आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगी और तद्नुसार हमारे द्वारा संस्तुत कुल आवंटन में से निधियां निर्धारित करेंगी।

(पैरा 8.43)

19. संविधान की पांचवी तथा छठी अनुसूची के अन्तर्गत सामान्य तथा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए पृथक से अनुदानों की सिफारिश की गयी है। ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य हमारे द्वारा संस्तुत अनुदानों को बाह्य क्षेत्रों सहित सभी स्थानीय निकायों को उपयुक्त तरीके से आवंटित कर सकते हैं।

(पैरा 8.51)

20. केन्द्र सरकार, इन अनुदानों को जारी करने अथवा उपयोग हेतु हमारे द्वारा निर्धारित शर्त के अलावा और कोई ऐसी शर्त नहीं

लगाएगी जो मुख्यतः केन्द्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वमुखी असंतुलन के सुधार के स्वरूप की हों।

(पैरा 8.52)

21. और अधिक राशि जारी करने से पहले, पूर्व में जारी की गयी राशि का उपयोग करने सम्बन्धी आग्रह की सामान्य प्रक्रिया जारी रहेगी और किसी राज्य को अनुदान तभी जारी किया जाएगा जबकि वह यह प्रमाणित करे कि पूर्व में जारी की गयी राशि स्थानीय निकायों को पारित की जा चुकी है। राज्यों को वर्ष 2005-06 की एवार्ड अवधि के प्रथम वर्ष में देय राशि बिना किसी ऐसे आग्रह के जारी की जा सकती है।

(पैरा 8.52)

22. केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों को सरकारी निकायों को अन्तरित करने में राज्य सरकारें 15 दिन से ज्यादा समय न लें। केन्द्र राज्य के स्तर पर न रखे गए किसी भी अनुचित विलम्ब को गम्भीरता से लें।

(पैरा 8.53)

23. केन्द्र सरकार विभिन्न नीतिगत उपायों को तैयार करते समय अथवा उनका संशोधन करते समय पैरा 8.23 में सूचीबद्ध मुद्दों पर हमारे व्यक्त विचारों को ध्यान में रखे।

(पैरा 8.23)

24. राज्य पंचायतों के संसाधनों में सुधार के लिए पैरा 8.19 में सूचीबद्ध सर्वोत्तम प्रक्रिया का अनुपालन करें।

(पैरा 8.19)

25. पैरा 8.29 से 8.37 तथा 8.54 में राज्य वित्त आयोगों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा व्यक्त सुझावों पर कार्रवाई हो ताकि राज्य वित्त आयोगों की संस्थाओं में मजबूती आए तथा ये सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था को राजकोषीय अन्तरणों की एक प्रभावी भूमिका के रूप में अपने दायित्व निभा सकें।

(पैरा 8.29 से 8.37, 8.54)

आपदा राहत

26. आपदा राहत निधि (सीआरएफ) योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहे जिसमें केन्द्र तथा राज्यों के स्तर से अंशदान अनुपात 75:25 होगा।

(पैरा 9.10, 9.11)

27. हमारी एवार्ड अवधि के लिए सीआरएफ की मात्रा 21333.33 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

(पैरा 9.11)

28. एनसीसीएफ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगी जिसमें 500 करोड़ रुपए की मुख्य आधारभूत निधि होगी। निधि से व्यय की गयी राशि को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि शुल्क के संग्रहण तथा विशेष अधिभार लगाकर पुनःपूर्ति की जाती रहेगी।

(पैरा 9.16, 9.17)

29. मौजूदा लागू प्राकृतिक आपदा की परिभाषा को भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल विस्फोट तथा कीट हमलों को शामिल करते हुए विस्तारित किया जाए।

(पैरा 9.12)

30. केन्द्र राहत उपाय के बतौर जरूरतमंद राज्यों को खाद्यान्न आवंटन जारी रखेगा लेकिन इस सम्बन्ध में एक पारदर्शी नीति को तैयार किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा 9.18)

31. वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों सहित एक समिति की स्थापना की जाए जो विभिन्न राज्यों के समक्ष आ रहे खतरों का अध्ययन तथा उनका मूल्यांकन करे।

(पैरा 9.14)

32. महाआपदा से निपटने की तैयारी तथा उसे न्यून करने सम्बन्धी प्रावधान को राज्य आयोजनाओं में रखा जाए, इसे आपदा राहत के बतौर न माना जाए।

(पैरा 9.14)

राज्यों को सहायता अनुदान

33. गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों को (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 10:90) आयोजना सहायता प्रदान करने हेतु ऋण और अनुदानों के बीच 70:30 अनुपात की प्रणाली को समाप्त किया जाए, इसके स्थान पर केन्द्र, राज्यों को आयोजना अनुदान प्रदान करने तक सीमित रखे और यह राज्यों के निर्णय पर छोड़ दें कि वे कितना और कहां से उधार लेना चाहते हैं।

(पैरा 10.4)

34. अवार्ड अवधि के दौरान पन्द्रह राज्यों के लिए 56855.87 करोड़ रुपए के कुल आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की जाती है सारणी 10.4 देखें।

(पैरा 10.12, 10.13)

35. शिक्षा क्षेत्र के लिए अवार्ड अवधि में किसी भी पात्र राज्य के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 20 करोड़ रुपए की राशि सहित आठ राज्यों को 10171.65 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है। (सारणी 10.5 द्वारा)

(पैरा 10.17)

36. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अवार्ड अवधि में (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) किसी भी पात्र राज्य के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 10 करोड़ की राशि सहित सात राज्यों को 5887.08 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है (सारणी 10.6 देखें)।

(पैरा 10.18)

37. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए अनुदान इन क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामान्य व्यय के अलावा अतिरिक्त तौर पर है। इन अनुदानों का उपयोग केवल सम्बद्ध क्षेत्रों (आयोजना भिन्न) के लिए किया जाए अर्थात् शिक्षा के मामले में यह मुख्य शीर्ष 2202 तथा स्वास्थ्य के मामले में मुख्य शीर्ष

2210 तथा 2211 के तहत होगा। इन अनुदानों को जारी करने तथा इनके उपयोग को शासित करने सम्बन्धी शर्तें अनुबंध 10.1 से 10.3 में विनिर्दिष्ट हैं। इन अनुदानों को जारी करने तथा इनके उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा और कोई शर्त नहीं लगायी जाएगी। इन अनुदानों से सम्बद्ध व्यय की मानीटरिंग सम्बद्ध राज्य सरकार में निहित होगी।

(पैरा 10.19)

38. सड़क तथा पुलों के रख-रखाव हेतु अवार्ड अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की जाती है। यह राशि उस सामान्य व्यय के अतिरिक्त होगी जिसे राज्य सड़क तथा पुलों के रख-रखाव हेतु खर्च किया जाएगा। यह राशि अवार्ड अवधि (अर्थात् 2006-07 से 2009-10) के अन्तिम चार वर्षों के लिए समान किश्तों में उपलब्ध करायी जाएगी ताकि राज्य एक वर्ष की समयावधि इन निधियों को आमेलित करने की तैयारी हेतु प्राप्त कर सकें।

(पैरा 10.21)

39. सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव हेतु अनुदानों के बतौर 5000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की जाती है।

(पैरा 10.22)

40. सड़क तथा पुलों और भवन निर्माण हेतु अनुरक्षण अनुदान अतिरिक्त तौर पर राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अनुरक्षण व्यय के अतिरिक्त हैं। इन अनुदानों को अनुबंध 10.4 से 10.6 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जारी तथा व्यय किया जाएगा।

(पैरा 10.23)

41. वनों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2005-10 की अवार्ड अवधि के दौरान 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की जाती है। यह राज्यों द्वारा अपने वन विभागों के माध्यम से व्यय की गयी राशि के अलावा अतिरिक्त तौर पर होगा। यह वन विभाग के सामान्य व्यय के अतिरिक्त इस अनुदान से अधिक व्यय का भी परिणाम होगा।

(पैरा 10.25)

42. पंचाट (एवार्ड) अवधि में 625 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए की गई है। इस अनुदान का प्रयोग ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के प्रतिरक्षण और संरक्षण तथा इन स्थलों की यात्राओं को आसान बनाने के लिए पर्यटक आधारढांचे में सुधार लाने के लिए भी किया जाएगा।

(पैरा 10.26)

43. राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए 7100 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की गई है। जबकि इन अनुदानों को गत चार वर्षों में एकसमान रूप से धीरे-धीरे समाप्त किया गया है, इस समाप्ति को निर्देशक किस्म का माना जाए। राज्य, अनुदानों की अपेक्षित समाप्ति की सूचना केन्द्र सरकार को देगें (सारणी 10.11 देखें)।

(पैरा 10.28)

राजकोषीय सुधार सुविधा

44. राजकोषीय सुधार सुविधा योजना वर्ष 2005-10 की अवधि में जारी नहीं रहेगी क्योंकि अध्याय 12 में यथा वर्णित ऋण राहत योजना में एक पृथक राजकोषीय सुधार सुविधा की जरूरत को अनावश्यक बताया गया है।

(पैरा 11.25)

ऋण राहत और सुधारात्मक उपाय

45. प्रत्येक राज्य एक राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाए जिसमें वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा उधारों और गारण्टियों में कमी के मार्ग पर आधारित राजकोषीय घाटों में कमी करने की दृष्टि से विशेष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। अध्याय 4 में निर्देशित सिद्धान्तों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाना ऋण राहत प्राप्त करने की एक अनिवार्य पहली शर्त होगी।

(पैरा 12.36)

46. ऋण राहत को मानव विकास सबंधी निष्पादन अथवा निवेश के परिवेश से न जोड़ा जाए।

(पैरा 12.38)

47. राज्यों को 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.3.2005 को बकाया केन्द्रीय ऋणों (128795 करोड़ रुपए की राशि के) को समेकित किया जाएगा और नए सिरे से 20 वर्षों की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जाएगा (जिनकी वापसी अदायगी 20 समान किश्तों में की जाएगी), और उन पर 7.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। यह तभी होगा जब राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाएगा और यह इस विधान के लागू होने के वर्ष से प्रभावी होगा।

(पैरा 12.42)

48. राज्यों के राजस्व घाटे में कमी से जुड़ी ऋण को बट्टे खाते में डालने संबंधी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, 31.3.04 तक अनुबंधित और समेकित किए जाने के लिए सिफारिश किए गए केन्द्रीय ऋणों के संबंध में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक देय वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डालने के लिए पात्र होंगी। वापसी अदायगी की बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि की मात्रा उस पूरी राशि से सम्बद्ध होगी जिसमें राजस्व घाटा पंचाट अवधि के दौरान लगातार हर वर्ष कम किया जाएगा। राजस्व घाटे में कमी हमारे द्वारा सिफारिश की गई ब्याज राहत में संचयी कमी की अपेक्षा संचयी रूप से अधिक होनी चाहिए। राज्य का राजकोषीय घाटा भी कम से कम वर्ष 2004-05 के स्तर तक नियंत्रित होना चाहिए। वस्तुतः यदि राजस्व घाटा शून्य पर आ जाता है तो वर्ष के दौरान समस्त वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डाल दी जाएंगी। इस योजना के तहत ऋण राहत प्राप्त करने तथा साथ ही भविष्यलक्षी प्रभाव से लाभ उपचित करने के

लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान लागू करना एक जरूरी पहली शर्त होगी। योजना के ब्यौरों की रूपरेखा पैरा 12.44 में दी गई है।

(पैरा 12.43)

49. भविष्य में, उधार के लिए लिए केन्द्र सरकार एक मध्यस्थ का कार्य नहीं करेगी और राज्यों को सीधे बाजार जाने की अनुमति यदि राजकोषीय दृष्टि से कमजोर कुछ राज्य बाजार से निधियां जुटाने में असमर्थ होते हैं तो केन्द्र इस प्रयोजन हेतु उधार लेकर आगे राज्यों को उधार दे सकता है लेकिन ब्याज दरें केन्द्र के लिए उधारों की सीमान्त लागत के समान होंगी।

(पैरा 12.46)

50. राज्यों को विदेशी सहायता का अन्तरण उन्हीं शर्तों पर किया जाए जो विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा इस तरह की सहायता से सम्बद्ध है जिससे कि भारत सरकार बिना लाभ अथवा हानि के एक वित्तीय मध्यस्थ बन सके। राज्यों को हस्तान्तरित विदेशी सहायता सरकारी खाते में एक पृथक निधि के माध्यम से नियंत्रित की जानी चाहिए।

(पैरा 12.49)

51. 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, पंजाब को दिए गए विशेष अवधि ऋण की बकाया 3772 करोड़ रुपए की राशि की वापसी अदायगी और उस पर ब्याज भुगतान की स्थगन अवधि दो वर्षों अर्थात् 2006-07 तक जारी रखी जाए तब तक केन्द्र सरकार ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार ऋण राहत की अनुमेय मात्रा निर्धारित कर लेगी।

(पैरा 12.51)

52. एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के माध्यम से गुजरात को दिए गए राहत और पुनर्वास ऋणों के संबध में केन्द्र सरकार, यदि गुजरात सरकार ऐसा चाहे तो इन ऋणों की शर्तों में परिवर्तन कर सकती है ताकि ये ऋण गुजरात को उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध हो जाएं जिन पर विदेशी एजेंसियों ने ये ऋण दिए हैं।

(पैरा 12.55)

53. सभी राज्यों को बैंकों से ऋण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के खाते में देनदारियां आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधियां स्थापित करनी चाहिए। यह निधि राज्यों की समेकित निधि और सरकारी खाते से अलग रखी जानी चाहिए और इसका प्रयोग, ऋणों के मोचन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 12.59)

54. राज्यों को अंकित गारण्टी शुल्कों के माध्यम से गारण्टी मोचन निधियां स्थापित करनी चाहिए। इससे पहले गारण्टियों का जोखिम भार जान लेना चाहिए। तदनुसार, निधि में अंशदान की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।

(पैरा 12.60)

पेट्रोलियम लाभ

55. केन्द्र को एनईएलपी क्षेत्रों से होने वाले पेट्रोलियम लाभ का हिस्सा उन राज्यों को देना चाहिए जहां खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। हिस्से का अनुपात 50:50 है।

(पैरा 13.31)

56. नामांकन क्षेत्रों और गैर-एनईएलपी खण्डों के संबध में लाभों को बांटने की जरूरत नहीं है।

(पैरा 13.32)

57. केन्द्र सरकार द्वारा कोल बेड मैथेन नीति के तहत हस्ताक्षरित संविदाओं पर अर्जित राजस्वों का उत्पादक राज्यों के साथ पेट्रोलियम लाभ के बंटवारे की तरह ही बाटंना चाहिए।

(पैरा 13.33)

58. किसी भी खनिज के मामले में, जिसके उत्पादन का बंटवारा किया जाता है यदि किसी राज्य के संबंध में, नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राजस्व हानि प्रत्याशित होती है तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ही मुआवजे की पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

(पैरा 13.34)

वित्त आयोग के लिए एक स्थाई सचिवालय

59. वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग को एक पूर्ण विभाग के रूप में बदल दिया जाना चाहिए जो वित्त आयोग के लिए एक स्थाई सचिवालय के रूप में काम करे। इस सचिवालय में सरकार के एक पूर्ण विभाग की शक्तियां निहित होनी चाहिए और संसद के साथ सम्पर्क करने के प्रयोजन के लिए केवल वित्त मंत्रालय ही इसका नोडल मंत्रालय होना चाहिए।

(पैरा 14.6, 14.7)

60. वित्त आयोग के व्यय को भारत की समेकित निधि पर "प्रभारित" व्यय माना जाना चाहिए।

(पैरा 14.9)

61. एक अनुसंधान समिति की स्थापना की जाए जिसके पास राजकोषीय संघवाद से सम्बद्ध अध्ययनों के आयोजन हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।

(पैरा 14.8)

62. वित्त आयोग की कार्यावधि कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए जिससे कि वह अपना कार्य उचित रूप से कर सके।

(पैरा 14.8)

63. तेरहवें वित्त आयोग की स्थापना वर्ष 2007 के प्रारम्भ में कर दी जानी चाहिए और आयोग की नियुक्ति से पूर्व ही कार्यालय, तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निवास के लिए उचित व्यवस्था कर दी जानी चाहिए ताकि नेमी प्रशासनिक मामलों में आयोग का समय बर्बाद न हो।

(पैरा 14.8)

अनुवीक्षण प्रणाली

64. वित्त आयोग के अनुदानों के उचित उपयोग का अनुवीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक उच्च स्तरीय अनुवीक्षण

समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव करेंगें और सचिव/विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।

(पैरा 14.11, 14.12)

65. अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करने और मध्यावधि में संशोधन हेतु, यदि आवश्यक समझा जाए, निर्देश जारी करने के लिए अनुवीक्षण समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए।

(पैरा 14.12)

66. अनुवीक्षण समिति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह वित्तीय एवं वास्तविक, दोनों तरह के लक्ष्यों का अनुवीक्षण करे तथा प्रत्येक अनुदान के सबंध में विशेष शर्तों, जहां भी ये लागू हों, का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(पैरा 14.11)

67. वर्ष के प्रारम्भ में, समिति वित्त आयोग की सहायता से प्रत्येक क्षेत्र में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करे, लक्ष्य, वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में, निर्धारित करे तथा विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयावधि निर्धारित करे।

(पैरा 14.11)

लेखा प्रक्रिया

68. केन्द्र सरकार को धीरे-धीरे लेखा के उपचय आधार की ओर बढ़ना चाहिए।

(पैरा 14.16)

69. अन्तरिम अवधि में विवरणियों के रूप में अतिरिक्त सूचना को वर्तमान नकदी लेखा प्रणाली के साथ सलंग्न करना चाहिए जिससे कि और अधिक सही निर्णय लिया जा सके। अतिरिक्त सूचना, सब्सिडियों, वेतनों पर व्यय, पेशनों पर व्यय, वचनबद्ध देनदारियों, अनुरक्षण व्यय, वेतन और वेतन-भिन्न भागों तथा देनदारियों के पृथक्करण और बकाया ऋण के संबध में वापसी अदायगी की निर्धारित अवधि से संबधित हो सकती है।

(पैरा 14.16)

70. राजस्व और राजकोषीय घाटों की परिभाषा को मानकीकृत किया जाए और वस्तु शीर्ष के नीचे एक समान वर्गीकरण कोड सभी राज्यों को जारी किया जाए।

(पैरा 14.17)

71. भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सरकारी वित्तीय लेखापाल संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसका चार्टर नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा।

(पैरा 14.18)

सी. रंगाराजन
अध्यक्ष

शंकर एन. आचार्य
सदस्य

टी.आर. प्रसाद
सदस्य

डी.के. श्रीवास्तव
सदस्य

जी.सी. श्रीवास्तव
सदस्य सचिव

नई दिल्ली,
30 नवम्बर, 2004

मैं आयोग के सदस्यों द्वारा दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए उनका ह्रदय से आभारी हूं। यह रिपोर्ट एक संयुक्त प्रयास है और इसे तैयार करने में प्रत्येक सदस्य का अपूर्व ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं श्री सोमपाल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो मई, 2004 तक आयोग के सदस्य रहे। उन्होंने आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न चर्चाओं में अपने विचारों को बहुत स्पष्टता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। मैं सदस्य सचिव, डा. जी.सी. श्रीवास्तव द्वारा प्रदान की गई अनुकरणीय सेवाओं के लिए भी आभारी हूं, जिन्होंने रिपोर्ट में पर्याप्त सहयोग देने के अलावा सचिवालय को सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है और आयोग से सबंधित विविध कार्यों का बहुत सावधानीपूर्वक संचालन किया है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर उनका अनुभव आयोग के लिए एक बड़ी सम्पत्ति है।

सी. रंगाराजन
अध्यक्ष

नई दिल्ली
30 नवम्बर, 2004

अनुबंध

अनुबंध 1.1
(पैरा 1.1 और 1.3)

भारत का राजपत्र : असाधारण भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (ii)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, नवम्बर 1, 2002

का.आ. 1161 (अ).-राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, (1951 का 33) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में निम्नलिखित तीन अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :-

1.	श्री सोमपाल, सदस्य, योजना आयोग	सदस्य (अंशकालिक)
2.	श्री टी. आर. प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा, (सेवानिवृत्त) भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार	सरकारी सदस्य
3.	प्रो. डी. के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	सदस्य
4.	श्री जी. सी. श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा	सचिव

2. चौथे सदस्य के लिए अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से 31 जुलाई, 2004 तक पद धारण करेंगे।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा:-

(i) संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय, जो संविधान के अध्याय 1 के अधीन उनके बीच विभाजित किए जाने हैं अथवा किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसी आय से संबंधित हिस्से का आबंटन;

(ii) वह सिद्धांत, जिन्हें भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता-अनुदान और उन राज्यों, जिन्हें अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 275 के खण्ड (i) के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए यथाप्रदत्त उनके राजस्वों को सहायता-अनुदान द्वारा सहायता की आवश्यकता है; को अदा की जाने वाली राशि का नियंत्रण करना चाहिए;

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

5. आयोग केन्द्र और राज्यों के वित्त की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा एक योजना का सुझाव देगा, जिसके द्वारा सरकारें, सामूहिक रूप से तथा अलग-अलग लोक वित्त की पुनर्संरचना कर सकें ताकि बजटीय संतुलन पुनःस्थापित किया जा सके, बृहत आर्थिक स्थिरता तथा उचित वृद्धि के साथ कर्ज की कमी करने के इच्छित लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

6. आयोग सिफारिशें करने में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात :

(i) कराधान के स्तर तथा वर्ष 2003-04 के अंत में प्राप्त किए जाने वाले कर-भिन्न राजस्वों के स्तर के आधार पर 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए केन्द्र सरकार के संसाधन;

(ii) केन्द्र सरकार के संसाधन विशेषतः नागरिक प्रशासन, रक्षा, आन्तरिक तथा सीमा सुरक्षा, ऋण-शोधन तथा अन्य वचनबद्ध व्यय और देयताओं के कारण उत्पन्न मांगें;

(iii) कराधान के स्तर तथा वर्ष 2003-04 के अंत में प्राप्त किए जाने वाले कर-भिन्न राजस्वों के स्तर के आधार पर 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए केन्द्र सरकार के संसाधन;

(iv) न केवल सभी राज्यों तथा केन्द्र के राजस्व पर आय तथा व्यय को संतुलित करने का उद्देश्य रखना बल्कि पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त अधिशेष उत्पन्न करना तथा राजकोषीय घाटा कम करना;

(v) केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य सरकार के लक्ष्यों, यदि कोई हो, के लिए कराधान प्रयास और कर-सकल घरेलू उत्पाद और कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को सुधारने के लिए अतिरिक्त राजस्व संग्रहण की संभावना, जैसी भी स्थिति हो;

(vi) पूंजी परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और रखरखाव के वेतन-भिन्न संघटक पर होने वाला व्यय और योजना स्कीमों पर मजदूरी-भिन्न संबंधी अनुरक्षण व्यय 31 मार्च, 2005 तक पूरा किया जाना है, (और वे मापदण्ड जिनके आधार पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु विशिष्ट धनराशि की सिफारिश की जाती है और ऐसे व्यय के अनुवीक्षण का तरीका);

(vii) विभिन्न उपायों, जिनमें प्रयोक्ता प्रभारों का समायोजन और निजीकरण अथवा विनिवेश के जरिए कम-प्राथमिकता के उद्यमों को छोड़ना भी शामिल है, के माध्यम से राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों इत्यादि की वाणिज्यिक क्षमता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

7. विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें करते समय, आयोग ऐसे सभी मामलों में जहां करों और शुल्कों तथा सहायता-अनुदान के अन्तरण का निर्धारण करने के लिए जनसंख्या एक कारक हो, वहां वर्ष 1971 के जनसंख्या आंकड़ों को आधार बनाएगा।

8. आयोग ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई राजकोषीय सुधार सुविधा की समीक्षा करेगा और इसके उद्देश्यों को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए उपाय सुझाएगा।

9. आयोग 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों की ऋण संबंधी स्थिति का आकलन करने के बाद बृहत्-आर्थिक स्थिरता और ऋण की वहनीयता के अनुरूप ऐसे सुधारात्मक उपायों का, जो वह आवश्यक समझे, सुझाव दे सकता है। अनुशंसित किए गए ऐसे उपाय मानव विकास तथा निवेश वातावरण के क्षेत्रों में राज्यों के निष्पादन को महत्वपूर्ण बनाएंगे।

10. आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण से संबंधित वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकता है तथा उन पर उपयुक्त सिफारिशें कर सकता है।

11. आयोग अपने निष्कर्षों का आधार निर्दिष्ट करेगा और राज्य-वार प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा।

12. आयोग 1 अप्रैल, 2005 से आरंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि को शामिल करते हुए 31 जुलाई, 2004 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

ह./-
(डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम)
भारत के राष्ट्रपति

[संख्या 10(13)-बी.(एस)/2002]
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

अनुबंध 1.2
(पैरा 1.1)

भारत का राजपत्र : असाधारण भाग II- खण्ड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2003

का.आ. 749 (अ).-राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाना है :-

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, (1951 का 33) के उपबंधों और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-ii, खंड 3(ii) में 1 नवम्बर, 2002 के का. आ. 1161(अ), के तहत प्रकाशित 1 नवम्बर, 2002 के आदेश के पैरा 2 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री जी. सी. श्रीवास्तव, जो उक्त आदेश द्वारा गठित वित्त आयोग में सचिव हैं, को 1 जुलाई 2003 से 31 जुलाई 2004 तक वित्त आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं और उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

2. उक्त आदेश में, पैरा 3 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

"परन्तु सचिव 30 जून, 2003 तक अपने पद पर बने रहेंगे"

ह./-
(डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम)
भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली
दिनांक 30 जून, 2003

संख्या 10(1)-बी.(एस)/2003

ह./-
(धीरेन्द्र स्वरूप)
अपर सचिव (बजट)

अनुबंध 1.3
(पैरा 1.1)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2004

का.आ. 771 (अ).-राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाना है :-

आदेश

जबकि श्री सोमपाल को भारत सरकार, वित्त तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1161(अ) दिनांक 1 नवम्बर,2002 के साथ प्रकाशित आदेश से राष्ट्रपति द्वारा गठित बारहवें वित्त आयोग का सदस्य (अंशकालिक) नियुक्त किया गया था ;

और जबकि श्री सोमपाल ने सदस्य (अंशकालिक) के रूप में त्यागपत्र दे दिया है और राष्ट्रपति ने उक्त त्यागपत्र दिनांक 14 मई, 2004 से सहर्ष स्वीकार कर लिया है ;

अतः अब वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध)अधिनियम, 1951(1951 का 33) की धारा 3 से 6 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रपति, श्री सोमपाल के स्थान पर डा0 शंकर एन. आचार्य को वित्त आयोग के सदस्य (अंशकालिक) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं और दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के आदेश संख्या का.आ.1161(अ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-

भारत सरकार की दिनांक 1 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ.1161(अ) के साथ प्रकाशित आदेश में पैराग्राफ 1 में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"1. डा0 शंकर एन. आचार्य सदस्य (अंशकालिक)"

2. डा0 शंकर एन. आचार्य कार्यभार संभालने की तारीख से 31 दिसम्बर, 2004 तक पद पर बने रहेंगे।

ह0/
(डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम)
भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
दिनांक 01 जुलाई,2004

[फाइल सं.10(3)-बी(एस)/2004]
के0 एस0 मेनन, संयुक्त सचिव

अनुबंध 1.4
(पैरा 1.2)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2004

का.आ. 770 (अ).-राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाना है :-

आदेश

वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951(1951 का 33) की धारा 6 और 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्दिष्ट करते हैं कि :

(i) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तथा कंपनी कार्य (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना का.आ. संख्या 1161(अ) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 में प्रकाशित दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के आदेश में -

(क) पैराग्राफ 3 में अंकित '31 जुलाई,2004' के शब्दों, अंकों तथा अक्षरों को '31 दिसम्बर, 2004' के शब्दों, अंकों तथा अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) पैराग्राफ 12 में अंकित '31 जुलाई, 2004' के शब्दों,अंकों तथा अक्षरों को '30 नवम्बर, 2004' के शब्दों, अंकों तथा अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(i) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना का.आ. संख्या 749(अ) दिनांक 30 जून,2003 में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2003 के आदेश में, पैराग्राफ 1 में अंकित '31 जुलाई,2004' के शब्दों, अंकों तथा अक्षरों को '31 दिसम्बर,2004' के शब्दों, अंकों तथा अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

ह0/
(डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम)
भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली
दिनांक 01 जुलाई, 2004

[फाइल सं.10(1)-बी(एस)/2004]
के0 एस0 मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः- यह मुख्य आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र का. आ. 1161(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके बाद दिनांक 30 जून, 2003 की अधिसूचना सं0 का.आ.749 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था तथा जिसे दिनांक 2 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड-3 (ii) में प्रकाशित किया गया था।

अनुबंध 1.5
(पैरा 1.4)

भारत के राजपत्र, असाधारण [भाग II खण्ड- 3(ii)]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2003

सा.का. 1263 (अ) राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-

आदेश

वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951(1951 का 33) की धारा 6 तथा 8 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश सं. 1161(अ) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के द्वारा प्रकाशित दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के आदेश में आगे और संशोधन करने का निदेश देते हैं, अर्थात् :-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 10 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"10 क. आयोग निम्नलिखित मामलों के बारे में भी अनुशंसाएं करेगाः-

(ii) क्या संविदात्मक प्रावधानों के कारण उद्भूत, संघ को पेट्रोलियम से प्राप्त लाभ की कर-भिन्न आय को उन राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए जहां खनिज तेलों का उत्पादन होता है ; तथा

(ii) अगर हाँ, तो किस सीमा तक।'

ह./-
(डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम)
भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली
दिनांक 31 अक्तूबर, 2003

[नं. 10 (4)-बी.(एस.)/2003]
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

अनुबन्ध 1.6
(पैरा 1.5)

स्वीकृत पद

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदो की संख्या
1.	सचिव (30.6.2003 तक)	26000(नियत)	1
2.	संयुक्त सचिव	18400-22400	2
3.	आर्थिक सलाहकार	18400-22400	1
4.	निदेशक	14300-18300	4
5.	संयुक्त निदेशक	12000-16500	3
6.	चेयरमैन के निजी सचिव	12000-16500	1
7.	उप-निदेशक	10000-15200	6
8.	प्रधान निजी सचिव/अपर निजी सचिव	10000-15200	5
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी	10000-15200	1
10.	सहायक निदेशक	8000-13500	12
11.	प्रशासन व लेखाधिकारी	8000-13500	1
12.	अधीक्षक/एसएएस लेखा	6500-10500	1
13.	आशुलिपिक ग्रेड "बी "	6500-10500	7
14.	आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-1	6500-10500	12
15.	सहायक	5500-9000	4
16.	खजांची	5500-9000	1
17.	आशुलिपिक ग्रेड "सी "	5500-9000	12
18.	हिन्दी आशुलिपिक	5500-9000	1
19.	आर्थिक अन्वेषक ग्रेड 'I'	5000-8000	2
20.	आशुलिपिक ग्रेड "डी "	4000-6000	9
21.	उच्च श्रेणी लिपिक	4000-6000	3
22.	कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड बी/ग्रेड डी)	4000-6000 5500-9000 4500-7000	7
23.	टेलीफोन ऑपरेटर	3050-4590	2
24.	हिन्दी टंकक	3050-4590	1
25.	अवर श्रेणी लिपिक/टंकक	3050-4590	8
26.	स्टाफ कार चालक	3050-4590	6
27.	स्कूटर ड्राइवर	3050-4590	1
28.	वरिष्ठ गेस्टनेटर संचालक	3050-4590	1
29.	दफ्तरी	2610-4000	3
30.	जमादार (वरिष्ठ चपरासी)	2610-4000	6
31.	चपरासी/संदेशवाहक	2550-3200	17
	योग		**141**

अनुबंध 1.7
(पैरा 1.5)

कार्यकारियों की सूची

अध्यक्ष	डा. सी. रंगराजन
सदस्य	श्री टी.आर. प्रसाद, प्रो. डी.के. श्रीवास्तव
अंशकालिक सदस्य	श्री सोम पाल (14.5.2004 को इस्तीफा), डॉ. शंकर एन. आचर्य (1.7.2004 से प्रभावी)
सदस्य सचिव	डॉ. जी.सी. श्रीवास्तव (30.6.2003 तक सचिव और उसके बाद सदस्य सचिव)
संयुक्त सचिव	श्री आर. रामानुजम, आइएएस (एमपीः79) श्री आर.एन. चौबे,आईएएस (टीएनः81)
आर्थिक सलाहकार	डॉ. जे.वी.एम. शर्मा
निदेशक	श्रीमतसी मधूलिका पी. शुक्ल, श्री सुब्रता धर, श्री जे.डी. हजेला, श्री जे. विल्सन (2.7.2004 तक) और श्रीमती शीला प्रसाद (2.8.2004 से प्रभावी)
संयुक्त निदेशक	श्री एस.वी. रामामूर्ति, श्री राजीव मिश्र और श्री गौतम नरेश (6.8.2004 तक)
अध्यक्ष के निजी सचिव	मिस. सुशीला पंजवानी
उप-निदेशक	श्री आर.एस. नेगी, डॉ. वी.एन. आलोक, डॉ. ओ.पी. बोहरा, श्री दीपक इसरानी, श्री संयासी प्रधान, और श्री राकेश शर्मा
प्रधान निजी सचिव	श्री योगेश शर्मा, श्री यादवेन्द्र सिंह, मिस. अनीता दहारा और श्री पी.आर. गाँधी (30.7.2004 तक)
पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी	श्री जी.डी. पाणिग्रही
सहायक निदेशक	श्री हेम राज, श्री एल.वी. रमन, श्री टी.के. अरोरा, श्री के.सी.राठौर , श्री जे.के. राठी, श्री गुलशेर अली, श्री जगत हजारिका, श्री के अरविंदक्षण, श्री जसविंदर सिंह, डॉ. सुमित्रा चौधरी (26.9.2003 तक) और श्री एच.एस भल्ला (20.10.2003 तक)
प्रशासन व लेखा अधिकारी	श्री एस.डी. शर्मा
आर्थिक अन्वेषक ग्रेड I/II	श्री ए.के. सिन्हा (ग्रेड I), श्री ए.एल. बैरवा (ग्रेड I),श्री ए.के. दूबे (ग्रेड I), मिस. शशि बाला (ग्रेड I), श्री बी.एल. मीना (ग्रेड I), श्री आर.के. पुरी (ग्रेड I), श्री अजय रावत (ग्रेड I), मिस. लक्ष्मी गुप्ता (ग्रेड I) (20.9.2003 तक), श्री एन.एस. बोरा (ग्रेड I) (13.8.2004 तक) और श्री के.एम. कृष्णन(ग्रेड II),
अधीक्षक/एसएएस लेखा	श्री हरविन्द सिंह छाबड़ा
आशुलिपिक ग्रेड "बी "	श्री के.एन. कोहली, श्री सी.एस छाबड़ा, श्री धीरज कुमार, श्री रघु कुमार, श्री ओम प्रकाश, श्री सत्येन्द्र किशोर, श्री एच.सी धवन (17.12.2003 तक) और श्री डी.एस. रावट (2.4.2003 तक)
सहायक	मिस. डी. माला, श्री के.सी बिसवाल, श्री जितेन्द्र कुमार (12.9.2003 तक) और श्री पी.एन सान्याल (7.5.2004 तक)
खजांची	श्री पी.एस. बेदी
आशुलिपिक ग्रेड "सी"	श्री राजीव सेठी, मिस. अरविंदर कौर, मिस. सुमन दूबे, श्री शिव के. शर्मा, श्री संदीप बजाज और श्री यू.के. कुट्टी
आशुलिपिक ग्रेड "डी "	मिस. हिमानी नानगिया, मिस. कविता गौतम,मिस. कविता शर्मा, श्री शीतल कुमार, मिस. अंजू मंडवाल और मिस. वंदना बतरा (29.6.2004 को इस्तीफा)

अपर श्रेणी लिपिक	श्री विपिन जुयाल, श्री जगदीश चन्द शर्मा और श्री चन्द्र शेखर (21.9.2004 तक)
कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर	मिस. शीला राना (ग्रेड "बी "), श्री ऋतेश कुमार (ग्रेड "बी "), श्री मुकेश शर्मा (ग्रेड "बी ") श्री मनीश देव (ग्रेड "डी ") और मिस. ममता सेमवाल (कम्प्यूटर)
शोध सहयोगी	मिस. आस्था अहूजा (आरए-I) (13.7.2004 को इस्तीफा) श्री पी.सी. परीदा,आरए-II (28.1.2004 को इस्तीफा) श्री सुरजीत दास, आरए-III, श्री ब्रह्मा रेड्डी, आरए-III (17.6.2004 को इस्तीफा), मिस. अन्ना जे. मथाई, आरए-IV, मिस. पुष्पांजलि प्रधान, आरए-IV, मिस. दिबांजलि चक्रवर्ती, आरए (30.9.2004 को पदमुक्त), मिस. पूनम त्रिपाठी,आरए, मिस. पूनम सिंह, आरए, मिस. अंजलि वोहरा, आरए और श्री नलिन भारती, आरए
टेलीफोन ऑपरेटर	मिस.अनुभा सूद
हिन्दी टंकक	श्री सत्यवीर सिंह
अवर श्रेणी लिपिक	श्री संजय कुमार, श्री श्याम लाल, श्री बाला दत्त, श्री वरुण कुमार, मिस. पूनम पांडेय और श्री संजीव पंवार (27.2.2003 तक)
स्टाफ कार ड्राइवर	श्री एन.सी. राना, श्री दिलीप कुमार,श्री नेतराम, श्री राज कुमार, श्री जयमूर्ति, श्री गंगा राम सिंह और श्री योगिन्दर नागपाल (16.6.2004)
स्कूटर ड्राइवर	श्री रंजीत कुमार और श्री अनुसूया प्रसाद (10.2.2004 तक)
दफ्तरी	श्री सुरेन्द्र कुमार
वरिष्ठ चपरासी	श्री हरिकिशन, श्री भागवत सिंह
चपरासी	श्री बबलू कुमार, श्री परमजीत सिंह, श्री रजत, श्री जगन्नाथ, श्री संजीत कुमार, श्री गनेश शंकर, श्री कालीचरण, श्री मुरुगेषन, श्री संजय कुमार, श्री मोहम्मद रज्जाक, श्री सुन्दर सिंहस, श्री एच.सी. पाण्डेय, श्री रामफल प्रजापति, श्री राजेश कुमार, श्री प्रियपाल सिंह, श्री सुनील कुमार, श्री आर. मीना, श्री अनूप कुमार और श्री मुनीश कुमार
परामर्शदाता	मिस. अमृता रंगास्वामी, श्री जी. गणेश, श्री एम.के. साहू, और श्री सुमेर चंद गुप्ता ।

अनुबंध 1.8
(पैरा 1.9)

भारत के वित्त आयोग की स्वर्ण जयन्ती
स्थानः विज्ञान भवन, नई दिल्ली
9-10 अप्रैल, 2003

भाग लेने वालों की सूची

राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1. श्री एन.डी. तिवारी, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल,
2. श्री तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम
3. श्री इबोबी सिंह, मुख्यमंत्री, मणिपुर
4. श्री जोरामथंगा, मुख्यमंत्री, मिजोरम
5. श्री डॉ. डोंकुपार राय, उप-मुख्यमंत्री, मेघालय
6. श्री वजुभाई वाला, वित्तमंत्री, गुजरात
7. डॉ. असीमदास गुप्ता, वित्तमंत्री, पश्चिम बंगाल
8. श्री जयंत पाटिल, वित्तमंत्री, महाराष्ट्र
9. श्री लालजी टंडन, आवास एवं विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश
10. सुश्री चन्द्रेश कुमारी, मंत्री, हिमाचल प्रदेश
11. श्री पद्युम्न सिंह, वित्तमंत्री, राजस्थान
12. श्री रीमा तैपोडिया, वित्त राज्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश
13. डॉ. रामचन्द्र सिंह देव, वित्तमंत्री, छत्तीसगढ़
14. श्री मुजफ्फर हुसैन बेग, वित्तमंत्री, जम्मू-कश्मीर
15. श्री बादल चौधरी, वित्तमंत्री, त्रिपुरा
16. श्री पंचानन कानूनगो, वित्तमंत्री, उड़ीसा
17. श्री जगदानन्द सिंह, जल संसाधन मंत्री, बिहार
18. श्री केवेखापे थैरी, वित्तमंत्री, नागालैंड
19. श्री एस.के. अरोरा, प्रधान सचिव, वित्त, आन्ध्रप्रदेश
20. श्री चन्द्र सिंह, प्रधान सचिव, वित्त, हरियाणा
21. श्री सुधा पिल्लई, प्रधान सचिव, वित्त कर्नाटक

पूर्व वित्त आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के साथ बौद्धिक संवर्धन सत्र

छठा वित्त आयोग

1. श्री जी. रामचन्द्रन, सदस्य सचिव
2. डॉ. बी.एस. मिन्हास, सदस्य

सातवाँ वित्त आयोग

1. डॉ. सी.एच. हनुमन्त राव, सदस्य
2. श्री वी.बी. ईश्वरन, सदस्य सचिव

आठवाँ वित्त आयोग

1. डॉ. सी.एच. हनुमन्त राव, सदस्य
2. श्री जी.सी. बवेजा, सदस्य
3. न्यायाधीश टी.पी.एस. चावला, सदस्य

नौवाँ वित्त आयोग

1. श्री एन.के.पी. साल्वे, अध्यक्ष
2. न्यायाधीश ए.एस. कुरेशी, सदस्य
3. श्री महेश प्रसाद, सदस्य सचिव

दसवाँ वित्त आयोग

1. श्री बी.पी.आर. विठल, सदस्य
2. श्री एम.सी. गुप्ता, सदस्य सचिव
3. श्री अरुण सिन्हा, सदस्य सचिव

ग्यारहवाँ वित्त आयोग

1. श्री एन.सी. जैन, सदस्य
2. श्री जे.सी. जेटली, सदस्य
3. डॉ. अमरेश बागची, सदस्य
4. श्री टी.एन. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव

अनुबंध 1.9
(पैरा 1.10)

कार्यविधि के नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (4) तथा वित्त् आयोग (विविध उपबंध) अधिनियम 1951(1951 के XXXIII) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारहवाँ वित्त आयोग अपनी कार्यविधि तय करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करता है:-

1. आयोग की औपचारिक बैठकें जब कभी आवश्यक होगा, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों तथा व्यक्तियों से मिलने के लिए आयोजित की जाएंगी । ऐसी बैठकों का समय और स्थान सचिव द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की सुविधा के अनुरूप निश्चित किया जाएगा ।

2. आयोग की आंतरिक बैठकें अनौपचारिक होंगी ।

3. आयोग की सभी बैठकें निजी सत्र में होंगी ।

4. बैठकें साधारणतया इस प्रकार आयोजित की जाएंगी कि सभी सदस्य उपस्थित हों । यदि, अपरिहार्य कारणों से कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो सकता है तो बैठकें कम से कम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों के उपस्थित होने पर आयोजित की जा सकती हैं। यदि, किसी कारण से अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वे किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए नामित कर सकते हैं ।

5. आयोग की बैठकों में ऐसे अधिकारी उपस्थित होंगे जिन्हें अध्यक्ष के परामर्श से सचिव द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए ।

6. औपचारिक बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त सचिव द्वारा कार्यवृत्त पुस्तिका के रूप में रखे जाएंगे और सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे । कार्यवृत्त को आयोग की अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. आयोग की औपचारिक बैठकों की कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड साधारणतया नहीं रखा जाएगा । जब शब्दश: रिकार्ड नहीं रखा जाएगा बैठक की कार्यवाहियों का सारांश सचिव द्वारा या सचिव के निर्देशन के अंतर्गत शीघ्र अति शीघ्र तैयार किया जाएगा और आयोग के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा । जब शब्दश: रिकार्ड रखा जाए तब उसे अंतिम रूप में रिकार्ड करने से पहले प्रत्येक साक्षी को उससे संबंधित भाग भेजा जाएगा ।

8. स्टाफ के किसी भी सदस्य द्वारा अध्यक्ष या सचिव के निदेशन के बिना बैठकों से संबंधित या आयोग के कार्य के बारे में सूचना प्रैस को नहीं दी जाएगी ।

9. आयोग के सचिव अध्यक्ष के सामान्य निदेशन के अन्तर्गत आयोग के कार्यालय का सम्पूर्ण कार्यभार संभालेंगे और इसके उचित रूप से कार्य के लिए आयोग के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

10. औपचारिक रिपोर्ट के अतिरिक्त आयोग के सारे पत्र-व्यवहार पर उचित रूप से अध्यक्ष या सचिव द्वारा (या सचिव द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी जिनका स्तर उप सचिव से कम न हो) हस्ताक्षरित होना चाहिए, किन्तु आयोग के दृष्टिकोण को दर्शाने के अभिप्राय वाला पत्र-व्यवहार बिना इसके मंजूरी के जारी नहीं किया जाएगा ।

11. सचिव आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की सेवाओं से संबंधित नियम तथा शर्तों से संबंधित सारे पत्र-व्यवहार या प्रस्ताव या ऐसे मामले जो उनसे संबंधित हैं आयोग को प्रस्तुत करेंगे । ऐसे मामलों में केवल आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों, जो भी उपयुक्त हो, के परामर्श से कारवाई की जाएगी ।

12. सचिव आयोग के महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित कार्य के बारे में समय-समय पर आयोग को सूचित करेंगे ।

13. आयोग के राजपत्रित पदों पर जहाँ कहीं मंत्रिमंडल की अनुमति की आवश्यकता हो उसके अतिरिक्त अन्य सरकारी या सरकारी विभागों से स्थानांतरण सहित सभी नियुक्तियाँ सचिव द्वारा की जाएंगी । वे नियुक्तियाँ जिनके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन की आवश्यकता है अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्तियाँ अध्यक्ष के मनुमोदन से की जाएंगी ।

14. नियम 13 में उल्लेख किए गए स्टाफ के अतिरिक्त, सरकारी या सरकारी विभागों से स्थानांतरण पर आने वाले स्टॉफ सहित अन्य स्टॉफ की नियुक्ति सचिव द्वारा या सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिनका स्तर उपसचिव से कम न हो द्वारा की जाएगी ।

15. नियम 13 तथा 14 में दिए गए उपबंध इस शर्त के अधीन होंगे कि आयोग के सदस्यों के लिए वैयक्तिक स्टॉफ की नियुक्ति से संबंधित सदस्य से परामर्श किया जाएगा ।

16. सचिव द्वारा राजपत्रित अधिकारी का नियमित या आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । अराजपत्रित स्टॉफ के बारे में अवकाश सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिनका स्तर उपसचिव से कम न हो द्वारा स्वीकृत किया जाएगा । आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वैयक्तिक स्टॉफ का अवकाश स्वीकृत करने से पहले विधिवत परामर्श किया जाए ।

17. आयोग का बजट और संशोधित अनुमान सचिव द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजने से पहले आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

18. आयोग को प्राप्त हाने वाले सभी पत्राचार जो ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनपर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है । आयोग को प्रस्तुत की गई सारी सामग्री और आयोग की बैठकों में होने वाली सम्पूर्ण चर्चा गोपनीय मानी जाएगी ।

अनुबंध 1.10
(पैरा 1.11)

अर्थशास्त्रियों एवं आर्थिक प्रशासकों के साथ बैठक में भाग लेने वालों की सूची

दिल्ली (18.02.2003)

1. डॉ. शंकर एन. आचार्य
2. डॉ. जे.एल. बजाज
3. प्रो. बी.बी. भट्टाचार्य
4. प्रो. एस. गंगोपाध्याय
5. डॉ. जनक राज गुप्ता
6. डॉ. ओम प्रकाश माथुर
7. प्रो. पी.एन. मेहरोत्रा
8. डॉ. सी.एस. मिश्र
9. डॉ. सुदीप्तो मुंडले
10. प्रो. पुलिन नायक
11. डॉ. महेश पुरोहित
12. प्रो. इन्दिरा राजारमन
13. डॉ. नारायण सिन्हा
14. डॉ. अतुल शर्मा
15. डॉ. ए.के. सिंह
16. डॉ. तापस सेन
17. डॉ. चरण वधवा

चेन्नई (10.3.2003)

1. डॉ. पॉल अप्पास्वामी
2. श्री पी.के.विस्वास
3. प्रो. राजा जे. चेलैया
4. श्री. के.के. जार्ज
5. श्री के. कृष्णामूर्ति
6. प्रो. एम.ए. ऊमेन
7. प्रो. हेमलता राव
8. श्री टी.एल.शंकर
9. प्रो. यू. शंकर
10. प्रो. जे.वी.एम.शर्मा
11. श्री नारायण वल्लूरी
12. श्री एस. वेंकटरमन

मुम्बई (17.4.2003)

1. प्रो. वी. चित्रे
2. डॉ. सी.एस. देशपाण्डे
3. डॉ. पी.वी. श्री निवासन
4. डॉ. अशीमा गोयल
5. प्रो. ए. कार्निक
6. डॉ. आर.एच. ढोलकिया
7. डॉ. टी.टी. राम मोहन
8. डॉ. वी.ए. पई पनाण्डीकर
9. डॉ. आर. कन्नन
10. श्री एस.एस. तारापोर

कोलकाता (8.5.2003)

1. श्री डी बन्दोपाध्याय
2. प्रो. श्रीनाथ बरुआ
3. श्री अमिताभ बोस
4. प्रो. दीपांकर कूण्डू
5. श्री एच.एन. दास
6. प्रो. दीपांकर दासगुप्ता
7. प्रो. मधुसूदन दत्त
8. प्रो. प्रदीप मैती
9. प्रो. सुगाता मारजीत
10. प्रो. ए.पी. मोहन्ती
11. श्री एस.पी. पाधी
12. प्रो. मिहिर के. रक्षित
13. प्रो. सुजीत एस. सिकदर
14. डॉ. अमिताभ सिन्हा
15. डॉ. राजकुमार सेन
16. डॉ. के.एन.तिवारी

अनुबंध 1.11
(पैरा 1.12)

सार्वजनिक सूचना

1 बारहवां वित्त आयोग आम जनता, संस्थाओं और संगठनों से इसके विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर सुझाव आमन्त्रित करता है।

2. बारहवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में 1 नवम्बर, 2002 की एक अधिसूचना के तहत किया गया। आयोग 1 अप्रैल, 2005 से आरम्भ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के संबंध में निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें देगा :-

(i) केन्द्र और राज्यों के बीच संविधान के अध्याय I भाग XII के अधीन उनके बीच वितरित किए जाने वाले अथवा वितरित किए जा सकने वाले करों की निवल प्राप्तियो का वितरण और इन प्राप्तियों के सम्बन्धित हिस्सों का राज्यों के बीच आवंटन;

(ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान तथा संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन, उन प्रयोजनों के अतिरिक्त जिन्हें उस अनुच्छेद के खण्ड (1) के परन्तुकों में विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्यों जिन्हें उनके राजस्व के सहायता-अनुदान के रूप में सहायता की आवश्यकता है, को प्रदान की जाने वाली राशि को शासित करने वाले सिद्धान्त; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उस राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संशाधनों के सम्पूर्ण के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

3. आयोग केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों की पुनरीक्षा करेगा और ऐसी योजना का सुझाव देगा, जिसके द्वारा सरकारें सामूहिक रूप से और अलग-अलग बजटीय संतुलन को बहाल करते हुए, वृहत आर्थिक स्थिरता लाते हुए तथा सम्यक विकास के साथ ऋण में कमी लाते हुए लोक वित्तों का पुनर्गठन कर सकें।

4. अपनी सिफारिशें करने में, आयोग अन्य विचारों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार करेगा :-

(i) 1 अप्रैल, 2005 को आरम्भ होकर पांच वर्ष के लिए केन्द्र सरकार के संसाधन जिनके कराधान के स्तरों और कर-भिन्न राजस्वों के आधार पर 2003-04 के अंत तक पहुंचने की सम्भावना है;

(ii) केन्द्र सरकार के संसाधनों पर मांग, विशेष रूप से नागरिक प्रशासन, रक्षा, आन्तरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण-सोधन तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय और देनदारियां;

(iii) 1 अप्रैल, 2005 से आरम्भ होकर पांच वर्ष के लिए राज्य सरकारों के संसाधन, जिनके कराधान के स्तरों और कर-भिन्न राजस्वों के आधार पर 2003-04 के अंत तक पहुंचने की सम्भावना है;

(iv) न केवल सभी राज्यों और केन्द्र के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को संतुलित करने अपितु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष सृजित करने और राजकोषीय घाटे को कम करने का उद्देश्य;

(v) लक्ष्यों की तुलना में केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयास, यदि कोई हों और कर-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात तथा कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात, जैसा भी मामला हो, में सुधार लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण की सम्भाव्यता;

(vi) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण और देख-रेख के वेतन-भिन्न घटक पर व्यय तथा 31 मार्च 2005 तक समाप्त की जाने वाली आयोजना स्कीमों के संबंध में अनुरक्षण व्यय से संबंधित मजदूरी-भिन्न व्यय तथा वे मानदण्ड जिनके आधार पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए विशेष राशि की सिफारिश की गई है तथा ऐसा व्यय की निगरानी रखने के ढंग;

(vii) प्रयोक्ता प्रभारों तथा निजीकरण या विनिवेश के माध्यम से गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों के परित्याग सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि की वाणिज्यिक क्षमता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

5. विभिन्न मामलों पर अपनी सिफारिशें करने में, आयोग, ऐसे सभी मामलों में जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदान के अन्तरण के निर्धारण के लिए जनसंख्या एक कारक है, 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार लेगा।

6. आयोग ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई राजकोषीय सुधार सुविधा की पुनरीक्षा करेगा और इसके उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए उपाय सुझाएगा।

7. आयोग 31 मार्च, 2004 की स्थिति के आधार पर राज्यों की ऋण स्थिति का आकलन करेगा और वृहत आर्थिक स्थिरता और ऋण वहनीयता के अनुरूप ऐसे उपाय सुझाएगा, जिन्हें आवश्यक समझा जाए। सिफारिश किए गए इन उपायों से राज्यों को मानव विकास और निवेश माहौल के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन में बल मिलेगा।

8. आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबन्धन के वित्तपोषण के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा कर सकता है और उन पर उपयुक्त सिफारिशें कर सकता है।

9. अपने सुझाव सचिव, बारहवां वित्त आयोग, तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003 को 31 दिसम्बर 2002 से पूर्व भेज दें।

अनुबन्ध 1.12
(पैरा 1.12)

प्रेस नोटिस का उत्तर देने वाले व्यक्ति

1. श्री एस.डी थोम्बर,
ए1/12, रायल ओर्चार्ड,
ट्विन टावर के पीछे,
वायरलेस कालोनी,
डी.पी. रोड, औंध, पुणे ।

2. श्री यू. अन्नादुराई,
2/105, यादव स्ट्रीट,
मिलायकवाड़ी(पोस्ट आफिस)
पारामाकवाड़ी, रामनाथपुरम,
तमिलनाडु-623707 ।

3. श्री के.सी. मोहंती,
ई-166, जीजीपी कोलोनी,
भुवनेश्वर-751010
उड़ीसा ।

4. श्री बित्रा श्रीनिवासराव,
पी.नं.20-7-25(1),
मुंतावरी सेंटर,
चिराला, आन्ध्र प्रदेश-523155 ।

5. श्री सतीश एल. मौर्य,
गुरु कुरूपा अपार्टमेंट्स,
5/3 द्वितीय तल, बेचर रोड,
नजदीक जीईबी कार्यालय,
वालसाड, गुजरात-396001 ।

6. श्री एन. नागेश्वर राव,
मकान नं. 1-9-129/14, रामनगर,
हैदराबाद-500020,
आन्ध्र प्रदेश ।

7. श्री पी. जयप्रकाश शंकर,
एफ-4, लीन, डिपाट. नं. 869,
प्लांट मकैनिकल, आईटीआई,
दूरवाणीनगर, बंगलौर -560016 ।

8. श्री गौरी शंकर,
एक्सवाईजेड एंड कंपनी,
17/1302, केएमए बिल्डिंग
पुथियारा, कालीकट-4 ।

9. श्री सी.ए. अवाल्कर,
160-ए, आंगनवाणी,
वीपी रोड, गिरगाँव,
मुम्बई-400004 ।

10. श्री आनन्द प्रकाश सिंघल, एमए, बीएससी (कृषि),
एलएलबी एडवोकेट, सी-2 सर्वोदय कालोनी,
जेल चुंगी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।

11. डॉ. वी.के. मुत्थू, एमबीबीएस,
डीपीएच, एमएससी,
जनस्वास्थ्य और पोषाहार विशेषज्ञ,
गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान,
गाँधीग्राम, तमिलनाडु-624302 ।

12. श्री के.पी. सुब्रामण्य,
बंगलोर एमेच्योर रेडियो क्लब,
पोस्ट बाक्स 5053, जीपीओ,
बंगलोर-560001 ।

13. श्री सुभाष टी. कौशीक्कर,
602-ए, अभयंकर रोड,
छोटी धानतोल,
नागपुर-440012,
महाराष्ट्र ।

14. श्री जयेश वी. पोंडा,एमएससी, एमबीए,
103, गीता भवन,
विजय ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पीछे,
नारोल, अहमदाबाद-382405 ।

15. डॉ. आर. मेहरोत्रा,
अर्थशास्त्र के सेवामुक्त प्रोफेसर, सागर विश्वविद्यालय,
4/556, मधुकर शाह वार्ड,
"निर्मल निवास " मनोरमा कोलोनी
सागर, मध्य प्रदेश-470001 ।

16. मिस. शालिनी बाला,
एडवोकेट,
(कार्या.) 32, लायर्स चैम्बर,
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।

17. श्री अनिल बंसल, सचिव,
पुनर्वास एवं गृह कार्यों का संघ(एएसएचए),
180 एशियन खेल गाँव,
नई दिल्ली-11049

18. श्री सुनील गुप्ता,
निवेश और वित्त सलाहकार,
आईटीओ के पीछे, माल,
सोलन-173212, मध्य प्रदेश ।

19. श्री वी. आची राजू, एमएससी, सेवानिवृत्त,
प्रधानाचार्य,
विशाखापट्टनम-530011, आन्ध्रप्रदेश ।

20. श्री चंदमल परमार,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध ट्रस्टी,
कुम. राजश्री परमार,
ममता गुप,289, टिम्बर मार्किट,
महात्मा फूले पेठ, पुणे-411042 ।

21. श्री एम.वी. नारायण,
भूवैज्ञानिक(पूर्व)
डी.नं.80-16-23/3, श्रीनिवास नगर,
एयूए रोड, राजामुन्द्री-533103,
आन्ध्रप्रदेश ।

22. श्री दीपक नारायण,
अध्यक्ष, भारतीय बिल्डिंग कांग्रेस,
सेक्टर-6,आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110022 ।

23. श्री ए.के. कागलकर,
अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के पूर्व निदेशक, महाराष्ट्र
सरकार, "श्री " अपार्टमेंट, वास्तुकल्प सोसाइटी,
एस.न.676/14, विबावेवाणी,
पुणे-411037 ।

24. श्री आनन्द प्रकाश सिंघल, एडवोकेट,
सी-2, सर्वोदय कोलोनी,
आईटीआई के पीछे, मेरठ,
उत्तर प्रदेश ।

25. श्री आर.डी. चौधरी, अध्यक्ष,
भारतीय मुस्लिम संघ,
मार्फत राष्ट्रीय एतिहासिक प्राकृतिक संग्रहालय,
फिक्की म्यूजियम बिल्डिंग,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 ।

26. डॉ. वी.ए. पई पांडीकर,
अध्यक्ष,
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी,
गोवा ।

27. डॉ. पी.एल. गौतम, उप-कुलपति,
गोबिन्द बल्लभपन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल ।

28. डॉ. अरुण नागवेकर, अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002 ।

29. श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू,
मुख्यमंत्री,
आन्ध्रप्रदेश ।

30. श्री मोहम्मद फजल,
महाराष्ट्र के राज्यपाल,
मुम्बई ।

31. लेफ्टीनेंट जनरल (सेवा निवृत्त)
एस.के. सिन्हा, पीवीएसएम, राज्यपाल,
जम्मू-कश्मीर ।

32. कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री,
पंजाब ।

33. श्री के.पी. जोसफ,
69, काकनाड लेन,
त्रिवेन्द्रम-659004 ।

अनुबंध 1.13
(पैरा 1.13)

बारहवां वित्त आयोग
जवाहर व्यापार भवन,
1, टालस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
फोन : 23701110

डा. सी. रंगाराजन
चेयरमैन

डी.ओ.एफ.नं.टीएफसी-11013/2/2003-प्रशा.

जनवरी 10/15, 2003

जैसा कि आपको विदित है, बारहवें वित्त आयोग का गठन 1 नवम्बर, 2002 के राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा किया गया था। इस संबंध में आयोग के विचारार्थ विषयों कि अधिसूचना की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

2. आप देख सकते हैं कि संवैधानिक अधिदेश के अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग को केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों की पुनरीक्षा करना और ऐसी योजना सुझाना अपेक्षित है जिसके द्वारा राज्य सरकारें सामूहिक रूप से और अलग-अलग, बजटीय संतुलन को बहाल करते हुए, वृहत आर्थिक स्थिरता लाते हुए लोक वित्त का पुनर्गठन कर सकें। इसमें सम्यक विकास के साथ ऋण में कमी लाने का उद्देश्य जोड़ा गया है, विचारार्थ विषयों में कतिपय दक्षता कारकों पर बल दिया गया है जैसे कि प्रयोक्ता प्रभारों का समायोजन, निजीकरण या विनिवेश के माध्यम से गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों का परित्याग तथा कर-सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सुधार लाने के उद्देश्य से संसाधनों का जुटाव। इसके अतिरिक्त राज्यों की ऋण स्थिति से सम्बन्धित विचारार्थ विषयों में यह विनिर्दिष्ट है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय मानव विकास और निवेश माहौल के क्षेत्र में राज्यों के कार्य निष्पादन को बल देंगे। आयोग द्वारा राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा की पुनरीक्षा भी की जाएगी।

3. आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट को 31 जुलाई, 2004 तक दिया जाना अपेक्षित है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित सुपुर्दगी की वर्तमान योजना 31 मार्च, 2005 को समाप्त हो जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को पूरा करने के उद्देश्य से हमें राज्य सरकारों के विभिन्न मामलों पर त्वरित रूप से अपने विचार एवं सूचना उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। इस आयोग के सचिव ने आपके मुख्य सचिव को पहले ही एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे राज्य में वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन करें और आयोग के लिए आंकड़ा संग्रहण के लिए अनुदेश जारी करें। ब्यौरे-वार प्रोफार्मा, जिसमें आयोग को सूचना की अपेक्षा होगी, सचिव द्वारा शीघ्र ही भेजा जाएगा।

4. मुझे आशा है कि आपकी सरकार के लिए आयोग से संबंधित कार्य को उच्च प्राथमिकता देना संभव होगा, क्योंकि 1 अप्रैल, 2005 से आरंभ पंचवर्षीय अवधि के लिए केन्द्र तथा राज्यों के वित्त साधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा तथा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकारियों को आयोग द्वारा अपेक्षित पूर्ण सामग्री प्रोफार्मा के परिचालित किए जाने के बाद पूर्णतः तथा त्वरित रूप से उपलब्ध कराने का अनुदेश दें। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आपके अधिकारियों को आयोग के सचिव से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।

5. आयोग के विचारार्थ विषयों में निर्दिष्ट विभिन्न मुद्दों पर आपकी सरकार के विचार तथा अनुक्रियाएं प्राप्त करने पर आयोग आपका आभारी होगा। इसके अतिरिक्त, आप यह भी निर्दिष्ट करना चाहेंगे कि आपके विचार में आयोग का सामान्य दृष्टिकोण क्या होना चाहिए।

6. मैं इस संयुक्त प्रयास की प्राप्ति में एक अर्थपूर्ण अंतः क्रिया की आशा करता हूं।

सादर,

आपका,

हस्ताक्षर/-
(सी. रंगाराजन)

प्रतिः सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (संलग्न सूची के अनुसार)

अनुबंध 1.14
(पैरा 1.13)

अ.शा.सं. टीडब्ल्यूएफसी/टीआरओ/1/2002

26 नवम्बर, 2002

प्रिय,

जैसा कि आपको विदित है, बारहवें वित्त आयोग का गठन 1 नवम्बर, 2002 के राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना की एक प्राप्ति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

2. संविधान के संगत उपबंधों के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करना अपेक्षित है :-

(i) केन्द्र और राज्यों के बीच संविधान के अध्याय I भाग XII के अधीन उनके बीच वितरित किए जाने वाले अथवा वितरित किए जा सकने वाले करों की निवल प्राप्तियों का वितरण और इन प्राप्तियों के सम्बन्धित हिस्सों का राज्यों के बीच आबंटन;

(ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान तथा संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन, उन प्रयोजनों के अतिरिक्त जिन्हें उस अनुच्छेद के खण्ड (1) के परन्तुकों में विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्यों जिन्हें उनके राजस्व के सहायता-अनुदान के रूप में सहायता की आवश्यकता है, को प्रदान की जाने वाली राशि को शासित करने वाले सिद्धान्त; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उस राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

3. विगत की भांति, राज्य सरकारों से उन सिद्धान्तों के संबंध में अपने विचार देने का अनुरोध किया जाएगा जो संघ तथा राज्यों के बीच करो की साझेदारी के साथ साथ राज्यों के बीच कर राजस्वों की साझेदारी करेंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग उन सिद्धान्तों के पूंजीकरण के संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करना चाहेगा जो संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत सहायता के जरूरतमंद राज्यों को देने वाले सहायतानुदान को शासित करेंगे। तीसरे, पंचायतों और म्युनिसीपैलिटियों संबंधी सूचना भी आयोग को उपलब्ध कराई जानी होगी।

4. बारहवां वित्त आयोग केन्द्र तथा राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की समीक्षा करने तथा ऐसी योजना का सुझाव देने के लिए अधिदेशित है जिसके द्वारा सरकारें, सामूहिक तथा पृथक रूप से लोक वित्त साधनों की पुनर्सरंचना, बजटीय संतुलन की बहाली करते वृहद् आर्थिक स्थायित्व प्राप्त कर सकती है। इसके साथ, साम्यपूर्ण वृद्धि के साथ ऋण अपचयन प्राप्त करने का अधिदेश जोड़ा गया है। राज्य सरकारों द्वारा इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य लोक वित्तों की पुनर्सरंचना के लिए किए जाने वाले उपायों पर अपने विचार दिया जाना अपेक्षित है। वित्त साधनों की पुनर्सरंचना, बजटीय संतुलन की बहाली तथा ऋण अपचयन के लिए एक समय ढांचा भी निर्दिष्ट किया जाना होगा।

5. मैं इस बात पर विशिष्ट प्रकाश डालना चाहूँगा कि बारहवें वित्त आयोग के पास अन्य विचारणाओं के साथ न केवल सभी राज्यों तथा केन्द्र के राजस्व खाते की प्राप्तियों और व्ययों को संतुलित करने का उद्देश्य है बल्कि पूंजी निवेश के लिए अतिशेष सृजित करने तथा राजकोषीय घाटे को कम करने का उद्देश्य भी है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कुशलतः कारकों यथा प्रयोक्ता प्रभारों का संमजन, निजीकरण या विनिवेश के जरिए प्राथमिकता भिन्न उद्यमों को छोड़ देना तथा कर-स.घ.उ./स.रा.घ.उ. अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से संसाधन संग्रहण पर महत्व दिया गया है। राज्यों की ऋण स्थिति से जुड़े विचारार्थ विषय विनिर्दिष्ट करते हैं कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय मानव विकास तथा निवेश माहौल के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को महत्व देंगे। राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा की समीक्षा भी आयोग द्वारा की जाएगी।

6. जैसा कि आम प्रचलन रहा है, राज्य सरकारों से राज्य सरकारों के संसाधनों और स्थापना संबंधी दायित्वों सहित उनके वचनबद्ध दायित्वों पर आंकड़े उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा। तथापि, जहां तक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और आयोजना परियोजनाओं पर व्यय का संबंध है, वेतन-भिन्न/मजदूरी भिन्न से संबंधित व्यय का स्पष्ट पृथक्करण किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, आयोग के उपयोग के लिए 2005-10 की अवधि के लिए राजस्व प्राप्तियों और आयोजना और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के पुर्वानुमानों को तैयार करना होगा।

7. यह स्मरणीय है कि बारहवें वित्त आयोग के ओएसडी ने 3 जून, 2002 के अ.शा. पत्त के माध्यम से सभी प्रमुख सचिवों को संबंधित करके प्रारंभिक सामग्री मंगवाई थी, यथा बजट दस्तावेज, आयोगों/समितियों की रिपोर्ट आदि, जिनका संसाधनों के अंतरणों पर प्रभाव पड़ता है, ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन संबंधी डाटा इत्यादि। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों की प्रतियां भी पृथक रूप से मंगवाई गईं थी, इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बारहवें वित्त आयोग के साथ अंतःक्रिया के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करें।

8. जबकि ब्यौरेवार प्रोफार्मा, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाने होंगे, तैयार किया जा रहा है, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस दौरान वित्त आयोग प्रकोष्ठ गठित करने, यदि पहले न किए गए हों तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में विशिष्ट प्रकाश डाले गए बारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा परिचालित प्रोफार्मा के आधार पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए अनुदेश जारी करें। मैं यह अनुरोध भी करुंगा कि आयोग के साथ अंतः क्रिया के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है।

सादर

आपका

हस्ता/-
(जी.सी. श्रीवास्तव)

प्रति :

राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

अनुबंध 1.15
(पैरा 1.14)

अ.शा.सं. टीएफसी-11013/2

20 फरवरी, 2003

प्रिय,

जैसा कि आपको विदित है, बारहवें वित्त आयोग का गठन 1 नवम्बर, 2002 के राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना की एक प्राप्ति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

2. संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करना अपेक्षित है :-

(i) केन्द्र और राज्यों के बीच संविधान के अध्याय I भाग XII के अधीन उनके बीच वितरित किए जाने वाले अथवा वितरित किए जा सकने वाले करों की निवल प्राप्तियो का वितरण और इन प्राप्तियों के सम्बन्धित हिस्सों का राज्यों के बीच आबंटन;

(ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान तथा संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन, उन प्रयोजनों के अतिरिक्त जिन्हें उस अनुच्छेद के खण्ड (1) के परन्तुकों में विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्यों जिन्हें उनके राजस्व के सहायता-अनुदान के रूप में सहायता की आवश्यकता है, को प्रदान की जाने वाली राशि को शासित करने वाले सिद्धान्त; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उस राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संशाधनों के सम्पूर्ण के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

3. आप देख सकते हैं कि संवैधानिक अधिदेश के अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग को केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों की पुनरीक्षा करना और ऐसी योजना सुझाना अपेक्षित है जिसके द्वारा सरकारें सामूहिक रूप से और अलग-अलग, बजटीय संतुलन को बहाल करते हुए, वृहत आर्थिक स्थिरता लाते हुए लोक वित्त का पुनर्गठन कर सकें। इसमें सम्यक विकास के साथ ऋण में कमी लाने का उद्देश्य जोड़ा गया है, विचारार्थ विषयों में कतिपय दक्षता कारकों पर बल दिया गया है जैसे कि प्रयोक्ता प्रभारों का समायोजन, निजीकरण या विनिवेश के माध्यम से गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों का परित्याग तथा कर-सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सुधार लाने के उद्देश्य से संसाधनों का जुटाव। इसके अतिरिक्त राज्यों की ऋण स्थिति से सम्बन्धित विचारार्थ विषयों में यह विनिर्दिष्ट है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय मानव विकास और निवेश माहौल के क्षेत्र में राज्यों के कार्य निष्पादन को बल देंगे। आयोग द्वारा राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा की पुनरीक्षा भी की जाएगी।

4. जैसा की आप लोक प्रशासन से सामान्य रूप से एवं लोक वित्त प्रबंध से जुड़े विशिष्ट व्यक्ति होने के नाते निसंदेह इन मुद्दों को विभिन्न पहलुओं से देखेंगे। आयोग आपके इस क्षेत्र में गहन अनुभव का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए मैं आभारी हुंगा कि आप कुछ समय इस पर ध्यान देंगे और आयोग के विचारार्थ विषयों के साथ-साथ आपसे जुड़ी गतिविधियों के मुद्दों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

सादर

आपका

हस्ता/-
(सी. रंगराजन)

सेवा में,

केन्द्र सरकार के काबिना मंत्रीगण

अनुबंध 1.16
(पैरा 1.14)

अ.शा.सं. टीएफसी-11013/2

03 फरवरी, 2003

प्रिय,

जैसा कि आपको विदित है, बारहवें वित्त आयोग का गठन 1 नवम्बर, 2002 के राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना की एक प्राप्ति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करना अपेक्षित है :-

(i) केन्द्र और राज्यों के बीच संविधान के अध्याय I भाग XII के अधीन उनके बीच वितरित किए जाने वाले अथवा वितरित किए जा सकने वाले करों की निवल प्राप्तियो का वितरण और इन प्राप्तियों के सम्बन्धित हिस्सों का राज्यों के बीच आबंटन;

(ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान तथा संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन, उन प्रयोजनों के अतिरिक्त जिन्हें उस अनुच्छेद के खण्ड (1) के परन्तुकों में विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्यों जिन्हें उनके राजस्व के सहायता-अनुदान के रूप में सहायता की आवश्यकता है, को प्रदान की जाने वाली राशि को शासित करने वाले सिद्धान्त; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उस राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संशाधनों के सम्पूर्ण के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

आप देख सकते हैं कि संवैधानिक अधिदेश के अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग को केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों की पुनरीक्षा करना और ऐसी योजना सुझाना अपेक्षित है जिसके द्वारा सरकारें सामूहिक रूप से और अलग-अलग, बजटीय संतुलन को बहाल करते हुए, वृहत आर्थिक स्थिरता लाते हुए लोक वित्त का पुनर्गठन कर सकें। इसमें सम्यक विकास के साथ ऋण में कमी लाने का उद्देश्य जोड़ा गया है, विचारार्थ विषयों में कतिपय दक्षता कारकों पर बल दिया गया है जैसे कि प्रयोक्ता प्रभारों का समायोजन, निजीकरण या विनिवेश के माध्यम से गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों का परित्याग तथा कर-सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सुधार लाने के उद्देश्य से संसाधनों का जुटाव। इसके अतिरिक्त राज्यों की ऋण स्थिति से सम्बन्धित विचारार्थ विषयों में यह विनिर्दिष्ट है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय मानव विकास और निवेश माहौल के क्षेत्र में राज्यों के कार्य निष्पादन को बल देंगे। आयोग द्वारा राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा की पुनरीक्षा भी की जाएगी।

आयोग अधिसूचना में शामिल विचारार्थ विषयों और विचार के मुद्दों पर आपके मंत्रालय/विभाग के विचार जानना चाहेगा। आयोग को 31 जुलाई 2004 तक अपनी रिपोर्ट देनी अपेक्षित है और इसे बहुत सीमित समय में अपना कार्य पूरा करना है, अतः आपसे अनुरोध है कि आपके मंत्रालय/विभाग के विचार 15 अप्रैल 2003 तक भेज दिए जाएं। कृपया यह भी सूचित करें कि क्या आप/आपका मंत्रालय आयोग के समक्ष कोई मौखिक प्रतिवेदन देना चाहेंगे।

सादर

आपका

हस्ता/-
(डा. जी.सी. श्रीवास्तव)

सेवा में,

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों के सचिव

संलग्न : यथोक्त

अनुबंध 1.17
(पैरा 1.14)

केन्द्रीय सरकार के विभाग/मंत्रालय जिन्होंने TOR पर अपने विचार/सुझाव दिए

मंत्रिमण्डल सचिवालय
योजना आयोग
कृषि मंत्रालय
शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग
कृषि एवं ग्रामीण उद्यम मंत्रालय
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग
उर्वरक विभाग
नागर विमानन मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
डाक विभाग
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले विभाग
संस्कृति मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पाद एवं वितरण विभाग
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास विभाग
विनिवेश मंत्रालय
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय
कंपनी कार्य विभाग (डीसीए)
आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
परिवार कल्याण विभाग
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

गृह मंत्रालय
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)
फोरेसिंक विज्ञान निदेशालय
अन्वेषण ब्यूरो
अंतर्राज्यीय काउंसिल
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
श्रम मंत्रालय
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
न्याय विभाग
खान मंत्रालय
अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय
कार्मिक, जन कल्याण एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऊर्जा मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
जहाजरानी मंत्रालय
अंतरिक्ष मंत्रालय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय
जनजाति कार्य मंत्रालय
जल स्त्रोत मंत्रालय
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

अनुबंध 1.18
(पैरा 1.16)

राज्यों के दौरों के दौरान आयोग की बैठक में भाग लेने वाले

1. आंध्र प्रदेश (21-22 अगस्त, 2..3)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	एन. चन्द्रबाबू नायडू	मुख्यमंत्री
2.	वाई. रामकृष्ण नायडू	वित्त मंत्री
3.	सी. मुत्यम रेड्डी	लोक वितरण मंत्री
4.	एस. शिवराम राजू	इंडोमेंट मंत्रालय
5.	के. श्रीनिवास गौड	ईसी तथा बी मंत्रालय
6.	एन. किसटाप्पा	एएच तथा डीडी मंत्रालय
7.	के. विद्याधर राव	मेजर इंडस्ट्रीज मंत्रालय
8.	वी.सोभनाड्रेसवारा राव	कृषि मंत्रालय
9.	के. विजया रामा राव	व्यावसायिक कर मंत्रालय
10.	एस. चन्द्र मोहन रेड्डी	आई तथा पीआर मंत्रालय
11.	डा. एन. जनार्दन रेड्डी	पीआर तथा आरडी मंत्रालय
12.	टी. देवेन्द्र गौड़	गृह मंत्रालय
13.	बाबू मोहन	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
14.	जे. रामबाबू	विशेष मुख्य सचिव, सड़क परिवहन, आर तथा बी
15.	एन. रामचन्द्र राव	मुख्य अभियंता, एपी पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
16.	आर. सी. कुमार	सचिव तथा महाप्रबंधक(वित्त), एपी पुलिस हाउसिंग
17.	डी.के. पवार	प्रमुख सचिव, पीई विभाग
18.	एम.ए. बासिथ	डीजी, प्रिसन्स
19.	जानकी आर. कन्डापि	प्रमुख सचिव, टीआर तथा बी
20.	तिसमा चटर्जी	प्रमुख सचिव, ईएफएसटी
21.	एस. के. दास	प्रमुख मुख्य कंसरवेटिव ऑफ फारेस्ट, एपी
22.	मनमोहन सिंह	कमिश्नर स्कूल एजुकेशन, एसपीडी विभाग, निदेशक, वयस्क शिक्षा ।
23.	ए. गिरधर	परिवहन कमिश्नर
24.	एम. वीरभद्र	आईजी, रजिस्ट्रेशन तथा स्टाम्प
25.	अश्वनी कुमार परीदा	योजना सचिव
26.	एन. रमेश कुमार	कमिश्नर व्यावसायिक कर
27.	डी. सी. रोशाय	सचिव, राजस्व
28.	आशुतोष मिश्रा	राहत आयुक्त
29.	डा. जे. सी. मोहन्ती	प्रमुख सचिव, आईटी तथा सी
30.	ए. के. तिगदी	प्रमुख सचिव, गृह
31.	डा. के. अंजी रेड्डी	कमिश्नर, एपीवीवीपी तथा डीजीएम तथा एचएस
32.	ई. उमा महेश्वर राव	जुनियर रजिस्ट्रार, एओपी उच्च न्यायालय
33.	के. जी. शंकर	सचिव, एलए तथा जे
34.	पी. रमैया	निदेशक, स्टेट आडिट
35.	पी. जी. रेड्डी	उप निदेशक, आर्कियोलॉजी तथा म्यूजियम विभाग
36.	डा. एम. लक्ष्मी प्रसाद राव	निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेन्टिव मेडिसिन, एपी
37.	डा. सुश्री सुचित्रा मूर्ति	अपर निदेशक,इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेन्टिव मेडिसिन, एपी
38.	के. लक्ष्मणियन	ईएनसी, एपीएचएमएचआईडीसी
39.	आर. शैलजा	उप सचिव, एमएच तथा एफडब्ल्यु विभाग तथा निदेशक, मेडिसिन एजुकेशन
40.	डा. जी. सारीनाथ	अपर डीएमई
41.	पी. नारासाह	उप निदेशक (रिलिफ)
42.	देबव्रत कांथ	कमिश्नर, पीआर तथा आरई
43.	के. सिद्धाथ गौतम	उप सचिव, पीआर
44.	आर. पी. सिंह	वीसी तथा एमडी, एपीएसआरटीसी
45.	सरोजा रामाराव	निदेशक, डीईएस
46.	बी. वी. शिवानागा कुमारी	कमिश्नर आई/सी आर्कियोलॉजी तथा म्युजियम
47.	पी. सी. पारेख	सीसीएलए
48.	भारत चन्द्रा	प्रमुख सचिव, गृह
49.	आर. आर. गिरिश कुमार	अपर डीजीपी (पी तथा सी)
50.	एस. आर. सुकुमारा	डीजी पुलिस
51.	ए. के. गोयल	प्रमुख सचिव, एमए तथा यूडी विभाग
52.	वाई. श्रीलक्ष्मी	निदेशक, एमए तथा यूडी विभाग
53.	के. राजू	सचिव, आई तथा सीडी
54.	रचेल चटर्जी	सीएमडी, एपीटीआरएएनएससीओ
55.	चित्रारामा चन्द्रन	कमिश्नर, एमसीएच
56.	एम. सैमुअल	प्रमुख सचिव, पीआर तथा आरडी विभाग
57.	हुसैन	प्रमुख सचिव, ऊर्जा
58.	जी. सुधीर	प्रमुख सचिव, उच्चतर शिक्षा
59.	वी. नागी रेड्डी	सचिव (पीआर तथा आरडी)
60.	चन्द्रन खान	प्रमुख सचिव, पर्यटन
61.	आई. वाई. आर. कृष्णा राव	प्रमुख सचिव (वित्त)
62.	एम. छाया रतन	प्रमुख सचिव, एमएच तथा एफडब्ल्यु

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	पी. वेंकटनारायण	निगम चेयरपर्सन, नालगोंडा

क्र.सं.	नाम	पदनाम
2.	वी. वी. पिछाया	एम. पी. पी.
3.	के. पिछाया	सदस्य, तीसरा राज्य वित्त आयोग
4.	प्रो. डी. एल. नारायण	चेयरमैन, तीसरा राज्य वित्त आयोग
5.	पी. जयन्ती	निगम चेयरपर्सन, श्रीकाकुलम
6.	चौ. विजय कुमार	अध्यक्ष, चेयरपर्सन का चैम्बर, मिरयालागुड म्युनिसिपलिटी
7.	टी. कृष्णा रेड्डी	मेयर, हैदराबाद
8.	वाई. श्रीलक्ष्मी	निदेशक, एमए तथा यूडी
9.	टी. चटर्जी	प्रमुख सचिव, एमए तथा यूडी (एफएसी)
10.	एम. सैमुअल	प्रमुख सचिव, पीआर तथा आरडी
11.	देबाबराता कांथ	कमिश्नर, पीआर तथा आरई
12.	वी. नागी रेड्डी	सचिव, पीआर तथा आरडी
13.	एम. वेंकट रमैया	सदस्य सचिव, टीएसएफसी
14.	ए. बासवा रेड्डी	चेयनमैन, ज़िला परिषद, वारांगल
15.	एस. सत्यनारायण	चेयनमैन, रामागुन्दम म्युनिसिपलिटी
16.	डा. मुल्लापुणी रेनुका	चेयरपर्सन, तानुकु
17.	जुट्टुकोंडा सत्यनारायण	चेयरपर्सन, सूर्यापेट
18.	एम.वी.एस. गिरिजा कुमारी	सरपंच, वेंकटागिरी
19.	बी. सोमा शेखर रेड्डी	मंडल अध्यक्ष, बेटामचेरला, कुरनूल जिला
20.	राजन रमानी	मेयर, विशाखापट्टनम

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	एस.एस.आर. कोटेश्वर राव	अध्यक्ष, एफएपीसीसीआई
2.	डी. सीतारमैया	उपाध्यक्ष, आंध्र चैम्बर ऑफ कामर्स
3.	बी.वी. रामाराव	अध्यक्ष, एफएपीआई, दि फाउंडेशन ऑफ ए.पी. इंडस्ट्रीज
4.	रमेश डाल्टा	उप चेयरमैन, सीआईआई
5.	के. सुब्बा राव	सचिव, बीडीएमए (आई)
6.	एम. सीताराम स्वामी	अध्यक्ष, एफएफए
7.	पी. चेंगल रेड्डी	चेयरमैन, फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश
8.	एस.एस. राजू	एआईएमओ, आईईएमए, सनथनगर
9.	टी.वी.आर. मूर्ति	निदेशक, एफएपीएसएआई-ए.पी. एसएसआई, सेंटर
10.	डा. बी. येराम राजू	मुख्य सलाहकार, एफएपीएसएआई-ए.पी. सेंटर
11.	बी.पी. आचार्य	सचिव, इंडस्ट्रीज एंड कामर्स, आंध्र प्रदेश सरकार
12.	समीर शर्मा	कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज
13.	जी.एस. धनंजय	महासचिव, एपीएफसीसीटी
14.	सामा दयानंद	अध्यक्ष, एपीएफसीसीटी
15.	ए. विजय कुमार	उपाध्यक्ष, एपीएफसीसीटी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन 2-1-123 एम.जे. रोड
16.	जयेश देलीवाला	सचिव, एपीएफसीसीटी
17.	वी.बी. शंकर	अध्यक्ष, एफएपीएफसी
18.	एल.वाई. सुंदर स्वामीनाथन	अशोक लीलैण्ड
19.	सी. नंद कुमार	सचिव, एपीएफसीसीटी
20.	संगीत मुखर्जी	एक्जीक्युटिव आफिसर, सीआईआई
21.	आर. वेणुगोपाल रेड्डी	एडीशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश सरकार
22.	के. सुब्बा राव	अध्यक्ष, प्रकाशम जिला ग्रेनाइट एसोसिएशन
23.	एम. नागेश्वर राव	अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश एलुमिनियम कंडक्टर, मार्केटिंग एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश
24.	बी.के. राव	आंध्र प्रदेश एलुमिनियम कंडक्टर, मार्केटिंग एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश
25.	के. वेणु	आंध्र प्रदेश एलुमिनियम कंडक्टर, मार्केटिंग एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश
26.	डी. रामाकृष्णा	अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	आसुद्दीन	फ्लोर लीडर, एआईएमआईएम
2.	उमा रेड्डी वेंकटेशवारलु	एमपी, टीडीपी पोलित ब्यूरो सदस्य
3.	डा.वाई.एस. राजशेखर रेड्डी	नेता विपक्ष
4.	एन. किरन कुमार रेड्डी	विधायक
5.	पुन्नाला लक्ष्मैया	विधायक
6.	डॉ. एम. तिप्पी स्वामी	विधायक
7.	के.आर. सुरेश रेड्डी	विधायक

2.अरुणाचल प्रदेश (20.21 जून, 2004)

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

	सुश्री/श्री	
1.	गगोंग अपांग	मुख्य मंत्री
2.	कामेंग डोलो	उप-मुख्य मंत्री
3.	थुपतेन तेमपा	मंत्री(पलानिंगव प्रोग्राम इपलिमेंटेशन)
4.	केलको पुल	मंत्री (वित्त)
5.	तेंयांग टाटाक	मंत्री (शहरी विकास)
6.	केफा बेनजीया	मंत्री (सिविल सप्लाई)
7.	लीची लेगी	मंत्री (पी.डब्लयू.डी.)
8.	सी.पी. नामचूम	मंत्री (यातायात)
9.	फोसूम खीमहुन	मंत्री (खनन व अनुसंधान)
10.	रीमा ताईपोडीया	मंत्री (पंचायत व आई.पी.आर.)
11.	टी.जी. रीमपोचे	मंत्री (टूरिजम)
12.	तांगा बयालींग	मंत्री (आर.डी.)
13.	थाजाम भोह	मंत्री (बागबानी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
14.	ताडीक चीजे	मंत्री (पशु पालन व चिकित्सा)
15.	नयाटो रीजीया	राज्य मंत्री (पी.डब्लयू.डी.)
16.	अशोक कुमार	मुख्य सचिव
17.	अतुल शर्मा	कुलपति,अरुणाचल विश्वविद्यालय
18.	एम.के. परीदा	आयुक्त (होम)
19.	ओटेम देई	आयुक्त (वित्त)
20.	ए.के. आचार्या	सचिव (योजना)
21.	ए.के. खुल्लर	सचिव (जी.ए./हेल्थ)
22.	हजे कोजीन	सचिव (आर.डी/एल.एम.)
23.	गणेश कोयु	सचिव (उद्योग,पंचायत)
24.	हजे खोडा	सचिव (सामाजिक कल्याण)
25.	तपे बागरा	सचिव (शिक्षा.)
26.	तजाम तलोह	सचिव (कृषि/आर.डब्लयू.डी)
27.	तेनजींग नोर्बू	सचिव (पी.एच.इ.डी.)
28.	भारत मेगू	सचिव (आई.एफ.सी.डी.)
29.	एम. पेरतीन	सचिव (शहरी विकास)
30.	श्रीमती वर्षा जोशी	सचिव (सांस्कृतिक कार्य)
31.	हूजर लोल्लेन	सचिव (श्रम/एस.पी.ओ.)
32.	सुधीर कुमार	उपायुक्त, पापूमपेर विभाग)
33.	नीरज सेमवाल	आई.ए.एस. (परिवीक्षाधीन)
34.	जे. सिन्हा	सलाहकार (वित्त)
35.	अनोनग प्रेमे	मुख्य अभियन्ता (टी.डी.)
36.	लोड कोजी	निदेशक (कला व संस्कृति)
37.	टी.टी. गमदीक	निदेशक (आर.डी./पी.आर.)
38.	डॉ. बी. अडु	निदेशक (ए.एच. व डी.डी.)
39.	टागो बासार	निदेशक (कृषि)
40.	सी.एम. मोंगमाव	निदेशक (लेखा परीक्षक व पेंशन)
41.	पेमा तशेतान	निदेशक (प्रशा. प्रक्षिण संस्था)
42.	सी. एस. जैनोव	उपसचिव (वित्त)
43.	मिल्लो बिडा	निदेशक (योजना)
44.	ए. मोरंग	निदेशक (शहरी विकास)
45.	एस.आर.पटेल	निदेशक (बागबानी)
46.	टाजे टादा	निदेशक (अनुसंधान)
47.	के.के. चौधरी	निदेशक (मछली पालन)
48.	सुपरीया देब	निदेशक (आई.पी.आर.)
49.	एम. लोया	निदेशक (ए.पी.इ.डी.ए.)
50.	हजे बट्ट	निदेशक (सप्लाई व यातायात)
51.	के. तारा	अवर सचिव (ए.पी.एस.ए.सी.एस.)
52.	जे. बोरंग	उपनिदेशक (पुस्तकालय)
53.	कोज ताजंग	उपनिदेशक (इको. व स्टे.)
54.	डॉ. एल. जामपा	राज्य महामारीविद् (हेल्थ)
55.	जेडो इशी	सहायक निदेशक (पर्यटक)
56.	पी. दत्त	प्रशासनिक अधिकारी(पुस्तकालय)

राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	टाको दाबी	सी.एल.पी.,इंडियन नेशनल कांग्रेस उपनेता
2.	डॉ. अशान रेड्डी	महासचिव,अरुणाचल कांग्रेस
3.	डॉ. बी. नातुंग	भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष
4.	आत्म देइ	आयुक्त (वित्त)
5.	अशोक के. आचार्य	सचिव (योजना)
6.	ए.एस. खुल्लर	सचिव (महाप्रशासनिक)
7.	सी.एस. जीमन	उपसचिव (वित्त)
8.	जे. सिन्हा	सलाहकार

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती नाबाम आका	अध्यक्ष ए./एस.
2.	टेजी टागी टारा	अध्यक्ष ए./एस.
3.	श्रीमती मेयो ताकू	अध्यक्ष,जेड.पी.एम.,कामेंग पूर्वी जिला
4.	टचोंग मीबांग	जेड.पी.एम.,पश्चिम सियांग जिला
5.	नाबाम विवेक	जेड.पी.एम.,अंचल समिति, तोरु
6.	नाबाम विवेक	जेड.पी.एम.,पापूम पारे जिला
7.	गोणेश कोयू	सचिव (उद्योग, पंचायत)
8.	आत्म देइ	आयुक्त (वित्त)
9.	ए.एस. खुल्लर	सचिव (महा प्रशासनिक)
10.	ए.के. आचार्य	सचिव (योजना)
11.	सी.एस. जीमन	उपसचिव (वित्त)
12.	जे सिन्हा	सलाहकार (वित्त)

व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	तेची टामा	अध्यक्ष(अरुणाचल प्रदेश एसएसआई एसोसियेशन)
2.	टी.एन. टारींग	महासचिव(एसीसी व आई, इटानगर)
3.	वाला तेची	
4.	ललित अग्रवाल	एसीसी व आई
5.	कमल बजाज	उपाध्यक्ष, एसीसी व आई
6.	ए.एस. खुल्लर	सचिव (महा प्रशासनिक)
7.	आत्म देय	आयुक्त (वित्त)
8.	ए.के. आचार्य	सचिव (योजना)
9.	श्री गोणेश कोयू	सचिव (उद्योग, पंचायत)
10.	सी.एस. जिमोन	उपसचिव (वित्त)
11.	जे. सिन्हा	सलाहकार (वित्त)

3. आसाम (8 जनवरी, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	तरुण गोगोई	मुख्य मंत्री
2.	डॉ. भुमीधर बर्मन	मंत्री, स्वास्थय व परिवार कल्याण

क्र.सं.	नाम	पदनाम
3.	सरत बरकाताकी	मंत्री, लोक निर्माण
4.	डॉ.(श्रीमती)हेमो परोवा साइकीया	मंत्री,हस्तकरघा,वस्त्र व रेशम कीट पालन
5.	गोतम राय	मंत्री, सामाजिक कल्याण
6.	भारत चन्द्रा नाराह	मंत्री, डब्लयूपीटी व बीसी,मच्छली पालन
7.	हेमप्रकाश नारायण	मंत्री, शहरी विकास
8.	अंजन दत्ता	मंत्री, यातायात
9.	पंकज बोरा	मंत्री, शिक्षा,असम समझौता का कार्यान्वयन
10.	पादयूत बोरडोलोइ	मंत्री, वन
11.	हेमन्त बिसवा शर्मा	योजना व विकास,कृषि (राज्य मंत्री)
12.	निलामानी सेन देका	वित्त,संसदीय कार्य (राज्य मंत्री)
13.	डॉ. आनन्दा राम बरुवा	उद्योग, पावर (राज्य मंत्री)
14.	जे.पी. राजखोवा, आईएएस	मुख्य सचिव, असम
15.	पी.वी. सुमंत, आईपीएस	डीजीपी, असम
16.	एस. काबीला, आईएएस	अपर मुख्य सचिव, असम
17.	सी.बाबू राजीव, आईएएस	अपर मुख्य सचिव, असम
18.	एच.एस.दास, आईएएस	वित्त आयुक्त
19.	पी.सी. शर्मा, आईएएस	प्रमुख सचिव,यातायात,उद्योग आदि
20.	एस.सी.दास,आईएएस	आयुक्त शिक्षा
21.	सी.के.दास, आईएएस	प्रमुख सचिव, कोर्पोरेशन
22.	पी.पी. वर्मा, आईएएस	प्रमुख सचिव, वन
23.	के.डी त्रिपाठी, आईएएस	आयुक्त, होम आदि
24.	श्रीमती इमीली चौधरी आईएएस	आयुक्त, पर्यटन
25.	विजेन्द्रा, आईएएस	सचिव, वित्त
26.	पी.के. चक्रबर्ती	सचिव, पीएचई
27.	हेमन्त नाजारी, आईएएस	सचिव, पी व डी.
28.	हरिश सोनोवाल,आईएएस	आयुक्त, राजस्व
29.	श्रीमती टी.वाई.दास,आईएएस	आयुक्त, एस व टी.
30.	मरीजन कलिता, एसीएस	संयुक्त सचिव, पी. व आर.डी.
31.	डी.के. गोस्वामी, एसीएस	संयुक्त सचिव, पर्सनल
32.	डी.बी.के. गोहैन, आईएएस	आयुक्त, होम
33.	एम.के. बरुआ, आईएएस	आयुक्त, पशुचकित्सा
34.	सी.के. सारमा,आईएएस	आयुक्त, यूडीडी
35.	बिरेन दत्ता, आईएएस	आयुक्त, हेल्थ
36.	बी.बी.हागजेर, आईएएस	आयुक्त, श्रम
37.	पिनुअल बासुमटारी,आईएएस	सदस्य (वित्त)एएसइबी
38.	डी.एन.सैकिया,आईएएस	सचिव,जीएडी,एसएडी
39.	हसन अली, आईएएस	सचिव, वित्त
40.	ए.के. मालाकर,आईएएस	निदेशक, भूमि रिकार्ड
41.	बी.बासुमातारी,आईएएस	सचिव, हेल्थ व परिवार कल्याण
42.	मुकुट दत्ता	सचिव, पी.डब्लयू.डी.
43.	सिद्धार्थ दास	सचिव, सिंचाई
44.	भास्कर दत्ता	सचिव, जलसंसाधन
45.	बिमलेनदु भट्टाचार्याजी	सचिव, बोर्डर एरिया
46.	एस.अब्बासी,आईएएस	निदेशक, प्रशिक्षण
47.	एम. ठाकुर, आईएएस	मुख्य सचिव के एस.ओ.
48.	डी.एस.नाथ,आईएएस	आयुक्त, सहकारिता
49.	परामेश दत्ता,आईएएस	सचिव,उद्योग व कामर्स
50.	श्रीमती सुनन्दा सेनगुप्ता, आईएएस	सचिव, पर्वतीय क्षेत्र
51.	के.के.हजारिका,आईएएस	सचिव,समाज कल्याण
52.	बी.एम.मजूमदार, आईएएस	सचिव, होम
53.	वातीसंगबा एओ, आईपीएस	आईजीपी (सुरक्षा)
54.	एम.के. यादव, आईएफएस	एम.डी., एईडीसी
55.	जे.बोरगयारी	प्रमुख सचिव,आरएचएसी,दुधनोई
56.	एम.सी.साहु,आईएएस	निदेशक, पी व आर.डी.
57.	एस.के.राय, एसीएस	आयुक्त, जीएमसी

स्थानीय निकाओं के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	एच.एस. दास	असम सरकार के आयुक्त व सचिव
2.	एस.के. राय	आयुक्त,जीएम
3.	सी.के. शर्मा	आयुक्त, यूडीडी
4.	डॉ. रवि कोटा	डीसी, जोरहट
5.	सोनाबार अली	सभापति, नालबरी जेडपी
6.	एस. दत्ता	सीईओ, कामरुप जेडपी
7.	अमजद अली	सभापति,बेजेरा एपी
8.	मोहम्द सुफैत अली	सारैघाट जीपी
9.	मोहम्द एफताब अली	सभापति, मंडाकाटा जीपी
10.	बी. रंजन राय	अधीक्षक लेखा,सिलचर निगम बोर्ड
11.	जगदीश चंद	अध्यक्ष,बारपाथार नगर समिति
12.	डोनलेसवर फुकन	अध्यक्ष, सारुपाथार नगर समिति
13.	रंजीत कुमार लासकर	कार्यकारी अधिकारी,लखीपुर टीसी, कछार
14.	श्रीमती मदमावती जुमुन्ग	सभापति, दीमोरिया एपी
15.	सुश्री जेवुना बीबी	सभापति, सिंगमेरी एपी
16.	दया राम दास	उपसभापति, दीमोरी एपी
17.	केशाब बोरा	सभापति, एपी
18.	सैदुल इस्लाम	उपसभापति,साऊथीची एपी
19.	गगन चनरा दास	सभापति, सनलकुची जीपी
20.	अजीत कुमार जलान	निदेशक
21.	एम.सी. साहू	निदेशक, पी व आर डी
22.	डॉ. फामी शर्मा	प्रशासक, जीएमसी

स्वायत्त परिषद

सुश्री/श्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	एच.एस. दास	आयुक्त व सचिव (वित्त)
2.	गमेशवर पेगू	सीइएम,मिसिंग स्वायत्त परिषद

क्र.सं.	नाम	पदनाम
3.	देबा राम डोले	उपसचिव(वित्त), मिसिंग स्वायत्त परिषद
4.	के. बाल्लेओरी	इ/एम, आई/सी.
5.	एस.आई. हुसैन	पी.एस. उत्तरीय हिल्स स्वायत परिषद
6.	आईसिंग तेरोए	उपसचिव, कारबी अंगलोंग स्वायत्त परिषद
7.	अली अक्षर, एसीएस	उपसचिव, कारबी अंगलोंग स्वायत्त परिषद
8.	नगुरसुनीहोंग	अध्यक्ष, उत्तरीय कोचर हिल्स स्वायत्त परिषद
9.	आर.के. चौबे	सदस्य सचिव
10.	डॉ. एस.सी. रभा	सीइएम, रभा हासंग स्वायत्त परिषद
11.	जे बोरगेयै	प्रमुख सचिव
12.	एनेव मंता	इएम, तीवा स्वायत्त परिषद
13.	रमेश चंद बरदोलै	उपसीइएम, तीवा स्वायत्त परिषद
14.	एस.एल. लोंगमैलै	प्रमुख सचिव, तीवा स्वायत्त परिषद
15.	कंपा बोरकोयरी	बोडोलेंड क्षेत्रीय परिषद

राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

1.	बानु प्रसाद	उपसभापति (कांग्रेस)
2.	अंवर हुसैन	महासचिव
3.	दिनेश शर्मा	सचिव(नेशनल कांग्रेस पार्टी)
4.	बिमल कुमार हजारिका	कार्यकारी सदस्य
5.	मुनीन महंता	राज्य सचिव (सी.पी.आई.)
6.	दमबारु बोरा	एस.ई., सदस्य
7.	बिरेन्द्रा प्रसाद बैश्य	महासचिव, एजीपी
8.	सी.एम. पाटोवरी	महासचिव, एजीपी

व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

1.	अलोक शर्मा	सभापति, एएएसएसआईए
2.	डी.के. शर्मा	महासचिव, एनईसीसीएनआई
3.	महाबीर प्रसाद जैन	सभापति, कामरुप चेंबर ऑफ कॉमर्स
4.	बी. बोरदोलोई	महाप्रबंधक टाटा टी लिमि.
5.	धीरज ककातीया	सचिव, एबीआईटीए
6.	निर्मल जैन	महासचिव, कामरुप चैंबर ऑफ कॉमर्स
7.	आर.एस. जोशी	उद्योग व वाणिज्य संघ के उपसभापति,
8.	पी.सी. शर्मा	प्रमुख सचिव, उद्योग, वाणिज्य व आई टी, असम सरकार
9.	एम.के. यादव	एम.डी, एईडीसी लिमि.

क्र.सं.	नाम	पदनाम

4. बिहार (29-3. जुलाई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

1.	श्रीमती राबरी देवी	मुख्य मंत्री
2.	जधानांद सिंह	मंत्री, सिंचाई
3.	शेकील अहमद	मंत्री, ऊर्जा
4.	अवध बिहारी चौधरी	मंत्री, शहरी विकास और यातायात
5.	के.ए.एच.सुब्रहमनियन	मुख्य सचिव
6.	मुकुंद प्रसाद	मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव
7.	जी.एस. कांग	विकास आयुक्त
8.	यू.एन. पनजैर	वित्त आयुक्त
9.	के.सी. मिश्रा	सचिव, ऊर्जा और अपर वित्त आयुक्त
10.	श्रीमती हरजोत कौर	अपर सचिव, वित्त सचिव
11.	अरविंद चौधरी	अपर सचिव
12.	सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा	मुख्य नियंत्रक के लेखा व अपर सचिव, वित्त विभाग
13.	के.एन. तिवारी	आर्थिक सलाहकार, वित्त विभाग
14.	तिलक राज गौरी	बजट अधिकारी
15.	डॉ. प्रबेक्ष चंद्रा राय	सहायक निदेशक, वित्त विभाग

स्थानिय निकायों की प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

1.	श्रीमती विद्या वर्मा	उपअध्यक्ष, जिला परिषद, बंका
2.	श्याम देओ सिंह	प्रमुख, पंचायत समिति, बिकर्म, जिला, पटना
3.	डॉ.(श्रीमती) उषा विद्यार्थी	जिला परिषद, पटना
4.	विजय कुमार यादव	मुखिया, ग्राम पंचायत, नक्ता दायरा, पटना
5.	कृष्णा मुरारी प्रसाद	मेयर, पटना नगर निगम
6.	आलोक कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष, निगम परिषद, बेगुसारै
7.	श्रीमती रशमी वर्मा	अध्यक्ष, नगर पंचायत, नारकतियागंज, पश्चिमी चम्पारन
8.	मोहम्द इस्लाम अंसारी	वार्ड आयुक्त, नगर पंचायत, भाभुआ

राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

सुश्री/श्री

1.	अजय सिंह	महासचिव व प्रवक्ता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
2.	आर.डी. सिंह	अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस समिति परिषद
3.	राम जतन सिन्हा	सभापति, बिहार कांगेस समिति परिषद

क्र.सं.	नाम	पदनाम
4.	अश्विनि कुमार चौबे	लीडर, लेजिस्लेटिव पार्टी, बीजेपी, बिहार
5	राम कृपाल यादव	प्रधान महासचिव,(संसद सदस्य, लोक सभा),बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल
6	मंगनी लाल मंडल	संसद सदस्य (राज्य सभा) ,बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल
7	नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष, लोक जन शक्ति पार्टी
8	रामदेव वर्मा	विधायक तथा सचिव, सीपीआई (एम)
9	जलालूद्दीन अंसारी	राज्य सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
10	बिजेन्द्र प्रसाद यादव	अध्यक्ष, जनता दल (यूनाईटिड)
11	गोपाल नारायण सिंह	अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बिहार
12	नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा	विधायक,भारतीय जनता पार्टी, 8 बीर चंद पटेल मार्ग,पटना

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	अशोक कुमार	औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार
2	जे.आर.के. राव	अपर औद्योगिक विकास आयुक्त
3	शीलेन्द्र प्रसाद सिन्हा	बिहार निर्यातक संघ
4	श्रीमती रिचा सिन्हा	बिहार निर्यातक संघ
5	एस.के. महरोत्रा	बिहार औद्योगिक समिति
6	अरूण अग्रवाल	बिहार औद्योगिक समिति
7	ओ.पी. साव	बिहार वाणिज्य संघ
8	के.पी.एस. केशरी	बिहार वाणिज्य संघ

5. छत्तीसगढ़ (5 जुलाई, 2004)

सर्व/श्री

1	डा. रामन सिंह	मुख्य मंत्री
2	अमर अग्रवाल	वित्त मंत्री
3	ए.के.विजयवरगिया	मुख्य सचिव
4	आर.पी.बगई	अपर मुख्य सचिव (गृह)
5	अशोक दरबारी	पुलिस महानिदेशक
6	शिवराज सिंह	प्रधान सचिव (उद्योग)
7	पंकज द्विवेदी	प्रधान सचिव (जीएडी)
8	टी.एन.श्रीवास्तव	सलाहकार
9	डी.एस.मिश्रा	सचिव (वित्त)
10	डा. अलोक शुक्ला	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
11	विवेक चंद	सचिव (पर्यावरण एवं शहरी विकास)
12	ओ.पी.राठौड़	अपर पुलिस महानिदेशक
13	अमिताभ जैन	विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी)
14	पी.सी.सोटी	निदेशक (पंचायत एवं समाज सेवा)
15	अमित अग्रवाल	निदेशक, औद्योगिक वित्त एवं ओएसडी (टीएफसी)
16	श्रीमती रेनू पिल्लै	निदेशक (बजट)
17	पी.के.बिसी	निदेशक (सांख्यिकी)
18	किशोर परियार	अपर निदेशक, सांस्थनिक वित्त
19	वी.के.लाल	अवर सचिव (वित्त)
20	सुश्री अल्पना घोष	ओएसडी (वित्त)
21	के.एल.साहू	अनुसंधान अधिकारी, टीएफसी सैल

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	सुनील सोनी	मेयर, नगर निगम,रायपुर
2	विजय बघेल	अध्यक्ष, नगर परिषद, भिलाई-चारोडा
3	आनन्द सिंघानिया	अध्यक्ष, नगर पंचायत, धन खामरिया
4	श्रीमती अनिता दूबे	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, गोबरा नयापाड़ा
5	चन्द्रभान धरतीलहरे	जिला पंचायत, बिलासपुर
6	अनिल शुक्ला	अध्यक्ष, जनपद पंचायत,राजनन्दगांव
7	तरेन्द्र भंडारी	सरपंच, गदपिचवाडी, जिला कांकैट

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

		भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
1	चितरंजन बक्सी	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
2	धर्मराज महापात्र	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3	गोविन्दलाल वोरा	

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	शुब्रो बनर्जी	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ
2	महेश कक्कड़	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ
3	एस.के. मलानी	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
4	महेन्द्र कोठारी	कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीस वाणिज्य और उद्योग मंडल
5	प्रमोद अग्रवाल	भारतीय उद्योग परिसंघ
6	एस.एन.तोशीवाल	सीसीएमए
7	साजी वर्गीज	एफआईसीसीआई
8	कमल सारदा	सीआईआई

6. गोआ (19-22 नवम्बर, 2003)

सर्व/श्री

1	मनोहर पारिकर	मुख्य मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
2	दीगंबर कामत	बिजली,शहरी विकास मंत्री
3	पाडूरंग मडकैकर	परिवहन मंत्री
4	दयानंद रायू मंडेरकर	कृषि मंत्री
5	अतानाशिओ मानसिराटे	नगर और ग्राम्य योजना मंत्री
6	डा. सुरेश कुशो अमोनकर	स्वास्थ्य मंत्री
7	फ्रांसीस पेडरो डिसूजा	सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री
8	फिलिप नैरी रोडरिंग्ज	जल संसाधन मंत्री
9	रामराव घनश्याम देसाई	उद्योग मंत्री
10	विनय देनू तेदूलकर	वन मंत्री
11	डी.एस.नेगी	मुख्य सचिव
12	डा. विजय एस. मदान	विकास आयुक्त
13	श्रीमती रीना रे	आयुक्त और सचिव (वित्त)
14	अरविन्द रे	आयुक्त और सचिव(शिक्षा)
15	ए.वेंकटरतनम	राज्यपाल के सचिव
16	राजीव यादुवंशी	सचिव परिवहन
17	श्रीमती देवश्री मुखर्जी	सचिव स्वास्थ्य
18	पी. कृष्णमूर्ति	मुख्य मंत्री के सचिव
19	पी.आर. चंददेकर	निदेशक (आईटी)
20	राजीव कुमार सैन	अपर सचिव(बजट)
21	जी.पी. चिमुलकर	उद्योग निदेशक/विशेष् सचिव (वित्त)
22	पी.पी.बोरकर	प्रधान मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडी)
23	एस.डी.सयानक	मुख्य अभियंता (डब्ल्यूआर)
24	टी.एच. राव	मुख्य विद्युत अभियंता
25	ए.टी. कामत	बिक्री कर आयुक्त
26	राजीव वर्मा	उत्पाद शुल्क आयुक्त
27	पी.एम. बोरकर	पंचायत निदेशक
28	के.एन.एस.नैय्यर	सदस्य सचिव, जीएसयूडीए
29	अशोक देसाई	शिक्षा निदेशक
30	भास्कर नायक	उच्च शिक्षा निदेशक
31	यू.डी.कामत	विशेष सचिव स्वास्थ्य
32	डा. वी.जी.धूमे	डीन,गोवा मेडिकल कालेज
33	दौलत हवलदार	परिवहन निदेशक
34	एन.सूर्यानारायण	पर्यटन निदेशक
35	नार्बर्ट मोरेश	लेखा निदेशक
36	एस.समभोगू	संयुक्त निदेशक, योजना,सांख्यिकी एवं ईएलवी

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	दिगम्बर कामत	शहरी विकास मंत्री
2	मनोहर अजगांवकर	पंचायत मंत्री
3	डा. विजय मदान	विकास आयुक्त
4	पी.एम. बोरकर	पंचायत निदेशक
5	राजीव कुमार सेन	अपर सचिव (बजट)
6	के.एन.एस.नैय्यर	सदस्य सचिव (जीएसयूडीए)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
7	अशोक नायक	मेयर पणजी नगर निगम
8	कमालिनी पैगूइंकर	अध्यक्ष, मडगांव, नगर परिषद
9	सुधीर कंडोल्कर	अध्यक्ष, मापूसा नगर परिषद
10	अनिल होवले	अध्यक्ष, उत्तर गोवा जिला पंचायत
11	श्रीमती जेनिया दास	उपाध्यक्ष उत्तर गोवा जिला पंचायत
12	श्रीमती नेली रोडरिग्ज़	अध्यक्ष, दक्षिण गोवा जिला पंचायत
13	अतुल वरलेकर	उपाध्यक्ष, दक्षिण गोवा जिला पंचायत
14	श्रीमती असुमता परैरा	पूर्व सरपंच गांव पंचायत, देऊसा

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	डा. बिलफ्रेड डीसूजा	अध्यक्ष, गोवा राज्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पाटी
2	राजेन्द्र आरलेकर	अध्यक्ष, गोवा राज्य भारतीय जनता पाटी
3	श्रीमती रीना राय आईएएस	आयुक्त एवं सचिव, वित्त और योजना
4	राजीव सेन	अपर सचिव (बजट)

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	सुश्री रीना राय,आईएएस	आयुक्त एवं सचिव, वित्त एवं योजना
2	श्रीमती जयश्री रघुरमन,आईएएस	उद्योग सचिव
3	जी.पी.चिमुलकर	उद्योग निदेशक
4	राजीव सेन	अपर सचिव(बजट)
5	चार्ल्स बोनीफेसियो	अध्यक्ष, ट्रेवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन आफ गोवा
6	यातीन काकोडकर	अध्यक्ष, सीआईआई
7	दिनेश वेलिंगकर	अध्यक्ष, गोवा माइनिंग एसोसिएशन
8	नीतिन कूनकोलिंकर	अध्यक्ष गोवा वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
9	केशव कामत	अध्यक्ष, गोवा समाल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
10	रमेश चोगले	अध्यक्ष, माइन एक्सपोटर्स आफ आयरन ओर

7. गुजरात (1 दिसम्बर, 2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	नरेन्द्र मोदी	मुख्य मंत्री
2	वाजूभाई वाला	वित्त मंत्री
3	श्रीमती आनंदी बेन पटेल	जलापूति मंत्री
4	भूपेन्द्र सिंह चूडासमा	कृषि और पंचायत मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
5	जे.के. जडेजा	यूडीडी,स्वास्थ्य एवं आरएंडबी मंत्री
6	सौरव पटेल	ऊर्जा और योजना मंत्री
7	अनिल पटेल	उद्योग और पर्यटन मंत्री
8	धीरू भाई शाह	अध्यक्ष, एसएफसी
9	पी.के. लहरी	मुख्य सचिव
10	एस.के.सेलाट	मुख्य मंत्री के सलाहकार
11	डा. पी.के.मिश्रा	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव और सीईओ-जीएसडीएमए
12	श्रीमती सुधा अंचालिया	प्रधान सचिव (एफडी)
13	पी.के.पुजारी	सचिव (ईए)
14	डा. मंजुला सुब्रहमणियम	प्रधान सचिव ,ईपीडी
15	वी.के.बब्बर	प्रधान सचिव,यूडी एंड यूएचडी
16	डी. राजगोपालन	प्रधान सचिव ,आईएमडी
17	के.सी. कपूर	प्रधान सचिव ,गृह
18	विलासीनी रामचन्द्रन	प्रधान सचिव,राजस्व
19	एस.के.महापात्र	एमडी-एसएसएनएनएल
20	के. कैलाश नाथन	सचिव, जलापूर्ति
21	रवि सक्सेना	प्रधान सचिव ,एसईएंडजेडी
22	वी.एच.शाह	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण आवास
23	पी.डी.वघेला	विकास आयुक्त
24	एस.एस. राठौड़	सचिव, आरएंडबी
25	एम.एस. पटेल	सचिव, जलसंसाधन

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	श्रीमती भारती बेन जी व्यास	पूर्व मेयर, म्युनीसिपल कारपोरेशन वड़ोदरा
2	अजयभाई चोकसी	पूर्व मेयर, म्युनीसिपल कारपारेशन,सूरत
3	अमितभाई पी.शाह	पूर्व मेयर, म्युनीसीपल कारपोरेशन,अहमदाबाद
4	श्रीमती अनिताबेन भानुप्रसाद	अध्यक्ष, जिला पंचायत
5	राजसीभाई परमार	पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत
6	देवशीभाई टढ़ानी	पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत
7	प्रग्नेश गांधी	सदस्य नगरपालिका
8	श्रीमती भानूबेन दोषी	पूर्व सभापति, सदस्य नगर पालिका
9	नीलेशभाई शेठ	सभापति, नगर पालिका

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	वाजुभाई वाला	वित्त मंत्रालय
2	सुरेश मेहता	पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा
3	नितिन पटेल	एफएफ (पूर्व) भाजपा
4	जयनारायण व्यास	मुख्य सिंचाई (नर्मदा परियोजना),भाजपा
5	भारत गरीवाला	अर्थशास्त्री,पत्रकार, भाजपा
6	मधुसूदन मिस्त्री	सं. सदस्य, कांग्रेस
7	अरविंद सिंघवी	कांग्रेस
8	बाबूभाई शाह	पूर्व वित्त मंत्री,कांग्रेस
9	प्रवीन सिंह जडेजा	समता दल
10	के.डी. जोफानी	समता दल
11	विद्युत भाई ठक्कर	समता दल

व्यापार और उद्योग से प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	अनिल पटेल	राज्य मंत्री (उद्योग)
2	श्रेयास पांडया	सभापति, गुजरात वाणिज्य मंडल
3	चिनुभाई आर शाह	उप-सभापति, गुजरात वाणिज्य मंडल
4	नीलेश शुक्ला	सचिव, बड़ोदा वाणिज्य मंडल
5	अशोक भाई शाह	सभापति, दक्षिण गुजरात वाणिज्य मंडल
6	रामदेवी दयाल	सभापति, गुजरात उद्योग संघ
7	शीलेश भाई पटवारी	अध्यक्ष, पर्यावरण समिति, जीसीसी
8	कमलेश उडानी	अध्यक्ष, औद्योगिक औषधि विनिर्माण संघ
9	पीरूज कम्बाट्टा	अध्यक्ष, सी-II ,गुजरात

8. हरियाणा (23 जुलाई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्व/श्री

1	ओम प्रकाश चौटाला	मुख्य मंत्री
2	प्रो. संपत सिंघ	वित्त मंत्री
3	धीर पाल	टीसीपी
4	जसबीर सिंह संधु	कृषि मंत्री
5	सुभाष गोयल	शहरी विकास मंत्री
6	सुनील आहूजा, आईएएस	प्रमुख सचिव
7	के.सी.शर्मा	भा.प्र.से. वि.आ.
8	के.सी.शर्मा,आईएएस	वि.आ.
9	बी.डी.दाहिया, आईएएस	मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव
10	श्रीमती प्रोमिला इस्सर,आईएएस	एफसीपी
11	अनिल राजदान,आईएएस	एफसीआईपी
12	धर्मवीर,आईएएस	वि.आ.,गृह
13	भास्कर चटर्जी,आईएएस	एफसीएफ
14	के.एस.भोरिया,आईएएस	वि.आ.,कृषि
15	एन.बाला भास्कर,आईएएस	वि.आ.

क्र.सं.	नाम	पदनाम
16	आर.एन.पराशर,आईएएस	एफसीटी
17	एम.एल.तायल,आईएएस	वि.आ.शिक्षा
18	एल.एस.एम.सलीन्स, आईएएस	वित्त आयोग, उत्पाद और कराधान
19	संजय कठोरी,आईएएस	एमएसएचबीपीई
20	पी.के.गुप्ता,आईएएस	आयुक्त, शहरी विकास
21	कृष्णा मोहन, आईएएस	आयुक्त और सचिव,स्वास्थ्य
22	एस.सी.चौधरी,आईएएस	आयुक्त, लोक कार्य विभाग,बीएंडआर इंडस्ट्रीज
23	सरबन सिंह,आईएएस	एसएसआर
24	राम निवास,आईएएस	विशेष सचिव, वित्त
25	श्यामलाल मिश्रा,आईएएस	संयुक्त सचिव, वित्त
26	एम.के.मिधा,आईएएस	विशेष सचिव, गृह
27	राजीव अरोड़ा,आईएएस	निदेशक, कृषि
28	एम.एस.मलिक, आईपीएस	डीजीपी
29	अनिल दावरा,आईपीएस	
30	एस.के.मोंगा,आईएएस	प्रबंध निदेशक, एचपीजीसी
31	श्रीमती ज्योति अरोड़ा, आईएएस	प्रबंध निदेशक यूएचबीवीएन
32	एन.सी.वाधवा,आईएएस	सीए,हुडा
33	टी.के.शर्मा,आईएएस	निदेशक, शहरी विकास
34	आर.आर. शियोरान	ईआईसी,बीएंडआर
35	एस.एन.रॉय, आईएएस	ईटीसी
36	राजन गुप्ता, आईएएस	टीसी
37	रनवीर गुप्ता	ईएसए
38	एच.वी. मुंजल	ईआईसी, लोक स्वास्थ्य
39	जे.एस.एहलावत	ईआईसी, सिंचाई
40	समीर माथुर, आईएएस	एमडी एचवीपीएन
41	जी.एस.बंसल	एसआईओ, हरियाणा,एनआईसी
42	डा. बी.एस.दाहिया	डीजीएचएस
43	आर.के.जैन	निदेशक,एचवीपीएन
44	आर.के.गर्ग	एआईजी, जेल
45	डा. जॉन वी. जार्ज	प्रबंध निदेशक, पीएचसी
46	ईश्वर सिंह दाहिया	संयुक्त निदेशक, पंचायत
47	ज्ञान सिंह कंबोज	सलाहकार (आरपी)
48	डी.एन.एस.चाहल	उप-निदेशक

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	धर्मपाल मकरौली	सभापति,जिला परिषद,रोहतक
2	सुभाष नैन	अध्यक्ष,पंचायत समिति, सनिद
3	रामकुमार नायका	सरपंच,ग्राम पंचायत तकहारिया,सिरसा
4	श्रीमती सुखविंदर कौर	अध्यक्ष, जिला परिषद, अम्बाला
5	दर्शन सिंह	सरपंच, ग्राम पंचायत, मलखारी, कैथल
6	प्रवीण चौधरी	अध्यक्ष, जिला परिषद, रेवाड़ी
7	राम नागपाल	कार्यकारी अध्यक्ष, एम.सी.हंसी
8	कुलजीत ब्रांच	उप-सभापति, एम.सी.पंचकुला
9	रंधीर सिंह बधरान	एम.सी.पंचकुला
10	पवन जैन	सभापति, सिरसा
11	डा. यशबीर गोयल	सभापति, एम.सी.हिस्सार
12	ब्रहम प्रकाश	सभापति, एम सी ,गुडगांव
13	श्रीमती मंजूरानी	सभापति, एमसी, भिवानी
14	कर्म सिंह	सभापति, एमसी, बहादुरगढ़
15	प्रहलाद स्वामी	एमसी, रोहतक
16	श्रीमती संगीता अग्रवाल	सभापति, एमसी, यमुना नगर
17	डा. अत्तर सिंह	मेयर, एम. निगम, फरीदाबाद
18	कदर नाथ गर्ग	सभापति, एम सी नरनौल
19	श्रीमती तजिंदर कौर	अध्यक्ष, एम सी जिंद

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	दर्शन सिंह	आईएनएलडी, कैथल
2	जोगिन्दर सिंह	आईएनएलडी, अम्बाला
3	श्रीमती सुखाविंदर कौर	सभापति, आईएनएलडी, अम्बाला
4	डा. यसबीर गोयल	सभापति, कांग्रेस ,हिस्सार
5	धर्मपाल मकरोली	आईएनएलडी ,रोहतक
6	रामकुमार नैन	सभापति, भाजपा, सिरसा
7	सुभाष नेका	अध्यक्ष
8	श्रीमती प्रतिभा स्वामी	सभापति, भाजपा, रोहतक

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	पी.के.जैन	पीएचडीसीसीआई
2	पी.के.शर्मा	पीएचडीसीसीआई
3	अरूण जैन	पीएचडीसीसीआई
4	राजीव सरदाना	पीएचडीसीआईआई
5	मे.ज.यू.सी. चोपडा	पीएचडीसीआईआई
6	एस.के सिंह	सभापति, जीटी रोड, औद्योगिक क्षेत्र,पानीपत
7	विक्रम हन्स	सीआईआई

9. हिमाचल प्रदेश (12 दिसम्बर, 2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	वीरभद्र सिंह	मुख्य मंत्री
2	श्रीमती विद्या स्टोक्स	संसद सदस्य विद्युत मंत्री
3	कौल सिंह	आई एंड पीएच मंत्री
4	सत महाजन	आर डी मंत्री
5	रंगीला रामा राव	उत्पाद और कराधान मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
6	चन्द्र कुमार	वन मंत्री
7	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	स्वास्थ्य मंत्री
8	ठाकुर राम लाल	उद्योग मंत्री
9	श्रीमती आशा कुमारी	शिक्षा मंत्री
10	बी.बी.एल. बूटैल	राजस्व मंत्री
11	राज कृष्णन गौड	कृषि मंत्री
12	मेजर विजय सिंह मनकोटिया	पर्यटन मंत्री
13	कुलदीप कुमार	को-ऑप मंत्री
14	सिंधी राम	खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री
15	हर्ष महाजन	ए.एच.मंत्री
16	अरविंद कौल	
17	कंवर शमशेर सिंह	अतिरिक्त सीएस, एमपीपी एंड पावर
18	श्रीमती रेनू शानी धर	अतिरिक्त प्रमुख सचिव (उद्योग)
19	एस.एस.परमार	मुख्य सचिव (वित्त)
20	अवय शुक्ला	मुख्य सचिव (यातायात-शिक्षा)
21	जे.पी.नेगी	मुख्य सचिव (वन-हॉर्टीकल्चर)
22	सुश्री हरिन्दर हीरा	मुख्य सचिव (आईपीएच और यूडी)
23	अशोक ठाकुर	मुख्य सचिव (पर्यटन)
24	सुभाष नेगी	मुख्य सचिव (लोक कार्य विभाग)
25	सी.पी.पांडे	एफसी-सचिव
26	एन.चौहान	आयुक्त, ईएंडटी
27	बी.एस. चौहान	ममुख्य सचिव (कार्मिक,एफ एंड एस)
28	प्रेम कुमार	मुख्य सचिव (कल्याण)
29	टी.जी. नेगी	मुख्य सचिव (ईएंडडी)
30	एस.के.दाश	मुख्य सचिव (आयुर्वेद)
31	दीपक सानन	सचिव (आरडी एंड एएच)
32	डा. पी.सी.कपूर	सचिव, स्वास्थ्य
33	अनिल काछी	सचिव (वित्त)
34	जे.एल.गुप्ता	सचिव (कानून)
35	श्रीमती उपमा चौधरी	एमडी, एचपीटीडीसी
36	डी.के.शर्मा	मुख्य सलाहकारा -सचिव (आयोजना)
37	अजय भंडारी	विशेष सचिव (वित्त)
38	एस.के.बी.एस. नेगी	डीसी.शिमला
39	डा. ओ.पी. शर्मा	निदेशक (शिक्षा)
40	अजीत नारायण	डीजी पुलिस (सतर्कता और प्रवर्तन)
41	डी.एस.मन्हास	आई जी (सतर्कता)
42	पी.पी.अग्रवाल	सीई एचपीएसईबी
43	एस.के.गुप्ता	ई इन सी आईपीएच
44	एस.एस.कालरा	ई इन सी पीडब्ल्यूडी
45	श्रीमती एम.मल्होत्रा	आर्थिक सलाहकार
46	सुनील ग्रोवर	सीनियर एक्स ईएन, एचपीएसईबी
47	के.एस.ठन्टा	अवर सचिव (वित्त)
48	दिनेश कुमार शर्मा	अ.अ.वित्त कामन अनुभाग
49	राकेश कुमार शर्मा	अध्यक्ष - तदैव-
50	के.एस.राणा	अध्यक्ष - तदैव-
51	के.एस.चौहान	अध्यक्ष - तदैव-
52	राकेशन राणा	वरिष्ठ सहायक - तदैव-
53	राजेश कपिल	कनिष्ठ सहायक - तदैव-
54	नारायण सिंह	कनिष्ठ सहायक - तदैव-

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	हर भजन सिंह	विधायक
2	सोहन लाल	मेयर, नगर परिषद ,शिमला
3	हकीश जनार्था	पार्षद, नगर परिषद, शिमला
4	श्रीमती पूनम ग्रोवर	अध्यक्ष, नगर परिषद, सोलन
5	पवन कुमार	अध्यक्ष, नगर पंचायत, तलई, जिला बिलासपुर
6	बी.एस.ठाकुर	अध्यक्ष, जिला परिषद ,कुल्लू
7	राजेन्द्र ठाकुर	अध्यक्ष, जिला परिषदा ,सिरमौर
8	दर्शन दास ठाकुर	अध्यक्ष, पंचायत समिति, रामपुर
9	श्रीमती परमजीत लौर	अध्यक्ष, पंचायत समिति, फतेहपुर, कांगड़ा

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	पी.के. धूमल	विधायक, भाजपा
2	महेन्द्र सिंह	विधायक, एचएलएम
3	मोहर सिंह	सचिव-सीपीआई(एम)
4	जन.आर.एस.दयाल	अध्यक्ष- एनसीपी
5	सदानंद	एलजेपी
6	बलवंत सिंह	अध्यक्ष-बीएसपी
7	बीरू राम किशोर	विधायक निर्दलीय
8	सोहन लाल	विधायक निर्दलीय
9	पंडित जे.के.शर्मा	भाजपा
10	राकेश सिंहल	सीपीआई(एम)
11	राजेश मेहता	महासचिव एनसीपी
12	कर्नल एस.एस.राणा	एनसीपी

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	सतीश बागरोडिया	अध्यक्ष सह-एम, विन्सन
2	सुरेश गर्ग	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एचपीसीसी एंड डायरेक्टर,एमएफएल
3	के.सी.राजपूत	अध्यक्ष,लघु उद्योग भारती
4	आर.एस. गुलेरिया	अध्यक्ष, नालागढ़ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन

क्र.सं.	नाम	पदनाम
5	दीपक भंडारी	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नालागढ़ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन
6	ध्यान चंद	अध्यक्ष, एचपी कमेटी, पीएचडीसीसीआई
7	उमेश अकर	सदस्य, पीएचडी कामर्स
8	सुश्री गीता पोडुनल	सचिव, एचपी कमेटी पीएचडीसीसीआई
9	आलोक शर्मा	अध्यक्ष, सीआईआई एचसी स्टेट कौंसिल
10	अशोक टंडन	एमडी, माइलस्टोन गियर्स प्रा. लि. सीआईआई
11	सतीश मल्होत्रा	एमडी, होरोलाजीकल कंपोनेन्टस प्रा. लि. परवाणु
12	उमेश गर्ग	अध्यक्ष ए-आई-ए एवं निदेशक आरपीएल

10. जम्मू और कश्मीर (3. जुलाई, 2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	मुफ्ती मोहम्मद सईद	मुख्य मंत्री
2	मजफ्फर हुसैन बेग	वित्त मंत्री
3	गनी हसन मीर	आवास और शहरी विकास मंत्री
4	पीरजादा मोहम्मद सईद	ग्रामीण विकास मंत्री
5	हर्ष देव सिंह	शिक्षा मंत्री
6	डा. एस.एस.बलोरिया	मुख्य सचिव
7	हसीब ए दरुबा	आर्थिक सलाहकार
8	एस.डी. सिंह	वित्त आयुक्त (गृह)
9	एम.एस.पंडित	वित्त आयुक्त (वित्त)
10	अजीत कुमार	प्रधान सचिव एआरआई (वन)
11	विजय बकाया	प्रधान सचिव (योजना और विकास)
12	बी.आर.कुंडल	प्रधान सचिव ,एपीडी
13	जी.डी वधवा	प्रधान सचिव (समाज कल्याण)
14	एस.एल.भट	प्रधान सचिव, जीएडी
15	अनिल गोस्वामी	प्रधान सचिव, पीडीडी
16	इकबाल खांडे	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
17	बी.एल.नीमेश	प्रधान सचिव (चुनाव)
18	गोपाल शर्मा	पुलिस महानिदेशक
19	एम.के.मोहंती	डीजीपी जेल एवं फायर सर्विसेज
20	अख्तर कोचक	आयुक्त/सचिव (कानून)
21	चमन लाल	आयुक्त/सचिव (पीएसयू)
22	डा. रवि के जेराथ	आयुक्त/सचिव (सीएएंडपीडी)
23	पी.जी.धर	आयुक्त /सचिव (एचएंडयूडी)
24	निजामुस साकिब	सचिव (पर्यटन)
25	डा. वेद गुप्ता	सचिव (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा)
26	खुर्शीद ए मलिक	सचिव (पीएचई)
27	एम.एम. भट	सचिव (शिक्षा)
28	बी.ए.धर	सचिव (आरडीडी)
29	मुमताज अफजल	सचिव (राजस्व)

11. झारखंड (28-29 जुलाई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	अर्जुन मुंडा	मुख्य मंत्री
2	रविन्द्र कुमार राय	उद्योग मंत्री
3	देवीधन बेसरा	कृषि मंत्री
4	दिनेश सारंगी	स्वास्थ्य मंत्री
5	सी.एम.प्रसाद	ग्रामीण विकास मंत्री
6	माधवलाल सिंह	परिवहन मंत्री
7	यमुना सिंह	वन मंत्री
8	श्रीमती जोबा मांझी	स्वास्थ्य कल्याण मंत्री
9	पी.एन.सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
10	श्रीमती लक्ष्मी सिंह	मुख्य सचिव
11	राहुल सरीन	वित्त आयुक्त
12	यू.के. संगमा	प्रधान सचिव
13	पी.पी.शर्मा	सचिव, स्वास्थ्य विभाग
14	एस.के.एफ.कुजुर	अध्यक्ष, जेएसईआरसी
15	जे.बी.टुबिड	सचिव, गृह विभाग
16	जी. कृष्णन	अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग
17	एस.एम.कैरे	पुलिस महानिदेशक
18	ए.के. सरकार	सचिव, कृषि विभाग
19	बी.के.चौहान	अध्यक्ष, जेएसईबी
20	एस.के. त्रिपाठी	सचिव, सिंचाई विभाग
21	बेंजामिन लाकड़ा	महालेखाकार
22	के.के. श्रीवास्तव	महालेखाकार
23	ए.के.सिंह	सचिव, मानव संसाधन विकास
24	एस.के.चौधरी	सचिव, पर्यटन
25	बी.सी.वर्मा	पुलिस महानरीक्षण
26	बी.डी.राय	अपर पुलिस महानिदेशक
27	नितिन मदन कुलकर्णी	उत्पाद शुल्क आयुक्त
28	वी. जयराम	निदेशक, कृषि
29	डी.के. सक्सेना	संयुक्त सचिव, कृषि
30	टी.प्रसाद	सचिव, विधि विभाग
31	आर.एस.पोछार	सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
32	ए.सी.रंजन	सचिव,राजस्व और भूमि सुधार
33	शैलेश सिंह	निदेशक ,उद्योग
34	एस.के. सत्पथी	सचिव, उद्योग/परिवहन
35	बी.के. सिंह	सचिव, शहरी विकास विभाग

क्र.सं.	नाम	पदनाम
36	डी.गुप्ता	सचिव, लोक निर्माण विभाग (मार्ग)
37	महाबीर प्रसाद	सचिव, खाद्य विभाग
38	डा. ए.के.पांडेय	मुख्य चुनाव अधिकारी
39	मुख्त्यार सिंह	सचिव, कार्मिक विभाग
40	आर.के. श्रीवास्तव	सचिव, योजना/संस्थागत वित्त
41	बी.एन.सी.सिंह	परामर्शी जेएसईआरसी
42	जी. सिन्हा	परामर्शी जेएसईआरसी
43	आर.एस.शर्मा	सचिव, आईटी विभाग
44	के. विद्यासागर	सचिव, उत्पाद शुल्क विभाग
45	जे. मुनिगाला	सचिव, राहत और पुनर्वास विभाग
46	नगेन्द्र नाथ सिन्हा	सचिव, खेल और संस्कृति विभाग
47	सुधीर प्रसाद	सचिव, पेय जल विभाग
48	सुखेदव सिंह	सचिव, कल्याण विभाग
49	डी.के. तिवारी	सचिव, भवन विभाग
50	डा. विनोद अग्रवाल	सचिव, ऊर्जा विभाग
51	एम.पात्रा	सचिव, आवास विभाग
52	यू.पी.सिंह	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
53	ए.चुग	सचिव, श्रम विभाग
54	आदित्य स्वरूप	सचिव, मंत्रिमंडल विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	जी. कृष्णन	अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग
2	यू.पी.सिंह	सचिव, ग्रामीण विकास
3	बी.के.सिंह	सचिव, शहरी विकास
4	जन्मय ठाकुर	विशेष अधिकारी, नगर निगम साहबगंज
5	शंकर यादव	विशेष अधिकारी , नगर निगम, कोडरमा
6	सुरेश कुमार दुधानी	विशेष अधिकारी, नगर निगम ,जमशेदपुर
7	बी.के. सिन्हा	बीसीआरआरडीए
8	एस.के. कुमार	प्रशासक, नगर निगम, रांची
9	जुनुल मुंडा	मुंडा, गांव छूटा केसर पंचायत कुलधा जिला प. सिंह भूम
10	अतेन हेमरान मुंडा	मुंडा, गांव छूटा केसर पंचायत कुलधा जिला प. सिंह भूम
11	इटवा मुंडा	मुंडा, गांव लुंबई, पंचायत बंडगोन ब्लॉक बंडगोन जिला प. सिंह भूम
12	सुनिया मुंडा	मुंडा, गांव कारुडीह पंचायत बंडगोन ब्लॉक बंडगोन जिला प. सिंह भूम
13	धेना टुडु	ग्राम प्रधान, गांव मानिकापरडी, पंचायत निश्चतपुर ब्लॉक जामा जिला दुमका
14	दुर्गा हेमरान	ग्राम प्रधान, गांव हेमंत पुर पंचायत निश्चितपुर ब्लाक जामा जिला दुमका
15	छुतार किस्कु	ग्राम प्रधान , गांव जोबोडीह, पंचायत मुर्गाबनी ब्लाक लिहीपारा, जिला पारकुर

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1 बहुजन समाज पार्टी
2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
3 राष्ट्रीय जनता दल
4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
5 भारतीय जनता पार्टी

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	रमेश खुराना	उप-सभापति पएएसआईए (आदित्यपुर)
2	राजीव रंजन	सचिव, एएसआईए (आदित्यपुर)
3	सिद्धार्थ झावर	ईसी छोटानागपुर संघ
4	एस.के.मेहारिया	सभापति, बोकारो मंडल
5	बिष्णु बुद्धिया	सभापति झारखंड संघ
6	अर्जुन प्रसादा जालन	सचिव, एफजेसीसीआई
7	बी. चन्द्र शेखर	सीआईआई, झारखंड
8	आर.के.चौधरी	एएसएसओसीएचएएम, झारखंड

12 कर्नाटक (16-17 सितम्बर, 2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1	एस.एम.कृष्णा	मुख्य मंत्री
2	मल्लिकार्जुना खार्गे	गृह और लघु सिंचाई मंत्री
3	एच.के.पाटिल	जल संसाधन मंत्री
4	एम.वाय. घोरपड़े	ग्रामीण विकास मंत्री
5	कागोदु थिम्मपा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
6	धर्म सिंह	लोक निर्माण विभाग मंत्री
7	डा. ए.बी.मालाकारेड्डी	चिकित्सीय शिक्षा मंत्री
8	डी.बी.चन्द्रे गौड़ा	कानून, संसदीय कार्य और विनिवेश मंत्री
9	डी.के. शिवकुमारा	शहरी विकास मंत्री
10	टी.जौन	अवसंरचना विकास और नागरिक उड्डान मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
11	विनोद व्यासालु	सलाहकार, वित्त विभाग
12	रमेश रामानाथन	सलाहकार, वित्त विभाग
13	के.पी. सुरेन्द्रनाथ	पूर्व अध्यक्ष, एसएफसी
14	बी.एस. पाटिल	प्रमुख सचिव
15	के.के.मिश्रा	अतिरिक्त प्रमुख सचिव
16	बी.के. दास	अतिरिक्त प्रमुख सचिव (वित्त)
17	वी.के.के.गोर	एसीएस और विकास आयुक्त
18	अधिप चौधरी	एसीएस और मुख्य सचिव, गृह और यातायात विभाग
19	एस.कृष्ण कुमार	एसीएस और मुख्य सचिव, अवसंरचना विकास
20	डा. मालती दास	मुख्य सचिव, योजना विभाग
21	दिलीपा राव	मुख्य सचिव, शक्ति विभाग
22	बहम दत्त	मुख्य सचिव, डीडीपीईआर
23	ए.के.एम.नायक	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
24	विनय कुमार	मुख्य सचिव, राजस्व विभाग
25	के.जयराज	मुख्य मंत्री के मुख्य सचिव और उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केएसआरटीसी
26	सुबीर हरी सिंह	मुख्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग
27	सुधीर कुमार	मुख्य सचिव डीपीएआर (एआरा)
28	श्रीमती शमीम बानू	मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग
29	श्रीमती ऊषा गणेश	मुख्य सचिव, (लघु सिंचाई), जल संसाधन विभाग
30	एस.एल.गंगाधारप्पा	मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
31	बी.एल.श्रीधर	मुख्य सचिव, यातायात विभाग
32	एम.एन.विजय कुमार	विशेष सचिव (शक्ति) शक्ति विभाग
33	कौशिश मुखर्जी	सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज
34	टी.आर.रधुनंदन	सचिव, आरडीपीआर
35	पी. रविकुमार	सचिव, शहरी विकास
36	आईसीएस केदार	सचिव, कन्नड़ और संस्कृति विभाग
37	एम.के.शंकरालिंगे गौड़ा	मुख्य मंत्री के सचिव
38	जी. गुरूचरण	सचिव (बजट और संसाधन)
39	डी.एम.नरसिम्हा मंजू	सचिव (व्यय), वित्त विभाग
40	ए.ए.बिस्वास	उप-सचिव (बजट और संसाधन)
41	आर.वी.गोविंद राव	उप-सचिव (वित्त विभाग)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि		
	सर्वश्री	
1	सदाशिव	पूर्व सभापति, कागावाड ग्राम पंचायत, अथानी तालुका, वेलगाम जिला
2	के. जगन्नाथ	पूर्व सभापति , बेल्लानडू ग्राम पंचायत, बंगलौर दक्षिण, बंगलौर जिला
3	एस.जनार्दन	सभापति, मारावन्थे ग्राम पंचायत कुन्मादपुर तालुका उडूपी जिला
4	डा. शरन प्रकाश रूदरप्पा पाटिल	उप सभापति जिला पंचायत, गुलबरगा
5	सुश्री सौभाग्य बसवाराजन	सभापति चित्रदुर्गा जिला पंचायत, चित्रदुर्गा
6	समभाजी राव पाटिल	मेयर, बेलगाम नगर निगम, बेलगाम
7	के.पी. कृष्णन	प्रबंधन निदेशक, केयूआईडीएफसी, बंगलौर
8	एस.श्रीनिवास राजू	सभापति, सीएमसी, व्यातरायनपुर, बंगलौर
9	दास चिन्नासावन	
10	नीलाया मितेश	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, वी.वी.टॉवर, बंगलौर
11	सुभाष चन्द्रा	विशेष आयुक्त, बीएमपी, बंगलौर
12	शिवयोगी सी. कलासद	आयुक्त, बेलगाम निगम
13	टी.आर. रघुनंदन	सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
14	बी.के. दास	अतिरिक्त प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव (वित्त)
15	श्रीमती शमीम बानू	मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग
16	पी. रवि कुमार	सचिव, शहरी विकास विभाग
17	डी.एन.नरसिंह राजू	सचिव (व्यय), वित्त विभाग
18	जी. गुरूचरण	सचिव (बजट एवं संसाधन), वित्त विभाग
19	रितविक पांडे	उप-सचिव , वित्त विभाग
20	अमलान बिस्वास	उप-सचिव (बजट) वित्त विभाग
व्यापार और उद्योग विभाग		
	सर्वश्री	
1	बी.के.दास	अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग
2	सुबीर हरि सिंह, आईएएस	प्रमुख सचिव, भारत सरकार
3	के.एम.शिवाकुमार, आईएएस	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्र.सं.	नाम	पदनाम
4	अशोक दलवाई	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
5	एन श्रीरमण	निदेशक (तकनीकी प्रकोष्ठ), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
6	बी.पी.श्रीनिवास	संयुक्त निदेशक (टीसी), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
7	सुश्री इंदिरा प्रेम मेनन	अध्यक्ष, ग्रेटर मैसूर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, बंगलौर
8	के.आर. रामामूर्ति	संयोजक, आर्थिक कार्य पैंनल, भारतीय उद्योग परिसंघा, कर्नाटक परिषद
9	के.एन.जयालिंगरपा	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर, ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, बंगलौर
10	सुश्री उमा रेड्डी	अध्यक्ष, कर्नाटक महिला उद्यमी संघ, बंगलौर
11	एन. जया कुमार	अध्यक्ष, कर्नाटक लघु उद्योग संघ, बंगलौर
12	अमरनाथ एन पाटिल	अध्यक्ष, हैदराबाद-कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर, गुलबर्ग
13	परस राम यादव	अध्यक्ष, उत्तरी कर्नाटक लघु उद्योग संघ, हुबली
14	वी. वेंकट रेड्डी	अध्यक्ष, दक्षिण भारत चीनी मिल संघ, कर्नाटक चैप्टर, बंगलौर
15	जयप्रकाश तेंगिनकाई	अध्यक्ष, उत्तरी कर्नाटक लघु उद्योग संघ

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	रामचन्द्र गौड़ा	विधायक
2	बी. सोमशेखर	विधायक
3	बी.के.दास	अपर मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव (वित्त)
4	डी.एन.नरसिम्हा राजू	सचिव (व्यय), वित्त विभाग
5	जी.गुरूचरण	सचिव (बजट एवं समाधान), वित्त विभाग

13. केरल (22 दिसम्बर,2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	ए.के.एंटोनी	मुख्य मंत्री
2	वी. रामचन्द्रण	उपाध्यक्ष, राज्य आयोजना बोर्ड
3	एम.वी.राघवन	सहयोग एवं पत्तन मंत्री
4	कदावूर शिवदासन	विद्युत मंत्री
5	टी.एम.जैकब	सिंचाई एवं जलापूर्ति मंत्री
6	आर. बालकृष्ण पिल्ले	सड़क परिवहन मंत्री
7	श्रीमती के.आर.गौरी अम्मा	कृषि मंत्री
8	पी.के. कुन्हालीकुट्टी	उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
9	के. शंकर नारायण	वित्त मंत्री
10	के.एम.मणि	राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री
11	बाबु देवकरण	श्रम एवं रोजगार मंत्री
12	एन. चन्द्रशेखरन नायर	मुख्य सचिव
13	श्रीमती सुधा पिल्ले	प्रधान सचिव (वित्त)
14	के. राममूर्ति	सचिव (स्वास्थ्य)
15	ई.के.भारतभूषण	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)
16	श्रीमती लीला जैकब	सचिव (पीडब्ल्यू एवं एस डब्ल्यू)
17	श्रीमती लिजी जैकब	प्रधान सचिव (विद्युत एवं वन)
18	टी.एम. मनोहरन	अध्यक्ष (केएसईबी)
19	सी.पी.जोहन	सदस्य, आयोजना बोर्ड
20	के.जे. मैथ्यू	प्रधान सचिव (जल संसाधन)
21	जी.के.पिल्ले	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
22	बाबु जैकब	अपर मुख्य सचिव
23	के. मोहनदास	प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)
24	एन.रामकृष्णन	प्रधान सचिव (गृह)
25	एसृ सुन्दरेशन	प्रधान सचिव(राजस्व)
26	जी. राजशेखरन	सचिव (परिवहन)
27	जोहन मैथई	प्रधान सचिव (उद्योग)
28	अल्फोंस लूईस इरायल	अपर डीजी (जेल)
29	के. शिवनंदन	निदेशक (अग्नि एवं बचाव सेवाएं)
30	वी.सोमासुन्दरन	आयुक्त (वाणिज्य कर)
31	डा. के.एस.अब्रहाम	सचिव (एमजीपी)
32	एस.एम. विजयानंद	सचिव (आयोजना एवं आर्थिक कार्य)
33	पीप. कमलकुट्टी	सचिव (स्थानीय स्व सरकार)
34	श्रीमती टी.आर.इंदिरा	प्रबंधन निदेशक (केरल जल प्राधिकरण)
35	टी.के. ससी	मुख्य अभियंता (सिंचाई)
36	पी. प्रसाद बाबू	मुख्य वन संरक्षक
37	जोसेफ मैथ्यू के	मुख्य अभियंता (आरएवं डी)
38	जैकब पुनोस	एडीजी (पुलिस)
39	एम.एन.कृष्णामूर्ति	आईजी (पुलिस)
40	एम. शशिधरण नाम्बियार	पंजीयक (उच्च न्यायालय)
41	दिनेश शर्मा	उत्पाद आयुक्त
42	वी.एस. सेन्थिल	सचिव (वित्त)
43	अश्विनी कुमार राय	अपर सचिव (वित्त)
44	ई.के. प्रकाश	अपर सचिव(वित्त)
45	एन. राजेन्द्र प्रसाद	उप-निदेशक (वित्त)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि		
	सर्वश्री	
1	जे.चन्द्रास	मेयर, तिरुवनंतपुरम कारपोरेशन
2	दिनेश मोनी	मेयर, कोची कारपोरेशन
3	श्रीमती सी.एस.सुजाता	अध्यक्ष, अल्फुजा जिला पंचायत
4	प्रो. ए.सी.जोसेफ	अध्यक्ष, पाल म्युनिसिपैलिटी,कोटयाम
5	श्रीमती वासुमती जी नायर	अध्यक्ष, अतिंगल म्युनिसीपैलिटी, तिरुवनंतपुरम
6	के.बी. मुहम्मद कुट्टी	अध्यक्ष,ईरनाकुलमजिला पंचायत
7	के.वी. रामाकृष्णन	अध्यक्ष, पलकाड़ जिला पंचायत
8	पी. खालिद मास्टर	अध्यक्ष, केरल ग्राम जिला संघ
9	जे.अरून्धती	अध्यक्ष, नेदुमंगद ब्लॉक पंचायत
10	के.के. कोचूमोहम्मद	अध्यक्ष,चेरपु ब्लाक पंचायन, त्रिश्शूर
11	आर. शिवराजन	कराकलम ग्राम पंचायत, तिरूअनन्तपुरम
राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि		
	श्रीमती/श्री	
1	पी.सी. सिंह	कार्यकारी समिति सदस्य, के.पी.सी.सी.
2	ड. थामस इस्हाक	एमएलए, राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई (एम)
3	ई.टी. मोहम्मद बशीर	एमएलए, आईयूएमएल
4	ई. चन्द्रशेखरन नायर	राष्ट्रीय परिषद के सदस्य,सीपीआई
5	जॉय अब्राहम	महासचिव, केरल कांग्रेस (एम)
6	प्रो. जोसेफ स्क्रीह	महासचिव, केरल कांग्रेस (जेकब)
7	टी.जे. चन्द्र चूड़न	सचिव, आरएसपी
8	के. रामन पिल्लई	राज्य जनरल सेकेट्री,बीजेपी
9	वी. रविकुमार	जनरल सेकेट्री,एनसीपी
10	पी.सी. जार्ज (एमएलए)	अध्यक्ष, केरला कांग्रेस (सेक्युलर)
11	कराकुलम कृष्णपल्ली	जनरल सेकेट्री कांग्रेस (एस)
12	प्रो. ए. वी. थामर्कशन	राज्य जनरल सेकेट्री, आरएसपी (बी)
13	डा. के. सी. जोसेफ	एमएलए पार्लियामेंटरी पार्टी लीडर, केरल कांग्रेस (जे)
14	के. आर. अरविन्दकृष्ण	सदस्य पायलट ब्यूरो, सीपीएम
15	डा. वर्गीज जार्ज	राज्य जनरल सेकेट्री, जनता दल (सेक्युलर)
16	राजन बाबू	एमएमए, अध्यक्ष जे.एस.एस.
17	श्रीमती सुधा पिल्लई	प्रधान सचिव (वित्त)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि		
	सर्वश्री	
1	डोमिनिक जे. मेचेरी	सेक्रेटरी, एसोसिएशन ऑफ प्लांटेर्स ऑफ केरल
2	आर. नीलकान्ता अय्यर	एक्जक्यूटिव कमेटी मेम्बर, त्रिवेन्द्रम चेंबर ऑफ कामर्स
3	पी. गणेश	क्षेत्रीय अध्यक्ष, कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री
4	जेवियर थॉमस कोनडोडी	अध्यक्ष, केरल स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
5	जे. ए. मजीद	अध्यक्ष, मालाबार चेम्बर आफ कामर्स
6	ई. एस. जोस	अध्यक्ष, मालाबार चेम्बर आफ कामर्स
7	सी.पी. जैन	उप-अध्यक्ष, केरल चेम्बर आफ कामर्स
8	ईपन कलप्पुरकल	सचिव, कोचीन चेम्बर एण्ड इंडस्ट्री
9	एन.आर. पाई	अध्यक्ष, कोचीन चेम्बर एण्ड इंडस्ट्री
10	जॉन मथाई	प्रधान सचिव (इंडस्ट्री)

मध्य प्रदेश (8 जून, 2004)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
राज्य सरकार के सदस्य		
	सर्वश्री	
1	श्रीमती उमा भारती	मुख्यमंत्री
2	राघव जी	वित्त विभाग मंत्री
3	भेरू लाल पटीदार	उपाध्यक्ष, राज्य आयोजना बोर्ड
4	कैलाश चावला	वाणिज्यिक कर विभाग मंत्री
5	कैलाश विजयवर्जीय	लोक निर्माण कार्य विभाग मंत्री
6	गौरीशंकर शेजवार	ऊर्जा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री
7	रमाकान्त तिवारी	स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री
8	चन्द्रभान सिंह	जेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री
9	अनूप मिश्रा	जन संसाधन विकास मंत्री
10	ओम प्रकाश ध्रुव	खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग मंत्री
11	बी. के. शाह	मुख्य सचिव
12	डा. जे.एल. बोस	अपर मुख्य सचिव, जीडीए
13	डा. ए. रैजदा	अपर मुख्य सचिव, गृह
14	सुमित बोस	प्रधान सचिव,
15	आर. एस. सिरोही	प्रधान सचिव, जीएडी
16	डा. रेखा भार्गव	प्रधान सचिव, जेल
17	राकेश साहनी	प्रधान सचिव, ऊर्जा
18	प्रदीप भार्गव	प्रधान सचिव, एनवीडीडी
19	सत्यानंद मिश्रा	प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
20	अवनि वैश्य	प्रधान सचिव, वन
21	श्रीमती अलका सिरोही	प्रधान सचिव, वाणिज्य कर
22	श्रीमती माला श्रीवास्तव	प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा
23	रणबीर सिंह	प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी
24	आर. परशुराम	प्रधान सचिव, सीएमओएण्ड पर्यटन्
25	आर. एन. बेरवा	प्रधान सचिव, टीडब्ल्यूएण्डडब्ल्यूसीडी
26	खुशी राम	प्रधान सचिव, पीएचईडी
27	अमर सिंह	प्रधान सचिव, आयोजना
28	डी. एस. माथुर	प्रधान सचिव, यूएडीडी
29	के. टी. चक्कू	प्रधान सचिव, पंचायत और आरडी
30	डा. वी. त्रिवेदी	प्रधान सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग
31	आर गोपालकृष्णन	सचिव
32	ए. पी. श्रीवास्तव	सचिव
33	प्रवीण गर्ग	सचिव
34	धीरज माथुर	सचिव, ऊर्जा
35	श्रीमती अरूणा शर्मा	सचिव, सीएमओ
36	परिमल राय	सचिव सीएमओ
37	आई. एस. दानी	आयुक्त उच्च शिक्षा
38	स्वदीप सिंह	सचिव, डब्ल्यूआरडी
39	ए. ए. खान	सचिव/आयुक्त, यूएडीडी
40	श्रीमती अमिता श्रीवास्तव	सचिव, टीडब्ल्यूडी
41	रंजीत चक्रवर्ती	सचिव,सेन्ट्रल बोर्ड फार मेजर ब्रिजेज, डब्ल्यूआरडी
42	के.एस.आर. वी.एस. चलम	आर्थिक सलाहकार
43	धर्मेन्द्र शुक्ला	अपर सचिव
44	एस. एन. मिश्र	अपर सचिव,सीएमओ
45	ए.पी द्विवेदी	पीसीसीएफ,एमपी,वन
46	एम. हाशिम	एमडी,एफडीसी, वन
47	पंकज अग्रवाल	निदेशक, बजट
48	कवीम वी. भटनागर	अवर सचिव

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	के. टी. चक्कू	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
2	ज्ञानेश्वर पाटिल	अध्यक्ष, जिला पंचायत, खंडवा
3	श्रीमती गीता चौहान	अध्यक्ष, जिला पंचायत, बरवान
4	केवल राम बुच	सरपंच, ग्राम पंचायत,अलामपुर,ब्लॉक तिमरानी,जिला-हर्दा
5	डी.एस. माथुर	प्रधान सचिव, शहरी प्रशासन एवं विकास
6	कैलाश विजयवर्जीय	मेयर, नगर निगम, इंदौर
7	श्रीमती मनोरमा गौड़	मेयर, नगर निगम, सागर
8	पूरन सिंह पलैया	मेयर, नगर निगम, ग्वालियर
9	अवध बिहारी गौड़	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद
10	राजीव शर्मा	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अम्बा, जिला-मोरेना
11	राजकुमार जैन	अध्यक्ष, नगर पंचायत,गोटेगॉव, जिला- बेतुल

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	एस.एस. वानखेडे	सचिव (जीएडी) मध्य प्रदेश सरकार
2	शरद जैन	भारतीय जनता पार्टी
3	बहादुर सिंह धाकड़	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
4	जयकरन साकेत	बहुजन समाज पार्टी
5	आनन्द पाण्डेय	कम्युनिस्ट पार्ट आफ इंडिया
6	चौधरी मुनव्वर सलीम	समाजवादी पार्टी

उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डा. विश्वपति त्रिवेदी	प्रधान सचिव, वाणिज्य और उद्योग
2	योगेश गोयल	उद्योग संघ, गोविन्दपुरा, भोपाल
3	मुकेश सचदेवा	उद्योग संघ, गोविन्दपुरा, भोपाल
4	प्रताप वर्मा	मध्य प्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ
5	श्रीमती मेघना घोष	मध्य प्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ
6	डा. दर्शन कटारिया	पीतमपुर औद्योगिक संघटन, धार
7	डा. गौतम कोठारी	पीतमपुर औद्योगिक संघटन, धार
8	डा. अजय नारंग	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
9	शिरीश पान्डेकर	उपाध्यक्ष, भोपाल यूनिट लघु उद्योग भारती
10	राजेन्द्र कोठारी	रेजिडेन्ट निदेशक, पीएचडी वाणिज्य मंडल
11	एल.के. महेश्वरी	पीएचडी वाणिज्य मंडल
12	एम.एस. त्यागी	मध्य प्रदेश वस्त्र मिल संघ
13	श्रीमती अर्चना भटनागर	सभापति, महिला उद्यमी महाकौशल संघ
14	एम.एस. बिल्लौर	भूतपूर्व सचिव, डब्ल्यूआरडी,जीओएमपी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
15	अक्षय कान्ति बूम	आर्थिक अनुसंधान प्राइवेट लि.
16	डा. आर.एस. गोस्वामी	अध्यक्ष, म. प्र. लघु उद्योग संघ
17	विपिन कुमार जैन	महासचिव, म. प्र. लघु उद्योग संघ
18	पी.एल. दुआ	सभापति, मालवा वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
19	विपिन मुल्लिक	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ

15 महाराष्ट्र (17-18 नवम्बर, 2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	एस. के. शिन्दे	मुख्य मंत्री
2	जयंत पाटिल	वित्त मंत्री
3	एच. के. पाटिल	जल संसाधन मंत्री
4	एम.वाई घोरपाडे	ग्रामीण विकास मंत्री
5	कागोडू थिम्मप्पा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
6	धरम सिंह	लोक निर्माण कार्य मंत्री
7	डा. ए.बी. मालकरेड्डी	चिकित्सा शिक्षा मंत्री
8	डी.बी. चन्द्र गौड़ा	कानून, संसदीय कार्य एवं विनिवेश मंत्री
9	डी.के. शिवकुमार	शहरी विकास मंत्री
10	टी जॉन	आधारभूत विकास एवं नागर विमानन मंत्री
11	अजीत निम्बालकर	मुख्य सचिव
12	जॉनी जोसेफ	मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव
13	जगदीश जोशी	अपर मुख्य सचिव (योजना)
14	यू.के. मुखोपाध्याय	अपर मुख्य सचिव (गृह)
15	ए.के.डी. जाधव	प्रधान सचिव (वित्त)
16	श्रीमती चितकला जुत्शी	प्रधान सचिव (व्यय)
17	आर. सी. जोशी	प्रधान सचिव (राजस्व)
18	वी.एस. धूमल	प्रधान सचिव (उद्योग)
19	एस.एस. हुसैन	प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)
20	बी.सी. खटुआ	प्रधान सचिव (जलापूर्ति एवं सफाई)
21	जे.एस. साहनी	प्रधान सचिव (सुधार)
22	सुधीर श्रीवास्तव	सचिव, (ए एंड आई)
23	शिवाजीराव देशमुख	सचिव, सहकारिता
24	एस.एस. मोमिन	सचिव, लोक निर्माण विभाग
25	एस.वी. सोडल	सचिव, सीएडीए
26	अजय बी. पाण्डेय	मुख्यमंत्री के सचिव
27	सुभाष एस. लल्ला	सचिव, शहरी विकास विभाग
28	जे.एम. पाठक	सचिव, विद्यालय शिक्षा एवं खेलकूद विभाग
29	जयंत कांबली	सचिव, ऊर्जा
30	एन.बी. पाटिल	सचिव, ग्रामीण विकास और जलापूर्ति
31	एस.के. श्रीवास्तव	सचिव, (ए एण्ड टी)
32	डी.एस. मालवंकर	सचिव एण्ड एफ.सी. बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण, मुम्बई
33	वी.के. अग्रवाल	आयुक्त, बिक्री कर
34	यू.सी. सारंगी	आयुक्त, सहकारिता
35	ए.के. मागो	एमसी, एमएमआरडीए
36	सुरेश कुमार	एसीएस, एसडीसी
37	आर.के. जुत्शी	एमडी, कपास संघ
38	डा. एस.के. गोयल	आयुक्त कृषि
39	बिजय कुमार	चीनी आयुक्त, एम.एस, पुणे
40	जयंत गायकवाड़	उप-सचिव, वित्त विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	महादेव भागोजी देयोल	मेयर, ब्रिहान मुम्बई कारपोरेशन
2	संजीव गणेश नाईक	मेयर, नवी मुम्बई कारपोरेशन
3	जे.एम. वाघमरे	अध्यक्ष, लातूर नगर निगम
4	जीवनराव गोरे	जिला परिषद, ओसमनाबाद
5	अवीनाश धाईगुडे	सभापति, पंचायत समिति, खंडाला
6	पोपट राव पवार	सरपंच, ग्राम पंचायत, हिवरे बाजार
7	के.सी. श्रीवास्तव	आयुक्त, नगरपालिका,ब्रिहान मुम्बई कॉरपोरेशन
8	सीताराम जे. कुंटे	सहायक आयुक्त, नगरपालिका ब्रिहान मुम्बई कॉरपोरेशन
9	ए.के.डी. जाधव	प्रधान सचिव (वित्त)
10	एस.एस. हुसैन	प्रधान सचिव, (ग्रामीण विकास)
11	सुभाष एस. लल्ला	सचिव, शहरी विकास विभाग
12	सुधीर श्रीवास्तव	सचिव, (ए एण्ड आई)
13	के.एन. खावरे	संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग
14	जयंत गायकवाड़	उप-सचिव, वित्त विभाग
15	श्रीमती जे.वी. चौधरी	उप- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
16	श्रीमती सीमा व्यास	उप- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	नारायण राणे	शिव सेना
2	महाजन	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
3	एकनाथ खाडसे	बीजेपी
4	अजीत अभ्यंकर	सीपीएम
5	ए.के.डी. जाधव	प्रधान सचिव (वित्त)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
6	सुधीर श्रीवास्तव	सचिव (ए एण्ड आई)
7	जयंत गायकवाड	उप-सचिव, वित्त विभाग

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	विक्रम शारदा	अध्यक्ष, महाराष्ट्र वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
2	शैलेश हरिभक्ति	अध्यक्ष भारतीय व्यापारी मंडल, मुम्बई
3	एम.एन. चाईनी	अध्यक्ष महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद
4	दिलीप दान्डेकर	अध्यक्ष, एफआईसीसीआई महाराष्ट्र राज्य परिषद
5	एकनाथ ठाकुर	वरि. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र वाणिज्य मंडल
6	श्रीमती किरन नंदा	भारतीय व्यापारी मंडल
7	सुशील जीवराजकर	एफआईसीसीआई पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष
8	ए.के.डी. जाधव	प्रधान सचिव (वित्त)
9	वी.एस. धूमल	प्रधान सचिव (उद्योग)
10	सुधीर श्रीवास्तव	सचिव, (ए एण्ड आई)
11	जयंत गायकवाड़	उप सचिव, वित्त विभाग

16 मणिपुर (30-31 मई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	ओ. ईबोबी सिंह	मुख्यमंत्री
2	था. देवेन्द्र सिंह	मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग और सांख्यिकी/डब्ल्यू एंडएम)
3	टी. पुन्जथांग तोनसिंग	मंत्री (विद्युत)
4	पीएच परिजात सिंह	मंत्री (एफसीएस)
5	गायकहंगम	मंत्री (निर्माण कार्य)
6	एल. नंदकुमार सिंह	मंत्री (एमएएचयूडी एवं एलएडब्ल्यू और एलए)
7	ए.पी. शर्मा	मुख्य सचिव
8	सिचहहुना	अपर मुख्य सचिव(आईएफसीडी/वन एवं निर्माण कार्य)
9	ए.ई. अहमद	प्रधान सचिव (गृह)
10	ए. लुईखम	आयुक्त (योजना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी)
11	वी.के. ठकराल	आयुक्त (वित्त)
12	चौ. ब्रिजेन्द्र सिंह	आयुक्त (विद्युत)
13	एल.पी. गोनमोई	आयुक्त(जीएडी/टीडी एण्ड हिल्स/ विटी.)
14	पी. शरत चन्द्र	आयुक्त(उच्च शिक्षा)
15	पी. प्रभात सिंह	आयुक्त (शिक्षा (एस)/ एसएस(कैब)
16	हेनरी के. हेनी	आयुक्त (कृषि/बागवानी/ सीएडीए)
17	डा. राजेश कुमार	आयुक्त (एमएएचयूडी)
18	था. शान्तिकुमार सिंह	आयुक्त (आईएफसीडी)
19	एल. लखेर	आयुक्त (आरडी एण्ड पीआर/ एसडब्ल्यू)
20	डा. आर. के. निमई सिंह	आयुक्त ओएसडी/12वां वित्त आयोग
21	पी. किपगेन	ओएसडी (निर्माण कार्य)
22	ए.के. पराशर	डी.पी.पी., मणिपुर
23	जी.के. प्रसाद	पीसीसीएफ
24	चन्द्रमणि सिंह	निदेशक (स्वास्थ्य सेवा)
25	जी. जॉयचन्द्र शर्मा	मुख्य अभियंता (पीएचईडी)
26	संतोष मचेरला	आईजीपी (प्रशासन)
27	मनीहर सिंह	परियोजना निदेशक (एलडीए)

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	आर.के. दोरेन्द्रो सिंह	एमएलए, नेता बीजेपी लेजिसलेचर पार्टी, मणिपुर
2	डा. एल. चन्द्रमणि सिंह	भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, फेडरल पार्टी आफ मणिपुर
3	ओ. जोय सिंह	एमएलए, अध्यक्ष मणिपुर पीपुल्स पार्टी, मणिपुर
4	डा. युमनाम महेन्द्र सिंह	सीपीआई (एम) के राज्य समिति सदस्य
5	डब्ल्यू. ईभोल मिती	सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) मणिपुर

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1	श्रीमती एम. बबिता देवी	अध्यक्ष, इंफाल पूर्व जिला परिषद
2	श्रीमती थॉ. सनहनबी देवी	अध्यक्ष, थौबल जिला परिषद
3	श्रीमती एच. ईबेटोम्बी देवी	अध्यक्ष, विष्णुपुर, जिला परिषद
4	जी. मोईरांगजियो	अध्यक्ष, इंफाल नगरपालिका परिषद
5	श्रीमती एच.एस.थम्पा देवी	अध्यक्ष, काक्टिंग नगरपालिका परिषद
6	पी. थोम्बा	अध्यक्ष विष्णुपुर नगरपालिका परिषद
7	के. रजैसिन	सीईओ, तामेनालौंग स्वायत्त जिला परिषद
8	के.एच. बीरमानी सिंह	सीईओ, सोनापति स्वायत्त जिला परिषद

क्र.सं.	नाम	पदनाम
9	हौखूलाल हैनसिंग	सीईओ, सदर हिल्स स्वायत्त जिला परिषद

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	एस. राजमणि	फेडरेशन ऑफ ऑल मणिपुर इंपोटर्स एक्सपोर्टर्स, चैम्बर आफ कामर्स एवं इंडस्ट्री
2	एस. ऋषिकुमार सिंह	आल मणिपुर इन्ट्रीप्रिन्यूअर्स एसोसिएशन
3	चौ. रंजीत सिंह	इंडो-म्यांनमार एक्जिम संघ
4	चिंगतम लुवांग	मणिपुर उद्योग संघ
5	टी. सोमोरेन्द्र सिंह	ऑल मणिपुर ज्वाइंट एक्शन कमेटी आन एक्सपोट-इंपोर्ट ट्रेड
6	डब्ल्यू नबाचन्द्र सिंह	इंडो-म्यांनमार सीमा व्यापारी संघ
7	के. राग सिंह	गरीबी उन्मूलन विकास संघ

17 मेघालय (1-2 जून, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डा. डी.डी. लपांग	मुख्यमंत्री, मेघालय
2	डा. डोनकूपर राय	उप-मुख्यमंत्री
3	एम.एन. मुखिम	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री
4	डा. एफ.ए. खोंगलम	मंत्री, राजस्व
5	पॉल लिंगदोह	खेल-कूद व युवा कार्य मंत्री
6	पी.जे. बजेले, आईएएस	मुख्य सचिव मेघालय
7	एस. के. तिवारी, आईएएस	अपर मुख्य सचिव
8	जे. एम. मुसकर आईएएस	प्रधान सचिव, सी एण्ड आरडी आदि
9	डब्ल्यू.एम.एस.पारीत आईएएस	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग आदि
10	जी.पी. वाहलैंग आईएएस	प्रधान सचिव, राजनीतिक विभाग आदि
11	एच. चिनकेनथंग आईएएस	प्रधान सचिव,कला एवं संस्कृति आदि
12	बी.के. देव वर्मा आईएएस	प्रधान सचिव, विद्युत विभाग आदि
13	एस.एस. गुप्ता आईएएस	आयुक्त व सचिव, वित्त आदि
14	के. एस. क्रोफा आईएएस	आयुक्त व सचिव, स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू आदि
15	सी.डी.क्यानजिंग आईएएस	आयुक्त व सचिव, जिला परिषद कार्य आदि
16	पी.एस. थैनक्यू आईएएस	आयुक्त व सचिव, चुनाव विभाग
17	श्रीरंजन आईएएस	आयुक्त व सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
18	एच. मारवेन आईएएस	आयुक्त व सचिव, पर्यटन विभाग
19	संजीव कुमार, आईएएस	आयुक्त व सचिव, रेशम उत्पादन और बुनाई
20	एन.एस. सामंत, आईएएस	आयुक्त व सचिव, आयोजना विभाग आदि
21	पी.डब्ल्यू. इंगटी आईएएस	आयुक्त व सचिव, सीएण्डआरडी आदि
22	के.एन. कुमार, आईएएस	आयुक्त व सचिव, मात्स्यिकी आदि
23	एम.एस. राव आईएएस	आयुक्त व सचिव, भूमि संरक्षण आदि
24	पी. खरकोनगोर आईएएस	आयुक्त व सचिव, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा
25	एल. राय आईएएस	आयुक्त व सचिव, शिक्षा विभाग
26	श्रीमती आर.वी.साउचिंग आईएएस	सचिव, कार्मिक आदि
27	पंजक जैन आईएएस	सचिव,उद्योग आदि
28	बी. पुरकायस्थ आईएएस	सचिव, वन एवं पर्यावरण आदि
29	बी. लिंगदोह आईएएस	सचिव, खाद्य, सीएस एण्ड सीए आदि
30	डा.पी.शकील अहमद आईएएस	सचिव, राज्यपाल के सचिव
31	एस. अहमद	सचिव, लोक निर्माण विभाग
32	एफ.एफ. खोंगवीर आईएएस	अपर सचिव, विद्युत आदि
33	एच.एल. पयरत्थू	अपर सचिव, राजस्व
34	श्रीमती पी. नोंगधर	संयुक्त सचिव, वित्त (आ.का.)
35	आई. सुन	उप-सचिव, वित्त (आ.का.)
36	श्रीमती डी.टी. खार्शिंग	उप-सचिव, वित्त (आ.का.)
37	एल. सैलो आईपीएस	पुलिस महानिदेशक
38	वी.के. नौटियाल आईएफएस	प्रधान वन संरक्षक
39	जे. लिंगदोह आईएएस	कर आयुक्त
40	बी. धर आईएएस	उत्पाद शुल्क आयुक्त
41	एस.के. सेन	खनिज स्रोतों के निदेशक
42	बी.के. पान्डा	शहरी कार्य निदेशक
43	जे. गोगोई	कृषि निदेशक
44	श्रीमती आर.एल. संगमा	निदेशक , मांस तथा प्राथमिक शिक्षा
45	एस.बी. गुरंग	उद्योग निदेशक
46	एच.के. मारक	निदेशक बागवानी
47	के.एल. त्रियांग	निदेशक, भूमि संरक्षण
48	बी.के. दत्ता	मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (भवन)
49	के.के. दास राय	मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी
50	आर. बी. पुरकायस्थ	मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी पी.एच.ई.
51	एच. सी. भट्टाचार्जी	सदस्य (तकनीकी) एमईएसईबी
52	एस. नॉगब्रि	सदस्य (वित्त) एमईएसईबी

क्र.सं.	नाम	पदनाम

स्वायत्तशासी जिला परिषद के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1 खासी हिल्स	पी. त्यानसॉग	मुख्य कार्यकारी सदस्य
स्वायत्तशासी	एस.एफ. काजी	उप मुख्य कार्यकारी सदस्य
जिला परिषद	के.आर. शनप्रू	सचिव, कार्यकारी समिति
डब्ल्यू साईमलीह	संयुक्त सचिव	
2 जयंतिया हिल्स	एम. परीयत	मुख्य कार्यकारी सदस्य
स्वायत्तशासी	एस. पडी	सचिव, कार्यकारी समिति
जिला परिषद	पी. लिंगदोह	प्रधान सचिव
एन. कालिता	परिषद इंजीनियर	
एफ. डब्ल्यू बलाह	मुख्य वन अधिकारी	
3 गारो हिल्स	ई.ए. संगमा	मुख्य कार्यकारी सदस्य
स्वायत्तशासी	एच.एन. संगमा	कार्यकारी सदस्य
जिला परिषद	आर. बी. मारक	परिषद इंजीनियर
4 सरकार	टी.सी. लिंगदोह	जिला परिषद कार्य मंत्री
सी.डी. किंजिंग,		
आईएएस	आयुक्त व सचिव	
एस.एस. गुप्ता,		
आईएएस	आयुक्त और सचिव, वित्त	
बी. लिंगदोह	सचिव, डीसीए	
श्रीमती पी.नोंगधर	संयुक्त सचिव, वित्त (आ.का.)	

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डा. मुकुल संगमा	महासचिव, एमपीसीसी (कांग्रेस आई)
2	डा. आर. सी. लालू	महासचिव, एमपीसीसी (कांग्रेस आई)
3	ओ. सियम मारिव	सदस्य, (कांग्रेस आई)
4	डा. पी. एम. पसाह	सदस्य राज्य यूनिट (बीजेपी)
5	ए. सिन्हा	सदस्य (बीजेपी)
6	डी. डेमपीप	सचिव (बीजेपी)
7	रंजीत कर	सदस्य कार्यकारी समिति (सीपीआई)
8	एफ. सूचियांग	अध्यक्ष, शिलांग कस्बा (यूडीपी)
9	आर.ए. लिंगदोह	सहायक महासचिव (एचएसपीडीपी)
10	एच.एस. लिंगदोह	अध्यक्ष (एचएसपीडीपी)
11	प्रिया रानी	महासचिव (एचएसपीडीपी)
12	आई.जी. लिंगदोह	कोषाध्यक्ष (एचएसपीडीपी)
13	जी.पी. वाहलंग,आईएएस	प्रधान सचिव, राजनीतिक विभाग (सरकार)
14	एस.एस. गुप्ता, आईएएस	आयुक्त व सचिव, वित्त विभाग (सरकार)
15	श्रीमती आर.वी.सूचियांग आईएएस	सचिव, राजनीतिक विभाग (सरकार)
16	श्रीमती पी. नोंगधर	संयुक्त सचिव, वित्त (आ.का.) (सरकार)

उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	पी. डी. चोखानी	अध्यक्ष, फ्रंटियर चेंबर ऑफ कामर्स
2	एस.के. थारड	सचिव, फ्रंटियर चेंबर ऑफ कामर्स
3	ओ.पी. अग्रवाल	पूर्व-अध्यक्ष, फ्रंटियर चेंबर ऑफ कामर्स
4	पी. चौधरी	सदस्य, फ्रंटियर चेंबर ऑफ कामर्स
5	एस. कुमार	महासचिव (अंतराष्ट्रीय व्यापार पूर्वोत्तर परिसंघ)
6	श्रीमती ई.आर.एमलिंगदोह	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, (अंतराष्ट्रीय व्यापार पूर्वोत्तर परिसंघ)
7	के. एफ. रंगद	सलाहकार (उद्योग परिसंघ, मेघालय)
8	बी. एल. बजाज	उपाध्यक्ष (उद्योग परिसंघ, मेघालय)
9	एस.सी. सुराना	अध्यक्ष (मेघालय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल)
10	आर. एल. सेथिया	महासचिव, (मेघालय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल)
11	एस.एस. गुप्ता,आईएएस	आयुक्त एवं सचिव,इंडस्ट्री (मेघालय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल)
12	श्रीमती पी. नोंगधर	संयुक्त सचिव, वित्त (ईए) (सरकार)
13	एस.बी. गुरंग	निदेशक, उद्योग (सरकार)

18 मिजोरम (31 मई से 1 जून, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	जोरेमथंगा	मुख्यमंत्री
2	तानुलिया	गृहमंत्री
3	आर. तलांगमिथंगा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदि
4	डा. आर. लालथंगलिना	विद्यालय शिक्षा मंत्री आदि
5	बी. लालथलेनग्लिआना	भू राजस्व और निपटान मंत्री आदि
6	एच. वी. लालरिंगा	मुख्य सचिव

क्र.सं.	नाम	पदनाम
7	वनहेला पाचुआउ आईएएस	सचिव, विद्यालय शिक्षा आदि
8	हुकुम हाउजेल, आईएएस	सचिव, योजना आदि
9	एल. तोछ्वंग, आईआरएस	सचिव, स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा आदि
10	सी. रोखमा, आईआरएस	सचिव, व्यापार एवं उद्योग
11	लालमलस्वामा, आईएएस	सचिव, डीपीएण्ड एआर आदि
12	एस.के. जैन,आईएएस	सचिव,आई एण्ड पी आर
13	जे.एस. रामफंगजउवा,आईईएस	सचिव, परिवहन आदि
14	रूचिला सेइवी,आईए एंड एएस	सचिव, वित्त, उत्पाद शुल्क आदि
15	एस. एन. कटिला,आईएफए (पीसीसीएफ)	सचिव, वन आदि
16	सी. रोपिंगा, आईएएस	सचिव, एसएडी आदि
17	पी. चक्रवर्ती,एम.जे.एस.	सचिव, कानून एवं न्याय
18	रामलुना खियांगते एमईएस	सचिव, लोक निर्माण कार्य विभाग
19	एन. बालचन्द्रन, आईएएस	सचिव, भूमि एवं जल संरक्षण
20	कानहावला, आईएएस	सचिव, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति
21	लालरमथंगा टोछ्वंग,आईएएण्डएस	सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग
22	आर.के.थंगा,आई.आर.एस.	सचिव, कृषि एवं बागवानी
23	लालरमथंगा टोछ्वंग,आईएएण्डएएस	सचिव, कला एवं संस्कृति
24	जे.सी. लालरूथंगा,आईएएस	सचिव, भू-राजस्व एवं निपटान
25	एम. तुमसंगा, आईपीएस	पुलिस महानिदेशक
26	सी. मिंग्थाजुआला,आईएएस	निदेशक, उद्योग विभाग
27	योगराज,आईएएस	निदेशक, एटीआई
28	बावी चिगुपुई	निदेशक, कला एवं संस्कृति
29	एफ लालुरा	निदेशक, विद्यालय शिक्षा
30	लाल बिआकथुमा	सलाहकार योजना
31	एल.आर. सैलो	निदेशक, आई एण्ड पीआर
32	एम. दानग्लिआना	मुख्य अभियंता, पी.एंडई.
33	डा. ओ.पी. सिंह	निदेशक, कृषि एवं लघु सिंचाई
34	सी.एल. थंगलियाना	मुख्य अभियंता, पीएवंई
35	सैमुअल रोसैंगलुश	निदेशक, बागवानी
36	एम. जोमिंगथंगी	निदेशक, परिवहन विभाग
37	बी. संघलूना	निदेशक, पर्यटन
38	जोलियान रोयटे	निदेशक, खेल-कूद एवं युवा सेवाएं
39	टी. वी. फेमबॉल	नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
40	डा. रोथेंगलियाना	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
41	डा. जोरमथंगी	निदेशक, अस्पताल एवं चिकित्सा शिक्षा
42	बी. डरखुमा	निदेशक, एल.ए.डी.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

क्रम सं.		नाम	पदनाम
1	भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)	श्री वनलालंगैया	महासचिव
		श्री राबर्ट जोसंगा	प्रेसीडेंट,बीजेपी (युवा)
		श्री लालथियांघलिमा	उपाध्यक्ष (मीडिया)
2	मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ)	श्री ललहोपजोवा	राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य
		श्री माविजुआला	सचिव
		श्री बीऑकथुंजुला	सचिव
3	मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी)	श्री लालथियांघलिवा	एमएलए, प्रेसीडेंट
		श्री जे. लालसंगजुला	
		श्री लालखामा	

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1	चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी)	श्री रिसिक मोहन	मुख्य कार्यकारी सदस्य
		श्री हीरानंद तोंग	उपाध्यक्ष
		श्री पी. के. तोंग	संपर्क अधिकारी
2	लाय स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी)	श्री बी. थांगचुन्गा	मुख्य कार्यकारी सदस्य
		श्री एच. संखर	कार्यकारी सचिव
		श्री सी. जोरामथंगा	आयोजना एवं विकास अधिकारी

क्रम सं.		नाम	पदनाम
3	मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी)	श्री एस. पैली	मुख्य कार्यकारी सदस्य
		श्री जे. पेथी	आयोजना एवं विकास अधिकारी
		श्री वी. जैको	वरिष्ठ राजस्व अधिकारी
4	मिजोरम नगरपालिका स्थाई समिति (एमएमएससी)	श्री एम.लालमनजुला, आईएएस, (रिटायर)	सलाहकार
		श्री सी. लालरमदिना	अध्यक्ष
		श्री लालस्वायरीमा	उपाध्यक्ष
5	ग्राम परिषद संस्था (वीसी)	श्री लालकुंगा	प्रेसीडेंट
		श्री लालमनधिया	महासचिव
		श्री थांगमविया	सचिव
व्यापार एवं औद्योगिक प्रतिनिधि			
1	हनाम छन्तु पाल	श्री आर. रामहमनधिहा	प्रेसीडेंट
		श्री आर लालहमनजिउला	महासचिव
		श्री लालजमलोवा	सदस्य
2	मिजोरम उद्योग एवं वाणिज्य मंडल	श्री के. लालमिंगथंगा	प्रेसीडेंट
		श्री के. रोमविया	कोषाध्यक्ष
		श्री जे. लालथनमविया	महासचिव
3	मिजोरम उद्योगपति संघ (एमएलए)	श्री लालमचहुना	कनसल्टेंट
		श्री लालथंकिमा	अध्यक्ष
		श्री लालरांगघाका	उपाध्यक्ष

19 नागालैण्ड (11-12 मई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	निपहुई रोय	मुख्यमंत्री
2	के. थेरी	वित्त मंत्री
3	कियामिली पेसिये	अध्यक्ष, नागालैण्ड विधान सभा
4	टी.एम. लोथा	गृह मंत्री
5	एच खेहिका जिमोमी	उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
6	नोके	आरईपीए एवं एलएसजी मंत्री
7	जेड. ओबेड	पीएचई मंत्री
8	स्थिरहोजेलाई	योजना मंत्री
9	थेनूको	एच एवं एफ डब्ल्यू मंत्री
10	तुनवीन	विद्युत मंत्री
11	आर.एस. पाण्डेय	मुख्य सचिव
12	पी. टलिटेमजेरा ओ	अपर मुख्य सचिव (गृह)
13	लक्थारा	अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
14	वी.एन. गौर	मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव
15	डा. एस.सी. देवरानी	प्रधान सचिव (एफ एण्ड ई)
16	बानयू जेड. जमीर	प्रधान सचिव (कृषि)
17	तोशी एयियर	प्रधान सचिव
18	इंमरोंगकेम्बा	सचिव (पशुपालन/पशु चिकित्सा)
19	वी. शेखोर	सचिव
20	एल.एच. थांगी मनेन	सचिव (पर्यटन)
21	जोविल्स सेमा	सचिव (सहकारिता)
22	आई. सोया	सचिव
23	लेफ्टिनेंट कर्नल सी. जखालू	सचिव, राज्य सेनिक बोर्ड
24	मेटोंगगोनेरे ए. ओ.	आयुक्त/सचिव (विधि)
25	यनथान	सचिव (वाईआरएस)
26	अयमो जनी	सचिव (बागवानी)
27	वी. साकेरी	सचिव(एसई)
28	एच. के. हेटोन	सचिव (एलएण्डटी)
29	ए. एस. बत्रा	सचिव (सीएसजी)
30	टी. एन. मनेन	आयुक्त, नागालैण्ड
31	सी.आर. लोथा	निदेशक (एलओटी) एवं अपर सचिव (ईएण्डएस)
32	आर. बी. अचरजया	अपर सचिव सार्वजनिक मामले
33	रोको पियर	अपर सचिव, पीएचई
34	नेहू सी. थुर	अपर सचिव, (डब्ल्यू डी)
35	एन. मसीन	संयुक्त सचिव,
36	टी. मपमोंगबा	संयुक्त सचिव, उद्योग
37	एन. हंगसिंग	संयुक्त सचिव, ग्राम विकास (आरडी)
38	बेनडानघोक बी. ए.	संयुक्त सचिव, (पी)
39	जे. चंगकिजा	पुलिस महानिदेशक
40	सी.पी. गिरि	पुलिस महानिरीक्षक (इंट)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
41	वी. केसीईजी	निदेशक
42	एन. पुतसूरे	निदेशक , (डब्ल्यू डी)
43	डा. सुपोंग केटजार	निदेशक (कृषि)
44	सचियमा वियू	निदेशक, (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)
45	विसुथा अंगमी	निदेशक, (वाईएएस)
46	के. हरलक	निदेशक, (डीयूडीए)
47	मजोजर मेकरो	निदेशक, (रेशम उत्पादन)
48	एच. के. चिश्की	निदेशक, (जी एण्ड एम)
49	वाई.वाई किकोन	निदेशक, (बागवानी)
50	एन. पंगर जमीर	निदेशक, (एम्प)
51	जी. कीपेन रेंगमा	निदेशक, (उद्योग एवं वाणिज्य)
52	आर. सी. आचार्य	निदेशक, (टी एण्ड ए)
53	जे. इस्लाम पोंगनू	निदेशक, (पर्यटन)
54	मेतसूबो जमीर	निदेशक, (आरडी)
55	केविनिनो पी. मेकम	निदेशक, (ए एण्ड सी)
56	विखो यीशू	विशेष कार्य अधिकारी, (जीएण्डएम)
57	अर्पणा भाटिया	विशेष कार्य अधिकारी आयोजना एवं निदेशक (मूल्यांकन)
58	केन केदित्सू	मुख्य नगर आयोजक
59	एफ.पी. सोलो	अपर निदेशक
60	डा. शशिमेरन चिन	अपर निदेशक, (चिकित्सा)
61	टी. किंकोन	अपर पुलिस महानिदेशक
62	टी. नुकसुंग	संयुक्त निदेशक (मूल्य निर्धारण)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
63	टी. लनुजमीर	संयुक्त निदेशक (नागरिक आपूर्ति)
64	वाई तेकसंग एल ए	उप सचिव (उत्पाद शुल्क)
65	के. कोपटो	पुलिस महानिरीक्षक (पी)
66	के. क्रूस	एसई (मॉल)पीएचई
67	ईर. चाम्बोमा लोथा	उप मुख्य अभियंता
68	ईर. यानबेमो लोथा	कार्यकारी अभियंता (एच) लोक निमार्ण कार्य
69	ई.टी. नगेली	उप पुलिस निरीक्षक
70	डा. पिकेटो सीमा	अपर एच.टी.ई.
71	डा. जवेई हियरे	एस.एस.ओ. (एसएण्डटी)
72	मेजाकरोल	अपर मुख्य अभियंता (स्था)
73	डा. केपेलनसिस	डीएमएस
74	डा. जी.बी. चेतरी	डीएमएस
75	ईर. टी.सी. लांगचर	मुख्य अभियंता (मके.)
76	एम. इमतिला जमीर	अपर आर.सी.एस
77	आर. बी. थांग	सीईएस (सेरी. एण्ड बी/ अफेयर्स)
78	पेकुशेतयू अंगामी	महाप्रबंधक, एनएसटी
79	डा. एन. मेयसी	डीओवी (पशु चिकित्सा)
80	एस.आई. लांगकुमेर	मुख्य अभियंता (विद्युत)
81	पी. चुबा चे	प्रबंधक (एसए)
82	ई.टी. सुनप	एसीएस (टीपीटी)
83	वेलु ओ. सिसु	उप निदेशक
84	माथुंग यनथान	उप निदेशक (डब्ल्यू डी.)
85	जेड मेसेन	वरि. लेखाधिकारी (एच एण्ड एफडब्ल्यू)
86	लोनेनमुन	एओ पीसीसीएफ (वन)

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1	नागालैण्ड पिपुल्स फ्रंट	श्री आई.के. सीमा	कार्यकारी प्रेसीडेंट
		श्री चुबतेमजेन	महासचिव
2	भारतीय जनता पार्टी	श्रीएनसी जेलिंग	प्रवक्ता
3	जनता दल	श्री हुस्का सूमी	मंत्री (कृषि)
4	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (एनपीसीसी)	श्री आई. एमकाँग	सीएलपी नेता
		श्री हिखेतो सूमी	कार्यकारी प्रेसीडेंट

उद्योग एवं व्यापार संघ के प्रतिनिधि

1	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)कोहिमा	श्री एम.एम. जमीर	अध्यक्ष, नागालैण्ड शाखा
		श्री चुम्बा ओजुकुम	नागालैण्ड शाखा
2	नागालैण्ड लघु उद्योग संघ (एनएएसएसआई) दीमापुर	श्री लनू जमीर	प्रेसीडेंट
3	नागालैण्ड आद्योगिक उद्यमी संघ (आईईएएन)	श्री हरीश अध्यानथाया	
4	दीमापुर वाणिज्य मंडल	श्री डी.सी. जैन	महासचिव
		श्री पन्ना लाल सेठ	सदस्य
		श्री यू. एस. अग्रवाल	अधिवक्ता
		श्री ओमप्रकाश	सदस्य
5	मोकोकचुंग वाणिज्य मंडल	श्री लनुकबा	महासचिव

क्र.सं.	नाम	पदनाम

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	नोकेचि	सेकेण्ड जी.बी. हकफैंग लोंगलेंग
2	फेकलांग	अध्यक्ष, वी.सी. हकफैंग, लोंगलेंग
3	लिचोज	वीडीबी सचिव, न्यु मोंगर, किफायर
4	एच. चुबा	वीडीबी सचिव, वाई/अन्नार, ट्र्यंसार
5	क्यूविसिओ रियो	वीडीबी सचिव, टोफेमा, कोहिमा
6	के. टोकियू	वीडीबी सचिव, संघेम्टे, किफैरे
7	पी. थुंगबेमो	वीडीबी सचिव, एलूम्यो, वोखा
8	एच. मेरेन	वीडीबी सचिव,याशेम लोंगलेग
9	टी. थंरनानेनबा	वीडीबी सचिव,संघपुर, टयूसांग
10	जेचेटी	वीडीबी सचिव, लोसामी, फेक
11	चुबा	वीडीबी सचिव, अंगनबा, टयूसांग
12	वांगशेक	अध्यक्ष,वीडीबी एएसएसएन, चुन्यु माने
13	अकई	वीडीबी सचिव,चंगलांग, मोन
14	लोंगफोम	वीडीबी सचिव, डब्ल्यू/वास्मा मोन
15	एस. जी. होलो	जिखू वीडीबी सचिव यूनियन अध्यक्ष दीमापुर
16	ताली पोंगनेर	वीडीबी सचिव, यूनियन रजूफे, धीमापुर
17	किखेवी	वीडीबी सचिव, बैम्हो जुन्हेबेतो
18	इथोटो येपथो	वीडीबी सचिव, येमिशे, जुन्हेबेतो
19	चुबवती	वीडीबी सचिव, अलीबा, मोकोक्चंग
20	चिनेहू	अध्यक्ष, वी.सी.सी., कुत्सापो, फेक
21	ए.एच. तापदार	कार्यालय अधीक्षक, धीमापुर शहरी समिति
22	जरेनथुंग इजुग	प्रशासनिक अधिकारी, वोखा शहरी समिति
23	बेइयू अंगामी	प्रशासनिक अधिकारी, कोहिमा शहरी समिति

2. उड़ीसा (12 फरवरी, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	नवीन पटनायक	मुख्यमंत्री
2	विश्वभूषण हरिचन्दन	राजस्व और कानून मंत्री
3	आनंद आचार्य	उत्पाद शुल्क मंत्री
4	समीर डे	शहरी विकास मंत्री,पीजी एण्ड पीए
5	कनक वर्धन सिंह देव	उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
6	अनंग उदय सिंह देव	इस्ताव एवं खनन, सू. प्रौ. और पर्यटन
7	प्रफुल्ल चन्द्र गाडेई	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री
8	सुरेन्द्र नाथ नाइक	लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री
9	सूर्या नारायण पत्रों	ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण
10	डा. दामोदर राउत	पीआर, आई एण्ड पीआर और संस्कृति मंत्री
11	वेद प्रकाश अग्रवाल	ग्रामीण विकास,एफएस एण्ड सीडब्ल्यू मंत्री
12	पंचानन का-नुंगो	संसदीय कार्य (उद्योग)और वित्त राज्य मंत्री
13	बलभद्र माझी	अ.जा. और अ.ज.जा. विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री
14	पी.के. मोहंती	मुख्य सचिव,
15	डा. यू सरत चंद्रन	प्रधान सचिव, (वित्त)
16	ए.के. त्रिपाठी	प्रधान सचिव, (उद्योग, श्रम एवं उत्पाद शुल्क)
17	आर.एन. बोहिन्दर	प्रधान सचिव, (ऊर्जा)
18	जी.बी. मुखर्जी	प्रधान सचिव, (वन एवं पर्यावरण)
19	एस. कुमार	प्रधान सचिव, (गृह)
20	टी. के. मिश्रा	प्रधान सचिव, (एफ.एस. एण्ड सी.डब्ल्यू)
21	एस.एस. सारंगी	प्रधान सचिव, (कृषि)
22	आर. सी. बेहरा	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
23	जे.के. महापात्रा	सचिव, लोक उद्यम विभाग
24	आर.एन. सेनापति	सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
25	रंगालाल जमुदा	सचिव,राजस्व विभाग
26	पी.सी. मिश्रा	सचिव,खेलकूद एवं युवा सेवा विभाग
27	असित त्रिपाठी	सचिव, पर्यटन एवं आईटी विभाग
28	एस.बी. अग्निहोत्री	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
29	बी.के. पटनायक	सचिव, जल संसाधन विभाग
30	एन.सी. वासुदेवन	सचिव, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग
31	एस.एन. त्रिपाठी	सचिव, पंचायती राज विभाग
32	ए. रस्तोगी	सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग

क्र.सं.	नाम	पदनाम
33	अरबिन्दो बेहरा	सचिव, ग्रामीण विकास एवं निर्माण कार्य
34	अशोक कुमार त्रिपाठी	सचिव, एफएआरडी विभाग
35	पी.के. मिश्रा	विशेष सचिव, वित्त विभाग
36	टी.के. पाण्डेय	विशेष सचिव, जी. ए. विभाग
37	आर. वी. सिंह	विशेष सचिव, पीएण्डसी विभाग
38	के.सी. बदू	अपर सचिव, वित्त विभाग
39	नलिनी मोहन मोहंती	अपर सचिव, जन संसाधन विभाग
40	एस.एस. पटनायक	अपर सचिव, वित्त विभाग
41	आर.एन. दास	संयुक्त सचिव, सहकारी विभाग
42	बी. मिश्रा	संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
43	एच.एच. पनीघरहे	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
44	आर. के. चौधरी	संयुक्त सचिव,वित्त विभाग
45	बी.पी. मोहंती	निदेशक, आई एण्ड पी आर विभाग
46	आर. मिश्रा	निदेशक, (एफ) ग्रिडको
47	देवी प्रसाद महापात्रा	निदेशक, संस्कृति
48	गोपीनाथ मोहंती	निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएं
49	डा. पी.के. सेनापति	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
50	आर.के. शर्मा	निदेशक, उद्योग
51	आर. चोपड़ा	निदेशक, अ.जा.और अ.ज.जा. विकास विभाग
52	एस.पी. मिश्रा	उप सचिव,अ.जा.व अ.ज.जा. विकास विभाग
53	राशिद खान	अवर सचिव, पंचायती राज विभाग
54	चक्रयुद्ध होता	अवर सचिव, वित्त विभाग
55	राजेश वर्मा	एमडी, आईडीसीओ. विभाग
56	एस.सी. महापात्रा	सीएमडी, ग्रिडको
57	जी. बेहरा	मुख्य कार्यकारी ओरसाक
58	यू.के. पान्डा	कंपनी सचिव, ग्रिडको
59	डी. विश्वास	सीजीएम (वि.)ग्रिडको
60	के.एम. राउत	अपर आयुक्त, राहत

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	आई. बेहरा	आयुक्त कटक एमसी
2	सुरेश चंद्र मंत्री	आयुक्त भुवनेश्वर एमसी
3.	पूर्णचन्द्र राउत	अध्यक्ष, अंगुल एनएसी
4.	सुश्री सुलोचना स्वैन	अध्यक्ष बरहामपुर नगरपालिका
5.	सुश्री निवेदिता प्रधान	महापौर, कटक नगर निगम
6.	मिहिर कुमार मोहन्ती	महापौर भुवनेश्वर नगर निगम
7.	कुमारी शक्रमणि	सरपंच, भालुलता ग्राम पंचायत
8.	इंजी. शमिता बेहेरा	अध्यक्ष, तल्वर पीएस
9.	पवित्र कुमार	अध्यक्ष नारला पीएस
10.	गौतम रे	अध्यक्ष जिला परिषद, जाजपुर
11.	दामोदर राउत	पंचायती राज मंत्री
12.	समीर डे	शहरी विकास मंत्री
13.	पी.के. मोहन्ती	मुख्य सचिव, उड़ीसा
14.	डा. यू.सरत चन्द्रन	प्रधान सचिव (वित्त)
15.	श्रीमती राजलक्ष्मी	प्रधान सचिव,आवास एवं शहरी विकास विभाग
16.	एस.एन त्रिपाठी	सचिव, पंचायती राज विभाग

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	नरेन्द्र कुमार स्वैन	महासचिव, राज्य बीजू जनता दल
2.	नित्यानन्द प्रधान	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
3.	कल्पतरू दास	बीजू जनता दल
4.	डा. यू.सरत चन्द्रन	प्रधान सचिव (वित्त)
5.	के.सी. बद	अपर सचिव, वित्त विभाग

व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	निरंजन मोहन्ती	निदेशक, सीआईआई
2.	टी.सी. होता	अध्यक्ष, उत्कल वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
3.	एल.के. पटौदिया	अध्यक्ष, ओवाईईए
4.	अजीत महापात्रा	अध्यक्ष, उत्पादक परिषद
5.	के.वी. सिंह देव	उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
6.	ए.के. त्रिपाठी	प्रधान सचिव (उद्योग)
7.	जी. मोहन कुमार	आयुक्त (वाणिज्यिक कर)

पंजाब (22 और 24 जुलाई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	कैप्टन.अमरिन्द्र सिंह	मुख्य मंत्री
2.	सुश्री राजेन्द्र कौर भट्टल	उप मुख्य मंत्री
3.	चौ. जगजीत सिंह	स्थानीय सरकार के मंत्री
4.	स. लाल सिंह	सिंचाई ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री
5.	स. प्रताप सिंह बाजवा	लोक निर्माण मंत्री
6.	रमेश चन्द्र डोगरा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
7.	जसजीत सिंह रन्धावा	सहकारिता मंत्री
8.	अवतार हेनरी	खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री
9.	सुरेन्द्र सिंगला	वित्त मंत्री
10.	हरनाम दास जोहर	शिक्षा मंत्री
11.	सरदूल सिंह	उत्पाद शुल्क एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन-सामग्री मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
12.	महिन्द्र सिंह केपी	परिवहन मंत्री
13.	जय सिंह गिल, आईएएस	मुख्य सचिव
14.	सुश्री गुरूबिन्द्र चाहाल, आईएएस	वित्त आयुक्त (राजस्व)
15.	सुश्री रूपन दीओल बजाज, आईएएस	प्रधान सचिव (परिवहन)
16.	बी.आर. बजाज, आईएएस	प्रधान सचिव (स्थानीय सरकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी)
17.	के.आर. लखनपाल, आईएएस	प्रधान सचिव (वित्त एवं सिंचाई)
18.	वाई.एस. रात्रा, आईएएस	अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
19.	पी.के. वर्मा, आईएएस	वित्त आयुक्त (विकास)
20.	ए.के. दुबे, आईएएस	वित्त आयुक्त (सहकारिता)
21.	मुकुल जोशी, आईएएस	वित्त आयुक्त (कराधान)
22.	सुश्री तेजिन्द्र कौर, आईएएस	प्रधान सचिव (स्कूली शिक्षा)
23.	एस.सी. अग्रवाल, आईएएस	प्रधान सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य)
24.	डी.एस. गुरू, आईएएस	सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
25.	जी.एस. सन्धु, आईएएस	सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायत)
26.	सुश्री कुसुमजीत सिन्धु, आईएएस	सचिव (ऊर्जा)
27.	ए.आर. तलवार, आईएएस	सचिव (योजना)
28.	रविन्द्र सिंह सन्धु, आईएएस	सचिव (लोक निर्माण)
29.	सुश्री रवनीत कौर, आईएएस	सचिव (वित्त)

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	सुनील दत्ती	महापौर, नगर निगम, अमृतसर
2.	सुरेन्द्र महाय	महापौर, नगर निगम, जालंधर
3.	जोगिन्द्र पाल जैन	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मोगा
4.	आर.एस. सैनी	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, नंगल
5.	जोगिन्द्र पाल सिंगला	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, मंडी गोविन्दगढ़
6.	सुश्री संतोष कटारिया	अध्यक्ष, जिला परिषद,, नवांशहर
7.	लखबीर सिंह	सदस्य, जिला परिषद, फतेहगढ़ साहिब
8.	सुरेन्द्र कुमार जस्सल	अध्यक्ष, पंचायत समिति, जालंघर
9.	सुश्री बलबीर कौर बंसल	सरपंच, ग्रामपंचायत बुंदला, जिला जालंघर
10.	संजेन्द्र सिंह चहल	अध्यक्ष, पंचायत समिति पटियाला

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	एच.एस. हंसपाल	अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस
2.	अशोक जुनेजा	वित्त सचिव, बीजेपी
3.	भूपेन्द्र संबर	सीपीआई
4.	बलवन्त सिंह	राज्य सचिव, सीपीएम
5.	संतोख सिंह अहुजला	सदस्य, अकाली दल (रवि इन्दर)
6.	जसवन्त सिंह मान	अध्यक्ष, अखिल भारतीय शिरोमणि अकाली दल
7.	प्रेम सिंह चंदूमाजरा	अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल (लोगोवाल)
8.	अतेन्द्रपाल सिंह	अध्यक्ष
9.	श्री राजवेन्द्र सिंह	सचिव, शिरोमणि अकाली दल (अन्तर्राष्ट्रीय)

व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	डी.एल. शर्मा	उपाध्यक्ष,वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि., लुधियाना
2.	अनुप बेक्टर	मैसर्स क्रेमिका एग्रो फूडस लि., कपूरथला
3.	संदीप गोयल	मैसर्स नैक्टर लाइफसाइंस लि., पटियाला
4.	गुरमीत सिंह	अध्यक्ष मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मोहाली
5.	सतीश बागड़ोदिया	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विनसम टैक्सटाइल ग्रुप लि.,चण्डीगढ़
6.	बी.एम. खन्ना	मैसर्स खन्ना पेपर मिल्स, अमृतसर

22. राजस्थान(31 अगस्त से 1 सितम्बर,2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	अशोक गहलोत	मुख्य मंत्री
2.	बनवारी लाल	उप मुख्य मंत्री
3.	डा. श्रीमती कमला	उप मुख्य मंत्री
4.	प्रद्युम्न सिंह	वित्त मंत्री
5.	डा. बी.डी. काला	डीओपी जीएडी ओएण्डएम एवं शिक्षा मंत्री
6.	छोगा राम बकोलिया	शहरी विकास एवं आवास मंत्री
7.	डा. सी.पी. जोशी	जन-स्वास्थ्य एवं इंजीनियरी मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
8.	डा. चन्द्र भान	उद्योग मत्री
9.	गुलाब सिंह शाकावत	पुनर्वास एवं राहत मंत्री
10.	गोविन्द सिंह गुर्जर	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
11.	हरेन्द्र मिर्धा	लोक निर्माण विभाग मंत्री
12.	राम नारायण चौधरी	ऊर्जा मंत्री
13.	प्रसादी लाल मीणा	सहकारिता मंत्री
14.	तैयब हुसैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
15.	श्रीमती बीना काक	वन एवं पर्यावरण मंत्री
16.	आर.के. नायर	मुख्य सचिव
17.	एम.डी. कौरानी	अपर मुख्य सचिव
18.	डी.एस. मीणा	अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त
19.	डी.सी. सामन्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरवीपीएन
20.	प्रमेश चन्द्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरवीपीएन
21.	एफ.एस. चरण	प्रधान सचिव (पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग)
22.	श्रीमती अलका काला	प्रधान सचिव (महिला एवं बाल विकास विभाग)
23.	एम.के. खन्ना	प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)
24.	टी. श्रीनिवासन	प्रधान सचिव (उद्योग विभाग)
25.	एस. अहमद	सदस्य सचिव (राज्य योजना बोर्ड)
26.	के.एल. मीणा	प्रधान सचिव (राजस्व विभाग)
27.	टी.आर. वर्मा	प्रधान सचिव (कृषि विभाग)
28.	अतुल कुमार गर्ग	प्रधान सचिव (वन विभाग)
29.	डी.एस. सागर	प्रधान सचिव (गृह विभाग)
30.	सी.के. मैथ्यू	मुख्य मंत्री के सचिव I
31.	अरविन्द मायाराम	सचिव (पर्यटन विभाग)
32.	सी.एस. राजन	सचिव (ऊर्जा विभाग)
33.	रामलुभाया	सचिव (लोक निर्माण विभाग एवं राहत विभाग)
34.	डा. ललित कुमार पंवर	सचिव (कला एवं संस्कृति विभाग)
35.	जी.एस सन्धु	सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
36.	ओम प्रकाश मीणा	सचिव (उच्च शिक्षा विभाग)
37.	श्याम एस. अग्रवाल	सचिव (तकनीकी शिक्षा विभाग)
38.	राकेश श्रीवास्तव	सचिव (सिंचाई एवं सीएडी)
39.	आर. पी. जैन	सचिव (श्रम कल्याण एवं रोजगार विभाग)
40.	राकेश वर्मा	सचिव (खान विभाग)
41.	राम खिलाड़ी मीणा	सचिव (जन स्वास्थ्य एवं इंजीनियरी विभाग)
42.	विनोद जुत्शी	सचिव (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग)
43.	एन.सी. गोयल	सचिव (शहरी विकास एवं आवास विभाग)
44.	प्रदीप सैन	सचिव योजना विभाग
45.	डा. अशोक सिंघवी	सचिव (परिवहन विभाग)
46.	पुरूपोषत्तम अग्रवाल	सचिव (वित्त राजस्व विभाग)
47.	डा. गोविन्द शर्मा	सचिव एवं केन्द्रक अधिकारी XII वित्त आयोग सेल
48.	श्रीमत पाण्डेय	मुख्य मंत्री के सचिव II
49.	ललित मेहरा	सचिव (सामाजिक कल्याण एवं टीएडी)
50.	सियाराम मीणा	सचिव (वित्त (व्यय) वित्त)
51.	जी.एस. होरा	विधि सचिव

व्यापार उद्योग एवं जगत के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	आर. पी. बाटवारा	मानद सचिव आरसीसीआई
2.	डा. के.एल. जैन	मानद महासचिव आरसीसीआई
3.	आर.के. भार्गव	उपाध्यक्ष आरसीसीआई
4.	डा. डी.एस. भंडारी	उपाध्यक्ष आरसीसीआई
5.	मौ. सईद खान	मानद सचिव आरसीसीआई
6.	सीता राम अग्रवाल	अध्यक्ष, एफआरटीआई
7.	प्रेम बियानी	महासचिव, एफआरटीआई
8.	गुरूदत्त शर्मा	मुख्य संपादक एफआरटीआई
9.	मान चन्द खंडेला	सलाहकार, एफआरटीआई
10.	सतीश गुप्ता	मंत्री, एफआरटीआई
11.	अजय कुमार गुप्ता	एफआरटीआई की विदेश व्यापार समिति के अध्यक्ष

राजस्थान सरकार

सर्वश्री

1.	टी. श्रीनिवासन	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग
2.	पुरूषोत्तम अग्रवाल	सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
3.	डा. गोविन्द शर्मा	सचिव एवं केन्द्रक अधिकारी XII वित्त आयोग सेल

स्थानीय दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	हीरालाल देवपुरा	जिला प्रमुख जिला परिषद, अजमेर
2.	घनश्याम तिवारी	जिला प्रमुख जिला परिषद, बरन
3.	श्रीमती शील ढाबा	महापोर, जयपुर नगर निगम
4.	शिवलाल टाक	महापौर जोधपुर नगर निगम
5.	चतर्भुज व्यास	अध्यक्ष, बीकानेर नगर निगम
6.	श्रीमती अंछी देवी	पुष्कर नगर पालिका

क्र.सं.	राजनीतिक दल	नाम	पदनाम
1.	राजस्थान प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस समिति (आई)	श्री शिव चरण माथुर	पूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान
		श्री हीरा लाल देवपुरा	पूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान
2.	राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पाटी	श्री हरि शंकर भाबरा	उप मुख्यमंत्री, राजस्थान
		श्री सुनील भार्गव	सलाहकार, वित्त मामले, भाजपा
		श्री राज पाल सिंह शेखावत	पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान
3.	राजस्थान प्रदेश भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम)	श्री वासुदेव	सचिव, राज्य समिति
		श्री रविन्द्र शुक्ला	सदस्य, राज्य सचिवालय

23. सिक्किम (3 नवम्बर, 2003)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
	सर्वश्री	
1.	डा. पवन चैमलिंग	मुख्य मंत्री
2.	गर्जमन गुरंग	कृषि मंत्री
3.	रामबहादुर सुब्बा	सड़क एवं पुल मंत्री
4.	थन्ले श. भोटिया	पीएचई मंत्री
5.	कामा बहादुर चैमलिंग	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
6.	प्रेम सिंह तमांग	उद्योग मंत्री
7.	दोरजी श.लेप्ची	वन मंत्री
8.	शेरबहादुर सुबेदी	परिवहन मंत्री
9.	चन्द्र कुमार मोहरा	खेल मंत्री
10.	गिरीश चन्द्र राय	आरडीडी मंत्री
11.	टशेटन दोरजी लेप्चा	निर्माण मंत्री
12.	ओ.टी लेप्चा	समाज कल्याण मंत्री
13.	श्रीमती कलावती सुब्बा	अध्यक्ष
14.	एस.डब्ल्यू. तेनजिंग,आईएएस	मुख्य सचिव
15.	एन.डी. चिन्पापा,आईएएस	अपर मुख्य सचिव
16.	जी.के. सुब्बा,आईएएस	प्रधान सचिव एवं विकास आयुक्त, पी एण्ड डीडी
17.	टी.टी. दोरजी, आईएएस	प्रधान सचिव, वित्त
18.	वाई.बी. पाठंक	सचिव, आईपीआर/खेल
19.	श्रीमती त्सेवांग डोल्मा ताशो	अपर सचिव, श्रम
20.	हिशे वासी	निदेशक, खेल
21.	ए.सी. सिंह	विशेष कार्य अधिकारी, डीओपी
22.	आर.के. गुरंग	सीई, सड़कें एवं पुल
23.	जी.टी. डुंगेल	एसई, सड़कें एवं पुल
24.	के.पी. भूटिया	नियंत्रक, मात्सियकी
25.	एन.टी. लेप्चा	निदेशक, वित्त
26.	के.टी. चंकापा	विशेष सचिव, वित्त
27.	एल. दोरजी	अपर सचिव, संस्कृति
28.	एल.एम. प्रधान	जी.एम. परिवहन
29.	टी.पी. कोइराला	निदेशक, कोष एवं पीएसी
30.	के.के. प्रधान	अपर सचिव, पर्यटन
31.	राजेश वर्मा	निदेशक, आईटी
32.	एम.जी. किरण	सचिव, आईटी
33.	जी.के. रंग	सचिव, कृषि
34.	सी.एल. शर्मा	अपर सचिव, डीओपी
35.	टी. दोरजी	एसपीएससी सदस्य, डीओपी
36.	ओ.पी. सिंघी	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
37.	डी.डी. प्रधान	सचिव, विद्युत
38.	संझे बासी	सचिव, उत्पाद शुल्क
39.	आर.एस. श्रेष्ठ	सचिव, एसएलएएस
40.	डी.टी. नामच्यो	अपर सीई, पीएचईडी
41.	बी.के. रासेली	सचिव, सिंचाई
42.	आई.के.वी. चेत्री	सचिव, उद्योग
43.	एल.एन. भुटिया	आयुक्त एवं सचिव, पशुपालन एवं वीएस
44.	डी. दादुल	प्रधान सचिव, शहरी विकास एव एचडी
45.	तोबजोर दोरजी	सचिव, सहकारिता
46.	श्रीमती आर. ओंगमो	सचिव, आरडीडी
47.	जी.टी. मिमामी	सचिव, निर्माण
48.	के.पी. अधिकारी	सचिव, संस्कृति
49.	टी.आर. शर्मा	सचिव, वन एव पर्यावरण, वन्य जीवन
50.	डा. टी.आर. ज्ञातशो	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
51.	एस.डब्ल्यू बारफुंगपा	वरिष्ठ एओ, स्वास्थ्य
52.	के. ज्ञातशो	प्रधान सचिव, पर्यटन
53.	श्रीमती जे. प्रधान	सचिव, शिक्षा
54.	आर.एस. बैसनेट	सचिव, डीओपी
55.	श्रीमती ज्योत्सना सुब्बा	उप निदेशक, पी एण्ड डीडी
56.	एस.डी. प्रधान	संयुक्त निदेशक, वित्त
57.	एस.के. शर्मा	निदेशक (एफ.सी.) वित्त

क्र.सं.	नाम	पदनाम

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

	सर्वश्री	
1.	टी. दोरजी	अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग
2.	टी.टी. दोरजी	प्रधान सचिव (वित्त)
3.	डी. दादुल	प्रधान सचिव (शहरी विकास एवं आवास)
4.	सुश्री आर. ओयमू	सचिव, ग्रामीण विकास
5.	के.एन. प्रधान	अध्यक्ष, पूर्वी जिला जिला पंचायत
6.	बी.बी. लोपचेन	पंचायत सभापति, सिरवानी, त्शालामथन ग्राम पंचायत यूनिट, पूर्वी सिक्किम
7.	श्रीमती पुरमीत लेपचा	अध्यक्ष, दक्षिणी जिला, जिला परिषद
8.	हरका खालिंग	पंचायत सभापति तुरक रामाबोंग ग्राम
9.	लोबजंग तेनजिंग	पंचायत यूनिट, दक्षिण सिक्किम, अध्यक्ष, उत्तरी जिला, जिला पंचायत
10.	लेडुंप लेप्चा	पंचायत सभापति, चुंगथांग ग्राम पंचायत यूनिट, उत्तरी सिक्किम
11.	आर.एम. राय	अध्यक्ष, पश्चिम जिला, जिला पंचायत
12.	एच.पी. प्रधान	पंचायत सभापति, ग्यालशिंग ओमचुंग ग्राम पंचायत यूनिट, पश्चिम सिक्किम

राजनीतिक दल के प्रतिनिधि

क्र.सं.	राजनीतिक दल	नाम	पदनाम
1.	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	श्री पी.टी. राय	महासचिव
		श्री दोरजी नामज्ञाल	महासचिव
2.	कांग्रेस	श्री एन.बी. भंडारी	अध्यक्ष
		श्री के.एन. उप्रेति	
3.	बी.जे.पी.	श्री एच.आर. प्रधान	अध्यक्ष
		श्री सी.बी. चेत्री	महासचिव
4.	सी.पी.आई.(एम)	श्री पुनिया कोइराला	अन्जन उपाध्याय
5.	बी.जे.पी.एस.पी.	रिनजिंग दोरजी लेप्चा (दीपक लेप्चा)	

व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि

1.	एल.बी. चेत्री	अध्यक्ष, सीआईएस
2.	के. मित्तल	कोषाध्यक्ष, सीआईएस
3.	टागा खाम्पा	एम.डी.,एसआईटीसीओ एण्ड एसपीआईएल
4.	बी.पी. एली	एमडी, सिक्किम ज्वेल्स लि.
5.	एम. पारेख	एमडी, सिक्किम डिस्टिलरीज लि.
6.	स्वामीनाथ प्रसाद	अध्यक्ष, सिक्किम व्यापारी समाज
7.	सुरेन्द्र सादा	सलाहकार, वाणिज्य मंडल
8.	रमेश पेरिवाल	महासचिव सिक्किम वाणिज्य मंडल

24. तमिलनाडु (2 फरवरी, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

	सर्वश्री	
1.	शेलवी जे. जयललिता	मुख्य मंत्री
2.	ओ. पन्नीरसेलवम	लोक निर्माण, प्रतिनिषेध एवं उत्पाद शुल्क तथा राजस्व मंत्री
3.	सी. पोन्नाएयन	वित्त एवं खाद्य मंत्री
4.	डी.जयकुमार	विधि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं बिजली मंत्री
5.	पी.सी. रामासामी	हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ दाय मंत्री
6.	एस.सेम्मालाए	शिक्षा मंत्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
7.	आर. जीवानन्थम	पिछड़ा वर्ग मंत्री
8.	श्रीमती वी. वालारमाथी	समाज कल्याण मंत्री
9.	सी. कुरूप्पासामी	आदि द्राविड कल्याण मंत्री
10.	आर. विश्वानाथन	परिवहन मंत्री
11.	नायनार नेगेन्द्रन	उद्योग मंत्री
12.	के.पांडुरंगन	ग्रामीण उद्योग मंत्री
13.	से.मा. वेलुसामी	वाणिज्यिक कर एवं सहकारिता मंत्री
14.	पी.वी. दामोदरन	पशु पालन मंत्री
15.	आर. वैथिलिंगम	वन एवं पर्यावरण मंत्री
16.	अनिता आर. राधाकृष्णन	आवास एवं शहरी विकास मंत्री
17.	एस.रामाचन्द्रन	डेयरी विकास मंत्री
18.	वी. सोमासुन्दरम	हथकरघा मंत्री
19.	एम. राधाकृष्णन	मात्सियकी मंत्री
20.	तिरू ए. मिलर	पर्यटन मंत्री
21.	पी अन्नावी	कृषि मंत्री
22.	के.पी. अन्बालागन	सूचना एवं प्रचार तथा स्थानीय प्रशासन मंत्री
23.	इन्बाथतामिलन	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री
24.	सी.वी. शानमुगम	श्रम मंत्री
25.	श्रीमती लक्ष्मी प्रणेश, आईएएस	सरकार के मुख्य सचिव
26.	श्रीमती शीला बालाकृष्णन,आईएएस	मुख्य मंत्री के सचिव (I)
27.	वी.के. जयकोड़ी,आईएएस	मुख्य मंत्री के सचिव (II)
28.	के.एन. वेंकटरामनन,आईएएस	मुख्य मंत्री के सचिव (III)
29.	ए. रामालिंगम,आईएएस	मुख्यमंत्री के उप सचिव
30.	एन.नारायणन,आईएएस	विकास आयुक्त एवं सचिव, सरकार वित्त विभाग
31.	राकेश काकर, आईएएस	विशेष कार्य अधिकारी,टीएफसी एवं सरकार वित्त विभाग में पदेन विशेष सचिव
32.	एल. कृष्णन,आईएएस	वित्त विभाग में विशेष सचिव
33.	डा.के. सत्यागोपाल,आईएएस	वित्त विभाग में विशेष सचिव
34.	अशोक कुमार गुप्ता,आईएएस	वित्त विभाग में विशेष सचिव
35.	एल.एन. विजयराघवन,आईएएस	नगरपालिका प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग में सचिव
36.	डा. आर.कन्नन,आईएएस	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सरकार के सचिव
37.	टी.राममोहन राव,आईएएस	सचिव, राजमार्ग विभाग
38.	अरूण रामानाथन,आईएएस	सचिव, उद्योग विभाग
39.	एस.राजारेतिनम,आईएएस	सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
40.	श्रीमती संताशीला नायर,आईएएस	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
41.	आर. बालाकृष्णन,आईएएस	सचिव, प्रतिनिषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग
42.	सैयद मुनिर होडा,आईएएस	सचिव, गृह विभाग
43.	डा.एन. सुन्दरदेवन,आईएएस	सचिव, राजस्व विभाग
44.	विवेक हरिनारायण,आईएएस	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
45.	सी.विजयराज कुमार,आईएएस	उप सचिव, लोक (नयाचार) विभाग
46.	आर. रतिनासामी,आईएएस	सचिव, उर्जा विभाग
47.	आर. कर्पूरसुंदर पांडियन,आईएएस	सचिव, परिवहन विभाग
48.	एन.एस. पलानीअप्पन,आईएएस	सचिव, लोक निर्माण विभाग
49.	ए.एम. काशीविश्वनाथन,आईएएस	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
50.	एम. दीनदायालन,आईएएस	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग
51.	हेमन्त कुमार सिन्हा,आईएएस	आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन
52.	पी. शनमुगम	निदेशक, शहरी पंचायत

53.	वी. तंगवेलु,आईएएस	प्रबंध निदेशक, मैट्रोवाटर
54.	अम्बुज शर्मा,आईएएस	प्रबंध निदेशक, स्लम क्लीयरेंस बोर्ड
55.	सी. मुत्तुकुमारसामी,आईएएस	आयुक्त, वाणिज्यिक कर
56.	डा. एम.राजाराम,आईएएस	निदेशक, ग्रामीण विकास
57.	आर. संतानम,आईएएस	विशेष आयुक्त एवं राजस्व प्रशासन आयुक्त
58.	सुदीप जैन,आईएएस	प्रबंध निदेशक, ईएलसीओटी
59.	टी.एस.श्रीधर,आईएएस	अध्यक्ष, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड
60.	के.रामालिंगम,आईएएस	परिवहन आयुक्त
61.	वी.कनगराज,आईएएस	निदेशक, सूचना और जन संपर्क
62.	आई.के. गोविन्द, आईपीएस	पुलिस महानिदेशक
63.	के. नटराज,आईपीएस	पुलिस आयुक्त
64.	भोलानाथ,आईपीएस	जेल महानिरीक्षक
65.	एस.के. डोगरा,आईपीएस	जेल महानिरीक्षक
66.	एस.वी. वेंकटकृष्णन,आईपीएस	पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक (एल एण्ड ओ)
67.	के. नटराजन, आईपीएस	पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक (आसूचना)
68.	एस. गोपालकृष्णन,आईएएस	निदेशक, अन्ना प्रबंध संस्थान
69.	टी.के. रामाचन्द्रन,आईएएस	परियोजना निदेशक, सड़क क्षेत्र परियोजना
70.	कुमार जयंती,आईएएस	संयुक्त आयुक्त, परिवहन
71.	सई कुमार,आईएएस	श्रम आयुक्त

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	एम सेलामुत्तु	अध्यक्ष, जिला पंचायत, थेनी
2.	वी.के. चिन्नासामी	अध्यक्ष, जिला पंचायत, इरोड़
3.	एन.ओ.वी.एस. रामनाथ	अध्यक्ष, नलुकोटी ग्राम पंचायत, शिवागंगा जिला
4.	आर. इलांगो	अध्यक्ष, कुटुम्बकम ग्राम पंचायत तिरूवलुर जिला
5.	पनीरसेलवम	अध्यक्ष, कीरापलयम ग्राम पंचायत कडालोर जिला
6.	श्रीमती जमरूती बीबी	अध्यक्ष, देवीपटनम ग्राम पंचायत रामनाथपुरम जिला
7.	शनमुगम,	अध्यक्ष आइनथुरई ग्राम पंचायत, कोयम्बटूर जिला
8.	टी. मालारावन	मेयर, कोयम्बटूर निगम, कोयम्बटूर
9.	श्रीमती ए. जयारानी	मेयर, तिरूनेन्वेली निगम, तिरूनेलवेली
10.	पी. धनसिंह	अध्यक्ष, पल्लवराम नगरपालिका, कांचीपुरम जिला
11.	डी.हीराचन्द	अध्यक्ष, टिंडीवनम नगरपालिका, कुड़डोर जिला
12.	श्रीमती एनसीके राजेश्वरी	अध्यक्ष, चितलपकम नगर पंचायत, कांचीपुरम जिला
13.	एम. राजामनीकम	अध्यक्ष उथुकोटई नगर पंचायत, तिरूवलुर

व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि

क.सं.		**नाम**	**पदनाम**
	सर्वश्री		
1.	भारतीय उद्योग महासंघ, चैन्ने	राजेश मेनन चंद्रमोहन	क्षेत्रीय निदेशक
2.	भारतीय निर्यात संगठन महासंघ,चैन्ने	अशोकन	
3.	भारतीय वाणिज्यक और उद्योग महासंघ, चैन्ने	रघुनंदन	सदस्य, कराधान समिति
		सुश्री शारदा तेनमोजी	उपनिदेशक, दक्षिण, क्षेत्रीय परिषद
		रविन्द्रन	महाप्रबंधक, ईआईडी, पैरी
		राम बाबू	
4.	मद्रास वाणिज्यिक और उद्योग संघ,चैन्ने	वी.स्वामीनाथन,आईईएस (सेवानिवृत)	अध्यक्ष के सलाहकार
		आर. सुब्रामणियन	सचिव
5.	साउथ इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन, चैन्ने	जी.राजगोपाल	अध्यक्ष
		के.एन.रतिवासेलु	सचिव

6.	साउथ इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन, कोयम्बटूर	एल. प्लानीअपन	ई.सी. सदस्य
7.	आटोमोटिव कोम्पोनेंट मेनुफेक्चरर्स एसो. चैन्ने	एस.सीता रम्मैया	अध्यक्ष
		एस.राज	क्षेत्रीय सचिव
8.	तमिलनाडु स्माल एण्ड टिनी इंडस्ट्रीज एसो. चैन्ने	के.बी. कनंकबल	अध्यक्ष
		के.गोपालकृष्णन	ईसी सदस्य
		के.आर. रंगाराव	
9.	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, कोयम्बटूर	सी.बालासुब्रामनियन	कोषाध्यक्ष

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	पदनाम
	सर्वश्री	
1.	एम. शाहुल हमीद	बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
2.	पी.सेल्वासिंह	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
3.	ए.ए. नयनार	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
4.	जी.पी. सारथी	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
5.	एल. मुत्तुसामी	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
6.	डा.प्रा.आर.टी.सबापतिमोहन	मारूमलार्ची द्रविड मुनेत्त कजगम (एमडीएमके)
7.	सी.रविराज, एमएलए	पटाली मक्कल काची (पीएमके)
8.	एम.रामदास	पटाली मक्कल काची (पीएमके)

25. त्रिपुरा (22-23 फरवरी,2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

	सर्वश्री	
1.	मामिक सरकार	मुख्य मंत्री
2.	बादल चौधरी	वित्त एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री
3.	अनिल सरकार	शिक्षा (स्कूल),आईसीएटी,एससी एण्ड ओबीसी वेलफेयर (ओबीसी एण्ड रिलीजन को छोड़कर)
4.	केशव मजूमदार	शिक्षा (उच्च)
5.	जितेन्द्र चौधरी	जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास (पंचायतों को छोड़कर), शिक्षा (खेल एवं युवा मामले)
6.	श्री तपन चक्रवर्ती	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, कृषि
7.	गोपाल भद्र दास	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले
8.	मनिन्द्र रींग	जनजातीय कल्याण (टीआर पी एंड पीजीपी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
9.	आर.के. माथुर	मुख्य सचिव
10.	के.वी. सत्यानारायण	प्रमुख सचिव (वित्त)
11.	एल.के. गुप्ता	आयुक्त, (वित्त)
12.	जी.के. राव	आयुक्त, (शहरी विकास)
13.	जी.एस.जी. आयंगर	आयुक्त,आरडी पंचायत,टीडब्ल्यूसी,सीईओ, टीटीएमडीसी
14.	एस.के. राय	आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
15.	वी.के. चक्रवर्ती	आयुक्त, उच्च शिक्षा पीडब्ल्यूडी
16.	एस.सी. दास	आयुक्त, परिवहन, जीए विभाग
17.	एम.ए. खान	पीसीसीएफ
18.	आर.के.डे. चौधरी	अपर सचिव, वित्त
19.	एन.सी. सेन	संयुक्त सचिव, वित्त
20.	के.एम. थामस	परामर्शदाता/सलाहकार
21.	ए.के. देवनाथ	मुख्य अभियंता, विद्युत
22.	बी.एन. मजूमदार	मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी
23.	एम.एल. डे	उप सचिव, वित्त
24.	अमर दास	निदेशक, कृषि
25.	जी.के. मालाकार	प्रमुख इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

	सर्वश्री	
1.	सुनील दास गुप्ता	सीपीआई मेम्बर, राज्य कार्यकारी समिति
2.	निरोद बरूण दास	आईएनसी, महासचिव, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस
3.	तपस डे	आईएनसी, उपाध्यक्ष त्रिपुरा
4.	एन.सी.देववर्मा	आईएनपीटी,अध्यक्ष, सीडब्ल्यूई
5.	अनन्त देवर्मा	आईएनपीटी, उपाध्यक्ष
6.	दिनेश चंद्र साहा	सीपीआई-कार्यकारी सदस्य
7.	गौतम दास	सीपीआईएम, राज्य सचिवालय परिषद
8.	निरंजन देववर्मा	सीपीआईएम, राज्य सचिवालय परिषद
9.	वीर बल्लभ साहा	एनसीपी, राज्य अध्यक्ष
10.	मनोरंजन ब्रातियन	एनसीपी, महासचिव, राज्य एकक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
11.	दुलाल दास	एआईटीसी, जीएस,टीपीटीसी
12.	निताई चौधरी	एआईटीसी, जिला अध्यक्ष

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	श्रीमानला डे	अध्यक्ष पी/समिति-बोगाटे आरडी ब्लाक
2.	भानुये	सभाधिपति, पश्चिम त्रिपुरा ग्राम पंचायत
3.	रामपद चक्रवर्ती	प्रधान, पचिम नौगांव
4.	मधुसूदन दास	अध्यक्ष,पी/समिति-दिरानिया
5.	सुबोध विश्वास	प्रधान, मधुकल
6.	डा. जी.एस.जी. आयंगर	आयुक्त तथा सचिव, आरडी पंचायत
7.	शंकर दास	अध्यक्ष, अगरतला नगरपालिका परिषद
8.	सुब्रत देव	अध्यक्ष, उदयपुर नगर पंचायत
9.	जयंत चक्रवर्ती	अध्यक्ष, कैलाशहर नगर पंचायत
10.	जी.के. राव	आयुक्त

व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	सुब्रोतो आर. राय	अध्यक्ष, त्रिपुरा इंडस्ट्रीयल एंटरप्राइजेज, मैसस सीके इंडस्ट्रीज
2.	रमेश भुवानिया	कार्यकारी सदस्य, टीआईई,भुवानिया एंड कंपनी
3.	संजय देव राय	महासचिव, एफएसीएसआई, रामकृष्ण एलुमीनियम इंडस्ट्रीज
4.	एम.एल. देवनाथ	अध्यक्ष, त्रिपुरा वाणिज्य मंडल
5.	एन.सी.कार	संयुक्त सचिव, त्रिपुरा वाणिज्य और उद्योग मंडल

26. उत्तर प्रदेश (15 जुलाई, 2004)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	मुलायम सिंह यादव	मुख्य मंत्री
2.	मोहम्मद आजमखान	मंत्री, संसदीय मामले तथा शहरी विकास
3.	बलराम यादव	मंत्री, पंचायती राज
4.	श्रीमती अनुराधा चौधरी	मंत्री, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण
5.	अम्बिका चौधरी	मंत्री, राजस्व
6.	राकेश कुमार वर्मा	मंत्री, जेल
7.	हरिशंकर तिवारी	मंत्री, स्टाम्प, कोर्टफीस तथा मनोरंजन कर
8.	किरनपाल सिंह	मंत्री, बुनियादी शिक्षा
9.	अहमद हसन	मंत्री, परिवार कल्याण
10.	राजपाल त्यागी	(राज्य मंत्री, स्वतंतत्र प्रभार) ग्रामीण विकास
11.	वी.के. मित्तल	मुख्य सचिव
12.	श्रीमती नीरा यादव	कृषि उत्पादन आयुक्त
13.	करनैल सिंह	प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री
14.	डा. रीटा शर्मा	प्रमुख सचिव, वित्त
15.	लव वर्मा	प्रमुख सचिव, वित्त (द्वितीय)
16.	श्रीमती रीटा सिन्हा	प्रमुख सचिव, कर तथा पंजीयन
17.	कपिल देव	प्रमुख सचिव,राजस्व
18.	अनिल कुमार	प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस)
19.	अनीस अंसारी	प्रमुख सचिव, पंचायती राज
20.	महिन्द्र सिंह	प्रमुख सचिव, शहरी विकास
21.	धर्मवीर शर्मा	प्रमुख सचिव, न्यायिक
22.	प्रीतम सिंह	प्रमुख सचिव, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य
23.	ए.के. मिश्रा	प्रमुख सचिव, विद्युत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू.पी. विद्युत निगम
24.	पी.के. सिन्हा	प्रमुख सचिव, सिंचाई
25.	आर.के. मित्तल	प्रमुख सचिव, जेल
26.	वी.के. शर्मा	प्रमुख सचिव, लोक उद्यम
27.	अमल कुमार वर्मा	प्रमुख सचिव,आयोजना
28.	आनन्द मिश्रा	सचिव, मुख्य मंत्री
29.	डा.बी.एम. जोशी	सचिव, वित्त
30.	मनजीत सिंह	सचिव, वित्त
31.	एस.आर. मीणा	सचिव, वित्त
32.	राजन शुक्ला	सचिव, वित्त
33.	जी.आर. बरूआ	सचिव, परिवहन
34.	अनिल कुमार गुप्ता	सचिव, आबकारी
35.	एस.पी. सिंह	सचिव,समन्वय,डीएएसपी, यूपी
36.	सी.एन. दूबे	सचिव, सांस्कृतिक कार्यक्रम
37.	नीरज गुप्ता	सचिव, लोक निर्माण विभाग
38.	अरूण सिंघल	सचिव, ग्रामीण विकास
39.	अरूण कुमार सिन्हा	सचिव तथा प्रमुख, सिंचाई विभाग
40.	प्रदीप भटनागर	सचिव, सिंचाई
41.	अनंत कुमार सिंह	राहत आयुक्त
42.	आराधना शुक्ला	जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
43.	रवि माथुर	औद्योगिक विकास आयुक्त
44.	प्रभात चंद्र चतुर्वेदी	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण इंजीनियरी सेवा
45.	संजय अग्रवाल	प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आर. टी.सी.

क्र.सं.	नाम	पदनाम
46.	कल्पना अवस्थी	परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
47.	वी.के.वी. नायर	पुलिस महानिदेशक
48.	के.के. उपाध्याय	निदेशक, स्थानीय निकाय
49.	बी.डी. सिंह	निदेशक, पंचायती राज
50.	विजय कुमार	मुख्य अभियंता

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	सुश्री कृष्णा जायसवाल	अध्यक्ष, जिला पंचायत, देवरिया
2.	लोक नाथ सिंह यादव	प्रमुख, क्षेत्र पंचायत कल्याणपुर, कानपुर नगर
3.	सुश्री मंजु शर्मा	प्रधान, ग्राम पंचायत छुटमलपुर, मुजफ्फराबाद ब्लाक, सहारनपुर
4.	डा.के.पी. श्रीवास्तव	महापौर, नगर निगम, इलाहाबाद
5.	डा. सतीश कुमार सुदेले	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ललितपुर
6.	सलीम अहमद	अध्यक्ष, नगर पंचायत, केमारी, रामपुर

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	लालजी टंडन	नेता, विधान सभा, भारतीय जनता पार्टी
2.	प्रमोद कुमार तिवारी	नेता, विधान सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
3.	कोकव हमीद	नेता, विधान सभा, राष्ट्रीय लोक दल
4.	अहमद हसन	नेता, विधान परिषद, समाजवादी पार्टी
5.	मोहम्मद आजम खान	नेता, विधान सभा, समाजवादी पार्टी

व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	किरण चोपड़ा	अध्यक्ष, राज्य परिषद
2.	ज्ञान प्रकाश	प्रमुख, यू.पी. राज्य कार्यालय
3.	गणेश चतुर्वेदी	अध्यक्ष
4.	वी.के. अग्रवाल	अध्यक्ष, ऊर्जा समिति
5.	डी.पी. दीक्षित	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6.	एच.बी. अग्रवाल	महासचिव
7.	श्याम बिहारी मिश्रा	अध्यक्ष
8.	बनवारी लाल कांछल	महासचिव
9.	सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल	राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यापार मंडल

27. उत्तरांचल (6 अक्तूबर, 2003)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

सर्वश्री

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	नारायण दत्त तिवारी	मुख्य मंत्री
2.	डा.श्रीमती इंदिरा हरिदेश	मंत्री, पीडब्ल्यूडी, संसदीय मामले, सूचना
3.	नरेन्द्र सिंह भंडारी	शिक्षा मंत्री
4.	हीरा सिंह बिष्ट	परिवहन मंत्री
5.	ले.जन. तेजपाल सिंह रावत	पर्यटन एवं आबकारी मंत्री
6.	महेन्द्र सिंह माहरा	कृषि मंत्री
7.	प्रीतम सिंह	मंत्री, पंचायती राज, खेल
8.	नव प्रभात	मंत्री, शहरी विकास, वन
9.	राम प्रसाद टमटा	मंत्री, समाज कल्याण
10.	मंत्री प्रसाद नैथानी	मंत्री, सहकारिता, पशुपालन तथा डेयरी
11.	गोविन्द सिंह कुंजवाल	मंत्री, बागवानी, खादी, लघु उद्योग
12.	किशोर उपाध्याय	मंत्री, लघु उद्योग विकास
13.	डा.आर.एस. तोलिया	मुख्य सचिव
14.	एम. रामचन्द्रन	मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, शिक्षा
15.	एस.के. दास	प्रमुख सचिव, राजस्व एवं गृह
16.	इंदु कुमार पांडे	प्रमुख सचिव, वित्त
17.	एस. कृष्णन	प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं विद्युत
18.	एन.एस. नपलचियाल	प्रमुख सचिव, परिवहन
19.	आलोक कुमार जैन	सचिव, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य
20.	एन. रविशंकर	सचिव, श्री राज्यपाल, पीडब्ल्यूडी
21.	पी.सी. शर्मा	सचिव, एसएडी
22.	अमरेन्द्र सिन्हा	सचिव, योजना, सूचना तथा प्रौद्योगिकी
23.	एन.एन. प्रसाद	सचिव, पर्यटन, सूचना
24.	बी.पी. पांडे	सचिव, वन
25.	पी.के. मोहंती	सचिव, शहरी विकास
26.	एस.के. मुत्तु	सचिव, समाज कल्याण
27.	बी.सी. चन्दोला	सचिव, उत्पाद शुल्क और व्यापार आयुक्त
28.	संजीव चोपड़ा	सचिव, उद्योग
29.	ओम प्रकाश	सचिव, कृषि
30.	एल.एम. पंत	अपर सचिव, वित्त
31.	टी.एन. सिंह	निदेशक, राजकोष और वित्त सेवाएं
32.	आलोक कुमार	अपर सचिव, योजना

क्र.सं.	नाम	पदनाम
	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि	
	सर्वश्री	
1.	प्रीतम सिंह	पंचायती राज मंत्री
2.	नव प्रभात	शहरी विकास मंत्री
3.	इंदु कुमार पांडे	प्रधान सचिव वित्त
4.	पी.के. मोहन्ती	सचिव, शहरी विकास
5.	डी.के. गुप्ता	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय
6.	दीपक राय विज	निदेशक, पंचायत
7.	चमन सिंह	अध्यक्ष,जिला पंचायत, देहरादून
8.	डा. के.एस. राणा	मंडल प्रमुख, डोईवाला
9.	श्रीमती नारो देवी	मंडल प्रमुख, चकराता
10.	विजय सिंह राणा	सदस्य जिला पंचायत, टेहरी
11.	कु. रेखा	बीडीसी सदस्य, पौडी मंडल
12.	शिव राज सिंह मिन	प्रधान, रामपुर टेहरी
13.	राम दयाल सिंह	प्रधान नानकोट, पौडी
14.	श्रीमती मनोरमा शर्मा	मेयर, नगर निगम, देहरादून
15.	दीप शर्मा	अध्यक्ष, नगर निगम, देहरादून
16.	श्रीमती सुमन महरा	अध्यक्ष, नगर पंचायत, लोहाघाट
17.	दया चन्द्र आर्य	अध्यक्ष, नगरपालिका, भवाली
18.	श्रीमती मनोरमा भट्ट	अध्यक्ष, नगर पंचायत, कीर्ति नगर
19.	घनश्याम साहा	उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नैनीताल
	राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि	
	सर्वश्री	
1.	भगत सिंह कोशियारी	विपक्ष के नेता, प्रेजीडेंट भारतीय जनता पार्टी
2.	हरीश रावत	प्रेजीडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	बलबीर सिंह नेगी	नेता, विधान मंडल दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
4.	समर भंडारी	सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
5.	सूर्यकान्त धसमाना	प्रेजीडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
6.	विजय रावत	महासचिव, भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
7.	हीरा सिंह विष्ट	उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, प्रेजीडेंट आईएनटीयूसी
8.	किशोर उपाध्याय	महासचिव, कांग्रेस पार्टी
9.	प्रदीप टम्टा	कांग्रेस पार्टी
10.	सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल	प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी
11.	इंदु कुमार पांडे	प्रधान सचिव, वित्त

क्र.सं.		नाम
	व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि	
	सर्वश्री	
1.	राज्य सरकार	इंदु कुमार पांडे, प्रधान सचिव, वित्त पराग गुप्ता, अपर सचिव, उद्योग
2.	भारतीय उद्योग परिसंघ	बी.के. धवन अशोक बिन्दलस राजीव बेरी दिनेश जैन
3.	भारतीय उद्योग संघ	पंकज गुप्ता अनिल गोयल राजीव अग्रवाल, आर.एस. रावत
4.	उत्तरांचल उद्योग संघ	राकेश भाटिया आर.एस. मलिक गुलशन कक्कड

28. पश्चिम बंगाल (24 जुलाई, 2003)

	राज्य सरकार के प्रतिनिधि	
	सर्वश्री	
1.	बुद्धदेव भट्टाचार्य	मुख्यमंत्री
2.	डा. असीम दास गुप्ता	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग
3.	डा. सूर्याकान्त मिश्रा	प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग
4.	निरूपमसेन	प्रभारी मंत्री,सी एंड आई, पीईएंडआईआर विभाग विकास और आयोजना, उत्तरांचल व पश्चिमांचल उन्नयन
5.	अमर चौधरी	प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण विभाग
6.	कमल गुहा	प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग
7.	नन्द गोपाल भट्टाचार्य	प्रभारी मंत्री, जल अन्वेषण एवं विकास विभाग
8.	मृणाल बंदोपाध्याय	प्रभारी मंत्री, विद्युत विभाग
9.	कांति विश्वास	प्रभारी मंत्री,विद्यालय शिक्षा विभाग
10.	गौतम देव	प्रभारी मंत्री,आवास, जनस्वास्थ्य, इंजीनियरी विभाग
11.	एस.एन. राय	मुख्य सचिव,
12.	अशोक गुप्ता	मुख्य सचिव,विकास और योजना विभाग
13.	सुनील मित्रा	मुख्य सचिव,पी.ई. एंड आई और विभाग
14.	एस.बरमा	मुख्य सचिव,कृषि विभाग
15.	टी.के. बोस	मुख्य सचिव,विद्यालय शिक्षा विभाग
16.	सुमंत्रा चौधरी	मुख्य सचिव,लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
17.	एच.पी. राय	मुख्य सचिव, परिवहन विभाग
18.	ए.के.. बर्मन	मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्र.सं.	नाम	पदनाम
19.	सुमेर घोष	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
20.	सुकुमार दास	प्रधान सचिव, जल जाँ एवं विकास विभाग
21.	के.के. बागची	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
22.	स्वप्न चक्रवर्ती	प्रधान सचिव, लोक कर्य विभाग
23.	सव्यसाची सेन	प्रधान सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग
24.	बी.के. चौधरी	सचिव, सिंचाई और जलवाह विभाग
25.	डॉ. मुखोपाध्याय	सचिव, नगरपालिका मामले विभाग
26.	एम.एन. राय	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
27.	बिकास कान्ती मजुमदार	विशेष सचिव, वित्त विभाग
28.	सी.एम. बछावत	आयुक्त, वाणिज्य कर
29.	प्रभात कुमार मिश्र	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
30.	अभिजीत चौधरी	मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव
31.	डॉ. असीम दासगुप्ता	प्रभारी मंत्री, वित्् विभाग
32.	डॉ.सूर्य कान्त मिश्र	प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
33.	अशोक भट्टाचार्यजी	प्रभारी मंत्रीं, नगर कार्य एवं शहरी विकास विभाग
34.	श्रीमती अंजू कार	राज्यमंत्री, नगर कार्य
35.	समर घोष	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
36.	दीपांकर मुखोपाध्याय	सचिव, नगर कार्य विभाग
37.	एम.एन. राय	सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

क्र.सं.		नाम
38.	एच.के. द्विवेदी	जिलाधीश, उत्तरी चौबीस परगना
39	एम.वी. राव	जिलाधीश, पश्चिम मेदिनीपुर,
40.	डी. सोम	आयुक्त, कोलकाता, नगर निगम
41.	डी. घोष	संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

श्री/श्रीमती

1.	सुब्रत मुखर्जी	महापौर, कोलकाता नगर निगम
2.	बिकास घोष	महापौर, सिलीगुड़ी नगर निगम, सिलीगुड़ी
3.	डॉ. शान्तनु झा	अध्यक्ष, कल्याणी म्युनिसपालिटी
4.	मृणालेन्दु बनर्जी	अध्यक्ष, नया बैरकपुर म्युनिसपालिटी, जिला उत्तरी चौबीस परगना
5.	अपर्णा गुप्ता	सभाधिपति, उत्तरी चौबीस परगना,जिला परिषद
6.	डॉ. पुलिन बिहारी बास्के	सभाधिपति, पश्चिम मेदिनीपुर, जिला परिषद, मेदिनीपुर
7.	आनन्द चटर्जी	सभापति, दोमजुर पंचायत समिति, हावड़ा
8.	शक्तिपदा बीरा	सभाधिपति, तुमलुक पंचायत समिति, जिला पूर्व मेदिनीपुर
9.	अजय डे	अध्यक्ष, शान्तिपुर, म्युनिसपालिटी, जिला नाडिया

राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	राजनीतिक पार्टी	नाम	पद
1.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(एम)	श्री/श्रीमती मदन घोष	सदस्य प.बंगाल राज्य समिति
2.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	नृपेन बन्दोपाध्याय	पश्चिम बंगाल राज्य परिषद
3.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	डॉ. मानस भूनिया	अतीश चन्द्र सिन्हा महासचिव, डब्ल्यूबीपीसीसी विधान परिषद के सदस्य नेता
4.	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	सौगाता राय	विधान परिषद के सदस्य
5.	भारतीय सामाजिक एकता केन्द्र	देवप्रसाद	विधान परिषद के सदस्य
		कालिका मुखर्जी	सदस्य, प.बंगाल राज्य समिति
6.	अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक	जयन्त राय	बंगाल समिति
		बरुण मुखर्जी	
		बंगाल समिति	
7.	भारतीय जनता पार्टी	तथागत राय	
		राहुल सिन्हा	
		डॉ. डी.आर. अग्रवाल	
8.	सामाजिक क्रान्ति पार्टी	क्षिति गोस्वामी	
		मनोज भट्टाचार्य, सांसद	

अनुबंध 1.19
(पैरा 1.16)

राज्यों के दौरे

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	दिनांक		मुख्यमंत्री के साथ बैठक
		से	तक	
1.	पश्चिम बंगाल	22.07.03	25.07.03	23.07.03
2.	जम्मू और कश्मीर	29.07.03	01.08.03	30.07.03
3.	आन्ध्र प्रदेश	20.08.03	23.08.03	22.08.03
4.	राजस्थान	31.08.03	03.09.03	01.09.03
5.	कर्नाटक	16.09.03	18.09.03	17.09.03
6.	उत्तरांचल	05.10.03	07.10.03	06.10.03
7.	सिक्किम	02.11.03	05.11.03	03.11.03
8.	महाराष्ट्र	16.11.03	18.11.03	17.11.03
9.	गोआ	19.11.03	22.11.03	20.11.03
10.	गुजरात	30.11.03	02.12.03	01.12.03
11.	हिमाचल प्रदेश	11.12.03	13.12.03	12.12.03
12.	केरल	22.12.03	23.12.03	22.12.03
13.	असम	07.01.04	09.01.04	08.01.04
14.	तमिलनाडु	02.02.04	03.02.04	02.02.04
15.	उड़ीसा	11.02.04	13.02.04	12.02.04
16.	त्रिपुरा	23.02.04	24.02.04	23.02.04
17.	नागालैण्ड	11.05.04	12.05.04	12.05.04
18.	मणिपुर	30.05.04	31.05.04	31.05.04
19.	मिजोरम	31.05.04	01.06.04	01.06.04
20.	मेघालय	01.06.04	02.06.04	02.06.04
21.	मध्य प्रदेश	07.06.04	09.06.04	09.06.04
22.	अरुणाचल प्रदेश	20.06.04	21.06.04	21.06.04
23.	छत्तीसगढ़	07.07.04	09.07.04	08.07.04
24.	उत्तर प्रदेश	14.07.04	16.07.04	15.07.04
25.	पंजाब	22.07.04	23.07.04	23.07.04
26.	हरियाणा	23.07.04	24.07.04	24.07.04
27.	झारखंड	28.07.04	29.07.04	28.07.04
28.	बिहार	29.07.04	30.07.04	30.07.04

अनुबंध-1.20
(पैरा 1.17)

राज्यों के महालेखाकार के साथ बैठकें
प्रतिनिधियों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश (21 अगस्त, 2003)
1. सुश्री शेखावत, प्रधान महालेखाकार
2. सुश्री सुदर्शन तालपात्रा, महालेखाकार
3. सुश्री प्रवीन मेहता, महालेखाकार
4. सुश्री लता मल्लिककार्जुन, वरिष्ठ उप महालेखाकार
5. सुश्री गीता मेनन, वरिष्ठ उप महालेखाकार
6. सुश्री रश्मि अग्रवाल, कनिष्ठ उपमहालेखाकार
7. सुश्री पी.वी. हरिकृष्ण, सहायक महालेखाकार
8. श्री आनन्दी मिर्जा, सहायक लेखाकार

2. अरुणाचल प्रदेश (6 मई, 2004)
1. श्री ई.आर. सोलोमन, महालेखाकार

3. असम (2 जनवरी, 2004)
1. श्री राजीव शर्मा, एजी - लेखा
2. श्री शशि कुमार, वरिष्ठ डीएजी

4. बिहार (26 जुलाई, 2004)
1. श्री विक्रम चन्द्र, प्रधान महालेखाकार
2. सुश्री विनीता मिश्रा, डीएजी
3. श्री वी.डी मुरुगराज, डीएजी
4. श्री विनोद कुमार, लेखा परीक्षा अधिकारी
5. श्री तमन्ना, डीएजी के सचिव (प्रशासन)

5. छत्तीसगढ़ (1 जुलाई, 2004)
1. श्री आर.के. दीनाराज, आई.ए. एवं ए.एस., महालेखाकार
2. श्री ए.वी.एन. पान्तुलु, एएओ
3. श्री डी.सी. सक्सेना, एएओ
4. श्री मौलीकर, एएओ
5. श्री राजेश एन. मथावलें, वरिष्ठ परीक्षक

6. गोवा (10 नवम्बर, 2003)
1. श्री वेंकटेश मोहन, एजी (ए एवं ई), मुम्बई, महाराष्ट्र
2. श्री ई.पी. निवेदिता, वरिष्ठ डीएजी(सीए), मुम्बई, महाराष्ट्र
3. श्री अजिजीत, गांगुली, एजी(आडिट), नागपुर, महाराष्ट्र
4. सुश्री सुषमा वी. देवक, एजी (ए एवं ई), नागपुर, महाराष्ट्र
5. सुश्री नंदिनी वाई.कापड़ी, प्रधान लेखा निदेशक
6. श्री के.एस. मेनन, प्रधान एजी (महाराष्ट्र)

7. गुजरात (25 नवम्बर, 2003)
1. श्री रघुवीर सिंह, प्रधान महालेखाकार, (लेखा-I)
2. श्री ए.के. ठाकुर, एजी (ए एवं ई)
3. श्री डी. मैयालगन, एजी (लेखा-II)
4. श्री एम.के. मेहता, वरिष्ठ लेखाधिकारी

8. हरियाणा (19 जुलाई, 2004)
1. श्री अश्विनी अत्री, महालेखाकार
2. श्री पी.एस. दास, वरिष्ठ उप महालेखाकार
3. श्री बी.आर. मंडल, वरिष्ठ उप महालेखाकार
4. श्री जे.पी. वर्मा, उप महालेखाकार
5. श्री एस.के. अरोरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
6. श्री एस.के. सबरवाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी
7. श्री आर.एन. मेहता, लेखापरीक्षा अधिकारी

9. हिमाचल प्रदेश (5 दिसम्बर, 2003)
1. श्री जय नारायण गुप्ता, महालेखाकार
2. श्री ए.पी. चोफे, वरिष्ठ डीएजी
3. श्री सत्य पॉल, एएओ

10. जम्मू और कश्मीर (29 जुलाई, 2003)
1. श्री एल.वी. सुधीर कुमार, महालेखाकार
2. श्री मोहम्मद अशरफ, डीएजी (ए एंड ई)
3. श्री संजीव गोयल, डीएजी (निरी.)
4. श्री वी.के. चालू, वरिष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी
5. श्री एस.के. खाबरू, लेखापरीक्षक अधिकारी

11. झारखंड (17 मई, 2004)
1. श्री बेंजामिन लाकड़ा, महालेखाकार (ए एंड डी)
2. श्री मनीश कुमार, वरिष्ठ लेखाकार

12. कर्नाटक (12 सितम्बर, 2003)
1. श्री के.पी. लक्ष्मनन राव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
2. श्री प्रसेनजीत मुखर्जी, महा लेखाकार (ए एंड ई)
3. श्री रंगनाथ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री आर. श्रीधारा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री बी.एस. श्रीनिवास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
6. श्री टी.एन. नागराजन, वरिष्ठ लेखाधिकारी
7. श्री एन. सत्यप्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

13. केरल (16 दिसम्बर, 2003)
1. श्री ए.के. अवस्थी, प्रधान महालेखाकार
2. श्री वी.कुरियन, एजी (ए एंड ई)
3. श्री एस. दिवाकरन पिल्लई, वरिष्ठ उप एजी
4. श्री चन्द्रशेखरन नायर, उप एजी

14. मध्य प्रदेश (4 जून, 2004)
1. श्री एल. अंगम चंद सिंह, महा लेखाकार
2. श्री एस.सी. बंसल, वरिष्ठ लेखाधिकारी

3. श्री ए.जी.उन्नी, वरिष्ठ लेखाधिकारी
4. श्री आर.एन. गर्ग, वरिष्ठ लेखाधिकारी
5. श्री के. रामू, वरिष्ठ लेखाधिकारी

15. महाराष्ट्र (10 नवम्बर, 2003)
1. श्री के.एस. मेनन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)
2. श्री वेंकटेश मोहन, महालेखाकार एजी (ए एंड ई)-I
3. श्री अरिजीत गांगुली, महालेखकार (लेखापरीक्षा)
4. सुश्री सुषमा देवक, महालेखकार (ए एंड ई)
5. सुश्री नंदिनी वाई. कापड़ी, प्रधान निदेशक (लेखापरीक्षा)
6. श्री ई.पी. निवेदिता, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सीए)

16. मणिपुर (28 मई, 2004)
1. श्री सी. गोपीनाथन, महालेखाकार
2. श्री वाई. मनौबी सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी

17. मेघालय (16 फरवरी, 2004)
1. श्री ई.आर. सोलोमन, महालेखाकार

18. मिजोरम (28 मई, 2004)
1. श्री ई.आर. सोलोमन, महालेखाकार

19. नागालैंड (6 मई, 2004)
1. श्री आर. चौहान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
2. श्री अथिखो चैल्लई, वरिष्ठ डीएजी
3. श्री देवराय, वरिष्ठ लेखाधिकारी
4. श्री स्वप्न पॉल, वरिष्ठ लेखाकार

20. उड़ीसा (5 फरवरी, 2004)
1. श्री उत्पल भट्टाचार्य, प्रधान महालेखाकार
2. श्री एम. नवीन कुमार महालेखाकार
3. सुश्री अनीता पटनाक महालेखाकार
4. श्री वाई.एन. ठाकरे, वरिष्ठ उपमहालेखाकार

21. पंजाब (19 जुलाई, 2004)
1. श्री नंदलाल, महालेखाकार
2. श्री वी.के. मेहन, वरिष्ठ डीएजी

22. राजस्थान (29 अगस्त, 2003)
1. श्री बी.आर. मंडल, प्रधान महालेखाकार
2. श्री सतीश, सहायक महालेखाकार

23. सिक्किम (3 नवम्बर, 2003)
1. श्री ए.डब्ल्यू.के. लैंगस्टिफ, महालेखाकार
2. श्री डी. कपूर, डीएजी
3. श्री बी.के. मुखर्जी, डीएजी
4. श्री एस.के. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ एओ

24. तमिलनाडु (21 जनवरी, 2004)
1. श्री सी.वी. अवधानी, प्रधान महालेखाकार
2. श्री टी. टीथन, महालेखाकार

25. त्रिपुरा (16 फरवरी, 2004)
1. श्री ई.आर. सोलोमन, महालेखाकार

26. उत्तर प्रदेश (12 मई, 2004)
1. श्री नरेन्द्र सिंह, प्रधान महालेखाकार
2. श्री एम.सी. सिंह, आर्थिक सलाहकार
3. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (आडिट)

27. उत्तरांचल (01 अक्तूबर, 2003)
1. श्री प्रभात चन्द्र, महालेखाकार
2. सुश्री मीनाक्षी शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार
3. श्री एस.जे. सुल्तान, उप महालेखाकार
4. श्री एस.एन. दूबे, वरिष्ठ लेखाधिकारी

28. पश्चिमी बंगाल (24 जुलाई, 2003)
1. सुश्री एम. चटर्जी, प्रधान महालेखाकार (आडिट)
2. श्री नन्द किशोर, महालेखाकार (ए तथा ई)
3. श्री यू.एस. प्रसाद, उप महालेखाकार (ए तथा ई)
4. श्री रंजीत कुमार साहा, महालेखाकार (ए तथा ई)के सचिव
5. श्री रविन्द्रनाथ सामंत, एओ, महालेखाकार (ए तथा ई)
6. श्री प्रदीप कुमार, बोस रॉय,एओ,महालेखाकार (ए तथा ई)
7. श्री तिमिर भद्र, वरिष्ठ आडिट अधिकारी, महालेखाकार (ए तथा ई)
8. श्री काली सदन कुंदु, वरिष्ठ आडिट अधिकारी, महालेखाकार (ए तथा ई)
9. श्री सुधांशु शेखर सी, एएओ
10. श्री वी. समामूर्ति, एएओ

अनुबंध 1.21
(पैरा 1.18)

बारहवें वित्त आयोग के समक्ष विचारणीय मुद्दों पर संगोष्ठी

29-30 सितम्बर, 2003
सम्राट होटल, नई दिल्ली
प्रतिभागियों की सूची

1. श्री विजय केलकर, वित्त मंत्री के सलाहकार
2. श्री एम. गोविन्दा राव, निदेशक, एनआईपीएफपी
3. सुश्री इंदिरा राजारमण
4. श्री प्रोनब सेन
5. श्री एस. गंगोपध्याय
6. श्री अनुपम रस्तोगी
7. श्री नरेन्द्र जाधव
8. श्री अमरेश बागची
9. श्री पिनाकी चक्रवर्ती
10. श्री जी. थिमैय्या
11. श्री एस.आर. हाशमी
12. श्री नारायण सिन्हा
13. श्री बी. कामैया
14. सुश्री माला लालवानी
15. श्री तपस सेन
16. श्री चित्रोप त्रिबेस्च
17. श्री वी.जे. रवि शंकर
18. श्री एन.जे. कुरियन
19. सुश्री सुष्मिता दास गुप्ता
20. श्री जी.आर. रेड्डी
21. श्री ए.के. सिंह
22. श्री पवन कुमार अग्रवाल
23. श्री एस. महेन्द्र देव
24. श्री अरविन्द मोदी
25. सुश्री कविता राव
26. श्री अरिन्दम दास गुप्ता
27. सुश्री रेनुका विश्वनाथन
28. श्री विवेक मूर्ति
29. श्री पुलापरे बालाकृष्णन
30. श्री स्टीफन होस
31. सुश्री आभा प्रसाद
32. श्री सुबीर गोकरन
33. श्री सुमित्रा चौधरी
34. सुश्री शिखा झा
35. श्री सामेन चट्टोपाध्याय

अनुबंध 1.22
(पैरा 1.19)

नगर वित्त पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
29-30 दिसम्बर, 2003
कांफ्रेंस हॉल, आईआईपीए, नई दिल्ली
प्रतिभागियों की सूची

1. डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, निदेशक, आईआईपीए
2. शहरी प्रबंधन, आईआईपीए के प्रोफेसर डा. पी.एस.एन. राव
3. प्रो. अभिजीत दत्ता, पूर्व प्रोफेसर, शहरी अध्ययन केन्द्र, आईआईपीए
4. प्रो. अमरेश बागची, सदस्य, 12वां वित्त आयोग
5. श्री जुनैद अहमद, विख्यात अर्थशास्त्री, जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, विश्व बैंक, नई दिल्ली ।
6. श्री ओ.पी. माथुर, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईपीएफपी ।
7. डा. वाई. अनंतनी, सिटी प्रबंधक एसोसिएशन, अहमदाबाद
8. श्री एम.सी. गुप्ता, पूर्व निदेशक, आईआईपीए ।
9. डा. नागेश्वर राव, निदेशक, टीएन, शहरी अध्ययन संस्थान, कोयम्बटूर ।
10. श्री पी.के. श्रीहरि, अपर कमिश्नर, बंगलौर नगर निगम, बंगलौर ।
11. प्रो. पी.के. चौबे, प्रोफेसर, आईआईपीए ।
12. डा. गंगाधर झा, पूर्व फैकल्टी सदस्य, शहरी अध्ययन केन्द्र, आईआईपीए ।
13. डा. के.के.पाण्डेय, व. फैलो, हुमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई)/ हुडको
14. डा. के.सी. शिवरामाकृष्णन, पूर्व सचिव, भारत सरकार
15. डा. रविकांत जोशी, सीआरआईएसआईएल ।

अनुबंध 1.23
(पैरा 1.20)

पंचायती राज वित्त पर संगोष्ठी
23 जनवरी, 2004
एनआईआरडी, हैदराबाद
प्रतिभागियों की सूची

1. श्री ललित माथुर, डीजी, एनआईआरडी
2. श्री मैथ्युज सी. कुन्नुमकल, डिप्टी डीजी, एनआईआरडी
3. प्रो. इंदिरा राजारमन, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, एनआईपीएफपी
4. श्री टी.आर. रघुनन्दन, सचिव, आरडी तथा पंचायती राज विभाग, कर्नाटक सरकार ।
5. प्रो. अभिजीत दत्ता, पूर्व प्रोफेसर, शहरी अध्ययन केन्द्र, आईआईपीए ।
6. श्री अनीस अंसारी, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।
7. सुश्री शिखा झा, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ।
8. डा. एस.के. राय, आईएएस, (सेवानिवृत्त)
9. श्री आई.वाई.आर. कृष्णा राव, सचिव, पंचायती राज, आंध्र प्रदेश सरकार ।
10. श्री एम.सी. गुप्ता, पूर्व निदेशक, आईआईपीए ।
11. डा. के. शिव सुब्रमणियम, कंसल्टेन्ट, एनआईआरडी ।
12. डा. एस. एम. विजयानंद, सचिव, योजना विभाग, केरल सरकार ।
13. श्री जी. वज्रलिंगम, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, पंजाब सरकार ।
14. प्रो. एम.ए. ओम्मन, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, नई दिल्ली ।
15. प्रो. के.सी. रेड्डी, प्रोफेसर ऑफ इकोनामिक्स तथा निदेशक, सार्क सेंटर स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम ।
16. श्री टी.एन. धर, चेयरमैन, दूसरा उत्तर प्रदेश का वित्त आयोग ।

अनुबंध 1.24
(पैरा 1.21)

किए गए अध्ययनों की सूची

क्रम सं.	अध्ययन का नाम	संस्थान का नाम
1.	राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता	श्री टी.एल. शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया
2.	वस्तु करों की संगत प्रणाली के लिए राजस्व संभावना का अनुमान	प्रो. महेश सी. पुरोहित, निदेशक, फाउंडेशन फॉर पब्लिक इकोनामिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, पो.बा.नं.- 8495, अशोक विहार, दिल्ली- 110052.
3.	व्यय सक्षमता	श्री वी.के. श्रीनिवासन, सी/28/208, गणेश बाग, डा. अम्बेडकर मार्ग, मतुंगा, मुम्बई- 400019.
4.	वित्त आयोग की कार्यप्रणाली	श्री अरूण सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त) सी-16, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017.
5.	ऋण राहत	डा. रेनुका विश्वनाथन, आईएएस, सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
6.	विद्युत वितरण में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी लाना	श्री वी. रंगनाथन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर, बनरगत्ता रोड, बंगलौर- 560076.
7.	पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य एवं उर्वरक में प्रत्यक्ष सब्सिडी	प्रो. के.एस. रामाचन्द्रन, ।।ए/20, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली - 110060.
8.	निवेश माहौल सूचकांक	डा. लाविस भण्डारी, इंडीकस एनायलटिक्स, दूसरा तल, बी-17, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव.2, नई दिल्ली- 110019.
9.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश	श्री जी. गणेश, आईएएस (सेवानिवृत्त), 1542, से.-ए, पाकेट - बी तथा सी , बसंत कुंज, नई दिल्ली ।
10.	व्यय प्रबंधन	श्री जी. गणेश, आईएएस (सेवानिवृत्त), 1542, से.-ए, पाकेट - बी तथा सी , बसंत कुंज, नई दिल्ली ।
11.	रेलयात्री भाड़े पर कर के एवज में अनुदान	डा. एस.सी. जैन, सेवानिवृत्त सचिव (विधायी), विधि मंत्रालय, नई दिल्ली ।
12.	संवैधानिक मुद्दों पर अध्ययन	प्रो. उदय राज राय, नेशनल लॉ स्कूल, बंगलौर ।
13.	आपदा प्रबंध	सुश्री अमृता रंगास्वामी, निदेशक, राहत प्रशासन अध्ययन केन्द्र, एन-120-ए, पंचशील पार्क, नई दिल्ली ।
14.	शहरी स्थानीय निकाय	लोक वित्त एवं नीति पर राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली।
15.	ग्रामीण स्थानीय निकाय	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
16.	राज्यों के सड़क परिवहन उपक्रमों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यवहार्यता	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।
17.	सिंचाई क्षेत्र की वित्तीय स्थिति	श्री ए.डी. मोहिले, डी-6, डीडीए (एमआईजी) फ्लैट्स, गोल्फवियू अपार्टमेंट, साकेत, नई दिल्ली - 110017
18.	ऋण की राजकोषीय वहनीयता	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ।

19. मूल्य वर्धित कर को लागू करने में राजस्व निहितार्थ	लोक वित्त एवं नीति पर राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली।
20. मल व्ययन, गंदे पानी का उपचार और जल निकासी की व्यवस्था की लागत	व्यावसायिक उद्यम अवसंरचना प्रा.लि., नई दिल्ली ।
21. भारत के नगरों में ठोस मलबे का प्रबंधन	व्यावसायिक उद्यम अवसंरचना प्रा.लि., नई दिल्ली ।
22. राज्य वित्त आयोग	डा. सी.एस. मिश्र, पूर्व सदस्य, एमपीएसएफसी ।
23. कर प्रयास	प्रो. महेश सी. पुरोहित, लोक अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान फाउंडेशन, पो.बा.नं.- 8495, अशोक विहार, नई दिल्ली- 110052.
24. अवसरंचना सूचकांक	डा. निर्मल मोहन्ती, आईडीएफसी, मुम्बई ।
25. मानवीय विकास सूचकांक	सुश्री के. सीता प्रभु, एचडीआरसी, यूएनडीपी, नई दिल्ली ।
26. राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं हेतु वित्त	सुश्री के. सुजाता राव, सचिव, नेशनल कमीशन ऑन मेक्रोइकोनोमिक्स एंड हेल्थ, से.-12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110022.

अनुबंध 1.25
(पैरा 1.22)

विदेशी दौरों की तिथियां
कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका

14 अक्तूबर, 2003	(i)प्रोविंसियल वित्त मंत्रालय और म्यूनिसियल कार्य मंत्रालय, तथा (ii) टोटंटों में संघीय राजकोष विशेषज्ञों के साथ बैठक ।
15 अक्तूबर, 2003	(i) संघीय वित्त मंत्रालय और अन्तर सरकारी मामले मंत्री, तथा (ii) ओटावा में विशेषज्ञों के साथ बैठक ।
16 अक्तूबर, 2003	प्रोविसयल वित्त मंत्रालय और क्यूबेक सिटी में म्यूनिसियल मामलों मंत्रालय/स्थानीय निकायों के साथ बैठक।
17 अक्तूबर, 2003	एडमॉटन में प्रोविंसियल वित्त मंत्रालय के साथ बैठक।
20 अक्तूबर, 2003	वाशिंगटन डी सी में संघीय राजकोष विशेषज्ञों के साथ बैठक ।

आस्ट्रेलिया

15 मार्च, 2004	सिडनी में राज्य वित्त मंत्रालय/ट्रेजरी और स्थानीय सरकार के साथ बैठक।
16 मार्च, 2004	आस्ट्रेलियन कर अनुसंधान फांउडेशन के साथ बैठक।
17 मार्च, 2004	केनबरा में राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग के साथ वार्तालाप ।
18 मार्च, 2004	केनबरा में संघीय वित्त मंत्रालय और आस्ट्रेलियन ऋण परिषद के साथ बैठक ।
	आस्ट्रेलियन राष्ट्रीय विश्विवद्यालय, केनबरा में संघीय वित्तीय संबंधों पर अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक ।
19 मार्च, 2004	मेलबोर्न में राज्य तथा स्थानीय सरकारों के साथ बैठक ।

अनुबंध 1.26
(पैरा 1.22)

अक्तूबर 20, 2003.
संघीय राजकोष पर विश्व बैंक कार्यशाला कार्यक्रम :
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और पाठ

एमसी 8-डब्ल्यू 150,1818एच स्ट्रीट, वाशिंगटन,डीसी 20433

9.00 प्रातः तक	भारत के लिए विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक द्वारा स्वागत रोमीन इस्लाम प्रबंधक, डब्ल्यू बीआईपीआर द्वारा परिचय ।
	प्रातःकालीन सत्र
प्रातः 9.15 से 10.30 तक	अन्तःसरकार राजकोष हस्तान्तरणः पद्धतियां और पाठ संचालक : वी.जे. रविशंकर अध्यक्ष : अनवर शाह सह-आयोजक : स्तुती खेमानी, डेविड रोजंबलाट, गीता सेठी, हेंग-फू-जो (विश्व बैंक), राजा शंकर(एमआईटी)
	प्रातःकालीन सत्र 2
प्रातः10.45 से 12.00 बजे तक	राजकोषीय समानीकरण हस्तान्तरणः पद्धतियां और पाठ (संघीय-राज्य और और राज्य- स्थानीय) संचालक : वी.जे. रविशंकर अध्यक्ष : अनवर शाह सह-आयोजक : स्तुती खेमानी, डेविड रोजंबलाट, गीता सेठी, हेंग-फू-जो (विश्व बैंक), राजा शंकर(एमआईटी)
	अपराह्न सत्र 1
दोपहर 1.30 से 3.30 बजे तक	वृहत् संघ: अन्तरण और व्यस्टिअर्थशास्त्रीय स्थिरता । संचालक : रिचर्ड हेममिंग, आईएमएफ राजकोषीय नियमावली और राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अध्यक्ष : रिचर्ड हेममिंग, उपनिदेशक,एफएडी, आईएमएफ उप-राष्ट्रीय ऋण एवं उधार अध्यक्ष : समीर अल दाहिर, विश्व बैंक सह-आयोजक : शारुख फरडोस्ट, विलियम मककार्टेन, बेर्न पिंटो, डेविड रोजन बलांट, मार्क सनबर्ग, स्टेवन वेब (विश्व बैंक)
	अपराह्न सत्र 2
अपराह्न 3.45 से 5.00 बजे तक	कर विकेन्द्रीकरण और उपराष्ट्रीय कर सुधार पर गोल मेज वार्त्तालाप । पेनल विशेषज्ञ : कार्लोस सिलवानी(आईएमएफ-संचालक), विलियक डिलिनजर, जीत बहादूर, गिल मिकाइल इंजलसेक, त्वान मिन्हा ली ।
	अपराह्न सत्र 3
अपराह्न 5.00 बजे से 6.00 तक	लोक व्यय की गुणवत्ता पर गोल मेज वार्त्तालाप । पेनल विशेषज्ञ : एड कमपोज (संचालक), आनन्द राजाराम, डोमिनिक वान डी वाले ।
अपराह्न 6.00 बजे से 6.15 तक	बारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. सी रंगराजन की समापन अभ्युक्ति ।

अनुबंध 1.27
(पैरा 1.23)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 2 जुलाई, 2004 को भारत के शहरी केन्द्रों में ठोस मलबे और मलव्ययन, गंदे पानी की सफाई और जल निकासी प्रबंधन पर कार्यशाला

प्रतिभागियों की सूची

1. श्री एच.यू. बिजलानी, पूर्व सीएमडी, हुडको
2. श्री अश्वजीत सिंह, प्रबंध निदेशक, आईपीई
3. डा. गंगाधर झा, आईपीई
4. श्री अभिजीत शकर रॉय, आईपीई
5. डा. श्यामला मणि, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र
6. श्री के.पी. सुकुमारन, सलाहकार, नेशनल डब्ल्युटीई मास्टर प्लान, एमएनईएस
7. डा. शिप्रा मैत्रा, मानव विकास संस्था, आईआईपीए
8. श्री आर. सेतुरमन, सीपीएचईईओ
9. श्री मुकेश ग्रोवर, ऑनदेव डिग्रेमॉट
10. श्री के. सुब्रमणियम, चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूआईएफडब्ल्यू, हुडको
11. श्री वी. सुरेश, भारत के स्वच्छ शासन एवं पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक

अनुबंध 1.28
(पैरा 1.24)

केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के साथ बैठक

क्रम सं.	विभाग/मंत्रालय	दिनांक
1.	स्वास्थ्य विभाग,	
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	30 जून, 2003
2.	परिवार कल्याण विभाग	
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	30 जून, 2003
3.	जनजाति मामले मंत्रालय	7 अगस्त, 2003
4.	कोयला मंत्रालय	8 अगस्त, 2003
5.	खान मंत्रालय	8 अगस्त, 2003
6.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	8 अगस्त, 2003
7.	उर्वरक विभाग	
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	18 अगस्त, 2003
8.	प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	28 अगस्त, 2003
9.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	
	उपभोक्ता मामले मंत्रालय	4 सितम्बर, 2003
10.	कृषि एवं कार्पोरेशन विभाग	
	कृषि मंत्रालय	4 सितम्बर, 2003
11.	रेल मंत्रालय	19 जनवरी, 2004
12.	डाक विभाग	
	दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	22 जनवरी, 2004
13.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	7 अप्रैल, 2004
14.	ऊर्जा मंत्रालय	6 अगस्त, 2004
15.	रक्षा उत्पाद विभाग	
	रक्षा मंत्रालय	27 अगस्त, 2004
16.	गृह एवं सीमा प्रबंधन विभाग	
	गृह मंत्रालय	8 सितम्बर, 2004
17.	न्याय विभाग	
	विधि एवं न्याय मंत्रालय	8 सितम्बर, 2004
18.	शहरी विकास विभाग	
	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	9 सितम्बर, 2004
19.	रक्षा विभाग	
	रक्षा मंत्रालय	13 सितम्बर, 2004
20.	आर्थिक कार्य विभाग, व्यय एवं राजस्व	
	वित्त मंत्रालय	22 सितम्बर, 2004
21.	योजना आयोग	12 अक्तूबर, 2004

अनुबंध ***1.29***

(पैरा 1.25)

अध्यक्ष द्वारा बुलाए गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
	(सर्वश्री)		
1.	गोपाल स्वामी	गृह सचिव	18.2.2003
2.	सत्यमूर्ति	उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	19.2.2003
3.	एन.के. सिन्हा	सचिव, योजना आयोग	6.3.2003
4.	डा. अमरेश बागची	मानद प्रोफेसर, एनआईपीएफपी	6.3.2003
5.	वी.एन. कोल	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	4.4.2003
6.	प्रो. रॉय बहल	विश्व बैंक	8.4.2003
7.	डा. एस. नारायण	वित्त सचिव	5.5.2003
8.	डा. वाई.वी.रेड्डी	कार्यकारी निदेशक, आईएमएफ तथा वर्तमान गर्वरन, भारतीय रिज़र्व बैंक	6.5.2003
9.	वी. रामाचन्द्रन	उप चेयनमैन, राज्य योजना बोर्ड, केरल सरकार	13.5.2003
10.	न्यायमूर्ति जगन्नाधा राव	चेयनमैन, विधि आयोग	26.5.2003
11.	मधुकर गुप्ता	मुख्य सचिव, उत्तरांचल	3.6.2003
12.	डा. राजा जे. चलैया	चेयरमैन, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स	15.7.2003
13.	ओ. इबोबी सिंह	मुख्यमंत्री, मणिपुर	18.8.2003
14.	एस.आर. हासिम	सदस्य, सं.लो.से.आ.	8.9.2003
15.	डा. सीता प्रभु	यूएनडीपी	7.11.2003
16.	डा. राघवेन्द्र झा	निदेशक, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी	8.12.2003
17.	डा. राकेश मोहन	उप गर्वनर, भारतीय रिज़र्व बैंक	27.12.2003
18.	जोरमथंगा	मुख्यमंत्री, मिजोरम	10.2.2004
19.	डा. डी.एन. घोष	चेयनमैन, आईसीआरए	22.3.2004
20.	जया जोशी	उप चेयनमैन, वित्त एवं फिस्कल आयोग, दक्षिण अफ्रीका	24.3.2004
21.	अशोक गुनावर्धने	चेयनमैन, वित्त आयोग, श्रीलंका	31.3.2004
22.	एन.के. सिंह	सदस्य, योजना आयोग	14.4.2004
23.	डा. डी.डी. लपांग	मुख्यमंत्री, मेघालय	15.5.2004
24.	तरून कुमार गंगोई	मुख्यमंत्री, असम	4.6.2004
25.	सुश्री सुजाता राव	सचिव, मैक्रो अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय आयोग	24.6.2004
26.	डा.(सुश्री)मैक्सी ओलसन	यूएनडीपी रेजिडेंट प्रतिनिधि	7.7.2004
27.	के. धीरे	वित्त मंत्री, नागालैण्ड	12.7.2004
28.	डा. आर.लालथंगालीयामा	शिक्षा मंत्री, मिजोरम	20.7.2004
29.	ए.के. पुरवार	चेयमैन, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई	26.7.2004
30.	डा. मोंटेक सिंह आहलुवालिया	उप चेयरमैन, योजना आयोग	3.8.2004
31.	एस. कृष्ण कुमार	अपर मुख्य सचिव, बंगलौर	4.8.2004
32.	आर.वी. शाही	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय	6.8.2004
33.	दामोदर राउत	मंत्री, संस्कृति, उडीसा	19.8.2004
34.	बी.एन. युगंधर	सदस्य, योजना आयोग	20.8.2004
35.	नवीन पटनायक	मुख्यमंत्री, उडीसा	28.8.2004
36.	के.आर. लखनपाल	प्रधान सचिव (वित्त), पंजाब	9.9.2004
37.	बाबू लाल गौड़	मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश	22.9.2004
38.	बादल चौधरी	वित्त मंत्री, त्रिपुरा	23.9.2004
39.	वाक्कोम पुरूषोत्तमन	वित्त मंत्री, केरल	24.9.2004
40.	मणि शंकर अय्यर	पेट्रोलियम एवं पंचायती राज मंत्री	28.9.2004
41.	प्रो. रोस गारनोट	आस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री	29.9.2004
42.	ओमेन चेंडी	मुख्यमंत्री, केरल	30.9.2004
43.	डा. पार्थसारथी शोम	वित्त मंत्री के सलाहकार	5.10.2004
44.	डा. मंजुला सुब्रमणियम	प्रधान सचिव (वित्त), गुजरात	8.10.2004
45.	श्रीमती रेणुका विश्वनाथन	सलाहकार, योजना आयोग	11.10.2004

अनुबंध 1.30
(पैरा 1.26)

संयुक्त वित्त आयोग, तंजानिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक
21 अक्तूबर, 2004
प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों की सूची

1. माननीय विलियम शेल्लुकिंडों, अध्यक्ष (संसद सदस्य)
2. राजदूत चार्ल्स एम. न्यीरोवू, सदस्य
3. डा. एडमड बी. म्डोलवा, सदस्य
4. श्री हैरी किटिल्या, सदस्य
5. सुश्री अनीता न्गोई, सदस्य
6. श्री उमर वाई. म्जी, सदस्य सचिव
7. श्री एम.एस. जूमा, मंत्री (पूर्णाधिकारी दूत) तंजानिया के उच्चायोग के प्रतिनिधि

अनुबंध 1.31
(पैरा 1.27)

आयोग की बैठकें

बैठक	दिनांक	बैठक	दिनांक
पहली बैठक	16 जनवरी, 2003	इक्तसवीं बैठक	25 सितम्बर, 2004
दूसरी बैठक	26 मार्च, 2003	बत्तीसवीं बैठक	27 सितम्बर, 2004
तीसरी बैठक	30 अप्रैल, 2003	तैतीसवीं बैठक	28 सितम्बर, 2004
चौथी बैठक	30 मई, 2003	चौतीसवीं बैठक	29 सितम्बर, 2004
पांचवी बैठक	20 जून, 2003	पैतीसवीं बैठक	1 अक्तूबर, 2004
छठी बैठक	24 सितम्बर, 2003	छत्तीसवीं बैठक	6 अक्तूबर, 2004
सातवी बैठक	20 जनवरी, 2004	सैतीसवीं बैठक	6 अक्तूबर, 2004
आठवी बैठक	4 मार्च, 2004	अडतीसवीं बैठक	7 अक्तूबर, 2004
नौंवी बैठक	7 मई, 2004	उन्तालीसवीं बैठक	8 अक्तूबर, 2004
दसवी बैठक	29 मई, 2004	चालीसवी बैठक	9 अक्तूबर, 2004
ग्यारहवी बैठक	9 जुलाई, 2004	इकतालीसवीं बैठक	11 अक्तूबर, 2004
बारहवी बैठक	7 अगस्त, 2004	बयालीसवीं बैठक	13 अक्तूबर, 2004
तेरहवीं बैठक	9 अगस्त, 2004	तैतालीसवीं बैठक	14 अक्तूबर, 2004
चौदहवीं बैठक	10 अगस्त, 2004	चौव्वालिसवीं बैठक	15 अक्तूबर, 2004
पन्द्रहवीं बैठक	11 अगस्त, 2004	पैतालीसवीं बैठक	16 अक्तूबर, 2004
सोलहवीं बैठक	12 अगस्त, 2004	छियालीसवीं बैठक	29 अक्तूबर, 2004
सत्रहवीं बैठक	13 अगस्त, 2004	सैतालिसवीं बैठक	3 नवम्बर, 2004
अठ्ठारहवीं बैठक	14 अगस्त, 2004	अडातिलसवीं बैठक	6 नवम्बर, 2004
उन्नीसवीं बैठक	16 अगस्त, 2004	उन्चासिवीबैठक	10 नवम्बर, 2004
बीसवीं बैठक	17 अगस्त, 2004	पचासवीं बैठक	10 नवम्बर, 2004 एवं 11 नवम्बर, 2004
इक्किसवीं बैठक	18 अगस्त, 2004	इक्यावनी बैठक	16 नवम्बर, 2004
बाइसवीं बैठक	19 अगस्त, 2004	बयावनी बैठक	17 नवम्बर, 2004
तेइसवीं बैठक	20 अगस्त, 2004	तिरपनवीं बैठक	17 नवम्बर, 2004
चौबीसवीं बैठक	21 अगस्त, 2004	चौवनवीं बैठक	18 नवम्बर, 2004
पच्चीसवीं बैठक	23 अगस्त, 2004	पचपनवीं बैठक	18 नवम्बर, 2004
छब्बीसवीं बैठक	24 अगस्त, 2004	छप्पनवीं बैठक	30 नवम्बर, 2004
सत्ताइसवीं बैठक	26 अगस्त, 2004		
अठ्ठाइसवीं	27 अगस्त, 2004		
उन्तीसवीं	28 अगस्त, 2004		
तीसवीं	11 सितम्बर, 2004		

अनुबंध 1.32
(पैरा 1.27)

भारत का राजपत्र : असाधारण

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2003

एस.ओ.310(ई)- वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 (XXXIII) की धारा 7 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग (वेतन एवं भत्ते) नियमावली 1951 में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

1. **लघु शीर्ष एवं प्रारंभ**-(1) इन नियमों को वित्त आयोग (वेतन एवं भत्ते) संशोधन नियमावली, 2003 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. वित्त आयोग में (वेतन एवं भत्ते) नियम, 1951 नियम 3 में, उपनियम (ख) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएँ अर्थात् :-

"(7) यदि किसी सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो, वह निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग कर सकता है, या तोः-

(क) भारत सरकार के सचिव के वेतन (सेवानिवृत्ति अधिकारियों के मामले में पेंशन कम करके) मंहगाई भत्ता और अनुलाभ और राज्य मंत्री के समतुल्य दर्जा अथवा;

(ख) राज्य मंत्री (सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में पेंशन लेकिन मंहगाई भत्ता रहित) के लिए देय वेतन, दैनिक भत्ता और जैसाकि मंत्री को देय है)"

[एफ.नं. 10 (14)-बी(एस)/2002]
डी. स्वरूप, अतिरिक्त सचिव (बजट)

अनुबंध 2.1
(पैरा 2.7)

केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को अंतरण 1979-80 से 2001-02

(प्रतिशत)

वर्ष	वित्त आयोग अंतरण			अन्य अंतरण			कुल अंतरण (4+7)
	केन्द्रीय करों में हिस्सा	अनुदान	वित्तीय आयोग के तहत कुल अंतरण(2+3)	योजना आयोग के तहत अनुदान	योजना-भिन्न अनुदान (गैर सांविधिक)	कुल अन्य अंतरण (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1979-80	24.33	1.96	26.28	12.52	3.32	15.84	42.12
1980-81	24.06	2.13	26.19	12.71	1.56	14.27	40.46
1981-82	22.57	1.87	24.44	11.04	1.04	12.08	36.52
1982-83	21.36	2.04	23.41	11.59	1.51	13.10	36.51
1983-84	20.99	1.85	22.83	12.74	1.37	14.12	36.95
7-वां वि.आ.	**22.39**	**1.96**	**24.35**	**12.11**	**1.66**	**13.77**	**38.11**
1984-85	19.73	1.85	21.57	13.05	1.34	14.39	35.96
1985-86	21.06	3.01	24.07	13.57	1.51	15.07	39.14
1986-87	20.37	2.32	22.69	13.15	1.57	14.72	37.41
1987-88	20.56	2.76	23.32	14.20	1.35	15.55	38.87
1988-89	19.64	2.50	22.14	13.58	1.81	15.40	37.53
8-वां वि.आ.	**20.25**	**2.52**	**22.77**	**13.56**	**1.54**	**15.10**	**37.87**
1989-90	20.17	2.43	22.60	9.50	1.13	10.62	33.23
1990-91	20.90	4.88	25.78	12.82	1.11	13.93	39.71
1991-92	20.64	4.14	24.78	13.39	1.20	14.60	39.37
1992-93	21.67	4.07	25.74	15.49	1.10	16.60	42.33
1993-94	22.75	4.13	26.88	18.11	1.34	19.45	46.33
1994-95	21.43	1.47	22.90	15.20	0.61	15.81	38.71
9-वां वि.आ.	**21.37**	**3.42**	**24.79**	**14.48**	**1.06**	**15.54**	**40.33**
1995-96	21.01	3.79	24.80	10.94	0.52	11.46	36.26
1996-97	21.73	3.31	25.04	10.56	0.48	11.03	36.07
1997-98	28.82	1.75	30.57	10.23	0.49	10.73	41.29
1998-99	20.75	1.80	22.55	10.87	0.89	11.76	34.30
1999-00	19.33	1.68	21.01	10.35	0.86	11.21	32.22
10-वां वि.आ.	**22.22**	**2.34**	**24.56**	**10.57**	**0.67**	**11.24**	**35.79**
2000-01	21.24	4.73	25.98	10.25	0.91	11.16	37.14
2001-02	20.95	5.06	26.01	10.53	0.73	11.26	37.27
11-वां वि.आ.	**21.09**	**4.90**	**25.99**	**10.39**	**0.82**	**11.21**	**37.20**

स्रोतः संघीय सरकार के वित्तीय लेखे और राजस्व प्राप्तियां केन्द्रीय सरकार के (विभिन्न वर्षों) प्राप्ति बजट से ली गई हैं।

टिप्पणीः 1997-98 में 7594 करोड़ रुपए की धन राशि स्वैच्छिक आय घोषणा योजना से संबंधित है, जिसे योजना भिन्न अनुदान के रूप में दिया गया। इसे यहां केन्द्रीय करों में हिस्से में शामिल किया गया है।

मोटे आंकड़े आयोगवार औसत के हैं।

अनुबंध 2.2
(पैरा 2.8)

सम्मिलित राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र व राज्यों का सापेक्षिक अंश : 1979-80 से 2001-02

(प्रतिशत)

वर्ष	केन्द्रीय			राज्यों		
	हस्तान्तरण से पूर्व राजस्व प्राप्तियां	हस्तान्तरण संविदायी+ गैर संविदायी	हस्तान्तरण के पश्चात राजस्व प्राप्तियां (2-3)	हस्तान्तरण से पूर्व राजस्व प्राप्तियां	हस्तान्तरण संविदायी+ गैर संविदायी	हस्तान्तरण के पश्चात राजस्व प्राप्तियां (5+6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1979-80	66.0	27.5	38.5	34.0	27.5	61.5
1980-81	65.1	27.9	37.2	34.9	27.9	62.8
1981-82	64.8	24.9	39.8	35.2	24.9	60.2
1982-83	64.3	25.2	39.1	35.7	25.2	60.9
1983-84	64.2	26.1	38.1	35.8	26.1	61.9
7-वां वि.आ.	**64.7**	**26.2**	**38.6**	**35.3**	**26.2**	**61.4**
1984-85	65.0	25.8	39.2	35.0	25.8	60.8
1985-86	65.6	28.4	37.2	34.4	28.4	62.8
1986-87	65.7	27.5	38.1	34.3	27.5	61.9
1987-88	65.2	28.2	37.0	34.8	28.2	63.0
1988-89	65.4	26.9	38.6	34.6	26.9	61.4
8-वां वि.आ.	**65.4**	**27.4**	**38.0**	**34.6**	**27.4**	**62.0**
1989-90	66.2	23.9	42.4	33.8	23.9	57.6
1990-91	64.3	27.8	36.5	35.7	27.8	63.5
1991-92	63.0	27.1	35.9	37.0	27.1	64.1
1992-93	64.1	28.4	35.7	35.9	28.4	64.3
1993-94	60.6	29.6	31.0	39.4	29.6	69.0
1994-95	59.3	25.5	33.8	40.7	25.5	66.2
9-वां वि.आ.	**62.5**	**27.2**	**35.3**	**37.5**	**27.2**	**64.7**
1995-96	60.7	24.4	36.2	39.3	24.4	63.8
1996-97	62.7	25.1	37.5	37.3	25.1	62.5
1997-98	60.8	26.6	34.2	39.2	26.6	65.8
1998-99	61.0	23.7	37.3	39.0	23.7	62.7
1999-00	61.6	22.7	38.9	38.4	22.7	61.1
10-वां वि.आ.	**61.4**	**24.4**	**37.0**	**38.6**	**24.4**	**63.0**
2000-01	61.4	25.3	36.1	38.6	25.3	63.9
2001-02	60.7	24.6	36.1	39.3	24.6	63.9
11-वां वि.आ.	**61.0**	**24.9**	**36.1**	**39.0**	**24.9**	**63.9**

आंकड़े स्रोतः भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी - विभिन्न प्रकाशन।

टिप्पणीः- केन्द्रीय रिपोर्ट के अनुसार अंतरण लिए गए हैं। इनमें वित्त आयोग, योजना आयोग के अंतरण और अन्य अंतरण शामिल हैं।

अनुबंध 2.3
(पैरा 2.8)

सम्मिलित राजस्व व्यय में केन्द्र व राज्यों का सापेक्षिक अंश : 1979-80 से 2001-02

(प्रतिशत)

वर्ष	राज्यों का राजस्व व्यय	अंतरण से पूर्व केन्द्र का राजस्व व्यय	राज्यों से केन्द्र को ब्याज प्राप्तियां	केन्द्र से राज्यों को अनुदान	अंतरण के बाद केन्द्र का राजस्व व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1979-80	56.5	57.7	2.5	11.8	43.5
1980-81	59.6	55.9	3.7	11.8	40.4
1981-82	58.1	55.4	3.3	10.2	41.9
1982-83	57.9	56.1	3.1	10.9	42.1
1983-84	58.0	56.5	3.2	11.2	42.0
7-वां वि.आ.	**58.0**	**56.3**	**3.2**	**11.1**	**42.0**
1984-85	57.3	57.1	3.4	11.0	42.7
1985-86	56.0	60.0	3.3	12.6	44.0
1986-87	54.3	61.5	4.2	11.7	45.7
1987-88	56.1	59.9	4.1	12.0	43.9
1988-89	55.2	60.2	4.2	11.2	44.8
8-वां वि.आ.	**55.7**	**59.9**	**3.9**	**11.7**	**44.3**
1989-90	52.8	59.4	4.1	8.1	47.2
1990-91	55.2	59.8	4.2	10.8	44.8
1991-92	58.3	57.3	4.6	11.0	41.7
1992-93	57.9	58.3	4.9	11.3	42.1
1993-94	57.5	59.2	5.2	11.4	42.5
1994-95	57.7	57.0	5.2	9.5	42.3
9-वां वि.आ.	**56.9**	**58.3**	**4.8**	**10.4**	**43.1**
1995-96	57.2	56.9	5.3	8.8	42.8
1996-97	57.5	56.2	5.4	8.3	42.5
1997-98	56.5	58.4	5.4	9.5	43.5
1998-99	56.1	56.2	5.5	6.7	43.9
1999-00	56.8	55.5	5.7	6.7	43.2
10-वां वि.आ.	**56.8**	**56.5**	**5.5**	**7.8**	**43.2**
2000-01	56.0	57.3	5.5	7.8	44.0
2001-02	58.0	54.7	5.1	7.7	42.0
11-वां वि.आ.	**57.1**	**55.9**	**5.3**	**7.7**	**42.9**

स्रोत (बेसिक डाटा)ः भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी।

अनुबंध 2.4
(पैरा 2.8)

कुल व्यय में केन्द्र व राज्यों का सापेक्षिक अंश : 1979-80 से 2001-02

(प्रतिशत)

वर्ष	राज्य	केन्द्र			
		निवल उधार को छोड़कर लेकिन राज्यों से ब्याज प्राप्तियों तथा अनुदान को शामिल करते हुए केन्द्र का व्यय	राज्यों से केन्द्र को प्राप्त ब्याज प्राप्तियां	केन्द्र से राज्यों को अनुदान	अन्तरण के बाद केन्द्र का व्यय
1	2	3	4	5	6
1979-80	55.9	54.3	1.7	8.4	44.1
1980-81	55.6	54.9	2.6	8.0	44.4
1981-82	55.0	54.5	2.3	7.2	45.0
1982-83	55.0	55.1	2.2	7.9	45.0
1983-84	54.6	55.9	2.3	8.2	45.4
7-वां वि.आ.	**55.1**	**55.1**	**2.3**	**7.9**	**44.9**
1984-85	52.9	57.6	2.5	8.0	47.1
1985-86	52.6	59.2	2.5	9.4	47.4
1986-87	50.2	61.4	3.1	8.6	49.8
1987-88	53.0	59.3	3.1	9.2	47.0
1988-89	52.0	60.1	3.3	8.8	48.0
8-वां वि.आ.	**52.1**	**59.7**	**3.0**	**8.8**	**47.9**
1989-90	50.2	59.4	3.2	6.4	49.8
1990-91	52.8	59.2	3.4	8.6	47.2
1991-92	56.0	56.9	3.8	9.1	44.0
1992-93	55.1	58.1	4.0	9.2	44.9
1993-94	54.7	59.0	4.3	9.4	45.3
1994-95	57.2	55.2	4.4	8.0	42.8
9-वां वि.आ.	**54.7**	**57.7**	**3.9**	**8.5**	**45.3**
1995-96	56.7	55.2	4.5	7.5	43.3
1996-97	57.3	54.7	4.7	7.3	42.7
1997-98	56.7	56.2	4.7	8.2	43.3
1998-99	55.6	55.0	4.8	5.8	44.4
1999-00	56.8	53.9	4.9	5.8	43.2
10-वां वि.आ.	**56.6**	**54.9**	**4.8**	**6.8**	**43.4**
2000-01	56.1	55.7	4.9	6.9	43.9
2001-02	57.9	53.2	4.4	6.7	42.1
11-वां वि.आ.	**57.1**	**54.4**	**4.7**	**6.8**	**42.9**

आंकड़े स्रोतः भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी - विभिन्न प्रकाशन।

टिप्पणीः- केन्द्र का व्यय राज्यों को प्रदान किए गए ऋण और राज्यों से ब्याज प्राप्तियों का निवल है।

अनुबंध ***4.1***
(पैरा 4.25)

केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित लेखे : स.घ.उ. के सापेक्ष चुनिंदा घट-बढ़

(प्रतिशत)

वर्ष	कर राजस्व	ब्याज अदायगियां	पूंजी व्यय	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज अदायगियां (%)	राजस्व घाटा	राज-कोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात (%)
1987-88	16.1	3.7	6.6	18.9	21.7	19.4	2.9	9.1	5.4	31.6
1988-89	15.9	3.9	5.9	18.4	21.3	21.2	2.9	8.5	4.6	34.3
1989-90	16.0	4.2	6.0	19.0	22.2	22.2	3.2	8.9	4.6	35.8
1990-91	15.4	4.4	5.3	17.5	21.6	25.2	4.2	9.3	4.9	44.7
1991-92	15.8	4.7	4.4	18.6	22.0	25.5	3.4	6.9	2.2	48.3
1992-93	15.3	4.8	4.9	18.1	21.3	26.5	3.2	6.8	2.0	46.6
1993-94	14.2	5.0	4.6	17.1	21.3	28.9	4.2	8.1	3.2	51.9
1994-95	14.6	5.1	3.9	17.6	21.2	29.2	3.6	6.9	1.8	52.2
1995-96	14.8	5.0	3.6	17.4	20.7	28.5	3.2	6.5	1.6	49.7
1996-97	14.6	5.1	2.8	17.1	20.7	29.9	3.6	6.3	1.1	56.9
1997-98	14.0	5.2	3.2	16.9	21.1	30.4	4.1	7.2	2.0	57.9
1998-99	13.4	5.3	3.4	15.8	22.1	33.7	6.4	8.9	3.6	71.0
1999-00	14.2	5.7	3.4	16.9	23.2	33.6	6.3	9.5	3.8	66.2
2000-01	14.6	5.7	2.9	16.7	23.2	34.2	6.5	9.2	3.5	70.4
2001-02	14.5	6.1	3.6	17.8	24.5	34.2	6.7	9.9	3.8	67.5
औसत (1987-88 to 1989-90)[I]	**16.0**	**3.9**	**6.1**	**18.7**	**21.7**	**21.0**	**3.0**	**8.8**	**4.9**	**33.9**
औसत (1999-00 to 2001-02)[II]	**14.4**	**5.8**	**3.3**	**17.2**	**23.6**	**34.0**	**6.5**	**9.5**	**3.7**	**68.0**
(II-I)	**-1.6**	**1.9**	**-2.8**	**-1.6**	**1.9**	**13.0**	**3.5**	**0.7**	**-1.2**	**34.1**

स्रोत: भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी
2001-2002 के आंकड़ों में संशोधित अनुमान शामिल हैं।

अनुबंध 5.1
(पैरा 5.43)

ऋण राहत को शामिल करने से पूर्व 2004-05 से 2009-10 तक केन्द्र सरकारों के राजकोषीय प्रोफाइल का पुनर्मूल्यांकन

(करोड़ रुपए में)

	शीर्ष/ मदें	2004-05 (ब.अ.)	पुनर्मूल्यांकन 04-05(ब.अ.)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	निगम कर	88436	88436	96845	116601	140388	169027	203509
2	आय कर	50929	47929	55981	65386	76371	89201	104187
3	सीमा शुल्क	54250	54250	58156	62343	66832	71644	76802
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	109199	103557	114741	127133	140864	156077	172933
5	सेवा कर	14150	14150	17122	20717	25068	30332	36701
6	अन्य कर *जिनमें*	769	769	858	960	1075	1205	1353
	(i) सम्पदा कर	145	145	149	152	156	160	164
	(ii) संघ राज्यों के कर	624	624	710	808	919	1045	1189
7	**सकल कर राजस्व**	**317733**	**309091**	**343703**	**393140**	**450597**	**517486**	**595485**
8	अधिभार और उपकर *जिनमें*	35684	35546	40562	46299	52862	60373	68971
	(i) शिक्षा उप कर		4772	5480	6305	7269	8397	9718
	(ii) अन्य अधिभार और उपकर		30774	35082	39994	45593	51976	59253
9	संग्रहण लागत	2753	2753	2839	3050	3277	3521	3785
10	**बंटवारे योग्य कर राजस्व**	**278672**	**270168**	**299592**	**342984**	**393539**	**452546**	**521540**
11	**बंटवारे योग्य पूल में राज्यों का हिस्सा**	**82227**	**79700**	**91376**	**104610**	**120029**	**138027**	**159070**
12	प्राप्तियों से एनसीसीएफ व्यय घटाकर	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
13	**केन्द्र का निवल कर राजस्व**	**233906**	**227791**	**250728**	**286930**	**328967**	**377859**	**434816**
14	**कर-भिन्न राजस्व**	**75416**	**68598**	**75316**	**86469**	**99563**	**115137**	**133898**
15	**सकल राजस्व प्राप्तियां**	**393149**	**377689**	**419020**	**479609**	**550160**	**632622**	**729383**
16	**राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर सुपुर्दगी शामिल नहीं हैं**	**309322**	**296389**	**326044**	**373399**	**428531**	**492996**	**568714**
17	ब्याज अदायगियां	129500	129500	135819	142009	147523	152234	**156006**
18	पेंशन	15928	15928	16565	17228	17917	18634	19379
19	रक्षा सेवाएं केवल राजस्व व्यय	43517	43517	46346	49358	52566	55983	59622
20	अन्य सामान्य सेवाओं के तहत पुलिस	9940	9940	10686	11487	12348	13275	14270
21	शेष अन्य सामान्य सेवाएं	9318	9318	9784	10273	10787	11326	11892
22	सामाजिक सेवाएं	6840	6840	7182	7541	7918	8314	8730
23	सब्सिडी	43516	43516	38530	37343	36157	36157	36157
24	आर्थिक सेवाएं	11763	11763	12645	13594	14613	15709	16887
25	वित्त आयोग एवं अन्य आयोजना भिन्न अनुदान	18783	18783	28174	31869	32059	31765	31978
26	संघ राज्यों को अनुदान	687	687	743	804	870	942	1019
27	संघ राज्यों का व्यय **(विधानसभा रहित)**	1659	1659	1797	1947	2109	2285	2475
28	डाक घाटा	1355	1355	1296	1211	1109	990	851
29	अन्य गैर-योजना राजस्व व्यय	844	844	1109	1458	1916	2519	3311
30	**कुल आयोजना भिन्न राजस्व व्यय**	**293650**	**293650**	**310676**	**326122**	**337893**	**350132**	**362577**
31	कुल आयोजना राजस्व व्यय *जिसमें*	91843	80361	80570	95961	117901	142864	206137
	(i) राज्यों को आयोजना अनुदान	38454	38454	39678	45772	56972	70605	86118
32	**कुल राजस्व व्यय**	**385493**	**374011**	**391246**	**422083**	**455794**	**492996**	**568714**
33	**राजस्व घाटा**	**76171**	**77622**	**65202**	**48684**	**27263**	**0**	**0**
34	**पूंजी व्यय (प्राप्तियां का घटाकर)**	**92336**	**92336**	**95478**	**117655**	**144254**	**175243**	**198482**
35	**कुल व्यय**	**477829**	**466347**	**486724**	**539738**	**600048**	**668239**	**767195**
36	**पूंजीगत प्राप्तियां *जिनमें***	**168507**	**169957**	**160680**	**166339**	**171518**	**175243**	**198482**
	(i) विनिवेश प्राप्तियां	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	(ii) ऋणों की वसूलियां	27100	27100	13939	16783	20525	24565	30327
37	**राजकोषीय घाटा**	**137407**	**138858**	**142741**	**145557**	**146993**	**146677**	**164155**
38	**प्राथमिक घाटा**	**7907**	**9358**	**6922**	**3548**	**-530**	**-5557**	**8149**
39	**बकाया ऋण***	**1645236**	**1646686**	**1789427**	**1934984**	**2081976**	**2228654**	**2392808**
			स.घ.उ. के प्रतिशत में					
40	कुल व्यय	15.39	15.02	14.00	13.86	13.76	13.68	14.02
41	राजस्व व्यय	12.42	12.05	11.25	10.84	10.45	10.09	10.39
42	पूंजी व्यय (प्राप्तियों को छोड़कर)	2.97	2.97	2.75	3.02	3.31	3.59	3.63
43	सकल कर राजस्व	10.23	9.96	9.88	10.09	10.33	10.59	10.88
44	भिन्न राजस्व	2.43	2.21	2.17	2.22	2.28	2.36	2.45
45	राजकोषीय घाटा	4.43	4.47	4.10	3.74	3.37	3.00	3.00
46	राजस्व घाटा	2.45	2.50	1.88	1.25	0.63	0.00	0.00
47	प्रारम्भिक घाटा	0.25	0.30	0.20	0.09	-0.01	-0.11	0.15
48	शेष ऋण	52.99	53.04	51.46	49.68	47.73	45.62	43.73
49	स.घ.अ. (चालू बाजार मूल्य पर)	3104857	3104857	3477440	3894733	4362101	4885553	5471819

*** बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत वर्ष 2004-05 के लिए (सं.अ. के साथ-साथ पुर्नमूल्यांकन) 60000 करोड़ रुपए के बकाया ऋण और एनएसएसएफ के अन्तर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित 280631 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।**

अनुबंध 5.2
(पैरा 5.43)

ऋण राहत को शामिल करने के पश्चात 2004-05 से 2009-10 तक केन्द्र सरकारों के राजकोषीय प्रोफाइल का पुनर्मूल्यांकन

(करोड़ रुपए में)

	शीर्ष/ मदें	2004-05 (ब.अ.)	पुनर्मूल्यांकन 04-05(ब.अ.)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	निगम कर	88436	88436	96845	116601	140388	169027	203509
2	आय कर	50929	47929	55981	65386	76371	89201	104187
3	सीमा शुल्क	54250	54250	58156	62343	66832	71644	76802
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	109199	103557	114741	127133	140864	156077	172933
5	सेवा कर	14150	14150	17122	20717	25068	30332	36701
6	अन्य कर *जिनमें*	769	769	858	960	1075	1205	1353
	(i) सम्पदा कर	145	145	149	152	156	160	164
	(ii) संघ राज्यों के कर	624	624	710	808	919	1045	1189
7	**सकल कर राजस्व**	**317733**	**309091**	**343703**	**393140**	**450597**	**517486**	**595485**
8	अधिभार और उपकर *जिनमें*	35684	35546	40562	46299	52862	60373	68971
	(i) शिक्षा उप कर		4772	5480	6305	7269	8397	9718
	(ii) अन्य अधिभार और उपकर		30774	35082	39994	45593	51976	59253
9	संग्रहण लागत	2753	2753	2839	3050	3277	3521	3785
10	**बंटवारे योग्य कर राजस्व**	**278672**	**270168**	**299592**	**342984**	**393539**	**452546**	**521540**
11	**बंटवारे योग्य पूल में राज्यों का हिस्सा**	**82227**	**79700**	**91376**	**104610**	**120029**	**138027**	**159070**
12	प्राप्तियों से एनसीसीएफ व्यय घटाकर	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
13	**केन्द्र का निवल कर राजस्व**	**233906**	**227791**	**250728**	**286930**	**328967**	**377859**	**434816**
14	**कर-भिन्न राजस्व**	**75416**	**68598**	**70135**	**80205**	**91976**	**105987**	**123151**
15	**सकल राजस्व प्राप्तियां**	**393149**	**377689**	**413838**	**473346**	**542573**	**623472**	**718636**
16	**राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर सुपुर्दगी शामिल नहीं हैं**	**309322**	**296389**	**320862**	**367136**	**420944**	**483846**	**557966**
17	ब्याज अदायगियां	129500	129500	135819	142009	147523	152234	156006
18	पेंशन	15928	15928	16565	17228	17917	18634	19379
19	रक्षा सेवाएं केवल राजस्व व्यय	43517	43517	46346	49358	52566	55983	59622
20	अन्य सामान्य सेवाओं के तहत पुलिस	9940	9940	10686	11487	12348	13275	14270
21	शेष अन्य सामान्य सेवाएं	9318	9318	9784	10273	10787	11326	11892
22	सामाजिक सेवाएं	6840	6840	7182	7541	7918	8314	8730
23	सब्सिडी	43516	43516	38530	37343	36157	36157	36157
24	आर्थिक सेवाएं	11763	11763	12645	13594	14613	15709	16887
25	वित्त आयोग एवं अन्य आयोजना भिन्न अनुदान	18783	18783	28174	31869	32059	31765	31978
26	संघ राज्यों को अनुदान	687	687	743	804	870	942	1019
27	संघ राज्यों का व्यय **(विधानसभा रहित)**	1659	1659	1797	1947	2109	2285	2475
28	डाक घाटा	1355	1355	1296	1211	1109	990	851
29	अन्य गैर-योजना राजस्व व्यय	844	844	1109	1458	1916	2519	3311
30	**कुल आयोजना भिन्न राजस्व व्यय**	**293650**	**293650**	**310676**	**326122**	**337893**	**350132**	**362577**
31	कुल आयोजना राजस्व व्यय *जिसमें*	91843	80361	75389	89698	110314	133714	195390
	(i) राज्यों को आयोजना अनुदान	38454	38454	37709	43392	54089	67128	82034
32	**कुल राजस्व व्यय**	**385493**	**374011**	**386064**	**415820**	**448207**	**483846**	**557966**
33	**राजस्व घाटा**	**76171**	**77622**	**65202**	**48684**	**27263**	**0**	**0**
34	**पूंजी व्यय (प्राप्तियां का घटाकर)**	**92336**	**92336**	**90733**	**112080**	**137524**	**167870**	**189883**
35	**कुल व्यय**	**477829**	**466347**	**476797**	**527900**	**585731**	**651716**	**747849**
36	**पूंजीगत प्राप्तियां *जिनमें***	**168507**	**169957**	**155935**	**160764**	**164787**	**167870**	**189883**
	(i) विनिवेश प्राप्तियां	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	(ii) ऋणों की वसूलियां	27100	27100	9195	11208	13795	17192	21728
37	**राजकोषीय घाटा**	**137407**	**138858**	**142741**	**145557**	**146993**	**146677**	**164155**
38	**प्राथमिक घाटा**	**7907**	**9358**	**6922**	**3548**	**-530**	**-5557**	**8149**
39	**बकाया ऋण***	**1645236**	**1646686**	**1789427**	**1934984**	**2081976**	**2228654**	**2392808**
			स.घ.उ. के प्रतिशत में					
40	कुल व्यय	15.39	15.02	13.71	13.55	13.43	13.34	13.67
41	राजस्व व्यय	12.42	12.05	11.10	10.68	10.28	9.90	10.20
42	पूंजी व्यय (प्राप्तियों को छोड़कर)	2.97	2.97	2.61	2.88	3.15	3.44	3.47
43	सकल कर राजस्व	10.23	9.96	9.88	10.09	10.33	10.59	10.88
44	भिन्न राजस्व	2.43	2.21	2.02	2.06	2.11	2.17	2.25
45	राजकोषीय घाटा	4.43	4.47	4.10	3.74	3.37	3.00	3.00
46	राजस्व घाटा	2.45	2.50	1.88	1.25	0.63	0.00	0.00
47	प्रारम्भिक घाटा	0.25	0.30	0.20	0.09	-0.01	-0.11	0.15
48	शेष ऋण	52.99	53.04	51.46	49.68	47.73	45.62	43.73
49	स.घ.अ. (चालू बाजार मूल्य पर)	3104857	3104857	3477440	3894733	4362101	4885553	5471819

* **बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत वर्ष 2004-05 के लिए (सं.अ. के साथ-साथ पुर्नमूल्यांकन) 60000 करोड़ रुपए के बकाया ऋण और एनएसएसएफ के अन्तर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित 280631 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।**

अनुबंध - 6.1
(पैरा 6.3)

2005-2010 के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत अनुमान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य स्व-राजस्व प्राप्तियां			आयोजना भिन्न राजस्व व्यय			सुपुर्दगी पूर्व एनपीआर घाटा
		ओटीआर	ओएनटीआर	जोड़	जोड़	के लिए पेंशन	आईपी	
क.	**भिन्न-विशेष श्रेणी राज्य**							
1	आंध्र प्रदेश	111541	21024	**132565**	**184753**	25673	50826	**-52188**
2	बिहार	20241	1807	**22048**	**127191**	16347	29833	**-105143**
3	छत्तीसगढ़	20307	8661	**28968**	**37663**	2960	7954	**-8695**
4	गोवा	4658	8461	**13119**	**13489**	891	2683	**-370**
5	गुजरात	66885	29238	**96124**	**128263**	11909	40941	**-32139**
6	हरियाणा	42178	11369	**53547**	**62178**	6093	14338	**-8631**
7	झारखंड	16946	8603	**25549**	**32334**	6461	5369	**-6785**
8	कर्नाटक	105214	13748	**118962**	**107471**	14709	28868	**11491**
9	केरल	66214	5696	**71911**	**106414**	17122	26800	**-34504**
10	मध्य प्रदेश	47837	8218	**56055**	**117797**	12348	33160	**-61742**
11	महाराष्ट्र	190208	32513	**222720**	**258271**	18162	58447	**-35550**
12	उड़ीसा	23625	5591	**29216**	**86907**	10153	20421	**-57691**
13	पंजाब	44996	22202	**67198**	**95988**	10018	21966	**-28790**
14	राजस्थान	52430	13618	**66048**	**136200**	15928	33734	**-70151**
15	तमिलनाडु	105245	7431	**112676**	**174803**	34412	34185	**-62127**
16	उत्तर प्रदेश	117358	11741	**129099**	**231596**	27825	66672	**-102497**
17	पश्चिम बंगाल	68870	8044	**76914**	**163304**	21090	64088	**-86389**
	जोड़-भिन्न-विशेष श्रेणी	**1104754**	**217965**	**1322719**	**2064621**	**252101**	**540285**	**-741902**
ख.	**विशेष श्रेणी राज्य**							
1	असम	15502	3362	**18865**	**77741**	10172	10907	**-58876**
2	अरुणाचल प्रदेश	351	502	**853**	**5608**	406	1614	**-4755**
3	हिमाचल प्रदेश	7060	2727	**9787**	**41340**	4235	13856	**-31553**
4	जम्मू और कश्मीर	9395	9200	**18595**	**41952**	4670	10150	**-23357**
5	मणिपुर	581	499	**1080**	**14128**	1849	3094	**-13048**
6	मेघालय	1399	860	**2260**	**7633**	713	1225	**-5374**
7	मिजोरम	176	346	**522**	**5914**	595	977	**-5392**
8	नागालैण्ड	563	288	**851**	**10241**	1101	2414	**-9390**
9	सिक्किम	520	515	**1034**	**3958**	212	539	**-2924**
10	त्रिपुरा	1650	934	**2584**	**14081**	2323	2362	**-11497**
11	उत्तरांचल	8642	3211	**11853**	**28281**	2995	6465	**-16428**
	जोड़-विशेष श्रेणी	**45839**	**22444**	**68283**	**250878**	**29271**	**53604**	**-182595**
	कुल जोड़	**1150593**	**240409**	**1391002**	**2315499**	**281372**	**593889**	**-924497**

ओटीआर : अपना स्वयं का कर राजस्व
आईपी : ब्याज अदायगियां
ओएनटीआर : अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व
एनपीआर : आयोजना-भिन्न राजस्व

***अनुबंध* - 6.2**
(पैरा 6.8, 6.14, 6.15)

कर राजस्वों की उत्प्लावकता आधारित वृद्धि दरें 2005-10

राज्य	जीएसडीपी की प्रति वर्ष नामीवल वृद्धि दर	कर राजस्व की निर्देशात्मक उत्प्लावकता	कर राजस्व की निर्देशात्मक वृद्धि दर
आंध्र प्रदेश	11.00	1.20	13.20
अरुणाचल प्रदेश	12.80	1.10	14.08
असम	11.00	1.20	13.20
बिहार	11.00	1.20	13.20
छत्तीसगढ़	11.00	1.20	13.20
गोवा	12.80	1.35	17.28
गुजरात	12.80	1.30	16.64
हरियाणा	12.00	1.25	15.00
हिमाचल प्रदेश	12.80	1.30	16.64
जम्मू और कश्मीर	11.00	1.20	13.20
झारखंड	11.00	1.20	13.20
कर्नाटक	12.80	1.30	16.64
केरल	11.00	1.30	14.30
मध्य प्रदेश	12.00	1.20	14.40
महाराष्ट्र	12.00	1.25	15.00
मणिपुर	11.00	1.10	12.10
मेघालय	11.00	1.20	13.20
मिजोरम	11.00	1.10	12.10
नागालैण्ड	11.00	1.10	12.10
उड़ीसा	11.00	1.20	13.20
पंजाब	11.00	1.35	14.85
राजस्थान	12.80	1.20	15.36
सिक्किम	12.00	1.20	14.40
तमिलनाडु	12.80	1.20	15.36
त्रिपुरा	12.00	1.10	13.20
उत्तर प्रदेश	12.00	1.20	14.40
उत्तरांचल	11.00	1.20	13.20
पश्चिम बंगाल	12.80	1.35	17.28

अनुबंध - 6.3
(पैरा 6.29)

खाद्य सब्सिडी के लिए व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**जोड़ 2005-2010**
आंध्र प्रदेश	75.70	75.70	75.70	75.70	75.70	378.50
अरुणाचल प्रदेश	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	5.45
असम	26.64	26.64	26.64	26.64	26.64	133.20
बिहार	82.90	82.90	82.90	82.90	82.90	414.50
छत्तीसगढ़	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	104.00
गोवा	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	6.70
गुजरात	50.60	50.60	50.60	50.60	50.60	253.00
हरियाणा	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	105.40
हिमाचल प्रदेश	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	30.40
जम्मू और कश्मीर	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	50.35
झारखंड	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	134.50
कर्नाटक	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	263.65
केरल	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	159.20
मध्य प्रदेश	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	302.00
महाराष्ट्र	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	483.75
मणिपुर	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	11.95
मेघालय	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	11.55
मिजोरम	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	4.45
नागालैण्ड	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	9.95
उड़ीसा	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	183.55
पंजाब	24.29	24.29	24.29	24.29	24.29	121.45
राजस्थान	56.47	56.47	56.47	56.47	56.47	282.35
सिक्किम	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	2.70
तमिलनाडु	62.10	62.10	62.10	62.10	62.10	310.50
त्रिपुरा	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	15.95
उत्तर प्रदेश	166.10	166.10	166.10	166.10	166.10	830.50
उत्तरांचल	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	42.50
पश्चिम बंगाल	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	401.10
सभी राज्य	**1010.62**	**1010.62**	**1010.62**	**1010.62**	**1010.62**	**5053.10**

अनुबंध - 6.4
(पैरा 6.35)

सामान्य शिक्षा के लिए व्यय (मुख्य शीर्ष-2202)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जोड़ 2005-2010
आंध्र प्रदेश	4475.83	4901.04	5366.64	5876.47	6434.73	27054.71
अरुणाचल प्रदेश	76.84	84.14	92.13	100.88	110.46	464.45
असम	2125.60	2327.54	2548.65	2790.77	3055.90	12848.46
बिहार	3376.63	3697.41	4048.66	4433.29	4854.45	20410.44
छत्तीसगढ़	708.34	775.63	849.32	930.01	1018.36	4281.66
गोवा	224.74	246.09	269.47	295.07	323.10	1358.47
गुजरात	3389.19	3711.16	4063.72	4449.78	4872.51	20486.36
हरियाणा	1615.15	1768.59	1936.61	2120.59	2322.04	9762.98
हिमाचल प्रदेश	683.13	748.03	819.09	896.91	982.11	4129.27
जम्मू और कश्मीर	776.27	850.01	930.77	1019.19	1116.01	4692.25
झारखंड	1177.70	1289.58	1412.09	1546.24	1693.13	7118.74
कर्नाटक	3699.88	4051.37	4436.25	4857.70	5319.18	22364.38
केरल	3608.63	3951.45	4326.84	4737.89	5187.99	21812.80
मध्य प्रदेश	2056.74	2252.13	2466.08	2700.36	2956.89	12432.20
महाराष्ट्र	9596.97	10508.69	11507.01	12600.18	13797.20	58010.05
मणिपुर	279.91	306.51	335.62	367.51	402.42	1691.97
मेघालय	205.58	225.11	246.49	269.91	295.55	1242.64
मिजोरम	143.93	157.60	172.57	188.97	206.92	869.99
नागालैण्ड	203.50	222.83	244.00	267.18	292.57	1230.08
उड़ीसा	1886.98	2066.24	2262.54	2477.48	2712.84	11406.08
पंजाब	2438.71	2670.39	2924.07	3201.86	3506.04	14741.07
राजस्थान	3960.41	4336.65	4748.63	5199.75	5693.72	23939.16
सिक्किम	110.05	120.50	131.95	144.48	158.21	665.19
तमिलनाडु	4943.76	5413.41	5927.69	6490.82	7107.45	29883.13
त्रिपुरा	471.88	516.71	565.80	619.55	678.41	2852.35
उत्तर प्रदेश	6510.06	7128.52	7805.73	8547.27	9359.27	39350.85
उत्तरांचल	1077.08	1179.40	1291.45	1414.14	1548.48	6510.55
पश्चिम बंगाल	5029.25	5507.03	6030.19	6603.06	7230.35	30399.88
सभी राज्य	**64852.74**	**71013.76**	**77760.06**	**85147.31**	**93236.29**	**392010.16**

टिप्पणीः उक्त तालिका में कुछ राज्यों को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त अनुदान सहायता अनुमानित व्यय में शामिल नहीं है (अध्याय 10 के तहत)।

अनुबंध - 6.5
(पैरा 6.35)

जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा के लिए व्यय (मुख्य शीर्ष 2210 और 2211)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जोड़ 2005-2010
आंध्र प्रदेश	1111.25	1239.05	1381.54	1540.42	1717.56	6989.82
अरुणाचल प्रदेश	47.39	52.84	58.92	65.69	73.25	298.09
असम	196.94	219.58	244.84	272.99	304.39	1238.74
बिहार	500.82	558.41	622.63	694.23	774.07	3150.16
छत्तीसगढ़	178.85	199.42	222.35	247.92	276.43	1124.97
गोवा	83.90	93.54	104.30	116.30	129.67	527.71
गुजरात	743.01	828.46	923.73	1029.96	1148.41	4673.57
हरियाणा	287.93	321.04	357.96	399.13	445.03	1811.09
हिमाचल प्रदेश	152.06	169.55	189.05	210.79	235.03	956.48
जम्मू और कश्मीर	361.01	402.53	448.82	500.44	557.99	2270.79
झारखंड	219.74	245.01	273.19	304.60	339.63	1382.17
कर्नाटक	805.69	898.35	1001.66	1116.85	1245.28	5067.83
केरल	875.61	976.31	1088.58	1213.77	1353.36	5507.63
मध्य प्रदेश	607.66	677.55	755.46	842.34	939.21	3822.22
महाराष्ट्र	1545.90	1723.68	1921.91	2142.93	2389.36	9723.78
मणिपुर	59.18	65.98	73.57	82.03	91.46	372.22
मेघालय	59.83	66.71	74.38	82.94	92.48	376.34
मिजोरम	34.80	38.80	43.26	48.23	53.78	218.87
नागालैण्ड	59.79	66.67	74.33	82.88	92.41	376.08
उड़ीसा	434.88	484.90	540.66	602.83	672.16	2735.43
पंजाब	728.84	812.66	906.11	1010.32	1126.50	4584.43
राजस्थान	927.07	1033.68	1152.55	1285.10	1432.88	5831.28
सिक्किम	27.86	31.06	34.63	38.62	43.06	175.23
तमिलनाडु	1140.04	1271.14	1417.32	1580.32	1762.05	7170.87
त्रिपुरा	70.92	79.08	88.17	98.31	109.62	446.10
उत्तर प्रदेश	1610.74	1795.97	2002.51	2232.80	2489.57	10131.59
उत्तरांचल	161.73	180.32	201.06	224.18	249.96	1017.25
पश्चिम बंगाल	1331.22	1484.31	1655.00	1845.33	2057.54	8373.40
सभी राज्य	**14364.66**	**16016.60**	**17858.49**	**19912.25**	**22202.14**	**90354.14**

टिप्पणीः उक्त तालिका में कुछ राज्यों को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त अनुदान सहायता अनुमानित व्यय में शामिल नहीं है (अध्याय 10 के तहत)।

अनुबंध - 6.6
(पैरा 6.36)

वृहद् और मध्यम सिंचाई के लिए प्रदान किया गया रखरखाव व्यय (मुख्य शीर्ष 2701)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जोड़ 2005-2010
आंध्र प्रदेश	197.53	207.41	217.78	228.67	240.10	1091.49
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	39.95	41.95	44.04	46.25	48.56	220.75
बिहार	178.29	187.21	196.57	206.40	216.72	985.19
छत्तीसगढ़	59.29	62.25	65.37	68.63	72.07	327.61
गोवा	7.25	7.62	8.00	8.40	8.82	40.09
गुजरात	201.13	211.18	221.74	232.83	244.47	1111.35
हरियाणा	226.57	237.90	249.79	262.28	275.40	1251.94
हिमाचल प्रदेश	2.26	2.37	2.49	2.61	2.74	12.47
जम्मू और कश्मीर	14.12	14.83	15.57	16.34	17.16	78.02
झारखंड	17.75	18.64	19.57	20.55	21.58	98.09
कर्नाटक	122.03	128.13	134.53	141.26	148.32	674.27
केरल	87.35	91.71	96.30	101.11	106.17	482.64
मध्य प्रदेश	178.48	187.41	196.78	206.62	216.95	986.24
महाराष्ट्र	158.20	166.11	174.42	183.14	192.30	874.17
मणिपुर	18.88	19.82	20.81	21.85	22.95	104.31
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	113.71	119.40	125.37	131.64	138.22	628.34
पंजाब	331.92	348.52	365.94	384.24	403.45	1834.07
राजस्थान	156.38	172.83	191.39	204.70	218.99	944.29
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	129.41	135.88	142.67	149.81	157.30	715.07
त्रिपुरा	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	2.10
उत्तर प्रदेश	432.14	453.75	476.43	500.26	525.27	2387.85
उत्तरांचल	129.97	136.47	143.30	150.46	157.98	718.18
पश्चिम बंगाल	141.06	148.11	155.51	163.29	171.45	779.42
सभी राज्य	**2944.05**	**3099.89**	**3264.80**	**3431.79**	**3607.43**	**16347.96**

अनुबंध - 6.7
(पैरा 6.36)

लघु सिचाई के लिए प्रदान किया गया रखरखाव व्यय (मुख्य शीर्ष 2702)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जोड़ 2005-2010
आंध्र प्रदेश	87.61	91.99	96.59	101.42	106.49	484.10
अरुणाचल प्रदेश	6.10	6.41	6.73	7.06	7.42	33.72
असम	111.62	117.20	123.06	129.22	135.68	616.78
बिहार	118.42	124.34	130.56	137.09	143.94	654.35
छत्तीसगढ़	10.17	10.68	11.21	11.77	12.36	56.19
गोवा	6.23	6.54	6.87	7.21	7.57	34.42
गुजरात	62.41	65.53	68.81	72.25	75.86	344.86
हरियाणा	49.71	52.20	54.81	57.55	60.42	274.69
हिमाचल प्रदेश	56.59	59.42	62.39	65.51	68.78	312.69
जम्मू और कश्मीर	75.48	79.26	83.22	87.38	91.75	417.09
झारखंड	23.36	24.53	25.76	27.05	28.40	129.10
कर्नाटक	125.61	131.89	138.48	145.41	152.68	694.07
केरल	107.86	113.25	118.91	124.86	131.10	595.98
माध्य प्रदेश	67.71	71.09	74.65	78.38	82.30	374.13
महाराष्ट्र	139.24	146.20	153.51	161.19	169.25	769.39
मणिपुर	6.88	7.22	7.59	7.96	8.36	38.01
मेघालय	7.08	7.44	7.81	8.20	8.61	39.14
मिजोरम	0.79	0.83	0.88	0.92	0.97	4.39
नागालैण्ड	6.99	7.34	7.71	8.09	8.50	38.63
उड़ीसा	42.13	44.24	46.45	48.77	51.21	232.80
पंजाब	117.72	123.61	129.79	136.28	143.09	650.49
राजस्थान	74.40	78.12	82.02	86.13	90.43	411.10
सिक्किम	1.38	1.45	1.52	1.60	1.68	7.63
तमिलनाडु	66.76	70.10	73.61	77.29	81.15	368.91
त्रिपुरा	17.91	18.80	19.74	20.73	21.76	98.94
उत्तर प्रदेश	544.31	571.52	600.10	630.10	661.61	3007.64
उत्तरांचल	32.18	33.79	35.48	37.26	39.12	177.83
पश्चिम बंगाल	252.86	265.50	278.78	292.72	307.35	1397.21
सभी राज्य	**2219.51**	**2330.49**	**2447.04**	**2569.40**	**2697.84**	**12264.28**

अनुबंध - 6.8
(पैरा 6.37)

संड़कों और पुलों के लिए प्रदान किया गया रखरखाव व्यय (मुख्य शीर्ष -3054)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जोड़ 2005-2010
आंध्र प्रदेश	675.37	709.14	744.60	781.83	820.92	3731.86
अरुणाचल प्रदेश	15.73	16.52	17.34	18.21	19.12	86.92
असम	300.62	315.65	331.43	348.00	365.40	1661.10
बिहार	258.90	271.84	285.44	299.71	314.69	1430.58
छत्तीसगढ़	203.23	213.39	224.06	235.26	247.02	1122.96
गोवा	37.25	39.11	41.07	43.12	45.28	205.83
गुजरात	435.62	457.40	480.27	504.29	529.50	2407.08
हरियाणा	141.92	149.01	156.46	164.29	172.50	784.18
हिमाचल प्रदेश	292.75	307.39	322.76	338.89	355.84	1617.63
जम्मू और कश्मीर	37.53	39.40	41.37	43.44	45.62	207.36
झारखंड	92.05	96.65	101.48	106.56	111.89	508.63
कर्नाटक	237.96	249.86	262.35	275.47	289.24	1314.88
केरल	448.92	471.36	494.93	519.68	545.66	2480.55
मध्य प्रदेश	259.31	272.28	285.89	300.18	315.19	1432.85
महाराष्ट्र	1065.74	1119.03	1174.98	1233.73	1295.42	5888.90
मणिपुर	48.29	50.71	53.24	55.91	58.70	266.85
मेघालय	52.50	55.13	57.88	60.78	63.81	290.10
मिजोरम	21.76	22.85	23.99	25.19	26.45	120.24
नागालैण्ड	11.35	11.92	12.52	13.14	13.80	62.73
उड़ीसा	170.59	179.12	188.08	197.48	207.36	942.63
पंजाब	106.27	111.58	117.16	123.02	129.17	587.20
राजस्थान	181.37	190.43	199.96	209.95	220.45	1002.16
सिक्किम	17.84	18.73	19.67	20.65	21.68	98.57
तमिलनाडु	474.06	497.77	522.66	548.79	576.23	2619.51
त्रिपुरा	40.04	42.04	44.14	46.35	48.66	221.23
उत्तर प्रदेश	555.23	582.99	612.14	642.75	674.89	3068.00
उत्तरांचल	46.11	48.41	50.83	53.37	56.04	254.76
पश्चिम बंगाल	189.35	198.82	208.76	219.20	230.16	1046.29
सभी राज्य	**6417.66**	**6738.53**	**7075.46**	**7429.24**	**7800.69**	**35461.58**

टिप्पणीः उक्त तालिका में कुछ राज्यों को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त अनुदान सहायता अनुमानित व्यय में शामिल नहीं है (अध्याय 10 के तहत)।

अनुबंध - 6.9
(पैरा 6.37)

भवनों के लिए प्रदान किया गया रखरखाव व्यय (मुख्य शीर्ष-2059 और 2216)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	जोड़ 2005-2010
आंध्र प्रदेश	74.62	78.35	82.27	86.38	90.70	412.32
अरुणाचल प्रदेश	28.98	30.43	31.95	33.54	35.22	160.12
असम	113.48	119.15	125.11	131.37	137.93	627.04
बिहार	120.97	127.01	133.36	140.03	147.03	668.40
छत्तीसगढ़	68.23	71.64	75.22	78.98	82.93	377.00
गोवा	26.86	28.20	29.61	31.09	32.65	148.41
गुजरात	209.88	220.38	231.40	242.97	255.12	1159.75
हरियाणा	75.56	79.33	83.30	87.47	91.84	417.50
हिमाचल प्रदेश	68.72	72.15	75.76	79.55	83.52	379.70
जम्मू और कश्मीर	153.04	160.69	168.73	177.16	186.03	845.65
झारखंड	74.84	78.58	82.51	86.64	90.97	413.54
कर्नाटक	298.74	313.68	329.36	345.83	363.12	1650.73
केरल	114.15	119.86	125.85	132.14	138.75	630.75
मध्य प्रदेश	130.20	136.71	143.55	150.72	158.26	719.44
महाराष्ट्र	724.77	761.00	799.05	839.01	880.96	4004.79
मणिपुर	33.04	34.69	36.43	38.25	40.16	182.57
मेघालय	52.76	55.40	58.17	61.08	64.13	291.54
मिजोरम	18.62	19.55	20.53	21.56	22.64	102.90
नागालैण्ड	106.99	112.34	117.95	123.85	130.04	591.17
उड़ीसा	162.86	171.00	179.55	188.53	197.95	899.89
पंजाब	250.35	262.86	276.01	289.81	304.30	1383.33
राजस्थान	92.98	97.63	102.51	107.64	113.02	513.78
सिक्किम	14.33	15.04	15.80	16.59	17.41	79.17
तमिलनाडु	175.31	184.07	193.28	202.94	213.09	968.69
त्रिपुरा	54.60	57.33	60.19	63.20	66.36	301.68
उत्तर प्रदेश	539.72	566.71	595.04	624.80	656.04	2982.31
उत्तरांचल	121.60	127.68	134.06	140.76	147.80	671.90
पश्चिम बंगाल	303.80	318.99	334.94	351.69	369.27	1678.69
सभी राज्य	**4210.00**	**4420.45**	**4641.49**	**4873.58**	**5117.24**	**23262.76**

टिप्पणीः उक्त तालिका में कुछ राज्यों को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त अनुदान सहायता अनुमानित व्यय में शामिल नहीं है (अध्याय 10 के तहत)।

अनुबंध - 6.10
(पैरा 6.43)

सेवा-वार मिश्रित वृद्धि दरों के अनुसार राज्यों का विवरण

विवरण	उच्च वेतन मात्रा	मध्यम वेतन मात्रा	निम्न वेतन मात्रा
अन्य सामान्य सेवाएं	**(4.7%)**	**(5.4%)**	**(5.9%)**
	उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	हरियाणा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम	कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, नागालैण्ड, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम
अन्य सामाजिक सेवाएं	**(6.7%)**	**(8.1%)**	**(9.1%)**
	अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु	केरल, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र
अन्य आर्थिक सेवाएं	**(5.3%)**	**(7.0%)**	**(8.3%)**
	झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, नागालैण्ड, मेघालय, सिक्किम, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	उत्तरांचल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान	केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात

अनुबंध - 6.11
(पैरा 6.48)

पूरी की गई योजना स्कीमों की वचनबद्ध वेतनदारियों के लिए प्रावधान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
आंध्र प्रदेश	2975.06	3198.19	3438.06
अरुणाचल प्रदेश	45.09	48.47	52.11
असम	344.18	369.99	397.74
बिहार	537.76	578.09	621.45
छत्तीसगढ़	656.32	705.54	758.46
गोवा	47.77	51.35	55.20
गुजरात	1139.71	1225.19	1317.08
हरियाणा	505.87	543.81	584.59
हिमाचल प्रदेश	100.45	107.98	116.08
जम्मू और कश्मीर	132.64	142.58	153.27
झारखंड	1031.01	1108.34	1191.46
कर्नाटक	1663.81	1788.60	1922.74
केरल	1384.65	1488.49	1600.13
मध्य प्रदेश	1188.25	1277.37	1373.17
महाराष्ट्र	1320.91	1419.97	1526.47
मणिपुर	29.87	32.11	34.52
मेघालय	56.33	60.56	65.10
मिजोरम	27.92	30.02	32.27
नागालैण्ड	35.27	37.92	40.76
उड़ीसा	801.30	861.40	926.00
पंजाब	522.82	562.03	604.18
राजस्थान	962.36	1034.54	1112.13
सिक्किम	30.39	32.67	35.12
तमिलनाडु	1414.85	1520.97	1635.04
त्रिपुरा	33.68	36.20	38.92
उत्तर प्रदेश	1443.62	1551.90	1668.29
उत्तरांचल	162.48	174.67	187.77
पश्चिम बंगाल	695.99	748.19	804.30
सभी राज्य	**19290.36**	**20737.14**	**22292.43**

अनुबंध - 6.12
(पैरा 6.49)

(i) राज्यः आंध्र प्रदेश

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	19543.00	22123.00	25043.00	28348.00	32090.00	127147.00
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3317.97	3897.40	4566.83	5347.29	6264.98	23394.47
3	जोड़ **(1 + 2)**	**22860.97**	**26020.40**	**29609.83**	**33695.29**	**38354.98**	**150541.47**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	7974.52	8572.61	9215.56	9906.72	10649.73	46319.14
(ii)	पेंशन	3377.86	3715.64	4087.21	4495.93	4945.52	20622.15
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	2745.79	2895.49	3052.56	3218.56	3450.56	15362.97
	जोड़ (i) से (iii)	**14098.17**	**15183.75**	**16355.32**	**17621.21**	**19045.81**	**82304.26**
2	सामाजिक सेवाएं	7654.38	8392.46	9202.30	10090.96	11066.16	46406.26
3	आर्थिक सेवाएं	3008.22	3219.33	3446.33	3690.45	3953.03	17317.36
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	352.49	396.55	446.12	501.88	564.61	2261.64
5	वचनबद्ध देनदारियां			2975.06	3198.19	3438.06	9611.31
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**25113.25**	**27192.08**	**32425.13**	**35102.70**	**38067.67**	**157900.84**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-2252.29**	**-1171.68**	**-2815.30**	**-1407.41**	**287.30**	**-7359.37**

अनुबंध - 6.12

(ii) राज्यः अरुणाचल प्रदेश

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	106.09	121.03	138.07	157.51	179.69	702.41
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	81.62	91.73	103.85	118.42	136.03	531.64
3	**जोड़(1 + 2)**	**187.71**	**212.76**	**241.92**	**275.93**	**315.72**	**1234.05**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	163.12	175.35	188.50	202.64	217.84	947.45
(ii)	पेंशन	72.96	80.26	88.28	97.11	106.82	445.43
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	165.93	175.27	185.16	195.64	217.23	939.22
	जोड़(i) से (iii)	**402.01**	**430.88**	**461.94**	**495.39**	**541.89**	**2332.10**
2	**सामाजिक सेवाएं**	166.65	181.75	198.31	216.44	236.36	999.51
3	आर्थिक सेवाएं	154.26	164.61	175.64	187.44	200.05	881.99
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन						
5	वचनबद्ध देनदारियां			45.09	48.47	52.10	145.66
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**722.92**	**777.23**	**880.97**	**947.74**	**1030.40**	**4359.26**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-535.21**	**-564.47**	**-639.05**	**-671.81**	**-714.68**	**-3125.21**

अनुबंध -6.12
(iii) राज्यः असम

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	3125.45	3538.01	4005.03	4533.69	5132.14	20334.33
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1177.30	1286.72	1405.32	1534.59	1676.30	7080.22
3	**जोड़(1 + 2)**	**4302.75**	**4824.73**	**5410.35**	**6068.28**	**6808.44**	**27414.55**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	सामान्य सेवाएं						
(i)	ब्याज अदायगियां	1584.06	1702.87	1830.58	1967.88	2115.47	9200.86
(ii)	पेंशन	1207.72	1328.50	1461.34	1607.48	1768.23	7373.27
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	1091.41	1169.76	1201.00	1262.82	1328.79	6053.77
	जोड़(i) से (iii)	**3883.19**	**4201.13**	**4492.92**	**4838.18**	**5212.49**	**22627.90**
2	सामाजिक सेवाएं	2637.75	2881.55	3148.35	3440.32	3759.88	15867.85
3	आर्थिक सेवाएं	1035.55	1087.61	1142.36	1199.93	1260.49	5725.95
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	10.11	11.38	12.80	14.40	16.20	64.90
5	वचनबद्ध देनदारियां			344.18	369.99	397.74	1111.92
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**7566.60**	**8181.67**	**9140.61**	**9862.82**	**10646.81**	**45398.51**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-3263.86**	**-3356.94**	**-3730.26**	**-3794.54**	**-3838.37**	**-17983.96**

अनुबंध -6.12
(iv) राज्यः बिहार

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	5018.16	5680.55	6430.39	7279.20	8240.05	32648.34
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	768.40	959.03	1162.47	1381.24	1618.38	5889.53
3	**जोड़(1 + 2)**	**5786.56**	**6639.58**	**7592.86**	**8660.44**	**9858.43**	**38537.87**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	3925.23	4219.63	4536.10	4876.31	5242.03	22799.29
(ii)	पेंशन	2677.53	2945.28	3239.81	3563.79	3920.17	16346.60
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	1746.20	1847.59	1911.33	2003.83	2216.63	9725.58
	जोड़(i) से (iii)	**8348.96**	**9012.50**	**9687.25**	**10443.93**	**11378.83**	**48871.47**
2	**सामाजिक सेवाएं**	4488.96	4913.20	5378.09	5887.55	6445.90	27113.71
3	**आर्थिक सेवाएं**	1273.17	1334.53	1399.06	1466.91	1538.25	7011.92
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**	2.72	3.06	3.45	3.88	4.36	17.48
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			537.76	578.09	621.45	1737.30
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**14113.83**	**15263.30**	**17005.61**	**18380.36**	**19988.79**	**84751.88**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-8327.27**	**-8623.72**	**-9412.75**	**-9719.92**	**-10130.36**	**-46214.02**

अनुबंध - 6.12
(v) राज्यः छत्तीसगढ़

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	3445.81	3900.65	4415.54	4998.39	5658.18	22418.58
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1322.08	1401.91	1491.15	1591.40	1704.66	7511.20
3	**जोड़(1 + 2)**	**4767.89**	**5302.57**	**5906.69**	**6589.79**	**7362.84**	**29929.78**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	1063.22	1153.60	1251.65	1358.04	1473.48	6300.00
(ii)	पेंशन	474.31	521.75	573.92	631.31	694.44	2895.74
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	705.39	747.88	792.95	840.76	891.49	3978.47
	जोड़(i) से (iii)	**2242.93**	**2423.22**	**2618.53**	**2830.12**	**3059.41**	**13174.21**
2	सामाजिक सेवाएं	1630.15	1766.77	1915.36	2077.02	2252.94	9642.23
3	आर्थिक सेवाएं	870.48	924.73	982.53	1044.09	1109.69	4931.51
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	220.44	247.99	278.99	313.87	353.10	1414.40
5	वचनबद्ध देनदारियां			656.32	705.54	758.46	2120.32
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**4964.00**	**5362.71**	**6451.73**	**6970.64**	**7533.61**	**31282.68**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-196.11**	**-60.14**	**-545.04**	**-380.84**	**-170.77**	**-1352.90**

अनुबंध - 6.12
(vi) राज्यः गोवा

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	1049.66	1231.04	1443.76	1693.24	1985.83	7403.53
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	237.64	286.16	345.69	418.93	509.25	1797.68
3	**जोड़(1 + 2)**	**1287.30**	**1517.19**	**1789.45**	**2112.17**	**2495.08**	**9201.20**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	383.17	415.74	451.07	489.41	531.01	2270.40
(ii)	पेंशन	136.07	149.68	164.64	181.11	199.22	830.72
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	122.30	129.93	138.60	146.26	155.84	692.93
	जोड़(i) से (iii)	**641.54**	**695.35**	**754.31**	**816.78**	**886.07**	**3794.05**
2	सामाजिक सेवाएं	461.86	505.69	553.79	606.55	664.45	2792.34
3	आर्थिक सेवाएं	113.14	119.98	127.25	134.97	143.18	638.51
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन						
5	वचनबद्ध देनदारियां			47.77	51.35	55.20	154.32
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**1216.54**	**1321.02**	**1483.11**	**1609.65**	**1748.89**	**7379.22**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**70.76**	**196.17**	**306.34**	**502.52**	**746.19**	**1821.99**

अनुबंध - 6.12
(vii) राज्यः गुजरात

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	13896.49	16208.87	18906.02	22051.98	25721.43	96784.79
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3136.57	3553.21	4023.67	4559.67	5175.80	20448.93
3	**जोड़(1 + 2)**	**17033.06**	**19762.08**	**22929.69**	**26611.65**	**30897.23**	**117233.72**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	6418.17	6899.53	7417.00	7973.27	8571.27	37279.24
(ii)	पेंशन	1783.76	1962.14	2158.35	2374.18	2611.60	10890.03
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	1331.44	1394.64	1565.01	1530.23	1602.92	7424.25
	जोड़(i) से (iii)	**9533.37**	**10256.31**	**11140.35**	**11877.69**	**12785.79**	**55593.52**
2	**सामाजिक सेवाएं**	5519.90	6044.99	6620.78	7252.21	7944.72	33382.60
3	**आर्थिक सेवाएं**	1776.33	1896.19	2024.81	2162.87	2311.09	10171.30
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**	104.31	117.35	132.01	148.52	167.08	669.27
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			1139.71	1225.19	1317.08	3681.98
6	**जोड़आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**16933.91**	**18314.83**	**21057.67**	**22666.48**	**24525.77**	**103498.66**
ग	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**99.15**	**1447.25**	**1872.02**	**3945.18**	**6371.47**	**13735.06**

अनुबंध - 6.12
(viii) राज्यः हरियाणा

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	8458.25	9726.99	11186.04	12863.94	14793.53	57028.75
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1372.16	1572.65	1801.97	2065.91	2371.51	9184.21
3	**जोड़(1 + 2)**	**9830.41**	**11299.64**	**12988.01**	**14929.85**	**17165.04**	**66212.96**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	2291.75	2562.87	2847.35	3152.59	3482.85	14337.41
(ii)	पेंशन	962.50	1058.75	1164.63	1281.09	1409.20	5876.16
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	931.46	980.40	1033.94	1090.04	1163.85	5199.68
	जोड़(i) से (iii)	**4185.71**	**4602.02**	**5045.91**	**5523.71**	**6055.90**	**25413.25**
2	**सामाजिक सेवाएं**	2571.36	2801.53	3052.94	3327.62	3627.75	15381.20
3	**आर्थिक सेवाएं**	874.80	918.75	964.96	1013.55	1064.65	4836.70
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**	25.58	28.78	32.38	36.43	40.98	164.16
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			505.87	543.81	584.59	1634.27
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**7657.45**	**8351.07**	**9602.06**	**10445.12**	**11373.87**	**47429.58**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**2172.96**	**2948.57**	**3385.95**	**4484.74**	**5791.17**	**18783.39**

अनुबंध - 6.12
(ix) राज्यः हिमाचल प्रदेश

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	1388.02	1618.98	1888.38	2202.61	2569.12	9667.11
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	339.74	415.24	498.66	591.78	696.73	2542.14
3	**जोड़(1 + 2)**	**1727.76**	**2034.22**	**2387.04**	**2794.38**	**3265.85**	**12209.25**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	1361.81	1450.32	1544.59	1644.99	1751.92	7753.63
(ii)	पेंशन	727.10	799.81	879.79	967.77	1064.55	4439.02
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	417.43	435.98	458.26	471.83	492.29	2275.79
	जोड़(i) से (iii)	**2506.34**	**2686.11**	**2882.64**	**3084.59**	**3308.76**	**14468.44**
2	सामाजिक सेवाएं	1138.81	1240.42	1351.43	1472.76	1605.36	6808.78
3	आर्थिक सेवाएं	719.95	756.69	795.33	835.95	878.67	3986.59
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	4.14	4.65	5.23	5.89	6.62	26.53
5	वचनबद्ध देनदारियां			100.45	107.98	116.08	324.51
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**4369.23**	**4687.86**	**5135.09**	**5507.17**	**5915.50**	**25614.85**
ग	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-2641.47**	**-2653.65**	**-2748.04**	**-2712.79**	**-2649.65**	**-13405.60**

अनुबंध - 6.12
(x) राज्यः जम्मू और कश्मीर

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	1671.96	1892.66	2142.49	2425.30	2745.44	10877.87
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	268.27	311.64	361.05	417.76	483.32	1842.04
3	**जोड़(1 + 2)**	**1940.24**	**2204.30**	**2503.54**	**2843.06**	**3228.77**	**12719.91**
ख	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	1424.39	1531.22	1646.06	1769.51	1902.23	8273.41
(ii)	पेंशन	693.57	762.92	839.21	923.14	1015.45	4234.29
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव))	1030.71	1079.05	1141.93	1217.02	1252.47	5721.18
	जोड़(i) से (iii)	**3148.67**	**3373.19**	**3627.20**	**3909.67**	**4170.15**	**18228.88**
2	सामाजिक सेवाएं	1716.91	1868.49	2034.17	2215.29	2413.36	10248.22
3	आर्थिक सेवाएं	651.20	684.74	720.05	757.20	796.30	3609.48
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन						
5	वचनबद्ध देनदारियां			132.64	142.58	153.28	428.49
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**5516.78**	**5926.42**	**6514.05**	**7024.74**	**7533.09**	**32515.08**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-3576.54**	**-3722.12**	**-4010.51**	**-4181.68**	**-4304.32**	**-19795.16**

अनुबंध - 6.12
(xi) राज्यः झारखंड

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	2994.14	3389.37	3836.76	4343.22	4916.52	19480.00
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1315.99	1411.64	1516.19	1631.27	1758.82	7633.91
3	**जोड़(1 + 2)**	**4310.13**	**4801.00**	**5352.96**	**5974.49**	**6675.34**	**27113.91**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	856.00	950.00	1059.00	1181.00	1323.00	5369.00
(ii)	पेंशन	1020.57	1122.63	1234.90	1358.38	1494.22	6230.71
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	768.47	808.36	870.14	895.08	1003.50	4345.55
	जोड़(i) से (iii)	**2645.04**	**2880.99**	**3164.03**	**3434.46**	**3820.73**	**15945.26**
2	सामाजिक सेवाएं	1727.49	1885.53	2058.45	2247.67	2454.77	10373.90
3	आर्थिक सेवाएं	467.67	490.60	514.72	540.11	566.81	2579.91
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	1.06	1.19	1.34	1.51	1.69	6.78
5	वचनबद्ध देनदारियां			1031.01	1108.34	1191.46	3330.81
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**4841.25**	**5258.31**	**6769.55**	**7332.09**	**8035.47**	**32236.67**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-531.12**	**-457.31**	**-1416.60**	**-1357.60**	**-1360.13**	**-5122.76**

अनुबंध - 6.12
(xii) राज्यः कर्नाटक

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	17445.84	20348.83	23734.88	27684.36	32291.04	121504.95
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2167.95	2641.61	3194.78	3846.34	4619.90	16470.58
3	**जोड़(1 + 2)**	**19613.79**	**22990.44**	**26929.66**	**31530.70**	**36910.94**	**137975.53**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	4321.76	4689.11	5087.69	5520.14	5989.35	25608.05
(ii)	पेंशन	2435.40	2678.94	2946.83	3241.52	3565.67	14868.36
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	2119.29	2265.63	2415.49	2545.02	2748.24	12093.67
	जोड़(i) से (iii)	**8876.45**	**9633.68**	**10450.01**	**11306.68**	**12303.26**	**52570.08**
2	सामाजिक सेवाएं	5654.75	6182.89	6761.42	7395.26	8089.75	34084.07
3	आर्थिक सेवाएं	1636.88	1719.27	1805.96	1897.15	1993.09	9052.35
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	833.01	937.14	1054.28	1186.07	1334.32	5344.82
5	वचनबद्ध देनदारियां			1663.81	1788.60	1922.74	5375.15
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**17001.10**	**18472.98**	**21735.48**	**23573.75**	**25643.16**	**106426.47**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**2612.70**	**4517.46**	**5194.17**	**7956.95**	**11267.78**	**31549.06**

अनुबंध - 6.12
(xiii) राज्यः केरल

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	11124.82	12715.67	14534.01	16612.37	18987.94	73974.81
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1080.90	1271.84	1486.71	1730.84	2010.76	7581.06
3	**जोड़(1 + 2)**	**12205.72**	**13987.51**	**16020.72**	**18343.21**	**20998.70**	**81555.87**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	3814.25	4100.32	4407.84	4738.43	5093.81	22154.66
(ii)	पेंशन	2817.26	3098.98	3408.88	3749.77	4124.75	17199.65
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	1529.96	1622.13	1685.68	1785.30	1890.76	8513.83
	जोड़(i) से (iii)	**8161.47**	**8821.43**	**9502.41**	**10273.50**	**11109.32**	**47868.13**
2	सामाजिक सेवाएं	5348.92	5866.44	6434.61	7058.44	7743.42	32451.84
3	आर्थिक सेवाएं	1512.79	1614.20	1722.95	1839.58	1964.70	8654.21
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	89.89	101.13	113.77	127.99	143.99	576.76
5	वचनबद्ध देनदारियां			1384.65	1488.49	1600.13	4473.27
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**15113.07**	**16403.20**	**19158.38**	**20788.00**	**22561.56**	**94024.21**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-2907.35**	**-2415.69**	**-3137.66**	**-2444.79**	**-1562.85**	**-12468.34**

अनुबंध - 6.12
(xiv) राज्यः मध्य प्रदेश

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	9034.17	10335.09	11823.34	13525.90	15473.63	60192.13
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2136.67	2374.97	2645.92	2956.56	3315.51	13429.63
3	**जोड़(1 + 2)**	**11170.83**	**12710.06**	**14469.26**	**16482.46**	**18789.15**	**73621.76**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	3254.87	3498.99	3761.41	4043.52	4346.78	18905.58
(ii)	पेंशन	1599.74	1759.72	1935.69	2129.26	2342.18	9766.59
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	2142.97	2257.67	2385.86	2562.56	2734.34	12083.41
	जोड़(i) से (iii)	**6997.59**	**7516.38**	**8082.96**	**8735.34**	**9423.31**	**40755.58**
2	सामाजिक सेवाएं	4004.76	4357.87	4743.35	5164.30	5624.09	23894.37
3	आर्थिक सेवाएं	1564.79	1642.91	1725.09	1811.53	1902.47	8646.80
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	583.27	656.18	738.20	830.48	934.29	3742.42
5	वचनबद्ध देनदारियां			1188.25	1277.37	1373.17	3838.78
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**13150.41**	**14173.34**	**16477.85**	**17819.01**	**19257.32**	**80877.94**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-1979.58**	**-1463.29**	**-2008.59**	**-1336.55**	**-468.17**	**-7256.18**

अनुबंध - 6.12
(xv) राज्यः महाराष्ट्र

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	33247.65	38234.80	43970.02	50565.52	58150.35	224168.34
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	3053.67	3590.99	4192.77	4873.10	5649.45	21359.98
3	**जोड़(1 + 2)**	**36301.32**	**41825.79**	**48162.79**	**55438.62**	**63799.80**	**245528.32**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	9274.03	9969.58	10717.30	11521.09	12385.17	53867.16
(ii)	पेंशन	3004.04	3304.44	3634.88	3998.37	4398.21	18339.94
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	4527.46	4796.50	5081.50	5383.47	5862.96	25651.89
	जोड़(i) से (iii)	**16805.52**	**18070.52**	**19433.68**	**20902.93**	**22646.34**	**97858.99**
2	सामाजिक सेवाएं	15202.82	16632.06	18197.77	19913.17	21792.70	91738.52
3	आर्थिक सेवाएं	3545.00	3759.95	3988.64	4231.97	4490.90	20016.47
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	674.89	759.25	854.16	960.93	1081.04	4330.27
5	वचनबद्ध देनदारियां			1320.91	1419.97	1526.47	4267.35
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**36228.24**	**39221.78**	**43795.16**	**47428.97**	**51537.45**	**218211.60**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**73.08**	**2604.01**	**4367.63**	**8009.66**	**12262.34**	**27316.71**

अनुबंध - 6.12
(xvi) राज्यः मणिपुर

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	151.34	169.65	190.17	213.18	238.98	963.32
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	32.39	40.15	48.76	58.34	69.11	248.75
3	**जोड़(1 + 2)**	**183.72**	**209.79**	**238.93**	**271.53**	**308.09**	**1212.07**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	321.47	345.58	371.50	399.36	429.31	1867.22
(ii)	पेंशन	202.77	223.05	245.36	269.89	296.88	1237.95
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव सहित)	153.84	166.12	166.61	180.19	185.95	852.71
	जोड़(i) से (iii)	**678.08**	**734.75**	**783.47**	**849.44**	**912.14**	**3957.88**
2	सामाजिक सेवाएं	441.16	480.85	524.24	571.69	623.58	2641.51
3	आर्थिक सेवाएं	203.91	214.36	225.34	236.91	249.06	1129.59
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन						
5	वचनबद्ध देनदारियां			29.87	32.11	34.52	96.50
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**1323.15**	**1429.96**	**1562.92**	**1690.15**	**1819.30**	**7825.48**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-1139.43**	**-1220.17**	**-1323.99**	**-1418.62**	**-1511.21**	**-6613.42**

अनुबंध - 6.12
(xvii) राज्यः मेघालय

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	243.38	275.51	311.87	353.04	399.64	1583.44
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	162.20	180.17	199.54	220.57	243.55	1006.03
3	**जोड़(1 + 2)**	**405.58**	**455.68**	**511.41**	**573.61**	**643.20**	**2589.48**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	196.86	211.62	227.49	244.55	262.90	1143.42
(ii)	पेंशन	87.98	96.78	106.45	117.10	128.81	537.12
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	235.75	248.92	265.74	272.82	285.43	1308.65
	जोड़(i) से (iii)	**520.59**	**557.32**	**599.68**	**634.47**	**677.14**	**2989.19**
2	**सामाजिक सेवाएं**	398.87	433.35	470.95	512.02	556.84	2372.04
3	**आर्थिक सेवाएं**	202.05	212.45	223.38	234.89	246.98	1119.74
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**						
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			56.33	60.56	65.10	181.99
6	**जोड़आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**1121.51**	**1203.11**	**1350.34**	**1441.93**	**1546.06**	**6662.95**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-715.93**	**-747.43**	**-838.93**	**-868.32**	**-902.86**	**-4073.48**

अनुबंध - 6.12
(xviii) राज्यः मिजोरम

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	70.62	79.17	88.75	99.49	111.52	449.55
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	44.25	52.17	61.07	71.15	82.66	311.30
3	**जोड़(1 + 2)**	**114.87**	**131.34**	**149.81**	**170.63**	**194.18**	**760.85**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	173.07	186.05	200.01	215.01	231.14	1005.28
(ii)	पेंशन	116.54	128.19	141.01	155.11	170.63	711.48
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	200.71	212.37	227.77	252.36	263.08	1156.29
	जोड़(i) से (iii)	**490.32**	**526.61**	**568.79**	**622.48**	**664.85**	**2873.05**
2	**सामाजिक सेवाएं**	276.34	302.13	330.38	361.34	395.26	1665.46
3	**आर्थिक सेवाएं**	103.93	109.32	114.99	120.95	127.24	576.44
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**						
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			27.92	30.02	32.27	90.20
6	**जोड़आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**870.60**	**938.06**	**1042.08**	**1134.79**	**1219.61**	**5205.14**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-755.73**	**-806.72**	**-892.27**	**-964.16**	**-1025.43**	**-4444.30**

अनुबंध - 6.12

(xix) राज्यः नागालैण्ड

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	158.06	177.19	198.63	222.66	249.60	1006.13
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	35.78	42.01	49.24	57.69	67.61	252.33
3	**जोड़(1 + 2)**	**193.84**	**219.19**	**247.87**	**280.35**	**317.22**	**1258.47**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	279.11	300.04	322.55	346.74	372.74	1621.18
(ii)	पेंशन	194.10	213.51	234.86	258.34	284.18	1184.99
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	403.38	425.58	457.34	481.71	510.63	2278.65
	जोड़(i) से (iii)	**876.59**	**939.13**	**1014.75**	**1086.79**	**1167.55**	**5084.82**
2	सामाजिक सेवाएं	418.38	453.17	491.06	532.37	577.41	2472.40
3	आर्थिक सेवाएं	132.99	139.87	147.12	154.72	162.75	737.46
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन						
5	वचनबद्ध देनदारियां			35.27	37.92	40.76	113.96
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**1427.97**	**1532.18**	**1688.21**	**1811.81**	**1948.47**	**8408.63**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-1234.13**	**-1312.98**	**-1440.34**	**-1531.46**	**-1631.26**	**-7150.17**

अनुबंध - 6.12

(xx) राज्यः उड़ीसा

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	4358.20	4933.48	5584.70	6321.88	7156.37	28354.63
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1189.92	1356.67	1541.20	1747.13	1978.92	7813.83
3	**जोड़(1 + 2)**	**5548.12**	**6290.15**	**7125.90**	**8069.01**	**9135.29**	**36168.46**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	3569.93	3801.98	4049.11	4312.30	4592.60	20325.92
(ii)	पेंशन	1757.73	1933.51	2126.86	2339.54	2573.50	10731.14
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	1039.02	1081.50	1131.32	1186.93	1322.80	5761.57
	जोड़(i) से (iii)	**6366.69**	**6816.99**	**7307.29**	**7838.77**	**8488.90**	**36818.63**
2	सामाजिक सेवाएं	3033.57	3307.87	3607.84	3935.94	4294.88	18180.09
3	आर्थिक सेवाएं	1159.53	1217.98	1279.48	1344.18	1412.25	6413.43
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	195.80	220.27	247.81	278.78	313.63	1256.30
5	वचनबद्ध देनदारियां			801.30	861.40	926.00	2588.70
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**10755.59**	**11563.12**	**13243.71**	**14259.07**	**15435.66**	**65257.15**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-5207.47**	**-5272.97**	**-6117.81**	**-6190.06**	**-6300.37**	**-29088.69**

अनुबंध - 6.12
(xxi) राज्यः पंजाब

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	8166.98	9379.78	10772.68	12372.42	14209.73	54901.59
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1731.43	1901.73	2095.83	2318.38	2574.98	10622.35
3	**जोड़(1 + 2)**	**9898.41**	**11281.51**	**12868.51**	**14690.80**	**16784.71**	**65523.94**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	3975.23	4173.99	4382.69	4601.82	4831.91	21965.64
(ii)	पेंशन	1527.60	1680.36	1848.39	2033.23	2236.56	9326.14
(ii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	1744.86	1848.88	1959.04	2075.82	2199.63	9828.24
	जोड़(i) से (iii)	**7247.69**	**7703.22**	**8190.12**	**8710.87**	**9268.10**	**41120.01**
2	**सामाजिक सेवाएं**	3943.72	4307.06	4705.05	5141.09	5618.89	23715.82
3	**आर्थिक सेवाएं**	1213.96	1286.37	1363.32	1445.08	1531.97	6840.70
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**	237.72	267.44	300.87	338.48	380.79	1525.29
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			522.82	562.03	604.18	1689.02
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**12643.09**	**13564.10**	**15082.18**	**16197.55**	**17403.94**	**74890.85**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-2744.68**	**-2282.59**	**-2213.66**	**-1506.75**	**-619.22**	**-9366.91**

अनुबंध - 6.12
(xxii) राज्यः राजस्थान

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	9524.12	10987.03	12674.63	14621.46	16867.31	64674.55
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1638.77	1886.74	2167.34	2481.53	2840.82	11015.19
3	**जोड़(1 + 2)**	**11162.89**	**12873.77**	**14841.97**	**17102.99**	**19708.13**	**75689.74**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	5355.73	5703.85	6074.60	6469.45	6889.96	30493.58
(ii)	पेंशन	1485.05	1633.56	1796.91	1976.60	2174.26	9066.39
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	1781.02	1878.01	1980.41	2131.98	2219.83	9991.25
	जोड़(i) से (iii)	**8621.80**	**9215.41**	**9851.92**	**10578.03**	**11284.06**	**49551.21**
2	**सामाजिक सेवाएं**	6225.67	6814.28	7459.34	8166.33	8941.27	37606.88
3	**आर्थिक सेवाएं**	1396.00	1490.53	1592.40	1694.61	1803.78	7977.31
4	**स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन**	17.92	20.16	22.68	25.52	28.71	115.00
5	**वचनबद्ध देनदारियां**			962.36	1034.54	1112.13	3109.04
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**16261.39**	**17540.38**	**19888.70**	**21499.03**	**23169.94**	**98359.44**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-5098.50**	**-4666.61**	**-5046.73**	**-4396.04**	**-3461.81**	**-22669.69**

अनुबंध - 6.12
(xxiii) राज्यः सिक्किम

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	119.75	136.99	156.72	179.29	205.11	797.86
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	84.14	90.01	96.88	104.94	114.47	490.44
3	**जोड़(1 + 2)**	**203.89**	**227.00**	**253.60**	**284.23**	**319.58**	**1288.30**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	94.75	99.50	104.60	110.18	130.07	539.10
(ii)	पेंशन	34.60	38.05	41.86	46.05	50.65	211.21
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	110.61	116.74	124.09	130.05	138.36	619.86
	जोड़(i) से (iii)	**239.96**	**254.29**	**270.55**	**286.28**	**319.08**	**1370.17**
2	सामाजिक सेवाएं	171.64	187.31	204.48	223.27	243.85	1030.55
3	आर्थिक सेवाएं	66.67	70.11	73.74	77.55	81.55	369.62
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन						
5	वचनबद्ध देनदारियां			30.39	32.67	35.12	98.17
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**478.27**	**511.71**	**579.16**	**619.77**	**679.60**	**2868.51**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-274.39**	**-284.71**	**-325.56**	**-335.53**	**-360.02**	**-1580.21**

अनुबंध - 6.12
(xxiv) राज्यः तमिलनाडु

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	20883.62	24091.34	27791.78	32060.59	36985.10	141812.43
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2163.43	2513.21	2920.22	3397.57	3961.62	14956.05
3	**जोड़(1 + 2)**	**23047.06**	**26604.55**	**30711.99**	**35458.17**	**40946.72**	**156768.48**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	5426.55	5887.81	6388.27	6931.28	7520.43	32154.34
(ii)	पेंशन	5057.80	5563.58	6119.94	6731.93	7405.12	30878.37
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	2502.39	2761.00	2736.62	2874.57	3010.57	13885.16
	जोड़(i) से (iii)	**12986.74**	**14212.39**	**15244.83**	**16537.78**	**17936.13**	**76917.88**
2	सामाजिक सेवाएं	7691.22	8417.02	9212.42	10084.14	11039.63	46444.43
3	आर्थिक सेवाएं	1756.63	1862.26	1974.64	2094.21	2221.44	9909.18
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	1398.43	1573.23	1769.88	1991.12	2240.01	8972.66
5	वचनबद्ध देनदारियां			1414.85	1520.97	1635.04	4570.86
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**23833.02**	**26064.90**	**29616.62**	**32228.22**	**35072.24**	**146815.00**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-785.96**	**539.66**	**1095.37**	**3229.94**	**5874.47**	**9953.48**

अनुबंध - 6.12
(xxv) राज्यः त्रिपुरा

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	392.80	444.65	503.35	569.79	645.00	2555.60
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	94.62	113.25	135.09	160.89	191.57	695.42
3	**जोड़(1 + 2)**	**487.43**	**557.90**	**638.44**	**730.68**	**836.57**	**3251.02**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	378.17	406.53	437.02	469.80	505.04	2196.56
(ii)	पेंशन	319.00	350.90	385.99	424.59	467.05	1947.53
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	257.43	267.71	287.60	298.30	313.06	1424.10
	जोड़(i) से (iii)	**954.60**	**1025.14**	**1110.61**	**1192.69**	**1285.15**	**5568.19**
2	सामाजिक सेवाएं	668.48	728.98	795.11	867.45	946.59	4006.61
3	आर्थिक सेवाएं	254.02	267.12	280.90	295.41	310.67	1408.12
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	43.58	49.03	55.15	62.05	69.80	279.61
5	वचनबद्ध देनदारियां			33.68	36.21	38.92	108.81
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**1920.68**	**2070.26**	**2275.45**	**2453.81**	**2651.13**	**11371.33**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-1433.25**	**-1512.35**	**-1637.01**	**-1723.13**	**-1814.56**	**-8120.31**

अनुबंध - 6.12)
(xxvi) राज्यः उत्तर प्रदेश

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	19592.14	22413.41	25640.94	29333.24	33557.23	130536.97
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2454.38	2982.47	3582.36	4269.12	5061.36	18349.68
3	**जोड़(1 + 2)**	**22046.53**	**25395.88**	**29223.30**	**33602.36**	**38618.58**	**148886.65**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	9097.27	9688.60	10318.35	10989.05	11703.34	51796.60
(ii)	पेंशन	4557.58	5013.34	5514.67	6066.14	6672.75	27824.49
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	4935.27	5166.52	5516.68	5662.27	5999.83	27280.58
	जोड़(i) से (iii)	**18590.13**	**19868.45**	**21349.71**	**22717.46**	**24375.92**	**106901.67**
2	सामाजिक सेवाएं	10073.08	11032.30	12084.62	13239.21	14506.15	60935.36
3	आर्थिक सेवाएं	4264.99	4477.38	4700.77	4935.77	5182.95	23561.86
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	1566.63	1762.46	1982.77	2230.62	2509.44	10051.93
5	वचनबद्ध देनदारियां			1443.62	1551.90	1668.29	4663.81
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**34494.83**	**37140.59**	**41561.50**	**44674.95**	**48242.75**	**206114.62**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-12448.30**	**-11744.71**	**-12338.20**	**-11072.60**	**-9624.16**	**-57227.98**

अनुबंध - 6.12
(xxvii) राज्यः उत्तरांचल

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	1496.50	1694.04	1917.66	2170.79	2457.33	9736.32
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	507.68	582.48	670.57	774.82	898.78	3434.34
3	**जोड़(1 + 2)**	**2004.19**	**2276.52**	**2588.23**	**2945.61**	**3356.11**	**13170.66**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	719.00	772.93	830.90	893.22	960.21	4176.25
(ii)	पेंशन	611.30	672.43	739.67	813.64	895.00	3732.03
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	447.05	492.02	506.55	537.89	579.05	2562.55
	जोड़(i) से (iii)	**1777.35**	**1937.37**	**2077.11**	**2244.74**	**2434.26**	**10470.84**
2	सामाजिक सेवाएं	1510.63	1651.29	1805.37	1974.15	2159.07	9100.51
3	आर्थिक सेवाएं	616.72	655.29	696.37	740.11	786.69	3495.17
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	71.09	79.97	89.97	101.22	113.87	456.12
5	वचनबद्ध देनदारियां			162.48	174.67	187.77	524.92
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**3975.79**	**4323.92**	**4831.31**	**5234.89**	**5681.66**	**24047.56**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-1971.60**	**-2047.40**	**-2243.08**	**-2289.28**	**-2325.54**	**-10876.90**

अनुबंध - 6.12
(xxviii) राज्यः पश्चिम बंगाल

अपने स्वयं की मूल्यांकित राजस्व प्राप्तियां और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
क.	**राजस्व प्राप्तियां**						
1	अपना स्वयं का कर राजस्व	14432.48	16926.41	19851.29	23281.60	27304.66	101796.44
2	अपना स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	1825.90	2285.42	2793.37	3360.61	4000.61	14265.91
3	**जोड़(1 + 2)**	**16258.38**	**19211.83**	**22644.66**	**26642.21**	**31305.27**	**116062.35**
ख.	**आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय**						
1	**सामान्य सेवाएं**						
(i)	ब्याज अदायगियां	8925.95	9506.13	10124.03	10782.09	11482.93	50821.13
(ii)	पेंशन	3205.25	3525.77	3878.35	4266.18	4692.80	19568.34
(iii)	अन्य सामान्य सेवाएं (चुनाव)	2309.14	2501.80	2530.84	2649.49	2815.32	12806.58
	जोड़(i) से (iii)	**14440.33**	**15533.70**	**16533.22**	**17697.76**	**18991.05**	**83196.06**
2	सामाजिक सेवाएं	8114.54	8892.57	9746.37	10683.39	11711.86	49148.73
3	आर्थिक सेवाएं	2252.54	2393.58	2543.94	2704.27	2875.23	12769.56
4	स्थानीय निकायों को मुआवजा और समनुदेशन	343.08	385.97	434.22	488.49	549.56	2201.32
5	वचनबद्ध देनदारियां			695.99	748.19	804.30	2248.49
6	**जोड़ आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (1 से 5)**	**25150.49**	**27205.82**	**29953.73**	**32322.11**	**34932.00**	**149564.15**
ग.	**पू.सु. आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा/अधिशेष**	**-8892.12**	**-7993.98**	**-7309.07**	**-5679.90**	**-3626.73**	**-33501.80**

अनुबंध 7.1
(पैरा 7.4)

संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003

[15 जनवरी, 2004]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. नए अनुच्छेद 268क को जोड़ना - संविधान के अनुच्छेद 268 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किए जाएंगे और भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संग्रहीत तथा विनियोजित किए जाएंगे। "268क, सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाएंगे -(1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (2) में उपबंधित रीति से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाएगा।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में, खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, उद्गृहीत ऐसे किसी कर के आगमों का -

(क) भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण;

(ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन, संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें संसद विधि द्वारा बनाए।"।

3. अनुच्छेद 270 में संशोधन - संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड (1) में, "अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 268 अनुच्छेद 268क और 269" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. सातवीं अनुसूची में संशोधन - संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची 1-संघ सूची में, प्रविष्टि 92ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"92ग. सेवाओं पर कर।"।

टी.के विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार

अनुबंध 7.2

(पैरा 7.6, 7.12 और 7.13)

विभाजनीय करों में अनुशंसित हिस्से : पहला से ग्यारहवां वित्त आयोग

वित्त आयोग	आय कर	संघ उत्पाद शुल्क (मूल)	
	राज्य अंश(%)	राज्य अंश(%)	शामिल मदें
1	**2**	**4**	**5**
पहला	55	40	3
दूसरा	60	25	8
तीसरा	66.7	20	35
चौथा	75	20	सभी
पाचवां	75	20	सभी
छठा	80	20	सभी
सातवां	85	40	सभी
आठवां	85	45	सभी
नवां	85	45	सभी
दसवां	77.5	47.5	सभी
ग्यारहवां	29.5	29.5	सभी कर

स्रोतः वित्त आयोग की रिपोर्टें, और विट्ठल बी.पी.आर और एम.एल. शास्त्री (2001) भारत में राजकोषीय संघ; ओयूपी, नई दिल्ली।

अनुबंध 7.3
(पैरा 7.14)

राज्यों को केन्द्रीय करों का कर हस्तान्तरण - 1979-80 से 2001-02

वर्ष	कर हस्तांतरण (टीडी)	कुल कर राजस्व प्राप्तियां (जीटीआर)	होटल प्राप्तियां कर और ब्याज कर	संघ राज्यों से- कर प्राप्तियां (टीयूटी)	सकल विभाजनीय कर राजस्व प्राप्तियां (3-4-5)	कर संग्रहण प्रभार (सीओसी)	उपकर एवं अधिभार (सी और एस)	एनसी सीएफ	निवल विभाजनीय कर राजस्व प्राप्तियां (6-7-8-9)	कर हस्तांतरण % निवल विभाजनीय कर राजस्व प्राप्तियां (2/10)
	(करोड़ रुपए)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1979-80	3,405	11,973	0	196	11,777	121	366		11,291	30.16
1980-81	3,792	13,180	0	246	12,934	137	298		12,499	30.34
1981-82	4,274	15,847	2	307	15,539	148	356		15,035	28.43
1982-83	4,639	17,696	266	344	17,086	177	494		16,415	28.26
1983-84	5,246	20,722	178	381	20,164	207	1,249		18,707	28.04
7वां वि.आ.	**21,356**	**79,418**	**445**	**1,473**	**77,500**	**790**	**2,764**		**73,947**	**28.88**
1984-85	5,777	23,471	171	443	22,857	242	1,285		21,330	27.08
1985-86	7,491	28,670	58	524	28,089	279	1,310		26,500	28.27
1986-87	8,476	32,839	1	608	32,230	364	1,182		30,684	27.62
1987-88	9,598	37,666	9	709	36,948	426	2,071		34,450	27.86
1988-89	10,668	44,473	3	866	43,604	465	2,376		40,762	26.17
8वां वि.आ.	**42,009**	**167,119**	**242**	**3,149**	**163,728**	**1,776**	**8,225**		**153,727**	**27.33**
1989-90	13,231	51,635	7	953	50,675	511	3,420		46,744	28.31
1990-91	14,534	57,575	0	1,100	56,475	557	3,334		52,585	27.64
1991-92	17,197	67,361	306	1,265	65,790	640	3,463		61,687	27.88
1992-93	20,524	74,639	716	1,493	72,430	756	3,156		68,517	29.95
1993-94	22,240	75,742	728	1,185	73,830	849	3,025		69,956	31.79
1994-95	24,843	92,297	802	218	91,278	931	3,664		86,683	28.66
9वां वि.आ.	**112,569**	**419,250**	**2,552**	**5,261**	**411,438**	**3,733**	**16,642**		**391,063**	**28.79**
1995-96	29,285	111,224	1,171	246	109,808	1,115	4,078		104,615	27.99
1996-97	35,061	128,762	1,713	315	126,733	1,309	4,197		121,227	28.92
1997-98	35,954	139,220	1,207	329	137,684	1,746	3,423		132,515	27.13
1998-99	39,145	143,797	1,264	323	142,210	1,936	3,419		136,855	28.60
1999-00	43,481	171,752	1,212	362	170,179	2,034	4,775		163,369	26.62
10वां वि.आ.	**182,925**	**694,756**	**6,568**	**1,575**	**686,613**	**8,141**	**19,892**		**658,580**	**27.78**
2000-01	51,688	188,603	415	483	187,705	2,197	5,655	**91**	179,762	28.75
2001-02	52,842	187,060	190	543	186,326	2,299	4,175	**686**	179,167	29.49
11वां वि.आ.	**104,529**	**375,663**	**606**	**1,026**	**374,031**	**4,496**	**9,830**	**777**	**358,929**	**27.93**

स्रोतः संघीय सरकार के वित्तीय लेखे (विभिन्न श्रेणी) ।

टिप्पणीः कर हस्तान्तरण (कालम 1) आंकड़ों के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है। ब्याज कर और होटल प्राप्तियां कर विभाजनीय करों में शामिल नहीं है।

मोटे आंकड़े आयोगवार औसत के हैं।

अनुबंध 7.4
(पैरा 7.23)

उत्तरोत्तर वित्त आयोगों में कर हस्तान्तरण के लिए प्रयुक्त मानदंड एवं भार

वित्त आयोग	जनसंख्या	अंश-दान	अवर्गीकृत	पिछड़ा-पन	आय अन्तर	प्रति व्यक्ति आय के विलोम
पहला (1952-57)						
आय कर : 55%	80	20				
संघ उत्पाद : 40%	100					
दूसरा (1957-62)						
आय कर : 60%	90	10				
संघ उत्पाद : 25%	90		10			
तीसरा (1962-66)						
आय कर : 66.66%	80	20				
संघ उत्पाद : 20%			100			
चौथा (1966-69)						
आय कर : 75%	80	20				
संघ उत्पाद : 20%	80			20		
पाचवां (1969-74)						
आय कर : 75%	90	10				
संघ उत्पाद : 20%	80			6.66	13.34	
छठा (1974-79)						
आय कर : 80%	90	10				
संघ उत्पाद : 20%	75				25	
सातवां (1979-84)						
आय कर : 85%	90	10				
संघ उत्पाद : 40%	25					25
आठवां (1984-89)						
आय कर : 85%	22.5	10			45	22.5
संघ उत्पाद : 45%	25				50	25
नवां (1989-90)						
आय कर : 85%	22.5	10			45	11.25
संघ उत्पाद : 40%	25				50	12.5
नवां (1990-95)						
आय कर : 85%	22.5	10		11.25	45	11.25
संघ उत्पाद : 45%	25			12.5	33.5	12.5
दसवां (1995-2000)						
आय कर : 77.5%	20				60	
संघ उत्पाद : 47.5%	20				60	
ग्यारहवां (2000-05)						
सभी संघ कर : 29.5%	10				62.5	

अनुबंध 7.4 *(जारी....)*

वित्त आयोग	गरीबी	राजस्व समानीकरण	आयोजना-भिन्न घाटा	समायोजित क्षेत्र	अवसंरचना अंतर	राजकोषीय आत्म निर्भरता
पहला (1952-57)						
आय कर : 55%						
संघ उत्पाद : 40%						
दूसरा (1957-62)						
आय कर : 60%						
संघ उत्पाद : 25%						
तीसरा (1962-66)						
आय कर : 66.66%						
संघ उत्पाद : 20%						
चौथा (1966-69)						
आय कर : 75%						
संघ उत्पाद : 20%						
पाचवां (1969-74)						
आय कर : 75%						
संघ उत्पाद : 20%						
छठा (1974-79)						
आय कर : 80%						
संघ उत्पाद : 20%						
सातवां (1979-84)						
आय कर : 85%						
संघ उत्पाद : 40%	25	25				
आठवां(1984-89)						
आय कर : 85%						
संघ उत्पाद : 45%						
नवां (1989-90)						
आय कर : 85%	11.25					
संघ उत्पाद : 40%	12.5					
नवां (1990-95)						
आय कर : 85%						
संघ उत्पाद : 45%			16.5			
दसवां (1995-2000)						
आय कर : 77.5%				5	5	10
संघ उत्पाद : 47.5%				5	5	10
ग्यारहवां (2000-05)						
सभी संघ कर : 29.5%			7.5	7.5	5	7.5

अनुबंध 7.5
(पैरा 7.25)

बारहवें वित्त आयोग को राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए अपने ज्ञापन में सुझाए गए मानदंड एवं भार

राज्य	जन-संख्या	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या	आय अंतर	क्षेत्र	अवसंरचना की सूची	कर प्रयास	राजकोषीय अनुशासन	कृषि*
आंध्र प्रदेश	25		25		10	10	10	
अरुणाचल प्रदेश								
असम			70		15	7.5	7.5	
बिहार	10		65		15		10	
छत्तीसगढ़			62.5	10	10	7.5		
गोवा								
गुजरात	88	1.5	10.5					
हरियाणा	60	5	10	5		7.5	7.5	
हिमाचल प्रदेश								
जम्मू और कश्मीर								
झारखंड	10			7.5	7.5	5	2.5	
कर्नाटक	10		25	5		20	5	20
केरल	80					10	10	
मध्य प्रदेश								
महाराष्ट्र	30	25	25	10		5	5	
मणिपुर								
मेघालय								
मिजोरम								
नागालैंड								
उड़ीसा								
पंजाब	70		20				10	
राजस्थान	5		55	20	10	5	5	
सिक्किम								
तमिलनाडु	40		10			40		
त्रिपुरा	12.5		62.5	7.5	7.5	5		
उत्तर प्रदेश	50							
उत्तरांचल	10		47.5	7.5	10	7.5	7.5	
पश्चिम बंगाल								

अनुबंध 7.5 (जारी...)

राज्य	केन्द्रीय कर राजस्व में राजस्व	सिंचाई प्रयास**	शामिल वन***	स्थानीय निकायों से हस्तांतरण	एचआरडी में व्यय (निवेश)	सृजित नए राज्य	पिछड़ेपन का सूचकांक
आंध्र प्रदेश				10	10		
अरुणाचल प्रदेश							
असम							
बिहार							
छत्तीसगढ़			10				
गोवा							
गुजरात							
हरियाणा	5						
हिमाचल प्रदेश							
जम्मू और कश्मीर							
झारखंड						5	62.5
कर्नाटक		10					
केरल							
मध्य प्रदेश							
महाराष्ट्र							
मणिपुर							
मेघालय							
मिजोरम							
नागालैंड							
उड़ीसा							
पंजाब							
राजस्थान							
सिक्किम							
तमिलनाडु	10						
त्रिपुरा			5				
उत्तर प्रदेश							50
उत्तरांचल			10				
पश्चिम बंगाल							

टिप्पणीयां:

* एनएसडीपी में कृषि अंश।

** हाल ही की अवधि का कुल कृषि क्षेत्र में सकल सिचिंत क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में।

*** वन क्षेत्र के रखरखाव पर किया गया व्यय

$ 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों पर अधिक व्यय।

@ सृजित नए राज्यों के समक्ष अधिक व्यय की स्थिति।

अनुबंध 7.6
(पैरा 7.27)

राज्यों की जनसंख्या

(करोड़)

राज्य	1971	2001
आंध्र प्रदेश	4.35	7.62
अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.11
असम	1.46	2.67
बिहार	4.21	8.30
छत्तीसगढ़	1.16	2.08
गोवा	0.08	0.13
गुजरात	2.67	5.07
हरियाणा	1.00	2.11
हिमाचल प्रदेश	0.35	0.61
जम्मू और कश्मीर	0.46	1.01
झारखंड	1.42	2.69
कर्नाटक	2.93	5.29
केरल	2.13	3.18
मध्य प्रदेश	3.00	6.03
महाराष्ट्र	5.04	9.69
मणिपुर	0.11	0.23
मेघालय	0.10	0.23
मिजोरम	0.03	0.09
नागालैंड	0.05	0.20
उड़ीसा	2.19	3.68
पंजाब	1.36	2.44
राजस्थान	2.58	5.65
सिक्किम	0.02	0.05
तमिलनाडु	4.12	6.24
त्रिपुरा	0.16	0.32
उत्तर प्रदेश	8.38	16.62
उत्तरांचल	0.45	0.85
पश्चिम बंगाल	4.43	8.02
सभी राज्य	**54.31**	**101.21**

स्रोतः भारत के महापंजीयक

टिप्पणीः 1971 की जनगणना के बाद नए सृजित राज्यों की जनसंख्या, 2001 की जनगणना के समय उनके क्षेत्राधिकार के आधार पर पुनः की गई है।

अनुबंध 7.7
(पैरा 7.29)

प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (तुलनीय)

(रुपए)

राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02	औसत
आंध्र प्रदेश	16,754	19,036	20,818	18,869
अरुणाचल प्रदेश	15,277	16,574	17,886	16,579
असम	11,244	12,763	12,857	12,288
बिहार	6,053	7,074	6,491	6,539
छत्तीसगढ़	13,346	12,867	14,918	13,710
गोवा	52,597	57,663	59,538	56,599
गुजरात	22,223	21,470	24,432	22,708
हरियाणा	25,103	25,958	27,706	26,256
हिमाचल प्रदेश	22,128	25,118	27,040	24,762
जम्मू और कश्मीर	18,303	17,671	18,423	18,132
झारखंड	12,576	10,564	12,011	11,717
कर्नाटक	19,209	21,132	21,769	20,703
केरल	21,547	23,573	23,352	22,824
मध्य प्रदेश	13,489	12,572	13,960	13,340
महाराष्ट्र	26,524	26,265	28,194	26,994
मणिपुर	14,470	20,377	16,944	17,264
मेघालय	14,646	15,621	17,838	16,035
मिजोरम	18,359	22,404	22,971	21,245
नागालैंड	17,495	21,771	22,142	20,469
उड़ीसा	10,760	10,988	11,955	11,234
पंजाब	26,453	28,093	29,544	28,030
राजस्थान	14,622	14,676	15,878	15,059
सिक्किम	17,736	21,588	23,462	20,929
तमिलनाडु	21,123	23,397	23,242	22,587
त्रिपुरा	15,925	18,843	22,154	18,974
उत्तर प्रदेश	10,459	10,669	11,265	10,798
उत्तरांचल	14,807	18,427	17,761	16,998
पश्चिम बंगाल	16,090	17,051	18,989	17,377
सभी राज्य	**16,184**	**16,858**	**17,892**	**16,978**

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

अनुबंध 7.8
(पैरा 7.30)

राज्यों का क्षेत्रफल

राज्य	क्षेत्रफल ("000 वर्ग कि.मी.)	राज्य का मूल हिस्सा(%)	राज्य का समायोजित भाग (%)
आंध्र प्रदेश	275.05	8.40	7.14
अरुणाचल प्रदेश	83.74	2.56	2.17
असम	78.44	2.39	2.03
बिहार	94.16	2.87	2.44
छत्तीसगढ़	135.19	4.13	3.51
गोवा	3.70	0.11	2.00
गुजरात	196.02	5.98	5.08
हरियाणा	44.21	1.35	2.00
हिमाचल प्रदेश	55.67	1.70	2.00
जम्मू और कश्मीर	222.24	6.78	5.76
झारखंड	79.71	2.43	2.07
कर्नाटक	191.79	5.85	4.98
केरल	38.86	1.19	2.00
मध्य प्रदेश	308.25	9.41	8.00
महाराष्ट्र	307.71	9.39	7.98
मणिपुर	22.33	0.68	2.00
मेघालय	22.43	0.68	2.00
मिजोरम	21.08	0.64	2.00
नागालैंड	16.58	0.51	2.00
उड़ीसा	155.71	4.75	4.04
पंजाब	50.36	1.54	2.00
राजस्थान	342.24	10.45	8.88
सिक्किम	7.10	0.22	2.00
तमिलनाडु	130.06	3.97	3.37
त्रिपुरा	10.49	0.32	2.00
उत्तर प्रदेश	240.93	7.35	6.25
उत्तरांचल	53.48	1.63	2.00
पश्चिम बंगाल	88.75	2.71	2.30
सभी राज्य	**3,276.10**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः जनगणना 2001, www.censusindia.net, नवम्बर 30, 2004.

अनुबंध 7.9
(पैरा 7.32)

कर जीएसडीपी अनुपात औसत 1999-2000 से 2001-02

राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.27
अरुणाचल प्रदेश	1.21
असम	4.29
बिहार	4.24
छत्तीसगढ़	6.38
गोवा	6.80
गुजरात	7.74
हरियाणा	7.78
हिमाचल प्रदेश	5.04
जम्मू और कश्मीर	3.92
झारखंड	4.85
कर्नाटक	8.18
केरल	7.81
मध्य प्रदेश	5.49
महाराष्ट्र	7.49
मणिपुर	1.14
मेघालय	3.25
मिजोरम	0.79
नागालैंड	1.17
उड़ीसा	5.16
पंजाब	6.73
राजस्थान	6.14
सिक्किम	4.04
तमिलनाडु	8.63
त्रिपुरा	2.12
उत्तर प्रदेश	5.45
उत्तरांचल	5.88
पश्चिम बंगाल	4.22
सभी राज्य	**6.54**

स्रोतः राज्य सरकारों के वित्त लेखे (विभिन्न निर्गम)

अनुबंध 7.10
(पैरा 7.33)

राजकोषीय आत्मनिर्भरता का सूचक

राज्य	**स्व राजस्व/राजस्व व्यय(प्रतिशत)**		**सभी राज्यों के सापेक्ष (अनुपात)**		**सुधार सूचक**
	औसत 1993-94 से 95-96	**औसत 2000-01 से 02-03**	**औसत 1993-94 से 95-96**	**औसत 2000-01 से 02-03**	**(अनुपात)**
आंध्र प्रदेश	59.22	59.46	1.04	1.18	1.14
अरुणाचल प्रदेश	20.27	9.51	0.36	0.19	0.53
असम	30.24	32.66	0.53	0.65	1.23
बिहार	34.21	24.78	0.60	0.49	0.82
छत्तीसगढ़	56.68	58.24	0.99	1.16	1.17
गोवा	77.92	73.97	1.37	1.47	1.08
गुजरात	79.57	58.81	1.40	1.17	0.84
हरियाणा	75.48	77.62	1.32	1.55	1.17
हिमाचल प्रदेश	25.68	21.94	0.45	0.44	0.97
जम्मू और कश्मीर	16.93	21.10	0.30	0.42	1.42
झारखंड	34.21	54.36	0.60	1.08	1.81
कर्नाटक	73.62	61.52	1.29	1.23	0.95
केरल	63.69	54.24	1.12	1.08	0.97
मध्य प्रदेश	56.68	48.83	0.99	0.97	0.98
महाराष्ट्र	80.09	67.50	1.40	1.34	0.96
मणिपुर	9.45	7.49	0.17	0.15	0.90
मेघालय	19.74	19.35	0.35	0.39	1.11
मिजोरम	6.55	5.60	0.11	0.11	0.97
नागालैंड	9.44	6.85	0.17	0.14	0.82
उड़ीसा	37.56	34.32	0.66	0.68	1.04
पंजाब	69.59	57.71	1.22	1.15	0.94
राजस्थान	52.03	45.81	0.91	0.91	1.00
सिक्किम	16.30	18.24	0.29	0.36	1.27
तमिलनाडु	68.56	64.60	1.20	1.29	1.07
त्रिपुरा	10.22	13.76	0.18	0.27	1.53
उत्तर प्रदेश	42.55	41.48	0.75	0.83	1.11
उत्तरांचल	42.55	37.19	0.75	0.74	0.99
पश्चिम बंगाल	50.70	32.20	0.89	0.64	0.72
सभी राज्य	**57.02**	**50.20**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

स्रोतः राज्य सरकारों के वित्त लेखे (विभिन्न निर्गम)

अनुबंध 8.1
(पैरा 8.24)

संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्र

पंचायती राज वित्त पर एनआईआरडी में संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्र

1. पंचायत - कार्य, दायित्व और स्रोत : शिखा झा, आईजीआईडीआर, मुम्बई द्वारा।
2. पंचायतों की बुनियादी सेवाएं, कार्यात्मक जिम्मेदारी और स्व-राजस्व स्रोत - बारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ राजकोषीय विकेन्द्रीकरण के कुछ विषय - प्रो. एम.ए.उम्मेन, आईएसएस, दिल्ली।
3. तृतीय स्तर पर राजस्व पहलें - प्रो. इन्दिरा राजा रमन, एनआईपीएफपी, दिल्ली।
4. चुनिदां राज्यों में पंचायती राज में अभिनव लक्षण और उनके प्रत्युत्तर का क्षेत्र - के. शिवा सुब्रहमण्यम, एनआईआरडी।

नगरपालिका वित्त पर आईआईपीए संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्र

1. राष्ट्रीय वित्त आयोग और स्थानीय निकायों को राजकोषीय अन्तरण - अभिजीत दत्ता।
2. शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां एवं कार्यात्मक जिम्मेदारियां - क्या उनसे अपेक्षित सेवाओं के अनुरुप कर और गैर-कर राजस्व की संभावनाए हैं - डा. एम. नागेश्वर राव, निदेशक, टीएनआईयूएस, कोयम्बटूर ।
3. भारत में शहरी स्थानीय निकायः कार्य और निधियों के हस्तान्तरण पर बल - डा. पी.के. चौबे, आईआईपीए.
4. नगरपालिका वित्तीय स्रोत जुटावाः प्रास्थिति, संबंधित विषय और मुद्दे - डा. गंगाधर झा, आईपीई.

अनुबंध 8.2
(पैरा 8.25, 8.54)

स्थानीय निकायों की सूचना का प्रपत्र

बारहवां वित्त आयोग

राज्य का नाम ....

स्थानीय निकायों की सूचना

1 राज्यों में (1.4.2001) को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर स्थानीय निकायों की संख्या।

2 1.4.2001 (जनगणना 2001 के अनुसार) को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर द्वारा कवर की गई ओसत जनसंख्या।

3 1.4.2001 (2001 की जनगणना के अनुसार) को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल।

अनुसूची 1

पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को स्रोतों के हस्तान्तरण हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा तय किए गए सिद्धान्त

	प्राधिकार से कर	कर राजस्व का हस्तान्तरण	सहायता-अनुदान	अन्य (विशेष)
अपनाए गए सिद्धान्त I एसएफसी				
अपनाए गए सिद्धान्त II एसएफसी				

अनुबंध 8.3
(पैरा 8.25, 8.54)

अनुसूची-2 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को स्रोतों का हस्तान्तरण (2002-03 तक वास्तविक एवं 2003-04 एवं आगे अनुमानित)

जिला पंचायतों/खंड पंचायतों/ग्राम पंचायतों/नगर निगमों/नगरपालिकाओं/कस्बा पंचायतों को स्रोतों का हस्तान्तरण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्राधिकार	हस्तान्तरित	हस्तान्तरण		सहायता अनुदान		अन्य (विशेष)		कुल	
	से कर संग्रह	वास्तविक धन राशि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक हस्तान्तरण
1994-95										
1995-96										
1996-97										
1997-98										
1998-99										
1999-00										
2000-01										
2001-02										
2002-03										
2003-04										
2004-05										
2005-06										
2006-07										

अनुबंध 8.4
(पैरा 8.25, 8.54)

अनुसूची - 3 राज्य वित्त आयोगों की स्थापना से पूर्व स्रोतों का हस्तान्तरण

क - प्रथम राज्य वित्त आयोग के निर्णय-कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के पूर्व के पांच वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित धन राशि

(लाख रुपए में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित धन राशि							
	जिला पंचायत		खंड पंचायत		गांव पंचायत		कुल	
	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि
1990-91								
1991-92								
1992-93								
1993-94								
1994-95								
1995-96								

ख - प्रथम राज्य वित्त आयोग के निर्णय-कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के पूर्व के पांच वर्षों में नगर स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित धन राशि

(लाख रुपए में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित धन राशि							
	नगर निगम		नगर पालिकाएं		कस्बा पंचायतें		कुल	
	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि	रुपए	% पिछले वर्ष से वृद्धि
1990-91								
1991-92								
1992-93								
1993-94								
1994-95								
1995-96								

अनुबंध 8.5
(पैरा 8.25, 8.54)

अनुसूची - 4 पीआरआईज/यूएलबीज को हस्तान्तरित कार्य/सेवाएं एवं उन पर व्यय

क - पीआरआईज/यूएलबीज को हस्तान्तरित कार्य/सेवाएं एवं उन पर व्यय

कार्य/सेवा का नाम	संस्थान जिसको हस्तान्तरण हुआ	हस्तान्तरण की तारीख	हस्तान्तरण से पूर्व के वर्षों में कार्य/सेवा पर राजस्व व्यय	हस्तान्तरण से पूर्व के पांच वर्षों में राजस्व व्यय की वृद्धि की औसत दर

ख - हस्तान्तरित कार्यों/सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्रोतों का अंतरण

(लाख रुपए में)

1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-1999		1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण	एसएफसी द्वारा अनुशंसित	वास्तविक किए गए हस्तान्तरण

अनुबंध 8.6
(पैरा 8.25, 8.54)

अनुसूची - 5 स्थानीय निकायों के व्यय एवं उसके राजस्व/पूंजी के स्रोत

क. पंचायती राज संस्थाओं के व्यय एवं उसके लिए राजस्व/पूंजी के स्रोत

(लाख रुपए)

वर्ष	जिला पंचायत /खंड पंचायत /गांव पंचायत								
	व्यय		राजस्व स्रोत					पूंजी स्रोत (विशेष)	
	राजस्व	पूंजी	स्वयं का राजस्व		प्राधिकार + हस्तान्तरण	राज्य सरकारों से सहायता अनुदान	अन्य (विशेष)	स्रोत	रुपए
			कर	कर-भिन्न					
1997-98									
1998-99									
1999-2000									
2000-01									
2001-02									
2002-03 (यदि उपलब्ध हो)									

ख. शहरी स्थानीय निकायों के खर्चे एवं उसके लिए राजस्व/पूंजी के स्रोत

(लाख रुपए)

वर्ष	नगर निगम/नगरपालिकाएं/नगर पंचायतें								
	व्यय		राजस्व स्रोत					पूंजी स्रोत (विशेष)	
	राजस्व	पूंजी	स्वयं का राजस्व		प्राधिकार + हस्तान्तरण	राज्य सरकारों से सहायता अनुदान	अन्य (विशेष)	स्रोत	रुपए
			कर	कर-भिन्न					
1997-98									
1998-99									
1999-2000									
2000-01									
2001-02									
2002-03 (यदि उपलब्ध हो)									

अनुबंध 8.7
(पैरा 8.25)

विभिन्न श्रेणी वाले स्थानीय निकायों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण स्थानीय निकायों का स्तर (एडीसी सहित)	संख्या	शहरी स्थानीय निकायों का स्तर	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1. ग्राम पंचायत	21943	1. नगर निगम	7
		2. मंडल परिषद	1096	2. नगरपालिका	109
		3. जिला परिषद	22	3. नगर पंचायत	1
		कुल	**23061**	**कुल**	**117**
2	अरुणाचल प्रदेश	1. ग्राम पंचायत	1747		
		2. अंचल समितियां	150	**यूएलबी-मौजूद नहीं है**	
		3. जिला परिषद	15		
		कुल	**1912**		
3	असम	1. गांव (गांव) पंचायत	2487	1. नगर निगम	1
		2. आंचलिक (खंड) पंचायत	203	2. नगरपालिका	28
		3. जिला परिषद	20	3. कस्बा पंचायत	54
		कुल	**2710**	**कुल**	**83**
4	बिहार	1. गांव पंचायत	8471	1. नगर निगम	5
		2. पंचायत समितियां	531	2. नगर परिषद	37
		3. जिला परिषद	38	3. नगर पंचायत	117
		कुल	**9040**	**कुल**	**159**
5	छत्तीसगढ़	1. ग्राम पंचायत	9139	1. नगर निगम	10
		2. जनपद पंचायत	146	2. निगम परिषद	28
		3. जिला पंचायत	16	3. नगर पंचायत	71
		कुल	**9301**	**कुल**	**109**
6	गोवा	1. गांव पंचायत	189	निगम परिषद	13
		2. जिला पंचायत	2		
		कुल	**191**	**कुल**	**13**
7	गुजरात	1. गांव पंचायत	13781	1. नगर निगम	7
		2. तालूक पंचायत	224	2. नगरपालिका	142
		3. जिला पंचायत	25		
		कुल	**14030**	**कुल**	**149**
8	हरियाणा	1. ग्राम पंचायत	6032	1. नगर निगम	1
		2. पंचायत समितियां	114	2. नगर परिषद	21
		3. जिला परिषद	19	3. नगर समितियां	46
		कुल	**6165**	**कुल**	**68**
9	हिमाचल प्रदेश	1. ग्राम पंचायत	3037	1. नगर निगम	1
		2. पंचायत समितियां	75	2. नगर परिषद	20
		3. जिला पंचायत	12	3. नगर पंचायत	28
		कुल	**3124**	**कुल**	**49**
10	जम्मू और कश्मीर	1. हल्का पंचायत	2700	1. नगर निगम	2
		2. खंड विकास परिषद	134	2. नगर परिषद	6
		3. जिला योजना एवं विकास बोर्ड	14	3. नगर समितियां	61
		कुल	**2848**	**कुल**	**69**
11	झारखंड	1. ग्राम पंचायत	3765	1. नगर निगम	1
		2. पंचायत समितियां	211	2. नगरपालिका	20
		3. जिला पंचायत	22	3. अधिसूचित क्षेत्र समितियां	22
		कुल	**3998**	**कुल**	**43**

1	2	3	4	5	6
12	कर्नाटक	1. ग्राम पंचायत	5659	1. नगर निगम	6
		2. तालूक पंचायत	175	2. नगर परिषद	41
		3. जिला पंचायत	27	3. कस्बा नगर परिषद	82
				4. कस्बा पंचायत	93
		कुल	**5861**	**कुल**	**222**
13	केरल	1. ग्राम पंचायत	991	1. नगर निगम	5
		2. खंड पंचायत	152	2. नगरपालिका	53
		3. जिला पंचायत	14		
		कुल	**1157**	**कुल**	**58**
14	मध्य प्रदेश	1. ग्राम पंचायत	22029	1. नगर निगम	14
		2. जनपद पंचायत	313	2. नगरपालिका	86
		3. जिला पंचायत	45	3. नगर पंचायत	236
		कुल	**22387**	**कुल**	**336**
15	महाराष्ट्र	1. गांव पंचायत	28553	1. नगर निगम	16
		2. पंचायत समितियां	349	2. नगर परिषद (क+ख+ग)	228
		3. जिला परिषद	33		
		कुल	**28935**	**कुल**	**244**
16	मणिपुर	1. ग्राम पंचायत	166	1. नगर परिषद	9
		2. जिला पंचायत	4	2. नगर पंचायत	18
		2.1 पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी)	6	3. छोटा कस्बा समिति	1
		कुल	**176**	**कुल**	**28**
17	मेघालय	स्वायत्त जिला परिषद	3	नगरपालिका	6
		कुल	**3**	**कुल**	**6**
18	मिजोरम	1. गांव परिषद	737	**यूएलबी मौजूद नहीं है**	
		कुल	**737**		
19	नागालैंड	गांव परिषद	1286	कस्बा समितियां	9
		कुल	**1286**	**कुल**	**9**
20	उड़ीसा	1. ग्राम पंचायत	6234	1. नगर निगम	2
		2. पंचायत समितियां	314	2. नगरपालिका	33
		3. जिला परिषद	30	3. अधिसूचित क्षेत्र परिषद	68
		कुल	**6578**	**कुल**	**103**
21	पंजाब	1. ग्राम पंचायत	12449	1. नगर निगम	4
		2. पंचायत समितियां	140	2.नगर परिषद	98
		3. जिला परिषद	17	3. नगर पंचायत	32
		कुल	**12606**	**कुल**	**134**
22	राजस्थान	1. ग्राम पंचायत	9189	1. नगर निगम	3
		2. पंचायत समितियां	237	2. नगर परिषद	11
		3. जिला परिषद	32	3. नगर बोर्ड(क्लास II,III और IV)	169
		कुल	**9458**	**कुल**	**183**
23	सिक्किम	1. ग्राम पंचायत	166	**यूएलबी मौजूद नहीं है**	
		2. जिला पंचायत	4		
		कुल	**170**		
24	तमिलनाडु	1. गांव पंचायत	12618	1. नगर निगम	6
		2. पंचायत संघ	385	2. नगरपालिका	102
		3. जिला पंचायत	28	3. कस्बा पंचायत	611
		कुल	**13031**	**कुल**	**719**

1	2	3	4	5	6
25	त्रिपुरा	1. ग्राम पंचायत	540	1. नगर परिषद	1
		2. पंचायत समितियां	23	2. नगर पंचायत	12
		3. जिला पंचायत	4		
		कुल	**567**	**कुल**	**13**
26	उत्तर प्रदेश	1. ग्राम पंचायत	52029	1. नगर निगम	11
		2. क्षेत्र पंचायत	809	2. नगर पालिका परिषद	195
		3. जिला पंचायत	70	3. नगर पंचायत	417
		कुल	**52908**	**कुल**	**623**
27	उत्तरांचल	1. ग्राम/गांव पंचायत	7055	1. नगर निगम	1
		2. न्याय पंचायत	673	2. नगर पालिका परिषद	31
				3. नगर पंचायत	31
		कुल	**7728**	**कुल**	**63**
28	पश्चिम बंगाल	1. ग्राम पंचायत	3358	1. नगर निगम	6
		2. पंचायत समितियां	341	2. नगरपालिका	114
		3. जिला परिषद	18	3. अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण	3
		कुल	**3717**	**कुल**	**123**
		1. ग्राम/ग्राम पंचायत (ग्राम परिषदों और बोर्ड सहित)	**236350**	**नगर निगमों की कुल संख्या**	**109**
		2. पंचायत समितियां	**6795**	**नगरपालिकाओं की कुल संख्या**	**1432**
		3. जिला पंचायत	**531**	**नगर पंचायतों की कुल संख्या**	**2182**
		4. स्वायत्त जिला परिषद	**9**		
	कुल	**कुल जोड़ (सभी आरएलबी)**	**237824**	**कुल जोड़ (यूएलबी)**	**3723**

स्रोतः विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त भरी गई प्रश्नावली

अनुबंध 8.8
(पैरा 8.25)

पंचायती राज संस्थाओं (सभी श्रेणियां) के राज्य-वार राजस्व और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	64.94	66.24	74.59	76.08	77.60
		स्व-कर-भिन्न	63.69	70.05	77.06	84.77	93.24
		स्व राजस्व	128.63	136.29	151.65	160.85	170.85
		समनुदेश + अंतरण	141.99	354.59	158.15	170.17	183.26
		सहायता अनुदान	2412.29	2681.77	3563.16	3919.62	4225.04
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	2554.28	3036.37	3721.31	4089.80	4408.30
		कुल राजस्व	2682.90	3172.66	3872.96	4250.64	4579.15
		व्यय					
		राजस्व व्यय	2147.60	2325.17	2862.60	3300.87	3708.58
		पूंजी व्यय	1121.44	1436.95	1530.08	1451.50	1399.19
		कुल व्यय	3269.04	3762.12	4392.68	4752.37	5107.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	**राजस्व**					
		स्व-कर	6.98	7.10	7.25	7.39	7.54
		स्व-कर-भिन्न	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
		स्व राजस्व	7.04	7.17	7.32	7.47	7.61
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	7.04	7.17	7.32	7.47	7.61
		व्यय					
		राजस्व व्यय	7.05	7.21	7.36	7.53	7.71
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	7.05	7.21	7.36	7.53	7.71
4.	बिहार	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		स्व-कर-भिन्न	5.94	3.01	7.71	3.59	6.67
		स्व राजस्व	5.94	3.01	7.71	3.59	6.67
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	4.16	4.43	4.16	103.11	268.62
		अन्य	4.70	3.72	3.24	11.06	20.63
		कुल अन्य राजस्व	8.86	8.15	7.40	114.17	289.26
		कुल राजस्व	14.81	11.16	15.11	117.76	295.93
		व्यय					
		राजस्व व्यय	29.48	29.41	29.79	151.24	30.65
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	99.14	263.09
		कुल व्यय	29.48	29.41	29.79	250.38	293.74
5.	छत्तीसगढ़	**राजस्व**					
		स्व-कर	3.12	3.18	3.23	3.31	3.40
		स्व-कर-भिन्न	50.31	51.33	54.17	53.41	54.47
		स्व राजस्व	53.43	54.51	57.39	56.72	57.87
		समनुदेश + अंतरण	13.69	13.95	14.19	14.43	14.68
		सहायता अनुदान	115.43	124.60	109.88	68.35	69.71
		अन्य	150.88	153.44	150.43	135.85	138.56
		कुल अन्य राजस्व	279.99	291.99	274.51	218.63	222.96
		कुल राजस्व	333.42	346.50	331.90	275.34	280.83
		व्यय					
		राजस्व व्यय	226.24	241.90	373.44	371.68	409.15
		पूंजी व्यय	180.58	193.94	227.19	193.13	201.36
		कुल व्यय	406.82	435.84	600.64	564.81	610.51
6.	गोवा	**राजस्व**					
		स्व-कर	5.25	5.27	5.51	5.53	5.86
		स्व-कर-भिन्न	2.01	2.02	2.14	1.94	2.15
		स्व राजस्व	7.27	7.29	7.65	7.47	8.01
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	2.53	3.07	5.27	13.16	19.26
		अन्य	0.39	0.41	0.49	0.26	0.98
		कुल अन्य राजस्व	2.92	3.48	5.76	13.42	20.24
		कुल राजस्व	10.19	10.77	13.42	20.89	28.25
		व्यय					
		राजस्व व्यय	10.19	10.77	13.42	20.89	28.25
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	10.19	10.77	13.42	20.89	28.25
7.	गुजरात	**राजस्व**					
		स्व-कर	68.35	69.30	66.55	63.18	61.18
		स्व-कर-भिन्न	8.99	10.71	9.37	8.53	8.68
		स्व राजस्व	77.34	80.01	75.92	71.72	69.86
		समनुदेश + अंतरण	135.35	151.02	75.60	65.68	84.96
		सहायता अनुदान	2757.72	2988.98	3916.58	2743.18	2681.21
		अन्य	227.85	283.27	788.85	522.31	466.34
		कुल अन्य राजस्व	3120.91	3423.26	4781.02	3331.17	3232.51
		कुल राजस्व	3198.25	3503.27	4856.94	3402.88	3302.37
		व्यय					
		राजस्व व्यय	2853.92	3126.93	3948.32	3446.11	2529.58

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		पूंजी व्यय	69.04	79.25	157.45	81.47	34.77
		कुल व्यय	2922.95	3206.18	4105.77	3527.58	2564.34
8.	हरियाणा	**राजस्व**					
		स्व-कर	7.20	5.41	7.37	7.52	8.60
		स्व-कर-भिन्न	50.53	52.52	62.77	68.73	69.76
		स्व राजस्व	57.73	57.93	70.14	76.24	78.36
		समनुदेश + अंतरण	27.30	90.04	42.39	90.41	143.55
		सहायता अनुदान	43.03	137.99	101.01	182.61	154.46
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	70.33	228.03	143.40	273.03	298.01
		कुल राजस्व	128.07	285.97	213.54	349.27	376.37
		व्यय					
		राजस्व व्यय	127.30	285.62	213.44	349.07	376.18
		पूंजी व्यय	0.00	0.35	0.10	0.20	0.20
		कुल व्यय	127.30	285.97	213.54	349.27	376.38
9.	हिमाचल प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	1.04	1.55	2.22	3.00	3.59
		स्व-कर-भिन्न	0.85	0.91	1.13	1.26	1.80
		स्व राजस्व	1.89	2.46	3.35	4.25	5.39
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	21.34	19.73	22.61	26.62	33.45
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	21.34	19.73	22.61	26.62	33.45
		कुल राजस्व	23.23	22.19	25.96	30.87	38.84
		व्यय					
		राजस्व व्यय	11.29	10.91	13.97	13.97	17.78
		पूंजी व्यय	10.05	8.88	8.63	12.64	15.67
		कुल व्यय	21.34	19.79	22.61	26.62	33.45
10.	जम्मू और कश्मीर	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पूंजी व्यय	489.81	546.59	572.06	703.94	683.42
		कुल व्यय	489.81	546.59	572.06	703.94	683.42
11.	झारखंड	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.56	1.61	13.10
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.56	1.61	13.10
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.56	1.61	13.10
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	**राजस्व**					
		स्व-कर	51.61	57.27	66.83	52.36	59.46
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	51.61	57.27	66.83	52.36	59.46
		समनुदेश + अंतरण	3318.96	4321.52	4651.13	4321.15	4243.57
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	3318.96	4321.52	4651.13	4321.15	4243.57
		कुल राजस्व	3370.57	4378.79	4717.97	4373.51	4303.03
		व्यय					
		राजस्व व्यय	2519.42	3634.34	4041.57	3666.88	3525.80
		पूंजी व्यय	570.48	543.67	480.89	535.55	570.08
		कुल व्यय	3089.89	4178.00	4522.47	4202.43	4095.89
13.	केरल	**राजस्व**					
		स्व-कर	88.28	100.21	116.01	114.49	123.18
		स्व-कर-भिन्न	80.20	138.28	103.65	79.25	102.83
		स्व राजस्व	168.48	238.49	219.66	193.74	226.01
		समनुदेश + अंतरण	147.39	171.09	61.56	139.24	152.48
		सहायता अनुदान	595.39	515.24	522.71	479.71	552.19
		अन्य	27.58	27.75	29.58	27.25	30.01
		कुल अन्य राजस्व	770.36	714.08	613.85	646.20	734.68
		कुल राजस्व	938.84	952.57	833.51	839.94	960.69
		व्यय					
		राजस्व व्यय	938.84	952.47	833.51	839.94	960.69
		पूंजी व्यय	845.87	741.79	686.83	532.05	823.42
		कुल व्यय	1784.71	1694.26	1520.34	1371.99	1784.11
14.	मध्य प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	119.58	121.47	126.02	124.87	155.23
		स्व-कर-भिन्न	4.30	6.91	16.07	17.58	19.58
		स्व राजस्व	123.88	128.38	142.09	142.45	174.81
		समनुदेश + अंतरण	343.66	347.04	366.34	417.51	301.80
		सहायता अनुदान	1.50	1.50	1.50	1.30	1.90
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	345.16	348.54	367.84	418.81	303.70
		कुल राजस्व	469.04	476.92	509.93	561.26	478.52
		व्यय					
		राजस्व व्यय	467.54	475.43	505.43	559.96	476.62
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	467.54	475.43	505.43	559.96	476.62

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
15.	महाराष्ट्र	**राजस्व**					
		स्व-कर	157.40	176.40	204.47	274.17	346.69
		स्व-कर-भिन्न	80.58	108.32	123.51	110.12	123.38
		स्व राजस्व	237.97	284.73	327.98	384.29	470.07
		समनुदेश + अंतरण	48.47	40.99	40.63	55.54	64.25
		सहायता अनुदान	2606.36	5133.03	3530.12	4064.19	4691.85
		अन्य	79.19	75.98	77.75	99.81	111.03
		कुल अन्य राजस्व	2734.01	5250.00	3648.51	4219.53	4867.14
		कुल राजस्व	2971.98	5534.73	3976.49	4603.82	5337.20
		व्यय					
		राजस्व व्यय	2285.55	2900.15	2999.53	3324.92	3740.76
		पूंजी व्यय	734.26	667.31	825.60	869.81	970.62
		कुल व्यय	3019.81	3567.46	3825.12	4194.72	4711.38
16.	मणिपुर	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.49	0.76	0.76	1.08	0.51
		अन्य	1.93	3.03	3.29	3.25	5.59
		कुल अन्य राजस्व	2.42	3.79	4.06	4.33	6.10
		कुल राजस्व	2.42	3.79	4.06	4.33	6.10
		व्यय					
		राजस्व व्यय	2.42	3.79	4.06	4.33	6.10
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	2.42	3.79	4.06	4.33	6.10
17.	मेघालय	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	4.50	4.50	9.62	5.60	5.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	4.50	4.50	9.62	5.60	5.00
		कुल राजस्व	4.50	4.50	9.62	5.60	5.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	4.50	4.50	9.62	5.60	5.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	4.50	4.50	9.62	5.60	5.00
18.	मिजोरम	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.73	0.73	1.57	1.66	1.56
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.73	0.73	1.57	1.66	1.56
		कुल राजस्व	0.73	0.73	1.57	1.66	1.56

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.73	0.73	1.57	1.66	1.56
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.73	0.73	1.57	1.66	1.56
19.	नागालैंड	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.48	0.45	0.48	0.48	0.21
		स्व-कर-भिन्न	8.75	8.21	8.58	8.33	5.30
		स्व राजस्व	9.23	8.66	9.06	8.81	5.51
		समनुदेश + अंतरण	75.62	56.49	64.99	65.19	82.07
		सहायता अनुदान	85.94	153.16	41.86	61.90	100.26
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	161.56	209.65	106.85	127.10	182.33
		कुल राजस्व	170.79	218.31	115.91	135.90	187.84
		व्यय					
		राजस्व व्यय	120.79	100.81	115.91	135.90	135.51
		पूंजी व्यय	50.00	117.50	0.00	0.00	46.82
		कुल व्यय	170.79	218.31	115.91	135.90	182.33
21.	पंजाब	**राजस्व**					
		स्व-कर	1.19	0.91	1.16	1.15	0.87
		स्व-कर-भिन्न	64.87	82.74	79.50	63.88	97.91
		स्व राजस्व	66.06	83.65	80.67	65.03	98.77
		समनुदेश + अंतरण	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00
		सहायता अनुदान	8.53	31.48	31.20	20.01	29.78
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	33.53	56.48	56.20	45.01	79.78
		कुल राजस्व	99.59	140.13	136.86	110.03	178.55
		व्यय					
		राजस्व व्यय	99.59	140.13	136.86	110.03	178.55
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	99.59	140.13	136.86	110.03	178.55
22.	राजस्थान	**राजस्व**					
		स्व-कर	3.04	4.70	4.75	4.79	4.84
		स्व-कर-भिन्न	28.77	31.92	32.15	32.35	32.84
		स्व राजस्व	31.81	36.62	36.89	37.14	37.68
		समनुदेश + अंतरण	59.50	77.67	81.24	92.51	93.87

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		सहायता अनुदान	887.20	1022.70	949.93	1079.62	1052.66
		अन्य	542.64	541.98	569.08	597.54	627.42
		कुल अन्य राजस्व	1489.34	1642.35	1600.26	1769.67	1773.94
		कुल राजस्व	1521.14	1678.97	1637.15	1806.81	1811.63
		व्यय					
		राजस्व व्यय	638.59	827.60	896.11	923.52	996.73
		पूंजी व्यय	700.55	753.50	669.23	707.85	739.96
		कुल व्यय	1339.14	1581.10	1565.34	1631.38	1736.69
23.	सिक्किम	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	1.65	1.22	2.24	1.55	2.50
		अन्य	0.48	0.47	1.55	1.22	1.35
		कुल अन्य राजस्व	2.13	1.69	3.79	2.77	3.84
		कुल राजस्व	2.13	1.69	3.79	2.77	3.84
		व्यय					
		राजस्व व्यय	2.13	1.69	3.78	2.77	3.76
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	2.13	1.69	3.78	2.77	3.76
24.	तमिलनाडु	**राजस्व**					
		स्व-कर	34.44	38.86	45.72	51.19	48.65
		स्व-कर-भिन्न	17.66	20.64	11.48	11.18	16.79
		स्व राजस्व	52.10	59.50	57.20	62.37	65.44
		समनुदेश + अंतरण	598.57	557.36	592.76	325.63	825.14
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	598.57	557.36	592.76	325.63	825.14
		कुल राजस्व	650.67	616.86	649.96	388.00	890.58
		व्यय					
		राजस्व व्यय	259.22	408.61	384.42	368.49	347.90
		पूंजी व्यय	98.63	133.97	190.71	147.50	180.15
		कुल व्यय	357.85	542.58	575.13	515.99	528.05
25.	त्रिपुरा	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.45	0.48	0.49	0.52	0.60
		स्व राजस्व	0.45	0.48	0.49	0.52	0.60
		समनुदेश + अंतरण	13.56	9.84	17.26	19.81	20.00
		सहायता अनुदान	39.13	36.86	29.41	34.79	41.13
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	52.69	46.70	46.67	54.60	61.13
		कुल राजस्व	53.14	47.17	47.16	55.12	61.72
		व्यय					
		राजस्व व्यय	1.26	1.35	1.32	1.34	1.42
		पूंजी व्यय	56.63	50.66	48.07	59.53	67.41
		कुल व्यय	57.90	52.01	49.39	60.88	68.83

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
26.	उत्तर प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	9.43	11.51	11.68	10.87	11.02
		स्व-कर-भिन्न	36.95	41.79	47.15	48.39	52.15
		स्व राजस्व	46.38	53.30	58.83	59.26	63.17
		समनुदेश + अंतरण	253.90	270.58	319.08	348.04	382.24
		सहायता अनुदान	15.35	0.14	1.16	0.41	61.09
		अन्य	87.83	178.27	233.43	233.43	116.71
		कुल अन्य राजस्व	357.08	448.99	553.67	581.88	560.04
		कुल राजस्व	403.46	502.29	612.50	641.14	623.21
		व्यय					
		राजस्व व्यय	72.56	74.49	99.10	78.35	64.76
		पूंजी व्यय	327.40	506.22	518.98	354.97	530.04
		कुल व्यय	399.96	580.71	618.08	433.32	594.80
27.	उत्तरांचल	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.74	0.79	0.84	0.88	0.92
		स्व-कर-भिन्न	3.95	4.36	4.03	4.02	5.18
		स्व राजस्व	4.69	5.15	4.87	4.89	6.10
		समनुदेश + अंतरण	15.61	20.93	15.81	6.37	6.37
		सहायता अनुदान	2.95	1.79	1.25	1.04	3.24
		अन्य	43.55	33.33	10.21	10.96	45.67
		कुल अन्य राजस्व	62.11	56.05	27.27	18.38	55.28
		कुल राजस्व	66.80	61.20	32.14	23.27	61.38
		व्यय					
		राजस्व व्यय	33.31	39.37	18.42	31.93	9.70
		पूंजी व्यय	20.67	23.39	12.71	14.73	20.12
		कुल व्यय	53.98	62.76	31.13	46.66	29.82
28.	पश्चिम बंगाल	**राजस्व**					
		स्व-कर	6.82	6.86	9.00	9.57	9.87
		स्व-कर-भिन्न	22.22	22.76	23.53	24.04	21.39
		स्व राजस्व	29.04	29.62	32.53	33.61	31.27
		समनुदेश + अंतरण	4.15	0.40	5.02	12.74	0.00
		सहायता अनुदान	137.95	254.97	579.65	412.95	145.96
		अन्य	0.80	0.80	0.84	0.88	0.00
		कुल अन्य राजस्व	142.90	256.17	585.51	426.58	145.96
		कुल राजस्व	171.94	285.79	618.05	460.18	177.23
		व्यय					
		राजस्व व्यय	171.94	285.79	618.05	460.18	177.23
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	171.94	285.79	618.05	460.18	177.23

मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03

पंचायती राज संस्थाओं (सभी श्रेणी) का अखिल भारतीय राजस्व और व्यय

(करोड़ रुपए)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व					
स्व-कर	629.89	677.49	753.70	810.81	928.71
स्व-कर-भिन्न	531.08	657.02	664.54	621.95	714.80
स्व राजस्व	1160.97	1334.51	1418.24	1432.77	1643.51
समनुदेश + अंतरण	5222.71	6508.53	6531.17	6169.43	6648.23
सहायता अनुदान	9744.19	13118.64	13426.20	13224.07	14154.48
अन्य	1167.81	1302.45	1868.75	1643.81	1564.29
कुल अन्य राजस्व	16134.71	20929.62	21826.12	21037.31	22367.01
कुल राजस्व	17295.68	22264.13	23244.36	22470.07	24010.52
व्यय					
राजस्व व्यय	13031.47	15889.15	18131.61	18177.17	17739.97
पूंजी व्यय	5275.41	5803.97	5928.53	5764.02	6546.32
कुल व्यय	18306.89	21693.12	24060.14	23941.19	24286.29

स्रोतः विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त भरी गई प्रश्नावली

अनुबंध 8.9
(पैरा 8.25)

शहरी स्थानीय निकायों (सभी स्तर) का
राज्य-वार राजस्व और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	187.12	216.00	261.10	323.13	434.96
		स्व-कर-भिन्न	295.76	295.62	368.06	394.72	422.07
		स्व राजस्व	482.87	511.62	629.16	717.86	857.03
		समनुदेश + अंतरण	211.51	230.94	253.72	279.37	389.70
		सहायता अनुदान	20.58	29.53	29.00	38.63	79.59
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	232.10	260.47	282.72	318.00	469.29
		कुल राजस्व	714.97	772.09	911.88	1035.86	1326.32
		व्यय					
		राजस्व व्यय	612.56	740.60	773.92	944.57	1110.23
		पूंजी व्यय	140.92	239.77	202.66	232.68	299.18
		कुल व्यय	753.48	980.37	976.58	1177.25	1409.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	**राजस्व**					
		स्व-कर	13.84	15.05	17.73	18.97	20.96
		स्व-कर-भिन्न	17.63	14.87	17.93	17.49	22.17
		स्व राजस्व	31.47	29.91	35.65	36.46	43.13
		समनुदेश + अंतरण	2.70	3.16	2.82	6.42	5.70
		सहायता अनुदान	5.06	4.37	9.57	9.23	6.82
		अन्य	2.41	2.02	2.88	3.03	0.00
		कुल अन्य राजस्व	10.17	9.55	15.28	18.68	12.52
		कुल राजस्व	41.63	39.46	50.93	55.14	55.66
		व्यय					
		राजस्व व्यय	38.00	39.11	46.62	49.99	54.97
		पूंजी व्यय	7.25	4.08	7.02	6.82	8.77
		कुल व्यय	45.25	43.20	53.64	56.80	63.74
4.	बिहार	**राजस्व**					
		स्व-कर	41.58	46.00	50.24	49.08	67.89
		स्व-कर-भिन्न	3.19	4.51	5.76	7.35	7.77
		स्व राजस्व	44.77	50.51	56.00	56.43	75.66
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		सहायता अनुदान	7.67	35.37	13.92	9.82	8.25
		अन्य	16.47	21.99	10.06	12.86	10.70
		कुल अन्य राजस्व	24.14	57.36	23.98	22.68	18.95
		कुल राजस्व	68.90	107.87	79.98	79.11	94.61
		व्यय					
		राजस्व व्यय	68.40	73.19	79.04	86.94	95.63
		पूंजी व्यय	6.66	32.90	21.45	23.27	37.47
		कुल व्यय	75.06	106.09	100.49	110.20	133.10
5.	छत्तीसगढ़	**राजस्व**					
		स्व-कर	56.32	47.32	65.30	79.24	77.69
		स्व-कर-भिन्न	47.97	44.77	123.23	46.31	32.65
		स्व राजस्व	104.29	92.09	188.53	125.55	110.34
		समनुदेश + अंतरण	12.97	15.35	23.84	24.25	49.53
		सहायता अनुदान	42.06	63.95	78.79	93.57	111.65
		अन्य	5.40	4.23	9.83	8.43	10.14
		कुल अन्य राजस्व	60.44	83.53	112.46	126.24	171.32
		कुल राजस्व	164.72	175.62	300.99	251.79	281.67
		व्यय					
		राजस्व व्यय	97.17	83.78	135.12	146.84	178.05
		पूंजी व्यय	48.91	48.98	74.47	70.26	87.86
		कुल व्यय	146.08	132.76	209.59	217.11	265.91
6.	गोवा	**राजस्व**					
		स्व-कर	6.14	8.38	8.87	8.18	12.38
		स्व-कर-भिन्न	8.79	9.75	11.94	12.23	11.49
		स्व राजस्व	14.93	18.14	20.81	20.40	23.87
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	3.96	4.68	5.70	13.01	10.79
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	3.96	4.68	5.70	13.01	10.79
		कुल राजस्व	18.89	22.81	26.51	33.41	34.66
		व्यय					
		राजस्व व्यय	14.72	21.20	24.66	27.72	31.74
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	14.72	21.20	24.66	27.72	31.74
7.	गुजरात	**राजस्व**					
		स्व-कर	999.46	1152.23	1194.76	1170.44	771.57
		स्व-कर-भिन्न	190.69	216.18	214.60	219.31	204.58
		स्व राजस्व	1190.15	1368.40	1409.36	1389.75	976.15
		समनुदेश + अंतरण	23.12	24.09	33.51	28.94	33.14
		सहायता अनुदान	214.44	272.10	320.53	285.81	189.14
		अन्य	73.57	170.93	152.65	116.28	68.33
		कुल अन्य राजस्व	311.13	467.12	506.70	431.04	290.61
		कुल राजस्व	1501.28	1835.52	1916.06	1820.79	1266.76
		व्यय					
		राजस्व व्यय	1264.14	1527.15	1494.46	1493.31	877.83
		पूंजी व्यय	375.81	655.24	611.08	417.32	430.37
		कुल व्यय	1639.96	2182.38	2105.54	1910.62	1308.20

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
8.	हरियाणा	**राजस्व**					
		स्व-कर	87.69	69.32	58.07	65.41	32.47
		स्व-कर-भिन्न	49.49	82.32	67.49	64.64	60.67
		स्व राजस्व	137.18	151.65	125.56	130.05	93.15
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	32.61	32.32	66.21	44.78	36.86
		अन्य	0.15	0.35	35.39	0.03	0.00
		कुल अन्य राजस्व	32.76	32.67	130.80	44.81	36.86
		कुल राजस्व	169.94	184.31	256.36	174.86	130.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	163.48	179.91	186.64	199.72	98.90
		पूंजी व्यय	12.53	7.30	15.47	20.07	0.18
		कुल व्यय	176.01	187.21	202.11	219.79	99.08
9.	हिमाचल प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	6.44	8.03	10.83	9.02	9.94
		स्व-कर-भिन्न	8.94	9.99	9.03	10.77	15.53
		स्व राजस्व	15.38	18.03	19.86	19.79	25.47
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	34.18	29.18	30.58	27.87	28.28
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	34.18	29.18	30.58	27.87	28.28
		कुल राजस्व	49.56	47.21	50.44	47.66	53.74
		व्यय					
		राजस्व व्यय	42.54	47.78	49.75	56.35	53.79
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	42.54	47.78	49.75	56.35	53.79
10.	जम्मू और कश्मीर	**राजस्व**					
		स्व-कर	3.04	4.75	6.41	5.56	2.78
		स्व-कर-भिन्न	2.73	4.52	4.63	5.35	2.60
		स्व राजस्व	5.78	9.28	11.04	10.91	5.38
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	38.75	58.84	77.70	79.08	86.30
		अन्य	8.73	7.53	5.78	6.26	5.46
		कुल अन्य राजस्व	47.48	66.37	83.48	85.34	91.76
		कुल राजस्व	53.26	75.65	94.52	96.25	97.14
		व्यय					
		राजस्व व्यय	26.19	29.61	37.39	37.58	44.14
		पूंजी व्यय	14.11	8.90	14.39	12.38	7.22
		कुल व्यय	40.30	38.52	51.78	49.95	51.36
11.	झारखंड	**राजस्व**					
		स्व-कर	6.50	13.48	10.73	12.97	14.74
		स्व-कर-भिन्न	0.35	0.47	0.48	1.03	1.27
		स्व राजस्व	6.84	13.95	11.21	14.01	16.01
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	5.10	3.07	2.28	36.41	10.42
		अन्य	0.35	0.62	0.45	1.54	0.00
		कुल अन्य राजस्व	5.45	3.69	2.73	37.95	10.42
		कुल राजस्व	12.29	17.64	13.94	51.95	26.43

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		व्यय					
		राजस्व व्यय	4.92	16.64	14.94	19.00	18.19
		पूंजी व्यय	2.91	4.34	9.23	117.93	101.90
		कुल व्यय	7.83	20.98	24.17	136.93	120.09
12.	कर्नाटक	**राजस्व**					
		स्व-कर	402.52	394.96	388.53	412.79	339.90
		स्व-कर-भिन्न	127.13	71.50	46.04	53.65	11.02
		स्व राजस्व	529.65	466.45	434.57	466.44	350.92
		समनुदेश + अंतरण	335.27	419.52	515.10	525.74	205.41
		सहायता अनुदान	134.68	112.91	145.39	126.70	0.00
		अन्य	21.67	4.34	12.02	30.22	0.00
		कुल अन्य राजस्व	491.62	536.77	672.52	682.65	205.41
		कुल राजस्व	1021.27	1003.23	1107.09	1149.09	556.33
		व्यय					
		राजस्व व्यय	490.52	501.63	654.66	671.11	411.31
		पूंजी व्यय	266.09	443.09	330.79	279.27	209.97
		कुल व्यय	756.61	944.72	985.45	950.38	621.28
13.	केरल	**राजस्व**					
		स्व-कर	98.90	122.64	143.24	128.37	180.02
		स्व-कर-भिन्न	53.61	61.12	66.04	97.62	115.88
		स्व राजस्व	152.51	183.76	209.28	225.99	295.90
		समनुदेश + अंतरण	32.15	28.79	29.57	36.98	45.18
		सहायता अनुदान	79.99	64.79	59.04	56.70	81.61
		अन्य	5.42	7.45	8.11	4.96	8.49
		कुल अन्य राजस्व	117.56	101.03	96.72	98.64	135.28
		कुल राजस्व	270.07	284.79	306.00	324.63	431.18
		व्यय					
		राजस्व व्यय	270.07	284.79	306.00	324.63	431.18
		पूंजी व्यय	214.53	216.71	154.21	164.54	150.47
		कुल व्यय	484.60	501.50	460.21	489.17	581.65
14.	मध्य प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	336.70	393.41	461.17	397.29	453.62
		स्व-कर-भिन्न	121.41	153.79	122.31	139.31	153.33
		स्व राजस्व	458.11	547.19	583.48	536.60	606.94
		समनुदेश + अंतरण	450.15	554.59	543.46	324.73	342.16
		सहायता अनुदान	6.54	6.43	6.05	304.59	204.64
		अन्य	3.86	38.73	16.90	15.87	46.07
		कुल अन्य राजस्व	460.55	599.75	566.41	645.19	592.87
		कुल राजस्व	918.66	1146.94	1149.89	1181.79	1199.81
		व्यय					
		राजस्व व्यय	1015.11	1267.38	1309.75	974.39	1074.02
		पूंजी व्यय	144.68	180.64	185.31	138.89	152.22
		कुल व्यय	1159.79	1448.02	1495.06	1113.28	1226.25
15.	महाराष्ट्र	**राजस्व**					
		स्व-कर	1415.20	1391.54	1609.55	1731.19	897.79
		स्व-कर-भिन्न	457.41	499.01	620.56	694.16	162.56
		स्व राजस्व	1872.61	1890.55	2230.11	2425.35	1060.35
		समनुदेश + अंतरण	2.81	4.16	4.16	7.02	5.84

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		सहायता अनुदान	614.55	696.34	650.63	674.65	486.51
		अन्य	145.90	170.33	185.01	186.55	173.74
		कुल अन्य राजस्व	763.26	870.83	839.80	868.22	666.09
		कुल राजस्व	2635.87	2761.38	3069.91	3293.57	1726.44
		व्यय					
		राजस्व व्यय	1789.41	2116.60	2416.44	2862.95	1522.16
		पूंजी व्यय	775.58	807.59	1286.09	1257.12	612.15
		कुल व्यय	2564.99	2924.20	3702.53	4120.07	2134.30
16.	मणिपुर	**राजस्व**					
		स्व-कर	1.33	1.83	1.81	1.50	1.85
		स्व-कर-भिन्न	0.59	1.04	0.86	0.74	0.88
		स्व राजस्व	1.91	2.87	2.67	2.24	2.74
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	25.28	24.14	43.24	44.16	39.83
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	25.28	24.14	43.24	44.16	39.83
		कुल राजस्व	27.20	27.01	45.91	46.40	42.56
		व्यय					
		राजस्व व्यय	28.33	26.80	46.19	46.58	42.57
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	28.33	26.80	46.19	46.58	42.57
17.	मेघालय	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.85	0.93	1.40	1.11	1.09
		स्व-कर-भिन्न	2.61	2.09	2.19	2.86	2.21
		स्व राजस्व	3.46	3.02	3.59	3.97	3.30
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	1.25	1.40	1.45	1.65	1.54
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	1.25	1.40	1.45	1.65	1.54
		कुल राजस्व	4.70	4.42	5.03	5.62	4.84
		व्यय					
		राजस्व व्यय	4.16	4.68	5.44	5.98	6.02
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	4.16	4.68	5.44	5.98	6.02
18.	मिजोरम	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.73	0.73	1.58	1.66	1.56
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.73	0.73	1.58	1.66	1.56

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
19.	नागालैंड	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	2.97	2.58	2.75	3.02
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.07	0.08	0.08
		स्व राजस्व	0.00	2.97	2.65	2.82	3.10
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.80	0.73	1.00	0.13	0.25
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.80	0.73	1.00	0.13	0.25
		कुल राजस्व	0.80	3.70	3.65	2.95	3.35
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	2.84	2.65	2.71	0.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.00	2.84	2.65	2.71	0.00
20.	उड़ीसा	**राजस्व**					
		स्व-कर	54.16	12.43	14.98	16.03	15.69
		स्व-कर-भिन्न	18.46	20.28	22.31	24.54	27.00
		स्व राजस्व	72.61	32.72	37.29	40.57	42.69
		समनुदेश + अंतरण	0.00	31.97	85.00	94.99	105.00
		सहायता अनुदान	22.09	24.41	23.84	24.99	23.87
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	22.09	56.38	108.84	119.98	128.87
		कुल राजस्व	94.71	89.10	146.13	160.55	171.56
		व्यय					
		राजस्व व्यय	85.51	84.37	146.13	160.56	171.56
		पूंजी व्यय	9.20	4.72	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	94.71	89.10	146.13	160.56	171.56
21.	पंजाब	**राजस्व**					
		स्व-कर	348.14	453.35	490.52	473.47	465.63
		स्व-कर-भिन्न	119.16	143.28	189.11	209.76	175.41
		स्व राजस्व	467.30	596.63	679.63	683.23	641.04
		समनुदेश + अंतरण	16.78	11.53	8.98	27.48	20.89
		सहायता अनुदान	14.08	9.81	10.62	37.29	12.94
		अन्य	7.15	11.51	11.01	10.19	11.18
		कुल अन्य राजस्व	38.01	32.84	30.61	74.96	45.01
		कुल राजस्व	505.31	629.47	710.24	758.19	686.05
		व्यय					
		राजस्व व्यय	377.76	441.79	509.09	519.37	415.52
		पूंजी व्यय	85.93	169.39	177.35	186.49	147.52
		कुल व्यय	463.69	611.18	686.44	705.86	563.03
22.	राजस्थान	**राजस्व**					
		स्व-कर	106.53	14.76	20.67	24.15	25.35
		स्व-कर-भिन्न	81.18	67.98	87.87	147.45	146.81
		स्व राजस्व	187.70	82.74	108.55	171.59	172.16
		समनुदेश + अंतरण	17.50	19.97	23.90	27.61	29.10
		सहायता अनुदान	168.95	103.38	144.22	185.12	148.93
		अन्य	194.14	320.66	352.72	370.36	388.88
		कुल अन्य राजस्व	380.59	444.01	520.84	583.09	566.91
		कुल राजस्व	568.29	526.75	629.39	754.68	739.06

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		व्यय					
		राजस्व व्यय	400.96	398.16	457.52	500.26	539.83
		पूंजी व्यय	136.94	114.09	160.28	188.45	189.67
		कुल व्यय	537.90	512.26	617.80	688.71	729.50
23.	सिक्किम	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व-कर-भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		स्व राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		व्यय					
		राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पूंजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	**राजस्व**					
		स्व-कर	328.59	490.60	473.76	521.54	583.25
		स्व-कर-भिन्न	266.83	265.33	378.22	390.43	418.52
		स्व राजस्व	595.42	755.93	851.98	911.97	1001.77
		समनुदेश + अंतरण	559.03	642.29	610.92	452.86	895.30
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	108.25	97.81	242.43	152.59	174.07
		कुल अन्य राजस्व	667.28	740.10	853.35	605.45	1069.37
		कुल राजस्व	1262.70	1496.03	1705.33	1517.42	2071.14
		व्यय					
		राजस्व व्यय	891.44	1040.51	1180.81	1189.20	1489.58
		पूंजी व्यय	556.96	633.71	616.29	498.47	659.82
		कुल व्यय	1448.40	1674.22	1797.10	1687.67	2149.40
25.	त्रिपुरा	**राजस्व**					
		स्व-कर	0.68	1.04	1.12	1.23	1.25
		स्व-कर-भिन्न	0.77	0.86	0.90	1.55	1.02
		स्व राजस्व	1.45	1.90	2.02	2.78	2.27
		समनुदेश + अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
		सहायता अनुदान	10.44	15.76	16.70	17.78	8.42
		अन्य	1.47	0.83	3.16	0.85	1.14
		कुल अन्य राजस्व	11.91	16.58	19.86	18.63	16.47
		कुल राजस्व	13.36	18.48	21.88	21.41	18.74
		व्यय					
		राजस्व व्यय	8.82	12.63	15.91	11.55	12.49
		पूंजी व्यय	3.09	3.46	3.95	8.64	3.98
		कुल व्यय	11.91	16.08	19.86	20.19	16.47
26.	उत्तर प्रदेश	**राजस्व**					
		स्व-कर	92.52	107.19	123.53	142.50	164.55
		स्व-कर-भिन्न	91.27	94.77	108.15	143.53	164.87
		स्व राजस्व	183.79	201.96	231.68	286.03	329.42
		समनुदेश + अंतरण	504.22	537.89	620.92	684.11	0.00

क्र.सं.	राज्य	मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	28.68	28.68	45.07	45.57	25.26
		कुल अन्य राजस्व	532.90	566.57	665.99	729.68	25.26
		कुल राजस्व	716.69	768.53	897.67	1015.71	354.68
		व्यय					
		राजस्व व्यय	687.95	801.33	881.46	969.61	1066.57
		पूंजी व्यय	43.94	53.21	58.53	64.38	70.82
		कुल व्यय	731.89	854.54	939.99	1033.99	1137.39
27.	उत्तरांचल	**राजस्व**					
		स्व-कर	6.96	9.06	10.10	11.11	12.15
		स्व-कर-भिन्न	6.72	10.16	11.00	12.10	13.31
		स्व राजस्व	13.68	19.22	21.10	23.21	25.46
		समनुदेश + अंतरण	40.10	35.53	45.53	42.00	48.61
		सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अन्य	1.42	7.30	5.97	7.16	7.88
		कुल अन्य राजस्व	41.52	42.83	51.50	49.16	56.49
		कुल राजस्व	55.19	62.06	72.60	72.37	81.95
		व्यय					
		राजस्व व्यय	35.46	87.21	53.72	59.09	65.00
		पूंजी व्यय	12.76	21.07	20.48	22.53	24.76
		कुल व्यय	48.22	108.28	74.20	81.62	89.75
28.	पश्चिम बंगाल	**राजस्व**					
		स्व-कर	154.34	173.74	190.57	278.78	350.62
		स्व-कर-भिन्न	145.23	154.63	164.18	177.37	245.41
		स्व राजस्व	299.57	328.37	354.75	456.15	596.03
		समनुदेश + अंतरण	0.00	86.81	151.20	182.14	46.44
		सहायता अनुदान	324.80	657.72	502.77	559.68	499.35
		अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल अन्य राजस्व	324.80	744.53	653.97	741.82	545.79
		कुल राजस्व	624.37	1072.90	1008.72	1197.98	1141.82
		व्यय					
		राजस्व व्यय	641.12	859.89	836.01	843.14	858.80
		पूंजी व्यय	116.67	112.16	128.11	0.00	131.09
		कुल व्यय	757.79	972.05	964.11	843.14	989.89

मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03

शहरी स्थानीय निकायों (सभी स्तर) का अखिल भारतीय राजस्व और व्यय

(करोड़ रुपए)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व					
स्व-कर	4755.52	5151.01	5617.57	5885.81	4941.18
स्व-कर-भिन्न	2117.90	2228.84	2642.95	2874.35	2419.11
स्व राजस्व	6873.42	7379.86	8260.52	8760.16	7360.28
समनुदेश + अंतरण	2208.32	2646.60	2981.84	2744.63	2228.90
सहायता अनुदान	1807.86	2251.21	2239.24	2671.65	2075.97
अन्य	625.03	895.30	1099.45	972.76	931.35
कुल अन्य राजस्व	4641.22	5793.10	6320.52	6389.04	5236.22
कुल राजस्व	11514.64	13172.96	14581.04	15149.20	12596.50
व्यय					
राजस्व व्यय	9059.47	10690.30	11665.88	12204.78	10671.63
पूंजी व्यय	2975.47	3761.36	4077.17	3709.51	3325.40
कुल व्यय	12034.95	14451.67	15743.05	15914.29	13997.02

स्रोतः विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त भरी गई प्रश्नावली

अनुबंध 8.10
(पैरा 8.28)

एसएफसी का गठन और इसकी रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण और उस पर की गई कार्रवाई

प्रथम सीएफसी का गठन और उसकी रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण और उस पर की गई कार्रवाई

(22.11.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	एसएफसी के गठन की तारीख	एसएफसी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तारीख	एटीआर के के प्रस्तुतीकरण की तारीख	एसएफसी द्वारा शामिल की गई अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22.6.1994	31.5.1997	29.11.1997	1997-98 से 1999-2000
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.5.2003	6.6.2003	3.7.2003	2003-04 से 2005-06
3.	असम	23.6.1995	29.2.1996	18.3.1996	1996-97 से 2000-01
4.	बिहार	23.4.1994/2.6.1999*	प्रस्तुत नहीं किया है	प्रस्तुत नहीं किया है	
5.	छत्तीसगढ़	22.8.2003	प्रस्तुत नहीं किया है		
6.	गोवा	1.4.1999	5.6.1999	12.11.2001	2000-01 से 2004-05
7.	गुजरात	15.9.1994	आरएलबी 13.7.1998, यूएलबी अक्तूबर,1998	प्रस्तुत किया है	1996-97 से 2000-01
8.	हरियाणा	31.5.1994	31.3.1997	1.9.2000	1997-98 से 2000-01
9.	हिमाचल प्रदेश	23.4.1994	30.11.96	5.2.1997	1996-97 से 2000-01
10.	जम्मू और कश्मीर	24.4.2001	मई,2003	प्रस्तुत नहीं किया है	2004-2005 (अंतरिम)
11.	झारखंड	28.01.2004	प्रस्तुत नहीं किया है		निर्दिष्ट नहीं है
12.	कर्नाटक	10.6.1994	आरएलबी -5.8.1996, यूएलबी 30.1.1996	31.3.1997	1997-98 से 2001-02
13.	केरल	23.4.1994	29.2.1996	13.3.1997	1996-97 से 2000-01
14.	मध्य प्रदेश	17.8.1994	20.7.1996	20 जुलाई,1996	1996-97 से 2000-01
15.	महाराष्ट्र	23.4.1994	31.1.1997	5.3.1999	1996-97 से 2000-01 #
16.	मणिपुर	22.4.1994/31.5.1996	दिसम्बर, 1996	28.7.1997	1996-97 से 2000-01
17.	मेघालय	एसएफसी का गठन अब तक नहीं किया है	73वां संशोधन लागू नहीं है क्योंकि स्वायत्त सरकार की पारंपरिक स्थानीय संस्थाएं इन अनुसूची VI के राज्यों में मौजूद हैं।		
18.	मिजोरम	एसएफसी का गठन अब तक नहीं किया है			
19.	नागालैंड	एसएफसी का गठन अब तक नहीं किया है			
20.	उड़ीसा	21.11.1996/24.8.1998 *	30.12.1998	9.7.1999	1998-99 से 2004-05 $
21.	पंजाब	जुलाई,1994	31.12.1995	13.9.1996	1996-97 से 2000-01
22.	राजस्थान	23.4.1994	31.12.1995	16.3.1996	1995-96 से 1999-2000
23.	सिक्किम	23.4.1997/22.7.1998 *	16.08.1999	जून, 2000	2000-01 से 2004-05
24.	तमिलनाडु	23.4.1994	29.11.1996	28.4.1997	1997-98 से 2001-02
25.	त्रिपुरा	आरएलबी -23.4.94, यूएलबी -19.8.1996	आरएलबी -12.1.96, यूएलबी 17.9.1999	आरएलबी -01.04.97 यूएलबी-27.11.2000	आरएलबी जनवरी,1996. जनवरी,2001 यूएलबी -1999-00 से 2003-04
26.	उत्तर प्रदेश	22.10.1994	26.12.1996	20.1.1998	1996-97 से 2000-01
27.	उत्तरांचल	31.1.2001	2002	3.7.2004	2001-02 से 2005-06
28.	पश्चिम बंगाल	30.5.1994	27.11.1995	22.7.1996	1996-97 से 2000-01

टिप्पणी: *पुनर्गठन की तारीख। गुजरात के संबंध में, आरएलबी पर एसएफसी रिपोर्ट एसएफसी के गठन से पहले प्रस्तुत की थी।

एटीआर के अनुसार, एसएफसी सिफारिशें 1.4.1999 से प्रभावी होंगी।

$ चूंकि एसएफसी को 1.4.1998 से पांच वर्षों की अवधि को शामिल करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था, इसलिए इस की रिपोर्ट में वर्ष 1998-99 से 2004-2005 तक की अवधि शामिल है।

स्रोत: राज्य सरकार और एसएफसी रिपोर्टें।

अनुबंध 8.10 (जारी...)

दूसरे एसएफसी का गठन और इसकी रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण और उस पर की गई कार्रवाई

(22.11.2004 की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	एसएफसी के गठन की तारीख	एसएफसी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तारीख	एटीआर के के प्रस्तुतीकरण की तारीख	एसएफसी द्वारा शामिल की गई अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8.12.1998	19.08.2002	31.3.2003	2000-01 से 2004-05
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित नहीं			
3.	असम	18.4.2001	18.08.2003	प्रस्तुत नहीं किया है	2001-02 से 2005-06
4.	बिहार	जून,1999	आरएलबी सित.,2001	प्रस्तुत नहीं किया है	
			यूएलबी-जन., 2003	प्रस्तुत नहीं किया है	
5.	छत्तीसगढ़	गठित नहीं			
6.	गोवा	गठित नहीं			
7.	गुजरात	19.11.2003	प्रस्तुत नहीं किया है		2005-06 से 2009-10
8.	हरियाणा	6.9.2000	प्रस्तुत नहीं किया है		2001-02 से 2005-06
9.	हिमाचल प्रदेश	25.5.1998	24.10.2002	24.06.2003	2002-03 से 2006-07
10.	जम्मू और कश्मीर	गठित नहीं			
11.	झारखंड	गठित नहीं			
12.	कर्नाटक	अक्तूबर, 2000	दिसम्बर, 2002	प्रस्तुत नहीं किया है	2003-04 से 2007-08
13.	केरल	23.06.1999	जनवरी, 2001	प्रस्तुत नहीं किया है	2000-01 से 2005-06
14.	मध्य प्रदेश	17.06.1999	जुलाई, 2003	प्रस्तुत नहीं किया है	2001-02 से 2005-06
15.	महाराष्ट्र	22.06.1999	30.3.2002	प्रस्तुत नहीं किया है	2001-02 से 2005-06
16.	मणिपुर	03.01.2003	प्रस्तुत	प्रस्तुत नहीं किया है	2001-02 से 2005-06
17.	मेघालय				
18.	मिजोरम				
19.	नागालैंड				
20.	उड़ीसा	5.6.2003	25.10.2003	प्रस्तुत नहीं किया है	2005-06 से 2009-10
21.	पंजाब	सित., 2000	15.2.2002	08.06.2002	2001-02 से 2005-06
22.	राजस्थान	07.05.1999	30.08.2001	26.03.2002	2000-01 से 2004-05
23.	सिक्किम	जुलाई, 2003	प्रस्तुत नहीं किया है		*
24.	तमिलनाडु	2.12.1999	21.5.2001	8.5.2002	2002-03 से 2006-07
25.	त्रिपुरा	29.10.1999	10.4.2003	प्रस्तुत नहीं किया है	2003-04 से 2007-08
26.	उत्तर प्रदेश	फरवरी, 2000	जून, 2002	30.04.2004	2001-02 से 2005-06
27.	उत्तरांचल	गठित नहीं			
28.	पश्चिम बंगाल	14.7.2000	6.2.2002	प्रस्तुत नहीं किया है	2001-02 से 2005-06
			तीसरे एसएफसी का गठन		
1.	आंध्र प्रदेश	16-01-2003	प्रस्तुत नहीं किया है	-	2005-06 से 2009-10
2.	केरल	20-09-2004	प्रस्तुत नहीं किया है	-	2006-07 से 2011-12
3.	पंजाब	20-09-2004	प्रस्तुत नहीं किया है	-	2006-07 से 2011-12

टिप्पणी : * कवरेज की कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

स्रोत : राज्य सरकार और एसएफसी रिपोर्टें।

अनुबंध 8.11

(पैरा 8.44, 8.49)

राज्य-वार जनसंख्या और क्षेत्र : 2001

क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या 2001 (करोड़) ग्रामीण	शहरी	क्षेत्र 2001 ('000 वर्ग कि.मी.) ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	5.54	2.08	270.30	4.75
2	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.02	83.74	0.00
3	असम	2.32	0.34	77.48	0.96
4	बिहार	7.43	0.87	92.36	1.80
5	छत्तीसगढ़	1.66	0.42	133.33	1.87
6	गोवा	0.07	0.07	3.19	0.51
7	गुजरात	3.17	1.89	190.80	5.23
8	हरियाणा	1.50	0.61	42.93	1.28
9	हिमाचल प्रदेश	0.55	0.06	55.43	0.24
10	जम्मू और कश्मीर	0.76	0.25	221.29	0.95
11	झारखंड	2.10	0.60	77.92	1.79
12	कर्नाटक	3.49	1.80	186.62	5.17
13	केरल	2.36	0.83	35.61	3.25
14	मध्य प्रदेश	4.44	1.60	301.28	6.96
15	महाराष्ट्र	5.58	4.11	300.36	7.36
16	मणिपुर	0.17	0.06	22.18	0.14
17	मेघालय	0.19	0.05	22.20	0.23
18	मिजोरम	0.04	0.04	20.49	0.59
19	नागालैंड	0.16	0.03	16.43	0.15
20	उड़ीसा	3.13	0.55	152.91	2.79
21	पंजाब	1.61	0.83	48.28	2.08
22	राजस्थान	4.33	1.32	336.81	5.43
23	सिक्किम	0.05	0.01	7.10	0.00
24	तमिलनाडु	3.49	2.75	117.53	12.53
25	त्रिपुरा	0.27	0.05	10.35	0.14
26	उत्तर प्रदेश	13.17	3.45	234.37	6.56
27	उत्तरांचल	0.63	0.22	52.69	0.80
28	पश्चिम बंगाल	5.77	2.24	85.43	3.32
	भारत	74.07	27.15	3199.40	76.88

स्रोतः भारत के महापंजीयक, जनगणना 2001

अनुबंध 8.12
(पैरा 8.44, 8.49)

राज्यों के तुलनीयता जीएसडीपी और अनुमानित जनसंख्या

(करोड़)

		चालू मूल्य पर जीएसडीपी तुलनीय अनुमान (रुपए)						अनुमानित जनसंख्या (1 अक्तूबर के अनुसार) (व्यक्ति)					
		प्राथमिक			शेष			ग्रामीण			शहरी		
	राज्य	1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02
1	आंध्र प्रदेश	40723	47676	51317	85042	96241	106915	5.44	5.51	5.58	2.04	2.07	2.10
2	अरुणाचल प्रदेश	599	666	670	1029	1132	1301	0.09	0.09	0.09	0.02	0.02	0.02
3	असम	13951	15225	15706	15426	18597	18821	2.27	2.31	2.34	0.33	0.34	0.35
4	बिहार	23393	28719	25563	24806	29196	29125	7.17	7.35	7.54	0.84	0.86	0.88
5	छत्तीसगढ़	11210	10424	13144	16130	16239	18086	1.63	1.66	1.68	0.40	0.41	0.43
6	गोवा	1080	1094	1053	5832	6604	7021	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
7	गुजरात	21189	16799	24145	87712	90774	101109	3.10	3.15	3.20	1.82	1.87	1.92
8	हरियाणा	17201	18051	18508	33852	36095	40776	1.46	1.49	1.52	0.58	0.60	0.63
9	हिमाचल प्रदेश	3392	4379	4847	9776	10795	11729	0.54	0.54	0.55	0.06	0.06	0.06
10	जम्मू और कश्मीर	6327	5940	6154	11472	11676	12667	0.74	0.75	0.77	0.24	0.25	0.26
11	झारखंड	11489	9629	12659	21393	18561	20047	2.04	2.08	2.12	0.58	0.59	0.61
12	कर्नाटक	31823	34606	30304	67373	76161	85488	3.43	3.47	3.51	1.73	1.78	1.82
13	केरल	18893	19015	16899	49040	55842	57753	2.33	2.35	2.37	0.82	0.82	0.83
14	मध्य प्रदेश	29921	25238	30625	49253	50062	54671	4.31	4.40	4.49	1.54	1.58	1.62
15	महाराष्ट्र	41938	40997	44396	208171	211285	231297	5.47	5.55	5.62	3.94	4.06	4.18
16	मणिपुर	921	1098	1159	2404	3713	2953	0.17	0.17	0.17	0.06	0.06	0.06
17	मेघालय	1096	1148	1469	2167	2419	2703	0.18	0.18	0.19	0.04	0.04	0.05
18	मिजोरम	438	639	598	1148	1342	1474	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
19	नागालैंड	1021	1364	1538	2208	2871	3003	0.15	0.16	0.17	0.03	0.03	0.04
20	उड़ीसा	15503	15010	17140	23318	25135	27059	3.07	3.11	3.15	0.53	0.55	0.56
21	पंजाब	25805	28297	29633	36819	39425	42891	1.58	1.60	1.62	0.79	0.82	0.84
22	राजस्थान	25106	24273	27632	54492	57704	63397	4.18	4.29	4.39	1.27	1.31	1.34
23	सिक्किम	225	276	285	686	872	1010	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01
24	तमिलनाडु	24660	26678	24796	104993	118179	120274	3.52	3.50	3.48	2.61	2.71	2.81
25	त्रिपुरा	1641	1905	2336	3420	4110	4749	0.26	0.26	0.27	0.05	0.05	0.06
26	उत्तर प्रदेश	63494	65741	69744	104593	109724	119841	12.77	13.05	13.33	3.32	3.41	3.51
27	उत्तरांचल	4768	6374	5331	7519	9156	9885	0.62	0.63	0.64	0.21	0.22	0.22
28	पश्चिम बंगाल	42864	44011	50438	84079	92196	102948	5.65	5.74	5.83	2.19	2.23	2.27
		480673	**495270**	**528092**	**1114152**	**1196107**	**1298992**	**72.32**	**73.55**	**74.81**	**26.14**	**26.85**	**27.58**

स्रोतः- तुलनीय जीएसडीपी, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।
जनसंख्या अनुमान जनगणना 2001 ओर 1991 के परिणाम पर आधारित, आरजीआई।

अनुबंध 8.13
(पैरा 8.48, 8.49)

पंचायती राज संस्थाओं के राज्य-वार स्व राजस्व(सभी स्तरों पर)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	स्व राजस्व की धनराशि (2000-01 से 2002-03)	राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (2000-01 से 2002-03)	राज्यों के अपने राजस्व के संबंध में हिस्सा (प्रतिशत)	स्व राजस्व की धनराशि (1999-00 से 2001-02)	राज्य जीएसडीपी की धन राशि (प्राथमिक क्षेत्र) (1999-00 से 2001-02)	जीएसडीपी के संबंध में हिस्सा (प्रतिशत)
1.	आंध्र प्रदेश	136.29	151.65	160.85	170.85	483.35	43910.07	10.617	448.79	139716	9.743
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91	0.000	0.00	1935	0.000
3.	असम	7.17	7.32	7.47	7.61	22.40	6654.14	1.361	21.95	44882	0.622
4.	बिहार	3.01	7.71	3.59	6.67	10.26	5628.46	2.359	14.31	77675	0.749
5.	छत्तीसगढ़	54.51	57.39	56.72	57.87	114.59	5999.00	5.537	168.63	34778	4.419
6.	गोवा	7.29	7.65	7.47	8.01	23.14	4657.79	0.059	22.41	3226	0.258
7.	गुजरात	80.01	75.92	71.72	69.86	217.49	38928.07	3.087	227.65	62134	6.367
8.	हरियाणा	57.93	70.14	76.24	78.36	224.74	19746.90	2.978	204.31	53761	3.127
9.	हिमाचल प्रदेश	2.46	3.35	4.25	5.39	12.99	3082.29	0.402	10.06	12618	0.239
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4353.30	0.000	0.00	18422	0.000
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.00	0.000	0.00	33777	0.000
12.	कर्नाटक	57.27	66.83	52.36	59.46	178.65	33366.73	3.252	176.46	96733	3.484
13.	केरल	238.49	219.66	193.74	226.01	639.41	20976.44	12.511	651.89	54807	15.352
14.	मध्य प्रदेश	128.38	142.09	142.45	174.81	317.27	14080.80	17.410	412.92	85785	11.696
15.	महाराष्ट्र	284.73	327.98	384.29	470.07	1182.34	78577.80	14.612	997.00	127331	23.911
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.12	0.000	0.00	3179	0.000
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.99	0.000	0.00	3713	0.000
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.39	0.000	0.00	1674	0.000
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.57	0.000	0.00	3923	0.000
20.	उड़ीसा	8.66	9.06	8.81	5.51	23.38	9861.13	1.291	26.52	47653	0.953
21.	पंजाब	83.65	80.67	65.03	98.77	244.46	25357.26	2.702	229.34	83735	2.414
22.	राजस्थान	36.62	36.89	37.14	37.68	111.71	21989.88	3.829	110.65	77011	3.405
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.34	0.000	0.00	787	0.000
24.	तमिलनाडु	59.50	57.20	62.37	65.44	185.01	44761.77	2.513	179.07	76134	4.497
25.	त्रिपुरा	0.48	0.49	0.52	0.60	1.61	758.05	0.098	1.49	5882	0.037
26.	उत्तर प्रदेश	53.30	58.83	59.26	63.17	122.43	26797.76	10.472	171.39	198979	6.209
27.	उत्तरांचल	5.15	4.87	4.89	6.10	10.99	2448.72	0.493	14.91	16473	0.313
28.	पश्चिम बंगाल	29.62	32.53	33.61	31.27	97.40	22170.34	4.417	95.76	137312	2.205
	कुल	**1334.51**	**1418.24**	**1432.77**	**1643.51**	**4223.62**	**444020.02**	**100.000**	**4185.51**	**1504035**	**100.000**

स्रोतः राज्य सरकारें और सीएसओ

अनुबंध 8.14
(पैरा 8.48, 8.49)

शहरी स्थानीय निकायों के राज्य-वार स्व राजस्व(सभी स्तर)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	स्व राजस्व की धनराशि (2000-01 से 2002-03)	राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (2000-01 से 2002-03)	राज्यों के अपने राजस्व के संबंध में हिस्सा (प्रतिशत)	स्व राजस्व की धनराशि (1999-00 से 2001-02)	राज्य जीएसडीपी की धन राशि (प्राथमिक क्षेत्र) (1999-00 से 2001-02)	जीएसडीपी के संबंध में हिस्सा (प्रतिशत)
1.	आंध्र प्रदेश	511.62	629.16	717.86	857.03	2204.05	43910.07	7.610	1858.64	288197	7.555
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91	0.000	0.00	3463	0.000
3.	असम	29.91	35.65	36.46	43.13	115.25	6654.14	0.434	102.02	52844	0.374
4.	बिहार	50.51	56.00	56.43	75.66	132.09	5628.46	1.484	162.94	83127	0.958
5.	छत्तीसगढ़	92.09	188.53	125.55	110.34	235.90	5999.00	1.199	406.18	50454	1.897
6.	गोवा	18.14	20.81	20.40	23.87	65.09	4657.79	0.068	59.35	19457	0.115
7.	गुजरात	1368.40	1409.36	1389.75	976.15	3775.27	38928.07	13.376	4167.52	279595	15.885
8.	हरियाणा	151.65	125.56	130.05	93.15	348.75	19746.90	0.787	407.25	110723	1.266
9.	हिमाचल प्रदेश	18.03	19.86	19.79	25.47	65.12	3082.29	0.092	57.68	32300	0.060
10.	जम्मू और कश्मीर	9.28	11.04	10.91	5.38	27.33	4353.30	0.115	31.22	35815	0.124
11.	झारखंड	13.95	11.21	14.01	16.01	30.02	5174.00	0.253	39.17	60000	0.220
12.	कर्नाटक	466.45	434.57	466.44	350.92	1251.93	33366.73	4.910	1367.46	229022	6.038
13.	केरल	183.76	209.28	225.99	295.90	731.17	20976.44	2.099	619.03	162635	1.771
14.	मध्य प्रदेश	547.19	583.48	536.60	606.94	1143.55	14080.80	9.448	1667.27	153986	9.733
15.	महाराष्ट्र	1890.55	2230.11	2425.35	1060.35	5715.81	78577.80	21.783	6546.01	650753	23.275
16.	मणिपुर	2.87	2.67	2.24	2.74	7.64	292.12	0.110	7.78	9069	0.028
17.	मेघालय	3.02	3.59	3.97	3.30	10.86	672.99	0.053	10.58	7288	0.037
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.39	0.000	0.00	3964	0.000
19.	नागालैंड	2.97	2.65	2.82	3.10	8.57	289.57	0.074	8.44	8082	0.020
20.	उड़ीसा	32.72	37.29	40.57	42.69	120.55	9861.13	0.491	110.58	75512	0.455
21.	पंजाब	596.63	679.63	683.23	641.04	2003.90	25357.26	4.757	1959.49	119134	7.651
22.	राजस्थान	82.74	108.55	171.59	172.16	452.30	21989.88	1.980	362.88	175593	1.537
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.34	0.000	0.00	2568	0.000
24.	तमिलनाडु	755.93	851.98	911.97	1001.77	2765.72	44761.77	12.373	2519.88	343446	11.352
25.	त्रिपुरा	1.90	2.02	2.78	2.27	7.08	758.05	0.037	6.70	12278	0.017
26.	उत्तर प्रदेश	201.96	231.68	286.03	329.42	615.45	26797.76	5.780	719.67	334158	4.188
27.	उत्तरांचल	19.22	21.10	23.21	25.46	48.66	2448.72	0.316	63.53	26560	0.293
28.	पश्चिम बंगाल	328.37	354.75	456.15	596.03	1406.93	22170.34	10.370	1139.27	279224	5.151
	कुल	**7376.28**	**8259.61**	**8760.16**	**7360.28**	**23288.96**	**444020.02**	**100.000**	**24396.05**	**3609251**	**100.000**

स्रोतः राज्य सरकारें और सीएसओ

अनुबंध 8.15
(पैरा 8.46, 8.49)

अभावग्रस्त परिवारों का वितरण - 2001 (ग्रामीण)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	राज्य	दूर से पानी लाने वाले परिवार	जल निकासी रहित परिवार	शौचालय रहित परिवार	अभाव सूचकांक 5=(.5*2+.25)(3+4)	राज्य का हिस्सा
	1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	21.91	58.57	81.85	46.06	7.663
2	अरुणाचल प्रदेश	19.79	73.93	52.66	41.54	0.101
3	असम	24.47	85.00	40.43	43.59	2.928
4	बिहार	12.57	65.14	86.09	44.09	9.557
5	छत्तीसगढ़	22.33	88.69	94.82	57.04	3.208
6	गोवा	14.29	66.79	51.79	36.79	0.063
7	गुजरात	20.77	86.35	78.35	51.56	5.254
8	हरियाणा	26.60	28.28	71.34	38.21	1.495
9	हिमाचल प्रदेश	14.27	69.17	72.28	42.50	0.662
10	जम्मू और कश्मीर	31.99	73.21	58.20	48.85	1.160
11	झारखंड	26.69	82.29	93.43	57.27	4.061
12	कर्नाटक	26.12	64.61	82.60	49.86	5.482
13	केरल	13.50	84.01	18.67	32.42	1.670
14	मध्य प्रदेश	27.33	80.16	91.06	56.47	8.426
15	महाराष्ट्र	17.23	58.86	81.79	43.78	7.085
16	मणिपुर	33.58	67.21	22.50	39.22	0.179
17	मेघालय	32.30	73.69	59.90	49.55	0.290
18	मिजोरम	37.92	75.21	20.26	42.83	0.055
19	नागालैंड	33.45	61.42	35.36	40.92	0.186
20	उड़ीसा	32.39	85.15	92.29	60.55	6.572
21	पंजाब	4.18	21.92	59.09	22.34	0.337
22	राजस्थान	28.57	76.83	85.39	54.84	7.870
23	सिक्किम	20.87	68.40	40.65	37.70	0.047
24	तमिलनाडु	13.32	72.64	85.64	46.23	4.861
25	त्रिपुरा	31.42	76.30	22.07	40.30	0.291
26	उत्तर प्रदेश	11.25	35.01	80.77	34.57	10.727
27	उत्तरांचल	20.45	65.05	68.40	43.59	0.796
28	पश्चिम बंगाल	20.44	84.09	73.07	49.51	8.975
	भारत	19.54	65.82	78.08	45.74	100.000

स्रोत:घरों, घरेलू-सुविधाओं और परिसंपत्तियों संबंधी आंकड़ों पर आधारित, आरजीआई, 2001 ।

अनुबंध 8.16
(पैरा 8.46, 8.49)

अभावग्रस्त परिवारों का वितरण - 2001 (शहरी)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	राज्य	दूर से पानी लाने वाले परिवार	जल निकासी रहित परिवार	शौचालय रहित परिवार	अभाव सूचकांक 5=(.5*2+.25) (3+4)	राज्य का हिस्सा
	1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	13.50	17.71	21.93	16.66	7.575
2	अरुणाचल प्रदेश	11.40	36.74	13.05	18.15	0.091
3	असम	10.54	47.38	5.40	18.47	1.406
4	बिहार	8.56	31.39	30.31	19.71	3.814
5	छत्तीसगढ़	13.67	37.04	47.41	27.95	2.690
6	गोवा	7.95	30.97	30.77	19.41	0.290
7	गुजरात	6.49	21.71	19.45	13.53	5.434
8	हरियाणा	7.45	11.59	19.34	11.46	1.442
9	हिमाचल प्रदेश	6.31	13.92	22.78	12.33	0.153
10	जम्मू और कश्मीर	6.11	18.16	13.13	10.88	0.557
11	झारखंड	16.73	27.64	33.32	23.60	3.210
12	कर्नाटक	13.83	19.03	24.77	17.87	7.076
13	केरल	7.43	69.11	7.98	22.98	4.300
14	मध्य प्रदेश	15.32	24.07	32.26	21.74	7.817
15	महाराष्ट्र	5.66	12.42	41.92	16.42	14.720
16	मणिपुर	22.58	42.86	4.69	23.18	0.302
17	मेघालय	17.12	23.34	8.42	16.50	0.164
18	मिजोरम	19.38	37.00	1.97	19.43	0.191
19	नागालैंड	21.10	27.76	5.88	18.96	0.144
20	उड़ीसा	20.86	42.51	40.31	31.13	3.979
21	पंजाब	1.45	10.23	13.48	6.65	0.969
22	राजस्थान	8.18	19.81	23.89	15.01	4.275
23	सिक्किम	2.84	5.81	8.21	4.93	0.004
24	तमिलनाडु	10.43	29.98	35.67	21.63	13.376
25	त्रिपुरा	9.87	46.94	3.04	17.43	0.209
26	उत्तर प्रदेश	5.38	7.62	19.99	9.60	6.557
27	उत्तरांचल	5.24	11.76	13.12	8.84	0.373
28	पश्चिम बंगाल	11.90	32.86	15.15	17.95	8.881
	भारत	**9.38**	**22.13**	**26.28**	**16.79**	**100.000**

स्रोत:घरों, घरेलू-सुविधाओं और परिसंपत्तियों संबंधी आंकड़ों पर आधारित, आरजीआई, 2001 ।

अनुबंध 8.17
(पैरा 8.49)

पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवंटन में राज्यों का संयुक्त हिस्सा

	राज्य	ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात (2001)	ग्रामीण क्षेत्र का अनुपात (2001)	उच्चतम पीसीआई (प्राथमिक) से दूरी	पंचायतों के राजस्व प्रयास: राज्यों के निजी राजस्व के संबंध में	पंचायतों के राजस्व प्रयास: जीएसडीपी (प्राथमिक क्षेत्र छोड़कर) के संबंध में	अभाव का सूचकांक	राज्यों के हिस्से का संयुक्त सूचकांक	प्रति वर्ष राज्य-वार आवंटन (करोड़ रुपए)
	भार (प्रतिशत)	40	10	20	10	10	10	100	
1.	आंध्र प्रदेश	7.479	8.448	6.471	10.617	9.743	7.663	7.935	317.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.117	2.617	0.111	0.000	0.000	0.101	0.340	13.60
3.	असम	3.134	2.422	3.219	1.361	0.622	2.928	2.630	105.20
4.	बिहार	10.033	2.887	12.750	2.359	0.749	9.557	8.120	324.80
5.	छत्तीसगढ़	2.248	4.167	2.213	5.537	4.419	3.208	3.075	123.00
6.	गोवा	0.091	0.100	0.023	0.059	0.258	0.063	0.090	3.60
7.	गुजरात	4.285	5.964	4.371	3.087	6.367	5.254	4.655	186.20
8.	हरियाणा	2.029	1.342	1.160	2.978	3.127	1.495	1.940	77.60
9.	हिमाचल प्रदेश	0.740	1.733	0.685	0.402	0.239	0.662	0.735	29.40
10.	जम्मू और कश्मीर	1.030	6.916	0.918	0.000	0.000	1.160	1.405	56.20
11.	झारखंड	2.829	2.436	3.153	0.000	0.000	4.061	2.410	96.40
12.	कर्नाटक	4.710	5.833	3.752	3.252	3.484	5.482	4.440	177.60
13.	केरल	3.183	1.113	2.929	12.511	15.352	1.670	4.925	197.00
14.	मध्य प्रदेश	5.992	9.417	6.147	17.410	11.696	8.426	8.315	332.60
15.	महाराष्ट्र	7.530	9.388	7.009	14.612	23.911	7.085	9.915	396.60
16.	मणिपुर	0.232	0.693	0.243	0.000	0.000	0.179	0.230	9.20
17.	मेघालय	0.252	0.694	0.254	0.000	0.000	0.290	0.250	10.00
18.	मिजोरम	0.060	0.641	0.032	0.000	0.000	0.055	0.100	4.00
19.	नागालैंड	0.222	0.514	0.199	0.000	0.000	0.186	0.200	8.00
20.	उड़ीसा	4.224	4.779	4.817	1.291	0.953	6.572	4.015	160.60
21.	पंजाब	2.173	1.509	0.276	2.702	2.414	0.337	1.620	64.80
22.	राजस्थान	5.845	10.527	6.241	3.829	3.405	7.870	6.150	246.00
23.	सिक्किम	0.065	0.222	0.072	0.000	0.000	0.047	0.065	2.60
24.	तमिलनाडु	4.715	3.674	4.544	2.513	4.497	4.861	4.350	174.00
25.	त्रिपुरा	0.358	0.323	0.340	0.098	0.037	0.291	0.285	11.40
26.	उत्तर प्रदेश	17.775	7.325	20.304	10.472	6.209	10.727	14.640	585.60
27.	उत्तरांचल	0.852	1.647	0.716	0.493	0.313	0.796	0.810	32.40
28.	पश्चिम बंगाल	7.796	2.670	7.050	4.417	2.205	8.975	6.355	254.20
		100.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**4000.00**

अनुबंध 8.18
(पैरा 8.49)

शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटन में राज्यों का संयुक्त हिस्सा

					शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व प्रयास				प्रति वर्ष राज्य-वार आवंटन (करोड़ रुपए)
	राज्य	शहरी जनसंख्या का अनुपात (2001)	शहरी क्षेत्र का अनुपात (2001)	उच्चतम पीसीआई (प्राथमिक) से दूरी	राज्यों के निजी राजस्व के संबंध में	जीएसडीपी (प्राथमिक क्षेत्र छोड़कर) के संबंध में	अभाव का सूचकांक	राज्यों के हिस्से का संयुक्त सूचकांक	
	भार (प्रतिशत)	**40**	**10**	**20**	**10**	**10**	**10**	**100**	
1.	आंध्र प्रदेश	7.664	6.175	7.582	7.610	7.555	7.575	7.480	74.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.084	0.000	0.080	0.000	0.000	0.091	0.060	0.60
3.	असम	1.267	1.251	1.209	0.434	0.374	1.406	1.100	11.00
4.	बिहार	3.198	2.347	3.456	1.484	0.958	3.814	2.840	28.40
5.	छत्तीसगढ़	1.542	2.427	1.583	1.199	1.897	2.690	1.760	17.60
6.	गोवा	0.247	0.666	0.162	0.068	0.115	0.290	0.240	2.40
7.	गुजरात	6.972	6.800	6.747	13.376	15.885	5.434	8.280	82.80
8.	हरियाणा	2.252	1.666	2.012	0.787	1.266	1.442	1.820	18.20
9.	हिमाचल प्रदेश	0.219	0.314	0.024	0.092	0.060	0.153	0.160	1.60
10.	जम्मू और कश्मीर	0.927	1.236	0.908	0.115	0.124	0.557	0.760	7.60
11.	झारखंड	2.208	2.332	2.365	0.253	0.220	3.210	1.960	19.60
12.	कर्नाटक	6.616	6.721	6.694	4.910	6.038	7.076	6.460	64.60
13.	केरल	3.045	4.230	2.633	2.099	1.771	4.300	2.980	29.80
14.	मध्य प्रदेश	5.881	9.056	6.348	9.448	9.733	7.817	7.220	72.20
15.	महाराष्ट्र	15.138	9.568	14.297	21.783	23.275	14.720	15.820	158.20
16.	मणिपुर	0.212	0.187	0.201	0.110	0.028	0.302	0.180	1.80
17.	मेघालय	0.167	0.299	0.157	0.053	0.037	0.164	0.160	1.60
18.	मिजोरम	0.162	0.763	0.178	0.000	0.000	0.191	0.200	2.00
19.	नागालैंड	0.126	0.191	0.097	0.074	0.020	0.144	0.120	1.20
20.	उड़ीसा	2.032	3.635	2.015	0.491	0.455	3.979	2.080	20.80
21.	पंजाब	3.043	2.704	2.967	4.757	7.651	0.969	3.420	34.20
22.	राजस्थान	4.867	7.065	4.867	1.980	1.537	4.275	4.400	44.00
23.	सिक्किम	0.022	0.000	0.008	0.000	0.000	0.004	0.020	0.20
24.	तमिलनाडु	10.123	16.293	10.288	12.373	11.352	13.376	11.440	114.40
25.	त्रिपुरा	0.201	0.181	0.161	0.037	0.017	0.209	0.160	1.60
26.	उत्तर प्रदेश	12.721	8.531	13.720	5.780	4.188	6.557	10.340	103.40
27.	उत्तरांचल	0.803	1.036	0.822	0.316	0.293	0.373	0.680	6.80
28.	पश्चिम बंगाल	8.260	4.325	8.419	10.370	5.151	8.881	7.860	78.60
		100.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1000.00**

अनुबंध 9.1
(पैरा 9.11)

वर्ष 2005-2010 के दौरान आपदा राहत निधि

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	जोड़ 2005-2010
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	344.08	361.28	379.35	398.31	418.22	1901.24
2	अरुणाचल प्रदेश	28.30	29.12	29.97	30.87	31.81	150.07
3	असम	193.06	198.62	204.48	210.62	217.06	1023.84
4	बिहार	148.93	153.23	157.74	162.48	167.45	789.83
5	छत्तीसगढ़	111.75	114.98	118.35	121.90	125.62	592.60
6	गोवा	2.11	2.21	2.32	2.44	2.56	11.64
7	गुजरात	246.00	258.30	271.22	284.78	299.00	1359.30
8	हरियाणा	124.38	130.60	137.13	143.99	151.18	687.28
9	हिमाचल प्रदेश	100.69	103.60	106.65	109.86	113.21	534.01
10	जम्मू और कश्मीर	86.46	88.96	91.58	94.33	97.21	458.54
11	झारखंड	126.07	129.71	133.53	137.55	141.75	668.61
12	कर्नाटक	114.66	120.39	126.41	132.73	139.36	633.55
13	केरल	85.50	89.77	94.26	98.98	103.91	472.42
14	मध्य प्रदेश	254.23	261.58	269.29	277.39	285.88	1348.37
15	महाराष्ट्र	222.90	234.05	245.75	258.04	270.94	1231.68
16	मणिपुर	5.56	5.72	5.89	6.06	6.25	29.48
17	मेघालय	11.29	11.61	11.95	12.31	12.68	59.84
18	मिजोरम	6.58	6.77	6.97	7.18	7.40	34.90
19	नागालैंड	3.83	3.94	4.05	4.17	4.30	20.29
20	उड़ीसा	301.54	310.24	319.38	328.97	339.03	1599.16
21	पंजाब	146.03	153.33	160.99	169.04	177.49	806.88
22	राजस्थान	415.64	436.42	458.25	481.16	505.21	2296.68
23	सिक्किम	17.53	18.04	18.57	19.13	19.70	92.97
24	तमिलनाडु	209.08	219.53	230.51	242.03	254.13	1155.28
25	त्रिपुरा	12.85	13.22	13.61	14.02	14.44	68.14
26	उत्तर प्रदेश	295.94	304.48	313.45	322.87	332.75	1569.49
27	उत्तरांचल	94.69	96.59	98.58	100.67	101.85	492.38
28	पश्चिम बंगाल	234.73	241.50	248.62	256.09	263.92	1244.86
	जोड़	**3944.41**	**4097.79**	**4258.85**	**4427.97**	**4604.31**	**21333.33**

अनुबंध 9.2
(पैरा 9.11)

वर्ष 2005-2010 के दौरान आपदा राहत निधि
(केन्द्र का हिस्सा)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	जोड़ 2005-2010
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	258.06	270.96	284.51	298.73	313.67	1425.93
2	अरुणाचल प्रदेश	21.23	21.84	22.48	23.15	23.86	112.56
3	असम	144.79	148.97	153.36	157.97	162.80	767.89
4	बिहार	111.69	114.92	118.31	121.86	125.59	592.37
5	छत्तीसगढ़	83.81	86.23	88.76	91.43	94.22	444.45
6	गोवा	1.58	1.66	1.74	1.83	1.92	8.73
7	गुजरात	184.50	193.73	203.41	213.58	224.25	1019.47
8	हरियाणा	93.28	97.95	102.85	107.99	113.39	515.46
9	हिमाचल प्रदेश	75.52	77.70	79.99	82.40	84.91	400.52
10	जम्मू और कश्मीर	64.84	66.72	68.68	70.75	72.90	343.89
11	झारखंड	94.56	97.28	100.15	103.16	106.31	501.46
12	कर्नाटक	86.00	90.28	94.81	99.55	104.52	475.16
13	केरल	64.13	67.33	70.70	74.23	77.93	354.32
14	मध्य प्रदेश	190.67	196.18	201.97	208.04	214.41	1011.27
15	महाराष्ट्र	167.18	175.54	184.31	193.53	203.21	923.77
16	मणिपुर	4.17	4.29	4.42	4.54	4.69	22.11
17	मेघालय	8.47	8.71	8.96	9.23	9.51	44.88
18	मिजोरम	4.94	5.08	5.23	5.39	5.55	26.19
19	नागालैंड	2.87	2.95	3.03	3.12	3.22	15.19
20	उड़ीसा	226.16	232.68	239.53	246.73	254.27	1199.37
21	पंजाब	109.52	115.00	120.74	126.78	133.12	605.16
22	राजस्थान	311.73	327.32	343.68	360.87	378.90	1722.50
23	सिक्किम	13.15	13.53	13.93	14.35	14.78	69.74
24	तमिलनाडु	156.81	164.65	172.88	181.52	190.60	866.46
25	त्रिपुरा	9.64	9.92	10.21	10.52	10.83	51.12
26	उत्तर प्रदेश	221.95	228.36	235.10	242.15	249.55	1177.11
27	उत्तरांचल	71.02	72.44	73.93	75.50	76.39	369.28
28	पश्चिम बंगाल	176.05	181.12	186.47	192.07	197.93	933.64
	जोड़	**2958.32**	**3073.34**	**3194.14**	**3320.97**	**3453.23**	**16000.00**

अनुबंध 9.3
(पैरा 9.11)

वर्ष 2005-2010 के दौरान आपदा राहत निधि
(राज्यों का हिस्सा)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	जोड़ 2005-2010
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	86.02	90.32	94.84	99.58	104.56	475.32
2	अरुणाचल प्रदेश	7.08	7.28	7.49	7.72	7.95	37.52
3	असम	48.26	49.66	51.12	52.66	54.27	255.97
4	बिहार	37.23	38.31	39.44	40.62	41.86	197.46
5	छत्तीसगढ़	27.94	28.74	29.59	30.48	31.41	148.16
6	गोवा	0.53	0.55	0.58	0.61	0.64	2.91
7	गुजरात	61.50	64.58	67.80	71.19	74.75	339.82
8	हरियाणा	31.10	32.65	34.28	36.00	37.80	171.82
9	हिमाचल प्रदेश	25.17	25.90	26.66	27.47	28.30	133.50
10	जम्मू और कश्मीर	21.61	22.24	22.89	23.58	24.30	114.63
11	झारखंड	31.52	32.43	33.38	34.39	35.44	167.15
12	कर्नाटक	28.67	30.10	31.60	33.18	34.84	158.39
13	केरल	21.38	22.44	23.57	24.75	25.98	118.12
14	मध्य प्रदेश	63.56	65.39	67.32	69.35	71.47	337.09
15	महाराष्ट्र	55.73	58.51	61.44	64.51	67.74	307.92
16	मणिपुर	1.39	1.43	1.47	1.51	1.56	7.36
17	मेघालय	2.82	2.90	2.99	3.08	3.17	14.96
18	मिजोरम	1.65	1.69	1.74	1.80	1.85	8.73
19	नागालैंड	0.96	0.98	1.01	1.04	1.07	5.06
20	उड़ीसा	75.39	77.56	79.84	82.24	84.76	399.79
21	पंजाब	36.51	38.33	40.25	42.26	44.37	201.72
22	राजस्थान	103.91	109.11	114.56	120.29	126.30	574.17
23	सिक्किम	4.38	4.51	4.64	4.78	4.93	23.24
24	तमिलनाडु	52.27	54.88	57.63	60.51	63.53	288.82
25	त्रिपुरा	3.21	3.31	3.40	3.51	3.61	17.04
26	उत्तर प्रदेश	73.98	76.12	78.36	80.72	83.19	392.37
27	उत्तरांचल	23.67	24.15	24.64	25.17	25.46	123.09
28	पश्चिम बंगाल	58.68	60.37	62.15	64.02	65.98	311.20
	जोड़	**986.10**	**1024.44**	**1064.68**	**1107.02**	**1151.09**	**5333.33**

अनुबंध 10.1
(पैरा 10.19)

शिक्षा (मुख्य शीर्ष 2202) तथा स्वास्थ्य (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए शर्तें

1. अनुदान संबंधित मुख्य शीर्ष (अर्थात् शिक्षा के मामले में मुख्य शीर्ष 2202 तथा स्वास्थ्य के मामले में मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) के अंतर्गत गैर योजना राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान को दो बराबर किश्तों में आबंटित किया जाएगा। किसी भी वर्ष में पहली किश्त जारी करने के लिए कोई पूर्व शर्त नही होगी, दूसरी किश्त पैरा 3 में दी गई शर्तों को पूरा करने पर दी जाएगी।

3. एक वर्ष में दूसरी किश्त जारी करने के लिए पूर्व शर्तें निम्नलिखित होंगीः

वर्ष	दूसरी किश्त जारी करने के लिए शर्तें
2005-06	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व खर्च के अंतर्गत 2005-06 का बजट अनुमान 2005-06 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
2006-07	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व खर्च के अंतर्गत 2005-06 का बजट अनुमान 2005-06 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2005-06 के संशोधित अनुमान "सामान्य व्यय" के योग तथा 2005-06 के लिए "अनुदान" की वास्तविक निर्मुक्ति से कम नहीं होना चाहिए।
2007-08	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व खर्च के अंतर्गत 2007-08 का बजट अनुमान 2005-06 के लिए अनुमानित कुल गैर योजना राजस्व खर्च से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2005-06 के वास्तविक व्यय "सामान्य व्यय" के योग तथा 2005-06 के लिए अनुदान की वास्तविक निर्मुक्ति से कम नहीं होना चाहिए।
2008-09	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2008-09 का बजट अनुमान 2008-09 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2006-07 के वास्तविक व्यय "सामान्य व्यय" के योग तथा 2006-07 के लिए अनुदान की वास्तविक निर्मुक्ति से कम नहीं होना चाहिए।
2009-10	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2009-10 का बजट अनुमान 2009-10 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.2/10.3 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2007-08 के वास्तविक व्यय "सामान्य व्यय" के योग तथा 2007-08 के लिए अनुदान की वास्तविक निर्मुक्ति से कम नहीं होना चाहिए।

टिप्पणीः अनुबंध 10.2 शिक्षा के संबंध में तथा अनुबंध 10.3 स्वास्थ्य के संबंध में है।

अनुबंध 10.2

(पैरा 10.19)

शिक्षा पर आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का अनुमान (मुख्य शीर्ष 2202)

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
असम						
समान्य व्यय	2125.60	2327.54	2548.65	2790.77	3055.90	12848.46
अनुदान	183.20	200.60	219.66	240.53	263.38	1107.37
जोड़ एनपीआरई	**2308.80**	**2528.14**	**2768.31**	**3031.30**	**3319.28**	**13955.83**
बिहार						
समान्य व्यय	3376.63	3697.41	4048.66	4433.29	4854.45	20410.44
अनुदान	443.99	486.17	532.36	582.93	638.31	2683.76
जोड़ एनपीआरई	**3820.62**	**4183.58**	**4581.02**	**5016.22**	**5492.76**	**23094.20**
झारखंड						
समान्य व्यय	1177.70	1289.58	1412.09	1546.24	1693.13	7118.74
अनुदान	107.82	118.06	129.28	141.56	155.01	651.73
जोड़ एनपीआरई	**1285.52**	**1407.64**	**1541.37**	**1687.80**	**1848.14**	**7770.47**
मध्यप्रदेश						
समान्य व्यय	2056.74	2252.13	2466.08	2700.36	2956.89	12432.20
अनुदान	76.03	83.25	91.16	99.82	109.30	459.56
जोड़ एनपीआरई	**2132.77**	**2335.38**	**2557.24**	**2800.18**	**3066.19**	**12891.76**
उडीसा						
समान्य व्यय	1886.98	2066.24	2262.54	2477.48	2712.84	11406.08
अनुदान	53.49	58.57	64.13	70.22	76.89	323.30
जोड़ एनपीआरई	**1940.47**	**2124.81**	**2326.67**	**2547.70**	**2789.73**	**11729.38**
राजस्थान						
समान्य व्यय	3960.41	4336.65	4748.63	5199.75	5693.72	23939.16
अनुदान	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
जोड़ एनपीआरई	**3980.41**	**4356.65**	**4768.63**	**5219.75**	**5713.72**	**24039.16**
उत्तरप्रदेश						
समान्य व्यय	6510.06	7128.52	7805.73	8547.27	9359.27	39350.85
अनुदान	736.87	806.87	883.52	967.45	1059.36	4454.07
जोड़ एनपीआरई	**7246.93**	**7935.39**	**8689.25**	**9514.72**	**10418.63**	**43804.92**
पश्चिम बंगाल						
समान्य व्यय	5029.25	5507.03	6030.19	6603.06	7230.35	30399.88
अनुदान	64.83	70.99	77.73	85.11	93.20	391.86
जोड़ एनपीआरई	**5094.08**	**5578.02**	**6107.92**	**6688.17**	**7323.55**	**30791.74**
कुल सामान्य व्यय	**26123.37**	**28605.10**	**31322.57**	**34298.22**	**37556.55**	**157905.81**
कुल अनुदान	**1686.23**	**1844.51**	**2017.84**	**2207.62**	**2415.45**	**10171.65**
महायोग एनपीआरई	**27809.60**	**30449.61**	**33340.41**	**36505.84**	**39972.00**	**168077.46**

अनुबंध 10.3
(पैरा 10.19)

शिक्षा पर आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का अनुमान (मुख्य शीर्ष 2210 और 2211)

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7
असम						
समान्य व्यय	196.94	219.58	244.84	272.99	304.39	1238.74
अनुदान	153.58	171.24	190.93	212.89	237.38	966.02
जोड़ एनपीआरई	**350.52**	**390.82**	**435.77**	**485.88**	**541.77**	**2204.76**
बिहार						
समान्य व्यय	500.82	558.41	622.63	694.23	774.07	3150.16
अनुदान	289.30	322.57	359.66	401.02	447.14	1819.69
जोड़ एनपीआरई	**790.12**	**880.98**	**982.29**	**1095.25**	**1221.21**	**4969.85**
झारखंड						
समान्य व्यय	219.74	245.01	273.19	304.60	339.63	1382.17
अनुदान	57.39	63.99	71.35	79.55	88.70	360.98
जोड़	**277.13**	**309.00**	**344.54**	**384.15**	**428.33**	**1743.15**
मध्यप्रदेश						
समान्य व्यय	607.66	677.55	755.46	842.34	939.21	3822.22
अनुदान	28.88	32.20	35.90	40.03	44.63	181.64
जोड़ एनपीआरई	**636.54**	**709.75**	**791.36**	**882.37**	**983.84**	**4003.86**
उड़ीसा						
समान्य व्यय	434.88	484.90	540.66	602.83	672.16	2735.43
अनुदान	31.22	34.81	38.81	43.28	48.25	196.37
जोड़ एनपीआरई	**466.10**	**519.71**	**579.47**	**646.11**	**720.41**	**2931.80**
उत्तर प्रदेश						
समान्य व्यय	1610.74	1795.97	2002.51	2232.80	2489.57	10131.59
अनुदान	367.63	409.90	457.04	509.60	568.21	2312.38
जोड़ एनपीआरई	**1978.37**	**2205.87**	**2459.55**	**2742.40**	**3057.78**	**12443.97**
उत्तरांचल						
समान्य व्यय	161.73	180.32	201.06	224.18	249.96	1017.25
अनुदान	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
जोड़ एनपीआरइ	**171.73**	**190.32**	**211.06**	**234.18**	**259.96**	**1067.25**
कुल सामान्य व्यय	**3732.51**	**4161.74**	**4640.35**	**5173.97**	**5768.99**	**23477.56**
कुल अनुदान	**938.00**	**1044.71**	**1163.69**	**1296.37**	**1444.31**	**5887.08**
महायोग एनपीआरई	**4670.51**	**5206.45**	**5804.04**	**6470.34**	**7213.30**	**29364.64**

अनुबंध 10.4
(पैरा 10.23)

सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव के लिए मुख्य शीर्ष 3054-उप मुख्य शीर्ष 03 तथा 04 तथा भवनों के रख-रखाव के लिए (विभिन्न उप मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059-गौण शीर्ष 053) के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए शर्तें

1. ये अनुदान सड़कों तथा पुलों और भवनों के अवैतनिक रख-रखाव संबंधी वस्तुओं पर खर्च किए जाएंगे।
2. भवनों के लिए अनुदान आवासीय भवनों के अतिरिक्त सार्वजनिक भवनों के लिए होगा।
3. ये अनुदान शीर्षों के अंतर्गत (सड़कों तथा पुलों के मामले में मुख्य शीर्ष 3054-उप मुख्य शीर्ष 03 तथा 04, तथा भवनों के मामले में विभिन्न उप मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059-गौण शीर्ष 053) गैर योजना राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान को दो बराबर किश्तों में आबंटित किया जाएगा। किसी भी वर्ष में पहली किश्त जारी करने के लिए पूर्व-शर्त नहीं होगी, दूसरी किश्त निम्नलिखित पैरा 5 में दी गई शर्तों को पूरा करने पर दी जाएगी।
5. एक वर्ष में दूसरी किश्त जारी करने के लिए पूर्व-शर्तें निम्नलिखित होंगीः

वर्ष	दूसरी किश्त जारी करने के लिए शर्तें
2006-07	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित मुख्य शीर्ष (सड़कों तथा पुलों के लिए मुख्य शीर्ष 3054 तथा भवनों के लिए मुख्य शीर्ष 2059) के गैर योजना राजस्व खर्च के अंतर्गत 2006-07 का बजट अनुमान 2006-07 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2005-06 के संशोधित अनुमान 2005-06 के अनुमानित सामान्य खर्च से कम नहीं होना चाहिए।
2007-08	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व खर्च के अंतर्गत 2007-08 का बजट अनुमान 2007-08 के लिए अनुमानित कुल गैर योजना राजस्व खर्च से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2005-06 के वास्तविक 2005-06 के लिए सामान्य खर्च से कम नहीं होना चाहिए।
2008-09	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2008-09 का बजट अनुमान 2008-09 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2006-07 के वास्तविक व्यय "सामान्य व्यय" के योग तथा 2006-07 के लिए अनुदान की वास्तविक निर्मुक्ति से कम नहीं होना चाहिए।
2009-10	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2009-10 का बजट अनुमान 2009-10 के लिए अनुमानित "कुल गैर योजना राजस्व खर्च" से कम नहीं होना चाहिए।
	तथा
	जैसाकि अनुबंध 10.5/10.6 में दर्शाया गया है, संबंधित शीर्ष के गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत 2007-08 के (वास्तविक व्यय) "सामान्य व्यय" के योग तथा 2007-08 के लिए "अनुदान" की वास्तविक निर्मुक्ति से कम नहीं होना चाहिए।

टिप्पणीः अनुबंध 10.5 सड़क एवं पुलों के संबंध में तथा अनुबंध 10.6 भवनों के संबंध में है।

अनुबंध 10.5
(पैरा 10.23)

सड़कों एवं पुलों के लिए आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का अनुमान (मुख्यशीर्ष 3054)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.		राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1		2	3	4	5	6	7	8
1		**आंध्र प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	675.37	709.14	744.60	781.83	820.92	**3731.86**
	ख	अनुदान	0.00	245.03	245.03	245.03	245.03	**980.12**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**675.37**	**954.17**	**989.63**	**1026.86**	**1065.95**	**4711.98**
2		**आरुणाचल प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	15.73	16.52	17.34	18.21	19.12	**86.92**
	ख	अनुदान	0.00	11.09	11.09	11.09	11.09	**44.36**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**15.73**	**27.61**	**28.43**	**29.30**	**30.21**	**131.28**
3		**असम**						
	क	समान्य व्यय	300.62	315.65	331.43	348.00	365.40	**1661.10**
	ख	अनुदान	0.00	82.53	82.53	82.53	82.53	**330.12**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**300.62**	**398.18**	**413.96**	**430.53**	**447.93**	**1991.22**
4		**बिहार**						
	क	समान्य व्यय	258.90	271.84	285.44	299.71	314.69	**1430.58**
	ख	अनुदान	0.00	77.34	77.34	77.34	77.34	**309.36**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**258.90**	**349.18**	**362.78**	**377.05**	**392.03**	**1739.94**
5		**छत्तीसगढ़**						
	क	समान्य व्यय	203.23	213.39	224.06	235.26	247.02	**1122.96**
	ख	अनुदान	0.00	65.60	65.60	65.60	65.60	**262.40**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**203.23**	**278.99**	**289.66**	**300.86**	**312.62**	**1385.36**
6		**गोवा**						
	क	समान्य व्यय	37.25	39.11	41.07	43.12	45.28	**205.83**
	ख	अनुदान	0.00	9.87	9.87	9.87	9.87	**39.48**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**37.25**	**48.98**	**50.94**	**52.99**	**55.15**	**245.31**
7		**गुजरात**						
	क	समान्य व्यय	435.62	457.40	480.27	504.29	529.50	**2407.08**
	ख	अनुदान	0.00	223.80	223.80	223.80	223.80	**895.20**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**435.62**	**681.20**	**704.07**	**728.09**	**753.30**	**3302.28**
8		**हरियाणा**						
	क	समान्य व्यय	141.92	149.01	156.46	164.29	172.50	**784.18**
	ख	अनुदान	0.00	45.68	45.68	45.68	45.68	**182.72**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**141.92**	**194.69**	**202.14**	**209.97**	**218.18**	**966.90**
9		**हिमाचल प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	292.75	307.39	322.76	338.89	355.84	**1617.63**
	ख	अनुदान	0.00	65.41	65.41	65.41	65.41	**261.64**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**292.75**	**372.80**	**388.17**	**404.30**	**421.25**	**1879.27**
10		**जम्मू एवं कश्मीर**						
	क	समान्य व्यय	37.53	39.40	41.37	43.44	45.62	**207.36**
	ख	अनुदान	0.00	29.42	29.42	29.42	29.42	**117.68**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**37.53**	**68.82**	**70.79**	**72.86**	**75.04**	**325.04**
11		**झारखंड**						
	क	समान्य व्यय	92.05	96.65	101.48	106.56	111.89	**508.63**
	ख	अनुदान	0.00	102.26	102.26	102.26	102.26	**409.04**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**92.05**	**198.91**	**203.74**	**208.82**	**214.15**	**917.67**
12		**कर्नाटक**						
	क	समान्य व्यय	237.96	249.86	262.35	275.47	289.24	**1314.88**
	ख	अनुदान	0.00	364.53	364.53	364.53	364.53	**1458.12**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**237.96**	**614.39**	**626.88**	**640.00**	**653.77**	**2773.00**
13		**केरल**						
	क	समान्य व्यय	448.92	471.36	494.93	519.68	545.66	**2480.55**
	ख	अनुदान	0.00	160.58	160.58	160.58	160.58	**642.32**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**448.92**	**631.94**	**655.51**	**680.26**	**706.24**	**3122.87**
14		**मध्यप्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	259.31	272.28	285.89	300.18	315.19	**1432.85**
	ख	अनुदान	0.00	146.72	146.72	146.72	146.72	**586.88**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**259.31**	**419.00**	**432.61**	**446.90**	**461.91**	**2019.73**
15		**महाराष्ट्र**						
	क	समान्य व्यय	1065.74	1119.03	1174.98	1233.73	1295.42	**5888.90**
	ख	अनुदान	0.00	297.42	297.42	297.42	297.42	**1189.68**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**1065.74**	**1416.45**	**1472.40**	**1531.15**	**1592.84**	**7078.5**

अनुबंध 10.5 जारी......

सड़कों एवं पुलों के लिए आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का अनुमान (मुख्यशीर्ष 3054)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.		राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1		2	3	4	5	6	7	8
16		**मणीपुर**						
	क	समान्य व्यय	48.29	50.71	53.24	55.91	58.70	**266.85**
	ख	अनुदान	0.00	19.24	19.24	19.24	19.24	**76.96**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**48.29**	**69.95**	**72.48**	**75.15**	**77.94**	**343.81**
17		**मेघालय**						
	क	समान्य व्यय	52.50	55.13	57.88	60.78	63.81	**290.10**
	ख	अनुदान	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	**86.40**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**52.50**	**76.73**	**79.48**	**82.38**	**85.41**	**376.50**
18		**मिंजोरम**						
	क	समान्य व्यय	21.76	22.85	23.99	25.19	26.45	**120.24**
	ख	अनुदान	0.00	10.53	10.53	10.53	10.53	**42.12**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**21.76**	**33.38**	**34.52**	**35.72**	**36.98**	**162.36**
19		**नागालैण्ड**						
	क	समान्य व्यय	11.35	11.92	12.52	13.14	13.80	**62.73**
	ख	अनुदान	0.00	30.22	30.22	30.22	30.22	**120.88**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**11.35**	**42.14**	**42.74**	**43.36**	**44.02**	**183.61**
20		**उड़ीसा**						
	क	समान्य व्यय	170.59	179.12	188.08	197.48	207.36	**942.63**
	ख	अनुदान	0.00	368.77	368.77	368.77	368.77	**1475.08**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**170.59**	**547.89**	**556.85**	**566.25**	**576.13**	**2417.71**
21		**पंजाब**						
	क	समान्य व्यय	106.27	111.58	117.16	123.02	129.17	**587.20**
	ख	अनुदान	0.00	105.24	105.24	105.24	105.24	**420.96**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**106.27**	**216.82**	**222.40**	**228.26**	**234.41**	**1008.16**
22		**राजस्थान**						
	क	समान्य व्यय	181.37	190.43	199.96	209.95	220.45	**1002.16**
	ख	अनुदान	0.00	158.33	158.33	158.33	158.33	**633.32**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**181.37**	**348.76**	**358.29**	**368.28**	**378.78**	**1635.48**
23		**सिक्किम**						
	क	समान्य व्यय	17.84	18.73	19.67	20.65	21.68	**98.57**
	ख	अनुदान	0.00	4.66	4.66	4.66	4.66	**18.64**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**17.84**	**23.39**	**24.33**	**25.31**	**26.34**	**117.21**
24		**तमिल नाडु**						
	क	समान्य व्यय	474.06	497.77	522.66	548.79	576.23	**2619.51**
	ख	अनुदान	0.00	303.60	303.60	303.60	303.60	**1214.40**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**474.06**	**801.37**	**826.26**	**852.39**	**879.83**	**3833.91**
25		**त्रिपुरा**						
	क	समान्य व्यय	40.04	42.04	44.14	46.35	48.66	**221.23**
	ख	अनुदान	0.00	15.37	15.37	15.37	15.37	**61.48**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**40.04**	**57.41**	**59.51**	**61.72**	**64.03**	**282.71**
26		**उत्तरप्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	555.23	582.99	612.14	642.75	674.89	**3068.00**
	ख	अनुदान	0.00	600.79	600.79	600.79	600.79	**2403.16**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**555.23**	**1183.78**	**1212.93**	**1243.54**	**1275.68**	**5471.16**
27		**उत्तरांचल**						
	क	समान्य व्यय	46.11	48.41	50.83	53.37	56.04	**254.76**
	ख	अनुदान	0.00	81.14	81.14	81.14	81.14	**324.56**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**46.11**	**129.55**	**131.97**	**134.51**	**137.18**	**579.32**
28		**पश्चिम बंगाल**						
	क	समान्य व्यय	189.35	198.82	208.76	219.20	230.16	**1046.29**
	ख	अनुदान	0.00	103.23	103.23	103.23	103.23	**412.92**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**189.35**	**302.05**	**311.99**	**322.43**	**333.39**	**1459.21**
		कुल सामान्य व्यय	**6417.66**	**6738.53**	**7075.46**	**7429.24**	**7800.69**	**35461.58**
		कुल अनुदान	**0.00**	**3750.00**	**3750.00**	**3750.00**	**3750.00**	**15000.00**
		महायोग	**6417.66**	**10488.53**	**10825.46**	**11179.24**	**11550.69**	**50461.58**

टिप्पणीः 1. उक्त अनुदानों का संबंध मुख्य शीर्ष 3054-उप मुख्यशीर्षो 03-04-आयोजना भिन्न से है।

2. उक्त सामान्य व्यय का संबंध मुख्य शीर्ष 3054 -आयोजना भिन्न से है।

अनुबंध 10.6

(पैरा 10.23)

भवनों के लिए आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का अनुमान (मुख्यशीर्ष 2059 और 2216)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.		राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1		2	3	4	5	6	7	8
1		**आंध्र प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	74.62	78.35	82.27	86.38	90.70	**412.32**
	ख	अनुदान	0.00	60.64	60.63	60.63	60.63	**242.53**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**74.62**	**138.99**	**142.90**	**147.01**	**151.33**	**654.85**
2		**अरुणाचल प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	28.98	30.43	31.95	33.54	35.22	**160.12**
	ख	अनुदान	0.00	14.35	14.35	14.36	14.36	**57.42**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**28.98**	**44.78**	**46.30**	**47.90**	**49.58**	**217.54**
3		**असाम**						
	क	समान्य व्यय	113.48	119.15	125.11	131.37	137.93	**627.04**
	ख	अनुदान	0.00	57.66	57.66	57.66	57.66	**230.64**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**113.48**	**176.81**	**182.77**	**189.03**	**195.59**	**857.68**
4		**बिहार**						
	क	समान्य व्यय	120.97	127.01	133.36	140.03	147.03	**668.40**
	ख	अनुदान	0.00	89.90	89.90	89.91	89.90	**359.61**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**120.97**	**216.91**	**223.26**	**229.94**	**236.93**	**1028.01**
5		**छत्तीसगढ़**						
	क	समान्य व्यय	68.23	71.64	75.22	78.98	82.93	**377.00**
	ख	अनुदान	0.00	45.78	45.77	45.77	45.77	**183.09**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**68.23**	**117.42**	**120.99**	**124.75**	**128.70**	**560.09**
6		**गोवा**						
	क	समान्य व्यय	26.86	28.20	29.61	31.09	32.65	**148.41**
	ख	अनुदान	0.00	6.05	6.05	6.04	6.04	**24.18**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**26.86**	**34.25**	**35.66**	**37.13**	**38.69**	**172.59**
7		**गुजरात**						
	क	समान्य व्यय	209.88	220.38	231.40	242.97	255.12	**1159.75**
	ख	अनुदान	0.00	50.90	50.90	50.90	50.91	**203.61**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**209.88**	**271.28**	**282.30**	**293.87**	**306.03**	**1363.36**
8		**हरियाणा**						
	क	समान्य व्यय	75.56	79.33	83.30	87.47	91.84	**417.50**
	ख	अनुदान	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	**151.80**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**75.56**	**117.28**	**121.25**	**125.42**	**129.79**	**569.30**
9		**हिमाचल प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	68.72	72.15	75.76	79.55	83.52	**379.70**
	ख	अनुदान	0.00	36.90	36.90	36.90	36.90	**147.60**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**68.72**	**109.05**	**112.66**	**116.45**	**120.42**	**527.30**
10		**जम्मू एवं कश्मीर**						
	क	समान्य व्यय	153.04	160.69	168.73	177.16	186.03	**845.65**
	ख	अनुदान	0.00	41.14	41.14	41.13	41.13	**164.54**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**153.04**	**201.83**	**209.87**	**218.29**	**227.16**	**1010.19**
11		**झारखंड**						
	क	समान्य व्यय	74.84	78.58	82.51	86.64	90.97	**413.54**
	ख	अनुदान	0.00	39.90	39.90	39.90	39.91	**159.61**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**74.84**	**118.48**	**122.41**	**126.54**	**130.88**	**573.15**
12		**कर्नाटक**						
	क	समान्य व्यय	298.74	313.68	329.36	345.83	363.12	**1650.73**
	ख	अनुदान	0.00	51.28	51.28	51.28	51.28	**205.12**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**298.74**	**364.96**	**380.64**	**397.11**	**414.40**	**1855.85**
13		**केरल**						
	क	समान्य व्यय	114.15	119.86	125.85	132.14	138.75	**630.75**
	ख	अनुदान	0.00	25.88	25.88	25.87	25.87	**103.50**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**114.15**	**145.74**	**151.73**	**158.01**	**164.62**	**734.25**
14		**मध्य प्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	130.20	136.71	143.55	150.72	158.26	**719.44**
	ख	अनुदान	0.00	110.76	110.76	110.75	110.75	**443.02**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**130.20**	**247.47**	**254.31**	**261.47**	**269.01**	**1162.46**
15		**महाराष्ट्र**						
	क	समान्य व्यय	724.77	761.00	799.05	839.01	880.96	**4004.79**
	ख	अनुदान	0.00	55.90	55.90	55.90	55.91	**223.61**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**724.77**	**816.90**	**854.95**	**894.91**	**936.87**	**4228.40**

अनुबंध 10.6 जारी......

भवनों के लिए आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का अनुमान (मुख्यशीर्ष 2059 और 2216)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.		राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1		2	3	4	5	6	7	8
16		**मणिपुर**						
	क	समान्य व्यय	33.04	34.69	36.43	38.25	40.16	**182.57**
	ख	अनुदान	0.00	9.42	9.43	9.43	9.43	**37.71**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**33.04**	**44.11**	**45.86**	**47.68**	**49.59**	**220.28**
17		**मेघालय**						
	क	समान्य व्यय	52.76	55.40	58.17	61.08	64.13	**291.54**
	ख	अनुदान	0.00	8.75	8.76	8.75	8.76	**35.02**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**52.76**	**64.15**	**66.93**	**69.83**	**72.89**	**326.56**
18		**मिजोरम**						
	क	समान्य व्यय	18.62	19.55	20.53	21.56	22.64	**102.90**
	ख	अनुदान	0.00	5.82	5.82	5.82	5.83	**23.29**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**18.62**	**25.37**	**26.35**	**27.38**	**28.47**	**126.19**
19		**नागालेण्ड**						
	क	समान्य व्यय	106.99	112.34	117.95	123.85	130.04	**591.17**
	ख	अनुदान	0.00	11.54	11.55	11.54	11.54	**46.17**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**106.99**	**123.88**	**129.50**	**135.39**	**141.58**	**637.34**
20		**उड़ीसा**						
	क	समान्य व्यय	162.86	171.00	179.55	188.53	197.95	**899.89**
	ख	अनुदान	0.00	97.28	97.28	97.29	97.29	**389.14**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**162.86**	**268.28**	**276.83**	**285.82**	**295.24**	**1289.03**
21		**पंजाब**						
	क	समान्य व्यय	250.35	262.86	276.01	289.81	304.30	**1383.33**
	ख	अनुदान	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	**151.80**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**250.35**	**300.81**	**313.96**	**327.76**	**342.25**	**1535.13**
22		**राजस्थान**						
	क	समान्य व्यय	92.98	97.63	102.51	107.64	113.02	**513.78**
	ख	अनुदान	0.00	53.27	53.27	53.27	53.28	**213.09**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**92.98**	**150.90**	**155.78**	**160.91**	**166.30**	**726.87**
23		**सिक्किम**						
	क	समान्य व्यय	14.33	15.04	15.80	16.59	17.41	**79.17**
	ख	अनुदान	0.00	8.04	8.03	8.04	8.04	**32.15**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**14.33**	**23.08**	**23.83**	**24.63**	**25.45**	**111.32**
24		**तमिलनाडु**						
	क	समान्य व्यय	175.31	184.07	193.28	202.94	213.09	**968.69**
	ख	अनुदान	0.00	60.64	60.63	60.63	60.63	**242.53**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**175.31**	**244.71**	**253.91**	**263.57**	**273.72**	**1211.22**
25		**त्रिपुरा**						
	क	समान्य व्यय	54.60	57.33	60.19	63.20	66.36	**301.68**
	ख	अनुदान	0.00	12.53	12.53	12.53	12.52	**50.11**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**54.60**	**69.86**	**72.72**	**75.73**	**78.88**	**351.79**
26		**उत्तरप्रदेश**						
	क	समान्य व्यय	539.72	566.71	595.04	624.80	656.04	**2982.31**
	ख	अनुदान	0.00	150.07	150.07	150.08	150.06	**600.28**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**539.72**	**716.78**	**745.11**	**774.88**	**806.10**	**3582.59**
27		**उत्तरांचल**						
	क	समान्य व्यय	121.60	127.68	134.06	140.76	147.80	**671.90**
	ख	अनुदान	0.00	24.40	24.40	24.40	24.40	**97.60**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**121.60**	**152.08**	**158.46**	**165.16**	**172.20**	**769.50**
28		**पश्चिम बंगाल**						
	क	समान्य व्यय	303.80	318.99	334.94	351.69	369.27	**1678.69**
	ख	अनुदान	0.00	45.30	45.31	45.32	45.30	**181.23**
	ग	**जोड़ एनपीआरई**	**303.80**	**364.29**	**380.25**	**397.01**	**414.57**	**1859.92**
		कुल सामान्य व्यय	**4210.00**	**4420.45**	**4641.49**	**4873.58**	**5117.24**	**23262.76**
		कुल अनुदान	**0.00**	**1250.00**	**1250.00**	**1250.00**	**1250.00**	**5000.00**
		महायोग	**4210.00**	**5670.45**	**5891.49**	**6123.58**	**6367.24**	**28262.76**

टिप्पणीः 1. उक्त अनुदानों का संबंध मुख्य शीर्ष 2059-विभिन्न उप मुख्यशीर्षों के लघु शीर्ष 053-आयोजना भिन्न से है।

2. उक्त सामान्य व्यय का संबंध मुख्य शीर्ष 2059 एवं 2216-आयोजना भिन्न से है।

अनुबंध 11.1
(पैरा 11.11)

निगरानी सूचक की स्थिति (कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/ राजस्व वृद्धि (+) तथा प्रोत्साहन निधियों से कुल रिलीज

(करोड़ रुपए में)

मदें/वर्ष	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 स.अ.	क्या एमटीएफ आरपी को अंतिम रूप दिया है	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	जारी आवंटित कुल प्रोत्साहन निधियां	रिलीज की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	**-7.34**	**-18.46**	**-13.19**	**-13.28**	**-10.60**	हां	हां	**424.87**	**221.61**
वार्षिक वृद्धि		-11.12	5.27	-0.09	2.68				
अरुणाचल प्रदेश	**17.01**	**-1.90**	**5.14**	**6.94**	**-2.80**	हां	हां	**188.76**	**113.01**
वार्षिक वृद्धि		-18.91	7.04	1.80	-9.74				
असम	**-20.75**	**-13.83**	**-14.78**	**-4.70**	**-16.38**	हां	हां	**159.44**	**91.11**
वार्षिक वृद्धि		6.92	-0.95	10.08	-11.68				
बिहार	**-34.74**	**-20.84**	**-13.42**	**-21.23**	**-8.19**	हां	हां	**411.41**	**127.18**
वार्षिक वृद्धि		13.9	7.42	-7.81	13.04				
छत्तरीसगढ़			**-13.00**	**-2.08**	**-8.96**	हां	हां	**113.66**	**35.15**
वार्षिक वृद्धि		0.00	-13.00	10.92	-6.88				
गोवा	**-17.01**	**-15.24**	**-12.20**	**-9.11**	**-5.20**	हां		**7.76**	**0**
वार्षिक वृद्धि		1.77	3.04	3.09	3.91				
गुजरात	**-25.38**	**-40.04**	**-42.11**	**-19.94**	**-17.18**			**260.73**	**0**
वार्षिक वृद्धि		-14.66	-2.07	22.17	2.76				
हरियाणा	**-20.55**	**-9.24**	**-13.89**	**-7.91**	**-9.26**			**98.02**	**0**
वार्षिक वृद्धि		11.31	-4.65	5.98	-1.35				
हिमाचल प्रदेश	**-2.86**	**-42.13**	**-23.16**	**-10.52**	**-44.35**	हां	हां	**716.18**	**318.19**
वार्षिक वृद्धि		-39.27	18.97	12.64	-33.83				
जम्मू और कश्मीर	**-9.82**	**-16.97**	**-5.15**	**4.88**	**15.22**	हां	हां	**1726.77**	**1016.79**
वार्षिक वृद्धि		-7.15	11.82	10.03	10.34				
झारखंड			**1.65**	**-4.47**	**6.81**			**138.94**	**0**
वार्षिक वृद्धि		0.00	1.65	-6.12	11.28				
कर्नाटक	**-18.02**	**-12.56**	**-21.44**	**-16.36**	**-6.07**	हां	हां	**286.15**	**217.23**
वार्षिक वृद्धि		5.46	-8.88	5.08	10.29				
केरल	**-45.63**	**-36.05**	**-28.77**	**-38.76**	**-29.29**	हां	हां	**208.48**	**69.05**
वार्षिक वृद्धि		9.58	7.28	-9.99	9.47				
मध्य प्रदेश	**-22.21**	**-16.71**	**-28.17**	**-8.73**	**-35.26**	हां		**293.14**	**33.08**
वार्षिक वृद्धि		5.5	-11.46	19.44	-26.53				
महाराष्ट्र	**-16.89**	**-26.50**	**-27.21**	**-30.13**	**-24.32**	हां	हां	**492.33**	**55.55**
वार्षिक वृद्धि		-9.61	-0.71	-2.92	5.81				
मणिपुर	**-26.00**	**-7.55**	**-13.70**	**-6.56**	**-17.50**	हां	हां	**272.23**	**185.55**
वार्षिक वृद्धि		18.45	-6.15	7.14	-10.94				
मेघालय	**1.68**	**4.65**	**-2.99**	**6.55**	**6.48**	हां	हां	**245.75**	**154.37**
वार्षिक वृद्धि		2.97	-7.64	9.54	-0.07				
मिजोरम	**-3.61**	**-23.35**	**-29.95**	**-10.70**	**-2.51**	हां		**254.70**	**0**
वार्षिक वृद्धि		-19.74	-6.60	19.25	8.19				
नागालैण्ड	**-0.82**	**-2.88**	**-7.71**	**-11.83**	**5.32**	हां	हां	**535.48**	**311.66**
वार्षिक वृद्धि		-2.06	-4.83	-4.12	17.15				
उड़ीसा	**-43.74**	**-27.99**	**-40.15**	**-18.67**	**-30.61**	हां	हां	**315.35**	**263.73**
वार्षिक वृद्धि		15.75	-12.16	21.48	-11.94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	**-36.52**	**-24.91**	**-42.35**	**-33.91**	**-25.88**	**हां**	**हां**	**174.97**	**65.03**
वार्षिक वृद्धि		11.61	-17.44	8.44	8.03				
राजस्थान	**-37.18**	**-21.24**	**-31.23**	**-30.07**	**-23.36**	**हां**	**हां**	**438.33**	**231.45**
वार्षिक वृद्धि		15.94	-9.99	1.16	6.71				
सिक्किम	**0.12**	**11.51**	**7.91**	**9.51**	**9.49**	**हां**		**128.15**	**51.70**
वार्षिक वृद्धि		11.39	-3.60	1.60	-0.02				
तमिलनाडु	**-26.95**	**-18.76**	**-14.55**	**-23.28**	**-16.19**	**हां**	**हां**	**402.36**	**124.38**
वार्षिक वृद्धि		8.19	4.21	-8.73	7.09				
त्रिपुरा	**-1.57**	**-5.86**	**2.92**	**-4.29**	**4.03**	**हां**	**हां**	**377.31**	**225.94**
वार्षिक वृद्धि		-4.29	8.78	-7.21	8.32				
उत्तरप्रदेश	**-33.74**	**-25.41**	**-24.20**	**-18.39**	**-60.68**	**हां**		**972.00**	**405.10**
वार्षिक वृद्धि		8.33	1.21	5.81	-42.29				
उत्तरांचल		**1.15**	**-12.65**	**-14.25**	**-23.33**	**हां**		**44.77**	**0.00**
वार्षिक वृद्धि		1.15	-13.80	-1.60	-9.08				
पश्चिम बंगाल	**-90.95**	**-52.20**	**-60.92**	**-59.45**	**-53.87**	**हां**	**हां**	**919.68**	**712.65**
वार्षिक वृद्धि		38.75	-8.72	1.47	5.58				
सभी राज्य	**-27.23**	**-23.85**	**-24.49**	**-21.00**	**-22.89**			**10607.72**	**5029.51**

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध 11.2
(पैरा 11.11)

प्रोत्साहन निधियों से राज्यों को जारी निधियां

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	2000-01 के लिए जारी प्रथम क्षिरत – जारी धनराशि			2001-02 के लिए जारी द्वितीय किश्त – जारी धनराशि			2002-03 के लिए जारी तृतीय किश्त – जारी धनराशि			2003-04 के लिए जारी चौथी किश्त – जारी धनराशि			वी.आर.एस. आदि के लिए जारी धनराशि	महायोग
		भाग क	भाग ख	जोड़	भाग क	भाग ख	जोड़	भाग क	भाग ख	जोड़	भाग क	भाग ख	जोड़		
1	आंध्र प्रदेश		47.94	47.94		83.40	83.40		90.27	90.27					221.61
2	अरुणाचल प्रदेश	36.69	0.52	37.21	37.01	0.90	37.91	36.92	0.97	37.89					113.01
3	असम	16.60	16.12	32.72		28.04	28.04		30.35	30.35					91.11
4	बिहार		46.42	46.42		80.76	80.76								127.18
5	छत्तीसगढ़		12.84	12.84		22.31	22.31								35.15
6	गोवा														0
7	गुजरात														0
8	हरियाणा														0
9	हिमाचल प्रदेश	157.42	3.81	161.23	150.33	6.63	156.96								318.19
10	जम्मू और कश्मीर	316.75	5.09	321.84	336.13	8.85	344.98	335.91	9.58	345.49				4.48	1016.79
11	झारखंड														0
12	कर्नाटक		32.29	32.29		56.17	56.17		60.80	60.80		67.97	67.97		217.23
13	केरल		23.52	23.52		40.92	40.92							4.61	69.05
14	मध्य प्रदेश		33.08	33.08											33.08
15	महाराष्ट्र		55.55	55.55											55.55
16	मणिपुर	53.20	1.18	54.38	53.26	2.06	55.32	52.80	2.23	55.03				20.82	185.55
17	मेघालय	50.72	1.12	51.84	49.56	1.94	51.50	48.93	2.10	51.03					154.37
18	मिजोरम														0
19	नागालेण्ड	96.65	0.57	97.22	101.09	0.99	102.08	108.02	1.07	109.09				3.27	311.66
20	उड़ीसा	53.77	24.18	77.95	5.46	42.07	47.53	41.80	45.54	87.34		50.91	50.91		263.73
21	पंजाब	42.63	14.93	57.56										7.47	65.03
22	राजस्थान	143.29	28.39	171.68								59.77	59.77		231.45
23	सिक्किम	25.46	0.23	25.69	25.61	0.40	26.01								51.70
24	तमिलनाडु		45.40	45.40		78.98	78.98								124.38
25	त्रिपुरा	73.99	0	73.99	73.95	2.98	76.93				71.41	3.61	75.02		225.94
26	उत्तरप्रदेश	151.44	92.59	244.03	0	161.07	161.07								405.10
27	उत्तरांचल														0
28	पश्चिम बंगाल	253.46	48.83	302.29	155.18	84.95	240.13	78.28	91.95	170.23					712.65
	जोड़	**1472.07**	**534.60**	**2006.67**	**987.58**	**703.42**	**1691.00**	**702.66**	**334.86**	**1037.52**	**71.41**	**182.26**	**253.67**	**40.65**	**5029.51**

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध 12.1
(पैरा 12.5)

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार ऋणों की संरचना

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	केन्द्रीय ऋण	राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण	बाजार ऋण एवं बॉन्ड	बैंक आदि से ऋण	आरबीआई से डब्ल्यू एण्ड एम अग्रिम	भविष्य निधि और जमा राशियां	प्रारक्षित निधि एवं जमा राशियां	विविध (पीएसयू)	कुल ऋण	ऋण * (अल्पावधि ऋण को छोड़कर)
1.	आंध्र प्रदेश	18702.17	10282.48	21283.47	1460.35		4601.91	4801.93		61132.31	56330.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	594.48		165.85	128.42		316.98			1205.73	1205.73
3.	असम	6820.01		4497.17	355.99	435.31	2227.89	673.76		15010.13	13901.06
4.	बिहार	12426.31		7763.52	8241.02	434.27	7213.22	3706.20		39784.54	35644.07
5.	छत्तीसगढ़	5118.72		2623.25	379.57		1209.91	454.81		9786.26	9331.45
6.	गोवा	1542.44		797.75						2340.19	2340.19
7.	गुजरात	14313.00	21375.00	12477.00	1972.00		3684.00	8913.00		62734.00	53821.00
8.	हरियाणा	3695.51		5850.95	6340.50		4953.95	1351.43		22192.34	20840.91
9.	हिमाचल प्रदेश	1838.07		2909.64	6733.13	117.91	2891.17	966.15	1090.63	16546.70	15462.64
10.	जम्मु एवं कश्मीर	4942.31		3301.69	1542.47	1381.10	2910.49	400.56		14478.62	12696.96
11.	झारखंड	4327.40		2676.49	16.22	8.86	2823.67	1395.03		11247.67	9843.78
12.	कर्नाटक	10882.90		9653.36	10145.40		5893.02	5090.00		41664.68	36574.68
13.	केरल	5624.61		13566.09	3213.71	598.33	14403.33	1780.48		39186.55	36807.74
14.	मध्यप्रदेश	9632.07		7846.76	10468.20		7608.89			35555.92	35555.92
15.	महाराष्ट्र	45399.63		14679.95	5567.30		9045.09	8462.40		83154.37	74691.97
16.	मणिपुर	811.37		685.79	131.59	55.28	514.00	176.52		2374.55	2142.75
17.	मेघालय	406.91		635.12	201.36		409.03	407.53		2059.95	1652.42
18.	मिज़ोरम	519.53		467.65	386.66	112.92	601.63	98.00		2186.39	1975.47
19.	नागालैंड	400.53		1202.03	400.47		528.80	2.93		2534.76	2531.83
20.	उड़ीसा	12461.68		9907.47	1555.48		8386.11	2557.58		34868.32	32310.74
21.	पंजाब	9419.13		6059.24	18711.91	455.27	6766.90	679.42		42091.87	40957.18
22.	राजस्थान	24044.58		12290.78	2343.48		10520.53	4309.75		53509.12	49199.37
23.	सिक्किम	278.48		295.76	106.37		256.92	38.90		976.43	937.53
24.	तमिलनाडु	9426.90	9773.93	14923.37	3808.91	596.33	7129.37	4014.85		49673.66	45062.48
25.	त्रिपुरा	1190.22		918.82	371.17	62.80	1083.63			3626.64	3563.84
26.	उत्तर प्रदेश	28302.00	21715.00	23296.00	8156.00		17947.00	19806.00		119222.00	99416.00
27.	उत्तरांचल	353.33	2087.87	3236.35	776.51		943.38			7397.44	7397.44
28.	पश्चिम बंगाल	19335.00	31580.67	16678.60	9017.01	830.50	4505.02	7371.00		89317.80	81116.30
	कुल	**252809.29**	**96814.95**	**200689.92**	**102531.20**	**5088.88**	**129375.84**	**77458.23**	**1090.63**	**865858.94**	**783311.83**

*टिप्पणीः आरबीआई से प्राप्त डब्ल्यूएण्डएम अग्रिमों और प्रारक्षितनिधियों और जमारशियां को छोड़कर (कुल ऋण से प्रारक्षितनिधियां घटाकर और आरबीआई से प्राप्त जमारारियों से घटाकर डब्ल्यूएण्डएम अग्रिमों। केन्द्रीय ऋणों में एनएसएसएफ ऋणों को शामिल किया गया है।

स्रोतः राज्य सरकार

अनुबंध 12.2
(पैरा 12.5)

31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार ऋण की संरचना

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	केन्द्रीय ऋण	राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण	बाजार ऋण तथा बॉन्ड	बैंक आदि से ऋण	आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम	भविष्य निधि और जमा राशियां	प्रारक्षित निधि एवं जमा राशियां	अन्य (पीएसयू)	कुल ऋण	ऋण * (अल्पावधि ऋण को छोड़कर)
1.	आंध्र प्रदेश	20133.43	13912.18	24680.54	2621.23		5045.09	3499.53		69892.00	66392.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	622.25		196.14	158.56		362.26			1339.21	1339.21
3.	असम	7193.66		5271.33	542.01	435.31	2908.24	673.76		17024.31	15915.24
4.	बिहार	12081.51		8363.43	11307.03	349.94	7203.59	3706.04		43011.54	38955.56
5.	छत्तीसगढ़	5130.97		3129.41	612.26		1271.45	454.82		10598.91	10144.09
6.	गोवा	1503.35	783.25							2286.60	2286.60
7.	गुजरात	15933.00	26206.00	12786.00	2291.00		4099.00	8913.00		70228.00	61315.00
8.	हरियाणा	2480.91		6795.75	8075.35		5431.30	1290.03		24073.34	22783.31
9.	हिमाचल प्रदेश	1851.07		3251.12	7598.94	140.00	3304.46	966.15	871.85	17983.59	16877.44
10.	जम्मु एवं कश्मीर	5379.29		3429.54	1707.47	1381.10	3202.16	324.04		15423.60	13718.46
11.	झारखंड	4806.49		4064.56	766.09	8.86	2978.67	1531.48		14156.15	12615.81
12.	कर्नाटक	11778.45		10741.32	12883.79		6590.07	4391.80		46385.43	41993.63
13.	केरल	5254.04		15809.97	3720.18	598.33	15806.90	2333.59		43523.01	40591.09
14.	मध्यप्रदेश	9322.60		10448.40	14481.21		8313.91			42566.12	42566.12
15.	महाराष्ट्र	51281.79		15704.84	7142.77		9799.94	9277.43		93206.77	83929.34
16.	मणिपुर	1496.19		749.85	129.23	55.08	514.00	176.52		3120.87	2889.27
17.	मेघालय	449.89		705.12	244.36		485.53	449.77		2334.67	1884.90
18.	मिज़ोरम	549.36		492.62	441.93		721.63			2205.54	2205.54
19.	नागालैंड	465.57		1378.20	431.99		507.36	2.93		2786.05	2783.12
20.	उड़ीसा	13737.44		11822.18	1872.61		9183.31	1792.48		38408.02	36615.54
21.	पंजाब	8621.92		7604.38	22634.23	455.27	7973.47	978.96		48268.23	46834.00
22.	राजस्थान	26574.04		14997.45	2070.35		11869.55	4466.36		59977.75	55511.39
23.	सिक्किम	276.18		350.71	111.22		268.28	38.20		1044.59	1006.39
24.	तमिलनाडु	8810.78	9773.93	16522.23	3125.32		7592.75	4442.18		50267.19	45825.01
25.	त्रिपुरा	1346.83		1291.45	375.55	95.00	1190.69			4299.52	4204.52
26.	उत्तर प्रदेश	27860.00	27360.00	24816.00	8365.00		19521.00	21670.00		129592.00	107922.00
27.	उत्तरांचल	602.43	2989.87	3546.34	1022.50		1243.38			9404.52	9404.52
28.	पश्चिम बंगाल	15872.36	41405.67	21343.46	9503.67	830.50	4715.06	6791.40		100462.12	92840.22
	कुल	**261415.80**	**122430.90**	**230292.34**	**124235.85**	**4349.39**	**142103.05**	**78170.47**	**871.85**	**963869.65**	**881349.79**

*टिप्पणी:आरबीआई से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों और प्रारक्षित निधियों और जमाराशियां को छोड़कर (आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम घटाकर कुल ऋण से प्रारक्षित निधियां घटाकर और जमाराशियां डब्ल्यूएण्डएम अग्रिमों।

केन्द्रीय ऋणों में एनएसएसएफ ऋणों को शामिल किया गया है।

स्रोतः राज्य सरकार

अनुबंध 12.3
(पैरा 12.10)

राज्यों को केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की दरें

केन्द्रीय ऋणों (अल्प बचत ऋणों के अलावा) पर ब्याज की दरें: आयोजना और आयोजना-भिन्न

	ऋणों के प्रकार	प्रतिशत प्रतिवर्ष
राज्य आयोजना ऋण		
(क)	1979 से पूर्व समेकित राज्य आयोजना ऋण	4.75
(ख)	वर्ष 1979-84 के दौरान अग्रिम दिए गए ऋणों को 15 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि स्तरों के लिए समेकित	6.00-6.75
(ग)	नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 1984-89 के दौरान राज्य आयोजना अग्रिम दिए गए ऋणों तथा 1989-90 के अंत तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशियां 15 वर्षों के लिए समेकित की गई।	9.00
निम्नलिखित तारीखों से राज्यों को दिए गए अन्य आयोजना तथा आयोजना-भिन्न ऋण		
i)	1.6.84 से 31.5.85	7.50
ii)	1.6.85 से 31.5.86	8.00
iii)	1.6.86 से 31.5.87	8.75
iv)	1.6.87 से 31.5.88	9.25
v)	1.6.88 से 31.5.90	9.75
vi)	1.6.90 से 31.5.91	10.25
vii)	1.6.91 से 31.5.92	10.75
viii)	1.6.92 से 31.5.93	11.75
ix)	1.6.93 से 31.5.95	12.00
x)	1.6.95 से 31.5.98	13.00
xi)	1.6.98 से 31.3.2001	12.50
xii)	1.4.2001 से 31.3.2002	12.00
xiii)	1.4.2002 से 31.3.2003	11.50
xiv)	1.4.2003 से 31.3.2004	10.50
xv)	1.4.2004 – आज तक	9.00

अल्प बचतों के संग्रहों के एवज में राज्यों के ऋणों पर ब्याज की दरें

ऋण की तारीख	प्रतिशत प्रतिवर्ष
1.8.74 से 31.5.81	6.25
1.6.81 से 31.5.82	7.25
1.6.82 से 31.5.83	7.75
1.6.83 से 31.5.84	8.75
1.6.84 से 31.5.85	9.75
1.6.85 से 31.5.86	10.25
1.6.86 से 31.5.89	12.00
1.6.89 से 31.5.91	13.00
1.6.91 से 31.5.92	13.50
1.6.92 से 31.5.93	14.50
1.6.93 से 1.9.93	15.00
2.9.93 से 31.12.98	14.50
1.1.99 से 31.3.99	14.00

अनुबंध 12.4
(पैरा 12.11)

जीएसडीपी के प्रतिशतांक के रूप में राज्यों का बकाया ऋण (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

	क. विशेष श्रेणी वाले राज्य	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	अरुणाचल प्रदेश	31.80	37.28	35.99	41.77	42.43	43.06	46.86	51.47	54.50	55.45
2	असम	27.26	25.72	27.02	27.28	26.92	25.98	28.73	29.76	33.89	33.91
3	हिमाचल प्रदेश	38.37	38.22	45.18	40.26	39.53	49.95	50.18	52.76	58.14	63.25
4	जम्मु एवं कश्मीर	57.38	55.19	48.83	51.20	49.47	41.37	43.63	50.52	52.07	53.80
5	मणिपुर	34.03	32.26	32.91	31.03	41.67	44.98	45.73	40.06	49.23	43.08
6	मेघालय	19.34	22.12	20.53	21.77	20.09	24.61	26.86	29.44	29.43	32.17
7	मिज़ोरम	45.47	47.73	47.06	56.35	57.95	62.43	70.19	67.16	76.00	81.56
8	नागालैण्ड	39.21	39.37	44.42	44.60	45.93	47.94	47.03	43.36	46.98	52.10
9	सिक्किम	52.04	52.07	52.19	51.98	52.15	58.03	74.16	63.51	62.25	60.27
10	त्रिपुरा	36.94	32.46	35.04	32.22	30.02	33.16	35.32	36.86	37.25	37.78
11	उत्तरांचल								21.75	27.63	32.37
	कुल-वि.श्रे. (क)	**36.48**	**35.07**	**35.97**	**36.23**	**36.11**	**36.98**	**39.16**	**38.19**	**42.41**	**44.29**
	ख. गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्य										
1	आंध्र प्रदेश	19.08	18.46	18.70	18.56	20.64	20.62	23.15	24.77	26.85	28.85
2	बिहार	32.43	32.12	34.85	33.46	33.62	33.16	35.46	44.83	53.32	55.33
3	छत्तीसगढ़								22.01	21.66	25.46
4	गोवा	42.48	39.66	35.44	28.37	28.94	27.99	28.23	29.72	33.62	28.15
5	गुजरात	18.33	15.96	16.16	16.27	16.93	17.90	21.68	28.27	29.99	33.93
6	हरियाणा	18.94	17.92	19.24	17.82	18.73	20.90	22.63	24.34	26.96	27.85
7	झारखंड								21.96	22.99	24.28
8	कर्नाटक	16.32	16.63	16.44	15.72	16.61	16.61	18.84	19.97	23.43	25.12
9	केरल	26.32	26.66	24.87	24.14	22.82	26.26	29.70	31.95	36.10	36.34
10	मध्य प्रदेश	17.70	17.57	17.46	17.55	18.21	19.62	21.68	27.18	27.71	32.28
11	महाराष्ट्र	11.99	11.79	10.83	11.86	13.74	14.34	15.31	17.71	19.15	21.56
12	उड़ीसा	33.16	32.25	33.28	37.65	38.25	39.73	47.16	54.84	57.19	62.93
13	पंजाब	33.59	33.61	33.81	32.29	33.31	36.65	37.78	41.10	44.81	48.51
14	राजस्थान	25.35	23.45	24.60	23.47	25.09	28.56	33.52	37.38	40.18	45.38
15	तमिलनाडु	15.82	15.72	15.51	15.08	15.08	16.02	18.39	19.80	22.53	26.80
16	उत्तर प्रदेश	26.39	25.98	26.13	25.04	26.67	29.03	32.79	35.36	37.52	39.08
17	पश्चिम बंगाल	20.15	20.43	20.50	21.76	22.58	24.49	29.30	34.83	38.12	41.15
	कुल-गै.वि. श्रेणी (ख)	**20.78**	**20.31**	**20.17**	**20.16**	**21.27**	**22.59**	**25.34**	**28.34**	**30.84**	**33.54**
	कुल जोड़ (क+ख)	**21.54**	**21.01**	**20.89**	**20.88**	**21.96**	**23.27**	**26.03**	**28.96**	**31.54**	**34.21**

प्रारक्षित निधियों और जमाराशियों को छोड़कर ऋण

स्रोतः राज्य वित्त लेखा और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

अनुबंध 12.5
(पैरा 12.12)

कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतांक के रूप में ब्याज अदायगियां (निवल लाटरियों को शामिल कर)

क्रम सं	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	औसत (2000-01 से 2004-05)	औसत (2000-01 से 2002-03)
क. विशेष श्रेणी वाले राज्य								
1	अरुणाचल प्रदेश	12.55	10.04	11.31	10.60	11.98	11.30	11.30
2	असम	15.35	17.80	18.32	18.37	14.55	16.88	17.16
3	हिमाचल प्रदेश	26.21	28.10	32.02	38.55	41.46	33.27	28.78
4	जम्मु एवं कश्मीर	13.58	16.15	14.51	12.93	12.09	13.85	14.75
5	मणिपुर	16.97	16.27	19.18	18.07	21.67	18.43	17.47
6	मेघालय	10.04	11.45	11.74	10.78	11.50	11.10	11.08
7	मिज़ोरम	12.23	16.86	13.03	13.23	17.53	14.58	14.04
8	नागालैंड	14.13	15.14	15.94	12.28	15.40	14.58	15.07
9	सिक्किम	12.31	11.22	9.86	9.88	8.97	10.45	11.13
10	त्रिपुरा	13.80	13.56	15.46	14.11	13.35	14.06	14.27
11	उत्तरांचल		18.55	17.19	21.87	17.16	18.69	17.87
	कुल वि. श्रेणी (क)	**15.56**	**17.61**	**17.69**	**18.02**	**16.95**	**17.17**	**16.95**
ख. गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य								
1	आंध्र प्रदेश	19.47	20.98	26.65	25.24	23.21	23.11	22.37
2	बिहार*	28.11	26.72	27.55	24.57	23.63	26.12	27.46
3	छत्तीसगढ़		16.71	14.95	14.35	14.49	15.13	15.83
4	गोवा	18.90	19.86	19.75	17.53	16.78	18.56	19.50
5	गुजरात	19.83	26.29	27.66	27.89	28.42	26.02	24.59
6	हरियाणा	23.82	22.56	23.66	23.74	24.72	23.70	23.35
7	झारंखड		12.63	28.74	13.31	11.10	16.45	20.69
8	कर्नाटक	16.14	17.56	20.53	18.83	17.22	18.05	18.07
9	केरल	26.17	27.84	28.01	26.87	26.24	27.02	27.34
10	मध्य प्रदेश*	8.78	20.10	18.69	23.14	21.40	20.42	19.19
11	महाराष्ट्र	17.68	21.45	23.12	23.28	25.89	22.29	20.75
12	उड़ीसा	33.13	40.22	34.19	33.94	30.20	34.34	35.85
13	पंजाब	30.24	44.95	40.34	33.13	29.68	35.67	38.51
14	राजस्थान	26.93	31.91	32.87	30.57	29.72	30.40	30.57
15	तमिलनाडु	17.12	18.75	19.95	20.46	21.09	19.47	18.61
16	उत्तर प्रदेश*	30.12	32.11	25.37	32.81	30.80	30.24	29.20
17	पश्चिम बंगाल	36.20	43.92	52.86	53.47	48.11	46.91	44.33
	कुल-गै.वि. श्रेणी (ख)	**23.18**	**26.19**	**27.11**	**27.16**	**26.29**	**25.99**	**25.49**
	कुल जोड़ (क+ख)	**22.42**	**25.23**	**26.04**	**26.07**	**25.19**	**24.99**	**24.57**

***** **वर्ष 2000-01 के लिए आंकड़े अविभाजित राज्यों के आठ महीनों तथा विभाजित राज्यों के चार महीनों से संबंधित हैं।**

स्रोतः राज्य वित्त लेखे/बजट दस्तावेज।

अनुबंध 12.6
(पैरा 12.42)

31.03.2004 तक स्वीकृत केन्द्रीय ऋण का बकाया और 2005-06 से 2009-10 के दौरान पुनर्भुगतान प्रोफाइल (समेकन एवं पुनः अनुसूचीकरण से पूर्व)

(करोड़ रुपए में)

राज्य	31.03.2004-को बकाया शेष	31.03.2005-को इन ऋणों का बकाया शेष	विद्यमान शर्तों के अनुसार 2005-10 तक देय पुनर्भुगतान: ब्लाक ऋण	लघु बचत ऋण	मध्यावधि ऋण	1979-80 से पूर्व समेकित-ऋण (30 वर्ष)	79-80 से पूर्व - पुनर्गठित ऋण (30 वर्ष)	1979-84 से समेकित ऋण (25 वर्ष)	1979-84 से समेकित-ऋण (30 वर्ष)	1984-89 से समेकित-ऋण (15 वर्ष)	अन्य	2005 से 2010 तक-कुल देय पुर्नभुगतान
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	18545.00	15337.14	4185.30	204.52	0	0	75.44	0	108.67	0	0	4573.93
अरुणाचल प्रदेश	409.40	389.56	116.71	0.66	0	0	0	0	0	0	0	117.37
असम	2939.83	2099.82	347.32	92.33	465.00	0	22.12	0	105.63	0	0.17	1032.57
बिहार	10181.29	7704.08	2153.12	243.79	0	0	54.32	0	95.24	0	0	2546.47
छत्तीसगढ़	2748.11	2281.26	618.73	50.14	0	20.30	0	0	27.17	0	0	716.35
गोवा	585.56	528.54	162.24	8.96	0	0	0	0	0	0	0	171.19
गुजरात	14037.04	10463.92	2896.52	488.93	0	52.17	0	0	0	27.51	0	3465.13
हरियाणा	3627.74	2325.73	639.43	141.76	0	23.61	0	34.92	0	0	0	839.73
हिमाचल प्रदेश	1777.37	824.24	207.05	57.35	0	0	3.92	0	7.61	0	0	275.94
जम्मु एवं कश्मीर	2697.73	1895.35	481.47	41.23	0	0	27.13	0	85.38	0	0	635.22
झारखंड	3052.48	2637.95	731.27	82.53	0	0	18.39	0	32.24	0	0	864.43
कर्नाटक	10555.40	8318.17	2229.12	258.86	0	22.88	0	0	0	0	0	2510.86
केरल	5517.28	4252.19	1223.04	101.68	0	50.35	0	67.11	0	0	0	1442.19
मध्य प्रदेश	8977.66	7500.42	2222.68	138.23	0	55.95	0	0	74.91	0	0	2491.76
महाराष्ट्र	16166.55	7812.88	2137.78	889.24	0	59.33	0	0	0	0	0	3086.34
मणिपुर	777.11	754.16	100.70	1.49	371.00	0	2.21	0	5.29	0	0	480.68
मेघालय	356.65	321.07	85.82	6.34	0	0	0.36	0	2.57	0	0	95.08
मिज़ोरम	290.56	271.39	74.82	0.34	0	0	0	0	0	0	0	75.16
नागालेंड	341.33	320.59	95.49	1.58	0	0	0	0	4.43	0	0	101.50
उड़ीसा	8965.24	7005.17	1740.60	74.36	692.00	0	39.77	0	77.41	0	0	2624.14
पंजाब	5396.83	3053.69	885.43	227.80	1.67	0	0	0	0	0	0	1114.90
राजस्थान	9605.40	6833.53	1648.98	186.35	462.50	0	66.18	0	81.12	0	1.02	2446.16
सिक्किम	208.45	192.28	55.45	0.85	0	0	0.37	0	2.10	0	0	58.76
तमिलनाडु	9180.55	6872.68	2215.75	171.37	0	19.71	0	0	0	0	0	2406.84
त्रिपुरा	555.96	470.10	131.42	9.32	0	1.55	0	0	0	0	0	142.29
उत्तर प्रदेश	27407.35	18340.48	5188.90	639.18	0	0	85.58	224.50	0	0	0	6138.16
उत्तरांचल	308.17	288.09	41.83	3.63	0	0	4.53	11.90	0	0	0	61.89
पश्चिम बंगाल	19056.02	9700.29	2421.67	558.97	438.00	74.06	0	119.85	0	0	0	3612.55
जोड़	**184268.06**	**128794.75**	**35038.65**	**4681.78**	**2430.17**	**379.92**	**400.31**	**458.28**	**709.78**	**27.51**	**1.19**	**44127.60**

टिप्पणी 1. उक्त आंकड़ों में मंत्रालयों विभागों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय आयोजन योजनाओं के लिए ऋण शामिल नहीं हैं।

2. इन आकड़ों में 2004-05 में प्रदान किए गए नवीन ऋण शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

अनुबंध 12.7
(पैरा 12.42)

31.3.2004 से पूर्व अनुबंधित और (31.03.05 तक बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन केबाद राज्यवार राहत)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	कुल (2005-10 के दौरान ऋण सेवा) पुनर्भुगतान	ब्याज	कुल
	1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	739.64	2683.74	3423.38
2	अरुणाचल प्रदेश	19.98	71.73	91.71
3	असम	507.62	153.87	661.49
4	बिहार	620.45	1268.27	1888.72
5	छत्तीसगढ़	146.03	393.77	539.80
6	गोवा	39.06	94.66	133.72
7	गुजरात	849.15	1840.02	2689.17
8	हरियाणा	258.30	387.67	645.96
9	हिमाचल प्रदेश	69.88	134.79	204.67
10	जम्मु एवं कश्मीर	161.38	264.02	425.40
11	झारखंड	204.94	454.49	659.43
12	कर्नाटक	431.32	1529.43	1960.74
13	केरल	379.14	715.03	1094.17
14	मध्य प्रदेश	616.66	1310.98	1927.64
15	महाराष्ट्र	1133.12	1217.39	2350.51
16	मणिपुर	292.14	27.26	319.40
17	मेघालय	14.82	56.49	71.30
18	मिज़ोरम	7.31	50.54	57.85
19	नागालैण्ड	21.35	56.06	77.41
20	उड़ीसा	872.85	1008.43	1881.28
21	पंजाब	351.48	523.18	874.66
22	राजस्थान	737.77	962.25	1700.02
23	सिक्किम	10.69	33.96	44.65
24	तमिलनाडु	688.67	1195.47	1884.14
25	त्रिपुरा	24.77	123.97	148.73
26	उत्तर प्रदेश	1553.04	3132.68	4685.72
27	उत्तरांचल*	-10.13	37.70	27.57
28	पश्चिम बंगाल	1187.48	1547.81	2735.29
	जोड़	11928.91	21275.65	33204.56

* राज्य जिनको हमारी निर्णीत अवधि में कुछ पूरे ऋण का पुनर्भुगतान करना पड़ता, उसका पुनर्भुगतान लाभ नहीं उठा रहे हैं और 20 वर्षों के लिए नवीन सूचीकरण करवा रहे हैं तथा वर्तमान ब्लाक ऋण पुनर्भुगतान प्रोफाइल में 2005 से 2009 तक ऋण स्थगन के लिए आधा पुनर्भुगतान दिख पड़ता है।

अनुबंध 12.8
(पैरा 12.44 (ग))

राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ऋण राहत के प्रोत्साहन की गणना

(करोड़ रुपए में)

	राज्य	2001-02 (वास्त.)	2002-03 (वास्त.)	2003-04 (स.अ.)	औसत राजस्वधिशेष/घाटा (2001-02 से 203-04 तक) (अ)	समेकन एवं पुनः सूचीकरण के बाद 2005-10 तक देय पुर्नभुगतान (ख)	देय वार्षिक पुर्नभुगतान {(ख)/5}	औसत घाटे से कुल पुर्नभुगतान का अनुपात (2001-02 से 2003-04) {(ख)/(क)} *
		राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)						
	1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य श्रेणी राज्य								
1	आंध्र प्रदेश	-2881	-3054	-2904	-2947	3834.29	766.86	1.30
2	बिहार	-1320	-1287	-1107	-1238	1926.02	385.20	1.56
3	छत्तीसगढ़	-569	-113	-584	-422	570.31	114.06	1.35
4	गोवा	-229	-167	-92	-162	132.13	26.43	0.81
5	गुजरात	-6732	-3565	-3462	-4586	2615.98	523.20	0.57
6	हरियाणा	-1055	-685	-904	-881	581.43	116.29	0.66
7	झारखंड	-305	-573	142	-245	659.49	131.90	2.69
8	कर्नाटक	-3296	-2646	-1318	-2420	2079.54	415.91	0.86
9	केरल	-2606	-4122	-3676	-3468	1063.05	212.61	0.31
10	मध्य प्रदेश	-3158	-1169	-5204	-3177	1875.10	375.02	0.59
11	महाराष्ट्र	-8189	-9371	-9037	-8865	1953.22	390.64	0.22
12	उडीसा	-2833	-1576	-2963	-2457	1751.29	350.26	0.71
13	पंजाब	-3781	-3754	-3539	-3692	763.42	152.68	0.21
14	राजस्थान	-3796	-3934	-3667	-3799	1708.38	341.68	0.45
15	तमिलनाडु	-2739	-4851	-3700	-3763	1718.17	343.63	0.46
16	उत्तर प्रदेश	-6195	-5117	-19938	-10417	4585.12	917.02	0.44
17	पश्चिम बंगाल	-8856	-8635	-9376	-8956	2425.07	485.01	0.27
	कुल-जीसी राज्य	**-58539**	**-54619**	**-71329**	**-61496**	**30242.03**	**6048.41**	
विशेष श्रेणी राज्य								
1	अरुणाचल प्रदेश	56	77	-39	31	97.39	19.48	
2	असम	-881	-319	-1634	-945	524.95	104.99	0.56
3	हिमाचल प्रदेश	-860	-1482	-1508	-1284	206.06	41.21	0.16
4	जम्मु एवं कश्मीर	-336	369	1910	647	473.84	94.77	
5	मणिपुर	-161	-87	-280	-176	188.54	37.71	1.07
6	मेघालय	-34	84	110	54	80.27	16.05	
7	मिज़ोरम	-260	-109	-32	-134	67.85	13.57	0.51
8	नागालैण्ड	-103	-159	99	-54	80.15	16.03	1.47
9	सिक्किम	143	198	163	168	48.07	9.61	
10	त्रिपुरा	54	-81	93	22	117.53	23.51	
11	उत्तरांचल	-205	-458	-1463	-709	72.02	14.40	0.10
	जोड़- वि. श्रेणी राज्य	**-2588**	**-1969**	**-2582**	**-2379**	**1956.66**	**391.33**	
	जोड़-सभी राज्य	**-61127**	**-56588**	**-73911**	**-63875**	**32198.69**	**6439.74**	

टिप्पणीः* यह धनराशि राजस्व घाटे के प्रत्येक रुपए में हुई कमी के लिए पुर्नभुगतान को बट्टे खाते में डालने को दर्शाती है।

अनुबंध 12.9
[पैरा 12.44 (घ)]

31.03.2004 तक अनुबंध किए गए तथा 31.03.2005 तक शेष केन्द्रीय ऋणों के समेकन, पुनःसूचीकरण तथा ब्याज की दर 7.5% कम करने के बाद ब्याज भुगतान पर संचयी राहत

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	राज्य	2004-05 ब्याज छूट	2005-06 ब्याज छूट	2005-06 तक संचित ब्याज छूट	2006-07 ब्याज छूट	2006-07 तक संचित ब्याज छूट	2007-08 ब्याज छूट	2007-08 तक संचित ब्याज छूट	2008-09 ब्याज छूट	2008-09 तक संचित ब्याज छूट	2009-10 ब्याज छूट	2009-10 तक संचित ब्याज छूट
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	0	611.66	611.66	582.74	1194.40	548.11	1742.51	499.42	2241.93	441.81	2683.74
2	अरुणाचल प्रदेश	0	16.40	16.40	15.63	32.03	14.65	46.68	13.32	60.00	11.73	71.73
3	असम	0	68.75	68.75	48.64	117.39	28.05	145.44	6.49	151.93	1.94	153.87
4	बिहार	0	303.45	303.45	281.58	585.03	257.94	842.97	229.24	1072.22	196.05	1268.27
5	छत्तीसगढ़	0	91.38	91.38	86.18	177.56	80.11	257.67	72.59	330.27	63.50	393.77
6	गोवा	0	22.26	22.26	21.01	43.27	19.32	62.60	17.20	79.80	14.85	94.66
7	गुजरात	0	427.83	427.83	407.03	834.86	380.98	1215.84	347.05	1562.89	277.13	1840.02
8	हरियाणा	0	95.72	95.72	87.96	183.68	78.71	262.39	68.37	330.76	56.90	387.67
9	हिमाचल प्रदेश	0	32.46	32.46	30.11	62.57	27.36	89.92	24.23	114.15	20.64	134.79
10	जम्मु एवं कश्मीर	0	64.00	64.00	59.12	123.13	53.60	176.73	47.27	224.00	40.02	264.02
11	झारखंड	0	103.09	103.09	118.27	221.36	87.75	309.12	78.19	387.30	67.19	454.49
12	कर्नाटक	0	348.77	348.77	332.91	681.68	312.84	994.52	284.43	1278.95	250.48	1529.43
13	केरल	0	170.47	170.47	158.90	329.37	145.43	474.80	129.81	604.61	110.42	715.03
14	मध्य प्रदेश	0	297.45	297.45	284.53	581.98	268.42	850.40	243.64	1094.04	216.94	1310.98
15	महाराष्ट्र	0	319.63	319.63	284.34	603.97	246.34	850.30	205.55	1055.86	161.54	1217.39
16	मणिपुर	0	29.90	29.90	16.46	46.35	2.86	49.21	-11.01	38.20	-10.94	27.26
17	मेघालय	0	12.84	12.84	12.25	25.08	11.49	36.57	10.55	47.12	9.37	56.49
18	मिज़ोरम	0	11.22	11.22	10.83	22.05	10.29	32.34	9.56	41.90	8.64	50.54
19	नागालैण्ड	0	13.12	13.12	12.35	25.47	11.41	36.87	10.26	47.13	8.93	56.06
20	उड़ीसा	0	277.36	277.36	240.71	518.08	200.20	718.28	155.94	874.22	134.21	1008.43
21	पंजाब	0	129.98	129.98	118.40	248.38	105.38	353.76	90.48	444.24	78.94	523.18
22	राजस्थान	0	253.98	253.98	223.94	477.92	190.97	668.89	155.39	824.28	137.97	962.25
23	सिक्किम	0	7.82	7.82	7.42	15.24	6.91	22.15	6.27	28.42	5.54	33.96
24	तमिलनाडु	0	292.30	292.30	269.44	561.74	241.98	803.72	211.20	1014.92	180.56	1195.47
25	त्रिपुरा	0	30.93	30.93	28.16	59.08	25.08	84.16	21.66	105.82	18.15	123.97
26	उत्तर प्रदेश	0	743.28	743.28	695.26	1438.53	634.65	2073.18	564.15	2637.33	495.35	3132.68
27	उत्तरांचल	0	7.21	7.21	7.40	14.61	7.53	22.15	7.69	29.83	7.87	37.70
28	पश्चिम बंगाल	0	398.77	398.77	356.52	755.29	309.18	1064.47	256.74	1321.21	226.60	1547.81
	जोड़	**0**	**5182.04**	**5182.04**	**4798.09**	**9980.13**	**4307.52**	**14287.65**	**3755.70**	**18043.35**	**3232.30**	**21275.65**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 4.1

(पैरा 4.43)

राजकोषीय घाटा और ऋणः राज्य स्तरीय वहनीयता की स्थितियां

4.1.1 राज्य वित्तीय व्यवस्थाओं के पुनर्गठन की योजना में, राज्यों के लिए वर्ष 2009-10 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत का एक समग्र राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों को 2008-09 तक राजस्व घाटा शून्य तक और राजकोषीय घाटा वहनीय स्तरों तक नीचे लाते हुए अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने चाहिए। इन सुधारों को जहां राज्य सरकारों की पहल पर शुरू किया जाना है, वहीं आयोग ने एक कठोर बजट सीमा लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है और यह सुझाव दिया है कि किसी राज्य का सम्पूर्ण उधार कार्यक्रम एक निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए, जिसका निर्धारण सभी स्रोतों से उधार को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जहां ऋण अदायगी का प्रबन्धन एक लोक लेखा के माध्यम से किया जा सकता है, केन्द्र राज्यों को ऋण प्रदायगी बन्द कर दे और उनकी उधार आवश्यकताओं के लिए उन्हे सीधे बाजार में पहुँच बनाने में सहायता करे।

4.1.2 इस संदर्भ में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित वार्षिक उधार की अधिकतम सीमा (क) वृहत विवेचनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए पुनर्गठन कार्यक्रम के मद्देनजर सभी राज्यों के लिए समग्र राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के अनुरूप हो, (ख) ये अधिकतम सीमाएं प्रत्येक राज्य की वहनीयता अपेक्षाओं के अनुरूप हो। इस नोट में एक ऐसी पद्धति का सुझाव दिया गया है जिसके द्वारा सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को अलग-अलग राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमेय स्तरों में परिवर्तित किया जा सके। इसमें उन राज्यों की पहचान भी की गई है जहां ऋण भार के संबंध में उनकी आरम्भिक स्थितियों और अन्य संगत पैरामीटरों पर विचार करते हुए बहुत बड़े समायोजन की आवश्यकता हो।

4.1.3 जैसा कि अध्याय 4 में चर्चा की गई है कि ऋण वहनीयता स्थितियों को ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के रूप में और समकक्ष रूप में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राज्यों के मामले में राजस्व प्राप्तियों का संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें राजस्व न केवल स्वयं उनके राजस्वो के आधार पर , वरन केन्द्र से अन्तरणों जो कुछ सीमा तक उनकी राजकोषीय सामर्थ्य में कमियों की प्रतिपूर्ति करते हैं, के आधार पर भी उपार्जित होते हैं। राज्यों के लिए राजस्व प्राप्ति लक्ष्यों से ब्याज अदायगियों को अपनाना अधिक सरल है क्योंकि ये बजटीय आंकड़े हैं, जबकि जीएसडीपी के आंकड़े विलम्ब से उपलब्ध होते हैं।

4.1.4 वहनीयता स्थितियों का प्रयोग करते हुए, वह स्तर जिस पर सकल घरेलु उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात (+*) वहनीय स्तर पर एक स्थिरीकृत ऋण-सकल घरेलु उत्पाद अनुपात (b*) के अनुरूप होगा, इस प्रकार प्राप्त किया जाएगाः

$$f^* = p.g/ (g-i) \text{ and } b^* = p\ (1+g)/ (g-i)$$

इस शर्त को राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों के अनुपात, जिसे (ip)द्वारा दर्शाया जाए, के रूप में और राजस्व प्राप्तियों से जीएसडीपी का अनुपात जिस (r) द्वारा दर्शाया जाए, के रूप में लिखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र से अन्तरण शामिल हैं। इस प्रकार

$$f^* = (ip)^*r.g/ i \text{ and } b^* = (ip)^*r\ (1+g)/ i$$

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के लक्ष्य स्तर को निम्न प्रकार लिखा जा सकता हैः

$$(ip)^* = f^*.i/r.g$$

इस प्रकार वहनीय स्तरों पर स्थिरकारी राजकोषीय घाटे और ऋण के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों का स्तर इस प्रकार होगा-

(क) उच्चतर, जितना अधिक राजकोषीय घाटा लक्ष्य, और औसत अंकित ब्याज दर होगी, तथा

(ख) निम्नतर, जितना अधिक राजस्व-जीएसडीपी अनुपात और अंकित वृद्धि दर होगी।

4.1.5 सारणी 4.1.1 में सकल घरेलू उत्पाद से वहनीय राजकोषीय घाटे के निश्चित स्तरों और अन्य पैरामीटरों के वैकल्पिक समिश्रण के अनुरूप ब्याज अदायगियों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात (जिसे इसके बाद आईपी-आरआर अनुपात) कहा जाएगा, के स्तर दिए गए हैं।

4.1.6 सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के स्तर ($f^*=.03$), 7 प्रतिशत की ब्याज दर, और सकल घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों का लगभग 13 प्रतिशत का अनुपात जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जा सकता है, पर विचार करते हुए सभी विचारित राज्यों के लिए राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का लक्ष्य स्तर, 13.5 प्रतिशत बनता है। सारणी 4.1.1 में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर और 13 प्रतिशत का सकल घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से संबंधित पंक्ति ब्याज दरों के विभिन्न स्तरों के लिए आई.पी-आरआर लक्ष्य के वैकल्पिक स्तरों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अध्याय 4, जिसमें सुझाई गई पुनर्गठन योजना के अनुसार मिश्रित, केन्द्रीय और राज्यों की वित्तीय व्यवस्थाओं के राजकोषीय परिदृश्य का वर्णन है, की सारणी 3.13 में, 2009-10 तक 15 प्रतिशत का राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का स्तर प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए। अलग-अलग राज्यों के लिए आईपी-आरआर अनुपात के इस समग्र स्तर के निहितार्थों पर विचार करना उपयोगी होगा। सभी राज्यों के लक्ष्य [= (IP_a / RR_a)] को

सारणी 4.1.1
पैरामीटर मूल्यों के वैकल्पिक सम्मिश्रणों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगी के लक्ष्य स्तर

f	0.03	r	12.0			
			ब्याज दर			
वृद्धि दर (%)	**0.07**	**0.075**	**0.08**	**0.085**	**0.09**	**0.095**
11.0	15.91	11.79	16.97	12.52	17.97	13.22
12.0	14.58	15.63	16.67	17.71	18.75	19.79
13.0	13.46	14.42	15.38	16.35	17.31	18.27
14.0	12.50	13.39	14.29	15.18	16.07	16.96
15.0	11.67	12.50	13.33	14.17	15.00	15.83
f	**0.03**	**r**	**13.0**			
			ब्याज दर			
वृद्धि दर (%)	**0.07**	**0.075**	**0.08**	**0.085**	**0.09**	**0.095**
11.0	14.69	11.79	15.66	12.52	16.59	13.22
12.0	**13.46**	**14.42**	**15.38**	**16.35**	**17.31**	**18.27**
13.0	12.43	13.31	14.20	15.09	15.98	16.86
14.0	11.54	12.36	13.19	14.01	14.84	15.66
15.0	10.77	11.54	12.31	13.08	13.85	14.62
f	**0.03**	**r**	**14.0**			
			ब्याज दर			
वृद्धि दर (%)	**0.07**	**0.075**	**0.08**	**0.085**	**0.09**	**0.095**
11.0	13.64	11.79	14.55	12.52	15.40	13.22
12.0	12.50	13.39	14.29	15.18	16.07	16.96
13.0	11.54	12.36	13.19	14.01	14.84	15.66
14.0	10.71	11.48	12.24	13.01	13.78	14.54
15.0	10.00	10.71	11.43	12.14	12.86	13.57

अलग-अलग राज्यों के लिए लक्ष्यों में निम्न प्रकार विघटित किया जा सकता है:

$(IP_a /RR_a)= [(RR_1/RR_a)*(IP_1/RR_1)+ (RR_2/RR_a)*(IP_2/RR_2)+.....+ (RR_n/RR_a)*(IP_n/RR_n)]$

यदि राज्यों को j पादाक्षर द्वारा सूचीबद्ध किया गया है,j, j= 1,2,…,n, हम पाते हैं $IP_a = \sum IP_j$ और $RR_a = \sum RR_j$ और $\sum IP_j / \sum RR_j = (IP_a /RR_a)$

पद (IP_a /RR_a)सभी राज्यों के औसत के लिए IP-RR अनुपात दर्शाता है। अलग-अलग राज्यों का उनके सम्बन्धित जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय/घाटा और ऋण स्तरों को, कतिपय पूर्वधारणाओं के अधीन सकल राज्य वहनीयता अपेक्षाओं के अनुरूप "औसत" राज्य के लिए राजकोषीय घाटे और ऋणस्तरों से सम्बद्ध किया जा सकता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक राज्य IP/RR के संबंध में समान लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, हम पाते हैं,

$IP_1/RR_1=IP_2/RR_2=.........=IP_n/RR_n= \mathbf{IP_a/RR_a}$

4.1.7 इस शर्त का निहितार्थ यह है कि औसत ब्याज दरों से अधिक और औसत राजस्व सकल घरेलू उत्पाद अनुपात से कमतर राज्यों को औसत ऋण-जीएसडीपी अनुपातों से कम होने की आवश्कता होगी बशर्ते कि वृद्दि दरों में भिन्नता न हो। संगत शर्तों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कीसी भी राज्य के लिए:

$IP/RR= (i.B_{t-1})/(r.Y)= (i/r).(b_{t-1})/(1+g)= (i/r).b*/(1+g)$ (जब $b_{t-1}=b_t =b*$)

यदि कोई वैयक्तिक राज्य पादाक्षर 'j' द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और समग्र-राज्य औसत पादाक्षर 'a' द्वारा तो हम पाते हैं:

$(i_j/r_j).b_j*/(1+g_j)= (i_a /r_a).b_a*/(1+g_a)$ (यदि $IP_j/RR_j=IP_a/RR_a$)

पदों को पुनः व्यवस्थित करने पर हम पाते है:

$b_j*= b_a*[(i_a/i_j)(r_j/r_a)] [(1+g_j) /(1+g_a)]$

इसी प्रकार, राजकोषीय घाटे के स्थिरीरकृत स्तरों के लिए हम लिख सकते हैं [1]

$f_j* = f_a.* \{i_j r_a.g_a / i_a r_j.g_j\}$

इस प्रकार, समग्र राज्य ऋण-जीएसडीपी अनुपात को स्थिर करने के संदर्भ में, जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात और किसी राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात क्रमशः सादृश्य औसतों की तुलना में निम्नलिखित स्थितियों में

(क) इसके उच्चतर ब्याज-दर होने पर

(ख) इसके राजस्व-जीडीएसपी अनुपात के न्यूनतर होने पर, और

(ग) इसकी वृद्धि दर के न्यूनतम होने पर, औसत की तुलना में न्यूनतर होना चाहिए।

4.1.8 समग्र राज्य राज्यकोषीय घाटा लक्ष्यों को लेने में, चूंकि ये सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष परिभाषित किए जाते हैं, सभी राज्यों के जीएसडीपी के जोड़ को प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है। अध्याय 4 में पुनर्गठन योजना की चर्चा करने में, "समायोजन अवस्था" जहां राजकोषीय घाटा और ऋण-डीएसडीपी अनुपातों के उनके वर्तमान स्तरों से कम होने की आशा है और एक "स्थिरीकरण अवस्था" जहां ये जीडीपी के संबंध में स्थिर रहते हैं, के बीच अंतर किया गया था। इसी प्रकार के सिद्धांत राज्य स्तरीय समायोजनों पर लागू होते हैं। कुछ राज्यों को उनके जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के उच्चस्तरों के कारण दूसरों से अधिक समायोजन करना होगा। अगले भाग में, वे राज्य जहां वृहत समायोजनों की आवश्यकता है, की पहचान की गई है।

राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों में प्रवृत्तियां

4.1.9 1996-97 के बाद की अवधि के दौरान राजकोषीय संतुलन के सूचकांकों जैस राज्यों के राजस्व और राजकोषीय घाटों में बहुत अधिक ह्रास हुआ है। इस ह्रास का एक आयाम 1996-97 के बाद से राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के स्तर में असाधारण वृद्धि था, जो बहुत हद तक पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों में वेतनों में संशोधन का प्रभाव है। सारणी 4.1.2 में अलग-अलग राज्यों के लिए तथा सामुहिक औसतों के लिए दो तीन वर्षीय अवधियों के ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से औसत दिए गए हैं। यह दर्शाया गया है कि सामान्य श्रेणी राज्यों (जीसीएस समूह) के लिए औसत आईपी-आरआर अनुपात 1993-96 के औसत की 2000-03 के औसत से तुलना करने पर 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में समतुल्य वृद्धि 13.5 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत थी। सभी राज्यों का औसत 1993-96 के दौरान 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000-03 में 24.6 प्रतिशत हो गया।

4.1.10 यह उल्लेखनीय है कि 1993-96 के दौरान 16.4 प्रतिशत पर आईपी-आरआर अनुपात का सभी राज्यों का औसत स्तर पुनर्गठन योजन में 2009-10 के लिए लक्षित किए जा रहे स्तर से लगभग 1.4 प्रतिशतांक अधिक है। समग्र सुधार को न्यूनतर ब्याज दरों पर केन्द्र को राज्य ऋणों के अनुशंसित पुनर्निधारण और 12 प्रतिशत की अंकित वृद्धि दर और उदार ब्याज दर व्यवस्था सहित अनुकूल वृहत आर्थिक कारकों से सुगम बनाया जाएगा। तथापि अलग-अलग राज्यों के स्तर पर कुछ राज्यों को समग्र-राज्य औसत, जिसे भी बहुत अधिक नीचे लाना होगा, के स्तर से वृहत्तर सुधार करने पड़ेगें। सामान्य श्रेणी राज्यों के 2000-03 के औसत पर विचार करते हुए, सामुहिक औसत से अधिक मात्रा के क्रम में सूचीबद्ध वे राज्य जो औसत आईपी-आरआर अनुपात से उच्चतर (औसत दर्शाते हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार हैं। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, औसत आईपी-आरआर अनुपातों से अधिक औसत वाले राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मणिपुर और असम। यद्यपि बाद के तीन राज्य सामुहिक औसत के निकट है।

राज्यों द्वारा वहनीय उधार की योजना को प्रचालित करना

4.1.11 आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों द्वारा लिए गए वार्षिक उधार को वहनीय सीमाओं के भीतर रखा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को अनुच्छेद 293(2) के अधीन ऐसा करने की शक्तियां प्राप्त हैं और राज्य सरकारों को अनुच्छेद 293(1) के अधीन ऐसा करने की शक्तियां प्राप्त हैं। एक बार राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनने के बाद राज्य विधानमंडलों से यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करने में, कि किसी राज्य का उधार कार्यक्रम विधायन के अंतर्गत विहित सीमाओं में रहे, अधिक नियन्त्रण बरतें। जब तक केन्द्र राज्यों को अपने लोक लेखा जैसे कि एनएसएसएफ के माध्यम से ऋण दे रहा है, यह राज्यों के उधार कार्यक्रम को अनुमोदित करने की स्थिति में होगा। इसे एक स्वायत्तशासी विनियामक निकाय जैसे ऋण परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

4.1.12 विनियामक निकाय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी राज्य का उधार कार्यक्रम उस राज्य की वहनीयता अपेक्षाओं के अनुरूप हो, जिसे संगत राज्य-विशिष्ट पैरामीटरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक साथ विचारित सभी राज्यों के उधार कार्यक्रम वृहत आर्थिक स्थिरता और सभी राज्यों के राजकोषीय घाटा लक्ष्यों के अनुरूप हो।

4.1.3 विशेष रूप से, इसे सभी राज्यों की औसत वार्षिक उधार आवश्यकता को अलग राज्य की आवश्यकता के साथ सम्बद्ध करके सुनिश्चित किया जा सकता है। समायोजन अवस्था में, राजकोषीय घाटा स्तर ऐसे होने चाहिए कि ऋण -सघउ अनुपात निरन्तर रूप से गिरे। स्थिरीकरण अवस्था में, राजकोषीय घाटा इतना होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण - सघउ अनुपात स्थिर रहे। 2005-09 की अवधि को समायोजन अवस्था के भाग के रूप में लिया जाना चाहिए। पुनर्गठन कार्यक्रम के अनुरूप 2005-06 से 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्यों से सभी राज्यों के लिए सुझाए गए वर्षवार राजकोषीय घाटा हैः सघउ का 4.13, 3.75, 3.38, 3.0 और 3.0 प्रतिशत।

4.1.14 योजना को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित कदम शामिल हैंः

1) "औसत" राज्य के लिए समग्र राज्य औसत के रूप में प्रासंगिक जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात निर्धारित करना;

2) [सघउ)/(जीएसडीपी का जोड़)] के बराबर समायोजन कारक का प्रयोग करके समग्र राज्य राजकोषीय घाटे का सभी राज्यों के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में समायोजन;

3) अलग-अलग राज्यों के लिए संगत ब्याज दर, वृद्धि दर और राजस्व-जीएसडीपी अनुपात और सभी राज्यों के लिए सादृश्य औसतों, जिन्हें चालू वर्ष में लागू किया जा सकता है, का निर्धारण करना; और

सारणी 4.1.2

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों की प्रवृत्तियांः राज्यवार और समूह-वार

राज्य	औसत (1993-94 से 1995-96)	सामूहिक औसत का %	औसत 2000-01से 2002-03	सामूहिक औसत का %	% वृद्धि (औसत 93-96 से 2000-03)
सामान्य श्रेणी राज्य					
आन्ध्रा प्रदेश	14.07	84.33	22.37	87.76	58.99
बिहार*	21.78	130.52	26.27	103.05	20.62
छत्तीसगढ़			15.84	62.13	
गोवा	14.26	85.50	19.62	76.96	37.52
गुजरात	15.18	90.99	24.60	96.51	62.05
हरियाणा	15.46	92.69	23.29	91.38	50.62
झारखंड			20.69	81.18	
कर्नाटक	12.08	72.42	18.07	70.91	49.59
केरल	17.66	105.86	27.39	107.46	55.09
मध्य प्रदेश*	13.34	79.98	19.04	74.68	42.67
महाराष्ट्र	11.93	71.52	20.76	81.45	74.01
उड़ीसा	22.39	134.20	35.85	140.64	60.11
पंजाब	32.27	193.43	38.77	152.12	20.15
राजस्थान	17.48	104.79	30.57	119.93	74.86
तमिलनाडू	11.98	71.84	18.64	73.13	55.53
उत्तर प्रदेश*	21.88	131.13	28.99	113.73	32.51
पश्चिम बंगाल	20.35	121.97	44.35	173.99	117.95
जोड़ विशेष श्रेणी	**16.68**	**100.00**	**25.49**	**100.00**	**52.78**
विशेष श्रेणी राज्य					
असम	16.39	121.70	17.16	100.77	4.67
अरूणाचल प्रदेश	5.04	37.43	11.34	66.57	124.82
हिमाचल प्रदेश	15.93	118.26	28.76	168.90	80.55
जम्मू और कश्मीर	16.57	122.99	14.75	86.60	-10.99
मणिपुर	8.78	65.16	17.48	102.64	99.14
मेघालय	7.52	55.83	11.10	65.17	47.57
मिजोरम	5.40	40.07	14.11	82.84	161.37
नागालैंड	10.72	79.55	15.08	88.55	40.71
सिक्किम	9.90	73.46	11.67	68.52	17.90
त्रिपुरा	10.09	74.91	14.27	83.83	41.47
उत्तरांचल			17.87	104.95	
जोड़ विशेष श्रेणी	**13.47**	**100.00**	**17.03**	**100.00**	**26.41**
सभी राज्य	**16.36**		**24.58**		**50.28**

स्रोत (मूल आंकड़ों) राज्य वित्त लेखा

4) किसी निश्चित राज्य और वर्ष के लिए अनुमेय उधार आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए किसी राज्य का सभी राज्यों के राजकोषीय घाटे से संबंधित फार्मूला लागू करना। यह उल्लेखनीय है कि उन राज्यों के लिए कुछ समायोजन करने पड़ सकते हैं जहां राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष मौजूदा ब्याज अदायगियां अधिक हैं और आरम्भिक वर्षों में अपेक्षित सुधार बहुत बड़े है।

उपसंहार

(1) मानो j राज्य का राजकोषीय घाटा j j है और सभी राज्यों का औसत fa है। हम जानते हैं कि

$f_a=(ip)_a^*.r_a.g_a/i_a$ or $(ip)_a^*= f_a.i_a/ r_a.g_a$

तदनुसार j राज्य के लिए j, $(ip)_j^*= f_j.i_j/ r_j.g_j$

उपबंध का प्रयोग करते हुए $(ip)_a^*=(ip)_j^*$,

हम पाते हैं, $f_j = f_a. \{i_j r_a.g_a / i_a r_j.g_j\}$

परिशिष्ट 4.2

(अध्याय 4)

रोजगार और वेतन की प्रवृत्तियांः एक अन्तर्राज्य परिदृश्य

4.2.1 राज्यों के बजटों में वेतन अदायगियों का प्रतिबद्ध खर्चों में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस नोट में 1994-95 से 2002-03 के दौरान सरकारी रोजगार का राज्यवार पैटर्न, औसत वेतन और राज्यों के राजस्व खर्चों में वेतन के हिस्से की पड़ताल की गई है। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों द्वारा किए गए वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप औसत वेतनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। वेतन ढ़ाचों में बढ़ती हुई समरूपता के बावजूद, प्रति कर्मचारी औसत वेतनों में बहुत अधिक भिन्नताएं हैं,जो अन्य कारकों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की संरचना में अन्तर और उनका आयु परिदृश्य तथा कुछ भत्तों में भिन्नता के कारण हो सकती हैं।

4.2.2 ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को राजस्व प्राप्तियों या राजस्व व्यय के सापेक्ष अपने वेतन व्यय को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। वेतन के स्तर और सरकारी रोजगार के स्तरों से संबंधित निर्णय राज्य की राजकोषीय क्षमता और सरकार द्वारा निर्वाहित की जाने वाली आबादी के आकार को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी है तो औसत वेतन अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। एक राज्य जिसमें कार्मिक बल अधिक है, प्रति कर्मचारी वेतन का उच्च स्तर और निम्न राजकोषीय क्षमता के फलस्वरूप इसकी राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा समग्र वेतन बिल में चला जाएगा। कार्मिकबल, भले ही वह विशाल हो, उत्पादक रूप से नियोजित सिद्ध नहीं होगा जब तक कि राज्य पूरक व्ययों, अर्थात वेतन-भिन्न राजस्व व्यय और पूंजी व्यय की व्यवस्था करने में सक्षम न हो।

सारणी 4.2.1

प्रति कर्मचारी वेतन व्ययः वेतन संशोधनों के बाद प्रतिशत वृद्धि

(रूपए प्रति कर्मचारी)

राज्य	1995-96[क]	औसत (1997-98 से 1999-00)[ख]	प्रतिशत वृद्धि [ख से क]
आन्ध्र प्रदेश	38033	50278	32.20
अरूणाचल प्रदेश	51369	79101	53.99
असम	41616	60709	45.88
बिहार *	62482	100948	61.56
गोवा	51333	83268	62.21
गुजरात	58745	83302	41.80
हरियाणा	44201	66869	51.28
हिमाचल प्रदेश	50975	78364	53.73
कर्नाटक	38344	63997	66.90
केरल	42762	63130	47.63
मध्यप्रदेश*	52963	82372	55.53
महाराष्ट्र	49083	73934	50.63
मेघालय	62001	83172	34.15
उड़ीसा	36040	66285	83.92
पंजाब	51659	92325	78.72
राजस्थान	47682	72327	51.69
सिक्किम	49012	100815	105.70
तमिलनाडू	52731	88570	67.97
त्रिपुरा	50654	59654	17.77
उत्तर प्रदेश*	45998	84675	84.09
पश्चिम बंगाल	45838	78723	71.74
भारांशित औसत (21 राज्य)	**47398**	**75364**	**59.00**

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्यों के ज्ञापन

4.2.3 सरकारी वेतनों पर व्यय में मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा लाभों सहित अन्य लाभ शामिल हैं। सारणी 4.2.1 में ब्याज अदायगियों को छोड़कर किसी राज्य के राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में उस राज्य का वेतन व्यय दर्शाया गया है। इस सारणी और परिशिष्ट की सारणियों में प्रयुक्त आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं। सभी राज्यों के आंकड़ों की सटीकता और तुलनात्मकता पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है। राज्यों को वेतन और रोजगार से संबंधित आंकड़े वार्षिक आधार पर बजट दस्तावेजों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

सारणी 4.2.2

राजस्व व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय (ब्याज अदायगियों और पेंशन के अतिरिक्त)

(प्रतिशत)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आन्ध्र प्रदेश	26.5	26.5	20.3	23.8	24.5	29.6	26.1	23.6	25.5
अरूणाचल प्रदेश	40.5	41.1	39.7	45.2	50.1	48.6	46.7	43.6	47.8
असम	60.7	60.7	70.4	71.7	74.3	75.9	71.1	71.5	71.7
बिहार	62.7	64.1	63.4	59.3	65.5	65.5	77.3	73.5	67.6
गोवा	27.6	19.3	19.3	21.5	20.1	22.2	49.1	22.0	19.5
गुजरात	16.4	17.7	16.0	15.7	15.1	14.2	11.1	12.0	14.8
हरियाणा	20.8	29.6	27.5	28.3	39.6	52.5	52.6	47.0	49.6
हिमाचल प्रदेश	45.9	46.7	47.6	45.9	51.4	51.7	51.5	58.9	58.3
कर्नाटक	37.3	35.9	34.6	39.3	39.3	40.0	37.6	36.3	38.3
केरल	40.1	37.7	36.5	31.5	34.1	39.9	40.1	38.4	32.0
मध्यप्रदेश	45.7	44.5	39.5	43.4	45.9	44.1	45.9	43.4	50.0
महाराष्ट्र	25.3	25.4	22.3	22.5	22.7	31.2	21.2	21.8	19.8
मेघालय	48.6	45.8	51.7	55.0	52.3	52.7	50.1	54.3	57.5
उड़ीसा	44.0	43.2	54.0	61.5	65.4	57.2	64.6	57.0	65.5
पंजाब	36.7	50.0	47.9	52.3	69.8	60.1	52.5	49.6	45.5
राजस्थान	39.6	37.8	45.9	50.4	54.4	52.6	49.2	49.3	48.0
सिक्किम	16.8	11.6	10.6	11.1	17.9	18.3	37.6	17.1	16.5
तमिलनाडू	40.6	42.9	42.5	45.0	50.6	51.2	49.2	51.6	40.8
त्रिपुरा	53.1	68.8	54.5	55.8	59.9	64.4	60.2	67.0	69.9
उत्तर प्रदेश	33.8	34.1	34.7	39.7	37.3	38.5	38.8	35.4	37.5
पश्चिम बंगाल	31.8	31.2	29.8	31.5	36.6	30.4	30.1	30.1	35.4
कुल (21राज्य)	**35.2**	**36.2**	**34.8**	**37.0**	**39.7**	**41.3**	**38.3**	**36.8**	**37.3**

स्रोत (राज्यों के ज्ञापन)

4.2.4 राज्यों ने 1 फरवरी, 1996 अथवा इस अवधि के आस-पास किसी अन्य विनिर्दिष्ट तारीख से वेतन संशोधनों को लागू किया परन्तु इन्हें काफी बाद से प्रभावी बनाया। कर्मचारियों को बकाया का भुगतान किया गया, जिसके भुगतान भी सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न तारीखों से किए गए। वेतन संशोधनों के प्रभाव पर विचार करने के लिए, संशोधन-पूर्व वेतन की अर्थात 1995-96 के वेतन की बाद के वर्षों में प्रति कर्मचारी के वेतन के औसत से तुलना करना उपयोगी होगा। हम पाते हैं कि विभिन्न राज्यों में वेतन संशोधन का सर्वाधिक प्रभाव 1997-98 से 1999-00 में महसूस किया गया। इनका औसत 1998-99 में केन्द्रित है। सारणी 4.2.1 दर्शाती है कि 1995-96 की तुलना में 1997-98 से 2000-01 के दौरान, जिसका केन्द्र 1998-99 में था, औसत प्रति कर्मचारी के वेतन में 59 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

4.2.5 सारणी 4.2.2 ब्याज अदायगियों और पेंशन को छोड़कर राजस्व व्यय से वेतन व्यय का अनुपात दर्शाती है। यह अनुपात संशोधन से पूर्व लगभग 35 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2000-01 में 40 प्रतिशत से अधिक हो गया, जिसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया है, परन्तु यह अभी भी औसत संशोधन-पूर्व स्तरों से अधिक है।

4.2.6 आयोग ने अध्याय 4 में सिफारिश की है कि राज्यों को ब्याज अदायगियों और पेंशन को घटाकर 35 प्रतिशत का राजस्व व्यय से वेतन व्यय का अनुपात प्राप्त करना चाहिए जो 1996-97 में इसके औसत स्तर के अनुरूप है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, उन राज्यों के लिए जो इससे ऊपर हैं, तीन सम्भावित मार्ग हैं, अर्थात (क) कर्मचारियों की संख्या घटाना (ख) औसत प्रति कर्मचारी वेतन में कमी करना और (ग) राजस्व घाटे को बढ़ाए बिना राजस्व प्राप्तियों के स्तर में वृद्धि करना। यदि कर्मचारियों की संख्या सापेक्षिक रूप से बड़ी है तो औसत वेतन को सापेक्षिक रूप में कम होना चाहिए। इसके विपरीत, यदि राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को उचित सीमाओं के भीतर रखा है तो इसके लिए राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वेतन व्यय के उचित स्तरों को प्राप्त करना सरल होगा। किसी ऐसे राज्य के लिए समायोजन सबसे अधिक करने होगें जिसके पास बहुत बड़ा कार्मिक बल है, प्रति कर्मचारी वेतन का ऊँचा स्तर है और न्यून राजकोषीय सामर्थ्य है। सारणी 4.2.3 और 4.2.4 में 1994 से 2002-03 की अवधि के लिए कर्मचारी की कुल संख्या और प्रति कर्मचारी व्यय, राज्यवार दिया गया है।

सारणी 4.2.3

सरकारी कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

(संख्या)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आन्ध्रप्रदेश	560138	564583	568907	697619	589998	581456	543147	514163	545859
अरूणाचल प्रदेश	33222	36325	37420	39222	39606	39445	40231	40322	41165
असम	413464	422690	430357	441590	459701	453245	447424	441634	435534
बिहार	627990	613440	595612	570241	548075	531633	515684	470825	462137
गोवा	31241	31880	33807	34056	34230	35341	35379	34276	34499
गुजरात	209873	208680	204355	197768	215874	206036	205935	211008	203286
हरियाणा	300963	309795	315120	313790	316472	320515	319027	322217	325439
हिमाचल प्रदेश	131497	138307	142934	148163	159542	168551	175324	177000	180540
कर्नाटक	593878	632117	654002	565072	606478	627973	619518	618062	622547
केरल	357203	362540	361115	367572	377037	389563	385234	385881	352730
मध्यप्रदेश	523583	526378	514677	513475	518381	516230	510115	505682	497985
महाराष्ट्र	736607	747392	736591	736969	729546	707326	710802	695870	692265
मेघालय	36194	38014	39613	42830	44928	46644	47427	48776	49813
उड़ीसा	407290	426786	458295	468941	475791	458458	433452	426885	419468
पंजाब	365703	367935	373468	371462	373270	378147	373702	376222	उ.न.
राजस्थान	512224	531235	551054	569575	586452	596143	600835	611583	607469
सिक्किम	19522	20158	21038	21701	20395	22728	22859	23426	23973
तमिलनाडू	690546	691515	691644	691644	708201	708699	708986	709599	उ.न.
त्रिपुरा	90300	89242	96310	96725	96673	105038	103736	101604	98379
उत्तर प्रदेश	873351	865254	815213	809507	803801	705368	702666	705803	705803
पश्चिम बंगाल	432503	432403	433705	431599	436285	437018	441160	442544	439300
कुल **(21** राज्य**)**	**7947292**	**8056669**	**8075237**	**8129521**	**8140736**	**8035557**	**7942643**	**7863382**	**6738191**

स्रोत(राज्यों के ज्ञापन)

सारणी 4.2.4

प्रति कार्मिक वेतन व्यय

(रुपए में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	35138	38033	40899	37991	49282	63562	75365	75897	80909
अरुणाचल प्रदेश	48040	51369	57119	67613	81229	88462	94136	93558	98221
असम	36895	41616	45720	51198	57860	73070	77432	81745	83720
बिहार*	54900	62482	67950	79987	97094	125763	125198	97677	105125
गोवा	43989	51333	61566	76501	83729	89573	92510	100053	102491
गुजरात	46501	58745	62631	74892	84218	90795	94320	96782	108095
हरियाणा	38922	44201	50667	50027	68620	81960	84196	92624	101355
हिमाचल प्रदेश	45542	50975	56717	66669	83728	84695	91691	101907	110582
कर्नाटक	36314	38344	42800	58445	61759	71788	73864	80491	81000
केरल	40554	42762	48599	50699	59504	79187	79443	72359	85961
मध्य प्रदेश*	46205	52963	60517	67392	85515	94208	99718	92114	106000
महाराष्ट्र	43053	49083	53015	57885	64797	99119	87452	90126	86281
मेघालय	53434	62001	70568	77378	82668	89471	96181	108088	113808
उड़ीसा	33262	36040	44441	51104	66479	81272	82980	78748	92876
पंजाब	45432	51659	62492	77198	98641	101137	114726	109846	एनए
राजस्थान	41745	47682	53057	57281	78153	81548	81777	83651	87115
सिक्किम	42665	49012	54430	62041	125552	114852	109617	113651	121684
तमिलनाडु	45173	52731	61775	71807	91394	102509	101463	102998	एनए
त्रिपुरा	34891	50654	42277	49915	58755	70292	77736	89609	99631
उत्तर प्रदेश*	40045	45998	56940	74531	79486	100010	105592	94971	108602
पश्चिम बंगाल	41846	45838	52430	57728	84631	93809	100265	98601	103714
भारित औसत (21 राज्य)	**41968**	**47398**	**53631**	**61377**	**75116**	**89600**	**92214**	**90353**	**94603**
विकास दर (औसत वेतन)		**12.94**	**13.15**	**14.44**	**22.38**	**19.28**	**2.92**	**-2.02**	**4.70**

स्रोत (राज्य मेमोरेंडा)

* इन राज्यों का वर्ष 2000 में विभाजन हो गया। 2000-01 और 2001-02 के आंकड़े विभाजन के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं।